13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में हुए दंगों की जांच रिपोर्ट

1- सामान्य:

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से मुरादाबाद का नगर अपने उत्कृष्ट मीनाकारी के बर्तनों के लिए 'पीतल के नगर' के नाम से प्रसिद्ध है । 13 अगस्त, 1980 को बुधवार के दिन इस नगर में हुई हिंसा की घटना जिसमें नगर को हिलाकर रख दिया - हाल के वर्षों में इस प्रकार की घटनाओं में सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण थी । 30 दिन के रोजे के बाद ईद-उल-फितर की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर लगभग साठ-सत्तर हजार कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ जमा हो गई थी । ईद का त्योहार मुसलमानों के उत्सवों में से एक है । चहारदीवारी से घिरे ईदगाह मैदान में इससे आधे लोग ही आ सकते थे । इसलिए, यह भीड़ खास सड़क (मेनरोड) और चहारदीवारी की आस-पास की जमीन तक फैल गई थी । उन्होंने अपने जानमाज बिछा लिये थे और कतारों में बैठ गये थे । अनेक मुसलमान खाकी वर्दी में सड़क पर आजा रहे थे । ईदगाह के सामने उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क (अर्थात् गलशहीद से सम्भल चौराहे तक) पूर्व की ओर कई पार्टियों तथा संगठनों के शिविर लगे थे । मुरादाबाद में जो परम्परा है उसके अनुसार नगर के प्रमुख हिन्दू नागरिक नमाज के बाद मुसलमानों को बधाईयां देने आये हुए थे । जिला मजिस्ट्रेट श्री एस0पी0आर्य, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय नाथ सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री आर0एस0सिंह, सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) श्री एस0के0मिश्र और सिविल पुलिस तथा पी0ए0सी0 बल के साथ अनेक अधिशासी मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी वहां प्रबंध करने तथा शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए मौजूद थे । ईद की नमाज प्रातः सवा नौ बजे समाप्त हुई थी और इसके बाद शहर इमाम ने खुतबा (खुदा से दुआयें मांगने की इबादत) देना शुरु किया था । जब इमाम द्वारा प्रवचन दिया जा रहा था तो मुस्लिम लीग के शिविर के बांयी ओर कुछ शोरगुल हो रहा था । ज्येष्ठ प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारी

कुछ पुलिस बल के साथ इसका कारण जानने के लिए तुरंत ही शीघ्रता से उस स्थान पहुँच गये । उनसे कहा गया कि उस क्षेत्र में एकाधिक सुअर घुस आये थे जो कुछ मुसलमानों को नागवार लगा क्योंकि उनके होने से नमाज नापाक हो गई । फिर भी अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया और उस जगह शांति कायम रहने के लिए कुछ बल (फोर्स) छोड़कर जिला मजिस्ट्रेट और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस स्थिति से अवगत कराने के लिए उस शिविर की ओर रवाना हो गये जहां वे xxxxxx थे । कदाचित ही वे कुछ दूर गये होगें कि दंगा फिर से भड़क उठा और उसी ओर से अधिकारियों, पुलिस जनों तथा पी०ए०सी० बल, बधाई देने के लिए आये हुए हिन्दुओं और सड़क के किनारे स्थित हिन्दुओं के मकानों पर पथराव होने लगा । हमले में पथराव होने के xxxxx अलावा बेल्चों, बांसों तथा चाकुओं का भी इस्तेमाल किया गया । जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, सर्किल आफिसर नगर (ग्राम) पुलिस और पी०ए०सी० के लोगों और कुछ हिन्दुओं के गंभीर चोटें आयीं । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय नाथ सिंह के माथे पर एक रोड़ा लगा । जिससे उनके बहुत अधिक खून बहने लगा था उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया । चोटें पहुँचाने के बाद दंगाइयों ने ओ०सी० नगरपालिका श्री डी०बी०सिंह को आहत किया और उसके बाद उन्हें जल्दी से उठा ले गये और मार डाला । आंसू गैस और लाठी चार्ज का भी कोई असर न हुआ और हर व्यक्ति की जान-माल का खतरा पैदा हो गया । ज्येष्ठ प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों ने गोली चलाये जाने का सहारा लेने का निर्णय लिया । अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री आर०एस०सिंह ने गोली चलाने का आदेश जारी किया और अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी०बी०दास ने गोली चलवायी जिसके फलस्वरूप हजारों मुसलमानों ने जिधर भी वह भाग सकते थे भागना शुरु कर दिया । इसके परिणामस्वरूप भारी संख्या में लोग हताहत हुए तथा घायल हुए । पुलिस चौकी गलशहीद में आग लगा दी गई जो ईदगाह के उत्तर लगभग एक फर्लांग की दूरी पर स्थित है और

----3

पुलिस चौकी तथा ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबिलों से आग्नेयास्त्र लूट लिए गये । इसके बाद शहर के अन्य क्षेत्रों में भी हिंसात्मक घटनायें शुरु हो गईं । दूकानों और मकानों को लूटे जाने, छुरा भोंकने और छतों पर से गोली चलाने के कई मामलों की जानकारी मिली । सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया तथा अनेक व्यक्ति घायल हुए और उनकी जाने गईं । सिविल लाइन क्षेत्र को छोड़कर, जहां कोई घटना नहीं हुई थी पूरे शहर में प्रातः साढ़े दस बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया किन्तु फिर भी हिंसात्मक घटनायें होती रहीं ।

चूँकि यह मामला बड़े लोक महत्व का था इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (जिसे एतद पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अपनी अधिसूचना संख्या 1785-डी/आठ-12/80, दिनांक 18अगस्त, 1980 द्वारा श्री बी0डी0 अग्रवाल, तत्कालीन जिला तथा सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर (अब न्यायमूर्ति श्री बी0डी0अग्रवाल) को मुरादाबाद जिले में दिनांक 13 अगस्त, 1980 को प्रातः ईद की नमाज के समय होने वाले दंगे तथा उसके फलस्वरूप तद्दिनांक घटित अन्य घटनाओं के संबंध में जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया । चूँकि उक्त घटनायें नवम्बर, 1980 के पहले सप्ताह तक होती रही इसलिए मुसलमानों ने मांग की कि सरकार से यह अनुरोध किया जाय कि वह जांच संबंधी विषय का समय बढ़ाये जिससे आयोग 13 अगस्त से नवम्बर, 1980 की समाप्ति तक घटित समस्त घटनाओं की जांच कर सके । तदनुसार नवम्बर, 1980 में श्री बी0डी0अग्रवाल (अब न्यायमूर्ति श्री बी0डी0अग्रवाल) ने इस विषय को स्पष्ट करने की मांग करते हुए सरकार को एक पत्र भेजा और इसी बीच कथित दंगों के तथ्यों से अवगत समस्त व्यक्तियों से लिखित बयानों की मांग करते हुए एक नोटिस जारी की । सरकार ने जांच संबंधी विषय का समय बढ़ाने से इन्कार कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि आयोग केवल 13 अगस्त, 1980 की घटनाओं की ही जांच करेगा । उसके बाद न तो कोई प्रगति हुई और न कोई लिखित बयान ही दाखिल किया गया । कुछ व्यक्तियों ने अपना नुकसान होने के दावे दाखिल किए लेकिन आयोग का इस मामले से कोई संबंध नहीं था।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की नियुक्ति करने की मांग रही है । इसलिए अधिसूचना संख्या 1785डी/आठ-12-80, दिनांक 18 अगस्त, 1980 का आंशिक संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद नगर में दिनांक 13 अगस्त, 1980 को होने वाले दंगों की जांच करने तथा उसके संबंध में रिपोर्ट देने हेतु अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिसूचना संख्या 2622-डी/आठ-12-81, दिनांक 28 अप्रैल, 1981 (अनुलग्नक "झ") जारी करके मुझे (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन आसीन न्यायाधीश श्री बी0डी0 अग्रवाल के स्थान पर एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया । आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह निम्नलिखित बातों को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त घटनाओं के संबंध में तथ्य, कारण और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करे और उनकी जांच करें तथा रिपोर्ट दें:

(1) दिनांक 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में घटित उक्त समस्त घटनाओं के क्रम में (जिनमें हताहतों की संख्या भी आती है) व उनके तथ्य और कारण ।

(2) स्थिति को संभालने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही का औचित्य और उसकी पर्याप्तता ।

(3) इन घटनाओं के संबंध में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों का उत्तरदायित्व ।

सरकार ने की जाने वाली जांच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) के अधीन यह भी निर्देश दिया कि आयोग के लिए धारा 5 की उप धारा (2), (4) तथा (5) के उपबंध लागू होंगे । प्रारम्भ में सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार महीने का समय स्वीकृत किया था । इसके बाद इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा ।

19-6-1981 को आयोग ने अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू भाषाओं (क्रमशः अनुलग्नक "दो", "दो-क" तथा "दो-ख") में एक नोटिस जारी किया जिसमें जांच की विषय वस्तु से परिचित समस्त व्यक्तियों

से तथ्यों से संबंधित बयान प्रस्तुत करने की मांग xxx की गई । ये नोटिसें उन अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू के समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई जिनका प्रचलन मुरादाबाद नगर में तथा इसके बाहर काफी अधिक है । चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य ने जांच करने के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई थी इसलिए आयोग ने जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित धारा 8 द्वारा अपेक्षित है अपनी स्वतः प्रक्रिया तैयार की । उक्त नोटिसों में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि 20-7-1981 को आयोग द्वारा बनायी गई नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया जायेगा ।

इसी प्रकार की नोटिस निम्नलिखित उन अधिकारियों को भेजी गई जो 13 अगस्त, 1980 को अथवा इसके तुरंत बाद मुरादाबाद में तैनात किये गये थे:

(1) एस0पी0आर्य, आई0ए0एस0, जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ।

(2) श्री वी0एन0सिंह, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद ।

(3) श्री डी0वी0मेहता, जिन्होंने 22-8-1980 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के रूप में पद ग्रहण किया ।

(4) श्री बी0बी0दास, अपर पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद ।

(5) श्री ए0के0मिश्रा, सर्किल आफिसर नगर (प्रथम), मुरादाबाद ।

(6) श्री के0एम0 पाण्डेय, सर्किल आफिसर, नगर (द्वितीय), मुरादाबाद

(7) श्री डी0एस0एस0यादव, अपर जिला मजिस्ट्रेट (ई) मुरादाबाद।

(8) श्री आर0एस0सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) मुरादाबाद ।

(9) श्री एन0के0जैन, अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ0एवं आर0), मुरादाबाद ।

(10) श्री डी0सी0मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट (बी), मुरादाबाद ।

(11) श्री जे0पी0मिश्रा, परगना मजिस्ट्रेट (सदर), मुरादाबाद ।

(12) श्री के0एल0अग्रवाल, डिप्टी कलक्टर, मुरादाबाद ।

(13) श्री आर0पी0गोस्वामी, सहायक नगर अधिकारी, मुरादाबाद।

(14) कुमारी (अब श्रीमती) सुरजीत कौर, संयुक्त मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ।

---6

(15) श्री आर0डी0भारतीय, अपर नगर मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ।

(16) श्री एस0वी0 एस0सक्सेना, अपर नगर मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ।

(17) श्री आर0बी0वर्मा, तहसीलदार सदर, मुरादाबाद ।

मुरादाबाद नगर में गड़बड़ी की हालत होने के कारण आयोग अपनी पहली बैठक 20-8-1981 को कर सका जिसमें उसके द्वारा बनायी गई नियमावली को अंतिम रूप दिया गया । यह अनुलग्नक "तीन" में है । लिखित बयान दाखिल करने के लिए पक्षों (पार्टियों) को समय दिया गया । सरकारी अधिसूचना के अनुसार आयोग का मुख्यालय इलाहाबाद ही रहा किन्तु बैठकें करने का स्थान मुरादाबाद में अथवा अन्य ऐसा स्थान जैसा कि आयोग स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर तय करें, रखा गया । चूँकि पक्ष (पार्टियां) बैठकों का स्थगन कराते रहे इसलिए इसे लिखित बयान, प्रति शपथ-पत्र तथा प्रत्युत्तर शपथ-पत्र एकत्र करने में समय लगा ।

<u>लिखित बयान:</u>

मुस्लिम समुदाय के निम्नलिखित व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिगत रूप में अथवा कतिपय संगठनों की ओर से अपने लिखित कथन दाखिल किए हैं, जिन्हें श्रेणी "क" में रखा गया है और उन्हें जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, चिन्हित किया गया है :

1- डा0 कमाल काहिम, शहर इमाम, मुरादाबाद क-1

2- श्री मुख्तार अहमद, एडवोकेट, अध्यक्ष नागरिक स्वतंत्रता के लिए गठित नागरिक परिषद, मुरादाबाद । क-2

3- श्री खान अब्दुल बदूद क-3

4- श्री अबीबुर्रहमान उर्फ भूरा | इन्होंने कोई क-4

5- श्री हाफिज अली जान | लिखित बयान क-5
नहीं दाखिल किया
वरन केवल शपथ-पत्र
दाखिल किये ।

6- डा0 शमीम अहमद खां, अध्यक्ष, यू0पी0 स्टेट यूनियन मुस्लिम लीग । क-6

7- श्री हुमायूँ कदीर (इनकी पुष्टि में शपथ-पत्र दिया गया है) । क-7

8- डा0 हामिद हसन खां, मुरादाबाद के खाक सारों के जिला मुखिया । क-8

हिन्दू समुदाय के निम्नलिखित व्यक्तियों ने अपनी व्यक्तिगत रूप में अथवा कतिपय संगठनों की ओर से अपने लिखित बयान दाखिल किए हैं जिन्हें श्रेणी "ख" में रखा गया है और उन्हें जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, चिन्हित किया गया है:-

1- श्री हरी ओम शर्मा, जिला सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, मुरादाबाद। ख-1

2- श्री हरि किशन दास, अध्यक्ष, जनता सेवक समाज, मुरादाबाद। ख-2

3- श्री दयानन्द गुप्ता, एडवोकेट, मुरादाबाद ख-3

4- श्री संतोष सरन ख-4

5- श्री हंस राज भगत तथा श्री हरीश चन्द्र गुप्ता, नागरिक परिषद, मुरादाबाद ख-5

6- श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, आशुलिपिक ख-6

जिन सत्रह लोक सेवकों को नोटिसें जारी की गई थीं उनमें से केवल छः अर्थात् सर्वश्री ए0के0मिश्र, एस0पी0आर्य, बी0बी0दास, आर0 एस0सिंह, वी0एन0सिंह और के0एम0पाण्डेय ने ही अपने लिखित बयान दाखिल किए। इनके अतिरिक्त सात अन्य लोक सेवकों अर्थात् सर्वश्री जी0बी0सिंह, बी0बी0लाल, टी0सी0त्यागी, जमुना प्रसाद, आर0एस0असवाल, डी0पी0सिंह और जगदीश सिंह ने भी जो 13-8-1980 को मुरादाबाद में विभिन्न पदों पर तैनात किए गये थे, अपने लिखित बयान दाखिल किये। इन सभी को श्रेणी "ग" में रखा गया है और जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, चिन्हित किया गया है:-

1- श्री ए0के0मिश्र ग-1
2- श्री एस0पी0आर्य ग-2
3- श्री बी0बी0दास ग-3
4- श्री आर0एस0सिंह ग-4
5- श्री जी0बी0सिंह ग-5
6- श्री बी0बी0लाल ग-6
7- श्री टी0सी0 त्यागी ग-7
8- श्री वी0एन0सिंह ग-8

9- श्री जमुना प्रसाद ग-9
10- श्री आर0एस0असवाल ग-10
11- श्री के0एम0पाण्डेय ग-11
12- श्री डी0बी0सिंह ग=12
13- श्री जगदीश सिंह ग-13

जैसा कि आयोग की नियमावली व्दारा अपेक्षित है तीनों वर्गों के सभी लिखित बयानों की पुष्टि शपथ-पत्रों व्दारा की गई है। पक्षों व्दारा दाखिल किये गये लिखित बयानों का आपस में आदान-प्रदान किया गया और उनसे कहा गया कि यदिवे चाहते हों तो प्रति प्रशपथ पत्र दाखिल करें। श्रेणी "क" से केवल श्री मुख्तार अहमद, एडवोकेट तथा हामिद हुसेन ने ही प्रति शपथ-पत्र दाखिल किये जबकि डा0 शमीम अहमद खां ने प्रति कथन दाखिल किया जो न तो सत्यापित है और न शपथ-पत्र व्दारा उसकी पुष्टि कीगई है। डा0 कमाल फाहिम तथा श्री मुख्तार अहमद, एडवोकेट ने प्रत्युत्तर शपथ-पत्र भी दाखिल किये हैं।

श्रेणी "ख" से सर्वश्री हरी ओम शर्मा, दयानन्द गुप्ता, एडवोकेट, हंसराज भगत तथा संतोष सरन ने अपने प्रति-शपथ-पत्र दाखिल किए। श्री दयानन्द गुप्ता ने प्रत्युत्तर शपथ-पत्र भी दाखिल किया।

प्रशासन (अर्थात् श्रेणी "ग") की ओर से जिन्होंने अपने लिखित कथन प्रस्तुत किए उनमें से सर्वश्री जी0बी0सिंह तथा जमुना प्रसाद को छोड़कर सभी ने अपने प्रति शपथ-पत्र दाखिल किए। केवल श्री एस0पी0आर्य ने ही प्रत्युत्तर शपथ-पत्र दाखिल किया।

लिखित बयानों की विषयवस्तु:

डा0 कमाल फाहिम ने अपना बयान मुरादाबाद के मुसलमानों के इमाम की हैसियत से दाखिल किया जिनकी इमामत में 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह में ईद-उलफितर की नमाज पढ़ी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईदगाह में सम्पूर्ण घटना देखी है। उनके अनुसार यह मामला पूर्वनियोजित था और एक गहरे षडयन्त्र का परिणाम था जिसे पुलिस, पी0ए0सी0, जिला प्रशासन तथा कुछ हिन्दुओं के

साम्प्रदायिक तत्वों व्दारा रचा गया था और जो सभी सुनियोजित तथा विवेकपूर्ण ढंग से अपनी योजना की देख-रेख तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए घटनास्थल पर ही मौजूद थे । उनका कहना है कि उनके रुख, व्यवहार तथा रवैये से ऐसा प्रतीत होता था कि वे साम्प्रदायिकता से ग्रस्त थे जैसा कि तथ्यों से प्रकट होता कि बहुत बड़ी संख्या में बुड्ढों तथा कमजोर व्यक्तियों और कम उम्र वाले बच्चों (लड़के तथा लड़कियां दोनों ही हमले का लक्ष्य बनाया गया और मुसलमानों की हत्या करने उनकी दूकानों में लूट-पाट करने तथा आग लगाने आदि का कार्य पूरे दिन और उसके बाद भी चलता रहा था ।

पहले तो उन्होंने भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन तथा उसमें मुसलमानों की भूमिका का उल्लेख किया है । यह कहा गया है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ने यह प्रण किया था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक वे चैन से नहीं बैठेगें । इस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद जब मुसलमानों के सामने यह प्रश्न उठा कि क्या वे एक राष्ट्र के सिद्धान्त को स्वीकार करें अथवा दो राष्ट्र के सिद्धान्त को तो उन्होंने एक राष्ट्र के सिद्धान्त को चुना और उनका विश्वास था कि नया स्वतंत्रता राष्ट्र सबको लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद की संरचना के अन्तर्गत सबको समृद्धता की ओर ले जायगा जिसमें सभी धर्मों को समान आदर मिलेगा । भारत का संविधान का भी यही उद्देश्य है ।

तत्पश्चात् उन्होंने उन निम्नलिखित घटनाओं तथा परिस्थितियों बताई, का उल्लेख किया जिनके कारण उनके मतानुसार उस भाग्य निर्णायक दिन को मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ ।

(1) आप्रवासियों की समस्यायें:

पाकिस्तान से भारत को आये हुए हिन्दु असम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसमें मुरादाबाद भी आता है बस गये । उन्होंने अपना परिचय अलग रखा और उन्होंने स्थानीय हिन्दुओं को कपड़ा, किराना, निर्यात तथा परिवहन व्यवसाय जैसे अनेक पेशों से बंचित कर दिया जिससे स्थानीय हिन्दुओं में नाराजगी पैदा हो गई थी ।

(2) राजनीतिक:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी राजनीतिक क्षेत्र में हिन्दू मुसलमानों से क्रुद्ध रहते थे । 1980 में स्थानीय हिन्दुओं को उस समय बड़ा धक्का लगा जब डा0 हंसराज चोपड़ा, एक पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पार्टी टिकट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी और एक स्थानीय हिन्दू उम्मीदवार श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी को इसमें वंचित कर दिया । हिन्दू जनता ने यह अनुभव किया कि पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों ने, जिनका पहले ही कई व्यवसायों में बोलबाला था, राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने लगे हैं और इसलिए उनकी प्रधानता का विरोध करने का निश्चय किया । इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस (ई0) के एक प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद सिद्दी की मई, 1980 में हुए विधान सभा के मध्यावधि निर्वाचन में विजयी हुए तथा डा0 हंसराज चोपड़ा हार गये । यह रोष मतदान के दिन टाउन हल मतदान केन्द्र में उस समय प्रकट हुआ जब स्थानीय हिन्दुओं ने "नया आसाम बनायेंगे पंजाबियों को भगायेंगे" के नारे लगाये । इसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगा भड़क गया जिसमें एक व्यक्ति मारा गया तथा 9 व्यक्ति घायल हुए । कर्फ्यू लगा दिया गया तथा अगले कुछ घंटों में छुरा भोंकने के बहुत से मामलों की सूचना मिली । घायलों तथा मारे गये व्यक्तियों में वास्तव में सभी मुसलमान थे तथा आक्रमणकारी कथित रूप से मतदान के दिनकार्य करने के लिए बाहर से लाये गये पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासी थे । जिन स्थानों पर मुसलमानों को छुरा भोंके गये तथा दंगा हुआ वे उस कोतवाली थाने के अधिकार क्षेत्र में थे जहां एक पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासी श्री हकीम राय एक इन्सपेक्टर के रूप में तैनात थे । ऐसा प्रतीत होता है कि बदमाशों को उसकी तैनाती से बढ़ावा मिला क्योंकि उन्होंने यह समझा कि जब तक वह (इन्सपेक्टर) वहां पर तैनात है तब तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । फिर भी, लगाये गये नारों से स्थानीय हिन्दुओं की मंशा मालूम हो गई थी ।

----11

3- पंजाबी हिन्दुओं द्वारा मुरादाबाद के मुसलमानों के विरुद्ध दुर्भाग्य पूर्ण प्रचार ।

जब असम आन्दोलन आप्रवासियों के विरुद्ध प्रारम्भ हुआ, जिन्हें वे विदेशी कहते हैं, तो पाकिस्तान से आए हिन्दू आप्रवासियों को यह आशंका होने लगी कि यह उनके विरुद्ध भी हो सकता है । इसे विफल करने के लिए उन्होंने स्थानीय हिन्दुओं के दिमागों में मुरादाबाद के मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करके मुसलमानों को बदनाम करना शुरु कर दिया । बाद में होने वाली घटनाओं से पता चलता है कि पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों का एक उग्रवादी तानाशाही समर्थक (फासिस्ट) गुट था जिसमें स्वयं यह बात सिद्ध कर दी कि घृणा (घोबिया) उत्पन्न करने तथा ईंदगाह की योजनाबद्ध तरीके से तबाही लाने में उसका हाथ था । यह घृणा उत्पन्न करने के लिए उन्होंने मुरादाबाद के मुसलमानों की उस प्रत्येक समस्या से, जो उनके समक्ष थी, अनुचित लाभ उठाया, जैसा कि निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होगा:-

(एक) मुरादाबाद में पाकिस्तान से आये हिन्दू आप्रवासी निर्यात तथा परिवहन व्यवसाय में अपना आधिपत्य रखने के कारण आर्थिक दृष्टि से स्थानीय लोगों के किसी अन्य वर्ग की अपेक्षा बहुत अच्छी स्थिति में है । पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों के उस उग्रवादी तानाशाही समर्थक गुट ने दंगों के दौरान उन व्यक्तियों को धन दिया था जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नई दिल्ली में शिष्ट मंडल लेकर गये थे ।

(दो) मुरादाबाद भारत के पीतल के नगर के रूप में प्रसिद्ध है और इस पीतल के व्यवसाय से देश को अत्यधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । अकेले 1980 में ही मुरादाबाद से 11 करोड़ रुपये के मूल्य के पीतल के कलात्मक बर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका और इतने ही मूल्य के बर्तन पश्चिमी जर्मनी को निर्यात किये गये थे । यहां से 7 करोड़ रुपये के पीतल के बर्तन सऊदी अरब को निर्यात किये गये थे । संयुक्त

राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी जर्मनी को निर्यात के मामले में पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों की स्थानीय हिन्दू निर्यातकों पर प्रधानता रही जबकि मुसलमान अल्पसंख्यक केवल सऊदी अरब को निर्यात के मामले में ही बढ़े रहे । स्थानीय हिन्दुओं के दिमाग में नफरत पैदा करने के लिए जो प्रचार किया गया उसमें सऊदी अरब को इसी अधिक निर्यात के कारण पैट्रो डालर सहायता शब्द गढ़ा गया तथा प्रचार में उसका व्यापक रूप से प्रयोग किया गया ।

(तीन) मुरादाबाद में व्यवसाय में वृद्धि होने के साथ-साथ विनिर्माण इकाइयों में कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की कमी महसूस की गई । इस कमी को पूरा करने के लिए केवल 1977 में ही नगर के उप नगरों में स्थित गांवों के लगभग 25,000 श्रमिकों ने प्रातःकाल आना तथा सायंकाल वापस जाना शुरु कर दिया । उनके सामने आवास की कोई समस्या नहीं थी परन्तु इस अवधि के दौरान लगभग 10,000 बिहारी (बिहारवासी), जिनमें अधिकतर मुसलमान थे, विनिर्माण इकाइयों की विभिन्न प्रक्रियाओं में नौकरी प्राप्त करने के लिए मुरादाबाद चले आये थे और दूर-दूर के गांवों से नौकरी की तलाश में आये व्यक्तियों की संख्या भी अधिक थी और उन्होंने भी आवास की समस्या की कठिनाई महसूस की। नगर की बाहरी सीमा पर बहुत सी आवास बस्तियाँ विकसित की गई परन्तु उनमें से अधिकतर बस्तियाँ पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों की थी और शेष बस्तियों में प्रमुखरूप से स्थानीय हिन्दू रहते थे । आवास विकास व्दारा निर्मित बस्तियों में (कालोनियों) में भी क्वार्टरों के आवंटन में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नगण्य था । हिन्दुओं तथा पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों वर्ग की बढ़ी हुई जनसंख्या का अच्छा प्रतिनिधित्व था और उन्हें आवास मिलने में कोई कठिनाई नहीं थी । स्थानीय मुसलमानों तथा बिहार से आये मुसलमानों की बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए आवास समस्या अधिक विकट हो गई थी । विनिर्माण इकाईयाँ

(मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स) पर्याप्त नहीं रही तथा व्यवसाय के प्रसार के लिए श्रमिकों के उपयोग के लिए और बाहर से आये व्यक्तियों को बसाने के लिए बड़ी इकाइयाँ अपेक्षाकृत अधिक स्थान की आवश्यकता महसूस करने लगी । इसलिए नगर में कोई स्थान न मिलने पर मुसलमानों ने अपनी इकाइयों तथा मकानों के निर्माण के लिए नगर के बाहर भूखंड (प्लाट) खरीदे ।

(चार) पिछले कुछ समय से मध्य पूर्व देशों से यांत्रिकों (मैकेनिकों, बढ़ई, नाइयों, राजगीर (मेसन), इन्जीनियरों तथा श्रमिकों की बड़ी मांग महसूस की गई और 1975 के बाद यह मांग बहुत अधिक हो गई । वहां की जनता की भाषा अरबी है और उपर्युक्त व्यवसाय के व्यक्ति अधिकतर मुसलमान थे । मुरादाबाद में कई मदरसे हैं जिनमें अरबी पढ़ाई जाती है । इन मदरसों के कुछ प्रबंधकों ने यह महसूस किया कि उन देशों में भारतीय आप्रवासियों के लिए अरबी भाषा एक समस्या है और इसलिए उन्होंने अरबी भाषा का ज्ञान करने के लिए अपने वर्तमान मदरसों का विस्तार करने का निश्चय किया तथा इस प्रयोजन के लिए भूमि के बड़े भूखंड प्राप्त करने का निश्चय किया। कुछ अलग-अलग व्यक्तियों के गुटों ने पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों के उग्रवादी तानाशाही तत्व की वित्तीय सहायता प्राप्त करके यह प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया कि ये मदरसे (उनका नाम विश्वविद्यालय रखते हुए) इस्लामी भाई चारे की शिक्षा देने के आशय से स्थापित किये गये हैं और इनका उद्देश्य है रूढ़िवाद का विकास करना । उन्होंने यह भी प्रचार किया कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा मुरादाबाद के पश्चिमी जिलों को मिलाकर मुस्लिम राज्य, जिसकी राजधानी मुरादाबाद होगी, बनाने का स्वप्न देख रहे हैं । पुस्तिकाओं (पैमफलेटों) तथा ज्ञापन (मेमोरैन्डम) के जरिये यह प्रचार किया गया कि मुरादाबाद नगर के प्रत्येक विकास द्वार पर ऐसी तथाकथित मुस्लिम धार्मिक संस्थायें तेजी से पनपती जा रही हैं

----14

जिनमें हिन्दुओं का सत्यानाश करने के लिए 30,000 मुस्लिम नवयुवकों को जगह दी जा सके । 20-9-1980 को (इसे 20-8-1980 होना चाहिए) उग्रवादी तानाशाही गुट के कुछ सदस्य (नागरिक परिषद" के रूप में सामने आये और उन्होंने उसकी पुनः घोषणा की । उन्होंने दिल्ली स्थित उच्चपदाधिकारियों को भी प्रत्यावेदन भेजे । इनमें से कुछ पुस्तिकाओं (पैम्फलेटों) में अत्यधिक भड़काने वाले आरोप थे । नागरिक परिषद के किसी भी सदस्य ने अपना दायित्व कभी भी नहीं छोड़ा ।

(पांच) जिलाधिकारियों ने उग्रवादी तानाशाही तत्व के साथ पूरी तरह सहयोग किया तथा उन्हें दंगों के दौरान उस समय सुरक्षा जाल से बचने दिया जब मुरादाबाद के मुसलमान पुलिस तथा पी०ए०सी० की हिंसा के शिकार थे । जिला प्रशासन ने सभी मुसलमान नेताओं को सफेद पोश गुंडा बताकर उन्हें जेल में बंद करने में मनमानी की थी । चारो ओर मुसलमानों में आतंक की लहर फैल गई यहां तक कि कानून लागू करने वाले अभिकरणों ने ही कुछ स्थानों पर निर्दोष मुसलमानों को गोली से उड़ा दिया । हिन्दू सम्प्रदाय के किसी भी व्यक्ति ने मुरादाबाद के पीड़ित मुसलमान सम्प्रदाय की सहानुभूति में एक भी शब्द नहीं कहा । अलग-अलग नामों का जिक्र "जलता हुआ मुरादाबाद" के नाम से प्रकाशित भाषण में नागरिक परिषद की सूची में किया गया है । नागरिक परिषद की सूची में जिसे प्रधान मंत्री को भेजा गया लिखित बयान के साथ उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है । नागरिक परिषद बनाने वालों ने जब महसूस कियातो वे साम्प्रदायिक दंगा भड़काने का अवसर तलाश करने लगे । वे इसबात से पूरी तरह अवगत थे कि मुसलमान भावावेशी तथा भावुक हैं और यदि उन्हें उकसाया गया तो वे निश्चय ही बदला लेगें । वे इस बात को भी जानते थे कि सुअर एक नापाक जानवर होता है और मुसलमान लोग उससे नफरत करते हैं । वे यह भी जानते थे कि अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्ति केन्द्रीय सरकार पर प्रभाव रखते हैं क्योंकि केन्द्रीय गृह

राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना उनका ख्याल रखते हैं और उसी भूमिका को निभाने के इच्छुक हैं जिसका निर्वाह श्री जगजीवन राम ने बृद्धावस्था में किया था । वे यह जानते थे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के मंत्रियों की सहायता प्राप्त करने में श्री योगेन्द्र मकवाना काम करने वाले व्यक्ति रहेगें । श्री मकवाना की पत्नी श्रीमती शांताबेन स्वंय गुजरात राज्य में एक महिला विधायक हैं और संघर्षकारी दलित बैंधार सहित सभी हरिजन बैंधारों की नेता हैं और संघर्षकारी दलित बैंधारों के स्वयं सेवकों को, उनको सौंपे गये कार्य को करने के लिए भेज सकती हैं । उग्रवादी तानाशाही गुट को यह भी पता चला कि उनके लिए जिला स्तर पर मुसलमानों के विरुद्ध एक हिन्दू मोर्चा बनाने का सर्वाधिक अनुकूल अवसर है क्योंकि मुरादाबाद जिले के 25 थानो में से किसी भी थाने का प्रभारी इन्सपेक्टर अथवा सब इन्सपेक्टर मुसलमान नहीहै । पुलिस के निम्नतर संवर्ग में भी मुसलामनों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है । जिले में पुलिस तथा कार्यपालक (इक्जीक्यूटिव) विभाग के राजपत्रित अधिकारियों में एक भी मुस्लिम अधिकारी नहीं था । अतः पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों ने यह महसूस किया कि यह मुसलमानों पर अंतिम आक्रमण करने तथा निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवसर है:-

(क) स्थानीय हिन्दुओं की इस मनोवृति को बदलना जो मई, 1980 के निर्वाचन के दौरान बन गई थी ।

(ख) मुस्लिम अर्थव्यवस्था के वर्तमान आधार को तोड़ना तथा उनकी उस समृद्धि को रोकना जो विनिमार्ण इकाइयों के प्रसार के कारण होने की आशा थी, और कुशल एवं अर्द्धकुशल मुस्लिम श्रमिकों के लिए गृहों का निर्माण कार्य रोकना ।

(ग) उस मुस्लिम युवा पीढ़ी को, जिन्होनें भारत में विभाजन के बाद के दिनों के आंतक को नहीं देखा था, उनके विरुद्ध हाथ-पैर तोड़ने का अभियान चलाकर तथा स्थानीय पुलिस और पी0ए0सी0

की सहायता से मुसलमानों का कत्लेआम करके अतोत्साहित करना ।

जब उग्रवादी तानाशाही तत्व ने मौका देखा तो उन्होनें अपने बूरे कारनामों को छिपाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाकर बड़े पैमाने पर हिंसा, लूटपाट तथा आगजनी के लिए 24 जुलाई, 1980 की एक बहुत मामूली घटना को चुना ।

पिछले लगभग 35 वर्षों से रमाजन के महीने में यह सूचित करने के लिए साइरन बजता है कि सहरी का समय समाप्त हो गया है तथा सूर्यास्त के समय एक और साइरन यह सूचित करने के लिए बजता है कि रोजा समाप्त हो गया है तथा इफ्तार किया जा सकता है । रोजा कर रहे मुसलमान इन साइरनों के बजने का उत्सुकता से इन्तजार करते हैं । 24-7-1980 को इफ्तार का समय सायंकाल 7 बजकर 10 मिनट था । उस दिन चमारों की पुलिया नामक मोहल्ले (अब उसका नाम इंदिरा चौक है) के एक निवासी संतोष सरन बाल्मीकि की बहिन का विवाह सम्पन्न होने वाला था । उस मोहल्ले में प्रमुख रूप से मुसलमान रहते हैं । गायन (गाने का) कार्यक्रम तड़के ही से शुरु हो गया और बाल्मीकियों के लिए शाम के समय मदिरा पान करना तथा ढ़ोल बजाना आमोद प्रमोद का मुख्य साधान हैं । लगभग 7 बजे सायंकाल अर्थात् सूर्यास्त के कुछ मिनट पूर्व मुहल्ले के कुछ मुसलमानों ने बाल्मीकियों से निवेदन किया कि वे कुछ समय के लिए ढ़ोल बजाना बंद कर दें जिससे कि वे (मुसलमान) साइरन बजाने की आवाज सुन सकें तथा अपना रोजा खोल सकें । बाल्मीकियों ने इसे अपने आमोद-प्रमोद में एक अनुचित हस्तक्षेप समझा और इसके परिणामस्वरूप उनसे झगड़ा होने लगा तथा दोनों ओर से पथराव किया गया । इस स्थिति को नियंत्रण में लाया गया और एक सौहार्द-पूर्ण समझौता हो गया । यद्यपि पुलिस तथा ज्येष्ठ अधिकारी घटना पर मौजूद थे, दोनों ही पक्षों में से किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराने में रुचि नहीं दिखाई । कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया । पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों में से उग्रवादी तानाशाही तत्व ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसे एक दैवी वरदान समझा । डा० हंसराज चोपड़ा को उस मोहल्ले में इधर-उधर घूमते हुए तथा उक्त बाल्मीकियों से बातचीत

करते हुए देखा गया । इस तत्व ने बाल्मीकियों को प्रेरित किया तथा जिसके परिणामस्वरूप एक रिपोर्ट थाना कटघर में लगभग 19 घंटे के बिलम्ब से की गई जिसमें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिया गया था । रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में कुछ मुसलमान नामजद किये गये और काला उर्फ जहीद खां नामक एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया तथा जेल भेज दिया गया । पुलिस ने यह समझते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, सभी अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ दिया । पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों का उग्रवादी तानाशाही गुट अपनी योजना को असफल होता हुआ देखकर बेचैन हो गया । उन्होंने टाउनहाल में अन्य सभायें की जिनमें से एक 27-7-1980 को हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री हरीओम शर्मा तथा डा0 हंसराज चोपड़ा मुख्य आयोजक थे । उस सभा में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के अधीन उनकी नजरबंदी के विरुद्ध प्रचार किया गया । दूसरी सभा 1-8-1980 को प्राधिकारियों की अनुमति से की गई जिसमें डा0 हंसराज चोपड़ा ने उत्तेजक भाषण दिया । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि "अगर सरकार बाल्मीकियों पर किये गये जुल्म वा ज्यादतियों का बदला मुसलमानों से नहीं लेती है तो हम खुद बाल्मीकियों पर किये गये जुल्म का बदला मुसलमानों से लेंगे और खून का बदला खून से लेंगे"। जिला प्रशासन को इसकी जानकारी स्थानीय अभिसूचना विभाग के माध्यम से अवश्य हो गई होगी परन्तु उसने कोई कार्यवाही नहीं की । बाल्मीकियों के कई प्रतिनिधि मंडल श्री योगेन्द्र मकवाना से मिले और उनकी सहायता से एक अनुसूचित जाति अधिकारी श्री एस0पी0आर्य को दिल्ली से मुरादाबाद जिला मजिस्ट्रेट के रूप में स्थानान्तरित करा दिया । श्री आर्या ने इस पद का कार्यभार अगस्त, 1980 के प्रथम सप्ताह में (वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक 31-7-1980है) ग्रहण किया । उन्हें कुछ उत्तरदायि व्यक्तियों से यह पता चला कि तैनाती आदेश के दिनांक तथा वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक

---18

के मध्य जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी श्री आर्या से दिल्ली में मिले थे और बातचीत के दौरान श्री आर्या ने तथाकथित रूप से यह बताया कि "क्या पुलिस तथा प्रशासन चूड़ियां पहने हुए था ? पुलिस तथा प्राधिकारियों ने गोलियां क्यों नहीं चलायी? हरिजनों पर इस प्रकार के अत्याचार कब तक होते रहेंगे"। कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही श्री आर्या का मुसलमानों के प्रति रुख कठोर हो गया और बाल्मीकियों के कई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले । जिला मजिस्ट्रेट ने बाल्मीकियों की सभा आयोजित करने में कथित रूप से सहायता की और उन्हें बदला लेने के लिए उकसाया । हिन्दुओं में घृणा की योजना बना रहे तथा आतंक उत्पन्न कर रहे व्यक्तियों समुदाय ने श्री आर्या के पास आसानी से पहुँचना शुरु कर दिया ।

श्री आर्या द्वारा मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट का कार्यभार ग्रहण करने के बाद से बाल्मीकियों ने अत्यंत उत्तेजनात्मक कार्य करने शुरु कर दिये। 12 तथा 13 अगस्त, 1980 की मध्य रात्रि में सराय किशन लाल के हरिजनों ने एक मस्जिद के पास नमाजियों के साथ बुरा सलूक किया । इस संबंध में एक रिपोर्ट काजी फजलुल रहमान द्वारा उसी रात में दायर करायी गई । यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सदन में यह स्वीकार किया था कि जिला प्रशासन को 12-8-1980 को अभिसूचना विभाग से इस आशय की एक रिपोर्ट मिली थी किईद की नमाज पढ़ने वालों के जमाव में एक सुअर, गाय या बैल घुसाया जायगा । जिला प्रशासन की ओर से इस घोर उपेक्षा अथवा जानबूझकर भूल के परिणामस्वरूप ही यह घटना हुई थी कि सुअरों की गिनती करने तथा उन्हें सुअर बाड़े के भीतर बंद करने की पुरानी प्रथा का पालन नहीं किया गया था । शहर प्रशासन ने ~~इस शहर में~~ नगरपालिका विनियमों की उप विधि संख्या 7(3) को निर्दिष्ट किया है जिसमें यह उल्लेख है कि कोई भी सुअर दिन अथवा रात के किसी भी समय अहाते से बाहर न रहने दिया जाय और जो घूमते हुए

पाये जांय उन्हें पकड़ा अथवा मारा जा सकता है । उनके कथनानुसार यह उक्त उपबंध का उल्लंघन था परन्तु सुअरों के मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

शहर इमाम ने यह भी कहा कि ईदगाह की पूर्वी दिशा में एक आम सड़क है उसके बाद पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों की बस्ती (कालोनी) है जिसका नाम आदर्श नगर है । सुअर उसी दिशा से घुसाये गये और उस पर शोरगुल हुआ । शहर इमाम व्दारा खुतबा पढ़े जाने के बाद कुछ व्यक्तियों ने पुलिस अधिकारियों से नमाजियों के बीच सुअरों के प्रवेश को न रोकने के संबंध में पुलिस की उपेक्षा के प्रति विरोध प्रकट किया । ड्यूटी पर तैनात पुलिस उपाधीक्षक श्री ए0के0जैन (सही नाम श्री ए0के0मिश्र है) ने यह उत्तर दिया " गलती हो गई अब तो निभा लो" और उसके बाद होहल्ला बंद हो गया परन्तु थाना कटघर के प्रभारी पुलिस निरीक्षक श्री बी0बी0लाल इस विरोधको सुनकर आग बबूला (क्रोधित) हो गये तथा यह टिप्पणी की कि वे वहां पर आदमियों को नियंत्रित करने के लिए तैनात किये गये हैं न कि जानवरों को काबू करने के लिए । उसके बाद झगड़े के परिणामस्वरूप जमकर हाथापायी हुई और बाद में पथराव हुआ । शहर इमाम ने यह भी कहा है कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय नाथ सिंह के बयान से यह बात साफ है कि ईद के जमाव में ऐसे व्यक्ति देखे गये थे जो नमाज नहीं पढ़ रहे थे वरन् इधर उधर घूम रहे थे । वे गैर मुसलमानों को छोड़कर और कोई नहीं हो सकते थे जिन्हें कोई झगड़ा होता देखकर पथराव शुरु करने के लिए किसी योजना के अन्तर्गत भेजा गया था । यह भी एक प्रकट मंत्र है कि ईंट भाटठा के हिन्दू मालिक की ईंट-पत्थरों के टुकड़े से भरी हुई ट्रक दोहरे फाटक के चौराहे के पास रामपुर सड़क पर खड़ी हुई देखी गई थी और खुतबा पढ़े जाने के तुरंत बाद ट्रक को ईदगाह की चहरदीवारी के पास ले आया गया तथा उसमें से ईंट -पत्थरों के टुकड़े निकाल -निकाल कर पुलिस तथा मुसलमानों पर फेंक गये । यह स्पष्ट है कि पुलिस पर पथराव उन गैर मुसलमानों व्दारा किया गया जिन्हें हिन्दू आप्रवासियों का उग्रवादी तानाशाही तत्व

उन्हें वहां इस प्रयोजन के लिए लाया था जिससे कि योजना के अन्तर्गत गोली चलाये जाने का औचित्य सिद्ध हो सके । उन्होंने यह भी कहा है कि ईंट का एक टुकड़ा श्री विजय नाथ सिंह के माथे पर लगा और उनके इस आदेश के बावजूद कि गोली न चलायी जाय, गोली चलायी गई । गोली चलाये जाने से पूर्व न तो कोई लाठी चार्ज किया गया और न कोई चेतावनी दी गई । निःसंदेह यह एक अनुचित रूप से तथा अत्यधिक रूप से की गई फायरिंग थी ।प्रशासन ने यह झूठा प्रचार किया कि मुसलमानों ने ईदगाह के अंदर से गोलियां चलायी और पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी । मुसलमानों व्दारा गोलियां नहीं चलायी गई यह निम्नलिखित परिस्थितियों से स्पष्ट हो जायेगा:-

(क) किसीने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी ।

(ख) किसी ने भी किसी मुसलमान के पास ईदगाह के अंदर आग्नेयास्त्र लिए हुए नहीं देखा ।

(ग) ईदगाह में कोई भी खाली कारतूस नहीं पायागया ।

(घ) भागदड़ में छूटा हुआ कोई भी आग्नेयास्त्र नहीं मिला ।

(ग) ईदगाह के सामने वाले किसी भी मकान पर छर्रे का निशान नहीं था ।

(ङ) किसी भी पुलिस जन और गोली या छर्रे की चोट नहीं लगी ।

(च) इस बात का कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि उस गुट के जिसने पुलिस पर हमला करने की योजना बनायी थी उसने ईदगाह को तथाईद का दिन ही इसप्रयोजन के लिए क्यों चुना ।

(छ) इस बात का कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि उस गुट व्दारा पथराव से ही शुरुआत क्यों की गई ।

उन्होंने यह भी कहा कि मारे गये व्यक्तियों की संख्या के संबंध में सरकार का कथन स्वतः ही इतना परस्पर विरोधी है कि शुरू-शुरू में प्रशासन ने यह बताया कि केवल 24 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, परन्तु बाद में कहा गया कि छियासी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । उनके कथनानुसार पुलिस तथा मुसलमानों के बीच झगड़ा हुआ था जो लोग

ईदगाह से भाग गये थे उनका कहना है कि ईदगाह पर 3000 से भी ज्यादा लोग मारे गये थे । परन्तु उन्होनें यह कहा कि गोली दो जगहों पर चलायी गई थी एक उस जगह जहां एक दूसरे पर पथराव हुआ था और दूसरी उस जगह जहां नमाजी तीन कतारों में और जो उस स्थान से आधा फर्लांग पर थी अपनी चादरों पर बैठे थे । उन्होनें कहा कि वह उस स्थान पर, जहां नमाजी बैठे थे, गये थे और ~~उन्होनें नायब इमाम की सहायता से एक कतार में मारे गये थे और~~ उन्होनें नायब इमाम की सहायता से एक कतार में मारे गये व्यक्तियों कीजांच की थी और तब पता चला उस कतार में मारे गये व्यक्तियों की संख्या एक सौ इकसठ थी । इसलिए उनकाअनुमान है कि तीन कतारों में मरने वालों की संख्या लगभग चार सौ तिरासी अवश्य रही होगी और इतने ही लोग उस स्थान पर जहां पथराव हुआ था मारे गये होगें ।इस प्रकार तथा कन्धुत कैम्प से ईदगाह तक लगभग आठ सौ व्यक्ति मारे गये । उन्होनें यह भी कहा कि लोगों को मारना उसी स्थान तक ही नहीं रहा । गलशहीद पुलिस चौकी के आसपास जनता में जो तात्कालिक प्रतिक्रिया हुई उसके फलस्वरूप पुलिस तथा पी0ए0सी0 ने मुसलामानों की और हत्यायें की और पास पड़ोस स्थित मुसलमानों की दुकानों को लूटा और जलाया ।

उन्होनें यह भी कहा कि इस हत्याकांड के तुरंत बाद ही उग्रवादी फासिस्ट पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासी वर्ग प्रधान मंत्री निवास के श्री आर0के0धावन की सहायता से श्री धर्मवीर मेहता का ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में मुरादाबाद स्थानान्तरण कराने में सफल हो गया जिन्होनें बिना देरी किए अगले दिन अर्थात् 14 अगस्त, 1980 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया । श्री धर्मवीर मेहता स्वयं भी एक पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासी हैं और उनके आचरण से पता चलता है कि उन्होनें मुरादाबाद के पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों के गुट के निदेशानुसार कार्य किया । कई पुलिस जनों ने विश्वासपूर्वक उन्हें (शहर इमाम को) बताया कि नये जिला मजिस्ट्रेट पर हर मामले में श्री धर्मवीर का प्रभुत्व है । उन्होनें सभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को अनुदेश दिये कि वे जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन तब तक न करें जबतक वे स्वयं उनका अनुमोदन न करें उनके अनुसार कानून लागू करने वाले अभिकरणों (ऐजेन्सियों) द्वारा

मुसलमानों पर जो अत्याचार किए गये वह चार अवस्थाओं में किए गये। पहली अवस्था की शुरुआत 13 अगस्त, 1980 को मुसलमानों की हत्याओं से हुई। जब श्री एस0पी0आर्य, जिला मजिस्ट्रेट थे। शेष अवस्था में 13 अगस्त, 1980 के बाद की घटनाओं से संबंधित है। पहली अवस्था के बारे में उन्होंने कहा है कि पुलिस तथा पी0ए0सी0 ने कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार किया था, उनका अब तक पता नहीं चल पा रहा है। कुछ मुसलमान गलशहीद पुलिस चौकी के सामने की एक छोटी मस्जिद पर गये थे और उन्हें पुलिस ने गोली से मार गिराया था। उनके शव उनके संबंधियों को नहीं दिये गये और कोई यह नहीं जान सकता कि उनकी अन्त्येष्टि कहां की गई। गलशहीद पुलिस चौकी के पास की मुसलमानों की सभी दूकानें और खोके जला दिये गये। पुलिस तथा हिन्दू बदमाशों द्वारा पन्द्रह मुसलमान मुगलपुरा थाने के हल्के में मारे गये। इंजन शेड कालोनी तथा हरथला कालोनी में भी मुसलमानों को मारने की और घटनायें हुई जिनके ब्योरे प्राप्त नहीं हो सके।

उन्होंने आगे कहा कि श्री धर्मवीर मेहता के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनकी मुरादाबाद में रहने वाले पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों के उग्रवादी फासिस्ट वर्ग से सांठगांठ होने के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई। अपने समय के काले कारनामों पर पर्दा डालने हेतु प्रशासन के लिए एक लाबी के रूप में कार्य करने और मौखिक एवं लिखित दोनों ही प्रकार के प्रचार द्वारा मुसलमानों की छवि धूमिल करने के लिए एक नागरिक परिषद का गठन किया गया। इसके बाद उन्होंने उदाहरण दिये हैं कि 13 अगस्त, 1980 के बाद पुलिस द्वारा कुछ मुसलमानों पर किस प्रकार के अत्याचार किए गये। चूँकि जांच केवल 13 अगस्त, 1980 की घटनाओं से ही संबंधित है अतः उनका विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। एक मात्र सम्बद्ध तथाकथित तथ्य यह है कि मुसलमानों के शव उनके रिश्तेदारों को नहीं दिये गये और उन्हें उनकी हैसियत से काफी निम्नस्तर के कब्रिस्तानों में अत्यंत घृणित रूप में दफना दिया गया।

-----23

उनके अनुसार श्री धर्मवीर मेहता 14 अगस्त, 1980 से आरक्षी पुलिस बल (आर0पी0एफ0) को नियंत्रण सौंपे जाने के दिन तक वास्तविक नियंत्रक रहे। कानून एवं व्यवस्था कायम रखने वाले बल की नीति यह थी कि कर्फ्यू के दौरान कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले किसी भी मुसलमान को मारे पीटे बिना न छोड़ा जाय। कर्फ्यू हिन्दुओं के लिए नहीं था क्योंकि वे ~~स्वतंत्रता~~ आजादी से इधर उधर घूमते फिर रहे थे। कानून और व्यवस्था कायम करने हेतु तैनात बल तथा उनके द्वारा एकत्र हिन्दू बदमाशों द्वारा शहर के मुसलमानी मुहल्लों को आक्रांत किया गया था तथा शहर के किनारे स्थित उनकी बस्तियां जलायी, उजाड़ी और लूटी गईं। ये वहीं बस्तियां थीं जिनपर पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों के उग्रवादी फासिस्ट तत्वों को एतराज था। डबल फाटक, रामपुर स्टेशन रोड, इंजन शेड क्षेत्र, बाबाजी का मंदिर और गंगा-मंदिर क्षेत्र के हिन्दू इलाकों में कोई बल तैनात नहीं किया गया। रामलया क्षेत्र में मुसलमानों के सभी घर जला दिये गये और लगभग बीस मुसलमान जीवित ही जला दिये गये। लिखित बयान के पैरा 30 से 32 में 16 अगस्त से 11 सितम्बर, 1980 तक घटित होने वाली कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है। अंत में उन्होंने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल ने बिना किसी भेद भाव के कार्य किया और उसके प्रयत्नों से ही मुरादाबाद की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। पैरा 34 में उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग और कार्यकारी सेवाओं के प्रत्येक संवर्ग में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भिन्न-भिन्न जिलों में उनकी तैनाती भी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होनी चाहिए।

उनके लिखित बयान के साथ ग्यारह अनुलग्नक दाखिल किये गये हैं। इनमें "मुरादाबाद आग की लपटों में" पुस्तिका, कुछ भाषणों और समाचार में प्रकाशित खबरों की प्रतिलिपियां भी हैं। एक बयान भी दाखिल किया गया जिसमें ईद के दिन और उसके बाद मारे गये व्यक्तियों की संख्या, लूटी गई दूकानों तथा मकानों की संख्या तथा उन्हें पहुँची क्षति, लूटी गई और मंदिरों में ~~परिवर्तित~~ बदली गई मस्जिदों की संख्या, घायल, लापता अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या दी गई थी।

श्री मुख्तार अहमद, एडवोकेट ने मुरादाबाद में नागरिक

--------24

स्वतंत्रता के लिए गठित नागरिक परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से अपना लिखित बयान (क-2) दाखिल किया है और शहर इमाम के बयानों की बातें दोहरायी हैं । उन्होंने 13 अगस्त, 1980 की घटनाओं से संबंधित कुछ अतिरिक्त तथ्य दिये हैं ।

मई, 1980 के विधान सभा निर्वाचनों के संबंध में उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि स्थानीय हिन्दुओं ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने के बजाय कांग्रेस (ई) के मुस्लिम उम्मीदवार का समर्थन किया । इस हिन्दू मुस्लिम मिलाप (एकता) से कई उत्साही तथा गैर जिम्मेदार स्थानीय हिन्दू और मुस्लिम कार्यकर्ता इतना अधिक घबड़ा गये कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए भद्दे नारे लगाये । ये नारे थे "हिन्दू मुस्लिम भाई-भाई, पंजाबी कौम कहां से आयी" तथा पंजाबियों को भगायेंगे नया आसाम बनायेंगे "। यद्यपि कांग्रेस (ई) के उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया किन्तु इससे पूरे शहर का वातावरण अत्यधिक बोझिल और विषाक्त हो गया । इस दूषित वातावरण का प्रभाव बाजार, स्टेशन रोड पर मतदान के दिन पड़ा जहां एक मामूली घटना हो गई तथा उससे उस स्थान और नगर की सुख शांति भंग हो गई । पंजाबी आप्रवासी स्थानीय हिन्दुओं और मुसलमानों से इस प्रकार के नारे सुनने के लिए तैयार न थे और कांग्रेस (ई) चुनाव में सफलता के बाद ये घाव भर न सकी । अतः पंजाबी आप्रवासियों तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (रा0स्व0सं0) के सजग नेताओं ने हिन्दू मुस्लिम एकता के तथाकथित खेल को समाप्त करने के लिए अपनी परम्परागत योजना की रूप-रेखा तैयार कर ली । सबसे पहले उन्होंने प्रधान मंत्री को मुसलमानों के विरुद्ध रुष्ट करने के उद्देश्य से यह झूठा प्रचार शुरू किया कि मुरादाबाद के मुसलमानों ने श्री संजय गांधी के निधन पर मिठाइयां बटवायीं थी और इसके बाद उन्होंने 24 जुलाई, 1980 को सराय किशन लाल में होने वाली और बाल्मीकियों द्वारा सुअरों को मारने की घटनाओं के संबंध में गलत सूचना दर्ज करवा दी ।

इंदिरा चौक के निवासियों ने इन कार्यवाहियों से

परेशान होकर 29 जुलाई, 1980 को जिलाधिकारी तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को इस प्रकार का एक तार भेजा :-

"सराय किशन लाल, मुरादाबाद के हरिजन तथा बड़े लोग पुनः नगर की शांति भंग करने का षडयंत्र कर रहे हैं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जनसंघी तत्व बरबादी करने पर उतारू हैं । पाक रमजान की पाकशानी बरकरार रखने के लिए तुरंत शीघ्र कार्यवाही एवं उचित व्यवस्था की जाय ।

"इंदिरा चौक के निवासी, कटरा शहीद " आगे उन्होंने कहा कि इसके पहले ईद के त्योहारों पर झाड़ू लगाने वाले नमाज के बाद ईद का इनाम मागते थे लेकिन इस बार इनाम की मांग एक दिन पहले ही की गई थी क्योंकि वे जानते थे कि इस बार ईद की नमाज के बाद यह इनाम मिलना संभव नहीं होगा ।

उन्होंने यह भी कहा कि तत्कालीन जिलाधिकारी श्री मधुकर गुप्त तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर मेहता 13 अगस्त, 1980 के बाद होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे । उनके कथनानुसार पुलिस एवं पी०ए०सी० के कर्मचारियों के खिलाफ मुसलमानों द्वारा कई रिपोर्ट दर्ज की गई थीं परन्तु किसी के भी खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

अहमद मंजिल, कला महल, दिल्ली के निवासी खान अब्दुल बदूद ने अपना लिखित बयान (क-3) दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद के दंगे एक अलग घटना न होकर घटनाओं का एक अंग थी । उनके कथनानुसार भारत में एक ऐसा तत्व है जिसे निर्बल वर्ग के मतों की अपेक्षा होती है । इसके कार्य करने का तरीका अत्यंत सरल है और जो लोग दंगे करवाते हैं तथा कमजोर वर्ग के लोगों को पीड़ित करते हैं उनके पीछे एक ऐसी गुप्त शक्ति होती है । एक नियोजित ढंग से प्रचार किया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी के लोग इन साम्प्रदायिक दंगों के लिए उत्तरदायी हैं । इस कहानी को प्रत्येक साम्प्रदायिक दंगे के बाद दुहराया जाता है तथा कमजोर वर्ग के लोगों को इस पर विश्वास करने के लिए विवश किया जाता है । यह बात भी महत्वपूर्ण है कि हर दंगे के बाद

प्रभावित व्यक्तियों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है और कुछ लोगों से वादे किए जाते हैं जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जाता है । यह सब निर्बल कमजोर वर्ग की सहानुभूतियों तथा उनके मतों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है । यह जानने के लिए कभी भी वास्तविक रूप से प्रयत्न नहीं किये गये कि दंगों के लिए कौन सी गुप्त शक्ति जिम्मेदार है, लेकिन मुरादाबाद के दंगों की दशा में यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई है । 1947 में भारत विभाजन ने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एक भेद पैदा कर दिया और यह बराबर बढ़ती जा रही है । स्वाभाविक और भावनात्मक एकता के नारे लगाये जाते हैं किन्तु उनका कोई असर नहीं होता । उनके अनुसार इस देश में सामान्यजन की अपेक्षा सरकारी एजेन्सी अधिक साम्प्रदायिक है तथा इस सूची में पी०ए०सी० सबसे पहले है । मुरादाबाद में भी ईदगाह, चौकी गलशहीद और अन्य स्थानों पर मुसलमानों पर किए गये अत्याचारों के लिए मुख्य रूप से पी०ए०सी० उत्तरदायी थी । पी०ए०सी० एक क्रूर बल है जिसके पास विवेक तथा अनुशासन नहीं है । उनके उन्हें प्रशिक्षण के दौरान नैतिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती । इसके विपरीत उन्हें गाली देना तथा लोगों को उत्पीड़ित करना सिखाया जाता है । वे यह भी कहना चाहते हैं कि सिविल पुलिस के खराब पुलिसजनों को दंड स्वरूप, पी०ए०सी० में भेज दिया जाता है । ये लोग भूखे अशक्त चीते की तरह हो जाते हैं जिसे रोज का शिकार नहीं मिलता और जब कभी उसे इसका मौका मिलता है तो वह उसका पूरा लाभ उठाता है । कमजोर वर्ग को नुकसान पहुँचाने के लिए उन्हें शक्तिशाली वर्ग का संरक्षण प्राप्त होता रहता है ।

ईदगाह पर हुई घटना के संबंध में उन्होंने कहा है कि यद्यपि ईद समारोह में गड़बड़ी डालने के षडयंत्र में कई शक्तियों के शामिल होने की बात से इन्कार नहीं किया जा सकता फिर भी पी०ए०सी० इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है । उनके अनुसार स्थानीय अभिसूचना इकाई ने यह रिपोर्ट दी कि मुरादाबाद का वातावरण इस प्रकार का है कि वहां इस बात की पूर्ण संभावना है कि भीड़ में कुछ पशु या सुअर हांककर ईद की नमाज में गड़बड़ी डाली जायेगी ।

-----27

फिर भी प्रशासन तथा पुलिस ने इस शरारत को रोकने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती । उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस गड़बड़ी के करने में कोई हाथ नहीं था । संभवत: कुछ साम्प्रदायिक विचार वाले लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इस दंगे को भड़काया हो । उन्होंने कहा कि नि:संदेह नगर कांग्रेस के पदाधिकारियों की पुलिस, पी०ए०सी० तथा स्थानीय प्रशासन के साथ मिलीभगत थी । इसमें संदेह है कि मुसलमानों को बाल्मीकियों की तरफ से कोई शक था । दंगे के बाद कांग्रेसियों के कार्य कलाप इस सीमा तक आपत्तिजनक थे कि वे इस घटना को साम्प्रदायिक रूप देने के लिए स्थानीय प्रशासन, पी०ए०सी०/ पुलिस की सांठगांठ से अफवाहें उड़ाने लगे । मुरादाबाद की घटनायें किसी भी दशा में साम्प्रदायिक नहीं थीं बल्कि यह पी०ए०सी० तथा पुलिस द्वारा मुस्लिम जाति का संहार करने का एक कांड था ।

इस लिखित बयान के समर्थन में, जैसा कि आयोग द्वारा बनाई गई नियमावली में अपेक्षित है, न तो कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही इन आरोपों के समर्थन में साक्षी के रूप में खान अब्दुल वदूद ही उपस्थित हुए । अत: इसमें कोई सार नहीं है ।

थाना मुगलपुरा के बरवलां मुहल्ले के निवासी श्री हबीबुल रहमान ने केवल एक शपथ-पत्र दाखिल [ए-4] किया है और कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया है । उन्होंने 13 अगस्त, 1980 को अपने तथा अपने परिवार के लोगों पर पुलिस और पी०ए०सी० द्वारा किए गये अत्याचारों का जिक्र किया है परन्तु उस घटना का कोई विवरण नहीं दिया है जो उस दिन घटित हुई । संक्षेप में, उनका तर्क यह है कि पुलिस बल के हिन्दुओं को उनके मकान पर हमला करने तथा स्त्रियों को बेइज्जत करने के लिए उकसाया था । उनके पिता, पत्नी और भाई को ले जाया गया । उनके दूसरे भाई अजीज के साथ क्रूर व्यवहार किया गया तथा उसे मूत्रपान के लिए बाध्य किया गया । अस्पताल में इलाज नहीं किया गया तथा जब तक श्री हकीज मुहम्मद सिद्दीकी, सदस्य

विधान सभा उनकी सहायता के लिए नहीं आये पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की ।

बरवलां मुहल्ले के निवासी हाफिज अली जान ने भी केवल एक शपथ-पत्र (क-5) ही दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग साठ-बैंसठ वर्ष के हैं तथा वे हिन्दुओं और मुसलमानों को ताबीज देते हैं और इस प्रकार दोनों सम्प्रदायों के लोगों की सेवा करते हैं । उन्होंने अपने को मुहल्ला नया डेहरी घाट की मस्जिद का मुतवल्ली होने का दावा किया है और कहा है कि कुछ गैर मुसलमान इस मस्जिद की सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहते हैं जिससे उनके बीच मुकदमेंबाजी चल रही है । उन्होंने उन्हें कुछ झूठे मुकदमों में फंसा रखा है । उन्होंने 13 अगस्त, 1980 की किसी भी घटना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है किन्तु उन्होंने मुगलपुरा थाने के निरीक्षक श्री राम सिंह द्वारा उनके ऊपर किये गये तथाकथित अत्याचारों का ही उल्लेख किया है । उन्होंने यह भी कहा है कि वह मुसलमानों के उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे जो । सितम्बर, 1980 को भारत की प्रधान मंत्री से मिलने गया था । उनका सम्पूर्ण शपथ-पत्र में 13 अगस्त, 1980 के बाद की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है जो इस आयोग के जांच क्षेत्र से परे हैं और उन्हें यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं है ।

यू०पी०स्टेट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रेसीडेंट डा० शमीम अहमद खां ने शहर इमाम द्वारा लगाये गये आरोपों को दुहराते हुए अपना लिखित बयान (क-5) दाखिल किया है । उन्होंने कहा है कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं धार्मिक संस्थाओं से संबंधित है और उन्होंने ईदगाह तथा मुरादाबाद नगर के अन्य स्थानों पर 13 अगस्त, 1980 को हुई घटनाओं को देखा है और उन शिकायत करने वालों में एक है जिन्होंने अधिकांश घटनाओं की शिकायतें की हैं । उनके अनुसार, वह अपनी पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ ईदगाह के अहाते के बाहर पूर्वोत्तर की तरफ, जहां और पार्टियों और संगठनों के भी शिविर लगे हुए थे मुरादाबाद के मुस्लिम लीग के शिविर में मौजूद थे । उनमें एक शिविर अमन कमेटी का भी था जिसमें

प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तथा सिविल पुलिस व पी0ए0सी0 के लोग मौजूद थे । लगभग एक लाख मुसलमान ; जिसमें वृद्ध, युवा तथा बच्चे भी थे; नमाज पढ़ने आये थे । ईदगाह के अहाते के भीतर स्थानाभाव के कारण ईदगाह के बाहर सड़कों पर तथा निकटवर्ती स्थानों पर नमाजी लोग मौजूद थे तथा कतारों में खड़े हो गये थे । उन्हें जिला मुस्लिम लीग के पदाधिकारियों के साथ अपने शिविर में ही नमाज पढ़नी थी । नमाज प्रातः 9-00बजे शुरु हुई तथा सवा नौ बजे समाप्त हो गई । शहर इमाम ने खुतबा पढ़ना शुरु कर दिया तभी कुछ नमाजियों ने नगर मुस्लिम लीग के शिविर के पास उत्तरी दिशा से आवास विकास कालोनी की पुलिया के पीछे से दो या तीन गन्दे सुअरों को अपनी कतारों में घुसते देखा । उन सुअरों ~~के अपनी कतारों में घुसने~~ पर पास के गन्दे नाले की कीचड़ लगी हुई थी तथा उनसे कुछ नमाजियों के कपड़े खराब हो गये । अचानक ही हल्ला शुरु हो गया और वे अपने साथियों के साथ घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ेऔर वहां उन्होंने नमाजियों की कतारों के बीच तीन सुअर घुमते देखे । फलस्वरुप नमाजियों और मौके पर तैनात पुलिस के बीच कहा सुनी शुरु हो गई । इन पुलिस कर्मियों में कटघर के एस0एच0ओ0 श्री बी0बी0लाल भी थे । जब नमाजियों ने पुलिस कर्मियों से कहा कि उन्हें गन्दे सुअरों को घुसने से रोकना चाहिए था और उन्हें भगा देना चाहिए था, श्री बी0बी0लाल चिल्लाकर बोले कि वे वहां पर जानवरों को नहीं मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए हैं । एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से ऐसी बात सुनकर कुछ नमाजियों तथा उत्तेजना त्मक शब्दों का प्रयोग करने वाले पुलिस कर्मियों के बीच हाथापाई होने लगी । वे और उनके साथियों ने हस्तक्षेप करके बड़ी कठिनाई से उत्तेजित मुसलमानों को शांत किया । सुअर बाहर खदेड़ दिये गये । उसी समय सड़क के ~~पार~~ पार अमन कमेटी कैम्प के दूसरे सिरे के पास के स्थान से पथराव शुरु हो गया । पथराव ~~से मुरादाबाद~~ मुरादाबाद के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा कुछ अन्य लोगों को चोटें लगीं । तुरंत ही श्री

ए0के0मिश्र, सी0ओ0, सिटी ।।। ने, जो लगभग दस कदम दूर खड़े थे, अपने रिवाल्वर से नमाजियों पर गोली चलाना शुरु कर दिया तथा सशस्त्र पुलिस बल तथा पी0ए0सी0 को गोली चलाने का आदेश दिया । पी0ए0सी0 ने ईदगाह के भीतर नमाजियों पर गोली चलाना शुरु कर दिया । यद्यपि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक चिल्ला रहे थे कि "नमाजियों पर गोली चलाना बंद करो फिर भी पुलिस बल तथा पी0ए0सी0 ने कोई ध्यान नहीं दिया और गोली चलाते रहे । इसके फलस्वरूप कुछ ही देर में सैकड़ों मुसलमानों-बूढ़े जवान और बच्चों की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई । इस अचानक तथा अकारण एवं अंधाधुंध गोली वर्षा से ईदगाह के भीतर कतारों में बैठे नमाजी बहुत ज्यादा घबड़ा गये । उनके ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा शहर इमाम द्वारा लाउडस्पीकर पर बार-बार अपील करने के बाद गोली चलाया जाना बंद किया गया । गोलियां चलाये जाने का लक्ष्य मुख्य रूप से ईदगाह के भीतर बैठे नमाजियों पर था । नमाजियों को भगाने के लिए वहां न लाठी चार्ज किया गया और न चेतावनी दी गई अथवा न ही हवा में गोलियां दागी गई या उनके शरीर के निचले हिस्से पर ही गोलियां चलायी गईं ।

उन्होंने यह भी कहा कि गोली चलाना बंद हो जाने के बाद अपनी पार्टी के सदस्यों अर्थात् श्री नसीम अहमद, एडवोकेट, श्री शमशान हुसैन खां, श्री सयीद हयात कादरी, श्री मुख्तार अली खां, श्री तस्कीन अहमद शमशी, श्री मोहम्मद कलीम, श्री मोहम्मद आजम खां और श्री हाबुल रहमान के साथ ईदगाह के अंदर गये जहां शहर इमाम, नायब इमाम, काजी अमीर अली साहब, मुरादाबाद की जामा मस्जिद के इमाम, श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, विधान सभा सदस्य कांग्रेस(ई), श्री अशफाक हुसैन अंसारी,, श्री मोहम्मद इकराम मंसूरी, श्री सयूयद इकबाल, श्री अनवर हुसैन, श्री जलाल मुरादाबादी तथा और लोग मौजूद थे । उन्होंने ईदगाह के अंदर खून से लतपथ मुसलमानों की सैकड़ों लाशें इधर-उधर पड़ी देखी और सैकड़ों घायल व्यक्तियों को सहायता के लिए चिल्लाते हुए देखा । इन लाशों को पुलिस तथा पी0ए0सी0 तैयार खड़ी हुई

ट्रकों में ले गई । उन्होने ट्रकों के साथ चलने का आग्रह किया लेकिन प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जाने को अनुमति नहीं दी और लाशों को ले गये । कुछ मुसलमानों को भी जो गंभीर रूप से घायल हो गये थे लाशों के साथ ले जाया गया । उन्होंने तथा उनके साथियों ने इस कठोर व्यवहार का विरोध किया लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ । इसके बाद वे कुछ आम व्यक्तियों के साथ दूसरे घायल लोगों को ईदगाह से जिला अस्पताल ले गये ।

उन्होंने आगे कहा कि जब ईदगाह के मैदान से लाशों और घायल लोगों को हटा दिया गया तो वे श्री नसीम अहमद, एडवोकेट, श्री सयीद हयात कादरी, श्री तसकील अहमद और श्री मुख्तार अहमद खां के साथ एक कार में जिसे श्री नासिर अली खां चला रहे थे, जिला अस्पताल गये और वहां लगभग दिन के 11 बजे पहुँचे । वे वहां संभल चौराहा, स्टेशन रोड तथा बुद्धा बाजार होते हुए पहुँचे थे । वे वहां दिन के 11 बजे पहुँचे थे और वहां इमरजेंसी वार्ड (आघात काल का रोगी कक्ष) में श्री हुमायूँ कादीर से मिले । बहुत से मुसलमान अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ कर रहे थे । श्री हंसराज चोपड़ा ने जो अस्पताल के बरामदे में थे, उनसे पूछा कि क्या ईदगाह पर मुसलमानों ने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा लगभग सौ पुलिस वालों को मार डाला । उन्होंने बताया कि असलियत और है क्योंकि पुलिस बल तथा पी०ए०सी० ने नमाजियों पर गोली चलायी और फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में उनकी मौते हुई । इसके बाद उन्होंने लाशों तथा घायल व्यक्तियों को होने वाले उपचार के बारे में पूछताछ की और वे दोपहर 12 बजे तक वहां रहे । उस समय तक अस्पताल के शवगृह में कोई भी शव नहीं था और इमरजेंसी वार्ड में लगभग 30 घायल व्यक्तियों को भर्ती किया गया था । 12 बजे के बाद अपने साथियों सहित कार से शहर कोतवाली चल दिये और वहां अपराह्न 2बजे तक रहे । उन्होंने कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन पुलिस प्राधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया । चूँकि नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया था इसलिए उन्होंने तथा उनके साथियों ने कर्फ्यू पास प्राप्त करने का प्रयास किया परन्तु उनसे कुछ रेह

देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया । अपराह लगभग डेढ बजे जब वे कोतवाली के बरामदे में बैठे हुए थे पी0ए0सी0 की दो ट्रकें तथा पुलिस की एक जीप मुख्य द्वार (मेन गेट) पर रुकी । श्री ए0के0मिश्र (सर्किल आफिसर प्रथम) तथा श्री के0एम0पाण्डे (सर्किल आफिसर द्वितीय) जीप से उतरे और उन्हीं के साथ पुलिस तथा पी0ए0सी0 के जवान 20 मुसलमानों के साथ, जो कि घायल थे तथा जिनके शरीर से खून बह रहा था ट्रक से उतरे । घायल व्यक्ति कोतवाली के अंदर ले जाये गये । इनमें हाजी अनवर हुसेन, उनका पुत्र सज्जाद हुसेन तथा केसर हुसेन और उनका बिहारी मुसलमान नौकर अब्दुल सलाम थे । उन्होनें पूछताछ करने की कोशिश की लेकिन सर्किल आफिसर नगर तथा अन्य प्राधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया । चूँकि ये व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे तथा उनके शरीर से खून निकल रहा था इसलिए उन्होनें उन्हें चिकित्सा हेतु तुरंत अस्पताल भेजने के लिए सर्किल आफिसर शहर (प्रथम) से कहा परन्तु सर्किल आफिसर शहर (प्रथम) तथा इन्सपेक्टर कोतवाली ने उन्हें बताया कि ये घायल व्यक्ति गिरफ्तार किये गये व्यक्ति हैं और उन्हें प्राथमिक कार्यवाही पूरी कर लेने के बाद अस्पताल भेजा जायगा । इसी बहाने सभी घायल व्यक्तियों को कोतवाली की हवालात में बंद कर दिया गया । इसी बीच अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर) द्वारा उन्हें कर्फ्यू पास दे दिये गये और वे अपराह लगभग 2-00 बजे कोतवाली से चल दिये । जब वे चौमुखा पुल तथा रेती स्ट्रीट से होते हुए तहसीली स्कूल मुरादाबाद के चौराहे पर पहुँचे तो उन्होनें चौराहे पर एक नाई की दूकान के सामने सड़क पर एक व्यक्ति की खून से लथपथ लाश देखी और उसके इधर-उधर डा0 गयूर अहमद सहित कुछ लोग खड़े थे । पूछने पर डा0 गयूर अहमद ने उन्हें बताया कि मृत व्यक्ति श्री बुद्धन नामक मुसलमान था जो पी0ए0सी0 की गोली से मरगया । वे उस स्थान से चल दिये और अपने-अपने मकानों पर अपराह लगभग 2-30 बजे पहुँच गये । उन्होनें टेलीफून संख्या 5174 से भारत की प्रधान मंत्री, तत्कालीन

---33

केन्द्रीय गृह मंत्री, तत्कालीन गृह सचिव, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री से टेलीफोन पर बात करने के लिए अर्जेन्ट काल बुक की । सायं लगभग 4 बजे उन्होंने मुख्य मंत्री से बात की और उन्हें सूचित किया कि ईदगाह में घटना हुई है निरपराध नमाजियों के खिलाफ पुलिस तथा पी0ए0सी0 द्वारा एकतरफा कार्यवाही की गई है जिसमें सैकड़ों मुसलमानों की नृशंसता पूर्वक हत्या कर दी गई है । मुख्य मंत्री ने उन्हें सूचित किया कि दो मंत्रियों को स्थिति का पता लगाने के लिए पंजाब मेल से मुरादाबाद जाने के लिए कहागया है । इस बातचीत के बाद टेलीफोन पर उन्हें बताया गया कि कर्फ्यू लगे होने के बावजूद पुलिस तथा पी0ए0सी0 द्वारा हिन्दू गुण्डों की सहायता से गलशहीद पुलिस चौकी के निकट मुसलमानों की सभी दुकानें तथा खोखे लूट लिये गये हैं और उन्हें जला दिया गया है, लगभग 37 मुसलमानों को मार दिये गये हैं और बहुत से मकानों को लूट लिया गया है और उन्हें जला दिया गया है । उनसे यह भी कहा गया कि कुछ उपद्रवी और पुलिस कर्मी झूठी अफवाहें फैला रहे थे कि मुसलमानों ने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, सैकड़ों पुलिस कर्मियों तथा अन्य अधिकारियों को मार डाला है और काली के मंदिर और अन्य पूजास्थालों पर भी हमला किया है । यह खबर मिलते ही वे श्री नसीम अहमद, एडवोकेट, श्री मुख्तार अली खां और श्री सैयद हयात कादरी के साथ उस क्षेत्र की ओर गये जहां उन्होंने सभी खोखों तथा दुकानें जलती हुई देखीं और देखा कि सिविल पुलिस तथा पी0ए0सी0 के कुछ लोग पुलिस चौकी के भवन को खुद ही नुकसान पहुँचा रहे हैं । यद्यपि वे हाजी अनवर हुसैन के घर उनकी पत्नी को यह सूचित करने के लिए जाना चाहते थे कि वह (हाजी अनवर हुसैन) पुलिस हिरासत में हैं किन्तु उस स्थान पर पुलिस एवं पी0ए0सी0 के कार्यों को देखकर वे असलतपुर होते हुए कोतवाली गये तथा शाम को लगभग 6-00बजे वहां पहुँचे । कोतवाली में उन्होंने कोतवाली के एस0एच0ओ0 के कार्यालय कक्ष से जिला मजिस्ट्रेट श्री एस0बी0आर्य, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री आर0एस0सिंह, सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) श्री ए0के0 मिश्र, सर्किल आफिसर (द्वितीय) श्री के0एम0पाण्डेय, इन्सपेक्टर श्री

जगदीश सिंह तथा कुछ अन्य अधिकारियों को कुछ हिन्दू नेताओं अर्थात् श्री दयानन्द गुप्त, एडवोकेट, श्री हंसराज चोपड़ा, श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री रमेश चन्द्रगोयल, एडवोकेट, श्री शिव स्वरूप जौहरी (सरकारी अभिवक्ता) श्री जगमोहन मेहरोत्रा, श्री ओ0बी0सिन्हा, एडवोकेट, श्री हरीश चन्द्र गुप्ता, एडवोकेट, श्री मुनेश गोयल, एडवोकेट अमन कमेटी के सेक्रेटरी श्री नन्द किशोर, श्री विनोद गुप्ता, श्री सत्य प्रकाश, एडवोकेट तथा अन्य व्यक्तियों के साथ बातें करते हुए देखा। उन्हें उस कमरें में रुकने की नहीं दिया गया तथा जिलाधिकारी एवं एस0एच0ओ0, कोतवाली ने उन्हें बाहर प्रतीक्षा करने को कहा क्योंकि वे वह उन व्यक्तियों की बातें सुन रहे थे। वह कमरे से बाहर आ गये और बरामदे में प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने उक्त अधिकारियों, विशेष रूप से जिलाधिकारी तथा सी0ओ0 नगर (प्रथम), को हिन्दू नेताओं से संयोग से यह कहते सुना कि "हमने अपना कार्य कर दिया है और अब हम बड़ी मुश्किल में हैं और उसके बदले में आप हमें बचाने के लिए आवश्यक प्रयास करें"। हिन्दू नेताओं के शिष्ट मंडल के कोतवाली से चले जाने के बाद उन्हें जिलाधिकारी तथा अन्य अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी गई। उन्होंनें जिला अधिकारी से शिकायत की कि पुलिस कर्मियों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रति क्रियावादियों तथा अन्य हिन्दू सम्प्रदायवादियों व्दारा इस आशय की एक अफवाह फैलायी जा रही है कि ईदगाह पर मुसलमानों ने मुरादाबाद के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सैकड़ों पुलिसकर्मियों तथा बाल्मीकियों को मार डाला है और मुसलमानों ने काली का मंदिर एवं हिन्दुओं के अन्य पूजास्थालों को नष्ट कर दिया है तथा इस बात की अत्यधिक आशंका है कि यह निराधार अफवाहें स्थिति को स्पष्ट साम्प्रदायिक रंग देकर और अधिक बिगाड़ दें तथा हिन्दुओं को मुसलमानों तथा उनकी सम्पत्ति पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। उन्होंनें जिला मजिस्ट्रेट से कहा कि वे लोग गलशहीद क्षेत्र से आये हैं जहां पुलिस एवं पी0ए0सी0 व्दारा हिन्दू गुण्डों की सहायता से मुसलमानों की सभी दूकानें, खोको

तथा घर लूट लिये गये और उनमें आग लगा दी गई और लगभग 37 मुसलमान मार डाले गये हैं । उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को सुझाव दिया कि लाउडस्पीकर से प्रसारण करा के तथा दोनों सम्प्रदायों के जिम्मेदार व्यक्तियों की सामूहिक बैठक आयोजित करके इस प्रकार की निराधार अफवाहों का सरकारी तौर पर तुरंत खंडन किया जाय । जिलाधिकारी ने अपेक्षित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया किन्तु वास्तव में किया कुछ नहीं ।

उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें पता चला कि बरेली मंडल के आयुक्त, तथा बरेली रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक भी सायं लगभग 5-30 बजे पहुँच गये थे । अतः वे बाजार गंज, चौराहा गुड़हट्टी और कचहरी रोड होते हुए नहर निरीक्षण गृह इंस्पेक्शन हाउस गये और उन्होंने इन सभी स्थानों पर वर्दीधारी पुलिस एवं पी०ए०सी० कर्मियों को हिन्दुओं की भीड़ के साथ मुसलमानों की दूकानें लूटते हुए देखा । जब वे इन्सपेक्शन हाउस पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि पुलिस उप महानिरीक्षक तथा आयुक्त अत्यधिक व्यस्त हैं और उनसे मिल नहीं सकेंगे । अतः वे डिप्टी गंज, डब्बू का नाला, चौराहा नागफनी और दौलत बाग होकर अपने मुहल्ले लौट आये । इन सभी स्थानों पर गोली चलाने की खबरें सुनने को मिली तथा भीड़ के साथ पुलिस और पी०ए०सी० के लोग भी मुसलमानों की दूकानों एवं घरों को लूटने में लगे हुए थे । वे नवाबपुरा और लालबाग होकर अपने घर पहुँचे ।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें रात्रि को लगभग पौने नौ बजे सूचना मिली कि बरवला मुहल्ले में पुलिस ने मुसलमानों पर हमला किया है । कुछ व्यक्तियों के साथ वह वहाँ गये और मुसलमानों को हड़बड़ी में भागते हुए देखा । उनसे कहा गया कि मुगलपुरा थाने के सब इन्सपेक्टर राम सिंह के नेतृत्व में पी०ए०सी० एवं पुलिस के लोग तथा कुछ हिन्दू गुण्डों ने मुगलपुरा थाने के अधीन पड़ने वाले बरवला मुहल्ले में नाई की घाटिया पर मुसलमानों के घरों पर जिसकी संख्या

बहुत कम है, धावा कर दिया है । उन्हें यह भी सूचना मिली कि छोटे खान और उनके पुत्र ननका खान की हत्या कर दी गई है और श्रीमती सहाना बेगम, जिनके कुछ दिन पूर्व ही एक बच्चा पैदा हुआ था, हिन्दू उपद्रवकारियों द्वारा अपहृत कर लिया गया है । उसका बच्चा कुछ दिनों बाद मर गया और उसका अब तक कोई पता नहीं लग सका है । उसे या तो मार डाला गया या किसी अज्ञात स्थान ले जाया गया । उनसे मिली सूचना के अनुसार उन मुसलमानों के मकानों को भी 14 अगस्त, 1980 को लूट लिया गया और उनमें आग लगा दी गई जो इस संत्रस्त स्थान से बचकर निकल गये थे ।

आगे यह भी कहना है कि वे नगर का एक दौरा करने के लिए गये । जब वे सांभली गेट के पास थे तब उनकी कार को कुछ मुसलमानों द्वारा रोक लिया गया और उनसे कहा कि पुलिस द्वारा एक शाकीर पानवाले को गोली कर दी गई है तथा उसे अस्पताल ले जाया गया है और उसकी मां एवं पत्नी अस्पताल जाने के लिए व्यग्र हैं । वह शाकीर पानवाले की मां एवं पत्नी को अपनी कार में ले गये तथा उन्हें अस्पताल में छोड़ दिया । शाकीर पान वाले की दशा गंभीर थी तथा उसके गर्दन पर गोली लगने का घाव था । वे अस्पताल से उक्त दोनों मंत्रियों के स्वागतार्थ रेलवे स्टेशन गये और एक वहां उन्होंने असहाय हिन्दू परिवार को देखा जो दिल्ली से आया हुआ था और बारादरी जाना चाहता था । वह उस परिवार को अपनी कार में ले गये तथा उसे उनके संबंधी के घर पर पहुँचा आये । यह भी कहा जाता है कि 14 अगस्त, 1980 को प्रातः लगभग 9-00 बजे कैनाल इन्सपेक्शन हाउस पर उनके नेतृत्व में मुरादाबाद मुस्लिम लीग का एक शिष्ट मंडल वहां आये मंत्रियों से मिला और उसने उन्हें सभी तथ्यों तथा वर्तमान स्थिति से अवगत कराया । जब वे बैठक (ड्राइंग रूम) में बैठे थे, तो उन्होंने कांग्रेस (ई) और भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल को मंत्रियों से मिलने की प्रतीक्षा करते देखा । उस समय श्री दयानन्द गुप्ता ने, जो कांग्रेस (ई) शिष्ट मंडल के साथ थे, कहा कि मुसलमानों द्वारा की गई छेड़छाड़ से ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है और मुसलमानों ने अधिकारियों एवं पुलिसजनों की हत्या की है और हिन्दुओं के कई पूजास्थलों को दूषित

-----37

किया है । जब उन्होंने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया तो श्री दयानन्द गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अस्पताल में 40 पुलिस वालों के शव स्वयं गिने थे । उस समय मंत्रियों से मिलने के लिए बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे । उनमें मुरादाबाद से कांग्रेस (ई) के वर्तमान विधान सभा सदस्य हाफिज मुहम्मद सिद्दीकी, संसद सदस्य हाजी गुलाम मुहम्मद भी दंगा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते समय वह भी उनके साथ थे ।

आगे उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त, 1980 को तत्कालीन गृह मंत्री, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री , केन्द्रीय सरकार के राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री भी मुरादाबाद आये थे और उन्होंने ईदगाह, गलशहीद तथा नगर के अन्य दंगा ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया था । वह मुस्लिम -लीग के अधिकारियों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ उनसे मिले थे तथा दंगाग्रस्त क्षेत्रों में उनके साथ गये थे । उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि बहुत से शव जो 13 अगस्त, 1980 को ईदगाह से हटाये गये थे, पुलिस लाइन्स के पीछे एक टिन-शेड में पड़े हैं । अतः उन्होंने केन्द्र के माननीय मंत्रियों तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से उनके साथ पुलिस लाइन्स चलने का अनुरोध किया । श्री गुलाम मोहम्मद, संसद सदस्य और वह माननीय मंत्रियों को मुरादाबाद पुलिस लाइन के पीछे स्थित टिनशेड ले गये तथा वहां पड़े शव दिखाये । गिनने पर उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वहां केवल 85 ही शव थे । बाद में वह जिला अस्पताल गये तथा 30 शव अस्पताल के शवगृह में देखे । इस प्रकार 13 अगस्त, 1980 को ईदगाह से हटाये गये सैकड़ों शवों में से केवल एक सौ पन्द्रह शव उपर्युक्त दोनों स्थानों पर पाये गये । अतः निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि बाकी शव बिना शव परीक्षण के अवैध रूप से ले जाये गये और उन्हें या तो जला दिया गया या उन्हें गड्ढों में डाल कर पाट दिया गया । जिन शवों की शव-परीक्षा की गई थी उनको भी दफन करने अथवा उनका अंतिम संस्कार सम्पन्न करने के लिए उन्हें उनके संबंधियों को नहीं सौंपा गया । आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि शवों को कहां निपटाया गया और उन्हें उनके

----38

संबंधियों को क्यों नहीं सौंपा गया । 14 अगस्त, 1980 को संसद सदस्य श्री मौलाना असद मदनी, संसद सदस्य एवं जनता (एस0) के नेता श्री राज नरायन, रामपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा सदस्य श्री मोहम्मद आजम खां, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री श्री अख्तर अली खां तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के अन्य नेता मुरादाबाद आये और उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया ।

बार-बार मांग करने पर 13 अगस्त, 1980 को सीमा सुरक्षा बल मुरादाबाद भेजा गया किन्तु 17 अगस्त, 1980 तक उस नगर में तैनात नहीं किया गया ।

उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न घटनाओं के बारे में, जो कि घटित हुई थीं, पूछताछ करते हुए वह नगर में 15 अगस्त, 1980 तक घूमते रहे और उनके बारे में पुलिस अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों से शिकायतें करते रहे ।

उन्होंने यह भी कहा कि श्री मधुकर गुप्त के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद 16 अगस्त, 1980 को उनके कर्फ्यू पास की अवधि समाप्त हो गई और उसे नहीं बढ़ाया गया । उनकी गिरफ्तारी की तारीख तक उनका टेलीफोन भी काट दिया गया था । इस अवधि के दौरान विभिन्न दलों के कुछ राजनैतिक नेताओं, संसद सदस्यों एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के विधान सभा सदस्यों ने जिनमें संसद सदस्य श्री सैयद शाह अहमद मौलाना मुजफ्फर हसन, मुरादाबाद से विधान सभा सदस्य श्री रियासत हुसैन तथा अन्य लोग भी है, प्रभावित दंगाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा अनेक व्यक्तियों से मिले ।

इसके बाद उन्होंने अपने विरुद्ध चलाये गये कुछ मुकदमों और किस प्रकार उन्हें हिरासत में लिया गया तथा मुक्त किया गया इसका उल्लेख किया है ।

जहां तक 13 अगस्त, 1980 की घटना का संबंध है उन्होंने उसके वही कारण बताये हैं जो शहर इमाम व्दारा अपने लिखित बयान में बताये गये हैं ।

अंत में उन्होंने प्रशासन की ओर से हुई लापरवाही के

उदाहरण दिये जो निम्नलिखित हैं :-

(क) पिछले वर्षों में ईद त्योहार के पहले जिला प्रशासन द्वारा एकता समिति की बैठक कीजाती थी किन्तु इस अवसर पर इस प्रकार की कोई बैठक नहीं की गई । नये जिला मजिस्ट्रेट ने ईद का त्योहार शांति पूर्वक मनाये जाने के लिए नागरिकों का सहयोग नहीं प्राप्त किया ।

(ख) स्थानीय अभिसूचना इकाई ने 13 अगस्त, 1980 से पूर्व ही एक गोपनीय सूचना दी थी कि नमाज के दौरान ईदगाह के मैदान में कोई सूअर, बैल या और कोई जानवर खदेड़ा जायेगा । इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई ऐहतियात के तौर पर कार्यवाही नहीं की गई । उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इस सत्य को सदन में स्वीकार किया है ।

(ग) बाल्मीकि, मुसलमानों को धमका रहे थे कि उन्हें ईद का त्योहार नहीं मनाने देगें और मुसलमानों द्वारा इस आशय की, कटघर थाने में पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन प्रशासन निष्क्रिय बना रहा । इंदिरा चौक के निवासियों ने 30 जुलाई, 1980 को जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिसअधीक्षक को तार भी भेजा था और 13 अगस्त, 1980 से पूर्व इन अधिकारियों से मुस्लिम लीग का एक शिष्ट-मंडल मिला था और उसने फासिस्ट व साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध जो कि ईद के दिन अशांति उत्पन्न करने के लिए कृत संकल्प थे, तुरंत उचित कार्यवाही करने की मांग की थी किन्तु इसपर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(घ) पिछले वर्षों में सुअर पिन लिए जाते थे और उन्हें सुअर बाड़ों में बंद रखा जाता था किन्तु इस ईद के अवसर पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया और न ही नमाजियों के बीच उनके घुस आने को रोकने के लिए कोई ऐहतियाती

कार्यवाही की गई थी । यह सुअरबाड़े ईदगाह गलशहीद रोड की पांयी ओर स्थित हैं ।

श्री हुमायूँ कादिर ने अपना लिखित बयान (क-7) दाखिल किया है और उनका दावा है कि वह ईदगाह तथा अन्य जगहों पर हुई घटनाओं के चश्मदीद गवाह हैं । वह मुरादाबाद की सेन्ट्रल मुस्लिम रिलीफ कमेटी द्वारा गठित सर्वे कमेटी के संयोजक हैं और इसलिए उनका कहना है कि वह उक्त घटना के तथ्यों स्थितियों एवं कारणों से पूरी तरह अवगत हैं । उनका कहना है कि 13 अगस्त, 1980 को प्रातः लगभग साढ़े आठ बजे वह नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पहुँचे थे । उन्होंने ईदगाह के दरवाजे के सामने एक शिविर में कुछ पुलिस अधिकारी तथा सशस्त्र पुलिस एवं पी०ए०सी० के जवान देखे इन पुलिस अधिकारियों में सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) श्री ए०के०मिश्र, सर्किल आफिसर नगर (द्वितीय) श्री पाण्डेय तथा अन्य अधिकारी थे । वहां नमाजियों का भारी मजमा था जिसमें सभी खाली हाथ थे । इस मजमें में बूढ़े, जवान और बच्चे सभी थे । वह ईदगाह के चबूतरे पर नमाजियों की पिछली कतार में खड़ा था । नमाज प्रातः लगभग सवा नौ बजे समाप्त हुई तथा शहर इमाम ने मजहबी खुतबा देना प्रारम्भ किया । जैसे ही उक्त खुतबे का दूसरा हिस्सा खत्म होने वाला था तथा दुआ मांगी जा रही थी उसी समय शोरगुल हुआ और उसके बाद सड़क की ओर से राइफल से गोली चलने का धमाका हुआ । वह चबूतरे से नीचे उतर आया और पुलिस तथा पी०ए०सी० के जवानों को नमाजियों पर अंधाधुन्ध गोलियां चलाते देखा जो भागने की कोशिश कर रहे थे । गोली चलाने वाले पुलिस कार्मिक ईदगाह की सीमा-दीवार के ठीक पास में थे । लगभग एक लाख नमाजी लोग पनाह पाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे । उनमें से सैकड़ों लोग पुलिस तथा पी०ए०सी० की गोली से घायल होने के बाद ईदगाह के अहाते में गिर पड़े थे । शहर इमाम ने पुलिस जनों से फायरिंग रोक देने तथा ईदगाह की पवित्रता का मान करने के लिए मार्मिक अपीलें कीं । उस समय मोहल्ला लाल मस्जिद, मुरादाबाद के निवासी

मोहम्मद शाकिर अंसारी तथा लाल मस्जिद के निवासी श्री शेर हुसैन उसके साथ थे । उसने उन दोनों व्यक्तियों के साथ ईदगाह से बाहर निकलने की तरकीब निकाल ली, और प्रातः लगभग 11-00 बजे जिला अस्पताल पहुँचा । अस्पताल में उसने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ श्री इशरत हुसैन अंसारी, एडवोकेट, श्री अकिल कुरैशी, सम्पादक, कुरैशी दुनिया, मुरादाबाद के तथा मोहम्मदलईक को देखा । उक्त अस्पताल में बड़ी संख्या में घायलों को लाया गया था । आघात रोगीकक्ष (इमरजेंसी वार्ड) में केवल एक ही डाक्टर था और अस्पताल के कर्मचारियों में से एक व्यक्ति से कहा गया कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तुरंत आने तथा सभी डाक्टरों को ड्यूटी पर बुला लेने के लिए टेलीफोन करें । मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक घंटे के बाद आये ।

उसने यह भी कहा कि उस दिन प्रातः लगभग 11-30 बजे अस्पताल में कुछ व्यक्तियों के साथ डा० शमीम अहमद तथा नसीम अहमद को देखा था और उन्होंने उसे यह बताया था कि ईदगाह में सैकड़ों नमाजियों को गोली से मार दिया गया है । अपराह्न लगभग 2-00 बजे श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी मुरादाबाद के निवासी श्री असद मौले के साथ अस्पताल आये और उसने भी वही बात बतायी । जब वह अस्पताल में था उस समय आहतों के संबंधियों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं द्वारा घायल लोगों तथा शव लाये जा रहे थे । उसने अपने एक साथी से घायलों तथा मृतकों की एक सूची तैयार करने के लिए कहा । ये सूचियां उसके ~~लिखि~~ लिखित बयान के साथ अनुलग्नक "क-1" तथा "क-2" हैं । वह श्री मोहम्मद लईक हुसैन अंसारी, एडवोकेट के साथ सायं लगभग साढ़े चार बजे अस्पताल से चला तथा एक जीप कार में कोतवाली पहुँचा और कर्फ्यू पास लिये । उन्होंने श्री दयानन्द गुप्ता, एडवोकेट, श्री के०बी० जौहरी, पत्रकार, श्री एन०सी० गोयल, एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी के श्री हंसराज चोपड़ा कांग्रेस (ई) के सेक्रेटरी श्री विनोद गुप्ता तथा मुरादाबाद के कुछ अन्य हिन्दू नेताओं को वहां आते हुए तथा कोतवाली के अंदर जाते हुए देखा ।

उसने यह भी कहा है कि वह कोतवाली से सायं लगभग छः बजे चला और एक जीप में नगर का चक्कर लगाया । नगर में कर्फ्यू

-----42

लगा हुआ था । उसने यह देखा कि शांति और व्यवस्था हिन्दुओं की सहायता से गंज बाजार, कंजरी सराय, चौमुखापुल, बर्तन बाजार, कचहरी रोड, बालाजी का मंदिर, सब्जी मंडी में मुसलमानों की दुकानें लूट रहे थे । अनुलग्नक "ख" में लूटी गई दुकानों की सूची है ।

ईदगाह की घटना के संबंध में दैनिक अमर उजाला, बरेली में दिनांक 14-8-1980 को प्रकाशित एक समाचार विवरण अनुलग्नक"ग" के रूप में दाखिल किया गया है । संसद सदस्यों (सांसदों) के बयानों की प्रतिलिपियां भी अनुलग्नक "घ" तथा (ड.) के रूप में दाखिल की गई हैं । उसने जो कारण बताये हैं वे वही हैं जो शाहर इमाम व्दारा बताये गये हैं ।

उसके कथनानुसार शवों के साथ-साथ बहुत से घायल व्यक्तियों को पुलिस ट्रकों में ले गये क्योंकि उन्हें कोई डाक्टरी सहायता नहीं मिल पायी थी अतः वे सभी मर गये तथा उन सभी को पुलिस लाइन में एक स्थान पर डाल दिया गया । सौभाग्य से अगले दिन उनमें से एक व्यक्ति को सेना के एक अधिकारी ने देखा तथा उसे बचा लिया । सेना के अधिकारी ने उसे शवों के बीच से निकाला तथा अस्पताल भेजा जहां उसका इलाज किया गया ।

स्थानीय अधिकारियों तथा अधिकारियों व्दारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्यवाही के औचित्य के संबंध में उसने यह कहा है कि अधिकारियों व्दारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्यवाही सद्भावना पूर्वक तथा कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की पूर्ण भावना से नहीं की गई थी । यह कार्यवाही अत्यधिक पक्षपातपूर्ण, उत्तरदायित्वहीन तथा बदले की भावना से की गई थी जैसा कि इस तथ्य से प्रकट होगा कि अधिकारियों ने ईदगाह के अहाते में नमाजियों की जमात में, उनकी जान की परवाह किये बिना ही, गोली चलाने के मौके को तुरंत ही हाथ में ले लिया, फायरिंग किसी अधिकारी अथवा अधिकारिक को कोई गंभीर चोट पहुँचने से पहले शुरु कर दी गई थी। सरकारी अधिकारियों अधिकारिकों तथा स्थानीय प्राधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करायीं और सरकारी अभिलेखों में हेर-फेर किया । पुलिस तथा पी०ए०सी० के जवानों ने गलशहीद के पास मुहल्ले

में तीन मुसलमानों को मार डाला, सत्ताईस दुकानों तथा मकानों को जला दिया तथा उन्हें लूट लिया । उसके ब्योरे अनुलग्नक "च-1" तथा "च-2" में दिये गये हैं ।

इसके बाद उसने अन्य स्थानों पर घटनाओं का जिक्र किया है । यह कहा जाता है कि पुलिस तथा पी0ए0सी0 के जवानों ने मोहल्ला गलशहीद में जिगर/पार्क के सामने मस्जिद मदीनातुल उलूम में घुसकर आपराधिक अतिचार किया है और पांच व्यक्तियों को गोली से मारने के बाद उस मोहल्ले में स्थित दुकानों में आग लगा दी तथा शवों को आग में फेंक दिया ।

पुलिस तथा पी0ए0सी0 के जवानों ने उसी मोहल्ले में अब्दुल हमीद के मकान में अवैध रूप से प्रवेश किया तथा लगभग 80,000रू0 के मूल्य की सम्पत्ति लूट ली, उसके मकान में आग लगा दी तथा उसकी लगभग 60 वर्षीय पत्नी को मार डाला ।

पी0ए0सी0 तथा पुलिसजनों ने उसी मोहल्ले में हाजी अनवर हुसैन के मकान में अतिचार किया तथा 60,000रू0 के मूल्य की सम्पत्ति लूट ली और परिवार के चार सदस्यों को जबर्दस्ती उठा ले गये जिनका अभी तक पता नहीं लग पाया है ।

पुलिस तथा पी0ए0सी0 के जवानों ने पुलिस चौकी गलशहीद के पास नीमवाली टाल में दो मुसलमान मजदूरों को गोली से मार दिया तथा उनके शवों को उठा ले गये ।

पुलिस तथा पी0ए0सी0 के जवानों ने गलशहीद क्षेत्र में मुसलमानों की लकड़ी की दूकानों (स्टालों) में आठ व्यक्तियों को गोली से मार गिराया । शवों को लपटों में झोंक दिया तथा दुकानों (स्टालों) में आग लगा दी ।

पुलिसवाले बहुत से मुसलमानों को उनके मकानों से जबर्दस्ती उठा ले गये तथा उनकी जबरदस्त पिटाई करने के बाद उन्हें थाने की हवालात में बंद कर दिया ।

पुलिस तथा पी0ए0सी0 द्वारा उपर्युक्त अत्याचार स्थानीय प्राधिकारियों के सामने ही किये गये ।

जहां तक कि ईदगाह में 13-8-1980 की घटना का संबंध है उसका कहना यह है कि उपर्युक्त घटना के बाद दीवार पर सफेदी के बावजूद राइफल की गोलियों के तीस से भी अधिक बड़े-बड़े छेद तथा ईदगाह की पश्चिमी दीवार की उत्तरी दिशा में रिवाल्वर तथा बंदूक के छर्रों के बहुत से निशान अभी भी दिखाई पड़ते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस तथा पी0ए0सी0 द्वारा असंख्य चक्रों में गोलियां चलाई गई जिसके फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में उन बूढ़े, जवान तथा बच्चों की मौत हुई जो अपनी जान बचाने के लिए सभी दिशाओं में दौड़ लगा रहे थे।

डा0 हमीद हुसैन खां, ने जो जिला मुरादाबाद खाकसराने हक के सालार हैं, यह कहते हुए अपना लिखित बयान (क-8) दाखिल किया है कि उसका संगठन सम्प्रदायिक नहीं है और जाति तथा पंथ के भेद-भाव बिना सभी मजहबों की सामाजिक सेवा के आशय से बनाया गया है। उसके कथनानुसार हिन्दू भी उसके सदस्य हैं। वह ईदगाह में घटना का चश्मदीद गवाह होने का भी दावा करता है। उसने यह स्वीकार किया है कि ईदगाह में कुछ खाकसार मौजूद थे परन्तु उनके पास कोई बेलचा नहीं था। उसने यह भी कहा कि उस दिन वह अपने दस वर्षीय पुत्र इशरत हसन तथा सात वर्षीय पुत्री कुमारी अजरा परवीन के साथ नमाज पढ़ने गया था। घटना घटित होने के संबंध में उसने शहर इमाम तथा डा0 शमीम अहमद खां द्वारा लगाये गये आरोपों को दोहराया है।

श्रेणी "ख"

श्री हरी ओम शर्मा, भारतीय जनता पार्टी, जिला मुरादाबाद के तत्कालीन महा सचिव ने अपनी पार्टी की ओर से लिखित बयान दाखिल किया है। उनका कहना यह है कि मुरादाबाद नगर पीतल के कलात्मक बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है तथा अरब देशों से बहुत अधिक धन मिलता है। इससे स्थानीय मुसलमानों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है। इस्लामी देश मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ानेके लिए उत्सुक हैं। अलीगढ़ तथा मुरादाबाद इस योजना के प्रसार केन्द्र हैं, जो

(योजना) मुस्लिम लीग, खाकसार पार्टी, जमाअत-उल- उलेमा-ए- हिन्द तथा तब्लीग-ए-इस्लाम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। उन पार्टियों ने बिहार तथा बंगाल से काफी संख्या में मुसलमानों को लाकर उन्हें इसलिए मुरादाबाद में पुनर्वासित कर दिया है जिससे कि मुसलमानों की जनसंख्या बहुमत में हो जाय। उन्हें जामा मस्जिद, असलतपुरा, गलशहीद, बंगलागांव तथा चक्कर की मिलक में रहने के लिए स्थान दे दिया गया है।

इसके बाद उन्होंने निम्नलिखित घटनाओं का हवाला दिया है जिनके कारण 13-8-1980 को हिंसा भड़क उठी :-

(1) 18-3-1980 को कुछ मुसलमानों ने इंदिरा चौक में रहने वली कुमारी लज्जावती नामक एक हरिजन बालिका का अपहरण कर लिया। पुलिस बड़ी मुश्किल से उसको बरामद कर पायी और उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया। पूरा मुस्लिम गुट (सम्प्रदाय) इससे नाराज हो गया तथा पुलिस और हरिजनों के विरुद्ध योजना तैयार करना प्रारम्भ कर दिया।

(2) 31-5-1980 को विधान सभा के मध्यावधि निर्वाचन मुरादाबाद नगर में हुए श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, इससे पूर्व जमाअत उल-उलेमा-ए- हिन्द के, ने वह चुनाव कांग्रेस (ई) के अभ्यर्थी (उम्मीदवार) के रूप में लड़ा। उन्होंने न केवल बिहारी मुसलमानों की सहायता ली वरन् उस चुनाव में अपनी सहायता के लिए बाहर से मुसलमान गुंडों को भी बुलाया। उस दिन टाउन हाल में कुछ घटनायें घटित हुयीं और उनकी रिपोर्ट अधिकतर संभल तथा मिलक (रामपुर) के मुसलमानों द्वारा दर्ज करायी गई। उनके उस दिन मुरादाबाद में मौजूद रहने का कारण सिवाय हाफिज मोहम्मद का समर्थन करने के और कोई नहीं था। चूँकि वे इस कार्य में सफल नहीं हुए अतः मुसलमानों की हिन्दुओं से बदला लेने की इच्छा बढ़ गई। निर्वाचन के दिन उन्होंने टाउन हाल के पास निम्नलिखित नारे लगाये :-

"आधी रोटी खायेंगे पाकिस्तान बनायेंगे और पंजाबियों को भगायेंगे. नया अलम बनायेंगे"।

(3) जून, 1980 में जावेद नामक एक मुसलमान गुंडा मुरादाबाद-ठाकुर द्वारा सड़क पर एक राहजनी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा थाने ले जाया गया परन्तु वह रास्ते

में मर गया । मुस्लिम लीग के नेता डा० शमीम अहमद तथा डाकतार पार्टी के डा० हमीद हुसैन खां और कांग्रेस (ई) के विधान सभा सदस्य हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी और कुछ अन्य व्यक्तियों ने मुसलमानों को पुलिस के खिलाफ भड़काया । प्रशासन के आदेशों के बावजूद उन्होंने जावेद के शव का जुलूस निकाला और पुलिस तथा प्रशासन के विरुद्ध भद्दे नारे लगाये । मुगलपुरा के थानेदार श्री डी०बी०सिंह सहित कुछ पुलिस अधिकारियों तथा अधिकारियों को पीटा गया । उपर्युक्त मुस्लिम गुटों के नेताओं ने एक प्रतिज्ञा की कि वे प्रशासन तथा पुलिस को शांतिपूर्वक नहीं बैठने देंगे ।

(4) उपर्युक्त कुमारी लज्जावती का विवाह संस्कार 24-7-1980 को सम्पन्न हुआ । उस शाम को जब बारात उसके (कुमारी लज्जावती के) घर की ओर जा रही थी और इंदिरा चौक पहुँची तो कुछ मुसलमानों ने उस पर हमला किया तथा बरातियों के साथ दुर्व्यवहार किया । उन्होंने इंदिरा चौक तथा पीरजादा की हरिजन बस्तियों पर नियोजित ढंग से हमला किया और सभी प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया तथा उनके मकानों में आग लगा दी । पुलिस वाहनों (गाड़ियों) को क्षति पहुँचायी गई तथा उनमें आग लगाने की कोशिश की गई । वाल्मीकियों ने रिपोर्ट दर्ज करायी तथा मुसलमानों को अपराधियों के रूप में नामजद किया परन्तु श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी विधान सभा सदस्य के प्रभाव तथा सरकार द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाये जाने के कारण उनमें किसी के भी खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिले के अधिकारियों को स्पष्टतया से यह बताया था कि यह घटना भविष्य में गंभीर रूप अपना सकती है परन्तु मुसलमान नेताओं के प्रभाव और सरकार के रवैये के कारण इस आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई कि वह रमजान का महीना था । कुछ मुसलमान नेता गिरफ्तार किये गये जिससे कुछ मुस्लिम गुटों के लोग नाराज हो गये और सरकार की प्रतिष्ठा को नष्ट करने की योजना तैयार करने लगे । इसका साक्ष्य थाना मुगलपुरा तथा स्थानीय अभिसूचना यूनिट के अभिलेखों में देखा जा सकता है ।

इसके बाद उन्होंने 13-8-1980 की घटना का हवाला दिया है जिस दिन मुरादाबाद में ईदुलफितर का त्योहार मनाया गया था ।

पिछले वर्षों की भांति बड़ी संख्या में हिन्दू मुसलमानों को मुबारक बाद देने के के लिए ईदगाह भी गये थे । उनमें थे जिला भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री हरीकृष्ण टंडन, डा० जगमोहन मेहरोत्रा तथा अन्य व्यक्ति, जो घायल भी हो गये थे । उन्होंने घटना देखी थी और एक रिपोर्ट दर्ज करायी थी । इसके अतिरिक्त वहां पर जनता सेवक समाज, अमन कमेटी, मुस्लिम लीग तथा अन्य पार्टियों सहित बहुत सी पार्टियों के शिविर ।कैम्प । थे । शिविर सड़क की पूर्वी पटरी पर लगे हुए थे परन्तु मुस्लिम दंगाइयों ने मुस्लिम लीग के शिविरों ।कैम्पों। को छोड़कर सभी शिविरों ।कैम्पों। को नष्ट कर दिया । डाक्टर ईदगाह में अपनी वर्दी में मौजूद थे और उनके हाथों में बेलचे थे । डा० हमीद हसन खां उर्फ अज्जी अपनी पार्टी के कमांडर की वर्दी पहने थे जिसके लिए श्री विजय नाथ सिंह ने आपत्ति की । मुस्लिम लीग के प्रेसीडेंट डा० शमीम अहमद खां, डा० हमीद हसन खां, श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी तथा अन्य मुस्लिम नेता नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह मैदान में नहीं गये वरन् उस स्थान के आस-पास घूमते हुए देखे गये जहां हिंसा भड़की थी ।

उन्होंने यह भी कहा है कि ईदगाह में या उसके काफी दूर तक कोई तुंअर नहीं था । पूरे ईदगाह की अच्छी तरह से सफाई की गई थी और वहां ईंट पत्थर के कोई टुकड़े नहीं पड़े थे । ईदगाह में पुलिस व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी और यह देखते हुए और भी कम थी कि पुलिस को यह मालूम था कि कोई गंभीर घटना हो सकती है । उनके कथनानुसार मुसलमानों ने नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी को यह कहते हुए मारा डाला कि वह मेहतरों को उत्तेजित करने के लिए उत्तरदायी है । ईदगाह की घटना पूर्व नियोजित थी तथा एक मुसलमान खड़ा हुआ और झूठ-मूठ कहने लगा कि एक तुअर घुस आया है । इसके फलस्वरूप खलबली मच गई और मुसलमानों ने हिन्दुओं पर तुरंत ईंट-पत्थरों के टुकड़ों तथा अन्य हथियारों से हमला कर दिया । इस घटना की शुरुआत राष्ट्र विरोधी गुट अथवा पार्टियों ने राज्य के विरुद्ध विद्रोह के रूप में की थी । सभी मुस्लिम नेताओं ने बिना इस बात

का ख्याल किया कि वे किस पार्टी के सदस्य हैं अपना xxxxxxxxxxxx सहयोग दिया । उन्हें विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी xx जो इस तथ्य से प्रकट हो जायेगा कि घटना घटित होने की तीसरे दिन पाकिस्तान में टेलीविजन पर एक फिल्म दिखायी गई थी जिसकी पृष्ठभूमि में था 1979 में मुरादाबाद में हुआ इजतमा और मुसलमानों को करोड़ों रुपये बांटे गये थे । इजतमा के तुरंत बाद यूनिवर्सिटियों का निर्माण कार्य तथा नयी मुस्लिम बस्तियों का बसाना शुरु हो गया । पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आये हुए मुसलमान 13-8-1980 से पहले मुरादाबाद में पड़ाव डाले हुए थे और उन्होंने अशांति फैलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया । उन्होंने यह भी कहा है कि राजनीतिक दबाव तथा तुष्टिकरण की नीति के फलस्वरूप अधिकारियों का मुरादाबाद से थोड़े -थोड़े समय के बाद स्थानान्तरण किया जाना दंगे का एक और कारण था । सर्वश्री अजय विक्रम सिंह, प्यारे मोहन अग्रवाल, सरदार नगेन्द्र सिंह, आर०सी०तिवारी, एस०पी०आर्य, जसवंत सिंह, xxx तथा बी०के० सिंह का स्थानान्तरण थोड़े दिनों के बाद कर दिया गया । उन्होंने यह भी कहा है कि नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी के ड्राइवर तथा चपरासी दोनों ही मुसलमान थे और अपने अधिकारी की जान की परवाह किये बिना उनकी गाड़ी लेकर भाग गये थे । 13-8-1980 की घटना में अवैध आग्नेयास्त्रों का खुलकर प्रयोग किया गया क्योंकि इसके तुरंत बाद ऐसे शस्त्र मुसलमानों के घरों से बड़ी संख्या में बरामद किये गये थे ।

जनता सेवक समाज, मुरादाबाद के प्रेसीडेंट श्री हरीकृष्ण दास ने यह कहते हुए अपना लिखित बयान दाखिल किया है कि उनकी पार्टी (दल) ईदगाह, मुरादाबाद में अपना शिविर पिछले 20 या 22 वर्षों से लगा रही है और उसने 13-8-80 को भी ऐसा ही किया । अपना शिविर लगाया था । उनकी पार्टी का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है । उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा करना है और सभी सम्प्रदायों के लोग अर्थात् हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाई इसके सदस्य हैं । इनकी पार्टी ने ईद वाले दिन टाउन हाल के मैदान में बड़े पैमाने पर ईद मिलन की व्यवस्था की थी । जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, अन्य अधिकारियों तथा जनता के सभी जाति के लोगों ने इसमें भाग लिया । इस अवसर पर एक सुरुचिपूर्ण कार्यक्रम की

व्यवस्था की जाती है । इसी प्रकारके कार्यक्रम की व्यवस्था होली के अवसर पर की जाती है । इन समारोहों की व्यवस्था करने का मुख्य प्रयोजन हिन्दुओं तथा मुसलमानों में मतभेदों को कम करके सौहार्द की भावना उत्पन्न करना तथा राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना है ।

13-8-1980 को भी उनकी पार्टी ने ईदगाह के सामने एक शिविर लगाया था । यह दक्षिण की ओर से पांचवा शिविर।कैम्प। था । पेय जल, प्राथमिक उपचार तथा खोये हुए बच्चों को उनके माता-पिता को वापस किये जाने की व्यवस्था की गई थी । नमाज पूरी होने के बाद मुसलमानों को मोहक पर मुबारकबाद दियाजाता है । उस दिन नमाज प्रातः 9बजे शुरु हो गई थी तथा नमाजी ईदगाह मैदान, सैंटल रोड, तथा अन्य समीपवर्ती । आस-पासकी । भूमि पर बड़ी संख्या में एकत्र हो गये थे और उन्होंने अपने जानमाज/ बिछा दिये थे । चूँकि जमाव बहुत ज्यादा था इसलिए वे एक दूसरे से सटकर कतारों में बैठे हुए थे और उनके बीच से होकर किसी व्यक्ति के लिए जाना संभव नहीं था । उनके अनुसार नमाज प्रातः 9-30 बजे समाप्त हुई तथा शहर इमाम ने खुतबा पढ़ना शुरु किया । उसी समय उत्तर की तरफ शोरगुल होने लगा और किसी को कहते सुना गया " एक जानवर घुस आया है और उसने नमाज नापाक कर दी है । लगभग 40 या 50 उत्तेजित मुसलमान दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे किन्तु ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश कीलेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और दक्षिण की तरफ बढ़ते रहे । अपर जिला मजिस्ट्रेट ।नगर। अपर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारी तुरंत ही वहाँ आ गये तथा अत्यंत नम्रता से यह कहकर उन्हें शांत करने की कोशिश की कि खुतबा पूरा हो जाने दीजिए तथा यदि कोई आपत्तिजनक घटना हुई है तो उसकी जांच की जायेगी तथा उसके जिम्मेदार व्यक्ति को दंडित किया जायेगा "। इस पर उत्तेजित मुसलमान और भी अधिक उग्र हो गये । उनके पीछे खड़े कुछ लोगों ने पथराव शुरु कर दिया । पुलिस बल के सदस्य एवं अधिकारी चोटें खाने लगे अपरन्तु अभी वे उन्हें शांत करने में लगे रहे । पुलिस नगर पालिका तथा अमन कमेटी के शिविरों पर और उस क्षेत्र में स्थित हिन्दुओं के घरों पर पथराव किया गया । नगरपालिका के प्रभारी अधिकारीगंभीर

चोटें आयीं तथा वह "गोली चलाओं, गोली चलाओं" चिल्लाते हुए गिर पड़े किन्तु ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक चिल्लाये "गोली मत चलाओं, गोली मत चलाओं"। उत्तेजित मुसलमानों द्वारा किए जा रहे xxxxxxx पथराव में तेजी आती गई और इसके साथ ही उन्होंने वे गोली भी चलाने लगे। जब ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारी तथा पुलिसबल के सदस्यों को चोटें लगी तो गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया। सबसे पहले पुलिस ने आंसूगैस के गोले दागे किन्तु इसका प्रभाव नहीं पड़ा। ईदगाह के दरवाजे के पास स्थित घरों से मुसलमान चाकू तथा अन्य हथियार ले आये तथा हिन्दुओं और पुलिसकर्मियों आदि पर हमला शुरु कर दिया। स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई और जब प्रशासन ने देखा कि दंगाई अत्यंत हिंसक एवं और हर एक को मारने पर आमादा हो गये हैं तो उन्होंने दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलवा दी। उसके फलस्वरूप, नमाजी xxxxxx भागने लगे तथा अनेक बूढ़े तथा बच्चे इस भगदड़ के शिकार हो गये। नगर के एक प्रमुख चिकित्सक डा० जे०एस० अग्रवाल और श्री हरिकृष्ण दास को, जो वहां थे, गंभीर चोटें आयीं। कई अन्य व्यक्ति भी घायल हुए जो कि अमन कमेटी के शिविर में थे।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा दो यातीन चक्र गोलियाँ चलाने तक वे अपने शिविर में रुके रहे। अपने शिविर में पड़ी वस्तुओं को इकट्ठा करने के बाद वह नजदीक के भवन के गोदाम में चले गये और उसके शटर को बंद कर लिया। शटर के साथ ही उस भवन पर भी काफी पथराव किया गया जिसमें लाला फूल कुमार तथा उनके परिवार के लोग रहते हैं। लगभग 40 या 50 xxxxxxxx व्यक्तियों ने जिनमें 20 या 25 xxxx मुसलमान थे इस गोदाम में शरण ली थी। उनमें से आठ या दस बुड्ढे लोग थे तथा शेष बच्चे थे। वहां वह लगभग दो घंटे तक रहे और उसके बाद बाहर निकले तथा रामपुर रोड से अपने घरों को चले गये। चूँकि आदर्शनगर कालोनी की टेलीफोन लाइनें काट दी गई थी वे अपने घरों को कोई सूचना नहीं दे सके। वह पुलिस स्टेशन कटघर पहुँचे तथा उन्हें पता चला कि दंगाइयों द्वारा पुलिस

चौकी गलशहीद को आग लगा दी गई xxx, है, एक हिन्दू कान्सटेबल को जला दिया गया है तथा शस्त्रों को लूट लिया गया है । घर जाते समय वह सिविल अस्पताल गये और घायलों को देखा । उस समय तक नगर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया था और स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी । राज्य के विरुद्ध यह एक खुला विद्रोह था ।

10 फरवरी, 1982 को श्री धर्मात्मासरन ने यह जिक्र करते हुए एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि श्री हरिकृष्ण दास अब जनता सेवक समाज, मुरादाबाद के अध्यक्ष नहीं है और इस संगठन की ओर से उन्हें लिखित बयान दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं था । श्री xxx हरिकृष्ण दास को नोटिस जारी करने और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद 7 अप्रैल, 1982 को मैंने इस आशय का एक आदेश पारित किया कि यह लिखित बयान व्यक्तिगत रूप से श्री हरिकृष्ण दासx की ओर से प्रस्तुत बयान माना जायेगा , न कि जनता सेवक समाज, मुरादाबाद की ओर से ।

मुरादाबाद के एडवोकेट श्री दयानन्द गुप्ताने यह आरोप लगाते हुए अपना लिखित बयान दाखिल किया है कि जब देश बाढ़ के प्रकोप से डगमगा रहा था और भिन्न-भिन्न राज्य प्रकोपी बाढ़ से निपटने के लिए सेनाओं का उपयोग कर रहे थे उस समय सामान्य रूप से मुसलमानों और खास तौर से जमायते इस्लामी, खाकसार पार्टी और मुस्लिम लीग द्वारा किए गये उग्र आघातों ने हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच राष्ट्रव्यापी सामंजस्य की गहरी नींद को झकझोर कर रख दिया । मुरादाबाद में यह प्रथा रही है कि, इलायची और मिष्ठान,इत्यादि भेंट करके मुसलमान भाइयों को हार्दिक बधाई देने के लिए सामाजिक एवं राजनैतिक संगठन जैसे जनता सेवक समाज, अमन कमेटी, कांग्रेस (ई) मुस्लिम लीग तथा अन्य संगठन ईदगाह मैदान पर अपने शिविर लगाते हैं । यहां तक कि मुरादाबाद की नगरपालिका भी यह शिष्टाचार निभाने में पीछे नहीं रहती । पीतल के इस नगर में हिन्दुओं की ओर से अतिथि -सत्कार, सहानुभूति और भ्रातृत्व की भावना पारंपरिक है । मित्रता और एकता का ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण हिन्दू सम्प्रदाय के किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो भंग ही किया जा सकता है और न उसे समाप्त ही किया जा सकता ।

xxxxxx

उन्होनें यह भी कहा कि उन कतिपय घटनाओं से जो 13अगस्त, 1980 से पहले घटित हुई थी यह पता चलेगा कि ईदगाह पर गड़बड़ी करने के लिए कौन उत्तरदायि हो सकता है । ईदगाह पर उस दिन जो घटना घटित हुईउसे मात्र एक अलग घटना नहीं माना जा सकता बल्कि पहले की घटनाओं से उसका गहरा संबंध था ।सबसे पहले उन्होनें मुरादाबाद के 33 निर्वाचन क्षेत्र (नगर) के चुनाव का उल्लेख किया है, जो 31 मई, 1980 को सम्पन्न हुआ था , जिसमें कांग्रेस (ई) के उम्मीदवार श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी ने जिला आर्य समाज के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डाक्टर हंसराज चोपड़ा तथा अन्य राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को बुरी तरह पराजित किया नगर के अधिकतर हिन्दुओं ने कांग्रेस (ई) के उम्मीदवार को मत दिया और अपने समर्थन का एक अपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया क्योंकि श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी 40,000 वोटों से विजयी हुए । नगर कांग्रेस अध्यक्ष, वरिष्ठ एडवोकेट तथा अत्यंत अनुभवी वृद्ध कांग्रेसी नेता श्री दयानन्द गुप्ताने अपने नियंत्रण के समस्त साधनों एवं शक्ति के साथ कांग्रेस (ई) के पक्ष में अभियान चलाया । यहां तक कि बाल्मीकियों ने भी अपना समर्थन श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी को दिया । दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने अपने अध्यक्ष, डा0 मोहम्मद शमीम अहमद खान को अपने उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था । उन्हें अपमानित एवं लज्जित होना पड़ा क्योंकि उनकी जमानत भी जब्त हो गई । हिन्दुओं ने कांग्रेस (ई) का समर्थन दृढ़ता से किया तथा सफलता प्राप्त करायी । इसलिए मुरादाबाद के हिन्दुओं को मुसलमानों के प्रति कोई मनमुटाव नहीं था जबकि मुस्लिम लीग हतोत्साह हो गई तथा मुसलमानों पर प्रभाव बनाने के लिए चिंतित थी । उसकी प्रतिष्ठा अत्यंत गिर गयी थी और इसके नेताओं ने विचार किया कि इसमें सुधार तभी हो सकता है जबकि उसमें साम्प्रदायिक भावनायें उभार दी जायें और एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई जिसमें भविष्य में मुसलमान मुस्लिम लीग को अपना समर्थन दे सकें ।

दूसरे स्थान पर उन्होनें कहा है कि दोनों सम्प्रदायों के मध्य

असंतोष का बीज पहले से ही रियाज नामक व्यक्ति द्वारा बो दिया गया था । उसने लज्जावती नामक एक बाल्मीकि लड़की का अपहरण कर लिया था, जो मुरादाबाद के चौमुखापुल पर कुमार बिल्डिंगस् के क्वाटरों के शौचालय साफ करती थी । उसके भाई संतोष सरन ने अपनी बहन के अपहरण तथा अनुचित रूप से बंद रखने के संबंध में रियाज और कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज करायी । पुलिस ने काफी कठिनाई से उसे बरामद किया तथा उसके अभिभावकों तक उसे वापस पहुँचाया । रियाज तथा उसके साथियों ने इसके बाद भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और वे उसे भगा ले जाना चाहते थे । इसलिए उसके अभिभावकों ने कुन्दरकी कस्बे के निकट के हाथीपुर चिट्टू गांव के एक लड़के से उसकी शादी तय कर दी । यह रियाज तथा उसके सहयोगियों के लिए कड़ुआ घूँट सिद्ध हुआ और उन्होंने इसे रोकने का निश्चय कर लिया । 24 जुलाई, 1980 को लगभग शाम के 5 बजे जब बारात लज्जावती के घर जा रही थी और इंदिरा चौक में एक मस्जिद के पास थी, रियाज तथा उसके सहयोगियों ने दूल्हे को बल पूर्वक रिक्शे से उड़ा ले जाने की कोशिश की । बारातियों पर हमला किया गया और बाद में सराय किशन लाल तथा पीरजादा के बाल्मीकि मोहल्लों पर धावा किया गया तथा कुछ घर गिरा दिये गये । बहुत से बाल्मीक गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में भर्ती किए गये । बनवारी नामक बाल्मीकि युवक की चोटों से मृत्यु हो गई । इस घटना से बाल्मीकियों की भावनाओं को आघात पहुँचा और उन्होंने मुसलमानों के घरों के शौचालय की सफाई करने के कार्य का पूरी तरह बहिष्कार करने का निश्चय किया । इससे मुसलमान और विशेष रूप से डा० शमीम अहमद खां, जो कि अपनी अच्छी छवि उभारना चाहते थे, क्रोधित हो गये ।

तीसरी बात यह भी कही जाती है कि बाल्मीकियों पर जुल्म करने के लिए कुछ मुसलमानों ने बाल्मीकियों के सुअर जहर देकर मार डाले और इसके बारे में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी ।

उसके बाद जावेद की घटना का जिक्र किया गया है । इस संबंध

में यह कहा गया है कि वह एक कुख्यात अपराधी था और डा0 शमीम अहमद खां उसके कट्टर सहयोगी थे । एक राहजनी के दौरान यह घायल हो गया था तथा थाने ले जाते समय चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । इससे डा0 शमीम अहमद खां नाराज हो गये । वह पुलिस को परेशान करने तथा उसे नसीहत सिखाने के मौके की तलाश में पहले से ही थे । अतः उन्होंने विरोध किया तथा जावेद के शव का जुलूस निकाला और एक न्यायिक जांच आरम्भ करवा दी ।

इस पृष्ठभूमि में 13 अगस्त, 1980 को ईद के शांति पूर्वक मनाये जाने के लिए पुलिस ने विशेष सतर्कता रखी थी । बाल्मीकियों से यह कहा गया कि वे अपने सुअरों को तीन दिन तक सुअरबाड़ों में बंद रखें । यह ऐसा कार्य है जिसका अनुकरण होली और ईद के अवसर पर हमेशा किया जाता रहा है । अतः ईदगाह क्षेत्र में किसी भी सुअर के घुसने की कोई संभावना नहीं थी । इसके अतिरिक्त, नमाजियों के बीच, जो किसी के भी घुसने का स्थाने छोड़े बिना एक दूसरे से सटकर बैठे थे, कोई भी सुअर घुस नहीं सकता था । यह सभी जानते हैं कि मुसलमानों द्वारा सुअर एक नापाक जानवर माना जाता है । यदि उस क्षेत्र में कोई सुअर दिखाई पड़ा होता तो उसे नमाजियों द्वारा खुद ही भगा दिया जाता । ईदगाह क्षेत्र में सुअरों का प्रवेश रोकने के लिए पुलिस ने विशेष प्रबंध किए थे ।

उन्होंने यह भी कहा है कि नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर लगभग 80,000 व्यक्ति आये थे । ईदगाह का सम्पूर्ण मैदान तथा इससे सटी हुई सम्पूर्णभूमि पूरी तरह भरी हुई थी । नमाजियों के बीच से किसी भी चीज के गुजरने की कोई जगह नहीं थी । प्रशासन ने ईदगाह के सामने उत्तर-दक्षिण जाने वाली सड़क को ही मार्ग बतौर रास्ते छोड़ा था । यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस अवसर पर बेलचे लिए हुए कुछ मुसलमान नमाज में शामिल नहीं हुए थे बल्कि खड़े ही रहे थे । नमाज खत्म होने तथा शाहर इमाम द्वारा खुतवा पढ़ना शुरु करने के तुरंत बाद कुछ नमाजी कांग्रेस (ई) शिविर में खड़े हो गये तथा उन्होंने शिविर छोड़ने के उद्देश्य से अपने जानमाज लपेटना शुरु कर दिया । उन्होंने उसमें से एक नमाजी से ऐसा करने का कारण पूछा और उन्हें

बताया " नमाज खत्म हो गई, जानवर आ गया" (नमाज दूषित हो गयी, क्योंकि एक जानवर घुस गया है)। आगे पूछे जाने पर कि जब वे नमाज पढ़ने में लीन थे तो सुअर के घुस आने का आभास कैसे हुआ, उन्होनें कोई उत्तर नहीं दिया और वह उस कान्सटेबल की तरफ दौड़े जो कि सड़क पर खड़ा था तथा उसे मारने पीटने लगे । यह कार्य उनका संकेत-शब्द मालूम पड़ता है क्योंकि मुसलमानों ने वहां तैनात पुलिस पर हमला बोल दिया । इन्सपेक्टर श्री बी०बी०लाल के खून बह रहा था । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजयनाथ सिंह ने नमाजियों को शांत करने की कोशिश की किन्तु वह व्यर्थ हुआ और वह उन्हें भी चोट लगी । नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी श्री डी०पी०सिंह को नमाजियों ने घसीटा तथा उन्हें मार डाला । भारी संख्या में पथराव किया जा रहा था तथा गोली चलने की सूचनायें भी मिल रही थीं । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक चोट खाकर गिर पड़े । कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनात सभी बल भौचक तथा आशंकित हो गया । पलक झपकते ही भयावह दृश्य घटने लगे । पुलिस पूरी तरह असहाय हो गई थी तथा उसने कायरता का कार्य किया क्योंकि वह श्री डी०पी०सिंह को, जो "बचाओ, बचाओ" चिल्ला रहे थे, बचा नहीं सकी । वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस नमाजियों के क्रोध से, जिन्होंने मुस्लिम लीगके शिविर को छोड़कर, जिसका आधे चांद वाला हरा झंडा तब भी लहरा रहा था, सभी शिविरों को गिरा दिया था, उन्हें बचाने का समस्त साहस खो चुकी थी । चूँकि वहां उस समय कुछ बूँदा-बांदी हो रही थी, इस लिए आंसू गैस के गोले नहीं दग पाये ।

उन्होंनें आगे कहा है कि उनके कुछ मित्रों ने उनसे वह जगह छोड़ देने के लिए कहा क्योंकि पुलिस का मनोबल डोल गया था तथा वह उनकी सुरक्षा कर पाने की स्थिति में नहीं थी । अतः उन्होंनें कुछ अन्य लोगो के साथ शिविर छोड़ दिया और कटघर पुलिस स्टेशन पहुँच गये जहां उन्होंनें कोतवाली से आया वायरलेस संदेश सुना जिसमें सशस्त्र कांस्टेबलों की सहायता मांगी गई थी । पुलिस चौकी गलशहीद को

तथाकथित रूप से नष्ट कर दिया गया तथा जला दिया गया था और पुलिस चौकी नागफनी का भी यही हाल हुआ था । कोतवाली को लगभग 25 हजार लोगों की भीड़ ने घेर रखा था । फिर भी उन्हें कड़ाधार थाना तुरंत छोड़ने को कहा गया । संभवतः पुलिस ने किसी स्थान पर पनाह लेली थी जिसका फल यह हुआ कि मुसलमानों ने आज़ादी से बर्बरता, लूट, आगजनी के कार्य किए तथा गोलियां चलाईं । बरवलां मुहल्ले में दस हिन्दू मार डाले गये । एक महिला जीवित जला दी गई थी और मुसलमान बिना कोई चोट खाये और बिना छुये हुए पूरी तरह निकल गये ।

उन्होनें यह भी कहा है कि यह दंगा मुसलमानों व्दारा पूर्व योजना का परिणाम था क्योंकि यह मेरठ, बरेली, रामपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद और दिल्ली में एकसाथ शुरु हुआ । इन जिलोंमें कहीं भी साम्प्रदायिक दंगा किसी हिन्दू व्दारा शुरु नहीं किया गया था । मुसलमानों के घरों से भारी मात्रा में हथियार बरामद होने से भी यह प्रकट होता है कि यह पूर्व योजना तथा अखिल इस्लामी आंदोलन के कारण हुआ जिसने उनके दिमाग पर असर डाला ।

श्री संतोष सरन, जो कि मुहल्ला मुरादाबाद के सराय किन लाल, जिसे लोग इंदिरा चौक के नाम से जानते हैं, के निवासी हैं, ने अपना लिखित बयान (खा-4) दाखिल किया है जिसमें उन्होनें कहा है कि श्रीमती लज्जावती, श्री झगड़ू बाल्मीकि (जिसकी मृत्यु बिना किसी पुत्र के लगभग पच्चीस वर्ष पूर्व हो गयी थी) की पुत्री है । श्री झगड़ू की विधवा श्रीमती ओमवती उसकी मां श्रीमती अशरफिया की सगी छोटी बहन है । श्री झगड़ू की मृत्यु के बाद श्रीमती ओमवती ने लगभग पन्द्रह या सोलह वर्ष पूर्व नैनीताल जिले के बाजपुर निवासी श्री चौनी से पुनर्विवाह कर लिया था तथा अब जलंधर में रह रही थी । श्रीमती ओमवती ने अपनी अल्पवयस्क पुत्री लज्जावती को श्रीमती अशरफिया के संरक्षण में छोड़ दिया था । अतः लज्जावती का पालन पोषण उसके पिता श्री रामचरन एवं मां श्रीमती अशरफिया व्दारा किया गया । 10 अप्रैल, 1980 को रामचरन की मृत्यु हो गई । श्रीमती अशरफिया सफाई कार्य में नगरपालिका की सेवा में है जबकि वह मुरादाबाद में उत्तरी रेलवे में कार्य कर रहा है ।

----57

उन्होंने यह भी कहा है कि अपने विवाह के पूर्व श्रीमती लज्जावती कई मुहल्लों में और खासतौर से चौमुखा पुल के मुहल्ले में घरों के शौचालयों की सफाई का कार्य किया करती थीं । चौमुखापुल के मुहल्ले में वह रामकिशोर बिल्डिंग के क्वार्टरों की सफाई किया करती थीं । वहाँ की एक बिल्डिंग में श्री राम किशोर तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र कुमार प्रेस नाम का एक प्रेस चला रहे हैं । उक्त प्रेस में पुत्तन का पुत्र श्री रियाज और गनेश रस्तोगी का पुत्र दीपक नियुक्त थे । 18 मार्च, 1980 को एक क्वार्टर साफ करने के लिए रियाज ने लज्जावती को बुलाया तथा इस बहाने उसे अंदर ले गया । लज्जावती को गलत तरीके से बंद रखा गया तथा कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया । जब वह वापस नहीं लौटी तो उसने उसी रात उसके लापता होने की एक रिपोर्ट दर्ज करायी । दूसरे दिन उसने कुछ लोगों के विरुद्ध अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करायी । लज्जावती को तलाश कर लिया गया और 16 अप्रैल, 1980 को उसे सौंप दिया गया । जब उसने अपने साथ घटित अप्रिय घटना कही फिर भी अपहर्ता उसके पीछे लगे रहे तथा उसके जान को काफी खतरा था । अतः मुरादाबाद जिले में कुंदरकी के निकट हाथीपुर चिट्टू गांव के एक रमेश से उसने उसकी शादी तय कर दी । शादी 24 जुलाई, 1980 को होनी थी तथा बारात श्री डोरीलाल बाल्मीकि के घर के पास तराय किशन लाल में ठहरी थी । बैंड बजाते हुए बारात के निकलने की अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट से ले ली गई थी । शाम के लगभग 6 बजे जब इंदिरा चौक में एक मस्जिद के पास से बारात गुजरी पूर्व रियाज तथा उसके साथियों ने जिनका जिक्र ऊपर किया जा चुका है दूल्हे को रिक्शे पर से जबरदस्ती घसीट लिया और उसे एक मुसलमान की दुकान पर उठा कर ले गये जिससे कि विवाह न हो सके । उन लोगों ने बारात पर लाठियों आदि से हमला किया और बहुत से व्यक्तियों को चोटें पहुँचायीं । पुलिस ने हस्तक्षेप किया परन्तु उसके भी कुछ लोग चुटैल हो गये । थोड़ी ही देर बाद मुहल्ले के मुसलमानों ने तराय किशन लाल तथा पीरजादा के बाल्मीकियों पर हमला कर दिया । बाल्मीकियों के घरों में आग लगा दी गई और बहुत से बाल्मीकि गंभीर रूप से घायल हुए तथा उन्हें अस्पताल ले जाया गया ।

बनवारी नामक एक व्यक्ति को चिकित्सा के लिए सरकार ने लखनऊ मेडिकल कालेज भेजा परन्तु डाक्टरों ने कहा कि उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं xxx है और उसे मुरादाबाद वापस ले आया गया जहाँ 18 मार्च, 1981 को उसकी मृत्यु हो गई ।

उन्होंने यह भी कहा है कि यह घटना रियाज के कहने पर हुई थी जो लज्जावती का अपहरण इस प्रकार xxxxx करना चाहता था जिससे कि उसका अपराधिक अभियोजन न हो सके । उसके रिश्तेदारों की सहायता से उसने काले नामक एक व्यक्ति की दूकान से रमेश को खोज लिया और उसी रात विवाह कार्य पूरा करा दिया । लज्जावती अपने पति के साथ हाथीपुर चिट्टू चली गई । इस घटना के बाद से पूरे वाल्मीकि सम्प्रदाय ने मुसलमानों के घरों के शौचालयों की सफाई करना बंद कर दिया जिससे वर्तमान कटु संबंधों को और भी कटु बना दिया और मुसलमानों ने वाल्मीकियों को भयभीत करना और भयानक परिणाम होने की धमकियां देना शुरु कर दिया । उन्हें कार्य करने पर विवश करने के लिए उन्होंने वाल्मीकियों के कई सुअरों को जहर दे दिया किन्तु वाल्मीकि नहीं झुके और उन्होंने इस संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज करा दी । अतः वाल्मीकियों से निपटने के लिए मुसलमान मौके की तलाश में रहे और वह ईद के दिन जबकि उनके घृणित कार्य में उनका साथ देने के लिए हजारों मुसलमान सहज ही मिल सकते थे, इसमें सफल हो गये ।

उसने यह भी कहा है कि ईद-उल फितर के तीन दिन पहले स्थानीय पुलिस ने सराय किशन लाल, एच०एस०बी० इंटर कालेज के पास वाला क्षेत्र, पुलिस चौकी गलशहीद तथा भूरा असालतपुरा का निरीक्षण किया था और वाल्मीकियों से कहा था कि ईद-उल फितर के दिन वे अपने सुअर अपने-अपने घरों में बंद रखें तथा उन्हें बाहर न निकलने दें । इसलिए सभी वाल्मीकियों ने 13 अगस्त, 1980 को कोई भी सुअर बाहर न जाने पाये इसके लिए खास सावधानी बरती थी । नमाजियों में सुअरों के घुसने की कहानी केवल वाल्मीकि समुदाय पर किये गये सामूहिक हमले से बचाव करने के लिए गढ़ी गई है ।

आखिर में उन्होंने कहा कि 13 अगस्त, 1980 को मुसलमानों ने सराय किशन लाल के xxxxxxxxxxxx भूरा का चौराहा, के वाल्मीकियों

घर तथा एच०एस०बी० कालेज के निकट रहने वाले वाल्मीकियों पर हमला किया था उन्होने मुन्ना उर्फ विनोद तथा ओम प्रकाश पुत्र छक्कम को मार डाला था । उन्होंने यह भी कहा है कि श्रीमती लज्जावती अपना लिखित बयान दाखिल कर नहीं सकी क्योंकि वह बीमार पड़ी थी ।

नागरिक परिषद, मुरादाबाद के अध्यक्ष श्री हरीश चन्द्र गुप्ता और उपाध्यक्ष श्री हंसराज भगत ने एक विस्तृत लिखित बयान (8/5) दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद शहर में हुए दंगे कोई एकाकी दंगे नहीं थे और उन्हें इस प्रकार से नहीं देखा जा सकता । शुरू-शुरू में उन्होंने उन निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों का हवाला दिया है जिनके फलस्वरूप 13 अगस्त, 1980 को ईदगाह में दंगा हुआ तथा उसी दिन शहर में और कई घटनायें घटी थीं:-

(क) मुसलमान बनाये जाने की भावना:

पिछले कई वर्षों से पूरे संसार में मुसलमान बनाये जाने की लहर फैल रही है न केवल भारत में ही बल्कि मिश्र तथा ईराक जैसे मुस्लिम देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है । इसी भावना से मलेशिया में हिन्दू मंदिर गिराये गये । नव भारत टाइम्स दिनांक 29 मई, 1979 का समाचार देखें, अनुलग्नक "ख" यहां तक कि गैर यहूदी तत्वों से ग्रसित हो जाने की आशंका से रूस सरकार ने भी खतरा महसूस किया है । यही दशा आज चीन की भी है । । इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 20-6-1979, अनुलग्नक "घ" । । भारत में भी मुसलमानों का एक ऐसा वर्ग है जो दृढ़ता पूर्वक विश्वास करता है कि वह इस्लामिक आन्दोलन जिसे "सम्पूर्ण इस्लामीकरण । पाक इस्लामिज्म। शब्द से जाना जाता है के अनिवार्य अंग है, तथा इसके प्रति उनकी निष्ठा पहले और देश के प्रति निष्ठा का प्रश्न बाद में आता है जिसमें वे रहते हैं । यह कथन यदा कदा मुस्लिम नेताओं के वक्तव्यों तथा उनके कार्यों से स्पष्ट होती है । जब केन्द्र में श्री मोरार जी देसाई की सरकार सत्ता में थी तब श्री एस०एम०खां ने दृढ़ता से यह बात कही थी कि यदि भारत सरकार मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती तो सरकार अरब देशों से तेल की एक बूंद भी नहीं पायेगी और तत्पश्चात् प्रधान मंत्री को

यह कहना पड़ा कि "मेरे ईश्वर क्या वे भारतीय हैं"। दक्षिण में कांग्रेस (ई) की सरकार के एक मंत्री श्री सी०एम० इब्राहीम द्वारा किए गये कार्य और उनके द्वारा अरब देशों की बार-बार की गई यात्राएं ऐसे सर्वविदित तथ्य हैं। मौलाना नदवी जैसे नेता इस्लामी देशों के साथ भाई चारा रखने में खुशी महसूस करते हैं और उन्हें अरब के राजाओं और नेताओं के साथ बैठने में तथा उनसे बराबरी की भावना से बात करने में गर्व अनुभव होता है। वह राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार नहीं है बल्कि पूरे इस्लामी मजहब (पान इस्लामिज्म) से अत्यन्त खुशी पाते हैं। भारत अरब देशों को जो अरबों डालर देता है उसे अरब देश भारतीय एकता की जड़ को ही उखाड़ फेंकने के लिए वित्तीय साधनों के रूप में लौटा देते हैं। उनके अनुसार लन्दन में स्थापित इस्लामी केन्द्र के माध्यम से भारत में मुसलमान धर्म चलाने तथा हरिजनों को मुसलमान बनाने के प्रयोजन के लिए अकेले कुवैत ने ही 4.2 अरब डालर की धनराशि विनियोजित की है। कुछ अन्य धनी अरब राष्ट्रों ने भी इस प्रयोजनार्थ धनराशि एकत्र की है।

(ख) भारत के अन्दर दूसरा पाकिस्तान कायम करना।

भारत में मुसलमानों के कुछ वर्ग अब भी इस देश पर शासन करने का सपना देख रहे हैं और इस प्रयोजन से इस देश के भीतर एक दूसरा पाकिस्तान कायम करना चाहते हैं। हैदराबाद में "हिन्दी हिन्दुस्तान" में छपे इश्तहारों में भारत में मुस्लिम स्वदेश की मांग की गई थी और दिनांक 15 जून, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक नक्शा बनाकर दूसरा पाकिस्तान कायम करने की योजना प्रकाशित की गई थी जिसमें भारत के मध्य मुसलमानों के उक्त स्वदेश के मांग के तौर पर इलाहाबाद, अलीगढ़, बदायूं, मुरादाबाद तथा सहारनपुर दिखाये गये थे। इससे उनका इरादा जाहिर होता है। इस योजना का नमूना दिनांक 2 सितम्बर, 1979 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के पृष्ठ 13 पर प्रकाशित मौलाना अतरुल कादरी के भाषण में मिलेगा जो निम्नलिखित है:-

"वह दिन दूर नहीं जब हम फिर इस देश पर शासन करेंगे। इस देश को स्वतंत्र होने के बाद हम लोगों का अस्तित्व मिटाने के बहुसंख्यक समुदाय सभी प्रयासों के बावजूद भी अल्लाह के शुक्र से हमारी आबादी जो विभाजन

के समय 8.5 करोड़ थी इसतमय बढ़कर 17 करोड़ हो गई है । यदि सरकार को इस बारे में कोई संदेह हो तो वह फिर से जनगणना करवा लें "।

(ग) इजतमा:

1979 में मुरादाबाद नगर की बाहरी सीमा पर "इजतमा" के नाम से एक मुस्लिम मजहबी मेला लगा था और यह अफवाह है कि उस मौके पर लगभग 100 हिन्दुओं का धार्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बनाया गया था । इसकी कार्यवाही अति गोपनीय रखी गई थी । पंडाल के भीतर स्थानीय गुप्तचर इकाई के किसी हिन्दू सदस्य अथवा पुलिस आधिकारिक को आने तथा सूचना प्राप्त करने के लिए नहीं जाने दिया गया था । यद्यपि तत्कालीन विधान सभा सदस्य श्री दिनेश रस्तोगी पर मेले के लिए जल तथा विद्युत आपूर्ति, सड़कों, यातायात तथा बसों की व्यवस्था आदि जैसी सुविधायें मुहैया कराने के लिए प्रशासन तथा नगरपालिका बोर्ड पर दबाव डालने के लिए कहा गया था । इस इजतमा में अरब देशों से आये हुए नेताओं तथा भारत के मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया था । इजतमा के मेले के बाद शीघ्र ही नगर मुरादाबाद के मुख्य निकासों पर मुस्तफाबाद, इस्लामनगर, रहमत नगर तथा हयात नगर नाम से चार बस्तियां बस गई । जिस जमीन पर इजतमा हुआ था वह एक मुस्लिम कालोनी बन गई । इसे कई मुस्लिम व्यवसायियों (जो निर्यातकर्ता हो सकते है) द्वारा अत्यधिक ऊँची दरों पर खरीद लिया गया, उसमें प्लाट बनाये गये और गरीब मुसलमानों को या तो मुफ्त या मामूली कीमत पर दे दिये गये । इस प्रयोजन के लिए दान संबंधी बिलों के बीजक बढ़ा-चढ़ा कर तैयार किया गया । यह एक जानी-मानी बात है कि अधिकांश अरब देशों में किसी मुस्लिम निर्यातक के अलावा कोई और भारतीय व्यापार नहीं कर सकता । मुरादाबाद के बारे में भी यही बात है जहां से अरब देशों को बड़े पैमाने पर ताँबे के बर्तन निर्यात किये जाते हैं । भारत में अरब से काफी दान आता है जिसका एक भाग मुरादाबाद में कट्टर मुसलमानों को दिया जाता है।

(घ) बाहर से मुसलमानों का आगमन:

13 अगस्त, 1980 से पूर्व लगभग तीस हजार अथवा इससे अधिक बंगला देशवासी (तथाकथित बिहारी) मुसलमान जो नागरिकहीन तथा बेराजगार थे मुरादाबाद लाये गये और उन्हें मुरादाबाद की उक्त मुस्लिम

बस्तियों में बसा दिया गया । विभाजन के समय मुरादाबाद की जनसंख्या में 52 प्रतिशत मुसलमान तथा 48 प्रतिशत हिन्दू थे । किन्तु विभाजन के बाद पाकिस्तान से शरणार्थियों के आगमन तथा मुरादाबाद से मुसलमानों के पाकिस्तान चले जाने के कारण यहाँ 48 प्रतिशत मुसलमान तथा 52 प्रतिशत हिन्दू हो गये । ये बिहारी अपने मुस्लिम अधिवासियों को किसी प्रयोजन के लिए सदैव उपलब्ध रहे हैं और इनकी सेवाओं का उपयोग दोनों समुदायों में बैर पैदा करने के लिए किया जाता रहा है । भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है ।इन मुसलमानों ने शहर में हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए समस्यायें पैदा कर दी है । विदेशों से मुसलमानों को मस्जिदों की मरम्मत करने तथा गरीब मुसलमानों की सहायता के लिए धन दिया जाता है । पटना में इस प्रयोजन के लिए एक शेखा ने 27 लाख रुपये दिये । जो मुस्लिम जमातें इस्लामीकरण में यकीन करती है वे इस उद्देश्य को पाने के लिए भरसक कोशिश कर रही हैं और यह साम्प्रदायिक दंगे कराये बिना संभव नहीं है । इसकी पुष्टि के लिए अनुलग्नक "ड.", जो इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की एक प्रति है, दाखिल किया गया है ।

ड.। मुसलमानों को संतुष्ट रखने की सरकार की नीति:

इस 35 वर्षों की सम्पूर्ण अवधि में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की नीति उन तथाकथित अल्पसंख्यकों को संतुष्ट रखने की ही रही है, जिससे कि भारत में मुसलमानों का एक अलग वर्ग ही बन गया है जिसे भारत में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के नेता वोट बैंक मानते हैं । मुसलमान चतुर हैं और वे भारतीय राजनीति की कमजोरी को समझ गये हैं और उन्होंने अपने अलग इस्लाम पंथ को अपनाते हुए अपनी हैसियत का लाभ वोट बैंक के रूप में उठाया है । परिणाम यह है कि हमारे समाज में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपना अलग अस्तित्व मानता है जो मुख्य भारतीय राष्ट्रीय जन धारा से

काफी दूर है । वह अपने ही मदरसों में पढ़ना, अपने सम्पूर्ण इस्लामवाद (वान इस्लामिज्म) के संसार में रहना पसंद करते हैं और इस पर गर्व करते हैं और अपने ही गाने गाना पसंद करते हैं । इस संबंध में श्री कलीमउद्दीन, उपाध्यक्ष, पश्चिम बंगाल का भाषण, जैसा कि दिनांक 13 जनवरी, 1978 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है, अनुलग्नक "च" के रूप में दाखिल किया गया है । उनका कहना है कि मुसलमानों को विशेषाधिकार दिये जाते हैं, चाहे वे इसके लिए मांग करें या न करें । परिणाम यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 35 वर्ष बाद भी जबकि हिन्दुओं की गैर यहूदी समूह के रूप में कोई पहचान नहीं बन सकी । मुसलमानों ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है । मुसलमानों के कुछ वर्ग आक्रामक हैं क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि उनका सरोकार ऐसी सरकार से है, जो मुसलमानों को तुष्ट करने की नीति अपना रही है । सभी राजनैतिक पार्टियाँ मुसलमानों से सम्पर्क स्थापित करती हैं तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए इसी प्रकार का व्यवहार करती हैं और उन्हें संतुष्ट रखने वाली इसी भाषा का उपयोग करती हैं । तथाकथित मुस्लिम अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करनेकी यह नीति पूरे जोर शोर से तथा बे रोक टोक चल रही है । इसके बावजूद वोट बैंक पार्टियों को पर्याप्त समर्थन नहीं देता है जब तक कि उम्मीदवार मुसलमान न हो । भारत में सरकार द्वारा मुसलमानों को संतुष्ट रखने की नीति का अनुपालन भिन्न-भिन्न तरीकों से किया जा रहा है जिनमें से विशेष रूप से निम्नलिखित हैं:-

(1) मुसलमान सरकार अथवा देश के खिलाफ कुछ भी कहें या करें किन्तु सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती । अनुलग्नक "क" तथा "च" के रूप में दिये गये भाषण इसके सबूत में दाखिल किये गये हैं ।

(2) खेल-कूद में मुसलमान अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पाकिस्तान की टीम के लिए हमेशा उसी की बड़ाई करते हैं और यदि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जीत जाता है तो वे उदास हो जाते हैं ।

(13) अभिसूचना इकाई के किसी व्यक्ति को अंदर न आने देने बगैर ही मुसलमानों को मस्जिदों में बैठकें करने की अनुमति दी जाती है । इन बैठकों में बेहिचक उत्तेजक और फूट डालने वाले भाषण दिये जाते हैं ।

(14) हिन्दुओं का इस्लाम में सामूहिक धर्मान्तरण किया जाता जो कि धर्म निरपेक्षवाद तथा लोकतंत्र की समाप्ति का कारण बन रहा है ।

(15) मुसलमानों को सभी मंचों से तथा प्रेस के माध्यम से परिवार नियोजन विरोधी प्रचार करने दिया जाता है ।

(16) बिहार तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में उर्दू द्वितीय राजभाषा कायम की गई है यद्यपि विभाजन के समय यह मामला पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था तथा समस्त अलगाववादी मांगें समाप्त कर दी गई थीं क्योंकि उन मुसलमानों ने जो कि अलग भूमि, अलग भाषा, अलग राष्ट्र तथा अलग रहने में विश्वास करते थे पाकिस्तान का विकल्प लिया था और जो मुसलमान इस देश में रहे उन्होंने समान मूल जनधारा, समान रहन-सहन, समान संहिता, समान भाषा तथा समान राष्ट्र का विकल्प लिया था । दुर्भाग्यवश प्रत्येक मौजूदा राजनैतिक पार्टी में अकर्मण्यता, व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत तथा राजनैतिक महत्वकांक्षाओं ने विभाजन से पहले वाले राजनैतिक मामलों को फिर से सजीव कर दिया है । इसके कारण दूसरे मुस्लिम स्वराष्ट्र की मांग की जाने लगी है जिसे रांची, जमशेदपुर, हैदराबाद, इलाहाबाद, सम्भल और मुरादाबाद में हिन्दू मुस्लिम दंगे कराये बिना पूरा नहीं किया जा सकता । इसके लिए देश की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के राजनैतिक नेता ही जिम्मेदार हैं । तुष्टीकरण की नीति केवल मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है और देश के हितों की पूरी तरह उपेक्षा की जाती है ।

(17) केन्द्रीय नेतागण भी अपने संसद सदस्यों को बिना किसी रोक टोक के इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी भाषण देने तथा कार्य

करने देते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है । दरअसल प्रत्येक xxx राजनैतिक पार्टी अल्पसंख्यकों की सहायता के नाम से मुस्लिम जनता को सुविधायें दिये जाने के संबंध में एक दूसरे से होड़ लगी रहती है और इसके फलस्वरूप साम्प्रदायिक दंगा होता है । साम्प्रदायिक दंगों की घटनायें अब बढ़ती जा रही हैं । एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात यह है कि साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित बिरले ही मामले न्यायालयों में जाते हैं और यदि किसी तरह ऐसा हो भी जाता है तो उन्हें सरकार द्वारा वापस ले लिया जाता है। 1978 में संभल में हुए दंगों से संबंधित बहुत मामले न्यायालय में भेजे गये थे किन्तु उनमें से अधिकांश मामलों को वापस ले लिया गया । इससे किसी भी पक्ष के साम्प्रदायिक तत्वों को दंगा करने के लिए और भी बढ़ावा मिलता है । नियम यह होना चाहिए कि यदि कोई मामला न्यायालय भेजा जाय तो उसका निपटारा उसी न्यायालय में होना चाहिए । यदि कार्यपालिका किसी अपराधी को बचाने का प्रयास करती है तो साम्प्रदायिक दंगे कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि अपराधी यह सोचेंगे कि राजनैतिक साधन उनके हाथ में है और यदि उन्हें पकड़ा गया तो वे अपने प्रभाव को आसानी से काम में ला सकते हैं और अपनी रिहाई करा लेंगे । इस प्रकार साम्प्रदायिक दंगे बिना रोकटोक होते रहेंगे ।

इसके बाद उन्होंने सरकार की उस नीति का जिक्र किया जिसकी वजह से सम्प्रदायिक तनाव बढ़ते हैं । यह कहा जाता है कि इसने पिछले 35 वर्षों में देश में साम्प्रदायिक तत्वों को बढ़ावा दिया है और केवल वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से उनमें हो रही वृद्धि को रोकने की कोशिश को गंभीरता से कभी नहीं की । वह राष्ट्रीय सिद्धान्त काहौवा जिसके कारण पाकिस्तान बना और 1947 में देश का विभाजन हुआ आज भी मौजूद है । दुर्भाग्य से हम लोग आज भी अलग-अलग उच्चस्तरीय हिन्दू अथवा मुस्लिम संस्थायें खोल कर वही सिद्धान्त अपनाते हैं भले ही उनमें साम्प्रदायिकता जहर क्यों न निकले । इसका परिणाम यह है कि इससे साम्प्रदायिक दंगे होते हैं और इसके शिकार

सदैव सबसे अधिक गरीब लोग ही होते हैं । इस प्रवृति को रोकने के लिए कोई व्यवहारिक कार्यवाही नहीं की गई है ।

(8) थोड़े समय के बीच ही अधिकारियों का स्थानान्तरण :

अधिकारियों का स्थानान्तरण चाहे वे पुलिस सेवा में हों या प्रशासनिक सेवा में, कुछ मुसलमानों द्वारा मांग किए जाने पर किया जा सकता है । नगर के हित को दृष्टिगत न रखते हुए नगर के मुसलमानों की इच्छा पर राज्य सरकार प्रत्येक मास में एक नये जिला मजिस्ट्रेट को तथा मास में दो बार एक नये ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर सकती है । मुरादाबाद में ही लगभग 12 महीनों में लगभग आठ जिला मजिस्ट्रेट तथा कई पुलिस अधीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया । यह सब नगर के कई मुस्लिम वर्गों की इच्छा से हुआ था । परिणाम यह हुआ है कि प्रशासन को अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुसलमानों) की दया पर छोड़ दिया गया है । कोई भी व्यक्ति या तो प्रशासन कर सकता है तथा शांति और व्यवस्था को बनाये रख सकता है या जनता के कतिपय वर्ग को संतुष्ट रख सकता है । दोनों कार्य साथ-साथ नहीं चल सकते । शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए । समाज के सभी वर्गों को न्यायालय की दया पर निर्भर होना चाहिए न कि अलग-अलग कौमों के कतिपय वर्गों की दया पर । मुरादाबाद में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री एस0बी0आर्य का स्थानान्तरण किया गया जबकि उन्हें उस जिले में आये 13 दिन ही हुए थे । पी0ए0सी0 को हटा लिया गया और नये जिला मजिस्ट्रेट तथा साथ ही नये ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तैनात कर दिये गये । इन दोनों ही व्यक्तियों को मुरादाबाद के इतिहास तथा उस स्थान की प्रकृति दशा आदि की कोई जानकारी नहीं थी । परिणाम यह हुआ कि अगस्त से नवम्बर, 1980 तक लगातार दंगे होते रहे । पी0ए0सी0, प्रशासन तथा पुलिस शांति और व्यवस्था बनाये रखने के माध्यम (एजेन्सी) हैं और यदि इन माध्यमों का उपयोग केवल कतिपय वर्गों (चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान) की इच्छाओं को पूरा करने में किया जाता है तो नगर में कभी भी शांति नहीं बनायी जा सकती है । उपर्युक्त प्रशासन कार्य के लिए उसे अपना दायित्व स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए और अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए । समाज के नेता

किसी भी अधिकारी की आलोचना कर सकते हैं परन्तु अधिकारियों को उनकी इच्छा पर स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिए । एक नया जिला मजिस्ट्रेट अथवा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को नगर की भौगोलिक स्थिति की शीघ्र ही जानकारी नहीं हो सकती है । शरारती लोगों को जानने और उनके कार्यों को नियंत्रित करने में समय लगता है । इसलिए अधिकारियों के शीघ्र स्थानान्तरण शांति और व्यवस्था बनाये रखने में अत्यधिक बाधक होते हैं । मुरादाबाद नगर में मुस्लिम बस्तियों में बहुत ही संकरी गलियां हैं । सीमा सुरक्षा बल तथा पी०ए०सी० ने भी उन बस्तियों में भाग ले तथा घरों की छतों से होने वाले हमलों के कारण उन बस्तियों में घुसने का साहस नहीं किया साथ ही निम्नलिखित तथ्यों से यह पता चलता है कि मुरादाबाद के कुछ थोड़े से मुसलमानों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सरकार अपने रास्ते से हट गई थी ।

श्री एस०पी०आर्य का स्थानान्तरण जिन्हें मुरादाबाद में 31 जुलाई, 1980 को तैनात किया गया था, उस समय किया गया जब शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उनकी सेवाओं की नितांत आवश्यकता थी । वे मुरादाबाद में केवल 13 दिन ही रहे । वहां 13 दिन रहने के दौरान वह शायद ही प्रशासन में अपने साथियों का विश्वास प्राप्त कर पाये होंगे और दंगाग्रस्त स्थानों की जानकारी प्राप्त कर पाये होंगे । उनका स्थानान्तरण उस समय करना किसी भी दशा में उचित नहीं था, जब साम्प्रदायिक दंगों की आग अपनी पराकाष्ठा पर थी । नये पदधारी श्री मधुकर गुप्ता मुश्किल से एक या दो दिन रहे होंगे कि कुछ मुस्लिम नेताओं तथा प्रभावशाली मुसलमानों ने यह कहना शुरु कर दिया कि उनकी जगह एक इसाई अधिकारी आने वाला है । इससे यह भलीभांति विचारा जा सकता है कि इन परिस्थितियों में जबकि साम्प्रदायिक दंगा पूरे जोर पर हो कोई भी अधिकारी अपना कार्य योग्यतापूर्वक एकाग्र होकर नहीं कर सकता । श्री ग्रेवाल मंत्रिमंडल सचिव (कैबिनेट सेक्रेटरी) तथा तत्कालीन गृह सचिव श्री बर्नी ने दंगे शुरु होने तथा पूरे जोर शोर पर होने के तुरंत बाद मुरादाबाद का दौरा किया था । मुरादाबाद के नागरिकों ने उनसे यह शिकायत की कि दंगों

पर काबू पाने के संबंध में एक अत्यधिक निरुत्साहित करने वाला कारण यह है कि जिलामजिस्ट्रेटों तथा ज्येष्ठ पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण जल्दी-जल्दी किया जाना । श्री ग्रेवाल ने यह आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा परन्तु एक साल पूरा होने के पहले नये जिला मजिस्ट्रेट और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों ही का स्थानान्तरण केवल इसलिए कर दिया गया क्योंकि स्थानीय विधान सभा सदस्य श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी सहित कुछ स्थानीय मुसलमान उनसे खुश नहीं थे । कुछ मुसलमान विधान सभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों ने अपनी पार्टी सम्बद्धता का विचार किए बिना अपनी ही लाबी बना ली थीऔर उन्होंने लखनऊ में सरकार पर प्रभाव डालने की कोशिश की ।

(च) इजेतमा के ठीक बाद मुसलमानों व्दारा किये गये एक नये कार्य ने मुरादाबाद के हिन्दुओं को हैरत में डाल दिया । मुसलमानों ने नगर की ओर जाने वाली दो मुख्य सड़कों - एक दिल्ली रोड तथा दूसरी रामपुर रोड पर मुसलमानों के लिए आवासीय विश्वविद्यालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया । वे बहुत जल्दी ही अर्थात् अगस्त, 1980 के पहले ही बनकर तैयार हो गये । तीसरी ओर अर्थात् छाजलट रोड पर एक यह बोर्ड लगाया गया जिसमें लिखा गया कि इस सड़क पर मुसलमान लड़कों के लिए एक छात्रावास बनाया जायेगा । इस कार्य पर काफी धन खर्च किया गया और मुरादाबाद के असावधान निवासी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सके कि यह धनराशि कहां से मिली। यह भारत के अथवा देश के इस भाग के, जिसमें एक ओर मुस्लिम स्वदेश के सिद्धान्त का प्रचार किया जा रहा है, इस्लामीकरण की ओर एक कदम था । इन सब बातों से स्थानीय हिन्दुओं के मन में तनाव उत्पन्न हो गया तथा मुसलमानों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई । दो आवासीय विश्वविद्यालय तथा एक छात्रावास की स्थापना इस आशय से की गई थी कि उनमें लगभग 50,000 युवकों के रहने की व्यवस्था की जासके । ~~जो मुरादाबाद में हिन्दुओं~~ तथा मुसलमानों के

~~जा सके~~ जो मुरादाबाद में हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच झगड़ा होने पर एक विशाल शक्ति के श्रोत के रूप में काम आ सके । एक स्थानीय विधान सभा सदस्य श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी ने, जिनका नाम मुस्लिम शिक्षा के देवबंद केन्द्र के प्रबंध मंडल की नामसूची (पैनल) में था और जो विधान सभा निर्वाचन में अधिकतर हिन्दू मतों के प्राप्त होने के कारण विजयी हुए थे, इन संस्थाओं के स्थापित करने में सक्रिय रूप से कार्य किया था । इस मामले में यह देखा गया कि नगर के मुसलमानों के कुछ वर्गों ने अत्यंत उत्तेजनापूर्ण तथा आक्रामक रवैया अपना लिया था ।

(घ) अगस्त, 1980 के साम्प्रदायिक दंगे का कारण मई, 1980 का निर्वाचन भी था । कांग्रेस (ई) ने अपने अभ्यर्थी (उम्मीदवार) के रूप में श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी को खड़ा किया था । नगर के अधिकतर मुसलमानों ने यह सोचा कि यदि डा० शमीम अहमद खां चुनाव में खड़े रहे तो मुस्लिम मत बंट जायेंगे और पहले की तरह हिन्दू अभ्यर्थी निर्वाचन में जीत जायेगा । अतः मुसलमानों के इस वर्ग ने श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी का समर्थन करने का निश्चय किया । परिणाम यह हुआ कि डा० शमीम अहमद खां चुनाव हार गये । निर्वाचन में उनकी हार के कारण उन्हें तथा उनके समर्थकों को अत्यधिक परेशानी हुई और उनका अपमान एक ऐसे अभ्यर्थी के हाथों हुआ जो उनके कथनानुसार आयु तथा शिक्षा की दृष्टि से उतना सुपात्र नहीं था जितना डा० शमीम अहमद खां थे । वर्ष 1977 से मुरादाबाद नगर में निर्वाचनों ने वहां की राजनीति को अत्यधिक धर्म निरपेक्षता का रूप दे दिया था । श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी हिन्दुओं तथा मुसलमानों के मिले जुले मतों के कारण नगर की विधान सभा सीट पर दो बार निर्वाचित हुए । श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी के निर्वाचन से मुस्लिम लीग तथा जमायत-ए-इस्लामी को भारी धक्का लगा और उनमेंसे अधिकतर लोग हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी की सफलता से बहुत ही उद्विग्न थे । निर्वाचन के बाद 1980 का ईदुल-फितर मुसलमानों का पहला त्योहार था और डा० शमीम अहमद खां ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए एक गंभीर मनःस्थिति में आये थे ।

x उसके बाद उन्होंने दंगापूर्व की निम्नलिखित घटनाओं xx xxxxx का हवाला दिया जिनका 13-8-1980 की घटनाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था:-

(क) मई, 1980 में विधान सभा निर्वाचन के दौरान कुछ मुसलमानों ने टाउन हाल में हंगामा मचाया और निम्नलिखित नारे लगाये :-

" पंजाबियों को भगायेंगें और नया असम बनायेंगें,
आधी रोटी खायेंगें, नया असम बनायेंगें ।"

उससे वह मैत्रीपूर्ण, शांतिपूर्ण तथा धर्म निरपेक्ष वातावरण जो वर्षों से चला आ रहा था दूषित हो गया । तथ्य यह है कि इस दशक के दौरान कुछ मामूली लोग पाकिस्तान से आकर मुरादाबाद में बसे गये और कठिन परिश्रम, बुद्धि तथा उद्योग के बल पर पीतल के बर्तनों आदि के बड़े व्यापारी, मुख्य निर्यातकर्ता बन गये । इससे नगर के पहले से ही भलीभांति जमे हुए मुस्लिम निर्यातकर्ताओं को भारी धक्का लगा क्योंकि पंजाबियों ने गैर-अरब देशों का सभी निर्यात उनके अधिकार से अपने अधिकार में ले लिया था । इससे मुस्लिम निर्यातकों में अत्यधिक ईर्ष्या आ गई और उन्होंने (मुसलमानों ने) उन्हें (पंजाबियों को) नगर से बाहर निकालने के लिए उपद्रव करने शुरु कर दिये ।

(ख) जून, 1980 मास में जावेद नामक एक मुसलमान, जिसने अपने युवागुट के साथ मुस्लिम सम्प्रदाय के कुछ वर्गों की सहायता की थी, बटमारी करते समय घायल हो गया था और थाने ले जाते समय रास्ते ही में मर गया था । वह एक गुंडा था । उसकी मृत्यु के बारे में अलग अलग विभिन्न विवरण हैं । मुरादाबाद के मुसलमानों ने कहा कि जावेद को पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ दिखाते हुए मारा था । इससे मुसलमानों के कुछ वर्ग पुलिस तथा प्रशासन के विरुद्ध क्रोधित हो गये । हिन्दुओं ने इस प्रचार का समर्थन नहीं किया । मुसलमानों के कुछ वर्गों ने उसकी (जावेद की) मृत्यु के पश्चात उसके शव को एक जुलूस में निकालकर उसे एक नायक (हीरो) बना दिया । डा० शमीम अहमद खां, उनके मित्रों तथा श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, विधान सभा सदस्य, ने एक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किए जाने की पहल की । नगर का वातावरण दूषित

हो गया था तथा मुसलमान अधिकाधिक आक्रामक हो गये थे । इसके परिणामस्वरूप विभिन्न मुस्लिम पार्टियां पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एक सामान्य मंच पर एकत्र हो गई थीं ।

(ग) इससे पूर्व एक और घटना घटित हुई जिसके कारण भी नगर का वातावरण दूषित हो गया था । संतोष सरन नामक एक गरीब हरिजन सराय किशन लाल में रहता है । कुछ मुसलमानों ने उसकी बहिन कुमारी लज्जावती का अपहरण कर लिया और उनके विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज करायी गई । लड़की को बरामद कर लिया गया तथा उसे उसके संबंधियों को सौंप दिया गया । जब पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी शुरु की तो हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी उनकी मदद के लिए आये तथा उस अवधि में कार्यवाही समाप्त कर देने के लिए प्रशासन पर जोर डाला । ये मामले समाप्त कर दिये गये । लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए उसके संबंधियों ने उसका विवाह तय कर दिया 24-7-1980 को विवाह का दिन आया । शाम लगभग 6 बजे जब विवाह का जुलूस उसके (लड़की के) घर की ओर जा रहा था और सराय किशन लाल में एक मस्जिद के पास से गुजरा तो अपहरण कांड के एक अभियुक्त रियाज तथा उसके साथियों ने बारात पर घातक हथियारों से हमला किया और दूल्हे तथा बरातियों को चोट पहुँचाई । उन्होंने बारात के बैंड को नुकसान पहुँचाया जो बज रहा था । लगभग एक बारह लोगों को चोटें आईं । बाल्मीकियों ने एक रिपोर्ट दर्ज करायी लेकिन श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी ने प्रशासन पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार न करने के लिए जोर डाला । एक स्थानीय मुस्लिम नेता के दबाव में आकर प्रशासन द्वारा इन सभी बड़े अपराधों को दबा दिये जाने के कारण नगर के मुसलमानों के कुछ वर्गों को साम्प्रदायिक गुंडागर्दी करने के लिए और अधिक बढ़ावा मिला ।

(घ) इसके तुरंत बाद मुसलमानों ने पीरजादा तथा सराय किशन लाल मोहल्ले में बाल्मीकियों के मकानों को नुकसान पहुँचाया तथा उनमें आग लगा दी । इन मोहल्लों में रहने वाले बेचारे हिन्दुओं को

भी नुकसान उठाना पड़ा । इसकी भी रिपोर्ट दर्ज करायी गई परन्तु मुस्लिम नेताओं ने शरारती लोगों को फिर बचा लिया । इससे उन मुसलमानों को और अधिक बढ़ावा मिला जो गड़बड़ी करने के लिए आमादा थे । उन्हें विश्वास हो गया कि प्रशासन में दम नहीं है और वे नगर में किसी भी स्थान पर कोई गड़गड़ी पैदा करने के लिए स्वच्छंद हैं ।

उस समय मुरादाबाद में एक संसद सदस्य तथा एक विधान सभा सदस्य मुसलमान थे । जिले का इतिहास यह रहा है कि बारह सीटों में तीन सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार जीतते थे परन्तु इस बार संसद सदस्य के अतिरिक्त दस सामान्य सीटों में से छः सीटों पर मुसलमान जीते । मुसलमानों की संख्या अधिक होने से वे जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिसअधीक्षक तथा प्रशासन के अन्य अधिकारियों पर प्रभाव डाल सकते थे । लखनऊ में इनका बोलबाला था जहां पार्टी सम्बद्धता के बावजूद अधिकतर मुसलमान सदस्य सामान्यतः एक दल (टीम) के रूप में कार्य करते हैं ।

13 अगस्त, 1980 की घटना

ईदगाह की भौगोलिक स्थिति के संबंध में उन्होंने कहा है कि वह मुरादाबाद नगर के दक्षिण पूर्व में नगर में स्थित है जहां हाल ही में कुछ आबादी हो गई है । इसके पूर्व में एक पक्की सड़क है जो संभल चौराहे से गलशहीद जाती है । सड़क के दूसरी ओर सिखों और हिन्दुओं के मकान हैं । यहआबादी आदर्शनगर तथा लाजपत नगर के नाम से जानी जाती है और उसमें लगभग 4,000 हिन्दू रहते हैं । ईदगाह पूर्वी दिशा में ईंटों की दीवार से घिरा हुआ है । घटना के समय इस दीवार में छुट्टा ईंटें लगी हुई थीं । ईदगाह के उत्तर की ओर मुसलमानों के एक मंजिला और दो मंजिला मकान हैं । उनमें से कुछ के दरवाजे ईदगाह मैदान में खुलते हैं । इन मकानों तथा ईदगाह के बीच में भूमि की एक छोटी सी पट्टी है जो पूर्व की ओर ईदगाह के मुख्य द्वार तक है और पश्चिम की ओर भूरा का चौराहा अथवा हरपाल नगर तक जाती है । इस मार्ग के बराबर में एक मस्जिद है ।

ईदगाह की दक्षिणी दिशा में एक कब्रिस्तान है और उसके बाद रामपुर-दिल्ली सड़क निकलती है ।

ऐसी परिपाटी रही है कि बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक तथा हिन्दू कार्यकर्ता ईद की नमाज के बाद मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह जाते हैं । ये हिन्दू उन शिविरों में इकट्ठे होते हैं जो ईदगाह के सामने वाली सड़क के पूर्वी ओर लगाये जाते हैं । 13-8-1980 को विभिन्न संगठनों व्दारा उस स्थान पर लगभग आठ शिविर लगाये गये थे । सबसे उत्तर की ओर का आवास विकास की पुलिस के पास का शिविर मुस्लिम लीग का था । इसके दक्षिण में जनता पार्टी, जन सेवक समाज, अमन कमेटी के शिविर तथा वे शिविर लगे थे जिनमें प्रशासन अधिकारी मौजूद थे । मुरादाबाद में यह प्रथा है कि नमाज पूरी होने के बाद हिन्दू लोग नमाजियों का उनके शिविर में स्वागत करते हैं, और उन्हें मुबारकबाद देते हैं तथा इलायची, सौंफ और अन्य खाने की वस्तुएं अर्पित करते हैं ।

यह कहा गया है कि 13-8-1980 को ईदगाह का मैदान नमाजियों से भरा हुआ था, जिनमें से अधिकतर नमाजी पंक्तियों में इतना सटकर बैठे थे कि किसी भी व्यक्ति के लिए उनके बीच से होकर जाना नामुमकिन था । उसी प्रकार ईदगाह मैदान के बाहर बहुत बड़ी संख्या में नमाजी सटकर बैठे हुए थे । इस वर्ष ईद की नमाज की एक खास बात यह भी कि बड़ी संख्या में मुस्लिम खाकसार अपनी खाकी वर्दी पहने हुए थे तथा बेलचे लिए हुए इधर उधर घूम रहे थे । ऐसे कुछ मुसलमान, जो अपने बच्चों को साथ लेकर आये थे, या तो ईदगाह मैदान में बैठ गये थे या उसके बाहर अहाते (कैम्पस) में बैठ गये । चूँकि सभी मुसलमानों को इस योजना के बारे में पता नहीं था कि कुछ गैर जिम्मेदार मुसलमान उपद्रव करने वाले हैं अतः वे अपने बच्चों के साथ आये थे । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमान प्रथा के अनुसार जमीन पर नमाज पढ़ते थे और मकान की छतों पर नहीं परन्तु उस दिन मकान की छतों पर कुछ मुसलमान ईदगाह की ओर देखते हुए नमाज पढ़ते हुए देखे गये । उन्हें दंगा शुरु होने पर नीचे रास्ते पर उतरते हुए भी देखा गया । इसके पीछे कुछ प्रयोजन था । ऐसा प्रतीत होता है कि

ईदगाह में सम्पूर्ण घटना के चल फोटो मकान की छतों से लिये गये थे जिन्हें पाकिस्तान में दूरदर्शन पर तथा कथितरूप से अगले दिन दिखाया गया था । इससे पता चलता है कि इस घटना में विदेशियों का हाथ था तथा मुसलमानों के कुछ वर्गों द्वारा इसे पूर्व नियोजित ढंग से किया गया था ।

यह भी कहा गया है कि ईद की नमाज शान्तिपूर्वक समाप्त हो गयी परन्तु जिस क्षण शाहर इमाम ने खुतबा पढ़ना शुरु किया उस समय कुछ नमाजी उठ खड़े हुये । गलशहीद सम्भल सड़क पर मुस्लिम लीग के शिविर (कैम्प) के पास कुछ शोरगुल होने लगा । लोग इस सम्बन्ध में पूछताछ करने लगे और किसी व्यक्ति ने बताया कि सड़क के उत्तरी भाग में एक जानवर है । वस्तुतः उस मोहल्ले में किसी भी स्थान पर कोई जानवर या सुअर नहीं था और न ही उस बड़ी भीड़ में से किसी भी व्यक्ति ने उस ओर संकेत ही किया । इससे ईदगाह के भीतर तथा बाहर के कुछ मुसलमान उत्तेजित हो गये और वे हिन्दुओं, पुलिस तथा पी०ए०सी० और अधिकारियों पर पथराव करने लगे । पथराव के लिये ईंटे ईदगाह की पूर्वी दीवार से तथा दूकानों (स्टालों) की भट्टी से निकाली गई थीं । इसके अतिरिक्त लोहे की जंजीरों, बल्लों, लाठियों, बेलचों, चाकुओं तथा आग्नेयास्त्रों का भी इस्तेमाल किया गया । अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री डी०पी०सिंह, जो नगर महापालिका मुरादाबाद के प्रभारी अधिकारी थे, गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा मार डाले गये । डा० जे०एस० अग्रवाल, एक सुख्यात डाक्टर तथा शान्ति समिति के संरक्षक भी गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा उन्हें उस स्थान से अलग कर दिया गया वे सौभाग्य से बच गये । कटघर के थानेदार श्री बी०बी० लाल को गम्भीर चोटें आयीं । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय नाथ सिंह के माथे पर ईंट का एक टुकड़ा लगा और खून बहने लगा । पुलिस बल के लोग अधिकारीगण तथा हिन्दु भी बड़ी संख्या में घायल हुये । उस मोहल्ले में के हिन्दुओं के मकानों को लक्ष्य बनाकर उन पर पथराव किया गया । इन मकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गये और ऐसा प्रतीत हुआ कि शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये कोई प्रशासन नहीं है । ईदगाह के ठीक सामने के स्वर्गीय फूल कुमार के मकान को सर्वाधिक सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा । इन मकानों की छतों पर ईंट-पत्थर के टुकड़ों का अम्बार लग गया था और उनके भवनों को भारी नुकसान पहुँचा ।

यह भी कहा गया है कि उत्तेजित मुसलमानों की सभा को अवैध घोषित कर दिया गया था और उन्हें यह आदेश दिये गये थे कि वे शान्तिपूर्वक तितरबितर हो जाये । इस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कुछ मुसलमानों ने अपना हमला तेज कर दिया । पुलिस ने अश्रुगैस के गोले छोड़े परन्तु उनका कोई असर नहीं पड़ा । इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिये लाठी चार्ज किया परन्तु उसका भी कोई असर नहीं हुआ और वे आक्रामक रूप से आगे बढ़ते रहे । इसी बीच मस्जिद के

स्थिति मुसलमानों के मकानों से गोली चलनी शुरु हो गयी । इससे बहुत से हिन्दु घायल हो गये जो व्यक्ति घायल हुये थे उनमें से प्रीतम सिंह भी था । हिन्दुओं के मकानों में रहने वालों ने सहायता के लिये चिल्लाना शुरु किया पुलिस को शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने तथा जान और माल की रक्षा करने के लिये फायरिंग करनी पड़ी । दंगाईयों को दबाने के लिये थोड़े थोड़े समय के अन्तर पर केवल कुछ चुक गोलियाँ ही चलाई गई । मुसलमानों ने हडबडा कर इधर उधर भागना शुरु कर दिया जिससे भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में बहुत से मुसलमान मर गये । इसकी पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों पर आती है क्योंकि यदि उन्होंने हमला शुरु न किया होता और अधिकारियों ,पुलिसजनों तथा हिन्दुओं की जानों को जोखिम में न डाला होता और उस समय शान्तिपूर्वक तितर-बितर हो जाते जब अश्रुगैस के गोले छोड़े गये थे या लाठी चार्ज किया गया था तो पुलिस को गोली चलाये जाने की कोई आवश्यकता न पड़ती । ऐसी भगदड़ के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाना कोई असामान्य बात नहीं है । ईदुल फितर से पूर्व दशहरे के अवसर पर रामलीला मैदान के पास भगदड़ में 21 बच्चों और प्रौढ़ हिन्दुओं की मृत्यु हुई थी । फिर भी यह उल्लेखनीय है कि ईदगाह में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से बहुत कम मुसलमान मरे थे । अधिकतर 1 मौतें। भगदड़ के कारण ही हुई थी ।

यह भी कहा गया है कि यह जननाश हिन्दु मुस्लिम दंगा नहीं कहा जा सकता है यह राज्य के विरुध मुसलमानों द्वारा किया गया विद्रोह था और बगावत थी तथा स्थानीय प्रशासन को जानबूझकर दी गई चुनौती थी । इसका कोई कारण ज्ञात नहीं है कि अधिकारियों को ही क्यों इस आक्रमण का लक्ष्य बनाया गया था तथा मारा गया । यह कहना गलत है कि अधिकारयों ने मुसलमानों पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी । इसके विपरीत उन्होंने शहर इमाम और अन्य प्रमुख मुसलमानों को माला पहनाने एवं नमाजियों को मिठाईयाँ और इलायची आदि पेश करने की व्यवस्था की थी । यह भी गलत है कि कोई तुअर नमाजियों की भीड़ में घुस आया था । कोई भी व्यक्ति यह बताने नहीं आया कि उसने तुअर देखा है या उसके कपड़े खराब हो गये है । उन्होंने ठीक ठीक वह जगह भी नहीं बताई जहाँ एक या कई तुअर देखे गये हो । उनके अपने ही कथनानुसार नमाजी एक दूसरे के बहुत करीब कतार में बैठे हुये थे तथा उनके बीच कोई खाली जगह नहीं थी यह बात विचार में नहीं आती है कि तुअर वहाँ कैसे घुसा । इसका कारण ज्ञात नहीं है कि यदि वहाँ कोई तुअर घुस भी आया था तो उसे पत्थर मारकर भगाया क्यों नहीं दिया गया । अतः नमाजियों के बीच तुअर के घुसने की कहानी दंगा करने के लिये बनाया गया कुचक्र मात्र है ।

अपने यह भी कहा गया है कि हिन्दुओं का तीज का त्योहार भी उसी दिन था। हिन्दुओं महिलायें प्रसन्न मुद्रा में थीं तथा त्योहार मनाने के लिये ईदगाह के सामने स्थित हिन्दुओं के मकान महिलाओं और बच्चों से भरे हुये थे। यदि पुलिस उन्हें बचाने के लिये न आई होती तो 4000 हिन्दुओं की आदर्शनगर की पूरी हिन्दु बस्ती समाप्त हो गई होती। नागरिक परिषद के कथनानुसार पुलिस कार्यवाही देरी से की गई थी। यदि यह कार्यवाही कुछ पहले ही की गई होती तो सम्भवतः श्री डी0पी0 सिंह को अपनी जान से हाथ न धोना पड़ता और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट तथा सर्वश्री प्रतीपीतम सिंह, सुरेश पाल सिंह, हरी किशन टण्डन, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, राकेश फोटोग्राफर तथा अन्य लोगों के चोटें न आती लगी होतीं और पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस बल के सदस्यों से उनके आग्नेयास्त्र इत्यादि न छीने गये होते।

तत्पश्चात उन्होंने इस वर्ष की ईद की एक और विशेषता का जिक्र किया है। कहा गया है कि मुसलमानों का एक वर्ग नमाज पढ़ने के लिये नमाजियों के झुंड में शामिल नहीं हुआ तथा निकट ही खड़ा रहा। यही लोग केलचा पार्टी के स्वयंसेवक थे जो खाकी वर्दी पहने थे तथा केलचे लिये हुये थे।

दूसरी बात यह है कि नगर के एक प्रमुख चिकित्सक डा0 जगमोहन मेहरोत्रा ने बड़ी संख्या में ऐसे मुसलमानों का जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, एच0एस0बी0 इण्टर कालेज के दूसरी तरफ की मस्जिद में जमाव देखा था। उन्होंने दिनांक 21 अगस्त, 1980 की अपनी रिपोर्ट में इन सभी तथ्यों का जिक्र किया है।

तीसरी बात यह है कि गल शहीद पुलिस चौकी पर भवन तथा वहाँ रखी वस्तुओं को आग लगाकर और हथियार तथा गोला बारुद सहित सभी वस्तुयें लूटकर मुसलमानों ने साक्षात नर्क का दृश्य उपस्थित कर दिया था। एक हिन्दु कान्स्टेबुल मार डाला गया था और एक दूसरा गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था। यह भी कहना महत्वपूर्ण है कि जब पुलिस चौकी गल शहीद पर हमला किया गया था लगभग उसी समय मुसलमानों की भीड़ ने पुलिस चौकी नागफनी पर भी हमला किया और हिन्दुओं तथा बाल्मीकियों के घरों में आग लगाई गई। इन दोनों पुलिस चौकियों के बीच की दूरी लगभग दो किलोमीटर है। इन सभी तथ्यों से एक यही अखण्डनीय निर्विरोध निष्कर्ष निकलेगा कि इस दंगे की योजना मुसलमानों ने पहले से की थी।

4 गोली चलाने की उपयुक्तता के सम्बन्ध में कहा गया है कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी दंगाईयों को तितर बितर करने के लिये सभी उपाय कर चुके थे। उन्होंने कई चेतावनियाँ दी थीं अश्रुगैस छोड़ी तथा लाठी चार्ज कराया। जब इन सभी कार्यवाहियों का कोई असर नहीं पड़ा और मुसलमानों ने गोली चलाना शुरु कर दिया जिसके फलस्वरूप जान और माल के लिये खतरा पैदा हो गया तो प्रशासन तथा पुलिस के पास सिर्फ गोली

चलवाने के अलावा और कोई चारा न था । इसे कई प्रक्रम में करने की सावधानी रखी गई थी और कम से कम गोलियाँ चलाई गई थी । यदि ऐसा न किया गया होता तो जानमाल की भारी क्षति हुई होती । ईदगाह पर तथा अन्य स्थानों पर भी अधिकतर मौतें भगदड़ के कारण हुई न कि गोली चलने से । जानमाल की सुरक्षा के लिये अन्तिम उपाय के रूप में पुलिस ने गोली चलाने का सहारा लिया । मुसलमानों ने मृतकों तथा घायलों की संख्या बहुत बढा चढाकर बताई है यह संख्या केवल अनुमान पर आधारित है तथा ऐसा सरकार से मुआवजा पाने के उद्देश्य से किया गया है क्योंकि जब मुआवजा दिया जाता है तब इस प्रकार बढा चढा कर आँकडे देना कोई असामान्य बात नहीं है । इन घटनाओं के सम्बन्ध में अनेक ऐसे मुसलमानों ने भी जिन्हें चोटें नहीं लगी झूठे आवेदन -पत्र देकर मुआवजा पा लिया किन्तु बाद में जब सच बात मालूम हुई तो इस धनराशि की वसूली के लिये कार्यवाही की गई । बढा चढाकर आकड़े सूचित करने की यह बात अरब देशों की सहानुभूति तथा धनराशि पाने के लिये भी की गई है । यह कहा गया है कि अनेक मुसलमान मौलवी देश से बाहर गये हुये थे और उन्होंने स्थिति निराशाजनक बताकर अरब देशों से धनराशि एकत्र की । ये धनराशियाँ आंशिक रूप से उनकी जेबों में चली गई तथा आशिंक रूप में सामूहिक धर्मान्तरण कराने और हथियार प्राप्त करने के लिये उपयोग में लाई गई । इसलिये यह तथ्य कि बडी संख्या में लोगों ने मुआवजा प्राप्त किया, मृत अथवा घायल व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करने के लिये उचित मानदण्ड नहीं हो सकता । सही निष्कर्ष विश्वसनीय सामग्री से ही प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिये आयोग को प्रशासन द्वारा उपलब्ध आकड़ों पर विश्वास करना होगा क्योंकि प्रशासन ने ही शवों का शव परीक्षण तथा घायलों की जाँच करवाई थी ।

श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, आशुलिपिक ने जो मुरादाबाद नगर में कटघर पुंचपेडा के निवासी है, एक लिखित बयान [ख/6] दाखिल किया है जिसमें कहा है कि 13 अगस्त, 1980 को वह अपने कारखाने के कार्य से पान का दरीबा बाजार जा रहे थे । जब वह गल शहीद पुलिस चौकी के निकट पहुँचे तो उन्होंने वहाँ लोगों को हड़बड़ी में इधर उधर भागते देखा । उन्होंने पुलिस चौकी में शरण ली । जब दंगाईयों ने उस पुलिस चौकी पर पथराव करना शुरु कर दिया और उसमें आग लगा दी तो वे पुलिस चौकी के बाहर के एक मकान में घुस गये । कुछ पुलिस अधिकारी भी वहाँ पहुँच गये । वे भवन के छत पर गये किन्तु भारी पथराव होने के कारण उन्हे नीचे आना पडा । वे सभी एक कमरे मे गये किन्तु दंगाईयों ने कमरे में आग लगा दी तथा उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, गोली भी चलना शुरु हो गयी । कॉस्टेबलों ने मकानों में रहने वाले पुलिस अधिकारियों के परिवारों को बचाने की कोशिश की उसके पैरों पर कई पत्थर लगें तथा वह एक चारपाई के पीछे बैठ गया । उस समय तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी और वह दंगाईयों को शान्त करता रहा ।

दंगाईयो ने कमरे के अन्दर मिट्टी के तेल से भरी बोतलें फेंकी और बरामदें में रखी बोरियों को मिट्टी के तेल से सराबोर करके आग लगा दी । पी0ए0सी0 के एक सब इन्सपेक्टर के सिर से खून बह रहा था उसी समय एक मुसलमान दंगाई वहाँ आया और उसने उस पर गोली चला दी लेकिन वह बाल बाल बच गये । उसके बाद कुछ पुलिस बल वहाँ पहुँचा और उसने उनकी रक्षा की । दंगाईयों ने उसकी सायकिल तथा कारखाने के कागजात छीन लिये तथा उसने 29 अगस्त 1980 को इसकी रिपोर्ट दर्ज करायी ।

श्रेणी "ग"
========

श्री अशोक कुमार मिश्र जिन्हे इसके बाद श्री मिश्र के रूप में कहा जायेगा, 8अप्रैल, 1980 से 30 दिसम्बर, 1980 तक मुरादाबाद के ज्येष्ठ सर्किल अफसर नगर (प्रथम) थे । इन्होंने अपना लिखित बयान (ग/1) दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद नगर में चार थाने है अर्थात कोतवाली, कटघर, मुगलपुरा तथा सिविललाईन । कोतवाली, कटघर तथा मुगलपुरा थानों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र साम्प्रदायिक रूप से संवेदनक्षेत्र है । इनमें से किसी एक क्षेत्र में होने वाली साम्प्रदायिक प्रकार की किसी भी गतिविधि या घटना का प्रभाव शेष क्षेत्रों मे भी तुरन्त पडता है । सर्किल आफिसर के रूप मे उन्हें थाना कोतवाली और कटघर थाने की देखरेख करने का दायित्व सौंपा गया था । उनके कथनानुसार ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वी0एन0 सिंह ने उनसे अपनी पहली मुलाकात में डा0 शमीम अहमद तथा अन्य लोगों से जो कोतवाली पुलिस के विरुध आन्दोलन कर रहे थे तथा दीवारों पर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारे लिखने में लगे थे कुशलतापूर्वक व्यवहार करने का निर्देश दिया । डा0 शमीम अहमद खाँ तथा अन्य लोग तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री पी0एम0 अग्रवाल और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वी0एन0 सिंह से भी मिल चुके थे इसलिये ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस सम्बन्ध में उनसे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था जो उन्हें 11 अप्रैल, 1980 को प्रस्तुत कर दी गयी थी । इस रिपोर्ट की एक प्रति उनके लिखित बयान के साथ संलग्न है ।

श्री मिश्र ने आगे कहा है कि मुरादाबाद में विधान सभा निर्वाचन 31 मई, 1980 को हुये थे । कुछ हिन्दुओं की उस रिपोर्ट के आधार पर जिसमें एक हिन्दु की गाय को चाकू से मारे जाने की घटना के लिये स्थानीय मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों को दोषी ठहराया गया था को 28 मई, 1980 को मुगलपुरा थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 429 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था । इससे क्षेत्र के बहुत से हिन्दु अत्याधिक क्रुद्ध थे । स्थिति को शान्त करने के लिये उन्होंने अथक प्रयास किये और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को शान्ति बनाये रखने के लिये राजी करने में सफल हुये । उन्होंने उन्हें शीघ्र जाँच पूरी करने का आश्वासन दिया । इस प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति लिखित बयान से संलग्न है ।

उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में खास मुकाबला उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग ~~लीग=कांग्रेस (ई)~~ के अध्यक्ष डा0 शमीम अहमद खां तथा कांग्रेस (ई) के श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी/दो उम्मीदवारों के बीच था। भारतीय जनता पार्टी के डा0 हन्सराज चोपड़ा भी एक प्रत्याशी थे। चुनाव अभियान तेज चल रहा था/तथा इस सम्बन्ध में सभी राजनैतिक दलों के प्रमुख नेता मुरादाबाद आये थे। मतदान 31 मई, 1980 को हुआ जिसमें टाउन हाल पर कुछ हिंसक घटनायें घटी। कुछ लोग घायल हो गये तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी काफी अधिक मतों से चुनाव जीत गये। डा0 शमीम अहमद खाँ बहुत कुंठित थे क्योंकि इसका अर्थ यह था कि मुसलमानों पर उनका नेतृत्व खत्म हो गया। डा0 शमीम अहमद खाँ ने अस्पताल में घायल व्यक्तियों से भेंट की थी तथा उन्होंने तथा उनके समर्थकों ने भी निर्वाचन के दौरान बुधा बाजार क्षेत्र मे हुई घटना पर अत्यन्त दुख प्रकट किया था। डा0 शमीम अहमद खाँ ने अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिये स्थिति का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की थी तथा प्रशासन और पुलिस की तीखी आलोचना की थी तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निराधार आरोप लगाकर प्रशासन और पुलिस के खिलाफ विरोध भड़काने की भी कोशिश की।

उन्होंने यह भी कहा कि 24 जुलाई, 1980 को जब बाल्मीकियों की एक बारात ईदिरा चौक के निकट सराय किशनलाल मोहल्ले में एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी तब बाल्मीकियों तथा कुछ मुसलमानों के बीच बैंड बजाये जाने के सबंध में कहा सुनी हो गयी थी। इसके परिणामस्वरूप वहाँ पथराव और लूटपाट की गई उन्होंने पुलिस बल की सहायता से स्थिति पर नियन्त्रण कर लिया किन्तु उनमे से बहुत से लोगों के जिनमें वह स्वंय भी हैं चोटे आयीं। इन घटनाओं के सम्बन्ध में एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज कराये गये थे तथा डा0 शमीम अहमद खाँ ने स्थानीय पुलिस पर जातीयता एंव साम्प्रदायिकता के आधार पर भेदभाव ~~लगाने~~ करने के अन्धाधुन्ध आरोप लगाकर जाँच पर प्रभाव डालने की बारबार कोशिश की।

इन्होंने आगे कहा कि 5/6 अगस्त, 1980 को रात में लगभग 11=00 बजे कटघर थाने के चक बेगमपुर गाँव की सीमा में गोटा गाँव के दूध बेचने वाले कुछ मुसलमानों को पाँच डकैतों ने लूट लिया था। पीड़ितों की चिल्लाहट सुनकर निकट के गाँववासी घटनास्थल को दौड़े पड़े और ~~उन्होंने~~ चार डकैतों को उन्होंने घायल करके पकड़ लिया। इनमें से एक व्यक्ति अर्थात जावेद ~~बेटा~~ पुत्र श्री नासिर खाँ, निवासी मोहल्ला गुईयाँ, थाना मुगलपुरा भी घायल हुआ था और उसकी चोटो के कारण उस समय मृत्यु हो गयी जब कि उसे ग्रामीणों द्वारा कटघर थाने ले जाया जा रहा था। थाने

पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया डा0 शमीम अहमद खाँ ने अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिये इस अवसर का भी तुरन्त लाभ उठाया तथा जावेद के शव को जलूस में ले जाने का निश्चय किया । उन्होंने लगभग छः हजार लोग इक्कट्ठे किये और प्रचार किया कि जावेद को पुलिस ने मार डाला । यह प्रचार पुलिस के विरुध उत्तेजना भडकाने तथा इस मौके पर साम्प्रदायिक बैर बैढाने के लिये किया गया । डा0 शमीम अहमद खाँ ने एक न्यायिक जाँच की पहल करायी ।

उन्होंने यह भी कहा कि नगर की संवेदनशीलता तथा डा0 शमीम अहमद खाँ और डा0 हामिद हुसैन उर्फ अज्जी के नेतृत्व में उनके खाकसार सहयोगियों के कार्यों को दृष्टिगत रखाते हुये शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने और ईद के त्योहार को शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिक सतर्कता पूर्वक प्रबन्ध किया गया था ।"

इसके बाद उन्होंने कटर शहीद के निवासी श्री हामिद हुसैन द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504/506 के अधीन दिनांक 12 अगस्त, 1980 को दर्ज करायी गयी रिपोर्ट का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उसके स्टाल पर कुछ मेहतरों ने चाय पी थी तथा जब उनसे इसका दाम माँगा गया तो उन्होंने धामकी दी कि इसके गम्भीर परिणाम होंगे । उन्होंने घटनास्थल की जाँच की तथा कुछ सम्भ्रान्त व्यक्तियों की सहायता से स्थिति को सम्भाला । इसी प्रकार की एक एक दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कटघर थाने पर 13 अगस्त, 1980 को दोपहर 1-30 बजे पर सराय किशन लाल मस्जिद के इमाम काजी फजलुल रहमान साहिब द्वारा सुरेश नाम का एक तथा अन्य मेहतरों के विरुध की गई थी । जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने 12 अगस्त, 1980 को रात पौने नौ बजे मस्जिद के सामने उन्हें गालियाँ दीं। जाँच करने पर उपर्युक्त दोनों रिपोर्टें गलत तथा जानबूझकर शरारत करने के इरादे से की गयी पाई गयीं । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री वी0एन0 सिंह को जाँच के परिणाम से अवगत करा दिया गया ।

उन्होंने आगे कहा है कि यद्यपि वहाँ कोई तनाव पैदा होने या हिन्सा शुरु होने की सम्भावना नहीं थी फिर भी सतर्कता की दृष्टि से ईदगाह और उसके आस पास के स्थानों पर पुलिस बल और अधिक बढा दिया गया था । इस मौके पर तैनात किये गये सम्पूर्ण बल की संख्या पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत अधिक थी । मजिस्ट्रेटो तथा राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को उनके विशिष्ट कर्तव्य निर्दिष्ट कर दिये गये थे । ईदगाह के पूर्वी और सड़क पार नगरपालिका का एक शामियाना लगा हुआ था । अमन कमेटी, जनता सेवक समाज तथा अन्य दलों के शिविर नगरपालिका के शामियाने के

उत्तर में लगे हुये थे । मुस्लिम लीग का शिविर जिसपर उसका झंडा लहरा रहा था, और शिविरों के उत्तर में लगा हुआ था । बेंतधारी दस्ते शस्त्र दस्ते तथा आँसू गैस दस्ते से युक्त एक अतिरिक्त आरक्षी बल नगरपालिका के शिविर के दक्षिण की ओर तैनात रखा गया था ।

उनका यह भी कहना है कि 13 अगस्त, 1980 को अपर नगर मजिस्ट्रेट, श्री आर0डी0 भारती के साथ वह सुबह लगभग 7-00 बजे ईदगाह पहुँचे तथा ईदगाह क्षेत्र और उस आ जाने वाली सड़कों की जाँच की । ड्यूटी पर तैनात लोगों को देखा क्षेत्र प्रभारीयों सेक्टर इंचार्जों से विचार विमर्श किया गया तथा उन्हें उचित निर्देश दिये गये । वे कटघर थाने के इन्सपेक्टर श्री वी0वी0लाल जो क्षेत्रप्रभारी भी थे, के साथ वापस आ गये इसी बीच अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0 दास तथा अपर जिला मजिस्ट्रेटनगर श्री आर0एस0 सिंह भी पहुँच गये । जिला मजिस्ट्रेट श्री एस0पी0 आर्य तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वी0एन0 सिंह वहाँ सुबह लगभग पौने नौ बजे पहुँचे । वाहनों को आदर्श नगर मोहल्ले की पुलिया के पास खड़ा कर दिया गया था । प्रातः लगभग 8-00 बजे से नमाजियों का आना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग के अध्यक्ष डा0 शमीम अहमद खाँ तथा डा0 हामिद हुसैन उर्फ अज्जी अन्य लोगों के साथ स्पष्टतया ऊपरी तौर से लोगो के बैठने की व्यवस्था करते हुये चल फिर रहे थे खाकसार अपनी वर्दियों में थे और अपने हाथों में बेलचे लिये हुये थे । वे डा0 हामिद हुसैन उर्फ डा0 अज्जी के भी साथ थे और उनके निदेशों से कार्य कर रहे थे । लगभग पचास से साठ हजार मुसलमान नमाज पढ़ने के लिये ईदगाह पर या इसके निकट जमा हो गये थे । ईदगाह को जाने वाली सभी सड़के नमाजियों से भरी हुई थी । नमाज सबेरे लगभग 9-00 बजे शुरु हुई और लगभग सवा नौ बजे समाप्त हो गयी । इसके तुरन्त बाद ही मुस्लिम लीग के शिविर की तरफ शोरगुल होने लगा । जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उनसे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0 दास, अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर श्री आर0एस0 सिंह से कुछ पुलिस बल के साथ उस स्थान पर पहुँचने तथा मामले का पता लगाने के लिये कहा । जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा जो चिल्ला रहे थे कि " जंगली सूअर आया हमारी नमाज खराब कर दी । इनसे भुगत लो " वहाँ कहीं भी कोई भी सूअर दिखाई नहीं पड़ा । उन्होंने उत्तेजित मुसलमानो को शान्त किया और वह अपने शिविर की तरफ वापस चल दिये और तभी उन पर पथराव होने लगा । भूरे का चौराहा तथा बरफखाना पर भी दंगा हुआ । उन्होंने उपद्रवी भीड़ को शान्त रहने तथा हिन्सा न करने के लिये लाउडस्पीकर पर बार बार चेतावनी दी किन्तु उसका कोई नतीजा न निकला । पुलिस बल तथा मजिस्ट्रेटों पर पथराव होता रहा

5

खाकसार " मारो, मारो" चिल्लाने लगे तथा भीड़ और भी उग्र हो गई । अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर श्री आर०एस० सिंह द्वारा ईद का जमाव अवैधानिक घोषित कर दिया गया तथा भीड को तितर बितर होने के आदेश दिये गये । श्री मिश्र के जीप का सामने का शीशा (विंड स्क्रीन) टूट गया था । तथा उनकी जीप पर लगा रेडियो -ट्रान्समीटर सेट और माईक क्षतिग्रस्त कर दिया गया था । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बी०एन० सिंह के आदेश देने पर आँसू गैस के गोले भी छोड़े गये । चूँकि उनका कोई प्रभाव नहीं पडा तथा हिन्सात्मक कार्यवाहियाँ बढती ही गई अतः लाठीचार्ज किया गया । इससे भी उग्र भीड को तितर बितर करने के सम्बन्ध में अपेक्षित सफलता नहीं मिली और पथराव तथा हिन्सात्मक कार्य काफी अधिक बढ गये । ईदगाह की चहारदीवारी से ईंट निकाल लिये गये और उनका पुलिस मजिस्ट्रेट तथा वहाँ एकत्रित उन अन्य शान्त नागरिकों पर जो नमाजियों को बधाई देने के लिये आये थे फेंके जाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया । भीड़ ने चाकूओं, बेलचों आग्नेयास्त्रों तथा डन्डों से पुलिस बल पर हमला कर दिया । अश्रुगैस बन्दूक छीन ली गई । उपद्रवी भीड़ द्वारा पुलिस कर्मियों अधिकारियों तथा सम्भ्रान्त नागरिकों को घेर लिया गया तथा जिला मजिस्ट्रेट श्री एस०पी० आर्या, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बी०एन० सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी०बी० दास, स्वयं श्री मिश्र तथा अनेक अन्य पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को चोटे लगी । नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी श्री डी०पी० सिंह वहाँ दिखाई नही दिये चूँकि वहाँ ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों की जानों को एकाएक गम्भीर खतरा पैदा हो गया था, जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर ने सम्पूर्ण स्थिति पर विचार विमर्श किया तथा गोली चलाये जाने का निश्चय किया । तदनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेटनगर श्री आर०एस० सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया । अपर पुलिस अधीक्षकश्री बी०बी० दास को पुलिस द्वारा गोली चलवाने का आदेश देने के बाद श्री बी०एन० सिंह को अस्पताल ले जाया गया । जैसे ही भीड़ के तितर बितर होने के संकेत दिखाई पड़े गोली चलाया जाना बन्द कर दिया गया । भीड़ ईदगाह के उत्तर तथा पश्चिम की गलियों से होकर भागी थी जिसके कारण भगदड मच गई थी । उसी समय यह खबर मिली कि गलशहीद पुलिस चौकी में भी आग लगा दी गयी है और भीड़ ने उस पर हमला कर दिया है । चूँकि कुछ पुलिस कर्मियों के परिवार उस पुलिस चौकी में रहते थे इस लिये श्री बी०बी० दास ने उनसे उस स्थान पर जाने के लिये कहा । वह अपने कर्मचारि वर्ग तथा जिसे उन्होंने रास्ते मे अपने साथ लिया था, वहाँ पहुँचे थे । पुलिस चौकी गलशहीद को जाने वाली सड़क को कई स्थानों पर लकड़ी के लट्ठों तथा ईंटों से बन्द कर दिया गया था । पुलिस चौकी के आस पास के टेलीफोन के तार काट दिये गये थे । चार हजार व्यक्तियों की उग्र भीड ने उन्हें आगे बढने से रोक दिया । वे किसी प्रकार पुलिस चौकी गल शहीद पहुँच गये थे ।

भालों, लाठियों, बेलचों तथा चाकूओं आदि से लैस लगभग चार हजार व्यक्तियों की उपद्रवी भीड़ ने रुक रुककर गोली चलायी थी और पथराव किया था । आस पास के मकानों की छतों से भी गोलियाँ चलते देखी गयीं । पुलिस चौकी में उन दंगाईयों द्वारा आग लगा दी गई थी जो मजहबी जोश में "पुलिस वाले बचने न पाये" चिल्ला रहे थे । यह देखकर कि पुलिस कर्मियों तथा उनके परिवार की जान-माल खतरे में है, वह पुलिस बल के साथ आगे आये थे और दंगाईयों को तितर बितर हो जाने की चेतावनी दी किन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ । इस पर उन्होंने अपने तमंचे से दो चक्र गोलियाँ चलायी परन्तु उसका भी कोई असर नहीं पड़ा और दंगाई कासों अपने में लगे रहे ऐसी स्थिति में उनके आदेश पर पी०ए०सी० कर्मियों ने अपने रायफल से आठ चक्र गोलियाँ चलाई थी । दंगाई तितर बितर होने लगे और वह अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ गल शहीद पुलिस चौकी के अन्दर जाने में सफल हो गये तथा उन्होंने पुलिस कर्मियों, उनके परिवार के सदस्यों तथा उन लोगों को जिन्होंने वहाँ शरण ली थी, बचा लिया । छतों से रुक रुक कर गोलियाँ चल रही थी । अतः कुछ पुलिस बल पास पड़ोस के मकानों की छतों पर भेजा गया जहाँ से उसने गोलियाँ चलायी और दंगाईयों को गोली चलाने से रोका वहाँ से लौटने पर पुलिस बल ने उन्हें उनसे कहा कि उन्होंने छत से तीन चक्र गोलियाँ चलाई थी । शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये वहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया और घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजा गया । आग बुझाने के लिये अग्निशमन दल बुलाये गये थे । इन घटनाओं में कांस्टेबिल परसादी सिंह को दंगाई घसीट कर ले गये थे और उन्होंने उसे जिन्दा जला दिया । श्री मिश्र के पेशकार ब्रहमशंकर कांस्टेबुल राज सिंह, मदनपाल, ड्राइवर दरबान सिंह, सब इन्सपेक्टर श्री बी०पी०त्रिपाठी प्लाटून कमान्डर नारायण सिंह, लान्सनायक किशन शर्मा तथा हवलदार बी०डी० त्यागी के चोटे लगी थी । परसादी सिंह की शव परीक्षा रिपोर्ट की प्रति तथा घायलों की चोट सम्बन्धी रिपोर्ट और इसके बारे में दर्ज की गई रिपोर्ट की प्रति लिखित बयान के साथ दाखिल की गई हैं ।

उनका यह भी कहना है कि श्री आर०एस० सिंह के आदेश से उसी दिन प्रातः साढ़े दस बजे करफ्यू लगाया गया था । सिविल लाईन क्षेत्र को छोड़कर करफ्यू पूरे नगर में लगाया गया था और इसकी घोषणा यथाविधि कर दी गई थी । मुरादाबाद दंगा योजना के अनुसार नगर का विभाजन नौ क्षेत्रों में किया गया था और मजिस्ट्रेटों द्वारा पुलिस बल के साथ राजपत्रित पुलिस अधिकारीयों सहित जोरदार गश्त की गई थी । शवों की जाँच पड़ताल करने के प्रबन्ध किये गये थे । घायल व्यक्तियों को

चिकित्सीय सहायता के लिये तुरन्त अस्पताल ले जाया गया था और अधिकारियों की देखरेख में संवेदनशील तथा अनुकूल स्थानों की रक्षा करने के लिये पुलिसजनों को तैनात करने के लिये की व्यवस्था की गयी थी । घटनाओं के दृश्य लेने और मृत तथा घायल व्यक्तियों के चित्र खींचने के लिये कार्यवाही की गयी थी ।

उन्होंने आगे यह भी कहा है कि बरेली मण्डलायुक्त श्री एच0एस0शर्मा और बरेली रेन्ज के पुलिस उप महानीरीक्षक श्री प्रकाश सिंह उसी दिन सायँ 3-35 पर कोतवाली पहुँचे थे और उन्होंने प्रबन्धों के बारे में चर्चा की थी । उनके कथनानुसार ईदगाह में हुई घटना के तरीके और जो बाद में मुसलमानों से भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद बरामद हुआ और मुसलमानों के शिविरों में जो तोड़ फोड़ की गयी उससे केवल यह स्पष्ट हो जाता है कि ईदगाह की घटना मुसलमानों के कतिपय वर्ग द्वारा बनायी गयी गोपनीय पूर्वयोजना का परिणाम थी ।

श्री एस0पी0 आर्य, आई0ए0 एस0 घटना के दिनांक को मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट थे । उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद साम्प्रदायिक रूप से अति संवेदनशील जिला है तथा इस जिले के लगभग दो दर्जन गाँवों अथवा कस्बों में मन्दिरों या मस्जिदों के निर्माण को लेकर अशान्ति थी । मुरादाबाद, सम्भल तथा अमरोहा शहर में पहले भी साम्प्रदायिक दंगों होते रहे है । जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के रूप में अपने थोड़े समय वहाँ रहने की अवधि के दौरान उन्होंने कई अतिसंवेदनशील स्थानों अर्थात सम्भल, बिल्लारी, चन्दौसी, बहजोई, अमरोहा और ठाकुरद्वारा का अलग अलग दिनांक पर दौरा किया और राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों से स्थानीय शान्ति और व्यवस्था की समस्याओं के बारे में चर्चा की और उन्हें समुचित सुझाव दिये तथा अनुदेश जारी किये । उन्होंने यह भी कहा कि 24 जुलाई, 1980 को एक हरिजन लड़की के विवाह के मौके पर मस्जिद के पास बैण्ड बजाने के सम्बन्ध में मुरादाबाद नगर के सराय किशनलाल में एक घटना हुई थी । कतिपय असामाजिक तत्वों ने हिन्सात्मक कार्य किये और कुछ व्यक्तियों को चोटें लगी जिनमें पुलिस जन भी थे । उन्होंने 7 अगस्त, 1980 को बस्ती का दौरा किया तथा दोनों समुदायों के सदस्यों से बातचीत की और वे इस बात से संतुष्ट हो गये थे कि तथाकथित घटना के कारण किसी साम्प्रदायिक दंगे की आशंका नहीं है फिर भी यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि ईद-उल-फितर शान्तिपूर्ण ढंग से मनाया जाये उन्होंने अपर नगर मजिस्ट्रेट श्री आर0डी0 भारतीय तथा अपर जिलामजिस्ट्रेट (नगर) श्री आर0एस0 सिंह को शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने तथा हाल में हुई घटना के कारण अथवा अन्य कारणों से किसी प्रकार का तनाव होने के बारे में सूचना एकत्र करने का निदेश दिया था श्री भारतीय ने 11 अगस्त, 1980 को नगर की विशेष रूप से सराय किशन लाल, पीरजादा तथा इन्दिरा चौक की गश्त लगायी थी

और उनसे कहा गया कि नगर की स्थिति पूरी तरह सामान्य तथा शान्त है और वहाँ किसी प्रकार के तनाव की खबर नहीं है थी ।

बाद में उन्होंने ईद की नमाज के सम्बन्ध में की गई बैठकों तथा इस सम्बन्ध में जो प्रबन्ध किये गये थे उनका जिक्र किया है वह 11 अगस्त, 1980 को ईदगाह गये और उन्होंने प्रबन्धों के बारे में प्रभारी अधिकारी नगर पालिका श्री डी0पी0 सिंह तथा अन्य लोगों से फिर से चर्चा की । नगर तथा जिले के अन्य भागों की शान्ति और व्यवस्था की स्थिति के बारे में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी विचार विमर्श किया गया और उन्हें श्री सिंह ने बताया कि सभी अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस तैनात कर दिया गया और उनसे यह अपेक्षा की गयी कि वे 13 अगस्त, 1980 को प्रातः 9 बजे से पहले ईदगाह पर पहुच जाये क्योकि ईद की नमाज प्रातः 9 बजे से शुरु होनी थी । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा उनके पूर्वाधिकारी द्वारा 7 जुलाई, 1980 को पहले से ही जारी कर दी गई थी । तत्पश्चात उन्होंने अपने द्वारा किये गये अन्य पूर्वोपायों तथा प्रबन्धों का हवाला दिया है । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वी0एन0 सिंह ने भिन्न भिन्न स्थानों पर पुलिस तैनाती के बारे में सूचित किया था और यह कि तैनाती करते समय इन्दिरा चौक, मकबरा रोड, गलशहीद, सराय किशन लाल, तथा मोहल्ला पीरजादा का ध्यान विशेष रूप से रखा गया था । सभी सड़कें साफ कर दी गयी थी । ईदगाह में कीचड़ वाले क्षेत्रों को सूखी मिट्टी से ढक दिया गया था । नमाजियों की सुविधा के लिये चूना डालकर लकीरे खीची गयी थी। ईदगाह के दक्षिणी फाटक के पास नाले के ऊपर एक सीमिन्ट का पुल बनाया गया था ।

उन्हें बताया गया कि पिछली परिपाटी के अनुसार शाहर इमाम नमाज समाप्त होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास आयेगें और वे शाहर इमाम को वे माला पहनायेगे । बधाई देने के बाद शाहर इमाम उन्हें पान इलाइची तथा सौफ पेश करेगें । अतएव, उन्होंने इसकी व्यवस्था करायी थी ।

इसके बाद उन्होंने कहा है कि 13 अगस्त, 1980 को प्रातः8-30 बजे वह ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ अपने निवास से चल दिये थे और रास्ते में की गई व्यवस्था की जाँच करने के बाद प्रातः लगभग पौने नौ बजे वे ईदगाह पर लगे नगरमहापालिका के शिविर में पहुँचे थे जहाँ उन्हें अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री आर0एस0 सिंह तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0 दास द्वारा सूचित किया गया कि सम्पूर्ण प्रबन्ध किये जा चुके हैं। श्रध्दालू मुसलमान भिन्न भिन्न भागों से आये हुये थे । खाकसार अपने हाथों में बेलचे लिये मौजूद थे । ईदगाह के अन्दर तथा बाहर सड़कों आदि पर लगभग 50-60 हजार लोग इक्कठे थे । ईद की नमाज प्रातः नौ बजे प्रारम्भ हुई थी और लगभग

सवा नौ बजे समाप्त हुई । उसी समय मुस्लिम लीग के शिविर की ओर कुछ शोर-गुल होने लगा था ।उससे तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से किसी ने आकर कहा कि उस ओर के कुछ व्यक्ति यह कह रहे है कि "जंगली धुस आया हमारी नमाज खराब कर दी-इनसे भागत लो" इस सम्बन्ध में अपर जिला मजिस्ट्रेट ।नगर।श्री आर0एस0 सिंह तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0 दास और सी0ओ0।नगर प्रथम। श्री ए0के0 मिश्रा को कुछ पुलिस बल के साथ वहाँ भेजा गया । उन्होने लौटने पर उनसे कहा कि उन्हें उस क्षेत्र मे कोई सुअर नहीं दिखाई पड़ा और उत्तेजित मुसलमानों को शान्त करने के प्रयासों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । जब वे वापस आ रहे थे तो उत्तेजित मुसलमानों ने पथराव करना शुरु कर दिया था । साथ ही साथ भूरे का चौराहा तथा बरफ खाना रोड़ पर दंगे शुरु होने की सूचना मिली । भीड़ को शान्त रहने तथा हिन्सा न करने के लिये कहा गया किन्तु यह व्यर्थ रहा । कुछ और नमाजियों ने भी मुस्लिम लीग के शिविर को छोड़ कर नगरपालिका तथा अन्य संगठनों के शिविरों पर पथराव करना शुरु कर दिया खाकसार "मारों मारो" का शोर तथा हाथापाई करने लगे । कुछ नमाजियों भी पुलिस बल अधिकारियों और नागरिकों पर किये गये हमले में साथ देने लगे उनमें से कुछ ने जो ईद गाह के अन्दर थे ईदगाह की दीवार तथा दुकानों की भाटियों से ईटों के टुकडे निकाल निकाल कर फेंकना शुरु कर दिया ।

इसके बाद उन्होने दी गई चेतावनियों, अश्रुगैस के गोले छोडे जाने तथा लाठी चार्ज किये जाने के बारे में बताया है कि । किन्तु भीड़ ने अपने आक्रमण को तेज कर दिया और जानमाल का खतरा सामने पैदा हो गया । उन्हें तथा सर्वश्री डी0पी0 सिंह, वी0एन0 सिंह और अन्य लोगों को चोटें लगीं। दंगाईयों की भीड़ ने गोली चलाना भी शुरु कर दिया था । अन्तिम उपाय के रूप में उन्होने जानमाल की भारी हानि को बचाने के लिये गोली चलवाई। नमाजी हड़बड़ी में ईधर उधर भागने लगे थे और वहाँ भारी भगदड मच गई जिसमें कई वृद्धों तथा बच्चों की मृत्यु हो गयी भीड के तितर बितर हो जाने के बाद उन्होने अपर जिला मजिस्ट्रेट ।नगर। तथा डिप्टी कलेक्टर श्री के0एल0 अग्रवाल को घायल व्यक्तियो को अस्पताल भेजने तथा शवों की देखभाल करने के अनुदेश दिये गये थे । अपर जिला मजिस्ट्रेट ।नगर। से यह भी कहा गया कि वे नगर का दौरा करें तथा शान्ति और व्यवस्था को सुनिश्चित करें और शवों की अन्तिम क्रिया की व्यवस्था करें । सिविल लाईन के क्षेत्र को छोड़ कर नगर में प्रात: साढे दस बजे से करफ्यू लगा दिया गया था । आयुक्त बरेली मण्डल तथा सचिव ।गृह। उत्तर प्रदेश शासन को स्थिति से अवगत कराया गया और अतिरिक्त बल तुरन्त भेजने का अनुरोध किया गया था । कार्यवालिका मजिस्ट्रेटों से कहा गया कि वे कोतवाली पहुचें और उप महानिरीक्षक, पी0ए0सी0 तथा उप महानिरीक्षक ।पी0एण्ड टी। से अनुरोध किया गया कि वे अपने उपलब्ध

बल को अविलम्ब कोतवाली भेजें व्यवस्थाओं के समन्वय के लिये कोतवाली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया और मुरादाबाद में हुए दंगों से निपटने की योजना के अनुसार नगर को नौ सेक्टरों में बाँटा गया और क्षेत्र की गश्त करने के लिये तथा नगर में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रत्येक सेक्टर में राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के साथ साथ मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया। इस आदेश की प्रति लिखित बयान के साथ भी नत्थी की गयी है।

उनके कथनानुसार घटनायें मुख्यालय तथा ईदगाह, बरफखाना, पुलिस चौकी गलशहीद, पुलिस चौकी फैजगंज, चौराहा तहसील स्कूल, चौकी नागफनी, मोहल्ला नवाबपुरा मोहल्ला किसरौल, कोतवाली तथा गंज बाजार में हुई थी इन घटनाओं में कुल मिलाकर 84 व्यक्तियों की मौते हुई। इनमें कान्सटेबल सर्वश्री धीरेन्द्र सिंह, मगनानन्द, हरीदत्त पन्त तथा परशादी सिंह और डी०पी० सिंह प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, मुरादाबाद हैं। 46 अन्य लोक सेवकों और 66 सामान्यजनों के चोटे लगी थी। पुलिस कर्मियों से व्यक्तिगत तथा सरकारी सम्पत्ति (दो राइफलें, एक रिवाल्वर, कारतूस, एक अश्रूगैस गन, बैंत हेल्मेट, साइकिलें नकदी, वर्दियाँ आदि) छीन ली गई। सरकारी वाहनों को नुकसान पहुँचाया गया पुलिस चौकियों पर हमला किया गया उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया तथा जलाया गया था। अनेक निजी दुकानें लूटी गयी थी तथा उन्हें जला दिया गया था और कई हजार रुपये की सम्पत्ति या तो ले ली गई या नष्ट कर दी गई।

उनके कथनानुसार आयुक्त श्री एच०एस० शर्मा, तथा उप पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रकाश सिंह कोतवाली नियन्त्रण कक्ष में सायं लगभग 3-35 बजे पहुँचे थे सभी संवेदनशील स्थानों तथा दंगाग्रस्त स्थलों पर समुचित बल तैनात किया गया था और सब जगह गश्त तेज कर दी गई थी। नियन्त्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्यरत रहता था, और प्राप्त की गई प्रत्येक सूचना की तुरन्त जाँच की जाती थी तथा उस पर कार्यवाही की जाती थी तथा उस पर कार्यवाही की जाती थी। पी०ए०सी० पी०सी०एफ० तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कम्पनियाँ शाम को पहुँचने लगी थी। और उन्हें कथित स्थिति की आवश्यकतानुसार तैनात किया जाता था। रात में दो सैनिक टुकडियाँ भी पहुँची थी। इसी प्रकार से श्री आर्य ने यह मत व्यक्त किया है कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों तथा अधिकारियों और ईदगाह में मौजूद लोगों और प्रभावित क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों की जानमाल की रक्षा करने के लिये चेतवानी देने के बाद ही अन्तिम उपाय के रूप में गोली चलाई गयी थी।

श्री बी०बी० दास ने जो 13 अगस्त, 1980 को अपर पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद थे, अपना लिखित बयान दाखिल किया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने इस पद का कार्यभार 29 जुलाई, 1980 को ग्रहण किया था और इसके ठीक बाद ही उन्होंने

स्वंय जिले की समस्याओं विशेष रूप से राजनैतिक तथा सामप्रदायिक समस्याओं के बारे तुरन्त जानकारी प्राप्त की ।

उन्होने रमजान तथा ईद-उल-फितर के बारे मे किये गये प्रबन्धों के संबंध में मुरादाबाद के तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये दिनांक 10 जुलाई 1980, 8 जुलाई, 1980 तथा 11 अगस्त, 1980 के आदेशों का जिक्र किया है । उन्होने ईद की ड्यूटी के संबंध में की गई मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेटों की तैनाती के बारे में दिनांक 5 अगस्त, 1980 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का भी हवाला दिया है । 11 अगस्त, 1980 को इन प्रबन्धों के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट ने उनसे तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त तथा राजस्व) श्री एन0के0 जैन अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री आर0एस0 सिंह तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री आर0 डी0 भारतीय, से विचार विमर्श किया था । उसी दिन श्री वी0एन0 सिंह, श्री बी0 पी0 सिंह, प्रभारी अधिकारी नगर पालिका, श्री आर0एस0 सिंह श्री ए0के0 मिश्रा तथा बी0बी0 लाल, इन्सपेक्टर कटघर के साथ जिला मजिस्ट्रेट ने ईदगाह क्षेत्र का निरीक्षण किया था और अतिरिक्त प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में बातचीत की थी । 12 अगस्त, 1980 को उन्होने (श्री बी0बी0 दास) कोतवाली में सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) के कार्यालय में एक बैठक की थी जिसमें नगर के सर्किल आफिसरों थानों के सभी चारों इन्सपेक्टरों पुलिस उपाधीक्षक अभिसूचना तथा इन्सपेक्टर, स्थानीय अभिसूचना ईकाई उपस्थित हुये थे और शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति तथा बल (फोर्स) की तैनाती के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया था । उस बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों में से किसी ने भी शहर के किसी भाग में कोई तनाव होने की आशंका व्यक्त नहीं की थी । इन सभी से चौकस रहने के लिये कहा गया था । इस बैठक में किये गये विचार विमर्श से ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बी0एन0 सिंह0 को अवगत कराया गया था और वह उनसे सहमत थे । 13 अगस्त, 1980 को प्रातः 7-00 बजे से पुलिस बल (फोर्स) का तैनाती की जानी थी । इसके बाद इन सभी अधिकारियों ने ईदगाह तथा शहर के अन्य भागों का एक चक्कर लगाया था ।

श्री बी0बी0 दास ने पढ़ा कहा है कि 13 अगस्त को ईद के त्योहार को भली भाँति शान्तिपूर्ण ढंग से मनाये जाने के उद्देश्य से सिविल पुलिस और सशस्त्र पुलिस के अलावा पी0ए0सी0 की छ कम्पनियाँ तथा एक प्लाटून तैनात किया गया था । दो कम्पनियाँ ग्रामीण क्षेत्र के संवेदनशील कस्बों अर्थात सम्भल अमरोहा तथा चन्दौसी आदि मे तैनात की गयी थी । पी0ए0सी0 की तीन कम्पनियाँ तथा एक प्लाटून नगर क्षेत्र में तैनात किया गया था और एक कम्पनी को पुलिस लाईन में आरक्षित (रिर्जव) रखा गया था । ईदगाह तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को चार सेक्टरों में बाँट दिया गया था ।

इन्सपेक्टर ों के प्रभार में सेक्टर संख्या 1, 2 तथा 3 रखा दिये गये थे और एक सब इन्सपेक्टर के प्रभार में सेक्टर संख्या 4 रखा गया था। एक अश्रु गैस दस्ता और एक सशस्त्र गारद ईदगाह में आरक्षित बल के रूप में तैनात किया गया था ईदगाह में तैनात किया गया बल पूरी तरह से पर्याप्त था और वहाँ किये गये प्रबन्ध संतोष जनक थे।

प्रातः 7 बजे उन्होंने श्री आर0एस0 सिंह के साथ नगर का एक चक्कर लगाया और भिन्न भिन्न स्थानों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की जाँच की थी। वहाँ कहीं भी कोई तनाव नहीं था और नगर में जन जीवन सामान्य था। वे ईदगाह प्रातः लगभग साढ़े आठ बजे पहुँचे थे। श्री बी0एन0 सिंह को बताया गया कि शहर में सब कुछ सामान्य है और जो प्रबन्ध किये गये है वे संतोष जनक है। जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों ही प्रातः पौने नौ बजे ईदगाह पहुँच गये थे

उन्होंने यह भी कहा है कि ईदगाह के पूर्वी द्वार (गेट) के सामने सड़क के पार नगरपालिका का शिविर (कैम्प) था। इसके उत्तर में कुछ अन्य सामाजिक संगठनों के शिविर थे सबसे उत्तर का शिविर मुस्लिम लीग का था। खाकसार अपनी वर्दियाँ पहनकर आये थे तथा बेलचे लिये हुये थे और इधर उधर टहलते हुये देखे गये जो ऊपरी तौर से नमाजियों के लिये बैठने की व्यवस्था कर रहे थे लगभग 50 हजार से 60 हजार तक नमाजियों चारों ओर मौजूद थे। नमाज प्रातः 9-00 बजे शुरु हुयी तथा सवा नौ बजे समाप्त हो गई। जब शहर इमाम ने खुतबा पढना शुरु किया तो मुस्लिम लीग के शिविर के पास कुछ शोरगुल सुना गया। जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ट पुलिस अधीक्षक ने उससे श्री आर0एस0 सिंह0 (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर) श्री ए0के0 मिश्रा (सर्किल आफिसर नगर प्रथम) तथा कुछ पुलिस बल के साथ वहाँ जाने तथा इस मामले में जाँच करनेके लिये कहा। वे तुरन्त वहाँ पहुँचे और कुछ मुसलमानों को यह कहते हुये सुना कि "जुगली धुस आया हमारी नमाज खराब कर दी इनसे भुगत लो" ड्यूटी पर तैनात पुलिस जनों ने उनसे नम्रतापूर्वक कहा कि कहीं भी कोई सुअर नहीं दिखाई दे रहा रहा है। उन्होंने भी कोई सुअर नहीं देखा और उत्तेजित मुसलमानों को उस समय शान्त करने में सफल हो गये परन्तु जैसे ही वह अपने शिविर (कैम्प) की ओर चले पुनः खलबली मच गई और इसके बाद मुस्लिम लीग के शिविर की ओर से पथराव शुरु हो गया कुछ उन व्यक्तियों ने भी जो ईदगाह के अन्दर अधिकारियों, पुलिस बल तथा उन हिन्दू नागरिकों पर, जो नमाजियों को मुबारकबाद देने आये थे,

पथराव किया । भीड़ से शान्त रहने का अनुरोध किया गया तथा हिन्सात्मक कार्य न करें परन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वो खाकसार जो बैठने की व्यवस्था कर रहे थे वे "मारो, मारो" चिल्लाने लगे । नमाजियों की भीड़ के एक भाग ने भी आक्रमणकारियों का साथ दिया । मुसलमानों के उत्तेजित गुट ने ईंट, बाँसों, चाकूओ तथा बेलचों से मारना शुरु कर दिया । स्थिति को बिगडने से रोकने के लिये श्री ए0के0 मिश्रा, सर्किल आफिसर नगर।। ने लाउडस्पीकर पर यह घोषणा की कि वे शान्त रहें नहीं तो उनकी सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जायेगा । इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनकी सभा को गैर कानूनी घोषित दिया गया । उनसे कहा गया कि शान्ति से तितर बितर हो जायें नहीं तो बल प्रयोग किया जायेगा । इस चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया गया और पथराव आदि और तेज हो गया । इससे लगा कि उन्होने तितर बितर न होने का संकल्प कर लिया है । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वी0एन0 सिंह के कहने पर अश्रुगैस के गोले छोडे गये । जब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशो से लाठी चार्ज किया गया परन्तु भीड़ की उग्रता कम नहीं हुई । मुसलमानों की भीड़ की ओर से गोली चलाये जाने की आवाजें भी सुनी गयीं । यह सूचना मिली कि भीड़ ड्यूटी पर तैनात पुलिस जनों तथा कई स्थानों पर अन्य अधिकारियों पर हमला कर रहीं हैं और उसने भीड़ ने उनके आग्नेयास्त्र छीन लिये हैं दंगाई अधिक जोश के साथ हमले करते रहे और अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर को इस आशय की एक और चेतावनी देनी पड़ी कि या तो वे तितर बितर हो जाये नहीं तो गोली चलायी जायेगी । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बी0एन0 सिंह के माथे पर एक ईंट का टुकडा आकर लगा और जिससे बहुत अधिक खून निकलने लगा । बहुत से अन्य अधिकारी भी घायल हो गये स्थिति काफी विस्फोटक हो गयी और दंगाई पथराव करते रहे तथा गोली चलाने लगे । ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों तथा व्यक्तियों और मुबारकबाद देने आये हिन्दुओं की जान को गम्भीर तथा आसन्न खतरा पैदा हो गया था । इस स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर तथा उन्होने थोडी देर तक विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि गोली चलाई जानी चाहिये । अतः दंगाईयो को लाउडस्पीकर पर चेतावनी दी गई कि या तो तितर बितर हो जाये नही तो गोलियाँ चलानी पडेगी जिसमें उनकी जानें भी जा सकती हैं । जब दंगाईयों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक ने सशस्त्र गारद के चार व्यक्तियों से 17चक्र गोलियाँ चलवायी । प्रत्येक अवस्था में गोली चलाने के परिणाम देखने के बाद जैसे ही भीड के हटने के लक्षण दिखाई दिये वैसे ही गोली चलाना रोक दिया गया । ग्यारह दंगाईयों को नहीं मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया । गोली

चलाये जाने के कारण नमाजियों ने सभी दिशाओं में भागना शुरु कर दिया और वहाँ भगदड मच गई जिसके फलस्वरूप अनेक व्यक्ति हताहत हुये । दंगाईयों के तितर बितर हो जाने के बाद घायलों को उपचार के लिये अस्पताल भेज दिया गया ।और घावों की देखभाल के लिये बल।फोर्स । तैनात कर दिया गया ।

उन्होने यह भी कहा है कि जैसे ही उसे यह सूचना मिली कि दंगाई ईदगाह से पुलिस चौकी गल शहीद पर हमला करने जा रहे है तो श्री ए0के0 मिश्रा, सर्किल आफिसर नगर।। । को कुछ बल सहित उस स्थान पर जान और माल की हानि न होने के लिये भेजा । उन्होने यह भी कहा है कि प्रातः साढे दस बजे सिविल लाइन्स को छोडकर पूरे नगर में करफ्यू लगा दिया गया था । जब कि वे अभी ईदगाह में ही थे उन्हें यह रमकर मिली कि मुस्लिम दंगाईयो ने कोतवाली को घेर लिया है । वह ईदगाह क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये एक मजिस्ट्रेट तथा कुछ बल ।फोर्स । वहीं छोड़कर कोतवाली पहुँच की ओर बढ गये । कोतवाली पहुँच कर उन्होने यह देखा कि पुलिस बल दंगाईयों को तितर बितर करने के लिये पहले से ही लाठी चार्ज कर रहा है। भीड़ तितर बितर हो गयी । दोपहर लगभग 1-00 बजे उप महानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ।*। श्री आर0पी0 गोविल तथा उप महानिरीक्षक पी0ए0सी0 ।पश्चिमी क्षेत्र।श्री राम आसरे व्यवस्था की देखरेख करने के लिये कोतवाली पहुँचे ।

उन्होने यह भी कहा कि 13-8-1980 को कई स्थानों पर हिन्सा की घटनायें हुई और उन पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग कराके काबू पा लिया । उन्होने निम्नलिखित घटनाओं का जिक्र किया है :-

।क। दंगाईयों ने थाना गल शहीद लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी ।

।ख। बरफखाना चौराहे पर पी0ए0सी0के दो कान्सटेबुल अर्थात ~~मदनानन्द~~ प्रेमनानंद तथा हरी दत्त पन्त मारे डाले गये और उसकी रायफलें छीन ली गयी । सिविल पुलिस के कान्सटेबुल धीरेन्द्र सिंह को भी मार डाला गया । इन्सपेक्टर श्री बी0पी0 सिंह ने गोली चलाकर दंगे तथा हिन्सा पर काबू पाया ।

।ग। दंगाईयों ने थाना कोतवाली को घेर लिया था तथा उस पर अत्याधिक पथराव किया था । कोतवाली की इमारत को क्षति पहुँचायी । जान तथा माल की हानि को रोकने के लिये लाठी चार्ज कराना पडा ।

।घ। पुलिस की उस गश्ती कार पर जिला अस्पताल परिसर में पथराव किया गया जो घायलो को ला रही थी । पुलिस दल ने वहाँ पहुँचकर स्थिति पर नियन्त्रण किया ।

(ङ) थाना मुगलपुरा मे पुलिस चौकी कैजगंज पर भी हमला किया गया और कान्सटेबुलों का सामान उठा ले जाया गया । कान्सटेबुल शिव कुमार तथा हेड कान्सटेबुल शिव कुमार शर्मा पर क्रमशः कैजगंज मस्जिद तथा अब्बू का नाला के पास उस समय हमला किया गया जब वे ड्युटी पर तैनात थे । उन्हें पुलिस दलों ने बचा लिया ।

(च) तहसीली स्कूल में पी०ए०सी० तथा सिविल पुलिस टुकडियों पर हमला तथा प्रहार किया गया एक पी०ए०सी० कान्सटेबुल रामधान सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गया । सब इन्सपेक्टर आर०एस० असवाल को उपद्रवी भीड को तितर बितर करने के लिये गोली चलानी पड़ी । दंगाई सब इन्सपेक्टर आर०एस०असवाल की साइकिल उठा ले गये ।

(छ) दंगाईयो ने पुलिस चौकी नागफनी पर भी धावा बोल दिया और पुलिस चौकी की इमारत को क्षति पहुँचाई । सर्किल आफिसर नगर (दो) श्री के०एम० पान्डे के आदेशानुसार गोली चलाकर जानतथा माल की हानि को रोका गया ।

(ज) मुस्लिम भीड ने कई हिन्दू बस्तियों पर हमला किया और अत्याधिक पथराव किया तथा गोली चलाई गयी । स्थिति को अतिरिक्त कुमक की सहायता से नियन्त्रण में लाया गया ।

(झ) नीम की प्याऊ में हिन्दूओं तथा मुसलमानों के बीच आमने सामने मुठभेड़ हुयी । कोतवाली इन्सपेक्टर श्री जगदीश सिंह वहाँ पहुँचे तथा उन्होने दंगाईयो को तितर बितर कर दिया ।

(ञ) दंगाईयो ने ईदगाह में मुस्लिम लीग के शिविर को छोडकर सभी शिविरों को क्षति पहुँचाई और उन्हें गिरा दिया । जब कि मुस्लिम लीग के शिविर पर झंडा लगा रहा ।

उन्होने यह कहा है कि हिन्सात्मक कार्य दोपहर ढाई बजे तक किये जाते रहे उसके बाद उन्होने सम्पूर्ण नगर में पडे हुये शवों की अन्तेयेष्टी के लिये आवश्यक व्यवस्था करने के लिये थानाध्यक्ष सिविल लाइन के इन्सपेक्टर श्री टी०एस०त्यागी को तैनात किया । मुरादाबाद नगर दंगा योजना के अनुसार सम्पूर्ण नगर को नौ सक्टरों में बाँट दिया गया था । प्रत्येक सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट तथा एक पुलिस अधिकारी तैनात किया गया था । उन्होने उन पुलिस अधिकारी का नाम बताया है जो वहाँ तैनात थे । स्थिति पर यथासम्भव शीघ्र नियन्त्रण करने के लिये भरसक प्रयास किये गये । पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, पी०ए०सी० तथा सीमा सुरक्षा बल से अतिरिक्त बल पहुँच गया । उसी दिन सायँ लगभग 3-35 बजे मडलीय आयुक्त

श्री एच0एस0 शर्मा तथा बरेली रेन्ज के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री प्रकाश सिंह वहाँ पहुचे ।

श्री बी0बी0 दास ने यह भी कहा है कि 13-8-80 को दंगे तथा आगजनी के परिणामस्वरूप 112 व्यक्तियो को चोटे लगीं । इनमें 46 लोक सेवकों तथा हिन्दुओं और मुसलमानों को मिला कर 66 जनता के लोग थे कुल मिला कर 85 व्यक्ति मारे गये जिनमें हेड कान्सेटेबुल महेन्द्र सिंह तथा पाँच लोक सेवक थे । हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनो की ही जाने गयी ।

उन्होने यह भी कहा है कि 13-8-80 के बाद अनेक स्थानों से अवैध अग्नेयास्त्र बरामद किये गये जिससे यह प्रकट होता है कि दंगे पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किये गये । अवैध शस्त्रास्त्रों की बरामदगी दिखाते हुये व्योरे प्रस्तुत किये गये है । उन्होने अपने लिखित बयान के साथ विभिन्न स्थानों पर हुई घटनाओं के 20 फोटो भी संलग्न किये है ।

सरकार और पुलिस तथा पी0ए0सी0 के कर्मियों की दो रायफलें, एक रिवाल्वर, 117 कारतूसें, अश्रुगैस की एक बन्दूक, बेते, टोप (हेलमेट) साइकिल, नकदी, वर्दियाँ आदि छीन ली गयी थी । दंगाईयों ने पुलिस चौकी पर हमला किया उसे क्षति पहुँचायी तथा उसमें आग लगा दी । उन्होने निजी दुकानें लूट ली और हजारों रुपये के मूल्य की सम्पत्ति ले गये या उसे नष्ट कर दिया । उन्होने यह भी कहा है कि सभी संवेदनशील स्थानों तथा गडबडी वाले स्थानों पर बल (फोर्स) की तैनाती कर दी नगर के सभी स्थानो पर गश्त तेज कर दी गयी थी, नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) ने रात दिन कार्य रत रहा और जो भी सूचना प्राप्त हुयी उसकी जाँच की गयीं और उस पर तत्काल ध्यान दिया गया । पी0ए0सी0 का आना दोपहर के बाद से शुरु हो गया जिसकी तैनाती उक्त स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार की गयी थी । सैनिक बल (मिलेटरी फोर्स) की दो इकाईयाँ (यूनिटें) भी देर से रात में आ गयी ।

अन्ततः यह निवेदित है कि गोली हर जगह केवल तभी चलाई गयी जब दंगाईयो को नियत्रित करने के और सभी उपाय असफल रहे । गोली आवश्यक चेतावनी देने के बाद अधिकारियों, हिन्दुओं जो वहाँ पर एकत्र हो गये थे तथा उस मोहल्ले में रह रहे हिन्दुओं की जानऔर माल की रक्षा के लिये चलाई गयी थी । उनका कहने का आशय यह भी है कि दंगाईयो को हर जगह पर तितर बितर करने के लिये कम से कम बल इस्तेमाल किया गया ।

आर0एस0 सिंह0 ने अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर मुरादाबाद का कार्यभार 14-4-1980 को ग्रहण किया था और उन्होने इस पद पर 19-9-1980 तक कार्य किया । वे उस बैठक में उपस्थित हुये जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने 11-8-1980 को ईद पर इन्तजाम किये जाने के सम्बन्ध में बुलाया था । ~~अधिकारी प्रभारी नगर पालिका~~

~~श्री डी०पी०सिंह कुछ अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे~~

~~इन्तजाम किये जाने के सम्बन्ध में बुलाया था~~ । अधिकारी प्रभारी नगर पालिका श्री डी० पी०सिंह और कुछ अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे । उन्हें शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने तथा ईदगाह में नमाज शान्ति से सम्पन्न कराने की व्यवस्था का कार्य सौंपा गया था । उन्होंने अपर ~~जिला~~ नगर मजिस्ट्रेट श्री आर०डी० भारतीय के माध्यम से यह सुनिश्चित किया था कि नगर में कोई तनाव नहीं है ।

इसके बाद उनका कहना है कि 13-8-1980 को उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक के साथ नगर का एक चक्कर लगाया और सब कुछ सामान्य पाया । वे प्रातः लगभग साढे आठ बजे ईदगाह पहुँच गये तथा उस क्षेत्र को पूरी तरह साफ सुथरा पाया । बडी संख्या में नमाजी ईदगाह के मैदान में तथा उसके बाहर के भूमि और सडकों पर बैठ चुके थे, अधिकारीगण नगरपालिका के शिविर में इकट्ठे थे। सडक के किनारे बहुत से शिविर लगा दिये गये थे, सबसे उत्तर का शिविर मुस्लिम लीग का था तथा सबसे दक्षिण का शिविर नगरपालिका का था नमाज प्रातः सवा नौ बजे समाप्त हुयी तथा शहर इमाम ने खुतबा पढना शुरु किया । मुस्लिम लीग के शिविर के पास शोरगुल लगा, वे वहाँ श्री बी०बी० दास तथा कुछ पुलिस बल के साथ ~~श्री बी०बी० दास~~ पहुँचे और उत्तेजित मुसलमानों को शान्त किया । कुछ समय के लिये शान्ति हो गयी थी परन्तु मुसलमानों ने शोरगुल शुरुकर दिया तथा पथराव करने लगे और पुलिस बल अधिकारियो और हिन्दुओं पर बेलचों चाकूओं बासों तथा अन्य हथियार से हमला कर दिया । पुलिस बल अधिकारीगण और हिन्दु घायल होने लगे तथा स्थिति गम्भीर हो गयी । अश्रुगैस के गोले दगाने से, लाठी चार्ज करने का कोई असर नहीं हुआ । उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ परामर्श करके गोली चलाये जाने के आदेश दे दिये जिन्हें श्री बी०बी० दास द्वारा कार्यान्वित किया गया । नमाजियों ने सभी ओर भागना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप भगदड मच गई और इस भगदड में बहुत से बूढे लोग तथा बच्चे मारे गये । उन्हें यह खबर मिली कि दंगाईयों ने कोतवाली को घेर लिया है और वे तेजी से कोतवाली की ओर चल पडे तथा अपने अधिकारियों को यह अनुदेश देते गये कि वे घायलों को अस्पताल पहुँचा दे तथा शवों की अन्त्येष्टी की व्यवस्था करें । उनका भी यह विचार है कि यह घटना एक अत्यन्त गोपनीय योजना के फलस्वरूप घटित हुई है ।

श्री गंगाबल सिंह, पुलिस उपाधिक्षक मुरादाबाद ने इस पद पर 6-5-1978 को कार्य भार ग्रहण किया था और वहाँ वे अभी तक तैनात है । उन्हें ईद के सम्बन्ध में इन्तजाम करने के लिये 13-8-1980 को थानामुगलपुरा में रिजर्व मे ड्यूटी पर तैनात किया गया था उन्होंने कहा कि वे उस दिन प्रातः लगभग 7 बजे वहाँ पहुँच गये थे । उनके कथनानुसार ~~मुगल~~ मुगलपुरा साम्प्रदायिक रूप से एक अति संवेदनशील मोहल्ला है और उसमें मुसलमान की अधिक आबादी है यह मोहल्ला शान्ति और व्यवस्था की दृष्टि से सभी ओर से संवेदनशील है

डा0 शमीम अहमद खाँ ने विधान सभा चुनाव मई, 1980 में मुस्लिम लीग के एक उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और उन्हें कांग्रेस (ई) के एक उम्मीदवार ने हरा दिया था ।

उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें 13-8-80 को प्रातः लगभग पौने दस बजे इन्दिरा चौक से श्री जमुना प्रसाद का एक संदेश कुमक भेजे जाने के सम्बन्ध में मिला था । इस संदेश के मिलते ही वे नगर मजिस्ट्रेट श्री एस0वी0एस0 सक्सैना के साथ जो कुछ पुलिस बल के साथ मुगलपुरा में ही ड्यूटी पर तैनात थे, तुरन्त श्री जमुना प्रसाद की मदद के लिये चल पड़े । इन्दिरा चौक में उन्होंने मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ को आक्रामक तथा हिन्सात्मक रूप में देखा । उन्होंने (भीड के व्यक्तियो ने) पथराव करना शुरु कर दिया तथा एक सरकारी जीप के शीशों को नुकसान पहुँचाया । । बड़ी मुश्किल से स्थिति को नियन्त्रण में लाया गया तथा भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया । उनके कथनानुसार ईद के मौके पर किसी भी गडबडी होने की सम्भावना के बारे में कहीं से भी कोई पूर्व सूचना नहीं थी । चूँकि 13-8-80 को नगर में हिन्सा की घटनायें कई जगह लगभग एक ही समय में घटित हुई थी अतः यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों ने एक गोपनीय योजना बनाकर कार्य किया था और पर्याप्त तैयारी के बाद वे सार्वजनिक शान्ति भंग करने के लिये कृत संकल्प थे ।

श्री बी0बी0 लाल, इन्सपेक्टर ने यह कहते हुये अपना लिखित बयान दाखिल किया है कि 14-8-79 से 14-7-1980 तक वह थानेदार (स्टेशन हाउस आफिसर) अमरोहा के रूप में तैनात थे । 15-7-1980 को उन्होंने मुरादाबाद नगर में थानेदार (स्टेशन हाउस आफिसर) कटघर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । ईदगाह, जहाँ 13-8-1980 को घटना घटित हुयी, थाना कटघर के अधिकार क्षेत्र में है ।

उन्होंने यह भी कहा है कि डा0 शमीम अहमद खाँ जो उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग के प्रेसीडेन्ट है, एक कट्टर सम्प्रदायवादी है और जिला प्रशासन तथा पुलिस के विरुध है मई, 1980 में उन्होंने नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा का मध्यावधि चुनाव लड़ा था और कांग्रेस (ई) के उम्मीदवार श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी से हार गये थे । डा0 शमीम अहमद खाँ ने इस हार को गम्भीरतापूर्वक लिया तथा इस हार का कारण जिला प्रशासन की तथाकथित उदासीनता बतलायी ।

उन्होंने यह भी कहा है कि सराय किशनलाल तथा इन्दिरा चौक, जहाँ हरिजन तथा मुसलमान रहते है, थाना कटघर के अधिकार-क्षेत्र में है । उसके बाद उन्होंने जावेद की घटना का जिक्र किया और यह कहा कि जावेद डा0 शमीम अहमद खाँ का घनिष्ठ सहयोगी था । डा0 शमीम अहमद खाँ ने मामले की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 के अधीन जाँच में अडचनें डाली और यह झूठा प्रचार किया कि जावेद स्थानीय

पुलिस द्वारा मारा गया है न कि ग्रामीणों द्वारा । उन्होंने इस घटना का अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिये लाभ उठाया । उन्होंने एक मजिस्ट्रेटी जाँच बैठवाई परन्तु वे स्थानीय मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाये ।

उन्होंने 24-7-1980 की उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें मुसलमानों द्वारा हरिजनों की एक बारात पर हमला किया गया था उन्होंने यह बताया कि दोनों पक्षों तथा उनकी स्वंय की रिपोर्टों पर थाना कटघर में सात मामले दर्ज किये गये । मुसलमानों ने अन्धाधुन्ध पथराव किया था इस घटना में न केवल हरिजनों को वरन 14 पुलिस कर्मियों को भी चोटें लगी थी । डा० शमीम अहमद खाँ ने पुलिस के खिलाफ झूठा प्रचार करके इस घटना का भी अनुचित लाभ उठाया

उन्होंने यह भी कहा कि 13-8-1980 को दोपहर डेढ बजे मस्जिद सराय किशन लाल के काजी फजलुल रहमान ने उस घटना के सम्बन्ध में जो 12-8-80 को रात्रि पौने नौ बजे घटित हुयी थी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504/506 के अधीन सराय किशनलाल के हरिजनों के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवायी थी। इन आरोपों की जाँच सर्किल अफसरों की मौजूदगी में मौके पर की गयी थी और वे (आरोप) गलत तथा विद्वेषपूर्ण पाये गये । कटरा शहीद के एक निवासी हामीद हुसैन ने हरिजनों के विरुध एक इसी प्रकार की रिपोर्ट इससे पूर्व 12-8-1980 को अपरान्ह 2-00 बजे एक घटना के सम्बन्ध में जो तथाकथित रूप से उस दिनांक को प्रातः 4-00 बजे घटित हुयी थी, थाना मुगलपुरा में लिखायी थी । इस रिपोर्ट की भी जाँच की गयी और उसे भी झूठा पाया गया ।

उन्होंने यह भी कहा है कि शान्ति व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बडी होने की सम्भावना के सम्बन्ध में कोई पूर्व सूचना नहीं थी, फिर भी शान्ति भंग न होने के लिये पर्याप्त पूर्वोपाय कर लिये गये थे ।उन्होंने किये गये पूर्वोपायों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया है इसके बाद उन्होंने 13-8-1980 को ईदगाह में हुई घटना का विवरण दिया है वे स्वंय सेक्टर संख्या-एक के प्रभारी के रूप में उस स्थान पर ड्यूटी पर तैनात थे । उनके कथनानुसार ईदगाह में कुल मिलाकर 38 व्यक्ति मरे । उनकी शव परीक्षा रिपोर्टें उनके (श्री बी०बी०लाल इन्सपेक्टर के) लिखित बयान के साथ दाखिल की गयी हैं उन्होंने ईदगाह की घटना के सम्बन्ध में स्वंय एक रिपोर्ट लिखायी थी और वे गिरफ्तार व्यक्तियों को थाने ले गये थे । उनका (श्री बी०बी० लाल के) अग्नेशास्त्र तथा कारतूसें छीन ली गयी थी।

श्री त्रिलोकी चन्द्र त्यागी ने यह कहते हुये अपना लिखित बयान दाखिल किया है कि 15-7-1980 को वे सिविल लाईन्स के स्टेशन हाउस आफिसर के रूप में तैनात थे और अभी भी उसी हैसियत से कार्य कर रहे है ।

सबसे पहले उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0 दास द्वारा 12 अगस्त, 1980 को कोतवाली में सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) के कार्यालय में की गई बैठक तथा ईद उल फितर मनाये जाने के सम्बन्ध में पूरे किये गये प्रबन्धों का जिक्र किया। वह 13 अगस्त, 1980 को सुबह 7-00 बजे से मझोला चुंगी चौकी पर ट्रैफिक ड्यूटी पर थे। उस दिन सिविल लाइन का क्षेत्र और क्षेत्रों की अपेक्षा गडबडी से दूर था और उनके थाने पर कोई घटना दर्ज नहीं की गई थी। उस दिन साँय सवा तीन बजे अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0 दास ने उन्हें शवों की जाँच पड़ताल करने तथा उनका अन्तिम संस्कार करने के प्रबन्ध करने का निदेश दिया। 84 शवों की जाँच रिपोर्ट तैयार करने तथा शव परीक्षा के बाद उनका अपने अपने सम्प्रदाय के संस्कारों के अनुसार (उन शवों के) अन्तिम संस्कार के प्रबन्ध के लिये उन्होंने चार सब इन्सपेक्टर तैनात किये। उन्होंने दो मानचित्र (चार्ट) दाखिल किये है-एक सिविल लाइन क्षेत्र से अवैधानिक आग्नेयास्त्रों की बरामदगी का तथा दूसरा उन स्थानों का जहाँ से 84 शव बरामद हुये।

श्री विजय नाथ सिंह ने जो 1980 में मुरादाबाद के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक थे, अपना लिखित बयान दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस हैसियत से उन्होंने 4 मार्च, 1978 को कार्यभार ग्रहण किया था तथा ईदगाह पर घायल होने तथा अस्पताल में भर्ती होने तक इस पद पर कार्य करते रहे। दो दिन बाद उनका स्थानान्तरण कर दिया गया।

उनके अनुसार मुरादाबाद में साम्प्रदायिक दंगों को एक लम्बा इतिहास है तथा यह जिला अत्यन्त संवेदनशील है। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में वे ऐसी परिस्थितियों से अवगत थे जो साम्प्रादियक दृष्टि से अतिसंवेदनशील थी। कई बार विस्फोटक स्थितियों के बावजूद भी वह मुरादाबाद में अपने सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान शान्ति कायम रखने में कामयाब रहे।

उन्होंने 31 मई, 1980 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों का उल्लेख किया है जब कि कोतवाली क्षेत्र में एक छोटा-मोटा साम्प्रादायिक दंगा हो गया था। उन्होंने कारगर कदम उठाये तथा स्थिति को नियन्त्रण में कर लिया। चूँकि डा0 शमीम अहमद खाँ कांग्रेस (ई) के एक उम्मीदवार के विरुध उस निर्वाचन में हार गये, मुस्लिम लीग के सामान्य लोगों में, जिसकी प्रवृत्ति काफी साम्प्रदायिक है, काफी निराशा आ गई। इसलिये डा0 शमीम अहमद खाँ किसी भी स्थिति का साम्प्रदायिक आधार पर लाभ उठाने तथा मुसलमानों में अपनी छवि निखारने के अवसर की तलाश में थे।

इसके बाद उन्होंने जावेद की इस घटना का उल्लेख किया है जो 5 तथा 6 जून 1980 के बीच की रात में हुई। डा० शमीम अहमद खाँ तथा उनके समर्थकों ने जावेद की मृत्यु को यह कह कर लाभ उठाया कि जावेद पुलिस द्वारा मारा गया है। उन लोगों ने एक मजिस्ट्रेटी जाँच शुरु करवा दी किन्तु मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को अत्यधिक शर्मिन्दा होना पड़ा, क्योंकि यह सिद्ध करने के लिये कि जावेद उस समय घायल हुआ जब कि वह राहजनी कर रहा था बहुत से साक्ष्य मौजूद थे। इस घटना के कारण मुस्लिम लीग के नेता तथा कार्यकर्ता स्थानीय पुलिस के प्रति तथा विशेष रूप से कटघर थाने की पुलिस के प्रति मनमुटाव रखने लगे। डा० शमीम अहमद खाँ ने भी इस घटना का उसी उद्देश्य से लाभ उठाया।

उन्होंने इन्दिरा चौक में 24 जुलाई, 1980 को हुई घटना का भी उल्लेख किया है जिसमें मुसलमानों ने हरिजनों की बारात पर हमला किया था तथा हरिजनों और पुलिसकर्मियों को चोटें पहुचायी थी। कई रिपोर्टें दर्ज करायी गयीं। मुस्लिम लीग द्वारा साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के लिये इस घटना का भी लाभ उठाया गया।

जिले में पुलिस प्रशासन के प्रमुख के रूप में उन्होंने रमजान के दौरान तथा 13 अगस्त, 1980 को ईद के लिये पूरी सावधानी रखी थी। उन्होंने अपने अधिकारियों एंव कर्मचारियों को त्योहार शान्तिपूर्ण ढंग से मनाया जाना सुनिश्चित करने के लिये रमजान के दौरान तथा ईद की नमाज के समय सभी सम्भव उपाय करने तथा सावधानी बरतने के आदेश जारी किये थे। यह आदेश अन्य बातों के साथ-साथ जमाव की जगह के पास किसी भी जानवर के जिनमें गाय, बैल, साँड़ अथवा सुअर आता है, प्रवेश का जिक्र है और उनके अधिकारियों ने उन आदेशों का पालन करने के लिये वास्तव में कारगर कदम उठाये। अतः ईदगाह क्षेत्र में किसी भी जानवर के घुस आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ उनके लिखित बयान के साथ अनुलग्नक एक दो तथा तीन के रूप में दाखिल की गयीं हैं।

ईद के त्योहार के सम्बन्ध में भी अनेक एहतियाती उपाय किये गये जैसे पुलिस की टुकडियाँ, सचलगश्ती दल तैनात किये गये, नैत्यक गश्त आदि की व्यवस्था की गई। उन्होंने स्वंय खुलासा तौर पर अधिकारियों तथा कर्मियों को सतर्क रहने को कहा उनके द्वारा किये गये प्रबन्ध सभी प्रकार से पूरे थे।

उन्होंने इस अवसर के महत्व पर विचार करते हुये ईद मनाये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध करने के लिये एक सुस्पष्ट आदेश दिया था । यह आदेश (अनुलग्नक तीन) 11 अगस्त, 1980 को जारी किया गया था । सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकारियों की ड्यूटीयाँ नियत की गई थी । इसके बाद उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को सौंपे गये कर्तव्यों पुलिस तथा पी0ए0सी0 कर्मियों की तैनाती ईदगाह क्षेत्र की सफाई इस सम्बन्ध में आयोजित बैठकों तथा स्थिति और किये गये उपायों की उपयुक्तता का जायजा लेने के लिये किये गये नगर के दौरों का उल्लेख किया है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन आदेश पहले ही 7 जुलाई, 1980 को जारी कर दिये गये थे । और ये आदेश 31 अगस्त, 1980 तक लागू रहने थे ।

13 अगस्त, 1980 को ईदगाह पर हुई घटना के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि नमाज प्रातः 9 बजे शुरु होनी थी तथा उनके सभी अधिकारी और कर्मचारी सुबह 7 बजे तक अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुँच गये थे । वे सुबह पौने नौ बजे जिला मजिस्ट्रेट के साथ ईदगाह पहुँच गये । अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0 दास वहाँ पहले ही पहुँच गये थे तथा उन्होंने उनसे कहा कि सब कुछ सामान्य है तथा सभी प्रबन्ध किये जा चुके है । वे नगरपालिका के शिविर में इकट्ठे हुये । वहाँ अनेक अन्य दलों तथा संगठनों के भी शिविर लगे हुये थे। सबसे दक्षिण मे नगरपालिका का तथा सबसे उत्तर में मुस्लिम लीग का शिविर था । इसके बाद उन्होंने यह जिक्र किया कि हो-हल्ला किस तरह शुरु हुआ। पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी वहाँ शान्ति स्थापित करने गये लेकिन वहाँ पथराव और हमला आरम्भ हो गया तथा खाकसार अपने बेलचों का उपयोग करने लगे । चेतावनियाँ दिये जाने के बावजूद हमला और तेजी से होने लगा । तथा पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों और हिन्दुओं के गम्भीर घाव लगने लगे । सड़क के बगल वाले हिन्दुओं के घरों पर भी पथराव किया गया । कुछ भीड़ को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया किन्तु इसका कोई प्रभाव न पड़ा । पुनः चेतावनी दी गई तथा पुलिस लाइन से शीघ्र और कुमक भेजने को कहा गया और सभी थानों को सतर्क कर दिया गया । इस अवस्था में पुलिस ने आँसूगैस के गोले दागे तथा लाठीचार्ज किया लेकिन भीड़ का आवेश कम नहीं हुआ । उसी समय खबर मिली कि कई स्थानों पर मुसलमानों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसजनों पर हमला कर दिया है तथा उनके हथियार छीन लिये हैं । भीड़ की ओर से गोली चलाये जाने की खबरें मिली जिससे इस बात का पता चलता है कि वे आग्नेयास्त्रों का भी इस्तेमाल कर रहे थे । सशस्त्र पुलिस के माया राम तथा विनायक राम जिन्हें उनके अंगरक्षक के रूप में तैनात किया गया था गम्भीर रूप से घायल हो गये । पथराव के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट नगर, अपर पुलिस अधीक्षक तथा वह स्वयं घायल हो गये । उनके माथे पर रोड़ा लगा और खून

बहने लगा । चूँकि स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी तथा आग्नेयास्त्रों, चाकुओं, लाठियों बेलचों और पत्थरों के इस्तेमाल किये जाने के बारे में भिन्न भिन्न स्थानों से निराशा जनक खबरें मिल रहीं थी तथा पुलिस बल से दंगाई शस्त्र तथा गोलाबारूद छीन रहे थे ड्यूटी पर तैनात सभी व्यक्तियों, बधाई देने आये लोगों तथा उस मोहल्ले के हिन्दू निवासियों के जीवन के लिये खतरा पैदा हो गया था। उनके घरों पर भारी पथराव किया गया था तथा उन्हें काफी नुकसान पहुँचाया गया। अतः जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक तथा उन्होंने संक्षिप्त विचार विमर्श किया तथा जान माल के भारी नुकसान को रोकने के लिये गोली चलवाने का सहारा लेने का निर्णय लिया । चूँकि उनके काफी खून बह रहा था और सिर में चक्कर महसूस कर रहे थे इसलिये कुछ अधिकारी उन्हें अस्पताल ले गये । ईदगाह से जाते समय, उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक से स्थिति का ध्यान रखने और अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर के आदेशों का कार्यान्वयन करने के लिये कहा ।

इस आयोग द्वारा विचार किये जाने के लिये उन्होंने दंगे की उत्पत्ति, हिन्सा की सीमा तथा इसके पीछे छिपे हाथ के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ लेख दाखिल किये है ये लेख अनुलंगनक चार हैं। उनका तर्क यह है कि ईदगाह पर जिस ढंग से हिंसा भड़की उससे यह पता चलता है कि दंगाईयों ने कोई अति गोपनीय योजना बनाकर दंगा कराया था ।

श्री जमुना प्रसाद ने अपना लिखित बयान (ग/9) दाखिल किया है जिसमें कहा है कि उन्होंने 14 नवम्बर, 1978 को मुरादाबाद जिले में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और वह 28 फरवरी, 1981 तक इस पद पर कार्यरत रहे। ईद के प्रबन्धों के सम्बन्ध में 13 अगस्त, 1980 को उनकी ड्यूटी इन्दिरा चौक पर लगाई गई थी जो कि साम्प्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान है । वे वहाँ प्रातः 7 बजे पहुँच गये थे । तथा तुरन्त ही अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0 दास तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री आर0एस0सिंह दौरा करते हुये वहाँ पहुँचे तथा उन्होंने ड्यूटियों की जाँच करने के बाद उनसे सतर्क तथा चौकस रहने को कहा । उन्होंने यह भी कहा है कि इन्दिरा चौक तथा इससे सटा हुआ सराय किशन लाल खास तौर से मुसलमानी मोहल्ले है जहाँ कुछ हरिजन भी रहते हैं । 24 जुलाई, 1980 को इस मोहल्ले में एक घटना घटी थी जिसमें एक हरिजन की बारात पर हमला और पथराव किया गया था। 13 अगस्त, 1980 को प्रातः लगभग पौने दस बजे जब वे ड्यूटी पर थे, उन्हें पता चला कि ईदगाह पर दंगा हो गया है। मुसलमान इन्दिरा चौक पर भी इकट्ठे हो गये तथा हिन्सात्मक कार्य करने लगे । उन्होंने उनसे उग्र तथा आक्रामक न होने के लिये कहा और मुगलपुरा थाने से अतिरिक्त बल की तुरन्त माँग की । इसी बीच पुलिस अधीक्षक श्री सी0बी0 सिंह, कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री एस0वी0एस0 सक्सेना तथा पुलिस बल के साथ भीड को नियन्त्रित करने के लिये वहाँ पहुँच गये । उनके कथनानुसार इस क्षेत्र के हरिजनों ने कोई छेड़खानी की तथा शान्त रहे और ईद के त्योहार को शान्ति से मनाये जाने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध कर लिये गये इनका भी यह विचार है कि 13 अगस्त, 1980 को हुये दंगे किसी गुप्त योजना के परिणाम थे ।

श्री आर0एस0 अग्रवाल ने अपना लिखित बयान (ग/10) दाखिल किया है जिससे उन्होंने कहा है कि उनकी तैनाती 4 अप्रैल, 1980 को मुगलपुरा थाने पर सब इन्सपेक्टर के रूप में तैनात की गई थी तथा वह अब भी उसी पद पर कार्य कर रहे है । 13 अगस्त, 1980 को उन्हें सिविल पुलिस के कान्सटेबुल अमर सिंह तथा पी0ए0सी0 की अधी टुकडी जिसमें दो नायक तथा दो कान्सटेबुल थे, के साथ तहसील स्कूल पर ड्यूटी पर तैनात किया गया था । वे वहाँ प्रातः 7.00 बजे पहुँच गये थे तथा [illegible] श्री बी0बी0 दास तथा

प्रातः 7-00 बजे पहुँच गये थे तथा तुरन्त ही वहाँ अपर ~~जिला~~ पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0 दास तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर श्री आर0एस0 सिंह दौरे पर आ गये थे। उन्होने ड्यूटी की जाँच की और उन्होने संक्षेप में समझाने के बाद उन्हें सतर्क रहने का निदेश दिया था प्रातः लगभग साढे दस बजे लगभग दो हजार उत्तेजित मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया तथा उन पर पथराव करने लगे। दंगाई ईंट, चाकूओ लाठियों तमन्चों तथा बन्दूकों से लैस थे। उन्होने पी0ए0सी0के नायक रामधान सिंह तथा नायक कैलाश सिंह को खींच लिया तथा उन्हें चोटें पहुँचाने के बाद उनके आग्नेयास्त्रों छीनने का प्रयास किया। उन्होने दंगाईयों को तितर बितर हो जाने के लिये बार-बार चेतावनी दी तथा उनके जमाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया किन्तु इसका कोई असर नहीं ~~हुआ~~ हुआ तथा दंगाई उन्हे मारने और उनके आग्नेयास्त्रों को छीनने ~~के~~ पर आमादा थे। बचने की कोई अन्य जगह न पाने पर वे स्कूल के भवन में घुस गये परन्तु दंगाईयो ने दो कमरों में आग लगा दी। अनेक चेतावनियों के बावजूद वे नायक रामधान सिंह को मुक्त करने के लिये तैयार न थे। चूँकि पुलिस बल के लोगों तथा अन्य लोगो की जान और रक्षा करने का कोई और उपाय नहीं था। उन्होने दंगाईयों को पुनः चेतावनी दी कि वे तितर-बितर हो जाये अन्यथा गोली चलवा दी जायेगी। फिर भी दंगाई हिन्सक कार्य करने में लगे रहे तथा खतरा और बढ़ गया। उन्होने अपनी सर्विस रिवाल्वर से दो चक्र गोलियाँ चलाई तथा पी0ए0सी0 कर्मियो को आत्मरक्षा में गोली चलाने का आदेश दिया। दंगाईयों को बार बार चेतावनी दी जाती रही। कुल मिलाकर 20 चक्र गोलियाँ अर्थात चौबिस राइफलों तथा दो रिवाल्वरों से चलाई गई। जब दंगाई तितर बितर होने लगे तो गोली चलाना तुरन्त बन्द कर दिया गया। गोली चलने के फलस्वरूप दंगाई ~~[illegible]~~ गम्भीर रूप से घायल नायक रामधान सिंह को छोडकर भाग गये। नायक रामधान सिंह तथा नायक कैलाश सिंह को दंगाई प्रातः साढे दस बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक गलत तरीके से रोके रहे। वे उनकी साइकिल भी ले गये। उन्होने अपनी डाक्टरी जाँच करायी। ये चोट रिपोर्टें है अनुलग्नक एक, दो तथा ~~तीन~~। वह मुगलपुरा थाने लौट आये तथा कुछ दंगाईयो के नाम देते हुये रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्ट तथा जनरल डायरी की प्रतियाँ अनुलग्नक चार तथा पाँच है।

श्री के0एम0 पाण्डे ~~ग-11~~ ने अपना लिखित बयान दाखिल किया है जिसमें कहा है कि उन्होने 23 जुलाई, 1977 को मुरादाबाद जिले मे पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्य भार ग्रहण किया था और उन्हें 9 अप्रैल, 1979 से सर्किल आफिसर नगर ~~प्रथम~~ द्वितीय के रूप मे तैनात किया गया। उस समय सिविल लाइन का थाना ही उनके क्षेत्र में था 13 अगस्त, 1980 से कुछ माह पहले मुगलपुरा थाना भी उनके क्षेत्र में मिला दिया गया था तथा इस प्रकार वे 11 दिसम्बर, 1980 तक कार्य करते रहे।

उनका यह भी कहना है कि तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद श्री बी0एन0 सिंह ने रमजान तथा ईद के सम्बन्ध में 10 जुलाई, 1980 24 जुलाई, 1980 को आदेश जारी किये थे। इसके बाद उन्होंने ईदगाह तथा उसके आसपास व्यवस्था का किसे प्रभारी बनाया गया था इसका जिक्र किया है। ईद की व्यवस्था के सम्बन्ध में 13 अगस्त, 1980 को राष्ट्रीय राजमार्ग पर, ईदगाह तथा उसके आसपास की सड़कों के अतिरिक्त मुरादाबाद नगर में यातायात नियन्त्रण तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की ड्यूटी पर तैनात थे। इस कार्य मे इन्सपेक्टर श्री डी0सी0 त्यागी उनकी सहायता कर रहे थे। उस दिन प्रातःलगभग सात बजे वे अपनी ड्यूटी वाले स्थान पर पहुँच गये थे तथा वहाँ उन्होंने तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की जाँच की तथा उन्हें सतर्क तथा चौकस रहने का निदेश दिया था। प्रातः साढे नौ बजे पर उनसे कहा गया कि ईदगाह पर दंगा हो गया है। उन्होंने तुरन्त गश्त तेज कर दी तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस को सतर्क कर दिया। उन्होंने जहाँ भीड़ देखी उसे कुशलता, व्यवहारिकता से हटा दिया और घायलों को अस्पताल भिजवाया। दोपहर लगभग 12 बजे जब वह पुलिस लाइन की तरफ जा रहे थे उन्हें खबर मिली कि दंगाईयों ने पुलिस चौकी नागफनी को घेर लिया है और वे उस पर हमला कर रहे हैं। वह तुरन्त उस स्थान पर पहुँचे और उन्होंने 1000-1500 मुसलमानों की भीड़ को पुलिस चौकी पर तथा वहाँ मौजूद कर्मचारियों पर पथराव करते हुये देखा कुछ दंगाईयों के पास आग्नेयास्त्र थे तथा वे उनसे गोलियाँ चला रहे थे। इनमें से कुछ लाठियों, डन्डों तथा और अस्त्रों से लैस थे। उन्होंने उन पर पथराव किया। दंगाई चिल्ला रहे थे कि पुलिस चौकी को जला दो तथा पुलिस वालों को मार डालो। स्थिति अत्यन्त भयावह तथा गम्भीर हो गई थी और चेतावनी देने का कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिये उन्होंने भीड को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा उसे तितर बितर होने के लिये कहा। भीड़ और भी हिन्सात्मक हो गई तथा पुलिस वालों को मार डालने और चौकी की सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने पर आमादा थी। इस पर फिर एक चेतावनी दी गई कि भीड़ शान्ति पूर्वक हट जाये/अन्यथा नहीं तो गोली चलानी पडेगी परन्तु इसका भी कोई असर नहीं हुआ। चेतावनी की घोषणा करने के बाद आत्मरक्षा मे गोली चलाने के आदेश दे दिये गये थे। उन्होंने पाँच चक्र गोलियाँ चलवाई तथा जैसे ही दंगाईयों के तितर बितर होने के आसार दिखलाई पडे, गोली चलाया जाना रोक दिया गया। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि भागते समय दंगाईयों ने पुलिस चौकी नागफनी के पास रहने वाले एक हरिजन के घर को आग लगा दी है। वे तुरन्त उस स्थान पर गये तथा अग्नि शमक दल की व्यवस्था की। उस घर के पास तीन शव पाये गये। उनकी

शव परीक्षा रिपोर्टों की प्रतियाँ अनुलग्नक एक से तीन हैं । उन्होंने हेड कान्सटेबुल ओम प्रकाश को शवों को अपने अधिकार में लेने तथा उन्हें वहाँ से हटाने और उनका अन्तिम संस्कार करने की व्यवस्था करने लिये निदेश दिया । इसके बाद वे मुगलपुरा थाने पर गये तथा एक रिपोर्ट दर्ज करायी जो कि अनुलग्नक पाँच है ।

उन्होंने कहा है कि ईद के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रबन्ध किये गये थे । सभी उपलब्ध साधनों का पूरी तरह से उपयोग किया गया था तथा दंगाईयों को तितर बितर करने के लिये बल का तुरन्त इस्तेमाल किया गया था ।

उन्होंने कहा है कि वे मुरादाबाद जिले में तीन वर्षों से अलग अलग पदों पर कार्यरत रहे । उनके कथनानुसार नगर के किसी मोहल्ले में शान्ति भंग होने की कोई पूर्व सूचना अथवा लक्षण नहीं थे । जिस ढंग से हिन्सा भडकी थी और उस समय उत्पन्न परिस्थितियों से बात स्पष्ट हो जाती है कि मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता और उसके समर्थक एक गुप्त योजना के अधीन कार्य कर रहे थे । इन्होंने 13 अगस्त, 1980 की घटना के सम्बन्ध में मोहल्ला नबाबपुरा के निवासी बाबू राम तथा राधे श्याम द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्टों की प्रतियाँ भी दाखिल की हैं । अशोक कुमार की चोट रिपोर्ट की प्रति भी दाखिल की गयी है ।

श्री डी0पी0 सिंह ने बताया है कि वे 15 जुलाई, 1980 को थाना मुगलपुरा में स्टेशन हाउस आफिसर के रूप में तैनात थे । और वहाँ सितम्बर, 1980 तक रहे । इसके पहले वे 15 जुलाई, 1979 से 14 जुलाई, 1978 तक थाना सिविल लाईन में तैनात थे ।

उनके कथनानुसार डा0 शमीम अहमद खाँ पुलिस सर्किल मुगलपुरा में रफतपुरा मोहल्ले के निवासी है और सभी जानते हैं कि वे साम्प्रदायिक पक्षपात वाले व्यक्ति हैं । मई, 1980 में उत्तर प्रदेश के मध्यावधि चुनावों में अपनी हार के बाद वे जिला तथा पुलिस प्रशासन के सीधे मुकाबले में आ गये । वे उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस (ई) के उम्मीदवार से हार जाने के कारण वे बहुत निराश तथा कुंठित से हो गये थे । उनके समर्थक भी उतने ही निराश हुये थे । उन्होंने उनकी हार का कारण जिला प्रशासन की ओर से उनके प्रति बरती गई उदासीनता माना । अतः उन्होंने जिला तथा पुलिस प्रशासन को बदनाम करने और अपनी छवि सुधारने के ~~लिए=कर=लिया=था~~ प्रत्येक अवसर का लाभ उठाने का इरादा कर लिया था । 12 अगस्त, 1980 को मोहल्ला कसर शाहिद के हामिद हुसैन नामक एक व्यक्ति ने उस घटना के बारे में जो तथाकथित रूप से इन्दिरा चौक के हरिजनों के साथ घटी थी, थाना मुगलपुरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी । जाँच करने पर उसे गलत पाया गया । इस रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक "1" है ।

आगे उन्होंने जावेद की घटना का जिक्र किया है जिसमें भी डा0 शमीम अहमद खाँ ने अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की थी ।

उसके बाद उन्होंने 24 जुलाई, 1980 की उस घटना का हवाला दिया है जिसमें सराय किशन लाल के मुस्लिम निवासियों ने हरिजन बरातियों को मारा पीटा था और हरिजनों के मकानों में आग लगा दी थी ।

13 अगस्त, 1980 की घटना के सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा है कि ईद-उल-फितर शान्तिपूर्ण ढंग से मनाये जाने के लिये बडी संख्या में मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस की व्यवस्था की गयी थी । 12 अगस्त, 1980 को कोतवाली में सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) के कार्यालय में एक बैठक की गयी जिसमें किये गये प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया गया और ड्यूटी सौंपी गयी थी । 13 अगस्त, 1980 को वे एच0एस0वी0 इण्टर कालेज और इस्लामिया कालेज के बीच जिसे सेक्टर संख्या 2 बनाया गया था, ड्यूटी पर थे और उन्हें इस सेक्टर में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रभारी बनाया गया था । वह श्री राम सिंह प्लाटून कमाण्डर होम गार्ड शिव पाल के साथ प्रातः लगभग 7-10 बजे पर वहाँ पहुँचे थे । एक सरकारी जीप उनके अधिकार में थी और उसका ड्राइवर श्री मन मोहन सिंह था । सेक्टर संख्या 2 में ड्यूटियों की जाँच करने के बाद उन्होंने उन सभी को जो उस सेक्टर में तैनात थे आवश्यक अनुदेश दिये । सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) श्री ए0के0 मिश्रा तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री आर0डी0 भारतीय वहाँ दौरा करते हुये पहुँचे/इनके बाद अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0दास तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर श्री आर0एस0 सिंह पहुँचे । उन्होंने भी ड्यूटियों की जाँच की थी । और उन्होंने अधिकारियों तथा लोगों को संक्षेप में बताया । प्रातः लगभग 9-35 पर जब वह पीरजादा तिराहे से आ रहे थे तो उन्होंने बरफखाना चौराहे के पास कुम्हारों के घरों के सामने, मुस्लिम दंगाईयों की भारी भीड़ देखी। दंगाई चिल्ला रहे थे कि चौराहे पर तैनात कान्सटेबुलों को जान से मार दिया जाये और उनके हथियार छीन लिये जाये । दंगाई बेल्चों, लाठियों, चाकूओं तथा अग्नेयास्त्रों से लैस थे । उन्होंने दंगाईयों को ललकारा और उन्हें चेतावनी दी कि वे तितर बितर हो जायें लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ । दंगाईयों ने उन पर तथा उनके साथ पुलिस बल पर हमला कर दिया जिससे उन्हें तथा सब इन्सपेक्टर श्री राम सिंह तथा ड्राइवर मनमोहन सिंह के चोटें लगी । पुलिस जीप भी क्षतिग्रस्त हो गयी थी । उन्हें पता चला कि बरफखाना चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात पी0ए0सी0 के दो कान्सटेबुलों और सिविल पुलिस के एक कान्सटेबुल को मार डाला गया है और पी0 ए0सी0 के कान्सटेबुलों की राइफलें छीन ली गयी हैं बार बार चेतावनियाँ देने के बावजूद भी दंगाई उनकी ओर गोली चलाने लगे । अपनी जान और सरकारी माल को काफी खतरा देखकर उन्होंने सब इन्सपेक्टर राम सिंह को दंगाईयो पर गोली चलाने का आदेश दिया। श्री राम सिंह ने उचित चेतावनी देने के बाद अपने सर्विस रिवाल्वर से दस चक्र गोलियाँ चलायीं । जैसे ही दंगाईयों के तितर बितर होने का संकेत मिला गोली चलाना रोक दिया

गया था । दंगाईयों के तितर बितर होने के बाद वह कुम्हारों के धारा के पास गये और वहाँ उन्हें तीन शव ।दो पी0ए0सी0 कर्मियों तथा एक सिविल पुलिस कर्मी का। मिला । पी0ए0सी0 कान्सटेबुलों के आग्नेयास्त्र दंगाई ले गये थे । थोड़ी ही दूर पर सोलह और शव पड़े हुये मिले । वे लोग भागदड़ में मरे थे । उसी जगह पर जनता के एक और व्यक्ति के चोटें आयीं थीं और जो बाद में अस्पताल में मर गया । इन बीस व्यक्तियों की शव परीक्षण रिपोर्टें लिखित बयान के साथ संलग्न की गई है ।

उन्होंने यह भी कहा है कि वे कटघर थाने वापस आये और इन घटनाओं के बारे में रिपोर्ट दर्ज करायी । उन्होंने अभियुक्तों में डा0 शमीम अहमद खाँ सहित कई व्यक्तियों के नाम दिये । थाने में उन्हें पता चला कि उस स्थान पर पी0ए0सी0कर्मियों द्वारा नौ चक्र गोलियाँ चलायी गई थी । उनकी रिपोर्ट की प्रति भी लिखित बयान के के साथ संलग्न की गई है । उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों ने अपनी चोटों की जाँच करायी थी और उनकी चोटों की रिपोर्टें भी दाखिल की गयी है । बाद में मुगलपुरा थाना क्षेत्र ।सर्किल। से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद हुये थे ।

उन्होंने यह भी कहा है कि वहाँ ऐसी कोई पूर्व सूचना नहीं थी कि वहाँ कोई दंगा हो सकता है । यह एक गुप्त योजना के परिणाम के रूप मुसलमानों के किसी वर्ग का कार्य था । मुगलपुरा थाने की सीमा के अन्दर पाये गये शवों की शव परीक्षण रिपोर्टें भी लिखित बयान के साथ संलग्न की गई है ।

श्री जगदीश सिंह ने अपना लिखित बयान दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे 3 जुलाई, 1980 को स्टेशन हाउस आफिसर कोतवाली के रूप में तैनात किये गये थे और वे अपना लिखित बयान दाखिल करने के दिनांक को भी वे वहाँ कार्यरत थे । उन्होंने कोतवाली में सर्किल आफिसर नगर ।प्रथम। के कार्यालय में 12 अगस्त, 1980 को की गई बैठक और उस बैठक में की गयी चर्चा का हवाला दिया है । 13 अगस्त, 1980 को वह ईदगाह के निकट भूरा का चौराहा पर जो सेक्टर संख्या 3 में पड़ता है, ड्यूटी पर तैनात थे । उन्हें उस सेक्टर का प्रभारी बनाया गया था । और वे वहाँ प्रातःलगभग7-00बजे पहुँच गये थे । पुलिस बल को सौंपी गई ड्यूटीयों की जाँच करने के बाद उन्होंने उन्हें आवश्यक अनुदेश दिये थे । सर्वश्री बी0बी0दास, आर0एस0 सिंह,आर0डी0भारतीय तथा ए0के0 मिश्रा ने भी यही किया था । ईदगाह पर हिन्सा भड़कने के बाद नगर में कई स्थानों पर दंगे हुये थे । सुबह लगभग 11-10 बजे लगभग सात या आठ सौ मुसलमानों ने कोतवाली घेर लिया और पथराव किया । सब इन्सपेक्टर श्री हरपाल सिंह ने उन्हें चेतावनी दी थी किन्तु उसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने लाठी चार्ज कराया । वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कोतवाली पहुँचने पर दंगाई भाग गये । श्री हरपाल सिंह ने इसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करायी थी जो अनुलग्नक"।" है । उन्होंने यह भी कहा कि

मुस्लिम दंगाईयों ने नियन्त्रण कक्ष की गाडी संख्या यू0टी0यू0-2081 को जो नियन्त्रण कक्ष के सब इन्सपेक्टर श्री चरण सिंह मलिक के प्रभार में थी, जिला अस्पताल में जहाँ वह उस गाड़ी में घायलों को लाये थे, घेर लिया गया था तथा उस पर पथराव किया था। कोतवाली में इसकी भी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जो अनुलग्नक"2" है।

उन्होंने यह भी कहा है कि लगभग डेढ़ बजे दिन में जब वह कोतवाली में थे उन्हें नीम की पियाऊ तथा बाजार गंज में मुसलमानों तथा हिन्दुओं के बीच झगड़ा हो जाने की सूचना मिली। वे तुरन्त उस घटना स्थल पर गये जहाँ उन्होंने जनता के दोनों समुदायों द्वारा दूसरे पर पथराव करते तथा बोतलें फेंकते देखा। वे घातक हथियारों से लैस थे और दूकानों को लूट रहे थे और इनमें आग लगा रहे थे। पुलिस बल को देखकर वे तितर बितर हो गये थे। उन्होंने इसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करायी जो अनुलग्नक "3" है।

उन्होंने यह बात साफ तौर से इन्कार की है कि प्रशासन ने ऐसी कोई पहले सूचना दी थी कि ईदगाह में दंगा उठ खड़ा होगा।

बाद में उन्होंने 31 मई, 1980 को हुई उस घटना का हवाला दिया जिसमें डा0 शमीम अहमद खाँ के समर्थकों तथा उनके विरोधियों के बीच झड़पें हुई थी। इसके बारे में थाना कोतवाली में नौ रिपोर्टें दर्ज करायी गई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि 13 अगस्त, 1980 की घटनाओं के सम्बन्ध में कुल मिलाकर तीस रिपोर्टें दर्ज करायी गयी थी और कोतवाली पुलिस द्वारा मुसलमानों के घरों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारुद बरामद किया गया था। उनके कथनानुसार ईदगाह तथा शहर के अन्य स्थानों पर जिस ढंग से दंगा शुरु हुआ था और जिस प्रकार से वह बढ़ा इससे प्रतीत होता है कि दंगाईयों ने कोई अति गोपनीय योजना बनाकर ऐसा कार्य किया था। उन्होंने कई रिपोर्टों शव परीक्षण तथा चोट की रिपोर्टों की प्रतियाँ दाखिल की हैं नीम की पियाऊ तथा बाजार गंज के घटनास्थल का जहाँ घटनायें हुईं, नक्शा भी दाखिल किया गया है।

प्रति शपथ-पत्र तथा प्रत्युत्तर शपथ-पत्र

श्री मुख्तार अहमद एडवोकेट ने अपने प्रति शपथ पत्र में श्रेणी "ख" में आने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा लगाये गये आरोपों के औचित्य को चुनौती दी है। और यह तर्क दिया है कि उन्होंने (श्रेणी "ख" के) मुसलमानों को मारने की पूर्व योजना बनायी थी। "मुरादाबाद जल रहा है" नामक शीर्षक के अधीन नागरिक परिषद मुरादाबाद द्वारा भारत के प्रधान मन्त्री को भेजे गये ज्ञापन की प्रति से इस गुट के व्यक्तियों के विचारों का पता चलता है।

श्रेणी "ग" में आने वाले पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिये

गये तर्कों के सम्बन्ध में उन्होंने दावा किया है कि वे भी असंगत, झूठे, मनगढ़न्त तथा बाद के विचार हैं। अपनी विशेषाधिकृत स्थिति के कारण उन्हें अपने लिखित बयान के साथ संलग्न अनुलग्नकों के रूप में पेन्डोरा का सन्दूक तैयार करने का पूरा मौका मिला उनकी श्रेणी "ख" के व्यक्तियों संगठनों के साथ मौन सहमति है और वह उन्हें बचाने में रुचि रखते है ।

उनके द्वारा दाखिल किये गये प्रत्युत्तर शपथ पत्र मे कोई नया तथ्य शामिल नहीं है ।

डा0 हामिद खाँ ने अपने प्रति शपथ पत्र में सिर्फ यही कहा है कि खाकसार स्वंयसेवक कभी भी बेल्चे लेकर किसी बैठक उत्सव अथवा सार्वजनिक सभा में शामिल नहीं होते हैं । वे केवल अपनी नियत की गई वर्दी में ही रहते है और आम भीड़ भाड़ में शान्ति और अनुशासन बनाये रखने में सहायता पहुँचाते है । उन्होंने यह स्वीकार किया है कि खाकसार स्वंयसेवक अपनी वर्दी में उस दिन ईदगाह में मौजूद थे और उन्होंने बैठने की व्यवस्था की थी किन्तु उनकी संख्या बीस से अधिक नहीं थी किन्तु उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि उनके संगठन के किसी स्वंयसेवक ने "मारो मारो" चिल्लाया था अथवा शान्ति भंग करने के लिये पुलिस पर हमला करने के लिये नमाजियों को उकसाया था इसके विपरीत उन्होंने शान्ति बनाये रखने की कोशिश की थी । खाकसार स्वंयसेवकों ने न तो पुलिस या किसी अन्य पर हमला किया और न ही उन्होंने किसी मुसलमान को पथराव करने अथवा पुलिस पर हमला करने के लिये नमाजियों को उकसाते हुये ही देखा । उन्होंने यह भी कहा है कि वह स्वंयसेवकों से ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते थे क्योंकि वह नमाज में शामिल होने के लिये अपने दो छोटे बच्चों के साथ गये थे । उन्होंने यह भी कहा है कि मुरादाबाद मे प्रशासन तथा बहुसंख्यक समुदाय का उग्रपन्थी गुट खाकसार हक आन्दोलन के खिलाफ है और उसने इसके विरुध निराधार आरोप लगाये हैं । उन्होंने इस बात को दोहराया है कि पुलिस कर्मियो ने बिना किसी औचित्य के गोली चलायी थी ।

शहर इमाम ने कोई प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया है बल्कि उन्होंने केवल प्रत्युत्तर शपथ पत्र ही दाखिल किया है जिसमें उन्होंने ईदगाह की घटना के बारे में कोई नयी बात नहीं कही है किन्तु उन्होंने यह बात दोहरायी कि यह घटना फासिस्टवादी आप्रवासी गुट तथा प्रशासन के बीच साठगाँठ का परिणाम थी । उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि मुरादाबाद के मुसलमान इस्लाम के रूढ़वादी सिद्धान्तों में विश्वास करते है ।

डा० शमीम अहमद खाँ ने कोई प्रति शपथ पत्र या प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल नहीं किया है परन्तु उन्होंने एक प्रति कथन की दाखिल किया है जिसका न तो सत्यापन किया गया है और न उसकी शपथ पत्र द्वारा पुष्टि ही की गयी है । इसलिये आयोग द्वारा बनायी गयी नियमावली को दृष्टिगत रखते हुये इस पर विचार नहीं किया जा सकता । फिर भी प्रति कथन में उन्होंने केवल श्रेणी 'ख' तथा 'ग' के लोगों द्वारा उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों से इन्कार किया है । इसमें जो नये तथ्य बताये गये है वे ये है कि जिला मजिस्टेट मुरादाबाद ने ईद के प्रबन्धों के सिलसिले में कोई बैठक नहीं की थी और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू होने के बावजूद ग्रामीणों के जूलूस को शहर में प्रवेश करने तथा प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी । उनका यह भी कहना है कि ईदगाह में नगरपालिका या खाकसारों का कोई शिविर नहीं था और अधिकारी गण अमन कमेटी के शिवर में बैठे हुये थे । उनके कथनानुसार श्री डी०पी० सिंह को ईद गाह में नहीं देखा गया और अमन कमेटी के शिविर के दक्षिणी ओर से पथराव शुरु हुआ था । उन्होंने यह भी कहा है कि गोली चलाने के पूर्व न तो चेतावनी दी गयी न अश्रुगैस के गोले छोड़े गये और न लाठी चार्ज ही किया गया । उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि बरफखाना तहसील स्कूल अथवा पुलिस चौकी नागफनी में कोई घटना हुई थी उनके कथनानुसार पुलिस तथा प्रशासन द्वारा बरफखाना पर ईदगाह में मारे गये लोगों के कुछ शव डलवा दिये गये थे और यह कहानी ईदगाह में चलायी गयी गोली के औचित्य को सिद्ध करने के लिये गढ़ी गयी थी । उन्होंने शहर में कहीं भी हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच झगड़ा होने की किसी बात से इन्कार किया है ।

हरी ओम शर्मा ने अपने प्रति शपथ पत्र में बताया है कि वह 24 जुलाई, 1980 को मुसलमानों द्वारा बाल्मीकियों पर किये गये अत्याचार के सम्बन्ध में टाउन हाल अथवा किसी अन्य स्थान पर हरिजनों की किसी बैठक में शामिल नहीं हुये । उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक साम्प्रदायिक संगठन है अथवा कभी रही कहाँ तक कि मुस्लिम नेता भी इसी विचार के है । श्री सिकन्दर बक्त इसके महामन्त्री और अनेक राष्ट्रवादी मुसलमान इसके सदस्य हैं । यह पूर्णतया राष्ट्रवादियों की पार्टी है और धर्मनिरपेक्षवाद में विश्वास करती है । इसने हमेशा डा० शमीम अहमद खाँ, श्री हाफिज-

मोहम्मद सिद्दिकी जैसे सम्प्रदायवादियों और बहुत से अन्य लोगों का पर्दाफाश किया है।

उन्होंने यह भी कहा है कि दंगों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों सम्प्रदायों अर्थात हिन्दुओं और मुसलमानों की सहायता की थी तथा उनके लिये आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करायीं थीं और हर प्रकार की सहायता की। भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ का कोई सदस्य यह नहीं जानता था कि ईदगाह में ऐसा विध्वंस होगा और इन दोनों संगठनों की राजनैतिक स्वार्थ के कारण से निन्दा की जा रही है। मुरादाबाद में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ लगभग नहीं के बराबर है और भारतीय जनता पार्टी का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनैतिक पार्टी है जब कि राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है जिसके द्वारा उन सबके लिये खुले हुये है, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं।

श्री दयानन्द गुप्ता ने प्रतिशपथपत्र तथा प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल किये हैं। अपने प्रतिशपथ पत्र में उन्होंने कहा है कि वह लगभग वर्ष 1980 के अन्त तक आजीवन कांग्रेस तथा कांग्रेस (ई) के सदस्य रहे है। वह लगभग ग्यारह वर्ष कांग्रेस (ई) कमेटी के अध्यक्ष रहे और 1980 में आखिरी कर्फ्यू के दिनों के बाद ही इससे त्यागपत्र दे दिया था।

13 अगस्त, 1980 को वह ईदगाह में थे और उन्होंने उस क्षेत्र में कोई सुअर आते जाते नहीं देखा। उनके कथनानुसार यह कहानी बिल्कुल मनगढ़न्त है और मुसलमानों द्वारा किये गये छोटे मोटे विद्रोह को छिपाने के लिये गढ़ी गयी। सभी मुसलमान नेता जिनमें डॉ0 फाहिम अहमद, डॉ0 शमीम अहमद खां, श्री मुख्तार अहमद डॉ0 हामिद हुसैन तथा अन्य व्यक्ति उसी गुट के हैं और इनकी दिलचस्पी जिला प्रशासन तथा पुलिस की निन्दा करने में ही है। शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने वाले फोर्स (बलों) के विरुद्ध मुस्लिम लीग के लोगों लाकसारों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा शुरु किये गये प्रदर्शन तथा निर्दोष हिन्दुओं पर उनके द्वारा किये गये हमले उनके घर जलाना, उनकी हत्या करना, इन सबसे हिन्दू अपनी सुरक्षा व्यवस्था करने और भारत के प्रधान मन्त्री को प्रतिवेदन भेजने के लिये मजबूर हो गये। उनकी इस इच्छा ने ~~नागरिक~~

मुरादाबाद में नागरिक परिषाद को जन्म दिया । इसी प्रकार से स्थानीय कांग्रेस (ई) के कुछ कार्यकर्ताओं पर परोक्ष रूप से किये गये संकेत और अप्रत्यक्ष रूप से लगाये गये आरोप विद्वेषपूर्ण निराधार तथा उनका उद्देश्य मामले को उलझाना है । उन्होंने 13 अगस्त, 1980 को ढाई बजे दिन में अथवा किसी दूसरे समय कोतवाली जाने की बात से साफ साफ इन्कार किया है । उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया है कि कोतवाली में जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे परामर्श किया था । उनका प्रत्युत्तर शपथ पत्र डा0 शमीम अहमद खाँ द्वारा अपने प्रति शपथ पत्र में लगाये गये आरोपों तक ही सीमित है । उन्होंने बताया है कि डा0शमीम अहमद खाँ द्वारा अपने प्रति-शपथ पत्र के पैरा-2 में हिन्दू पार्टियों और नेताओं के विरुध जो आरोप लगाये गये हैं वे बिलकुल गलत है । उन्होंने मुस्लिम लीग के कार्यों की कभी सराहना नहीं की और न ही उसके सभामंच से किसी आम सभा को सम्बोधित किया ।

श्री दयानन्द गुप्ता की 25 मार्च, 1982 को मृत्यु हो गयी और श्री विनोद गुप्ता को उनकी व्यक्तिगत हैसियत में लिखित बयान चुनने की अनुमति दे दी गयी थी ।

नागरिक परिषाद मुरादाबाद की ओर से इसके उपाध्यक्ष द्वारा प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है । उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि प्रशासन द्वारा निर्दोष मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था । दूसरी ओर भिन्न भिन्न स्थानों पर कई मुसलमानों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब कि वे आगजनी के कार्य कर रहे थे/निर्दोष हिन्दुओं तथा पुलिसजनों को लूट रहे थे तथा मार रहे थे । मुसलमानों के पास से मार्टर, रायफलें हथगोले, बन्दूकें, रिवाल्वर, चाकू, छुरे तथा बेल्चे आदि बड़ी संख्या में बरामद किया गये । उन्होंने इस बात को दोहराया है कि कोई भी हिन्दू यह दंगा नहीं कराना चाहता था । मुरादाबाद में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संगठन लगभग समाप्त हो गया है और इसके किसी भी व्यक्ति का दंगे कराने में हाथ नहीं था । मुरादाबाद में नागरिक स्वतन्त्रता हेतु कोई नागरिक परिषाद नहीं थी और मुख्तार अहमद ने आयोग के समक्ष केवल एक झूठी बात कहने के लिये इसके वहाँ होने की बात कही है। ईदगाह में भागदड़ में जो मुसलमान मरे थे वह मुसलमानों की अपनी बेवकूफी का नतीजा था ईदगाह के पास कहीं भी कोई सुअर नहीं था और कुछ मुसलमानों ने अपने दिमाग से बढ़ कर दंगा कराने के लिये एक बहाने के रूप में सुअर घुस आने की बात कही थी । उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया है कि पुलिस ने शवों की अन्त्येष्टि गुप्त रूप से की । उनके कथनानुसार श्री मुख्तार अहमद एडवोकेट ईदगाह पर नहीं थे और उन्होंने मृत व्यक्तियों की जो सूची दी है वह केवल उनकी कल्पना पर ही आधारित है । उन्होंने यह भी कहा है कि सिविल लाइन्स में कर्फ्यू इसलिये नहीं लगाया गया था क्योंकि उस क्षेत्र में न तो कोई घटना हुई थी और न ही कोई भी घटना घटित हुई थी ।

कोई घटना ही घटित हुई थी और न ही शान्ति भंग होने का कोई आशंका थी हिन्दुओं तथा प्रशासन की ओर से कोई साजिश नहीं की गई थी, वरना नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी न मारे गये होते तथा बडी संख्या मे लोक सेवकों और हिन्दुओं को चोटें न लगती ।

उन्होने यह भी कहा है कि डा0 शमीम अहमद खाँ 1974 से उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन में लगभग 85 मतों के थोड़े से अन्तर से हार गये थे । वे मुसलमानों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे और इस प्रयोजन के लिये वे प्रत्येक अवसर का अनुचित लाभ उठाने लगे ईदगाह में जो संहार हुआ था वह पूर्णतः डा0 शमीम अहमद खाँ के षड्यन्त्रकारी मस्तिष्क की उपज थी । उन्होने भी इस बात को दोहराया है कि स्थानीय हिन्दुओं तथा पंजाबी शरणार्थियों में आपस में कोई मतभेद नहीं थे । हिन्दुओं के सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार डा0 चोपडा का समर्थन बिना किसी भेदभाव के किया गया था । काफी बडी संख्या में हिन्दुओं ने (स्थानीय तथा पंजाबी दोनों ने) कांग्रेस (ई) उम्मीदवार श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी का समर्थन किया था । हिन्दू चाहे वे स्थानीय हो अथवा पंजाबी अपने देश से प्रेम करते है और उसकी समृद्धि में हितबद्ध रहते है । वे किसी अन्य स्थान पर (देश में) बसने के लिये नहीं जा सकते है । अतः वे अपनी सरकार के प्रति सर्वाधिक विश्वासपात्र हैं । एक स्थानीय विधान सभा सदस्य श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी ने जिन्होंने घटना को स्वयं देखा था, न तो कोई लिखित बयान दाखिल किया है और न ही वे आयोग के समक्ष अपना बयान देने के लिये आयेंगे । यदि वे सचाई बताते है तो इससे मुसलमान क्षुब्ध हो जायेंगे और उन्हें सत्तारूढ पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ सकता है ।

उन्होने यह भी कहा है कि पुलिस अथवा पी0ए0सी0 कर्मिकों ने कभी भी शान्ति प्रिय नमाजियों पर गोली नहीं चलायी । गोली अन्तिम उपाय के रूप में केवल तभी चलायी गयी थी जब प्रत्येक व्यक्ति की जानमाल को खतरा पैदा हो गया था डा0 शमीम अहमद खाँ तथा श्री हुमायूँ कादिर ने यह गलत कहा है कि उन्होने मोहल्लागंज बारादरी, डिप्टीगंज तथा हिन्दुओं की बस्ती वाले अन्य मोहल्लों में चक्कर लगाया था यह बयान इन स्थानों पर घटनाओं का चश्मदीद गवाह बनने के लिये ही दिया गया । यदि हिन्दुओं में कोई उग्रवादी तानाशाही तत्व था और डा0 शमीम अहमद खाँ तथा अन्य मुसलमानों ने नगर का एक चक्कर लगाया होता तो वे बच नहीं सकते थे । डा0 शमीम अहमद खाँ का पूर्ववृत्त अच्छा नहीं है यहाँ तक कि वह 1975 में आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) में तथा 1980 मे राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के अधीन रोक रखे गये थे ।

श्री सन्तोष शरण ने अपने शपथ पत्र में यह बात दोहरायी है कि पिछले

वर्षों की भाँति इस ईद के अवसर पर भी सुअरों को सुअरबाड़े में बन्द रखा गया । उस दिन एक भी सुअर ईदगाह की तरफ नहीं गया । राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ का टाउन हाल में हुयी बैठक से कोई सम्बन्ध नहीं था । यह बैठक केवल हरिजनों द्वारा ही आयोजित की गयी थी जिसमें उनके नेता श्री मंगल प्रेमी सम्मिलित हुये थे। श्री आर्या ने उनकी समस्याओं के प्रति कभी भी उचित ध्यान नहीं दिया । दूसरी ओर उन्होंने 24-7-1980 की घटना के सम्बन्ध में मुसलमानों को बचाने का प्रयास किया । उनके सुअर मारे जाने के सम्बन्ध में उनकी रिपोर्ट सही थी परन्तु मुसलमानों को केवल खुश करने के लिये उस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी । उन्होंने इस बात से साफ तौर से इन्कार किया है कि हरिजनों ने ईद के इनाम की माँग ईद के एक दिन पहले की थी । हरिजन नगर में अनेक स्थानों पर मुसलमानों के बीच रहते है और उनकी नाराजगी का खतरा मोल नहीं ले सकते ।

श्री रमेश चन्द्र गोयल अधिवक्ता (एडवोकेट) मुरादाबाद ने जिन्हें अधिनियम की धारा 8ख के अधीन कोई नोटिस नहीं जारी किया गया था डा० शमीम अहमद खाँ द्वारा अपने लिखित बयान में लगाये गये आरोपों के उत्तर में एक शपथ पत्र स्वप्रेरणा से दिया है। वे विधिक संस्था (बार एसोसिएशन) मुरादाबाद के सेक्रेटरी थे और आज भी उसी पद पर हैं । वह जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रेसीडेन्ट तथा नागरिक परिषद के महामन्त्री है। वे काफी लम्बे समय से आर्यसमाज तथा आर्य कन्या विद्यालय प्रबन्ध समिति मुरादाबाद के सेक्रेटरी रहे है । वह बाल निकेतन नर्सरी बाल विद्यालय के प्रबन्धक है और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वकील (काउन्सेल) के रूप में अपना लिखित बयान आयोग के समक्ष दाखिल किया है ।

उनके कथनानुसार वह 13-8-1980 को प्रातःसाढ़े नौ बजे अपने घर में थे और उन्होंने नागफनी पुलिस चौकी के पास गोली चलने की आवाज सुनी थी। उसके बाद ही कुछ बूंदा बाँदी होने लगी और उन्हें यह पता चला कि ईदगाह में एक गम्भीर घटना घटित हो गयी हैं और उसमें बहुत से अधिकारियों तथा हिन्दू सामाजिक कार्यकर्ताओं को चोटें लगी हैं । पुलिस चौकी नागफनी उनके मकान से लगभग 2 फर्लांग की दूरी पर है तथा ईदगाह से लगभग ढाई किलोमीटर की दूरी पर स्थिति है । उन्होंने यह बताया कि वे दिनभर अपने मकान में रहे तथा कोतवाली अथवा किसी अन्य स्थान पर, जैसा कि डा० शमीम अहमद खाँ ने आरोप लगाया है, नहीं गये। उस दिन तक वह न तो जिला मजिस्ट्रेट से मिले थे और न ही उस घटना के बाद किसी अधिकारी ने उन्हें कोतवाली पूछताँछ के लिये बुलाया था ।

श्रेणी "ग" से (अर्थात प्रशासन की ओर से) केवल नौ अधिकारियों अर्थात सर्वश्री एस०पी० आर्या, वी०एन० सिंह, बी०बी०दास, आर०एस० सिंह, ए०के० मिश्रा, के०एम०पाण्डे, वी०वी०लाल, टी०सी०त्यागी, तथा आर. एस. अग्रवाल ने प्रति शपथ पत्र दाखिल किये है ।

श्री एस0पी0 आर्या ने भी एक प्रत्युत्तर शपथ-पत्र दाखिल किया है इनमें से सभी ने उन आरोपों का खण्डन किया है जिन्हें समूह "क" तथा ख के व्यक्तियों ने उनके विरुध लगाया था और अपने लिखित बयान में लगाये गये आरोपों को दोहराया है।

श्री एस0पी0 आर्या के कथनानुसार 13-8-1980 को हुयी घटनाओं में नगर में भिन्न भिन्न स्थानों पर केवल चौरासी व्यक्ति मरे थे, जिनके ब्योरे लिखित बयान में दिये गये हैं घायल व्यक्तियों का इलाज कराने तथा शवों के उचितरूप से अन्तेष्टि करने के लिये सभी सम्भव व्यवस्थायें की गयी थी । स्थिति को देखते हुये करफ्यू लगाया गया था। न तो प्रशासन की ओर कोई साजिश की गयी थी और नहीं उसने (प्रशासन) ने किसी हिन्दू पक्ष (पार्टी) अथवा कोई और धर्म के साथ साजिश की थी । उन्होंने यह भी कहा है कि वह न तो किसी स्थान को गुप्त रूप से (छिपे-छिपे) देखने गये और न ही कोई भाषण दिया । उन्होंने अपनी ड्यूटी साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित होकर नहीं की ।

उन्होंने डा0 शमीम अहमद खाँ, श्री हबीबुल रहमान, श्री हाफिज अली जान, डा0हमीद हुसैन खाँ, श्री खान अब्दुल बद्रूद तथा श्री हुमायूँ कादिर द्वारा लगाये गये आरोपों का भी खण्डन किया है । उनके कथनानुसार जिला के अधिकारी अमान कमेटी के शिविर में नहीं थे बरन वे नगरपालिका के शिविर में थे । एहतियात के तौर पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिये अश्रुगैस के गोले छोड़े गये थे तथा लाठी-चार्ज किया गया । गोली अन्तिम उपाय के रूप में ही चलाई गयी थी । उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया है कि उन्होंने जिला अधिकारियों तथा हिन्दू नेताओं की कोई बैठक कोतवाली में बुलाई थी तथा शमीम अहमद खाँ को बरामदे मे इन्तिजार करते रहने के लिये कहा गया था । डा0 शमीम अहमद खाँ के कथनानुसार जो बातचीत तथा कथन उनके (श्री एस0पी0 आर्या) तथा हिन्दू नेताओं के मध्य हुये, वे उनकी कपोल-कल्पना है । डा0 शमीम अहमद खाँ न तो किसी अफवाह के बारे में कभी कोई सुझाव दिया था और न ही उन्हें किसी ऐसी अपवाह की जानकारी ही मिली थी ।

उन्होंने डा0 ~~शमीम अहमद~~ हमीद हुसैन खाँ द्वारा लगाये गये इन आरोपों का भी खण्डन किया है कि गोली चलाने के आदेश श्री ए0के0 मिश्रा, सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) ने दिये थे इसके ब्योरे उनके लिखित बयान में पहले ही दिये जा चुके है ।

उन्होंने हुमायूँ कादिर के इन आरोपों का कि श्री के0एम0 पाण्डे, सर्किल आफिसर नगर (द्वितीय) ईदगाह में मौजूद थे, खण्डन किया है । दरअसल वह एक अन्य स्थान पर ड्यूटी पर थे ।

जहाँ तक कि हिन्दुओं तथा श्रेणी "ख" के अन्य संगठनों द्वारा लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने लिखित बयान में इन घटनाओं के पूरे ब्योरे दिये है श्री दयानन्द गुप्ता ने अपने लिखित बयान के पैराग्राफ 1 तथा 12 में जो

आरोप लगाये थे उनका खण्डन किया गया है । उसी प्रकार से उन्होंने उन आरोपों का खण्डन किया है जो श्री हरी कृष्ण दास टण्डन ने अपने लिखित बयान के पैरा 5 में कहे थे। श्री हरी ओम शर्मा ने अपने लिखित बयान के पैराग्राफ 14 में जो आरोप लगाये थे उनका भी खण्डन किया गया है ।

श्री वी०एन० सिंह ने भी अपने प्रति शपथ पत्र में उन आरोपों का खण्डन किया है जो मुस्लिम पक्षों (पार्टियों) तथा संगठनों ने अपने लिखित बयान में लगाये थे । उनके कथनानुसार जिला प्रशासन ने तथाकथित उग्रवादी तानाशाही तत्वों, यदि कोई थे, के साथ न तो कभी सहयोग किया और न उनकी रक्षा ही की । उन्होंने यह भी कहा है कि 13-8-1980 को जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था और शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये सभी एहतियात कर ली गई थी । ईदगाह क्षेत्र में न तो कोई सुअर घुसा और न ही किसी ने कोई सुअर घुसते देखा था । उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने कोई इस प्रकार का बयान दिया था कि ईद के जमाव में ऐसे व्यक्तियों को देखा गया था ~~कि=ईद=के=जमाव~~ जो नमाज नहीं पढ रहे थे वरन् इधर उधर घूम रहे थे। उनके कथनानुसार यह बिलकुल झूठी बात है कि उन्होंने कभी ऐसी आदेश दिया था कि गोली न चलाई जाये । स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी थी और गोली चलाना आवश्यक सा था। उन्होंने उन घटनाओं के ब्योरे दिये है जो 13-8-1980 को ईदगाह में घटित हुयी थीं । उनका निश्चियपूर्वक यह भी कहना है कि दंगाईयों को तितर बितर करने के लिये अश्रुगैस के गोले छोडे गये थे । जिस समय गोली चलाई गयी थी उस समय वह पहले से ही घायल थे और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया था । इसलिये नमाजियों पर गोली चलाना रोक देने के सम्बन्ध में कहने का उन्हें कोई अवसर ही नहीं मिला था ।

उन्होंने हिन्दू पक्षों अथवा संगठनों द्वारा दाखिल किये गये लिखित बयानों के सम्बन्ध में वे ही आरोप लगाये हैं जो श्री एस०पी० आर्या ने अपने प्रतिशपथ पत्र में लगाये थे ।

सर्वश्री बी०बी०दास, आर० एस० सिंह, बी०बी०लाल, ए०के० मिश्र, टी०सी०त्यागी तथा आर०एस० असवाल ने भी उन आरोपों का साफ तौर से खण्डन किया है जो उनके विरुध्द लगाये गये थे और उन्होंने अपने लिखित बयानों में जो आरोप लगाये थे उन्हें फिर से दोहराया है । श्री ए०के० मिश्र ने यह भी कहा कि उन्हें ईदगाह क्षेत्र में कोई भी सुअर नहीं दिखाई दिया था और उन्होंने नमाजियों से कभी भी यह नहीं कहा कि "गल्ती हो गयी अब तो निभा लो "

सर्वश्री डी०पी०सिंह, जगदीश सिंह तथा राम सिंह नामक इन्सपेक्टरों ने जिन्होंने कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किये थे, मुसलमानों द्वारा दाखिल किये गये विभिन्न

लिखित बयानों को देखने के बाद प्रतिभापथ पत्र दाखिल किये हैं । इनमें से सभी इन्सपेक्टरों ने उन आरोपों का खण्डन किया है जो मुस्लिम वर्ग ने अपने लिखित बयान में उनके विरुध लगाये थे ।

अधिनियम की धारा 8-ख के अधीन नोटिस

शहर इमाम ने अपने लिखित बयान में थाना कोतवाली के तत्कालीन इन्सपेक्टर श्री हकीम राय, एक स्थानीय दन्त चिकित्सक डा0 हन्स राज चोपड़ा, और तथाकथित रूप से पुलिस उपाधीक्षक मुरादाबाद के रूप में तैनात श्री ए0के0 जैन के विरुध कुछ आरोप लगाये है और आयोग की यह राय है कि इस जाँच के द्वारा इन व्यक्तियों की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । अतः उनको बयानों के संगत उद्धरणों सहित नोटिसें भेजी गयीं जिससे कि उन्हें उनकी बाते सुनने और प्रतिरक्षा में अधिनियम की धारा 8 ख द्वारा यथापेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके । उनमें से प्रथम दो ने अपने शपथ पत्र दाखिल कर दिये । श्री ए0के0 जैन के नोटिस इस सूचना के साथ वापस प्राप्त हो गये कि उस समय मुरादाबाद में इस नाम का कोई अधिकारी तैनात नहीं था । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि श्री ए0के0 मिश्रा के स्थान पर श्री ए0के0 जैन का उल्लेख गलती से कर दिया गया था ।

हकीम राय ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि वह 3-7-1978 से 3-7-1980 तक इन्सपेक्टर कोतवाली के रूप में तैनात थे और 13-8-1980 को मुरादाबाद में नहीं थे । इस दिनांक को वह जिला अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी में तैनात थे और उनके (हकीम राय के) विरुध लगाये गये आरोप बिल्कुल झूठे है ।

डा0 हंसराज चोपडा ने 1-8-1980 को मुरादाबाद में टाउन हाल में कोई बैठक होने तथा उस बैठक को उनके द्वारा सम्बोधित किये जाने की बात से स्पष्ट तथा इन्कार किया है । उनके कथनानुसार डा0शमीम अहमद खाँ तथा शहर इमाम ने इस आशय के आरोप आयोग के समक्ष केवल मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिये ही लगाये है उनका कहना है कि उन्होंने उस दिन कोई घटना नहीं देखी थी ।

श्री सतीश चन्द्र नरुला ने, जिन्हें अधिनियम की धारा 8-ख के अधीन कोई नोटिस नहीं जारी किया गया स्वतः प्रेरणा से एक शपथ पत्र यह बताते हुये दाखिल किया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के महामन्त्री थे और आज भी हैं वे डा0 हन्सराज चोपडा के सम्बन्धी है क्योंकि डा0 चोपडा की पुत्री उनके (श्री सतीश चन्द्र नरुला के) सगे भाई से ब्याही है । दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य

है । पिछले विधान सभा निर्वाचनों में डा0 हंस राज चोपड़ा जनता पार्टी के एक उम्मीदवार थे और उन्हें हिन्दुओं के सभी समुदायों का समर्थन मिला था, चाहे स्थानीय हों अथवा पंजाबी/यहाँ तक कि उन्हें कुछ मुसलमानों का भी समर्थन मिला था । उन्होंने डा0 चोपड़ा को टिकट दिये जाने के सम्बन्ध में हिन्दुओं द्वारा रोष प्रकट किये जाने की बात से इन्कार किया है । श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण टिकट के लिये आवेदन नहीं किया था । कुछ अन्य व्यक्तियों से भी चुनाव लड़ने के लिये कहा गया था परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया । अतः चुनाव लड़ने के लिये टिकट डा0 हंसराज चोपड़ा को दिया गया । डा0 शमीम अहमद खाँ तथा डा0 कमल फाहिमा ने अपने लिखित बयानों में स्थानीय हिन्दुओं तथा पंजाबी हिन्दुओं के मध्य मत-भेदों का जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है वह पूर्णतः काल्पनिक है तथा इसे राजनैतिक दृष्टिकोण से किया गया है ।

उन्होंने यह भी कहा है कि वह अपनी पार्टी की ओर से टाउन हाल तथा आर्य कन्या इण्टरमीडियेट कालेज मतदान केन्द्रों के प्रभारी थे । हिन्दुओं ने ऐसे कोई नारे नहीं लगाये थे जैसा कि मुस्लिम समुदाय ने कहा है । इसके विपरीत मुसलमान सम्प्रदायवादियों ने टाउन हाल मतदान केन्द्र में नारे लगाये थे । श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी ने मतदाताओं को आतंकित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उपद्रव करने के उद्देश्य से इन व्यक्तियों को बाहर से बुलाया गया था ।

वाद - विषय

लिखित बयानों के पश्चात प्रतिशपथ पत्र तथा प्रत्युत्तर शपथ पत्र तैयार किये गये । बाद में एक और वाद-विषय बढ़ाया गया तथा एक वाद-विषय में संशोधन किया गया अन्ततः विचारार्थ विषयों का समुचित उत्तर देने के लिये निम्नलिखित वाद-विषयों को अन्तिम रूप दिया गया :-

1- क्या जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद ने 13 अगस्त, 1980 को ईद का त्योहार शान्तिपूर्ण ढंग से मनाये जाने के सम्बन्ध में काफी सावधानी बरती थी ?

2- उस घटना से सम्बन्धित वे कौन कौन से तथ्य तथा कारण थे जो 13 अगस्त, 1980 को ईदुलफितर की नमाज के समय ईदगाह में घटित और उसके फलस्वरूप उसी दिन मुरादाबाद नगर में हुयीं थी ?

3- मुरादाबाद नगर में उस घटना किन किन स्थानों पर तथा किस ढंग से घटित हुई थी ?

4- क्या मुरादाबाद के सरकारी अधिकारियों, अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों ने ईदगाह में मुसलमानों पर हमला करने के लिये कोई साजिश की थी ?

5- क्या राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ तथा साम्प्रदायिक तत्वों की गुप्त

बैठके 13 अगस्त, 1980 से पूर्व हरिजन बस्तियों में हुयीं थी और मुसलमानों के विरुध उकसाया गया था ?

6- क्या 12 तथा 13 अगस्त, 1980 के मध्य पड़ने वाली रात्रि में जब मस्जिद फजलुर रहमान के इमाम ने थाना कटघर में एक घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखायी थी, कटघर के तत्कालीन थाने-दार श्री बी0बी0लाल ने यह टिप्पणी की थी कि "चिन्ता मत करो सुबह होने दो सब ठीक कर दिया जायेगा" ?

7- क्या 13 अगस्त, 1980 से पहले मुरादाबाद में प्रशासनिक अभिकरण (एजेन्सी) को ईदुलफितर की नमाज की जमात में एक सुअर अथवा और जानवर हाँककर विघ्न डालने की सम्भावना के सम्बन्ध में जानकारी थी ? यदि हाँ, तो इसने इसे रोकने के लिये क्या कार्य-वाही की थी ?

8- क्या वास्तव में नमाजियों के बीच में कोई सुअर घुसाया गया था अथवा जब शहर इमाम खुतबा पढ रहे थे, उस समय घुस आया था ?

9 क्या कुछ गैर मुसलमान नमाजियों के बीच उस समय इधर-उधर घूम रहे थे जब नमाज पढ़ी जा रही थी और क्या उपद्रव बढाने में उनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था ?

10- क्या स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति को नियन्त्रण में लाने के लिये की गयी कार्यवाही न्यायोचित और पर्याप्त थी ?

11- क्या जिलाधिकारियों अथवा अधिकारियों को आत्मरक्षा के लिये गोली चलानी पडी थी ?

12- उस दिन की प्रत्येक घटना में कितने व्यक्ति मरे अथवा कितने घायल हुये और उनमें मुसलमानों लोकसेवकों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या क्या थी ?

13- ईदगाह में घटना के परिणामस्वरूप भगदड़ में कितने मुसलमान मरे थे ?

14- क्या जिला प्राधिकारियों ने उक्त घटनाओं में मरने वाले मुसलमानों के शवों की अन्त्येष्टि गुप्तरूप से कर दी थी ? यदि हाँ, तो कितने शवों की और वे शव किन किन लोगों के थे ?

15- क्या सरकारी अधिकारियों तथा पुलिस बल और पी0ए0सी0 के

लोगों ने 13 अगस्त, 1980 को नगर के विभिन्न मोहल्लों में मुसलमानों की दुकानों लुटवाई तथा उनमें आग लगवाई थी ?

16- क्या ईदगाह में मुसलमानों की भीड हिन्सात्मक हो गयी थी तथा उसने बहुत ज्यादा पथराव शुरु कर दिया, आग्नेयास्त्रों तथा अन्य शास्त्रों का इस्तेमाल किया और उनमें ड्यूटी पर तैनात अनेक सरकारी अधिकारियों और अधिकारिकों को तथा ईद का मुबारकवाद देने आये अन्य व्यक्तियों को जान से मारा और घायल किया था तथा मुसलमानों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई घटनाओं में वहाँ ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और अधिकारिकों के आग्नेयास्त्र छीन लिये थे ?

17- क्या बाल्मीकियों का कोई प्रतिनिधी मण्डल 13 अगस्त, 1980 से पहले श्री एस0पी0 आर्या से मिला था? यदि मिला था तो क्या श्री एस0 पी0आर्या ने उन्हें मुसलमानों से बदला लेने के लिये उकसाया था?

18- क्या किसी ईट भट्ठे के हिन्दू मालिक का ईटों से भरा कोई ट्रक नमाज के समय रामपुर रोड पर डाबल फाटक चौराहे के पास खड़ा था तथा खुतबा पूरा होने के तुरन्त बाद ईदगाह के निकट ले आया गया था ?

19- क्या ईदगाह पर उक्त ट्रक से सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों पर पथराव किया गया था या ईदगाह की दीवालों तथा ईदगाह के निकट बनी भट्ठियों से ईटें निकाली गयी थी तथा मुसलमानों द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों और अन्य लोगों पर और साथ ही ईदगाह के पूर्व की और की इमारतों पर फेंकी गई थी?

20- क्या खाकसार बेलचे लेकर आये थे और उन्हें नमाज पढने के बजाये नमाजियों में घूमते हुये देखा गया था, और क्या वे जिले के प्राधिकारियों द्वारा मुसलमानों की उपद्रवी भीड़ को तितर बितर होने तथा शान्त रहने का आदेश दिये जाते समय "मारो मारो" चिल्लाये थे?

21- क्या मुसलमानों ने कई स्थानों पर लकड़ी के कुन्दे तथा ईट रखकर पुलिस चौकी गलशहीद को जाने वाली सड़क को अवरुध्द कर दिया था। तथा टेलीफोन के तारों आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया था ?

22- क्या मुसलमानों ने पुलिस चौकी गलशहीद पर तथा इसके आसपास पुलिस बल तथा पी0ए0सी0 पर भालों लाठियों तथा बेलचों से हमला किया था तथा उन पर गोलियाँ चलाई थी और जानमाल को नुकसान पहुचाया था ?

23. क्या 13 अगस्त, 1980 को श्री एस0पी0 आर्या तथा श्री ए0के0 मिश्रा ने थाना कोतवाली में किसी से कहा था कि उन्होंने अपना कार्य कर दिया है तथा उनकी सहायता की जानी चाहिये क्योंकि वे बहुत मुसीबत में है ?

24. क्या उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति किसी भी रूप में जिम्मेदार था ? यदि ऐसा है तो किस हद तक ?

चूँकि आयोग द्वारा बनाये गये नियम-8 में यह व्यवस्था है, कि वाद विषय तैयार करने के बाद तथा गवाहों की सूची की छाँट-छाँट कर लेने के बाद आयोग उस क्रम को निर्धारित करेगा जिसमें उसके समक्ष पक्ष अपने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया तथा 8 अप्रैल, 1982 को एक विस्तृत आदेश (अनुलग्नक चार) जारी किया और उसके अनुसार साक्ष्य अभिलिखित करने के लिये 3 मई, 1982 की तारीख निश्चित की । आदेश पढ़ने के पश्चात मुसलमान वर्ग ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि वे इस कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे । उसी शाम उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग के अध्यक्ष डा0 शमीम अहमद खाँ ने अपने तथा अन्य मुस्लिम पक्षों की तरफ से सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह पर मुझे एक आवेदन पत्र दिया जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि इसके पहले दिन में जारी किया गया आदेश संशोधित किया जाये परन्तु इस आवेदन पत्र पर केवल उन्हीं के हस्ताक्षर थे । स्पष्ट रूप से इस आवेदन पत्र को अन्य मुस्लिम दलों की तरफ से प्रस्तुत करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था । चूँकि पक्ष अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे इसलिये आदेश दिया गया कि इस आवेदन पत्र की प्रतियाँ उन्हें जारी की जायें और इसके निस्तारण के लिये 3 मई, 1982 की तारीख निश्चित की गयी । डा0 शमीम अहमद खाँ को उस दिन उपस्थित होने के लिये कहा गया था । 3 मई, 1982 को प्रशासन के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री शैलेन्द्र जौहरी अधिवक्ता ने इस आवेदन पत्र के प्रति आपत्तियाँ दाखिल की । इस आवेदन पत्र पर बल देने के लिये न तो डा0 शमीम अहमद खाँ और न ही मुसलमान समुदाय का कोई अन्य व्यक्ति अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता ही उपस्थित हुये । इस पर बहस सुनी गई और यह निष्कर्ष निकला कि आवेदन पत्र में कोई सार नहीं है और उसमें गलत आरोप लगाये गये हैं अतः इसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा साक्ष्य अभिलिखित करने के लिये कार्यवाही अगले दिन के लिये स्थगित कर दी गई ताकि मुसलमान समुदाय को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने तथा यदि चाहें तो कार्यवाही में भाग लेने का एक और मौका मिल सके । आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि यदि वे भाग लेने का निर्णय लें तो

वे 4 मई, 1982 को प्रातः 11 बजे तक अपने गवाहों की सूची दाखिल कर दें। उसी दिन एक और वाद-विषय तैयार किया और एक वाद-विषय में मामूली संशोधन किया गया था। इस आदेश के कारगर की एक प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड पर सूचना के लिये चिपका दी गई थी। इसके बावजूद 4 मई, 1982 को मुसलमानों समुदाय से कोई भी नहीं आया तथा आयोग के पास दिनांक 8 अप्रैल, 1982 के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये हिन्दुओं के साक्ष्यों को दर्ज करने के अलावा कोई और विकल्प न था। डा० शमीम अहमद खाँ तथा डा० कमाल काहिम के पास रजिस्ट्रीकृत डाक से फिर नोटिसें भेजी गई। यह सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई किन्तु कोई भी उपस्थिति नहीं हुआ।

14 सितम्बर, 1982 को शाहर इमाम चार अन्य लोगों के साथ मुझसे मुरादाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में मिले तथा कार्यवाहियों में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा इसके लिये उनका स्वागत है तथा यदि वे चाहें तो तैयारी के लिये समय ले सकते हैं। वह प्रातः लगभग 11 बजे मेरे पास से यह कहते हुये गये थे कि वह इस आशय का एक आवेदन पत्र जल्दी ही भेजेंगे परन्तु वह पूरे दिन वापस नहीं लौटे और मुझे साक्षियों का परीक्षण करना था।

सुनवाई जिनका परीक्षण किया गया।

"क" श्रेणी से श्री हरीकिशन दास कंडन (बी/डब्लू-1) ने जनता सेवक समाज की ओर से अपना परीक्षण कराया तथा अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गोयल ने अपने शपथ पत्र में दिये गये आरोपों का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुये तथा नागरिक परिषद मुरादाबाद ने पचहत्तर साक्षियों का परीक्षण कराया। "ग" श्रेणी अर्थात् पुलिस तथा प्रशासन की तरफ से कुल मिलाकर 56 साक्षियों का परीक्षण किया गया।

पक्षों के परीक्षण का कार्य पूरा हो जाने पर अधिनियम की धारा 8-बी के अधीन एक स्थानीय विधायक श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी को एक नोटिस जारी की गई जिसमें कुछ साक्षियों द्वारा उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों के बारे में बताया गया था जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी ने अपना उत्तर एक शपथ पत्र सहित दाखिल किया जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खण्डन किया था तथा कहा कि वे कोई साक्ष्य देना पसन्द नहीं करेंगे।

घटना स्थलों के नक्शे तथा निरीक्षण टिप्पणियाँ

अभिलेखित साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद

शहर में लगभग बीस स्थानों पर [redacted] हुये थे । उनमें से तेरह स्थानों पर बड़े हुये थे । प्रशासन ने अवर अभियन्ताओं, अर्थात् श्री मुन्नी चन्द्र अग्रवाल (सी/डब्लू-44) श्री राजेन्द्र प्रकाश सक्सेना (सी/डब्लू-45) तथा श्री छज्जे सिंह (सी/डब्लू-46) द्वारा तैयार किये गये इनमें से ग्यारह स्थानों के मानचित्र दाखिल किये हैं । इन नक्शों को साबित करने के लिये इन अवर अभियन्ताओं का साक्ष्य परीक्षण किया गया है । ये ग्यारह स्थान तथा इसके मानचित्र इस प्रकार है :

	स्थान	मानचित्र
1-	तहसील स्कूल	(सी/डब्लू-44)(259)
2-	मोहल्ला नवाबपुरा चौराहा	(सी/डब्लू-44)(260)
3-	मोहल्ला बरकलू	(सी/डब्लू-44)(261)
4-	[redacted] पुलिस चौकी नागफनी	(सी/डब्लू-45)(262)
5-	मोहल्ला कितरौल [redacted] (अब थाना)	(सी/डब्लू-45)(263)
6-	ईदगाह	(सी/डब्लू-45)(264)
7-	थाना कोतवाली तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र	(सी/डब्लू-45)(265)
8-	पुलिस चौकी [redacted]	(सी/डब्लू-46)(266)
9-	बरफखाना चौराहा	(सी/डब्लू-46)(267)
10-	गंज बाजार	(सी/डब्लू-46)(268)
11-	पुलिस चौकी मलशहीद (अब थाना)	(सी/डब्लू-46)(269)

दो स्थानों दौलत बाग तथा कम्बल का ताजिया थे । लगभग सभी [redacted] साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद प्रशासन के विद्वान अधिवक्ता हिन्दुओं तथा नागरिक परिषद की मौजूदगी में मैंने इन स्थानों का निरीक्षण किया तथा नक्शों के ठीक होने की जाँच की तथा जिन बातों से मुझे अवगत कराया गया उनकी एक टिप्पणी भी तैयार की । ये निरीक्षण टिप्पणीयाँ दिनांक 16 मई, 1983 तथा 19 मई, 1983 की (क्रमशः अनुलग्नक"5"तथा"5ए" ।

अब वाद विषयों के गुण दोषों की जाँच की जा सकती हैं ।

जाँच परिणाम

वाद विषय संख्या एक

मुस्लिम समुदाय तथा श्री हरि ओम शर्मा ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रशासन ने ईदउल फितर शान्तिपूर्वक सम्पन्न होने के लिये काफी एहतियात नहीं बरती । प्रशासन ने इस विवाद को नकारने के लिये साक्ष्य दिये हैं । इसके गुण दोषों पर विचार करने से पहले यह कहा जा सकता है कि 13 अगस्त, 1980 को अन्य अधिकारियों के साथ साथ

तथा निम्नलिखित अधिकारी, इत्तेला के सामने उल्लिखित पदों पर। मुरादाबाद में तैनात थे :

1 श्री एस0पी0आर्या, आई0ए0एस0 जिला मजिस्ट्रेट 31 जुलाई, 1980 से 16 अगस्त, 1980 तक। उनसे पहले श्री आर0एन0 तिवारी, आई0ए0एस0 मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट थे ।।

2- श्री आर0एस0 सिंह अपर जिला मजिस्ट्रेट ।नगर।

3- श्री डी0एस0एस0यादव, अपर जिला मजिस्ट्रेट।कार्यपालिका।

4- श्री एन0के0 जैन, अपर जिला मजिस्ट्रेट।वित्त एवं राजस्व।एफ एण्ड आर

5- श्री जे0पी0 मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट

6- कुमारी ।अब श्रीमती। तुरजीत कौर संयुक्त मजिस्ट्रेट

7- श्री मोहसिन मिर्जा, डिप्टी कलेक्टर।बिक्रीकर।

8- श्री बी0डी0 भारतीय, परगना मजिस्ट्रेट, हसनपुर ।

9- श्री के0एल0 अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर

10- श्री एस0बी0एस0 सक्सेना डिप्टी कलेक्टर

11- श्री आर0वी0 वर्मा, तहसीलदार सदर

पुलिस अधिकारी

1- श्री बी0एन0 सिंह, आई0पी0एस0 ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक

2- श्री बी0बी0दास, अपर पुलिस अधीक्षक

3- श्री ए0के0 मिश्रा, सर्किल आफिसर नगर।प्रथम।

4- श्री के0एम0 पाण्डेय, सर्किल आफिसर नगर।द्वितीय।

5- श्री रमेश सहगल, सहायक पुलिस अधीक्षक

6- श्री जी0बी0 सिंह, पुलिस उपाधीक्षक

7- श्री जमुना प्रसाद पुलिस उपाधीक्षक

8- श्री बी0बी0 लाल, इन्सपेक्टर कटघर

9- श्री डी0पी0 सिंह, इन्सपेक्टर मुगलपुरा

10- श्री टी0सी0 त्यागी, इन्सपेक्टर सिविल लाइन्स

11- श्री जगदीश सिंह, इन्सपेक्टर कोतवाली।

श्री एस0पी0 आर्या ।सी/डब्लू-54। तथा बी0एन0 सिंह।सी/डब्लू-56। ने कहा है कि मुरादाबाद जिला साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील है तथा साम्प्रदायिक दंगों का इसका एक बड़ा इतिहास है । हाल के वर्षों में मुरादाबाद नगर में 1971 में, अमरोहा कस्बे में 1978 में सम्भल कस्बे में, 1976 तथा 1978 में दंगे हुये । जिले में मस्जिदों एवं मन्दिरों के निर्माण के सम्बन्ध में दोनों सम्प्रदायों के बीच कई घटनायें भी हो चुकी हैं, जिनके कारण तनाव पैदा हुआ और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 तथा 145 के अधीन कार्यवाही करनी पड़ी । 31 मई, 1980 को टाउन हाल में उस समय साम्प्रदायिकता की एक घटना हुई थी जब कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये मुरादाबाद शहर के

33वें निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो रहा था। बुधा का बाजार क्षेत्र में, जो कोतवाली थाने के अन्तर्गत आता है, थोड़े समय के लिये कर्फ्यू लागू करना पड़ा था।

श्री बी0एन0 सिंह ने आगे कहा है कि मुस्लिम लीग की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डा0 शमीम अहमद खाँ ने भी उक्त चुनाव लड़ा था, किन्तु वे सफल नहीं हुये। इसके कारण मुस्लिम लीग के सामान्य सदस्यों तथा उनके समर्थकों में अत्यधिक कुन्ठा तथा असन्तोष उत्पन्न हो गया था। उन्हें भारी राजनैतिक धक्का लगा और वे हालात का फायदा उठाने तथा मुसलमानों में अपनी प्रतिष्ठा सुधारने के लिये साम्प्रदायिक घृणा तथा अशान्ति पैदा करने के मौके की टोह में थे। इसके अतिरिक्त इसके पूर्व भी कुछ ऐसी घटनायें हो चुकी थी, जिसके कारण पर्याप्त सावधानी बरतना तथा प्रबन्ध करना आवश्यक हो गया था। 5 तथा 6 जून, 1980 के बीच रात में जावेद नामक एक व्यक्ति राहजनी करते हुये कुछ गाँव वालों द्वारा घायल हो गया था थाने ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गयी थी। डा0 शमीम अहमद खाँ तथा उनके समर्थकों ने यह कह कर उसका फायदा उठाने की कोशिश की कि जावेद को पुलिस द्वारा मार डाला गया है।

24 जुलाई, 1980 को एक बाल्मीकि लड़की लज्जावती का विवाह सम्पन्न हुआ उसी शाम जब सराय किशन लाल में बारात उसके घर की ओर जा रही थी, उस मोहल्ला में रहने वाले मुसलमानों ने उस पर हमला कर दिया तथा दूल्हे तथा बरातियों को पीटा। इस सम्बन्ध में सात रिपोर्टें तीन बाल्मीकियों द्वारा तीन मुसलमानों द्वारा तथा एक इन्सपेक्टर श्री बी0बी0 लाल द्वारा दर्ज की गई थी। इस मामले में भी डा0 शमीम अहमद खाँ ने प्रमुख भूमिका निभाई थी तथा साम्प्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की थी। श्री बी0एन0 सिंह, ने कहा है कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की हैसियत से वे इन स्थितियों से अवगत थे। 13 अगस्त, 1980 को हिन्दुओं का तीज का त्योहार भी मनाया जाने वाला था इसलिये रमजान तथा ईदउल फितर और तीज के मौकों पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये खास सावधानियाँ रखी गयी थी ये सावधानियाँ औरों के साथ साथ निम्न लिखित के सम्बन्ध में भी रखी गयी :-

1- सफाई

2- ईदगाह क्षेत्र में किसी भी जानवर को न आने देना

3- यातायात तथा

4- शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखना।

अब इनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में जो कार्यवाहियाँ की गई उन पर चर्चा की सकती हैं ।

1- सफाई

श्री एस0पी0 आर्या ने इस सम्बन्ध में एक विस्तृत बयान दिया है । उन्होंने कहा है कि 11 अगस्त, 1980 को प्रातः 10-00 तथा साढ़े दस बजे के बीच उन्होंने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बी0एस0 सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0दास, अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर श्री आर0एस0 सिंह, सर्किल आफिसर नगर श्री ए0के0 मिश्रा, प्रभारी अधिकारी नगरपालिका श्री डी0पी0 सिंह, तथा कटघर के इन्सपेक्टर श्री बी0बी0 लाल के साथ ईदगाह के अन्दर कुछ स्थानों पर कीचड़ तथा इसके सामने सड़क की तरफ गीले दाग धब्बे दिखाई दिये थे । चूँकि नमाज के मौके पर वहाँ भारी भीड़ इकट्ठा होने वाली थी और बड़ी संख्या में नमाजी ईदगाह क्षेत्र से बाहर इकट्ठे होने वाले थे अतः उन्होंने इन दाग धब्बों को साफ कराना जरुरी समझा । इसलिये उन्होंने श्री डी0पी0 सिंह को सम्पूर्ण ईदगाह क्षेत्र को पूरी तरह साफ करवाने तथा भीगे स्थानों पर सूखी मिट्टी डलवाने के अनुदेश दिये थे । ईदगाह के दक्षिणी दरवाजे के सामने एक नाला है जो उस समय लकड़ी के पट्टों से ढका हुआ था इसलिये उन्होंने श्री डी0पी0 सिंह, को उसके स्थान पर सीमेन्ट का एक पुल बनवाने के लिये कहा । श्री डी0पी0 सिंह, को नमाजियों की सुविधा के लिये जमीन पर सफेद चूने से लाइन खिंचवाने का भी निदेश दिया जिससे कि वे बिना किसी बाधा के वे अपने जानमाज बिछा सकें तथा नमाज पढ सकें । श्री डी0पी0 सिंह, को 12 अगस्त, 1980 की शाम तक उन निदेशों का अनुपालन कर लिये जाने की सूचना उन्हें या अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर श्री आर0एस0 सिंह को देने का निदेश दिया गया था । श्री आर्या तथा साथ ही आर0एस0 सिंह ने भी कहा है कि श्री डी0पी0 सिंह ने इन निदेशों का पूरी तरह पालन किया था । ईदगाह क्षेत्र की सफाई पूरी तरह से करा दी गयी थी । भीगे दाग धब्बों पर सूखी मिट्टी डाल दी गई थी तथा लकड़ी के पुल के स्थान पर एक सीमेन्ट का पुल बन गया था । उनके बयान की पुष्टि पूर्वकथित अधिकारियों के साक्ष्य तथा साथ ही उन साक्षियों के साक्ष्य से जिनका प्रशासन द्वारा परीक्षण कर लिया गया था । शहर के कुछ सम्माननीय नागरिकों ने भी इन तथ्यों की पुष्टि की है जो उस दिन मुसलमानों को बधाई देने के लिये ईदगाह गये थे । अपने लिखित बयानों में मुसलमानों की किसी भी पार्टी ने यह नहीं कहा है कि ये सावधानियाँ नहीं बरती गयी । यहाँ तक कि अपने प्रतिशपथ पत्रों में भी उन्होंने इस सम्बन्ध में एक शब्द तक नहीं कहा है । इसलिये यह निस्सन्देह सिद्ध होता है कि प्रशासन द्वारा सफाई के सम्बन्ध में उपयुक्त सावधानियाँ बरती गयी थी ।

(दो) ईदगाह क्षेत्र में जानवरों के न आने देना

श्री के0एम0 पाण्डे, तकिल आफिसर नगर (द्वितीय) (सी/डब्लू-1) ने कहा है कि नगर पालिका की उपविधियों तथा साथ ही मुरादाबाद में काफी समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार ईद की नमाज के एक दिन पहले सुअर सुअरवाड़ों में बन्द कर दिये जाते हैं तथा नमाज के दिन उन्हें इधर-उधर जाने नहीं दिया जाता है। 13 अगस्त, 1980 को ईदुलफितर के त्योहार पर भी यह सावधानी बरती गई थी।

श्री बी0एन0 सिंह, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रमजान के अन्तिम शुक्रवार (जो 8 अगस्त, 1980 को पड़ा) तथा 13 अगस्त, 1980 को ईदुलफितर के मौके पर शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में 24 जुलाई, 1980 को आदेश (सी/डब्लू-56(445)) जारी किया था इस आदेश में उन्होंने अनुदेश दिये थे कि नमाज के समय कोई भी जानवर जैसे सुअर, गाय, बैल, या भैंस आदि को इधरउधर घूमने न दिया जाये। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस आदेश में निहित अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

तकिल आफिसर नगर (ग्राम) श्री ए0के0 मिश्रा ने स्वयं भी इसी तरह का एक आदेश दिया था जो कि प्रदर्श सी/डब्लू-12(121) है। ऐसा करने की आवश्यकता पिछली प्रथा के कारण तथा इसलिये पड़ी क्योंकि रमजान के अन्तिम शुक्रवार को नमाज के समय एक बैल देखा गया था तथा इसने कुछ नमाजियों को चोट पहुचायी थी। श्री मिश्र ने चारों थानों के इन्सपेक्टरों को पर्याप्त कार्यवाही करने का निदेश दिया था जिससे कि किसी भी जानवर से नमाजियों को परेशानी न हो। उन्होंने 12/13 अगस्त, 1980 के बीच की रात में यह घोषणा करवा दी कि 13 अगस्त, 1980 को सुअरों को सुअरबाड़ों में रखा जाये तथा इधर उधर जाने न दिया जाये श्री मिश्र तथा कुछ इन्सपेक्टरों जिनका प्रशासन ने परीक्षण किया था, के बयानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित कर लिया गया था। बाल्मिकियों से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनसे यह आश्वासन ले लिया गया था कि वे 13 अगस्त, 1980 को अपने सुअरों को खुला नहीं छोड़ेंगे। नागरिक परिषद द्वारा कुछ बाल्मीकियों का परीक्षण भी किया गया था तथा उनका कहना है कि 12 अगस्त, 1980 को सुअर सुअरबाड़ों में बन्द कर दिये गये थे तथा दूसरे दिन उन्हें इधर उधर घूमने नहीं दिया गया था। चूंकि ईदुलफितर नमाज के दिन ही सुअर सुअर वाड़ों में बन्द रखे जाते है अतः मुसलमानों का यह तर्क कि 14 या 15 अगस्त, 1980 को जब कुछ मन्त्रियों ने ईदगाह क्षेत्र का निरीक्षण किया था, वे इधर उधर घूमते दिखाई पड़े, का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि 13 अगस्त, 80 को उनका इधर उधर निकलना रोकने के लिये उचित सावधानी नहीं बरती गयी थी।

उपयुक्त आदेशों के अनुपालनार्थ ईदगाह पर जानवरों को हांकने वाला एक दस्ता भी जानवरों को हांकने के लिये ।यदि कोई हो। तैनात किया गया था जिसमें एक सब इन्सपेक्टर, 8 कान्स्टेबल तथा दो होमगार्ड थे । इस दस्ते को तीन टोलियों मे बांटा गया था । पहली टोली में प्रशिक्षणाधीन सब इन्सपेक्टर श्री राज सिंह ।सी/डब्लू-10।, कान्स्टेबल शंकरराज सिंह तथा प्रताप सिंह और होमगार्ड राज सिंह और उ्रसेन थे । इस टोली को भूरा का चबूतरा से ईदगाह तक की ड्यूटी पर तैनात किया गया था ।

दूसरी टोली में कान्स्टेबल ज्ञानेन्द्र त्यागी ।सी/डब्लू-11।, अयूब खाँ तथा कल्याण गिरि थे और इस टोली को सम्भल चौराहे से ईदगाह के उत्तरी फाटक तक ड्यूटी देनी थी ।

तीसरी टोली कान्स्टेबल श्याम बिहारी ।सी/डब्लू-13।, मंगली राम तथा बाबू राम थे और इस टोली को ईदगाह से लेकर बरफखाने के पास की सड़कों के तिराहे तक की ड्यूटी पर लगाया गया था । सड़कों के इस तिराहे से ईदगाह की दूरी लगभग एक फर्लांग है और इस क्षेत्र में आदर्शनगर की पुलिया पड़ती है । इन तीनों टोलियों के लोगों के पास केवल डंडे थे । इन सभी तथ्यों की पूरी तरह पुष्टि श्री ए0के0 मिश्र ।सी/डब्लू-12।, सब इन्सपेक्टर राज सिंह।सी/डब्लू-10।, कान्स्टेबल ज्ञानेन्द्र त्यागी ।सी/डब्लू-11।, श्याम बिहरी।सी/डब्लू-13।, तथा ~~कान्स्टेबल~~ उन बहुत से साक्षियों जिनका प्रशासन द्वारा साक्ष्य परीक्षण किया गया और नागरिक परिषद के बयानों से पुष्टि होती है, जनरल डायरी की प्रतिलिपि प्रदर्श सी/डब्लू-126 में की गई प्रविष्टि से भी इसकी पूरी तरह पुष्टि होती है । इससे यह स्पष्ट हो ~~जाता~~ जाता है कि नमाज के दिन ईदगाह क्षेत्र में जानवरों के घुसने न देने के ~~सम्बन्ध~~ सम्बन्ध में पर्याप्त कार्यवाही की गयी थी ।

।तीन। यातायात:

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि श्री वी0एन0 सिंह ने 11 अगस्त, 1980 को कई स्थानों पर अधिकारियो को तैनात किये जाने के आदेश दिये थे। इस आदेश द्वारा सर्किल आफिसर नगर।प्रथम।श्री ए0के0मिश्र।सी/डब्लू-12।को ईदगाह में प्रबन्ध करने के लिये प्रभारी के रूप में तैनात किया गया था । सर्किल आफिसर नगर।द्वितीय। ।सी/डब्लू-11। श्री के0एम0 पाण्डेय नगर के शेष भाग तथा रामपुर रोड जिसे राष्ट्रीय राज-मार्ग भी कहा जाता है, प्रभारी बनाये गये थे। श्री पाण्डेय की सहायता के लिये सिविल लाइन इन्सपेक्टर श्री टी0सी0 त्यागी को तैनात किया गया था । 13 अगस्त, 1980 को प्रात: पौने सात बजे यातायात के दो हेड कान्स्टेबलों तथा 14 कान्स्टेबलों को बिना किसी अग्नेयास्त्र के शहर में यातायात ड्यूटी पर भेजा गया

था ।जनरल डायरी में की गई प्रविष्टि प्रदर्श सी/डब्लू-22।145। में देखिये । । उसी दिन सिविल लाइन के इन्सपेक्टर द्वारा कान्स्टेबल देवेन्द्र सिंह तथा कान्स्टेबल हरीश चन्द्र शर्मा को श्री के0एम0 पाण्डेय के साथ तैनात किया गया था । वह इस हेड कान्स्टेबल तथा कान्स्टेबल श्री पाण्डेय के साथ प्रातः लगभग सात बजे ईदगाह पहुँचे थे । हेड कान्स्टेबल के पास एक रायफल तथा बीस कारतूस थे जब कि कान्स्टेबल के पास एक बन्दूक।मस्केट।और 20 कारतूस थे । इसकी प्रविष्टि सिविल लाइन थाने की जनरल डायरी में प्रदर्श सी/डब्लू ।।।। है । श्री पाण्डेय ने यह भी बताया कि परिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा ईदगाह को जाने वाली सड़कों पर यातायात को नियन्त्रित करने के लिये यातायात पुलिस का काफी प्रबन्ध किया था ।इस बात का पूरी तरह से यकीन कर लिया गया था कि नमाजियों को ईदगाह जाने और वहाँ से लौटने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी । इसके अतिरिक्त उनके बयान से यह बात भी साफ हो जाती है कि ईदगाह में उस समय तक, जब कि यह घटना घटी, किसी स्थान पर यातायात का कोई जमाव नहीं था और नमाजियों को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं थी ।

।चार। कानून और व्यवस्था बनाये रखना :

इस विषय में श्री एस0पी0 आर्य तथा श्री वी0एन0 सिंह के बयान अत्यन्त महत्वपूर्ण बयान हैं । श्री एस0पी0 आर्य ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के ठीक बाद ही उन्हें जिले की स्थिति की जानकारी हो गयी थी चूँकि रमजान का महीना चल रहा था इसलिये उन्होंने रमजान के अन्तिम शुक्रवार तथा ईद उल फितर पर पढ़ी जाने वाली नमाज पर विशेष ध्यान दिया । जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि उस वर्ष रमजान का अन्तिम शुक्रवार तथा ईद उल फितर क्रमशः 8 अगस्त 1980 तथा 13 अगस्त, 1980 को पड़े थे । श्री आर्य के पूर्वाधिकारी श्री आर0एन0 तिवारी आई0पी0एस0 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन आदेश पहले ही प्रख्यापित कर चुके थे जिसे शहर में आठ जुलाई, 1980 से 31 अगस्त, 1980 तक लागू रहना था । इसकी इसकी प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-47।270। है । उन्होंने।श्री आर्य। इस आदेश को ध्यान से देखा और इससे समाधान होने पर इसे लागू रहने दिया । उन्होंने यह भी कहा है कि अगस्त 7, 1980 को जब वे उस घटना के बारे में, सरकार को जो 24 जुलाई, 1980 को सराय किशन लाल में घटी थी रिपोर्ट देने जा रहे थे, तो उन्हें इसके ब्योरे ज्ञात हुये और वे अपर पुलिस अधीक्षक, श्री बी0बी0दास तथा कटघर के इन्सपेक्टर श्री बी0बी0 लाल के साथ तुरन्त ही उस जगह पर गये थे । उन्होंने उस जगह पर रहने वाले दोनों ही समुदायों के लोगों से बात चीत की और उन्हें इस बात से समाधान हो गया था किसी भी पक्ष की ओर से शान्ति भंग होने की कोई सम्भावना नहीं है । श्री आर्य ने यह भी कहा

है कि उन्होंने ईद उल फितर के त्योहार के सम्बन्ध में 5 अगस्त, 1980 को मजिस्ट्रेटों को तैनात किये जाने के सम्बन्ध में एक आदेश जारी किया था । इस आदेश की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-54(438) है इस आदेश द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्री आर०एस० सिंह को नगर की व्यवस्था करने का प्रभारी बना दिया गया था और परगना मजिस्ट्रेटों को अपने अपने परगनों में व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था उन्हें तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को, जहाँ कहीं आवश्यकता हो, तैनात करने का निर्देश दिया गया था । दो मजिस्ट्रेट अर्थात श्री आर०डी० भारतीय तथा कुमारी (इस समय श्रीमती) सुरजीत कौर को कोतवाली पर तैनात किया गया था । कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्री के०एल० अग्रवाल को थाना कटघर पर तैनात किया गया था तथा डिप्टी कलेक्टर श्री एस०पी०एस०सक्सेना की तैनाती मुगलपुरा थाने पर की गई थी डिप्टी कलेक्टर (बिक्रीकर) श्री मोहसिन मिर्जा को सिविल लाइन थाने पर तैनात किया गया था । नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी श्री डी०पी० सिंह को मुख्यालय में बने रहने के लिये कहा गया था जिससे कि उनकी सेवाओं का उपयोग जब भी कभी आवश्यकता हो किया जा सके ।

श्री आर्य ने यह भी कहा कि वे 11 अगस्त, 1980 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ ईदगाह क्षेत्र गये थे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये थे । श्री बी०बी० दास (सी/डब्लू-53) ने कहा है कि वहाँ कुछ मुसलमान भी मौजूद थे लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसी कोई आशंका व्यक्त नहीं की कि बाल्मीकियों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा नमाज के समय शरारत की जा सकती है । श्री आर्य ने श्री आर०एस० सिंह तथा श्री आर०डी० सिंह= भारतीय से शहर का दौरा (राउन्ड) करने तथा यह पता लगाने के लिये कहा था कि क्या जो प्रबन्ध किये गये है वे सन्तोषजनक है और वे पूर्व की घटनाओं या किसी भी क्षेत्र में किसी अन्य कारण से वर्तमान तनाव या प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी करें । इन आदेशों के अनुपालन में दोनों अधिकारियों ने शहर का दौरा किया जिसमें वे मोहल्ला पीरजादा तथा सराय किशनलाल भी गये । उन्होंने अपने सूचना देने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क किया तथा अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों से विचार विमर्श किया जिससे उन्हें उसी दिन सायंकाल यह रिपोर्ट मिली कि शहर में पूरी तरह शान्ति है और लोग सामान्य रूप से रह रहे हैं । उन्होंने यह भी बताया कि वहाँ न तो किसी हिस्से में कोई तनातनी थी और न शान्ति भंग होने की कोई सम्भावना थी यहाँ यह कहना कदाचित अनुचित न होगा कि सीज तथा ईद के मौके पर मुरादाबाद शहर में मंडी चौक में एक मेला लगाते है, उस समय शाल-

जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं

पुलिस चौकी में तैनात श्री राम गोपाल (सी/डब्लू-2) ने यह बताया है कि यह मेला लगभग दो दिन तक लगता है और दोनो समुदायों की महिलायें इसमें अपनी अपनी खरीददारी करती हैं। हिन्दू महिलायें अधिकतर काँच की चूड़ियाँ खरीदती हैं जबकि मुस्लिम महिलायें सुईयाँ आदि खरीदती हैं। यह खरीद प्रायः देर रात तक चलती रहती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि गल शहीद पुलिस चौकी से मण्डी चौक लगभग डेढ़ फर्लांग की दूरी पर है और 11 तथा 12 अगस्त, 1980 की रात भारी बिक्री हुई थी। इससे यह बात साफ हो जाती है कि 13 अगस्त, 1980 की सुबह शहर में बिल्कुल शान्ति थी और किसी भी भाग में शान्ति भंग होने की कोई आशंका नहीं थी।

श्री आर्य ने यह भी कहा है कि 11 अगस्त, 1980 की शाम को उन्होंने अपने कार्यालय में एक बैठक की थी जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0 दास, अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी), अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अपर नगर (सिटी) मजिस्ट्रेट, सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) और कुछ अन्य मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीकारी सम्मिलित हुये थे। इसमें पूरे शहर के कानून और व्यवस्था की स्थिति पर फिर से विचार किया गया था और किये गये प्रबन्धों के बारे में चर्चा की गयी थी। मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस बल की तैनाती के बारे में पूरी तरह से खुलकर विचार विमर्श किया गया था। उस बैठक में भी किसी ने भी किसी भी हिस्से में शान्ति भंग होने की आशंका व्यक्त नहीं की थी। उसी दिन उन्होंने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बी0एन0 सिंह से नगर सहित पूरे जिले की कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्हें बताया कि ईद तथा तीज को शान्तिपूर्ण ढंग से मनाया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और यह इन्दिरा चौक, मकबरा रोड, गलशहीद, सराय किशन लाल तथा पीरजादा में पुलिस का विशेष प्रबन्ध किया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि सुअरों को सुअरबाड़ों में रखने के अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निदेश दे दिये गये थे और इस बात को सुनिश्चित कर लिया गया था और साथ ही ईदगाह पर यदि कोई जानवर हो तो उन्हें भगाने के लिये जानवर भगाने वाला दस्ता तैनात किया गया था।

श्री आर्य ने यह भी कहा है कि 12 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद के नागरिकों से ईद को शान्ति पूर्वक मनाये जाने के लिये अपील की थी। यह अपील प्रदर्श सी/डब्लू 54(439) है। यह अपील दिनांक 13 अगस्त, 1980 के हिमालय-दैनिक में प्रकाशित हुई थी। इसकी प्रतियाँ शहर में बहुत सबेरे वितरित की जाती हैं। इस समाचार पत्र की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-54(440) है। इस अपील की प्रतियाँ 12 अगस्त, 1980 को अन्य समाचार पत्रों को भी जारी की गयीं थी और ये 13 अगस्त, 1980 को प्रातःकाल ईद की नमाज के पहले ही पाठकों के पास अवश्य पहुँची होंगी। उन्हें अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) से भी जानकारी मिली थी कि 11 अगस्त, 1980 को जारी किये गये अनुदेशों का पूरी तरह पालन किया गया था और सुअरों के मालिकों से कह दिया गया था कि वे अपने सुअर बाड़ों में रखें और उन्हें 13 अगस्त, 1980 को इधर उधर घूमने न दें। श्री आर्य के बयान की पुष्टि अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) (प्रथम) श्री बी0के0 मिश्रा इन्सपेक्टर श्री बी0बी0 दास और कई अन्य साथियों ने की और ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे उनके द्वारा दिये गये कथन पर अविश्वास किया जाये। श्री आर्य ने अपनी ओर से किसी और तरीके से शान्ति भंग होने के लिये सभी एहतियात कर ली थी और सभी कमियों का निदान कर दिया था।

पुलिस प्रबन्ध के सम्बन्ध में श्री वी0एन0 सिंह, सी/डब्लू-56का बयान है जिसमें उन्होंने-~~उन्होंने~~ उन विभिन्न घटनाओं का विवरण दिया है जो ईद के पहले शहर में घटी थी और उन्होंने सब में डा0 शमीम अहमद की भूमिका का जिक्र किया है। रमजान के दौरान तथा ईद उल फितर के अवसर पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उन्होंने निम्नलिखित कार्यवाही की थी।

10 जुलाई, 1980 को उन्होंने उक्त अवसरों पर पुलिस प्रबन्ध के बारे में समस्त सर्किल आफिसरों और इन्सपेक्टरों को अनुदेश जारी किये थे। इस आदेश की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-56।444। है उन्होंने इस आदेश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में सभी पहलूओं को ध्यान में रखकर अनुदेश दिये थे। 24 जुलाई, 1980 को उन्होंने सभी इन्सपेक्टरों को रमजान के अन्तिम शुक्रवार तथा 13 अगस्त, 1980 को ईद की नमाज के समय किये जाने वाले पुलिस प्रबन्धों तथा एहतियात बरतने के सम्बन्ध में एक दूसरा आदेश जारी किया था। इस आदेश की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-56।445। है। इस की प्रतियाँ जिला मजिस्ट्रेट अपर ~~जिला~~ पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक अभिसूचना विशेष अभियोजन अधिकारी रिजर्व इन्सपेक्टर, कमान्डेट होम गार्ड्स, सभी सर्किल ~~अधिकारियों~~, इन्सपेक्टरों तथा अन्य लोगों को जारी की गई थी। उन्होंने इस आदेश के साथ चार्ट की एक प्रति संलग्न की थी जिसमें भिन्न भिन्न थानों पर तैनात किया जाने वाला अतिरिक्त बल दर्शाया गया था। इसकी प्रति प्रदर्श सी-डब्लू-56।446। है सभी इन्सपेक्टरों को निदेश दिये गये कि वे शान्ति बनाये रखने के लिये शहर में दोनों ही समुदायों के प्रमुख नागरिकों के साथ बैठक करें। उनसे यह भी कहा गया था कि वे जिले में साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखें और समाज विरोधी तत्वों से सम्पर्क रहें। इसी आदेश में उन्होंने ये अनुदेश दिये थे कि नमाज के समय सुअर गाय या बैल जैसे जानवरों को इधर उधर घूमने न दिया जायेगा। इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने तथा गश्त लगाने पर जोर दिया गया था।

11 अगस्त, 1980 को श्री सिंह ने पुलिस प्रबन्ध तैनाती तथा ड्यूटी चार्ट के सम्बन्ध में तीसरा आदेश दिया था। इस आदेश के जरिये अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0दास को मुरादाबाद नगर में किये जाने वाले समस्त प्रबन्धों के लिये प्रभारी बनाया गया और सर्किल आफिसरों नगर।प्रथम।श्री ए0के0 मिश्र को ईदगाह तथा उसके पास पड़ोस के क्षेत्रों में किये जाने वाले प्रबन्धों का प्रभारी बनाया गया। सर्किल आफिसर नगर।द्वितीय।श्री के0एम0 पाण्डये को शहर के शेष भाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रबन्धों का प्रभारी बनाया गया था। उप पुलिस अधीक्षक श्री जमुना प्रसाद को इन्दिरा चौक में स्थायी रूप से ड्यूटी पर तैनात किया गया क्योंकि उस क्षेत्र में 24 जुलाई, 1980 को एक घटना हुई थी।

उप पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0 सिंह को मुगलपुरा पुलिस चौकी में आरक्षित ड्यूटी पर तैनात किया गया था । अपर पुलिस अधीक्षक श्री पण्डा और उप पुलिस अधीक्षक श्री जगतपाल सिंह पुलिस लाइन में आरक्षित ड्यूटी पर रखे गये थे । आरक्षित इन्सपेक्टर को पुलिस लाइन में टेलीफोन ड्यूटी पर रहने के निदेश दे दिये गये थे । इस आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श सी/डब्लू-56(447) है इसमें नमाज के पहले प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस (जिसे एतद् पश्चात पी0ए0सी0 कहा जायेगा । तैनात किये जाने के सम्बन्ध में निदेश दिये गये थे । श्री सिंह ने कहा है कि उन्होंने इस ईद के मौके पर गत वर्षों की तुलना में अधिक पुलिस बल की तैनाती करायी थी क्योंकि रमजान के पहले साम्प्रदायिक प्रकार की कुछ घटनायें घटी थी और मुसलमानों के कुछ वर्ग का रवैया प्रशासन तथा पुलिस के प्रति अत्यन्त विरोधी था विशेष रूप से डा0 शमीम अहमद खाँ तथा उनके समर्थकों और वे कुछ उपद्रव करने के लिये मौके की ताक में थे । श्री बी0बी0 दास सी/डब्लू-53 ने यह कहा है कि अपर पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री सिंह ने सम्पूर्ण स्थिति से तथा डा0 शमीम अहमद खाँ तथा उनके समर्थकों के रवैये से अवगत कराया था ।अतः उन्होंने यह बात सुनिश्चित कर ली थी इन आदेशों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है ।

श्री सिंह ने यह भी कहा है कि 12 अगस्त, 1980 को उन्होंने सभी सर्किल आफिसरों को निदेश दिया था कि वे नगर का दौरा करें तथा स्थिति का पता लगायें, सूचना एकत्र करें और यदि कोई विशेष उपाय किया जाना आवश्यक हो तो वे उन्हें शाम तक इसकी सूचना दें । इन अनुदेशों के परिपेक्ष्य में अपर पुलिस अधीक्षक ने 12 अगस्त, 1980 को कोतवाली में सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) के कार्यालय में पुलिस अधिकारियों तथा अन्य लोगों की एक बैठक की थी और प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया था । स्थानीय अभिसूचना ईकाई के सदस्यों सहित उन सभी लोगों ने जो उस बैठक में उपस्थित थे, बताया कि नगर में पूरी तरह शान्ति है ।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये श्री सिंह ने रमजान के दौरान और ईद के तथा तीज के त्योहारों के अवसर पर जिले में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पर्याप्त संख्या में सिविल पुलिस तथा पी0ए0सी0 तैनात की थी ।

सिविल पुलिस की तैनाती

12 अगस्त, 1980 को श्री बी0बी0 दास ने कोतवाली में सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) के कार्यालय में एक बैठक की थी जिसमें कई पुलिस अधिकारियों तथा स्थानीय ~~अभिसूचना ईकाई के सदस्य सम्मिलित हुये थे । उस बैठक में सम्पूर्ण शहर में पुलिस बल की तैनाती के बारे में विस्तार से विचार विमर्श~~

अभिसूचना इकाई के सदस्य सम्मिलित हुये थे । उस बैठक में सम्पूर्ण शहर में पुलिस बल की तैनाती के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया था । कटघर थाना क्षेत्र को चार सेक्टरों में विभाजित किया गया जिनमें से ईदगाह के तीन सेक्टर तथा एक सेक्टर निकटवर्ती क्षेत्र का रखा गया । प्रत्येक सेक्टर निम्नलिखित अधिकारियों के प्रभार में रखा गया :-

सेक्टर संख्या-1	श्री बी0बी0लाल, इन्सपेक्टर
सेक्टर संख्या -2	श्री डी0पी0 सिंह, इन्सपेक्टर
सेक्टर संख्या 3	श्री जगदीश सिंह , इन्सपेक्टर
सेक्टर संख्या-4	श्री पी0एल0 शर्मा, सब इन्सपेक्टर

उस बैठक में सर्किल आफिसर नगर श्री ए0के0 मिश्रा द्वारा तैयार किये गये ड्यूटी चार्ट को अन्तिम रूप दिया गया था और श्री बी0बी0 लाल, इन्सपेक्टर (सी/डब्लू-111) को इसकी प्रतियाँ उसी रात समस्त इन्सपेक्टरों तथा अधिकारियों को भेजने का निदेश दिया गया था ताकि प्रत्येक व्यक्ति अगले दिन सुबह 7 बजे तक अपनी ड्यूटी के स्थान पर पहुँच जाये । यह चार्ट प्रदर्श सी/डब्लू-111(28) है जिसमें प्रत्येक सेक्टर की स्थिति तथा उनमें से प्रत्येक सेक्टर में तैनात की गई सिविल पुलिस तथा पी0ए0सी0 की स्थिति दिखाई गयी है । इस चार्ट के तथा बी0बी0 दास और बी बी0लाल द्वारा दिये गये बयानों के अनुसार सभी चारों सेक्टरों में 3 इन्सपेक्टर, 18सब इन्सपेक्टर, 16 हेड कान्सटेबल, एक सौ बावन कान्सटेबल तथा उन्नतीस होमगार्ड तैनात किये गये थे । इन्सपेक्टर श्री टी0सी0 त्यागी यातायात नियन्त्रण ड्यूटी पर तैनात किये गये थे ।

शेष तीन थानों के इन्सपेक्टरों को निदेश दिये गये कि वे अपने अपने क्षेत्र मे बल (फोर्स) की तैनाती करें और उनके द्वारा तैयार किये गये चार्टों को उनके संबंधित सर्किल अधिकारियों द्वारा जाँच की गयी थी । मुगलपुरा क्षेत्र से सम्बन्धित चार्ट प्रदर्श सी/डब्लू-42(256) है । इससे पता चलता है कि उस क्षेत्र में पी0ए0सी0 की डेढ़ टुकडी के अलावा चार इन्सपेक्टर, पाँच हेड कान्स्टेबल, उन्नतीस कान्स्टेबल तथा सिविल पुलिस के पच्चीस होम गार्ड तैनात किये गये थे । इन्सपेक्टर श्री डी0पी0 सिंह (सी/डब्लू-29) प्लाटून कमान्डर होमगार्ड शिवपाल और सब इन्सपेक्टर राम सिंह के साथ सेक्टर संख्या 2 में इस्लामिया स्कूल से लेकर बरफखाना तथा एच0एस0वी0इण्टर कालेज तक गश्ती ड्यूटी पर थे । उनके अधिकार में एक मोटर जीप थी जिसको मनमोहन सिंह चला रहा था । उनमें से केवल सब इन्सपेक्टर राम सिंह (सी/डब्लू-42) के पास ही एक सर्विस रिवालवर तथा बारह कारतूस थे । उनकी रवानगी की प्रविष्टि सी/डब्लू-29(89) है वे उसी रात

रात 8 बजकर 15 मिनट पर अपनी ड्यूटी करके थाने लौट आये थे। जनरल डायरी प्रदर्श सी/डब्लू-29 (211) की प्रति देखें। जैसी कि इस रिपोर्ट में एक अन्य स्थान पर चर्चा की जायेगी कि बरफखाना के पास इन्सपेक्टर राम सिंह ने ही दस चक्र गोलियाँ चलायी थी।

इन्सपेक्टर कोतवाली (सी/डब्लू-48) श्री जगदीश सिंह द्वारा तैयार किया गया ड्यूटी चार्ट प्रदर्श सी/डब्लू (233) है। इससे यह पता चलता है कि कोतवाली क्षेत्र में दो सब इन्सपेक्टर सात हेड कान्स्टेबल छत्तीस कान्स्टेबल और सत्ताइस होमगार्ड तैनात किये गये थे।

13-8-1980 की सुबह कोतवाली में पी०ए०सी० की छः टुकडियाँ थी जिनमें से पाँच टुकडियाँ कोतवाली क्षेत्र में तैनात थी और एक टुकडी कोतवाली में रिजर्व (आरक्षित) के रूप में रखी गयी थी। इसके ब्यौरे श्री जगदीश सिंह, सी/डब्लू-48 के बयान में दिये जा चुके है।

श्री टी०सी० त्यागी, इन्स्पेक्टर सिविल लाइन्स (सी०डब्लू-51) का बयान यह है कि 13-8-1980 को सिविल लाइन्स थाने के अन्तर्गत छः पुलिस चौकियाँ थी। उन्होंने उस पुलिस बल के संबंध में एक ड्यूटी चार्ट भी तैयार किया है जो उनके थाने तथा पुलिस चौकियों से गया था। प्रदर्श सी०डब्लू-51 (365) उस पुलिस बल से सम्बन्धित है जो थाना कटघर भेजा गया था और प्रदर्श सी०डब्लू51 (366) थाना तथा पुलिस चौकी के उस बल से सम्बन्धित है जो थाने के हलके के भीतर विभिन्न स्थानों पर तैनात था। यह पुलिस बल थाने में उसी शाम 2 बजकर 37 मिनट पर लौटा और जनरल डायरी में जो उसकी प्रविष्टि की गयी वह प्रदर्श सी०डब्लू-51 (367) है।

उपर्युक्त तीन सशस्त्र गारदों के अतिरिक्त पुलिस लाइन से एक अश्रु गैस दस्ता भी ड्यूटी पर भेजा गया था। उनमें से दो सशस्त्र गारद थाना सिविल लाइन्स से भेजे गये और ~~वहाँ से बाद में नमाज होने से वहाँ~~ एक सशस्त्र गारद तथा एक अश्रुगैस दस्ता थाना कटघर भेजा गया और वहाँ से बाद में नमाज होने से पूर्व ईदगाह भेज दिया गया। यहाँ इस बात का जिक्र कर दिया जाये कि एक सशस्त्र गारद में एक हेड कान्स्टेबल तथा तीन कान्स्टेबल थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक बन्दूक (मस्केट) तथा बीस चक्र गोलियाँ थी। अश्रु अश्रु गैस दस्ते में एक हेड कान्स्टेबल तथा दो कान्स्टेबल थे। यह दस्ता अश्रुगैस बन्दूक थोडी दूरी पर मार करने वाले छः गोलो, छः लम्बी दूरी पर मार करने वाले गोलो और बारह हथ-गोलो से लैस था। इन तथ्यों की पुष्टि प्रदर्श सी०डब्लू-22 (143) से होती है।

दो सब इन्सपेक्टर, एक हेड कान्स्टेबल तथा दस कान्स्टेबल, जो डन्डों से लैसे थे, ईदगाह में रिजर्व ड्यूटी पर थे। पी०ए०सी० का एक डन्डा वाला दस्ता भी, जिसमें छः जवान थे वहाँ तैनात था।

13-8-1980 को प्रातः 6 बज कर 5 मिनट पर दो कान्स्टेबल जिसमें से प्रत्येक के पास एक राइफल तथा तीन चक्र गोलियाँ थी श्री बी०बी० दास को दिये गये देखो प्रदर्श सी/डब्लू

22॥44॥ । उसी दिन प्रातः पौने सात बजे दो हेड कान्स्टेबल तथा चौदह कान्स्टेबल नगर में यातायात ॥ट्रैफिक॥ ड्यूटी पर बिना किसी आग्नेयास्त्र के भेजे गये देखें प्रदर्श सी0डब्लू22॥45॥ । प्रातः 7 बजकर 12 मिनट पर पुलिस उपाधीक्षक श्री जमुना प्रसाद के साथ सिविल पुलिस के दो सब इन्स्पेक्टर भेजे गये देखें प्रदर्श सी0डब्लू22॥46॥ और प्रातः सात बजकर 40 मिनट पर चार हेड कान्स्टेबल तथा सौ कान्स्टेबल थाना कटघर भेजे गये । इनमें से प्रत्येक के पास एक टोप॥हेल्मेट॥ और एक डन्डा था देखो प्रदर्श सी डब्लू-22॥47॥ । सिविल पुलिस कई अन्य स्थानों पर भी तैनात की गयी थी परन्तु उसके ब्योरे देना जरूरी नहीं है ।

पी0ए0सी0 की तैनाती

रमजान तथा ईद की व्यवस्था के सम्बंध में पूरे जिले के लिये पी0ए0सी की छः कम्पनियाँ तथा एक प्लाटून की व्यवस्था की गई थी । इनमें से चार कम्पनियाँ तथा एक प्लाटून की तैनाती नीचे दिये गये विवरण के अनुसार की ।

छठी बटालियन "डी" कम्पनी मेरठ	2 प्लाटून कोतवाली में 1 प्लाटून सिविल लाइन्स/कटघर में
आठवीं बटालियन "डी" कम्पनी बरेली	1 प्लाटून सिविल लाइन में
आठवीं बटालियन "ई" कम्पनी बरेली	1 प्लाटून सिविल लाइन में
23वी बटालियन "सी" कम्पनी मुरादाबाद	इस कम्पनी को पुलिस लाइन में रिजर्व रखा गया,
24वी बटालियन "बी" कम्पनी मुरादाबाद	2 प्लाटून नगर में नियत पहरे पर ॥वे 12 स्थानों पर तैनात थी । ॥
31वीं बटालियन "सी" कम्पनी	डेढ टुकडी थाना मुगलपुरा में
रूद्रपुर ---------- प्लाटून	डेढ टुकडी थाना कटघर में

देहात के लिये रखी गयी दो कम्पनियों में एक कम्पनी सम्भल एक प्लाटून अमरोहा, एक प्लाटून चन्दौसी, डेढ टुकडी ठाकुर द्वारा तथा डेढ टुकडी छजलेटा भेजी गई ।

नगर के लिये नियत पी0ए0सी0 की चार कम्पनियो में से एक कम्पनी और ढाई टुकडी ईदगाह तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर चार भागों में तैनात की गयी । इसके ब्योरे इस प्रकार है :-

ईदगाह के सामने सेक्टर संख्या 1 में सेक्टर रिजर्व के रूप में	1 टुकडी
सेक्टर संख्या 2 में सेक्टर रिजर्व	2 टुकडी
सेक्टर संख्या 3 में भूरा का चौराहा पर सेक्टर रिजर्व.	आधी टुकडी

सेक्टर संख्या 4 में इन्दिरा चौक पर — आधी टुकडी
सेक्टर रिजर्व

ईदगाह में रिजर्व — 1 प्लाटून

ईदगाह में पी०ए०सी० की तैनाती निम्नलिखित अनुसार थी —

सेक्टर सं० 1 में पूर्वी गेट के पास — 2 टुकडी
उत्तरी गेट के पास — 1 टुकडी
योग 3 टुकडी

सेक्टर सं० 2 — इस सेक्टर में कोई भी पी०ए०सी० बल ड्यूटी पर नहीं था ।

सेक्टर सं०3 में 1 टुकडी — आधी टुकडी भूरा का चौराहा में
आधी टुकडी भूरा का चौराहा से बरफखाना तक
बल गश्त 1 ड्यूटी पर

सेक्टर सं०4 में — आधी टुकडी इन्दिरा चौक में

इस प्रकार से पी०ए०सी० की साढे ग्यारह टुकडियाँ (अथवा 3 प्लाटून यादाई टुकडियाँ) ईदगाह के सभी चारों सेक्टरों में ड्यूटी पर तैनात कर रखी थी ।

यहाँ प्रत्येक कम्पनी के सदस्यों के पास शस्त्रास्त्र और गोला बारुद, उनकी तैनाती के स्थान तथा तैनाती के स्थान से उनके आगमन और प्रस्थान के समय के संबंध में संक्षिप्त ब्योरे देना असंगत न होगा ।

8वी बटालियन "सी" कम्पनी मेरठ

यह कम्पनी मुरादाबाद को जुलाई, 1980 में भेजी गई । 13-8-1980 को इस कम्पनी की एक प्लाटून जिसमें 2 हेड कान्स्टेबल तथा 14 कान्स्टेबल थे, थाना कटघर में तैनात की गयी । इस प्लाटून के प्रत्येक सदस्य के पास एक राइफल तथा 50 चक्र गोलियाँ (राउन्ड) थी । देखो प्रदर्श (सी/डब्लू-20 (140) । इस प्रकार के स्थायी आदेश भी हैं कि प्रत्येक हेड कान्स्टेबल तथा कान्स्टेबल के पास एक राइफल तथा 50 चक्र गोलियाँ (राउन्ड) रहेंगी । बाद में इसे रिजर्व बल के रूप में ईदगाह की ओर मोड दिया गया और वह (प्लाटून) आपसी ड्यूटी पूरी करने के बाद उसी दिन रात्रि साढे आठ बजे लौट आयी । देखो प्रदर्श सी०/डब्लू20 (140) ।

उसी दिन दो प्लाटूनें थाना कोतवाली के अधिकार में दे दी गयी थी और इसके सदस्य निम्नलिखित छः स्थानों पर तैनात कर दिये गये थे :-

स्थान	बल	शस्त्रास्त्र और गोला बारुद
1- पुलिस चौकी गल शहीद	1 टुकडी 1 सेमादेशक 1 हेड कान्स्टेबल 5 कान्स्टेबल	प्लाटून समादेशक के पास एक रिवाल्वर और 18 कारतूस थे प्रत्येक हेड कान्स्टेबल तथा कान्स्टेबल के पास एक राइफल तथा 5 चक्र गोलियाँ थी ।

2-	बारादरी चौराहा	1 हेड कान्स्टेबल तथा 5 कान्स्टेबल	केवल डन्डे
3-	डाक्टर बहरा का चौराहा	1 हेड कान्स्टेबल तथा 5 कान्स्टेबल	केवल डन्डे
4-	चौराहा असलतपुरा	1 हेड कान्स्टेबल तथा 5 कान्स्टेबल	केवल डन्डे
5-	कोतवाली के सामने गश्ती (पैट्रोलिंग) चल ड्यूटी पर	1 हेड कान्स्टेबल तथा 5 कान्स्टेबल	प्रत्येक के पास एक रायफल तथा 50 चक्र गोलियाँ थी
6-	कोतवाली में रिजर्व ड्यूटी पर	श्री राम प्रकाश (सी/डब्लू 20) तथा 5 कान्स्टेबल	श्री राम प्रकाश के पास रिवालवर तथा 18 कारतूस थे और शेष कान्स्टेबलों में से प्रत्येक के पास एक रायफल तथा 50 चक्र थी।

उनके ड्यूटी चार्ट की प्रतिलिपि प्रदर्श सी0/डब्लू20(138) है। इस मौक पर इस बटालियन का कोई भी सदस्य मुरादाबाद में अन्य किसी स्थान पर तैनात नहीं था। इस घटना के दिन इस बल के सदस्यों ने पुलिस चौकी गलशहीद में केवल 12 गोलियाँ ही चलाई थी जैसा कि श्री राम प्रकाश (सी/डब्लू20) के बयान तथा जनरल डायरी प्रदर्श सीडब्लू 20(14) की प्रतिलिपि से पता चलता है। इस बल के कुछ सदस्यों को चोटें भी आयी थी जिसकी चर्चा इस रिपोर्ट में अन्यत्र की जायेगी।

आठवीं वाहिनी (बटालियन "डी" कम्पनी, बरेली

कानून और व्यवस्था ड्यूटी के सम्बन्ध में इस कम्पनी की एक प्लाटून मार्च 1980 से मुरादाबाद में थी। 12-8-1980 तक वह थाना सिविल लाइन में तैनात रही 13-8-1980 की सुबह वे ईद ड्यूटी के संबंध में पगवाड़ा अगवानपुर तथा गाजीपुर भेजे गये उनके पास 17 रायफलें तथा 850 चक्र गोलियाँ थी। उन्होंने एक भी गोली नहीं चलायी और अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद उसी दिन लौट आये। उनके प्रस्थान तथा आगमन की प्रविष्टियाँ सी/डब्लू38(230) तथा सी/डब्लू-38(231) हैं।

8वीं वाहिनी (बटालियन "ई" कम्पनी, बरेली

श्री महाबल सिंह (सी/डब्लू-25) इस कम्पनी के वाहिनी समादेशक (प्लाटून कमांडर) थे। उन्होंने यह बयान दिया है कि रमजान तथा ईद की ड्यूटी के सम्बन्ध में उनकी पूरी कम्पनी 25-7-1980 को मुरादाबाद आ गयी थी। थाना कटघर में उनके आगमन की प्रविष्टि प्रदर्श सी/डब्लू25(170) है। उसी दिन इसके बल फोर्स की तैनाती निम्नलिखित पाँच स्थानों पर की गयी थी।

1-	इन्दिरा चौक	1 प्लाटून 18 जवानों की
2-	कटघर	1 प्लाटून 18 जवानों की
3-	पीरजादा	1 टुकड़ी 6 जवानों की
4-	बरकखाना	1 टुकड़ी 6 जवानों की

5- भूरा का चौराहा । टुकडी 6 जवानों की ।

तदनुसार यह बल अपनी अपनी तैनाती के स्थानों को चला गया देखें जनरल डायरी की प्रतिलिपि प्रदर्श सी/डब्लू-25।।171।उन्होंने 30-7-1980 को उपर्युक्त स्थानों पर अपनी ड्यूटी पूरी की । इसके बाद उन्होंने 2-8-1980 तक आराम किया और 3-8-1980 को उनकी तैनाती निम्नलिखित स्थानों पर की गयी :-

1-	इन्दिरा चौक	। टुकडी 6 जवानों की
2-	थाना कटघर	आधी टुकडी 6 जवानों की
3-	भूरा का चौराहा	आधी टुकडी 4 जवानों की
4-	बरफखाना	आधी टुकडी 4 जवानों की
5-	पीरजादा	आधी टुकडी 4 जवानों की
6-	मकबरा चौराहा	आधी टुकडी 4 जवानों की

उपर्युक्त बल में पी0ए0सी0 की साढे तीन टुकडियाँ थीं । शेष बल थाना कटघर में तैनात था । यह व्यवस्था 13-8-1980 तक चलती रही । उपर्युक्त छः, स्थानों पर तैनात इस बल का प्रत्येक सदस्य एक राइफल तथा 50 कारतूसों से लैस था शेष बल में से, जो थाना कटघर में तैनात था, 6 जवान 13-8-1980 ईदगाह में रिजर्व ड्यूटी पर थे और उनके पास डन्डे तथा टोप ।हेल्मेट। थे । इसकी जनरल डायरी की प्रतिलिपि प्रदर्श सी/डब्लू25।।173। है ।

13-8-1980 की सुबह इस बल के कुछ सदस्य निम्नलिखित स्थानों पर तैनात थे:-

1-	इन्दिरा चौक	5 जवान
2-	पीरजादा	4 जवान
3-	मकबरा चौराहा	4 जवान
4-	बरफखाना	4 जवान
5-	भूरा का चौराहा	4 जवान

।देखें जनरल डायरी की प्रतिलिपि प्रदर्श सी/डब्लू-25।।174। ।

13-8-1980 को मुरादाबाद नगर में इस कम्पनी के किसी भी सदस्य ने एक भी गोली नहीं चलायी और केवल बरफखाना में रघुवीर सिंह तथा पतिराम द्वारा 9 गोलियाँ चलायी गयी थी और इस सम्बन्ध में चर्चा बाद विषय 3 के अन्तर्गत की जायेगी ।

23वीं बटालियन "सी" कम्पनी मुरादाबाद

श्री के0एन0 सिंह ।सी डब्लू34। इस कम्पनी के कम्पनी समादेशक ।कमान्डर। थे । 25-7-1980 को यह कम्पनी रमजान तथा ईद की ड्यूटी के सम्बन्ध में पुलिस लाइन मुरादाबाद में भेजी गयी थी । वे वहाँ उसी दिन पहुँचे ।देखें जनरल

डायरी की प्रतिलिपि प्रदर्श सी0डब्लू34।222। । इस बल के प्रत्येक सदस्य के पास एक रायफल तथा 50 चक्र गोलियाँ थी। दो प्लाटून कमान्डर अर्थात श्री हरी सिंह तथा श्री दया कृष्ण चौहरी भी इस कम्पनी के साथ आये थे । इनमें से प्रत्येक के पास 30-30 कारतूसों सहित सर्विस रिवाल्वर थे । 13-8-1980 को पूरी कम्पनी ~~सहित-सर्विस-रि~~ पुलिस लाइन्स में रिजर्व के रूप में रखी गयी और उभाडने पर उसे ~~ईदगा~~ ईदगाह भेज दिया गया ।देखें जनरल डायरी की प्रतिलिपि प्रदर्श सी/डब्लू22।।50। कम्पनी अपने साथ 21 राइफलें तथा 1050 कारतूस लेती गयी थी । ~~कम्पनी~~उस दिन इस कम्पनी के किसी भी सदस्य ने एक भी गोली नहीं चलाई थी और वह 14-8-80 को पुलिस लाइन लौट आयी ।देखें जनरल डायरी प्रदर्श सी/डब्लू~~30~~।223। तथा 224। की प्रतिलिपियाँ। यह बल जितना शस्त्रास्त्र और गोला बारूद ले गया था वह पूरा का पूरा पुलिस लाइन में वापस कर दिया गया ।

24वीं बटालियन "बी" कम्पनी मुरादाबाद

श्री राजवीर सिंह ।सी0डब्लू-19।इस कम्पनी के कम्पनी कमान्डर थे। यह कम्पनी 19-7-1980 को रमजान तथा ईद की ड्यूटी के सम्बन्ध में तैनात की गयी थी इसके सदस्य 23-7-1980 से निम्नलिखित 12 नियत स्थानों पर तैनात किये गये थे ।देखें जनरल डायरी की प्रतिलिपि प्रदर्श"सी/डब्लू19।।33। :-

1-	~~डब्लू बल~~ का नाला	आधी टुकडी	1 हेड कान्स्टेबल तथा 3 कान्स्टेबल।
2-	रेती मोहल्ला	"	1 हेड कान्स्टेबलतथा 3 कान्स्टेबल ।
3-	असलतपुर चौराहा	"	1 हेड कान्स्टेबलतथा3 कान्स्टेबल।
4-	कब्रिस्तान मानपुरा	"	1 हेड कान्स्टेबल तथा3 कान्स्टेबल।
5-	तहसील स्कूल	"	1 हेड कान्स्टेबल तथा 3कान्स्टेबल।
6-	देवन का बाजार	"	1 हेड कान्स्टेबल तथा3 कान्स्टेबल
7-	डा0 एच0के0 बहेरा चौराहा	आधी टुकडी	1हेड कान्स्टेबल तथा3 कान्स्टेबल।
8-	चौकी हसन खाँ	"	1 हेड कान्स्टेबल तथा3 कान्स्टेबल
9-	इन्दिरा चौक	"	1 हेड कान्स्टेबल तथा 3 कान्स्टेबल
10-	पुराना बरफखाना	"	1 हेड कान्स्टेबल तथा3 कान्स्टेबल।
11-	भूरा का चौराहा	"	1 हेड कान्स्टेबल तथा 3 कान्स्टेबल
12-	ककबरा खोड़ा	"	1 हेड कान्स्टेबल तथा 3 कान्स्टेबल

इस बल के प्रत्येक सदस्य के पास एक राइफल तथा 50 चक्र गोलियाँ थी ।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस कम्पनी की डेढ टुकडी को ठाकुर द्वारा भेजा गया और डेढ टुकडी ज्जलेट भेजी गयी ये दोनों स्थान देहात मे स्थिति हैं ।

वह चार्ट जिसमें उपर्युक्त 12 स्थानों में ड्यूटी पर तैनात हेड कान्स्टेबलों तथा कान्स्टेबलों के नाम दिये गये हैं प्रदर्श सी0डब्लू-19।।34। है । उपयुक्त 12 स्थानों में से केवल बरफखाना और तहसील स्कूल में ही घटनायें घटित हुयीं थी ।

13-8-1980 को प्रातः नौबजे श्री राजवीर सिंह ।सी0डब्लू-19। पूर्वोक्त 12 स्थानों पर अपने पुलिस बल की ड्यूटी की जाँच पडताल करने के लिये पुलिस लाइन से चल दिये थे । उनके साथ उनकी गाडी के ड्राइवर के अतिरिक्त प्लाटून कमान्डर एक हेड कान्स्टेबल तथा चार कान्स्टेबल थे । उनके स्वंय के पास एक सर्विस रिवाल्बर तथा 30 चक्र गोलियाँ थी । हेड कान्स्टेबल के पास एक स्टेनगन तथा 192 चक्र गोलियाँ थी और प्रत्येक कान्स्टेबल के पास एक राइफल तथा 50 चक्र गोलियाँ थी ।देखें जनरल डायरी की प्रतिलिपि प्रदर्श सी0/डब्लू19।।35। । उन्होंने भूरा का चौराहा तथा बरफखाना की घटनाओं को देखा था इसके ब्योरे निष्कर्ष में बाद विषय संख्या-3 के सम्बन्ध में दिये जायेंगे ।

31वी, बटालियन "सी" कम्पनी रुद्रपुर

जून1980 में श्री डीएस0 त्यागी ।सी0डब्लू-24। इस कम्पनी के कम्पनी कमांडर थे । 30-6-1980 को इस कम्पनी की तीन प्लाटून कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये मुरादाबाद भेजी गयी । इन तीनों स्थानों अर्थात् चन्दौसी, अमरोहा और बिलारी में प्रत्येक स्थान पर एकएक प्लाटून तैनात की गयी थी । बिलारी में तैनात प्लाटून को 13-7-1980 को मुरादाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया और 18-7-1980 को इस प्लाटून की डेढ़ टुकड़ी कोतवाली में तैनात की गयी थी ।इसकी जनरल डायरी की प्रतिलिपि प्रदर्श सी0डब्लू-24। ।।65। है । । इस डेढ़ टुकड़ी में 2 हेड कान्स्टेबल, एक नायक, एक लान्स नायक तथा 9 कान्स्टेबल थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक रायफल तथा 50 कारतूसें थी । 23-7-1980 को यह डेढ़ टुकड़ी थाना मुगलपुरा में ड्यूटी परभेजी गयी और 13-8-1980 को भी वे।उस टुकडी के सदस्य। वहाँ तैनात थे ।

उक्त प्लाटून की शेष डेढ़ टुकडी 23-7-1980 को कटघर में तैनात थी और इसमें से 13-8-1980 को एक टुकडी रिजर्व ड्यूटी पर ईदगाह भेजी गयी ।देखें जनरल डायरी प्रदर्श सी0डब्लू24।।67। । इस प्लाटून की शेष आधी टुकडी कटघर में इस कम्पनी के मुख्यालय में क्वार्टर गारद पर रहीं ।

उस एक टुकडी में, जो ईदगाह भेजी गयी थी, श्री डी0एस0त्यागी सी0/डब्लू24।2 हेड कान्स्टेबल तथा 6 कान्स्टेबल थे श्री त्यागी के पास एक डन्डा था और प्रत्येक हेड कान्स्टेबल तथा कान्स्टेबल के पास राइफल और 50 कारतूस थे । समाज के समय यह रिजर्व पुलिस बल नगरपालिका के शिविर के दक्षिण की ओर खाली भूमि पर खड़ा हुआ था । वहीं रिजर्व ड्यूटी पर सशस्त्र पुलिस गार्द तथा अश्वारोही दस्ता भी था । श्री त्यागी ने यह बयान दिया है कि उनके पुलिस बल के किसी भी सदस्य ने ईदगाह में एक भी गोली नहीं चलायी थी । उनका कहना है कि उन्हें पथराव से गुप्त (परोक्ष रूप से) चोटें लगीं थी । उनका दल (पार्टी) 14-8-1980 को थाना कटघर लौट आयी थी ।

इसकी प्रविष्टि की प्रतिलिपि जनरल डायरी में प्रदर्श सी/डब्लू-24।168। है । जाँच के बाद उन्हे पता चला कि 13 अगस्त, 1980 को कटघर थाने पर तैनात आधी टुकड़ी तथा मुगलपुरा थाने पर तैनात डेढ़ टुकड़ी द्वारा भी कोई गोली नहीं चलाई गयी थी । उन्हें दिये गये अस्त्र तथा गोला बारूद बिना इस्तेमाल किये हुये उनके पास रहे जैसा कि जनरल डायरी की प्रतिलिपि सी/डब्लू-24।168। से स्पष्ट होगा ।

ईदगाह पर हिन्सा भड़कने के बाद तैनात की गई सिविल पुलिस तथा पी0ए0सी0 का विवरण वाद विषय संख्या 10 के अन्तर्गत दिया जायेगा ।

मुस्लिम वर्ग अथवा श्री हरिओम शर्मा ने पूर्वोक्त साक्ष्य की अहमियत पर संदेह पैदा करने वाली कोई कमी नहीं बताई है । उन्होंने यह भी बताया कि जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी सावधानियाँ मौके को देखते हुये किसी तरह काफी नहीं थी । दूसरी तरफ प्रशासन ने यह सिद्ध करने के लिये कि शान्ति भंग न हो इसके लिये काफी सावधानियाँ बरतीं/साक्षियों का परीक्षण किया तथा लेख्य साक्ष्य प्रस्तुत किया । नागरिक परिषद ने जिन सम्मानीय साक्षियों का परीक्षण किया उन्होंने इसका समर्थन किया है । इसलिये मेरा मत है कि श्री एस0 पी0आर्या तथा श्री वी0एन0 सिंह ने रमजान के दौरान तथा ईद और तीज के त्योहारों के मौकों पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये काफी सावधानियाँ और ऐसे स्पष्ट प्रबन्ध किये थे जिनमें कोई भ्रम न हो सके ।

तदनुसार यह वाद विषय निस्तारित हो जाता है ।

वाद विषय संख्या 2, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 17:-

ये सभी वाद विषय परस्पर सम्बद्ध है तथा इनका निस्तारण सरलता पूर्वक एक साथ किया जा सकता है ।

इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न कथन है कि 13 अगस्त, 1980 को ईदगाह पर सबसे पहले किस कारण झगड़ा शुरु हुआ और वह किस प्रकार जंगल की आग की तरह अनियमित रूप में फैल गया तथा जिसके कारण इतने अधिक लोगों की बहुमूल्य जानें गयीं । सभी दृष्टियों से वर्तमान समय का यह सबसे भयंकर दंगा था जैसा कि अभिलेख की सामग्री से पता चलता है कि शुरु शुरु में यह उपद्रव साम्प्रदायिक दंगे के रूप में नहीं हुआ बल्कि यह मुसलमानों तथा पुलिस के बीच झड़प होने के रूप में शुरु हुआ था और बाद में इस उपद्रव ने साम्प्रदायिक दंगे का रूप ले लिया क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं साम्प्रदायिक तथा गलतफहमी के मामलो को लेकर ऐसी घटनायें निश्चित रूप से साम्प्रदायिक रूप धारण ही कर लेती हैं । मुरादाबाद में धोखा देने वाली खामोशी की तह में विभिन्न सम्प्रदायों के व्यक्तियों में जो अविश्वास की भावना रहती है उसका प्रत्येक व्यक्ति आसानी से अनुमान लगा लेता है । जैसी कि यह असामान्य बात नहीं है कि कुछ असमाजिक तत्व हमेशा ऐसी स्थिति का लाभ उठाने ,उसे बढाने तथा उसे उकसाने के लिये तैयार बैठे रहते है ।

यहाँ यह कहना असंगत न होगा कि यदि हम गत दो दशकों के दौरान हुये साम्प्रदायिक दंगों का विवरण देखें तो कई विशिष्ट बातें सामने आ जाती है। यह है :-

1- पाशविक कार्यों में तथा घातक हथियारों के उपयोग में बराबर वृद्धि हो रही है । दंगों की अवधि भी बढ़ गई है ।

2- शान्ति पुनः स्थापित हो जाने पर भी भीतर ही भीतर तनाव बना रहता है तथा जरा सी उत्तेजना से साम्प्रदायकि दंगे भड़क जाते है । इस बात की पुष्टि अलीगढ, मुरादाबाद, जमशेदपुर तथा अहमदाबाद में हुई घटनाओं से होती है ।

3- पिछले कुछ समय से साम्प्रदायिक दंगों में पहले की अपेक्षा काफी अधिक खून खराबा होने लगा है तथा उनमें जान तथा माल की हानि पहले से अधिक होती देखी गयी है ।

4- पहले की अपेक्षा इन दिनों साम्प्रदायिक दंगे काफी अधिक नियोजित ढंग से होते है ।

5- पिछले दो दशकों से साम्प्रदायिक दंगों की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। स्वतन्त्रता के पहले साम्प्रदायिक दंगे बहुधा छोटे कस्बों में हुआ करते थे किन्तु पिछले दो दशकों में अधिकतर उप स्थानों पर होते है जिन्हें सामान्य रूप से विकासशील व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्र माना जाता है । यदि वे व्यापारिक तथा औद्योगिक रूप से विकसित भी हों लेकिन यदि वहाँ किन्हीं विशेष स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त कर लिया हो जिसके फलस्वरूप वहाँ व्यापार तथा वाणिज्य के प्रसार की अत्यधिक सम्भावना हो तो भी उन स्थानों में ऐसे दंगे होना सम्भव हो जाता है । -142-

6- इस समय साम्प्रदायिक तनाव की योजना बनाने वाले तथा साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वाले काफी हद तक साम्प्रदायिक तथा राजनैतिज्ञों का एक विशेष अंग है। मुरादाबाद में हुये दंगो के कारणों का उल्लेख करने से पूर्व यह कहा जा सकता है कि 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद नगर में 49 प्रतिशत हिन्दू तथा 48.99 प्रतिशत मुसलमान थे। फिर भी पूरे जिले में हिन्दुओं और मुसलमानों का अनुपात क्रमशः 61 प्रतिशत तथा 39 प्रतिशत था। इसलिये "बहुसंख्यक" तथा अल्पसंख्यक" शब्दों का प्रयोग किया गया है क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय संदर्भ में समझा जाता है। इस समय मुरादाबाद नगर में 55 प्रतिशत मुसलमान तथा 45 प्रतिशत हिन्दू है।

अतः सार के रूप में नगर के दो सम्प्रदायों का सहजीवी संबंध होता है, उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है तथा वे एक दूसरे पर आश्रित रहते है फिर भी मुरादाबाद जिला साम्प्रदायिक रूप से संवेदन शील माना जाता है तथा इसका साम्प्रदायिक दंगों का पिछला इतिहास है। 1971 में मुरादाबाद नगर में एक गम्भीर साम्प्रदायिक दंगा हुआ था मई 1980 में विधान सभा के मध्यावधि चुनावों के समय कोतवाली क्षेत्र में एक और दंगा हुआ था। जुलाई, 1980 में पुनः मोहल्ला सराय किशन लाल में जिसे इन्दिरा चौक भी कहा जाता है उस समय एक दंगा हुआ जब एक हरिजन की बारात पर हमला किया गया तथा दूल्हे एंव बरातियों को मारापीटा गया क्योंकि बारातियों (बारात में सम्मिलित व्यक्ति) ने सड़क पर उस स्थान पर बाजा बजवाया था जहाँ एक मस्जिद स्थित है। इन सभी मौकों पर गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था।

अमरोहा नगर में 1975 में एक साम्प्रदायिक दंगा हुआ। वहीं 1976 तथा 1978 में पास के सम्भल नगर में हुई हिन्सा की याद अभी भूली नहीं थी परन्तु ये सभी घटनायें 13 अगस्त 1980 को हाल में मुरादाबाद में हुये दंगे के सामने नगण्य हो जाती है जबकि ईद की नमाज अदा करने में गड़बड़ी पैदा की गयी और बच्चों सहित बहुत से व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा।

श्री एस0पी0 आर्या (सी/डब्लू-54) ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने से पहले मस्जिदों तथा मन्दिरों के निर्माण के सम्बन्ध में मुरादाबाद जिले में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कई घटनायें घटित हो चुकी थी। जिसके कारण तनाव उत्पन्न हो गया था तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 तथा 145 के अधीन कार्यवाही करनी पड़ी थी। इस तरह से यह जिला वास्तव में साम्प्रदायिक तनावों से कभी मुक्त नहीं रहा। कहा जाता है कि यहाँ थोड़े थोड़े समय बाद दंगा होने की स्थिति पैदा हो जाना एक सामान्य बात हो गयी है। थोड़ा सा तनाव उस सीमा तक बढ़ता रहता है जब तक कि उसे उभाड़ने के लिये मात्र एक चिन्गारी की

जरुरत रह जाती है । इस मामले में साम्प्रदायिक दंगे होने की शुरुवात भीड में एक या उससे ज्यादा सुअरों के तथाकथित रूप से घुस आने से हुई थी ।

13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद नगर में ही दंगे नहीं हुये थे बल्कि वे एक एक कर होने वाले दंगों का एक भाग थे । दलोंने अपने लिखित बयानों में उन बहुत सी वास्तवितकताओं तथा कारणों की ओर संकेत किया है जिनके कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई ।उन पर चर्चा करने से पूर्व यह कहा जा सकता है कि यह तथ्य अभिलेखों में उपलब्ध प्रर्याप्त सामग्री से सिद्ध हो जाता है कि प्रधानतः यह दंगा मुसलमानों के कुछ वर्गों तथा पुलिस के बीच एक झड़प की वजह से हुआ था । श्री दयानन्द गुप्ता, अधिवक्ता (अब मृतक) ने अपने लिखित बयान के पैरा 2 में कहा था :-

" अतः हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ कोई गुबार नहीं निकालना था जबकि मुस्लिम लीग स्वभावतः मुसलमान जनता पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती थी । उसकी प्रतिष्ठा गिर रही थी तथा यह तभी बढ़ सकती थी जब साम्प्रदायिक भावनायें जगाई जाती तथा ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती जिसमें कि मुसलमान केवल लीग को ही अपना वोट दें । "

लिखित बयान के पैरा 4(8) मे नागरिक परिषद (सिटिजन्स काउन्सिल) ने कहा है :-

यह कथन किसी का भी नहीं है कि आवाँछित मुसलमान तत्वों द्वारा दंगा भड़काने की योजना की जानकारी सभी मुसलमानों को थी तथा इसलिये बच्चे स्वभावत वहाँ थे "

श्री हरि किशन खण्डन (बी/डब्लू-11), जो नगर के सम्भ्रान्त नागरिक है तथा जिनका किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं है, ने कहा है :-

" नगर में यह खबर है जाँच के आधार पर जिसका मैं भी समर्थक हूँ, कि यह घटना मुस्लिम लीगियों द्वारा प्रवर्तित थी न कि सामान्य मुसलमानों द्वारा ------ रजाकारों, जो खाकसारों के स्वयंसेवक हैं, का भी इस दंगे को बढ़ाने में हाथ था "

नगर के एक अन्य सम्भ्रान्त नागरिक श्री हंसराज भगत (बी/डब्लू-3) ने कहा है:

" मुस्लिम लीगियों तथा उन अन्य लोगों का जो इसे कराने के इच्छुक थे, यह विचार था कि यदि कोई उपद्रव शुरु होगा तो भारी संख्या में मुसलमान साथ देंगे -- ------- इन समर्थकों में खाकसार भी शामिल थे।"

नगर के अत्यन्त प्रतिष्ठित चिकित्सक तथा जनता सेवक समाज के संरक्षक डा0जगदीश सरन अग्रवाल (बी/डब्लू-13), जिन्हें जनता के सभी वर्गों से आदर प्राप्त है, ने कहा है :-

" मेरी राय में इस उपद्रव की एक कारण यह था कि साम्प्रदायिक विचारधारा वाले मुसलमानों को विधान सभा चुनावों में दूसरी पार्टी के मुसलमान की सफलता बर्दाश्त नहीं हुई यह विचार कुछ बहके हुये मुसलमानों के दिमाग की उपज प्रतीत होती है जिनका मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति के महत्व को कम करना था जिसका निवाचन मई 1980 के विधान सभा चुनाव में हुआ था "

स्पष्टतया यह उल्लेख विधान सभा चुनावों के 33वें निर्वाचन क्षेत्र का है जो मई 1980 में हुआ था उस चुनाव में डा0 शमीम अहमद खाँ, श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी तथा डा0 हंस राज चोपडा तीन मुख्य प्रतिद्वन्दी थे । इससे श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी की जीत हुई थी जबकि डा0 शमीम अहमद खाँ चुनाव हार गये तथा हर प्रकार से अपनी स्थिति सुधारना चाहते थे।

नगर के एक अन्य सम्भ्रान्त व्यक्ति तथा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ओंकार सरन कोठिवाल (बी/डब्लू-7) के अनुसार ये घटनायें कुछ स्थानीय मुसलमानों तथा अन्य लोगों द्वारा किये गये षड्यन्त्र के फलस्वरूप थी ।

श्री सत्यवीर सिंह (बी/डब्लू-17) ने कहा है :

यह दंगा सभी मुसलमानों द्वारा नहीं कराया गया था बल्कि इसके लिये कुछ हजार मुसलमानों जिम्मेदार थे "

अमन कमेटी मुरादाबाद के अध्यक्ष डा0 जगमोहन मेहरोत्रा (बी/डब्लू-21) ने इन दंगों का कारण चुनाव में डा0 शमीम अहमद खाँ की हार तथा अपनी निवार्चन याचिका खारिज होना बताया है । उनका यह भी कहना है कि प्रसिद्धि पाने के लिये डा0 शमीम अहमद खाँ अपनी हार के बाद मुसलमानों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिये उनके बीच अपने कार्य द्रुतगति से करने लगे ।

श्री चमन लाल (बी/डब्लू-26) ने कहा है :-

"मेरी सूचना के अनुसार ईदगाह पर यह काण्ड मुरादाबाद के सामान्य मुसलमानों द्वारा नहीं किया गया था । यह मुस्लिम लीगी तथा खाकसारों की कारगुजारी थी । यह दोनो संस्थायें चुनावों में मुसलमानों की सहानभूति प्राप्त करने के लिये दंगा कराना चाहती थी ------ मैंने यह भी सुना है कि उस दिन (13 अगस्त 1980) नमाज के समय डा0 शमीम अहमद खाँ सबसे पीछे थे जब कि इसके पहले वे शहर इमाम के बगल में रहा करते थे ।

श्री हरि ओम शर्मा (बी/डब्लू-77) ने कहा है कि ये दंगे पूर्वनियोजित थे तथा इनका कारण यह था कि डा0 शमीम अहमद खाँ तथा उनके समर्थक नगर में बराबर गड़बड़ी पैदा कर रहे थे ।

प्रशासन ने भी इसी आशय के साक्ष्य दिये हैं। सर्किल आफिसर सिटी (द्वितीय) श्री के0एम0 पान्डेय (सी0डब्लू-1) ने कहा है :

" मेरी राय में 13 अगस्त, 1980 का सम्पूर्ण उपद्रव डा0 शमीम अहमद खाँ तथा खाकसारों द्वारा समर्थित मुस्लिम लीगियों द्वारा की गई पूर्व योजना का परिणाम था यह उपद्रव की गयी गुप्त योजना का परिणाम था जिसकी प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी "

तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री एस0पी0 आर्या (सी/डब्लू-54) ने कहा है :

" जिस ढंग से ईदगाह पर बिना किसी उपर्युक्त कारण के उपद्रव कराया गया तथा जिस प्रकार शहर में विभिन्न स्थानों में बहुत ही अधिक फैल गया था इससे यही बात समझ में आती है कि उपद्रव कराने वाले किसी गुप्त योजना के अन्तर्गत कार्यकर रहे थे जिसकी जानकारी अधिकतर नमाजियों को भी नहीं थी।"

सर्वश्री वी0एन0 सिंह, बी0बी0दास, आर0एस0 सिंह ए0के0 मिश्रा तथा अन्य साक्षियों जिनका प्रशासन द्वारा परीक्षण किया गया था, ने भी कहा है कि इस उपद्रव में मुसलमान सम्मिलित नहीं थे।

मुस्लिम वर्ग के एक सदस्य श्री खान अब्दुल वदूद ने अपने लिखित बयान में कहा है कि यह दंगा कुछ साम्प्रदायिक विचार वाले लोगों ने स्वयं ही कराया था लेकिन वे राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के सदस्य नहीं थे।

अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित परिस्थितियों से भी यह निष्कर्ष निकलता कि यह उपद्रव सभी मुसलमानों द्वारा नहीं बल्कि उनमें से केवल कुछ ही लोगों द्वारा कराया गया था :-

(क) बुड्ढे तथा अशक्त मुसलमान बच्चों के साथ भारी संख्या में नमाज पढने आये थे यदि सभी मुसलमान उपद्रव कराना चाहते होते तो ये बुड्ढे व्यक्ति तथा बच्चे कदापि न आये होते।

(ख) प्रशासन तथा नागरिक परिषद के साक्ष्य के अनुसार उपद्रव करने वाले लोग मुस्लिम लीग के शिविर के पास ही इक्कठे थे। उपद्रव की शुरुवात भी उसी दिशा से हुई। श्री बी0बी0 दास (सी/डब्लू-53) ने कहा है कि सबसे पहले इस उपद्रव की शुरुवात 25-30 लोगों द्वारा की गयी थी। बाद में यह संख्या बढकर लगभग पाँच सौ तथा उसके बाद लगभग तीन हजार हो गई। जो लोग वहाँ इक्कठे थे उनमें अधिक तर मुस्लिम लीग के सदस्य तथा खाकसार थे।

(ग) वहाँ लगभग साठ या सत्तर हजार मुसलमानों की भीड थी। यदि उनमें से सभी उपद्रव कराना चाहते होते तो इस तथ्य के बावजूद कि वहाँ पर सशस्त्र रक्षक (आर्मड गार्ड) तैनात था एक भी हिन्दू या अधिकारी जीवित न बचता।

यह सशस्त्र (आर्मड गार्ड) नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी श्री डी०पी० सिंह की जान न बचा सका और बहुत से हिन्दू तथा अधिकारी घायल होने से न बचे

(घ) इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ईदगाह के मैदान पर मौजूद सभी मुसलमानों ने बल प्रयोग किया था

अब इस समय इस प्रश्न पर विचार करना है कि इसके लिये कौन उत्तरदायी था तथा उसका ऐसा करने का क्या प्रयोजन था ।

इस सम्बन्ध में दो प्रमुख शीर्षकों के अन्तर्गत कारण तथा तर्क रखे जा सकते है अर्थात:

(1) सामान्य तथा

(2) विशेष

मुस्लिम गुट के अनुसार सामान्य कारण निम्नलिखित थे :

(क) आप्रवासियों की समस्या

(ख) स्थानीय मुसलमानों के खिलाफ पंजाबी हिन्दुओं द्वारा विद्वेषपूर्ण प्रचार ।

(ग) पंजाबी हिन्दुओं और प्रशासन के बीच साजिश

(घ) राजनीति

हिन्दू पार्टियों तथा नागरिक परिषद ने निम्नलिखित सामान्य कारणों का जिक्र किया है :-

(एक) हिन्दू मुस्लिम विरोध (एन्टागोनिज्म) (एन्टागोइजम)

(दो) इस्लामीकरण अथवा कट्टरवाद की भावना

(तीन) विदेशी हस्तक्षेप

(चार) भारत में दूसरा पाकिस्तान बनाये जाने की इच्छा

(पाँच) विदेशी धन का अन्त:प्रवाह (इन्फ्लो)

(छह) मुसलमानों को खुश रखने की सरकार की नीति

(सात) राजनीति

(आठ) जल्दी जल्दी अधिकारियों का स्थानान्तरण

प्रशासन ने मात्र एक सामान्य कारण अर्थात साम्प्रदायिक दंगों की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि तथा मुरादाबाद में इसके प्रभाव का उल्लेख किया है । उन्होंने पूरी तरह से उन्हीं विशेष कारणों का सहारा लिया है जिनके कारण उस दिन उपद्रव हुआ था । इस रिपोर्ट में उपर्युक्त स्थान पर उनका विवरण दिया जायेगा तथा चर्चा की जायेगी ।

कारणों के गुणदोष की जाँच करने से पूर्व यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम वर्ग अपने आरोप प्रमाणित करने के लिये उपस्थित नहीं हुआ । जनता सेवक समाज ने श्री हरि किशन दास टण्डन का साक्ष्य परीक्षण किया है, नागरिक परिषद ने आठ साक्षियों अर्थात सर्वश्री एच0 आर0 भगत, नारायण, भूरे अली, सन्तोष सरण, डा0 हंसराज चोपड़ा, शैलेन्द्र जौहरी एडवोकेट, सतीश नारूला तथा हरी ओम शर्मा का साक्ष्य परीक्षण किया है और प्रशासन ने अपने तर्कों की पुष्टि के लिये छह साक्षियों अर्थात् सर्वश्री बी0बी0 लाल, ए0के0 मिश्र, आर0एस0 सिंह बी0बी0 दास एस0पी0 आर्य तथा वी0एन0 सिंह का साक्ष्य परीक्षण किया ।

अब कारणों तथा तर्कों के गुण दोष का विवेचन किया जायेगा ।

आप्रवासियों की समस्या

मुस्लिम वर्ग ने कहा है कि भारत में जो हिन्दू पंजाबी पाकिस्तान से आये और मुरादाबाद में बस गये उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाये रखी तथा स्थानीय हिन्दूओं के कारोबार तथा व्यवसाय पर अपना कब्जा कर लिया जिससे स्थानीय हिन्दूओं में उनके प्रति भारी रोष व्याप्त हो गया । इन पंजाबी हिन्दू आप्रवासियों में यह आशंका आ गई कि विदेशियों के विरुध्द असम में जैसा आन्दोलन किया जा रहा है, मुरादाबाद में भी उनके विरुध्द ऐसा ही शुरु किया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि ये पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासी उग्रवादी फासिस्टवादी दृष्टिकोण के हैं जिन्होंने भय पैदा किया और ईदगाह पर इतनी बड़ी विपत्ति लाने की योजना बनायी । लिखित बयानों में आरोपों के अलावा उनकी सच्चाई सिद्ध करने के लिये कोई भी उल्लेखनीय सामग्री नहीं है । दूसरी ओर नागरिक परिषद ने इसे झूठा साबित करने के लिये कुछ साक्षियों का साक्ष्य परीक्षण किया है श्री हंसराज भगत बी/डब्लू-3 एक सम्मानीय साक्षी हैं क्योंकि वे 1979 तक मुरादाबाद में थापर ग्रुप इण्डस्ट्रीज की शाखा से सम्बद्ध थे । वे जिला नेत्र चिकित्सालय मुरादाबाद के उपाध्यक्ष हैं जिसके जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष है । वे मुरादाबाद रोटरी क्लब के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और जिला अस्पताल पुनर्निमार्ण तथा विकास समिति के सदस्य हैं । वे राम सरण ट्रस्ट सोसाइटी मुरादाबाद के महामन्त्री है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व से कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और 1969 तक सदस्य रहे । 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो जाने के बाद वे कांग्रेस (यू) में शामिल हो गए और 1977 में जब कांग्रेस (यू) जनता पार्टी में विलीन हो गई तो वे नई पार्टी के सदस्य हो गये । 1980 में जब इस पार्टी में भी विभाजन हो गया तो उन्होंने राजनीति छोड़ दी । वे जिला मद्य-निषेध समिति और नागरिक परिषद के जो 18 अगस्त, 1980 को बनी थी, उपाध्यक्ष हैं। वे आय कर के रूप में काफी धनराशि देते हैं । अतः उनका बयान काफी महत्वपूर्ण रखता है ।

उनके बयान में सार है कि पँजाबी हिन्दू जो देश के विभाजन के समय भारत आये उन्हें "आप्रवासी "नहीं कहा जा सकता क्योंकि "आप्रवासी "वह है जो आप्रवासी के रूप में किसी दूसरे देश में आता है। पँजाबी हिन्दू अपने देश के एक भाग से दूसरे भाग में आये और वे शरणार्थी थे। उन्होंने इस बात से साफ तौर पर इन्कार किया है कि पँजाबी हिन्दुओं में कोई फासिस्टवादी तत्व है अथवा उनमें ऐसा कोई भाव है - जैसा आन्दोलन असम में चल रहा है वैसा ही उनके खिलाफ भी किया जा सकता है। यह कहने का महत्व है कि डा0 चोपड़ा के अलावा मुसलमानों ने किसी अन्य पँजाबी का नाम नहीं लिया है जिसमें तानाशाही प्रवृत्तियाँ हों। डा0 चोपड़ा के बारे में भी ऐसी कोई महत्व की बात नहीं है जिसके आधार पर उनका फासिस्टवादी होना सिद्ध हो सके। यह भी कहना उपयुक्त है कि विभाजन के समय काफी संख्या में पँजाबी पँजाब से भारत आये और सारे देश में कई स्थानों में बस गये। उनको निकालने का अब तक कहीं भी अभियान नहीं चलाया गया है और ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता जिसमें मुरादाबाद में पँजाबी हिन्दुओं के मन में ऐसा कोई भाव पैदा हो।

श्री हंसराज भगत:बी/डब्लू-3: के बयान से भी मुसलमानों का यह तर्क गलत साबित होता है कि पँजाबी हिन्दुओं ने स्थानीय हिन्दुओं को उनके व्यवसाय तथा व्यापार से वँचित कर दिया। जिसके कारण उनके प्रतिशोध उत्पन्न हो गया था। उन्होंने साफ कहा है कि मुरादबाद में पँजाबी हिन्दू कड़ी मेहनत करके अनेक व्यवसायों में स्वत: लग गये और किसी भी स्थानीय हिन्दू को उनके कारोबार या व्यवसाय से वँचित नहीं किया उन्होंने अधिकाशत: ऐसे व्यवसाय किये जो किसी भी हिन्दू द्वारा नहीं किये जाते थे बल्कि उन्हें मुसलमान करते थे। उनके भारत में आने के बाद भारत सरकार ने उन्हें मुआवजे के रूप में बर्तन तथा परमिट दिये और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और उससे किसी भी स्थानीय हिन्दू पर कोई असर नहीं पड़ा। अविभाजित पँजाब में होजरी का व्यवसाय बड़े पैमाने पर किया जाता था। इन शरणार्थियों ने वहाँ से माल लाना और उसे मुरादाबाद में शहर में पगडण्डीयों तथा पटरियों पर बेचना शुरु किया। इसका भी प्रभाव किसी और पर नहीं पड़ा।

अधिकतर मुसलमानों के हाथ में पीतल के बर्तनों का व्यवसाय था। पँजाबियों ने स्थानीय मुसलमानों से बर्तन खरीदना शुरु किया और उन्हें विभिन्न स्थानों पर बेचने लगे। 1947 के बाद भारत सरकार ने निर्यात व्यवसाय और कुटीर लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया। सरकार ने निर्यात बढाने की योजनाओं के अंतर्गत आकर्षक प्रोत्साहन दिये और बैंक इस प्रयोजन के लिये ऋण

देने लगे और चालू पूँजी प्रदान की । पँजाबी शरणार्थीयों ने इन योजनाओं का पूरा पूरा लाभ उठाया और अपना स्वंय का व्यवसाय करने लगे ।

श्री भगत के बयान से पता चलता है कि पीतल के बर्तनों के निर्यात व्यवसाय में पँजाबी हिन्दुओं के द्वारा किसी भी स्थानीय हिन्दू को कोई भी धाक्का नहीं लगा । मध्य पूर्वी देशों को निर्यात का व्यवसाय हमेशा मुसलमानों के हाथ में रहा है क्योंकि ये देश अपने देशों में गैर मुस्लिम को माल निर्यात करने की अनुमति नहीं देते है । इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि जो पँजाबी हिन्दू मुरादाबाद में बस गये उनसे किसी स्थानीय हिन्दू को अपने व्यवसाय या धन्धों मे कोई हानि नहीं हुई और ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे उनमें अप्रसन्नता होती । दूसरी ओर मुसलमानों के दुखी होने का यह कारण हो सकता है कि कुछ शरणार्थी मुरादाबाद में उनका व्यवसाय करने लगे थे ।

मुसलमानों की निन्दा करने के लिये पँजाबी हिन्दूओं द्वारा विद्वेषपूर्ण प्रचार

मुस्लिम वर्ग का कहना यह है कि जब आसाम में आप्रवासियों के विरुध्द आन्दोलन शुरु हुआ तो पाकिस्तान से आये हुये हिन्दू आप्रवासियों में यह भय उत्पन्न होने लगा कि उनके विरुध्द ऐसा ही आन्दोलन मुरादाबाद में भी चलाया जा सकता है । इस आशंका को समाप्त करने के लिये वे मुरादाबाद के मुसलमानों के प्रति स्थानीय हिन्दूओं में भय पैदा करने के लिये उनकी बुराई करने लगे थे । ऐसा करने के लिये उन्होंने उस हर समस्या का अनुचित लाभ उठाया जिसका सामना मुरादाबाद के मुसलमानों को करना पड़ रहा था । इसकी पुष्टि करने के लिये कई मिसाले दी गई है जिनकी चर्चा संक्षेप में की जा सकती है । ऐसा करने से पहले यह कहा जा सकता है कि जो पँजाबी हिन्दू विभाजन के समय भारत आये उन्हें आप्रवासी नहीं कहा जा सकता वे शरणार्थी थे । उनके लिये ऐसी आशंका करने की कोई वजह नहीं थी । कि असम में आप्रवासियों के विरुध्द जो आन्दोलन किया जा रहा है वैसा ही आन्दोलन उनके विरुध्द मुरादाबाद में किया जायेगा इस विषय पर पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है ।

पहली बात तो यह कही गयी है कि मुरादाबाद में हिन्दू आप्रवासियों के उग्रवादी फासिस्ट गुट ने निर्यात और परिवहन कारोबार में अपने प्रभुत्व के कारण उन लोगों को वित्तीय सहायता दी जो मुसलमानों की निन्दा करने के लिये दिल्ली प्रतिनिधि मण्डल ले गये । इस बात की पुष्टि में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । मात्र सुझावों से कोई बल नहीं पडता है है । जो लोग दिल्ली प्रतिनिधि मण्डल ले गये थे या जिन्होंने उन्हें वित्तीय सहायता दी थी उनके नाम नहीं दिये गये है । यह बात भी नहीं बतायी गयी है कि वे लोग किससे मिले थे और क्या प्रत्यावेदन दिया था । लिखित बयानों में इस तथ्य पर काफी जोर डाला गया है कि बहुत से हिन्दू जिनमें से अधिकतर नागरिक परिषद के सदस्य थे दिल्ली गये थे और

उन्होंने एक पम्फलेट पेश किया जिसका शीर्षक था मुरादाबाद जल रहा है और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों के विरुद्ध राजनीतिज्ञों को भड़काने के लिये बहुत कुछ कहा । यह कहना आवश्यक है कि मुरादाबाद में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना 13 अगस्त, 1980 को घटी थी और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिये 18 अगस्त, 1980 को नागरिक परिषाद ~~के सदस्य तथा अन्य लोग~~ बनायी गयी थी (श्री भागत बी/डब्लू-3 का बयान देखिये) । नागरिक परिषाद के सदस्य तथा अन्य लोग घटना ~~की~~ के बारे में सही तथ्य प्रस्तुत करने के लिये दिल्ली गये थे न कि मुसलमानों की बुराई करने के लिये । किसी भी परिस्थिति में दिल्ली के इस बाद वाले दौरे के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि 13 अगस्त, 1980 को ईदगाह में जो घटना हुई वह इसी कारण हुई थी ।

दूसरी बार उन्होंने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी को किये जाने वाले निर्यात में पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासी स्थानीय हिन्दुओं से आगे बढ गये थे जब कि मुसलमान केवल साऊदी अरबिया के निर्यात में कुछ आगे थे । इसके कारण ही "पैट्रो डालर सहायता" नामक शब्द की उत्पत्ति हुई और इसका व्यापक प्रयोग स्थानीय हिन्दुओं के मन में घृणा पैदा करने में किया गया । इसके कथन पर विचार विमर्श हिन्दुओं तथा नागरिक परिषाद द्वारा लिये गये विदेशी धन का अन्तः प्रवाह नामक शीर्षक के अन्तर्गत विस्तार से किया जायेगा ।

तीसरे उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मुरादाबाद में व्यापार तथा निर्माण ईकाइयों के विस्तार ने मुरादाबाद में बहुत बडी संख्या में बिहारी मुसलमानों को आकर्षित किया है और उन्हें बसाने के लिये शहर के बाहर नई कालोनीयाँ बनाये जाने की आवश्यकता हो गई है इससे हिन्दुओं को झूठा प्रचार करने के लिये मौका मिल गया । इस सम्बन्ध में हिन्दुओं और नागरिक परिषाद द्वारा उठाये गये "भारत में दूसरा पाकिस्तान बनाने की ~~इच्छा~~ इच्छा" विषय के अन्तर्गत विचार विमर्श किया ~~जे~~ जायेगा ।

चौथी बार इनका कहना यह है कि मुसलमान उन कुशल तथा अकुशल कर्मकारों, मिस्त्रियों तथा करीगरों को अरबी का ज्ञान कराने के लिये जो अरब देशों अपनी जीविका कमाना चाहते है कुछ मदरसों का निमार्ण करा ~~रहे~~ रहे है क्योंकि वहाँ अरबी का ज्ञान होना आवश्यक है । पँजाबी हिन्दुओं ने इस आधार पर एक अभियान चलाया कि ये मदरसे वास्तव में विश्वविद्यालय है और ये इस्लामी भाईचारे की शिक्षा देने तथा रुढ़िवादीता के विकास के लिये खोले गये है । वे यह भी कहना चाहते है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में, जिसमें पश्चिमी जिले भी है, मुस्लिम राज्य स्थापित करने तथा मुरादाबाद को उसकी राजधानी बनाने का भी ख्वाब देख रहे है । नागरिक परिषाद के कथनानुसार इसका भी मुल्यांकन "भारत में दूसरा पाकिस्तान बनाने की इच्छा" नामक शीर्षक के अन्तर्गत चर्चा में किया ~~जाये~~ जायेगा ।

पाँचवी बात यह है कि रमजान के दौरान हिन्दुओं ने यह अफवाह फैलायी थी कि मुरादाबाद के मुसलमानों ने श्री संजय गाँधी के दुखद निधन पर मिठाईयाँ बाँटी थी और यह अफवाह प्रधान मन्त्री को जो कि मृतक की माँ हैं, परेशान करने के लिये नई दिल्ली में भी फैलायी गयी थी । जिससे कि मुसलमानों के प्रति उनकी सहानुभूति समाप्त हो जाये । निःसंदेह श्री भगत (बी/डब्लू-3) ने यह कहा है कि कुछ मुसलमानों ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मिठाईयाँ बाँटी थी क्योकि स्वर्गीय श्री संजय गाँधी परिवार नियोजन के पक्ष में थे और वे उसे मुसलमानों पर उनकी नारजगी की परवाह न करते हुये भी लागू करना चाहते थे परन्तु यह पता किसी बात से नहीं चलता है कि मिठाईयाँ इसी कारण से बाँटी गई थी । साथ ही नीच लोग हर समुदाय में होते है । यदि किसी अपरिपक्व बुद्धि वाले मुसलमान ने वास्तव में ऐसा किया भी था तो इसके लिये सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ऐसी किसी बात का पता नहीं चलता है कि यह अफवाह दिल्ली में फैलाई गयी थी अथवा इस पर कोई प्रतिक्रिया हुई थी । इसलिये यह बात सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय की आलोचना करने के लिये काफी नहीं हैं इस बात का 13 अगस्त, 1980 को हुये दंगों से बिलकुल कोई सम्बन्ध नहीं था ।

पंजाबी हिन्दुओं तथा प्रशासन के बीच साजिश

यह विषय प्रश्न वाद विषय संख्या 4, 5, तथा 17 के अन्तर्गत आ जाता है । शाहर इमाम ने कहा है कि पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों में तानाशाही तत्व साम्प्रदायिक दंगा भड़काने के लिये एक अवसर की तलाश में था । उनके लिये वे उपद्रव वरदान के रूप में सिद्ध हुये जो सराय किशन लाल में 24-7-80 को हुये थे । उस घटना के तुरन्त बाद डा० हंसराज चोपडा उस मोहल्ले में इधर उधर घूमते हुये तथा बाल्मीकियों से बातचीत करते हुये देखे गये । डा० चोपडा ने बाल्मीकियों को प्रेरित किया और उनसे बढ़ा चढ़ा कर विवरण देते हुये एक रिपोर्ट थाना कटघर में लिखावा दी । उस रिपोर्ट में काले उर्फ जाहिद खाँ नामक व्यक्ति सहित कुछ मुसलमानों को नामजद किया गया था परन्तु उन सभी को जमानत में छोड़ दिया गया क्योकि उस रिपोर्ट में दिया गया विवरण बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर दिया हुआ प्रतीत होता था । उन्होने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी हिन्दुओं आप्रवासियों का तानाशाही वर्ग यह जानकर अशान्त हो उठा कि उनकी योजना में खलल पड़ गया है । उन्होने बाल्मीकियों का एक प्रतिनिधिमण्डल अपने साथ लिया और वे श्री योगेन्द्र मकवाना से मिले और उस प्रतिनिधिमण्डल की सहायता से श्री एस०पी० आर्या, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में दिल्ली से मुरादाबाद स्थानान्तरित करा दिया । शाहर इमाम ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ उत्तरदायी व्यक्तियों से यह पता चला था कि तैनाती के दिनांक तथा वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के बीच जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी श्री आर्य से दिल्ली में मिले थे और श्री आर्य ने बातचीत

के दौरान उनसे निम्नलिखित बातें कहीं थी ।

"क्या पुलिस तथा प्रशासन चूड़ियाँ पहने था? उन्होंने गोलियाँ क्यों नहीं चलाई? हरिजनों पर इस प्रकार के अत्याचार कब तक होते रहेंगे ?"

शाहर इमाम ने यह भी कहा कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद से श्री आर्या का मुसलमानों के प्रति रवैया कठोर हो गया था और बाल्मिकियों के कई प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिले थे और कान भरे थे । अतः श्री आर्य ने बाल्मीकियों की सभायें कराने में उनकी मदद की और उन्हें बदला लेने के लिये प्रेरित किया ।

मुस्लिम वर्ग द्वारा उक्त अभिकथन सिद्ध करने के लिये कोई भी प्रयास नहीं किया गया । उन व्यक्तियों में से एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया जिनसे श्री आर्य ने यह कहा था कि पुलिस को 24-7-1980 को गोली चलानी चाहिये थी । उन व्यक्ति के नाम भी नहीं बताये गये जिनसे शाहर इमाम ने यह सूचना प्राप्त की थी । दूसरी ओर श्री आर्य ने इस सम्बन्ध में बहुत विस्तारपूर्वक बयान दिया है । उन्होंने यह बताया कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा, 1968 के संवर्ग के है और उन्हें उत्तर प्रदेश संवर्ग से नवम्बर, 1978 में भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था उन्होंने 24-6-1980 को भारत सरकार, गृह मन्त्रालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक आवेदन पत्र इस आशय से दिया था कि उन्हें अपने माता पिता की बीमारी के कारण अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाये । वे जिला बहराइच के निवासी हैं और उन्होंने यह निवेदन किया था कि अपने निवास के जिले के पास तैनात किया जाये । उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करने सम्बन्धी उनका निवेदन स्वीकार कर लिया गया परन्तु उनके निवास के जिले में तैनात किये जाने सम्बन्धी उनके निवेदन को सरकार ने अनुकूल नहीं पाया हालाँकि उन्होंने गृह सचिव से कई बार मौखिक रूप से निवेदन किया था । उन्हें श्री आर0के0 तिवारी के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के रूप में तैनात किया गया । उन्होंने अपनी तैनाती मुरादाबाद कराने में मकवाना या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहायता किये जाने की बात से इन्कार किया है ।

श्री आर्य ने इस बात से भी इन्कार किया है कि मुरादाबाद में तैनात किसी अधिकारी ने उनसे दिल्ली में मुलाकात की थी और उन्होंने उससे कोई बात कही थी। यह बात शाहर इमाम के इस तर्क को पूर्णतया झूठा सिद्ध करती है कि श्री आर्य को योगेन्द्र मकवाना अथवा किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर तैनात किया गया था ।

इस बात को सिद्ध करने के लिये लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं मिलता कि ईदगाह में मुसलमानों पर हमला करने के लिये मुरादाबाद के अधिकारियों, तथा हिन्दुओं की ओर से कोई साजिश की गयी थी । प्रशासन तथा पुलिस इस बात को पूरी तरह जानते थे कि ईद के अवसर पर लगभग 60 या 70 हजार मुसलमानों की भीड होने वाली है और वहाँ पर गडबडी करने पर उसके दूरगामी परिणाम होंगे, जिसके फलस्वरूप उन्हीं का प्रशासन तथा पुलिस का नुकसान होगा । यदि उस अवसर पर गडबडी की जाती है तो एक भी अधिकारी

अथवा हिन्दू सही सलामत नहीं जाने दिया जायेगा । वहाँ पर तैनात सहज ही गोली चलाने वाली तथाकथित पी0ए0सी0 तथा सिविल पुलिस की शारीरिक शक्ति उस समय क्षीण हो गयी जब केवल कुछ सौ व्यक्तियों ने गड़बड़ी की, अधिकारियों, पुलिस बल के सदस्यों तथा हिन्दुओं को जान से मारा तथा घायल किया, पुलिस अधिकारियोंतथा पुलिस के जवानों के पास से शस्त्रास्त्र और गोला बारुद छीन लिया, शालशहीद पुलिस चौकी को पूरी तरह से लूटा और उसे तहस नहस कर दिया ।यहाँ तक कि थाना कोतवाली को भी नहीं छोड़ा गया वहाँ पर तैनात पुलिस बल की संख्या को देखते हुये किसी भी तर्कसंगत बुद्धिवाले व्यक्ति ने इस प्रकार की किसी घटना को करने के सम्बन्ध में नहीं सोचा होगा । इसके अतिरिक्त श्री आर्य ने 31-7-1980 को कार्यभार ग्रहण किया था और 13-8-1980 को ईदगाह में घटना घटित हुयी । श्री आर्य को इतना कम समय मिला कि वे इतने समय में न तो अपने अधिकारियों को विश्वास में ले सकते थे और न ही कोई साजिश कर सकते थे और ऐसा कोई कारण भी उपलब्ध नहीं है कि अधिकारीगण ऐसे किसी कार्य के लिये अपना समर्थन देते । ऐसा करने से न तो उन्हें कोई लाभ होता और नहीं उन्हें किसी मुसलमान के साथ कोई झगड़ा निपटाना था । इस बात का भी कोई कारण नहीं है कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बी0एन0सिंह और उसके कारण अन्य ज्येष्ठ पुलिस अधिकारीयों तथा अधिकारियों द्वारा ईदगाह में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिये कोई साजिश करने की सम्भावना से पूर्णतः इन्कार किया जाता है ।

जहाँ तक कि हिन्दूओं के कार्य का सम्बन्ध है उनमें से थोड़े से ही हिन्दू नमाजियों को बधाई देने के लिये गये थे जैसा कि मुरादाबाद में पुरानी प्रथा है।उनमें से किसी की भी मुसलमानों से दुश्मनी नहीं थी । उनमें से अधिकतर नगर के बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति थे और किसी न किसी संगठन के सदस्य थे । मुसलमानों ने अपने प्रति तथा प्रत्युत्तर शपथपत्रों में उनके साथ कोई दुश्मनी होने के बारे में नहीं कहा है । वे बिलकुल बिना हथियार लिये गये थे और उन्होने कुछ भी नहीं किया सिवाय उन्होने दंगाईयों के हाथों चोटें खाई । उनमें से एक अर्थात डा0एस0पी0अग्रवाल के मुवक्किल अधिकतर मुसलमान थे। अतः यह तर्क देना निरर्थक होगा कि उस दिन गड़बड़ी पैदा करने के लिये इन थोड़े से हिन्दुओं ने कोई साजिश की थी । नमाजियों के बीच कोई सुअर घुसाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी और न ही उन्होने उस दिन उस क्षेत्र में कोई सुअर ही देखा था । यदि इसमें उनका कोई हाथ होता तो वे हिन्सा का शिकार बनने के लिये ईदगाह न जाते । अतः यह तर्क देना निरर्थक है कि अधिकारियों अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों ने ईदगाह में मुसलमानों से निपटने के लिये कोई साजिश की थी । जैसा कि इस रिपोर्ट में अन्यत्र चर्चा की जायेगी ईदगाह में अधिकतर मुसलमान भगदड़ के कारण मरे थे और यह नहीं कहा जा सकता कि वे पी0ए0सी0 अथवा सिविल पुलिस के क्रोध के शिकार हुये थे ।

यह भी कहा गया है कि 13-8-1980 से पूर्व राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ तथा साम्प्रदायिक तत्वों की बैठकें हरिजन बस्तियों में हुयी थी और हरिजनों को मुसलमानों के विरुध उकसाया गया था ये यह अभिकथन भी पूर्णतः निराधार है । वस्तुतः राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ तथा तत्कालीन जनसंघ ने उस उपद्रवों में बिलकुल भी भाग नहीं लिया था । यद्यपि दंगा भडकाने तथा गडबडी से लाभ उठाने के लिये ~~मुसलमान~~ सामान्यतः राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ को दोषी ठहराया जाता है फिर भी मुरादाबाद के दंगों में ~~राष्ट्र~~ राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं था । केवल डा0 शमीम अहमद खाँ ने ही राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ को फसाने की कोशिश की है परन्तु अब्दुल बद्दू खाँ ने, जिन्होंने आयोग के समक्ष अपना बयान लिखित दाखिल किया है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन घटनाओं के सम्बन्ध में इस संगठन का नाम किसी भी प्रकार नहीं आता है ।

शहर इमाम ने भी यह कहा है कि जब 24-7-1980 की घटना के सम्बन्ध में सभी मुसलमानों अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ दिया गया, तब पाकिस्तानी हिन्दुओं में तानाशाही तत्व अशान्त हो उठा । उन्होंने टाउन हाल में दो बैठकें की एक 27-7-80 को तथा दूसरी 1-8-1980 को । पहली बैठक भारतीय जनता पार्टी के महामन्त्री श्री हरी ओम शर्मा तथा डा0 हंसराज चोपड़ा द्वारा आयोजित की गयी । उस बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के अधीन अपने को विरुध करने के विरुध प्रचार किया था । दूसरी बैठक में डा0 हंसराज चोपडा ने कहा कि यदि सरकार मुसलमानों द्वारा बाल्मीकियों पर किये गये अत्याचारों तथा ज्यादतियों के विरुध कार्यवाही नहीं करती है तो वे मुसलमानों से स्वंय निपटेगें तथा जान के बदले जान लेगें । शहर इमाम ने कहा है कि जिला प्रशासन को स्थानीय अभिसूचना यूनिट के माध्यम से इन उत्तेजनात्मक भाषणों के सम्बन्ध में निश्चित ही जानकारी हो गयी होगी परन्तु उसने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की । श्री हरी ओम शर्मा तथा डा0 हंसराज चोपडा साक्षियों के रूप में उपस्थित हुये है और उन्होंने इन अभिकथनों के सम्बन्ध में शपथ लेकर इन्कार किया है उन्होंने यह बयान दिया है कि उन्होंने न तो 27-7-1980 तथा 1-8-1980 को टाउन हाल में बाल्मीकियों की कोई बैठक की थी और न ही वे भाषण दिये थे जिनके सम्बन्ध में उनके ऊपर आरोप लगाया गया है । नागरिक परिषद की ओर से बाल्मीकियों सहित बहुत से साक्षी उपस्थित हुये और उन्होंने इन दोनों साक्षियों का समर्थन किया है । उन्होंने यह बयान दिया है कि टाउन हाल मे कोई बैठक नहीं की गई थी । श्री आर्य ने 31-7-1980 को कार्यभार ग्रहण किया था और उन्होंने यह बयान दिया है कि उनकी जानकारी के अनुसार न तो इस प्रकार की कोई बैठक की गयी थी और न ही किसी

अधिकारी द्वारा बैठक के लिये अनुमति दी गयी थी । उन्होंने यह भी बयान दिया है कि स्थानीय अभिसूचना यूनिट ने इस प्रकार की कोई बैठक होने तथा उत्तेजनात्मक भाषण दिये जाने के सम्बन्ध में कभी भी कोई जानकारी नहीं दी थी । उन्होंने 1-8-1980 को तथा कथित बैठक के सम्बन्ध में भी वही बयान दिया है । अतः उनके द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । इन आरोपों को सिद्ध करने के लिये मुस्लिम वर्ग की ओर से कोई भी व्यक्ति उपस्थिति नहीं हुआ । अतएव उन सभी आरोपों को जिनसे वाद विषय संख्या 4, 5, तथा 17 उठते है, बिल्कुल भी सिद्ध नहीं किया गया है ।

राजनीति:-

हिन्दुओं तथा नागरिक परिषद ने भी इसी आधार को लिया है अतः इस सम्बन्ध में एक स्थान पर विचार विमर्श करना उचित होगा । मेरा यह प्रस्ताव है कि इस पर तब तक विचार विमर्श किया जाये जब हिन्दुओं तथा नागरिक परिषद द्वारा तथाकथित कारणों पर विचार विमर्श किया जाता हो ।

अब मै हिन्दुओं द्वारा तथाकथित कारणों के गुण दोष (मेरिट) की जाँच करूँगा ।

हिन्दुओं -मुसलमानों में विरोध

सांम्प्रदायिक तनाव बहुत ही मामूली घटना से उत्पन्न हो जाता है । समाज विरोधी तत्व निःसंदेह सक्रिय हो जाते है क्योंकि उसके लिये उत्तेजनशील सामग्री मौजूद रहती है । इस हिन्दू मुस्लिम विरोध के कई जटिल कारण है जो उस समय से चले आरहे है जब मुसलमानों ने आक्रमण किया था तथा ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्यिक (इम्पीरियल) शासन के दौरान अपना प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये मुस्लिम पृथकतावाद को प्रोत्साहन दिया था । उप महाद्वीप का विभाजन इन एतिहासिक घटनाओं की तर्कपूर्ण चरम सीमा थी और 1947 के बाद भारत में मुसलमानोंकी जनसंख्या 7 करोड़ 50 लाख तक पहुच गई है और इसका लाभ उठाने के लिये नेतागण मैदान में आ गये है । उनके राजनीति नेता सर सैय्यद अहमद खाँ ने उनकी बढती हुयी जनसंख्या को "प्रगति के अपरिवर्तनशील नियम के रूप में देखा कि जब एक अन्य मुस्लिम राष्ट्र ने भारत को जीता तो देश के केवल उन्हीं व्यक्तियों (हिन्दुओं) ने मुसलमानों के साथ प्रतिष्ठा, शक्ति तथा सरकार में हाथ बटाया जिन्होंने उनके रंग ढंग (तौर तरीके), भाषा तथा शास्त्र को अंगीकार कर लिया था" यह बात विशेष कर भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी मुसलमानों के बारे में सही है । ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व उत्तरी भारत पर लगभग 500 वर्षों से अधिपत्य कायम कर रखा था और इसीलिये वे हिन्दुओं से यह आशा करते थे कि वे उनके (आदर्शों) के अनुरूप बन जाये । वे ब्रिटेन के अधिपत्य (प्रभुत्व) के कारण इस मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति से

वंचित हो गये थे और उनमें एक वंचित समुदाय (ग्रुप) की मनोवृत्ति घर कर गयी थी। वे अपनी परिस्थिति की तुलना अन्य मुस्लिम बहुल देशों के मुसलमानों से अथवा ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक तथा राजनीतिक आरक्षण पृथक निर्वाचक मण्डल और एक धर्म पिता (गाड फादर) प्राप्त था। उनमें से अधिकतर मुसलमान एक धर्म निरपेक्ष देश की परिवर्तित वास्तविकताओं को ग्रहण नहीं कर पाये और अपने आपको पराया (विदेशी) महसूस किया उनका विरोध इस तथ्य से स्पष्ट हो जायेगा कि उनके कुछ नेताओं ने अपने अनुयायियों से यह अनुरोध करके मुरादाबाद के दंगों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वे (मुसलमान) अपने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता दिवस को एक "काला दिवस" के रूप में मनाये और अपनी बाजूओं पर काले फीतें बांधें उनके इस कार्य से बहुमत सम्प्रदाय का मन खिन्न हो गया। ऐसे व्यवहार से राष्ट्रीय एकीकरण जिसे सभी नेतागण हृदय से चाहते है नहीं हो सकता। अतः राष्ट्रीय एकीकरण परिषद ने इस सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है।

भारत में साम्प्रदायिक दंगो का एक लम्बा इतिहास है। तैंतीस वर्ष पूर्व देश के विभाजन के कारण राज्य के राजनीतिक विभाजन को लेकर सर्वाधिक लोमहर्षक हत्याकाण्ड हुआ। इन दोनो सम्प्रदायों के मध्य बहुत सी बाद की घटनाओं के कारण पुराना संघर्ष इस सीमा तक बढ गया कि उसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक संस्थात्मक रूप धारण कर लिया। कुछ उग्रवादी संगठनों ने उस निरन्तर संघर्ष से भरपूर लाभ उठाया।

इस समस्यता की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देहातों में साम्प्रदायिक दंगों की घटनायें हाल ही की याददाश्त में शायद ही घटित हुयी हो। हिन्दू मुस्लिम समस्या पर अधिक सूक्ष्मता से विचार करने पर यह समस्या उत्तरी भारत के नागर क्षेत्रों तक सीमित प्रतीत होती है जहाँ दोनों सम्प्रदायों के मध्य प्रतिद्वन्दिता ऐतिहासिक रूप से अधिक उग्र रही है। यहाँ हिन्दू यह नहीं भूले है कि वे कभी अधीन थे और मुसलमान इस बात को नहीं भूले है कि उन्होंने कभी शासन किया था। दक्षिण भारत में साम्प्रदायिक दंगे का शायद ही कोई दृष्टांत मिले जहाँ मुसलमानों को सामाजिक सांस्कृतिक तथा जातीयता की दृष्टि से मिला लिया गया है।

देश की स्वतन्त्रता तथा देश के विभाजन के बाद बहुत से मुसलमानों ने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण बना लिया है और प्रमुख जन प्रवाह में सम्मिलित होने के लिये तैयार है। यदि दोनों ही सम्प्रदायों के व्यक्ति अपने मस्तिष्क से द्वेश तथा गलत फहमी दूर कर दे तो साम्प्रदायिक एकता को बढावा देने के लिये बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर भी ईदगाह में यह उपद्रव केवल इसी कारण से नहीं हुआ था।

सर्वइस्लामी तथा इस्लामी रुढिवाद

हिन्दुओं तथा नागरिक परिषद का कहना है कि सर्व इस्लामी लहर पूरे संसार में

चल रही है तथा भारत वर्ष इससे अछूता नहीं है । श्री हंसराज भगत (बी/डब्लू-31), जो नागरिक परिषद मुरादाबाद के उपाध्यक्ष है, इस सम्बन्ध में एक विस्तृत बयान देने के लिये उपस्थित है । उनके इस्लामी रुढिवाद का उद्देश्य इस्लामी राज स्थापित करना है । इसकी तीन अवस्थाये है अर्थात दारुल हरब दारुल अमन तथा दारुल इस्लाम । जब दारुल इस्लाम की अवस्था प्राप्त कर ली जाती है तो इस्लामी रुढिवाद का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है दिनांक 29-जुलाई, 1979 के नवभारत टाइम्स में प्रकासित समाचार की एक प्रति लिखित बयान के साथ अनुलग्नक "ख" के रूप में यह सिद्ध करने के लिये दाखिल की गई है कि रुढिवाद को फैलाने के लिये क्या हो रहा है । उन्होंने यह भी बताया है कि भारत में इस्लाम के प्रचार के लिये 4.2 अरब डालर की लागत से कुवैत ने इग्लैण्ड में एक केन्द्र खोला है । उन्होने तय किया है कि सबसे पहले अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की 16 अथा 17 करोड जनसंख्या को इस्लामी मजहब में बदल दिया जाये क्योकि इन जातियों के लोग गरीब वर्ग के हैं । तथा उन्हे धन से सरलता पूर्वक खुश किया जा सकता है । दिनांक 15 जून 1980 को संडे टाइम्स के रविवारीय परिशिष्ट में "पाकिस्तान का प्रवर्तक कौन था" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक नक्शा अनुलग्नक "क" के रूप में दाखिल किया गया है । दिनांक 2 सितम्बर, 1979 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित मौलाना असरुल कादरी के वक्तव्य तथा दिनांक 13 जनवरी, 1979 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित पश्चिमी बंगाल विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री कमीमुद्दीन शाह के भाषण का भी उल्लेख किया गया है । उन्होने अनुलग्नक "क" तथा विश्व विख्यात धार्मिक नेता श्री अली नकवी के साथ हुई अपनी बातचीत का भी उल्लेख किया है । जिन्होंने तथाकथित रूप से उनसे कहा था कि मुसलमानों सर्वइस्लाम में आस्था रखाते है, तथा साउदी अरब के शाह खालिद (अब दिवंगत) ने इसके प्रचार के लिये वित्तीय सहायता देने का वादा किया था । मैने इस सभी सामग्री पर उत्सुकता से विचार किया है और मेरे विचार से विभिन्न पत्रों में प्रकाशित समाचार साक्ष्य के रूप में पूरी तरह स्वीकार्य है क्योकि कोई भी व्यक्ति इसकी सच्चाई सिद्ध करने के लिये उपस्थित नहीं हुआ । अपनी जिरह में श्री भगत ने स्वंय ही स्वीकार किया है कि इस्लाम के प्रसार के सम्बन्ध में उनकी जानकारी पुस्तकों पत्रिकाओं समाचारपत्रों में प्रकाशित सूचनाओं घटनाक्रम तथा मुसलमानों द्वारा मंचों पर दिये गये भाषणों तथा जनपानगृहों में हुई चर्चाओं पर आधारित है । प्रत्यक्षक रूप से उनका बयान भी इस वास्तविकता को सिद्ध करने मे अधिक सहायक नहीं है किन्तु उससे असुरक्षा की भावना का पता चलता है । हिन्दुओ की शंका इस तथ्य से और भी बलवती होती है कि 1979 में मुरादाबाद में एक इज्तमा (धर्म के प्रचार हेतु धर्म संघ के लिये एक अरबी शब्द) किया गया था तथा इसमें भारत तथा बाहर से आये कम से कम दो लाख मुसलमानो ने भाग लिया था । इसकी

इसकी कार्यवाहियाँ अति-गोपनीय रखी गई तथा किसी हिन्दू पुलिस अधिकारी या अभि-सूचना विभाग के सदस्य को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई । कहा जाता है कि उसमें लगभग सौ हरिजन परिवारों को इस्लाम में धर्मान्तारित किया गया । खाडी के देशों के प्रतिनिधियों ने स्थानीय मुसलमानों को भारी धनराशि दान के रूप में दी जिसका परिणाम यह हुआ कि इज्तिमा के तुरन्त बाद मुरादाबाद की सभी मस्जिदों का उसी के अनुसार पुनरुद्धार किया गया तथा उनमें माईक्रोफोन लगा दिये गये । हिन्दुओं के मन में शंका उत्पन्न करने के लिये यह कारण पर्याप्त है कि इस्लाम मजहब की भावना ने भारत वर्ष में रहने वाले मुसलमानों के विचारों को भी आक्रान्त किया है । यह सच है कि ये दंगे सभी मुसलमानों द्वारा नहीं कराये गये थे और उनके होने का एकमात्र यही कारण न था किन्तु यह भावना उन मुसलमानों के मन में निश्चित रूप से छायी हुई थी जिन्होंने इसकी योजना बनाई थी ।

विदेशी हाथ-

नागरिक परिषाद को यह सिद्ध करने में दुख हुआ कि इन दंगों में विदेशी हाथ था । यह तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में हिन्दु-मुसलमान तनाव फिर से उत्पन्न हो जाने से पाकिस्तान को निश्चय ही लाभ होगा । कहा जाता है कि यदि भारत को साम्प्रदायिक दंगों के संकट में फसा दिया जाये तो इससे निश्चिय ही उसके हितों को नुकसान पहुँचेगा । इस तर्क के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री में निम्नलिखित बाते कही गयी हैं

" यह कहा गया है कि जब मुरादाबाद में उपद्रव शुरु हुआ उस समय नगर में बडी संख्या में पाकिस्तानी अपने निर्धारित समय के बाद भी रुके हुये थे। निसन्देह श्री एस0पी0आर्य ने इस तथ्य की पुष्टि की है किन्तु इससे नागरिक परिषाद के तर्क की और अधिक पुष्टि नहीं होती । सिर्फ इसी कारण से यह नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ पाकिस्तानी मुरादाबाद में अपने निर्धारित समय के बाद रुके हुये थे, उन्होंने ही दंगा कराया।

(ख) नागरिक परिषाद ने दो साक्षियों अर्थात श्री ओंकार सरन कोटिवाल (बी/डब्लू-7) तथा उनके नौकर श्री नारायण (बी/डब्लू-14) का साक्ष्य परीक्षण किया है । श्री नारायण ने कहा है कि वह श्री कोटिवाल का नौकर है तथा उनकी कोठी में नौकर के क्वाटर में रहता है । ईद तथा तीज के त्योहार 13 अगस्त, 1980 को पडे थे । उसकी माँ उसके भाई तथा परिवार के अन्य सदस्य लालबाग मोहल्ले में रहते है जहाँ कांग्रेस (ई) के विधान सभा सदस्य श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी भी रहते है । 12 अगस्त, 1980 की रात में लगभग नौ बेज वह अपनी माँ के घर की ओर उन्हें अगले दिन दोपहर के भोजन पर आमन्त्रित करने के लिये गया था । जब वह श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी के घर के पास जहाँ एक पान की दुकान है पहुचाँ तो उसने देखा वहाँ 8 या 10 मुसलमान खडे है तथा यह कहा रहे है कि यहाँ पाकिस्तानी लोग आये हुये है । कल ईद खैरियत से गुजर जाये कहीं ऐसा न हो की पाकिस्तानी

मुसलमान कुट्टी कुट्टी कर दें।" उसने यह भी कहा है कि यह सुनकर वह आगे नहीं गया तथा अपने क्वार्टर वापस लौट आया। चूँकि रात अधिक बीत गई थी उसने अपने मालिक को यह बात न नहीं बताई और अगली सुबह भी उसे यह बताने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि श्री कोठिवाला पहले ईदगाह तथा उसके बाद अपने कार्यालय चले गये थे। उसने उन्हें यह बात उस समय बतायी जब वे कि वे अपने कार्यालय ~~चले=गये=थे=।=उसने~~ से वापस आकर अपने परिवार के सदस्यों को ईदगाह तथा अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं के सम्बन्ध में बता रहे थे। मै उस पर निर्विवाद रूप से विश्वास नहीं करना चाहता क्योंकि उसने उन लडकों से यह पूछने की परवाह नहीं की कि उन्हें दंगा होने की किस आधार पर आशंका थी। यदि वह इतना आतंकित हो गया था कि वह अपनी माँ को आमंत्रित करने नहीं गया तो उसे थाने जाना चाहिये था तथा सूचित करना था परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। यदि उसे अपने मालिक से मिलने का उस रात कोई मौका नहीं मिला तो वह सुबह आसानी से उनसे मिल सकता था जब वह ईदगाह जा रहे थे। अपने मालिक के हित में यह और भी आवश्यक था कि वह उन्हें इस सम्बन्ध में सचेत कर देता। इतना ही नहीं बल्कि वह श्री कोठिवाल के ईदगाह से लौटने तथा अपने कार्यालय जाने के बाद भी चुप रहा। वह तब भी खामोश रहा जब तक कि सब कुछ हो नहीं गया तथा श्री कोठिवाल ने स्वंय ही इसके बारे में अपने परिवार के सदस्यों से बात की शुरुवात की।

निसन्देह श्री कोठिवाल (बी/डब्लू-7) नगर के एक अत्यन्त प्रभ्रान्त नागरिक हैं और इसके अलावा वे कांग्रेस (ई) कांग्रेस (ओ) तथा जनता पार्टी के संगठनों के सदस्य रहे हैं वह जनता पार्टी की जिला ईकाई के अध्यक्ष रह चुके है। वह हिन्दु शिक्षा समिति (ऐजुकेशन सोसाईटी) जो मुरादाबाद में तीन संस्थायें चलाती है, के अध्यक्ष तथा महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक (मैनेजर) हैं। वे चार फैक्टरियों मे साझेदार हैं तथा कई अन्य व्यापार चलाते है वे अपनी फर्मों तथा अन्य संस्थाओं की ओर से आयकर तथा बिक्रीकर की काफी धनराशि देते है। उनका बयान यदि उनकी व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित होता तो अधिक अहमियत रखता। चूँकि यह नरायण के बयान पर आधारित है, जिसपर मै विश्वास नहीं कर सकता, उनका बयान इस तथ्य को सिद्ध करने में अधिक सहायक नहीं होगा।

(ग) श्री फूल कुमार (बी/डब्लू-5) जिसका घर ईदगाह के सामने स्थित है ने कहा है कि नमाज शुरु होने से थोडी ही देर पहले कुछ फोटोग्राफर उनके मकान की छत पर आये थे और उन्होने सम्पूर्ण क्षेत्र के फोटो लिये थे। उसने उन्हें इसलिये फोटो लेने दी जिससे कि उसमें उसके मकान की फोटो भी आ जायेगी। उसने कहा है कि दंगों के दौरान उसने कुछ लोगों को एक रात वाली बिल्डिंग के नजदीक के मकानों की छतों पर खडे हुये तथा फोटो लेते हुये देखा था। श्री भागत (बी/डब्लू-3) तथा कुछ गवाहों ने कहा है कि दूसरे दिन अर्थात 14 अगस्त, 1980 को पाकिस्तान में दूरदर्शन पर ये फोटो दिखाये गये थे। मेरी राय में इस वस्तु से भी इस तर्क की और अधिक पुष्टि नहीं होती है। लालाफूल कुमार ने उन व्यक्तियों से जिन्होने फोटो लिये थे कभी पूछताछ ~~करने=की=परवाह=नहीं=की=।~~

पूछताँछ करने की परवाह नहीं की । दंगों के दौरान वह स्वयं ही काफी आतंकित था तथा वह यह समझ भी नहीं सका कि मुसलमानों के मकानों की छतों पर जो लोग खड़े थे वे फोटो ले रहे थे अथवा कुछ और कर रहे थे । ये मकान लाला फूल कुमार के मकान से लगभग 100 गज की दूरी पर है तथा उसके मकान से कैमरे जैसी छोटी चीज साफ तौर से नहीं देखी जा सकती है ।यदि उनके बयान के इस अंश पर कुछ विश्वास किया जाये तो भी ऐसी कोई बात नहीं है जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि पाकिस्तान में दूरदर्शन पर ये फोटो दिखाये गये थे ।

(घ) इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि मुसलमानों के घरों से विदेशी चिन्हों वाली बन्दूकें भारी संख्या में बरामद हुई थी ।प्रशासन द्वारा बरामदगी की कुछ सूचियाँ प्रमाणित की गई है परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह बात सिद्ध हो सके कि किसी भी घटना में ये शस्त्रास्त्र उपयोग में लाये गये है । ईदगाह पर किसी के भी कब्जे से कोई शस्त्रास्त्रों बरामद नहीं हुआ और न ही इसका कोई साक्ष्य है कि बरामद शस्त्रास्त्रों पर विदेशी चिन्ह है ।

लोगो का कहना है कि मुरादाबाद में अचानक साम्प्रदायिक उन्माद उत्पन्न हो जाने के पीछे किसी का हाथ है परन्तु कोई भी इस सम्बन्ध में ठीक ठीक नहीं बता सका । यह मात्र अनुमान है तथ्यों के आधार पर प्रमाणित बात नहीं है ।

भारत वर्ष में दूसरा पाकिस्तान बनाने की इच्छा

तथा

विदेशी धन का अन्तःप्रवाह

नागरिक परिषद द्वारा बताये गये इन दोनों कारणों पर एक साथ सरलता से विचार किया जा सकता है ।

काफी संख्या में लोगो का विश्वास है कि तेल समृद्ध देशो से भारत में खुले आम तथा गुप्त दोनों तरह से काफी धन आता रहा है जिसका उपयोग रुढिवाद की भावना बढाने राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने, विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे कराने तथा हरिजनों को इस्लाम में धर्मान्तरित करने में किया जा रहा है । यह कहा जाता है कि 1981 के शुरु में विदेशी धन की सहायता से मीनाक्षीपुरम में सैकड़ों हरिजनों को मुसलमानों में धर्मान्तरित किया गया था । यह भी कहा जाता है कि यह धन भारत में मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक बढाने के लिये भेजा जा रहा है ताकि वे द्वितीय विभाजन अथवा एक अन्य मुस्लिम राज्य के निर्माण की माँग कर सके । सर्वश्री हंसराज भगत (बी/डब्लू-3) तथा देशराज सिक्का (बी/डब्लू-4) ने ये तथ्य बताये है तथा उन्होने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि विदेशी धन भारतीय मुसलमानों के पास कई प्रकार से आता है जैसे खाड़ी के देशों को पीतल के माल के निर्यात के बिलों की धनराशि बढ़ाकर उन मौलवियों द्वारा जो इन देशों की यात्रा करते है तथा मस्जिदों के निर्माण तथा

अन्य धार्मिक उद्देश्यों के नाम पर तथा शेखों इत्यादि से प्राप्त चन्दे द्वारा धनराशि इक्कठी करते है, किन्तु उनमें से कोई भी इसका कोई उदाहरण नहीं दे सका है। श्री भगत ने खुले आम यह स्वीकार किया है कि उनकी सूचना यदाकदा दैनिक समाचारपत्रों के स्तम्भो में छपने वाली खबरों संसद में होने वाली चर्चा तथा जलपानगृहों में होने वाली बातचीत पर आधारित है। स्पष्टतया इस प्रकार की सूचनाओं को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार श्री सिक्का ने बिलो की धनराशि बढाये जाने का कोई भी उदहारण नहीं दिया है। वे निश्चित रूप से यह नहीं बता सके कि इस अन्तःप्रवाह धन की क्या सीमा है, इसका कौन सा भाग किस राजनितिक पार्टी संगठन अथवा व्यक्ति को मिला तथा क्या मुरादाबाद में हुये दंगे में इस धन का कोई उपयोग भी हुआ था। तथापि पूर्वोक्त साक्षियों के बयानों से यह पता चलता है कि निःसन्देह मुस्लिम देशों से जहाँ हिन्दू कोई व्यापार नहीं कर सकते, पीतल के माल के निर्यात के आदेशों में सहसा वृद्धि हो जाने के कारण मुसलमान मालदार हो गये। मुरादाबाद में पीतल के वर्तनों के प्रमुख निर्यातकों में भारी संख्या मुसलमानों की ही है। वे पचास करोड के पीतल के बर्तन निर्यात करते है पीतल के बर्तनों की नक्काशी तथा ढलाई जो यहाँ के इस उद्योग का सारभाग है, का कार्य करने वाले कार्मिक अधिकांशतः मुस्लिम सम्प्रदाय के हैं। पश्चिम ऐशिया मे तेल के व्यवसाय में सहसा वृद्धि होने के बाद से मुसलमान कार्यकर्ता काफी सम्पन्न हो गये है जिसका सीधा प्रभाव उनके यहाँ के व्यवसाय पर पडा है। मुसलमानों द्वारा नये रूप से प्राप्त धन का उपयोग जल्द ही विभिन्न रूपों में, विशेष रूप से नई बस्तियों के लिये भूमि अधिग्रहण और जीर्ण-शीर्ण तथा पूराने मकानों एंव मस्जिदों के नवनिमार्ण के रूप में होने लगा है। श्री भगत (बी/डब्लू-3) ने 1979 में मुरादाबाद में हुये इज्तिमा का भी उल्लेख किया है जिसमें खाडी के देशों से आये प्रतिनधियो ने काफी चन्दा दिया जिससे न केवल मस्जिदों का ही पूनरुद्धार किया गया है बल्कि मुरादाबाद के प्रमुख विकास मार्गों पर नई बस्तियों तथा तीन मुस्लिम विश्वविधालयों का निमार्ण कार्य भी शुरु हो गया है। इन बस्तियों के नाम वाजिदनगर, मुस्तफाबाद, महबूबनगर, हयातनगर तथा इस्लामनगर रखें गये हैं। जैसा कहा जाता है उनकी योजना यह है कि मुरादाबाद नगर को सभी संवेदनशील दिशाओं की ओर से मुसलमान आबादी से घेर लिया जाये ताकि दोनों सम्प्रदायों के बीच कोई भी भिडन्त होने पर भारी संख्या में मुसलमानों कोतुरन्त सहायता मिल सके। यह भी कहा गया है कि मुसलमान मुरादाबाद को राजधानी बनाकर सहारनपुर, शाहजहाँपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ, पीलीभीत, बरेली, तथा मुरादाबाद जिलों को मिला कर अलग से एक मुसलमानी राज्य बनाना चाहते है।

दूसरी तरफ इन योजनाओं के समर्थकों का यह तर्क है कि उनके सम्बन्ध में कुछ भी गोपनीय नहीं है। पीतल के बर्तन तैयार करने वाली इकाईयो की संख्या काफी अधिक बढ गई है तथा निकटवर्ती स्थानों, बिहारतथा बंगला देश से भारी संख्या में मुसलमान इन इकाईयों में कार्य करने के लिये मुरादाबाद आकर बस गये है। नगर मे इन मुसलमानों के लिये मकानों की भारी कमी है। इसलिये इन कर्मकारों को रहने की सुविधा प्रदान करने के लिये इन बस्तियों के निमार्ण की आवश्यकता पडी। वे यह भी स्वीकार करते है कि वे मदरसों न कि विश्वविद्यालय का निमार्ण कर रहे है किन्तु ऐसा इसलिये किया जा रहा है क्योंकि अरब देशों में प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित कर्मकारों तथा मैकेनिको की भारी माँग है। वहाँ कार्य करने के लिये अरबी भाषा का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। इसलिये ऐसे व्यक्तियों को अरबी ~~भाषा का~~ ज्ञान प्रदान करने के लिये मदरसों का निमार्ण कराया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि नगर के वर्तमान मदरसे बढती हुई माँग को पूरी करने के लिये प्रर्याप्त नहीं है।

इस रिपोर्ट का प्रयोजनों के लिये यह बात पूर्णतया महत्वहीन है कि मुसलमान मदरसे बनवा रहे है अथावा विश्वविद्यालय। यह मानी हुई बात है कि वे कुछ संस्थाओं तथा नई बस्तियों का निमार्ण करवा रहे हैं। क्या इसके पीछे उनका कोई खराब उद्देश्य है यह पता करना सरकार का कार्य है। फिर भी एक बात निश्चित है कि आर्थिक विकास तथा ~~विदे~~ विदेशों में दस्तकारी के माल के बाजारों के विस्तार के फलस्वरूप बढते हुये आर्थिक अवसरों ने मुसलमानों को आर्थिक रूप से अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्रदान किया है। तेल निर्यातक देशों की आकस्मिक समृद्धि कुछ उभरते हुये मुसलमान उद्यमियों के लिये वरदान साबित हुई है। देश में तथाकथित रूप से जो ~~बढ उभरते~~ विदेशी धन आया है वह उन निर्यात आदेशों का परिणाम है जो इन उभरते हुये उद्यमियों ने खाडी के देशों से प्राप्त किया है जो कि विलासिता की सामग्री के अग्रगण्य खरीददारों में से है। यह भी निश्चित है कि वे अपने देश में गैर मुसलमानों को पीतल के कलात्मक बर्तनों का आयात करने की अनुमति नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से इसने उन नगरों मे जो हाल के वर्षों में साम्प्रदायिक तनावों की ओर प्रवृत्त रहें है, मुसलमानों की समृद्धि तथा आर्थिक दृष्टि से उन्नति की है। साक्ष्य से यह पता चलता है कि मुरादाबाद में हाल में नये मालदार बने मुसलमान नगर के चारों तरफ मुख्य राजमार्ग के समीप की सम्पत्ति के बडे-बड़े भूखण्ड खरीद रहे है।

मुसलमानों की इस नई आर्थिक समृद्धि को हिन्दू व्यापक आघात मानते है और परिणाम स्वरूप उनके मन में बहुत से अव्यक्त भय आ गये है। "मुरादाबाद जल रहा है" नामक पुस्तिका में इन्हीं भय के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन दिये गये है। दूसरी ओर सफल मुसलमान बहुधा बहुधा अपनी हाल की आर्थिक समृद्धि को अपने समुदाय की विजय मानते है। आयोग के समक्ष

जो सामग्री प्रस्तुत की गई है वह इतनी अधिक विलक्षण है कि उससे किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाना कठिन है। जो कुछ भी कहा जा सकता है वह यही कि इन परिवर्तनों से साम्प्रदायिक भय उत्पन्न हुये है और इसने स्थानीय स्थिति विस्फोटक बनाई है। धन के अन्तःप्रवाह (इन्फ्लो) के बारे में जो रिपोर्ट है उनसे गुप्त रूप में ~~स्वीकार~~ बहुत से लोगों के मन में काफी अविश्वास और डर की भावना पैदा कर दी गई है। दोनों समुदायों में एक दूसरे के प्रति जो गहरे अविश्वास की भावना भरी हुई उससे छोटी बात से ही भारी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। लोगों के मन में ऐसी मानसिक जटिलता और अविश्वास की अदृश्य दीवारें है जिनसे साम्प्रदायिक दंगा उठ खाडा हो सकता है। एक दूसरे के बीच गहरे संदेह के वातावरण मे सही भावनाओं और अच्छे कार्य भी धमकी भरे माने जाते है। अतः हिन्दूओं के भय को कम करने के लिये कालोनियों और संस्थाओं के निमार्ण करने के प्रयोजनो की सरकार द्वारा भली भाति जाँच की जायेगी।

चूँकि केन्द्र सरकार ने विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 पारित कर दिया है इसलिये उसे इस अधिनियम के कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन के सम्बन्ध में तथा इस बात पर कि क्या देश में विदेशी धन के अन्तःप्रवाह का अधिक प्रभावशाली अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिये किसी संशोधन की आवश्यकता है और यह देखना कि क्या ऐसे अंशदान का उपयोग उन प्रयोजनों के अलावा जिनके लिये उन्हें प्राप्त किया गया है, नहीं किया जाता है।

मुसलमानों के तुष्टीकरण की सरकार की नीति

नागरिक परिषद ने कहा है कि स्वतन्त्रता के बाद केन्द्र तथा राज्य दोनों की सरकारों ने मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति अपनायी है जिसके परिणामस्वरूप वे अपना पृथक अस्तित्व समझने लगे है। इसकी पुष्टि में ~~परिणामस्वरूप~~ तुष्टीकरण के कई उदहारण दिये गये है। यह देखना पूर्णतया सरकार का काम है कि इन आरोपों का कोई सार है अथवा नहीं। जहाँ तक इस आयोग का सम्बन्ध है यह इसके गुणावगुण पर विचार करना आवश्यक नहीं समझता है क्यो कि इसका उन दंगों पर जो 13 अगस्त, 1980 को हुये थे कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पडा था। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि यह दंगा सभी मुसलमानों द्वारा नहीं कराया गया था यह दंगा केवल मुसलमानों के किसी एक वर्ग द्वारा परोक्ष उद्देश्य से कराया गया था और तथा कथित तुष्टीकरण के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।

राजनीति

शाहर इमाम के कथनानुसार राजनैतिक क्षेत्र में हिन्दू स्वतन्त्रता के पहले ही मुसलमानों से आगे थे। 1980 में स्थानीय हिन्दूओं को उस समय भारी धक्का पहुचा जब एक पाकिस्तानी हिन्दू डा0 हंसराज चोपडा भारतीय जनता पार्टी का टिकट प्राप्त करने में सफल हो गये थे।

और एक स्थानीय हिन्दू श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी चुनाव हार गये थे। अतः हिन्दू जनता ने पाकिस्तानी हिन्दुओं के इस अधिपत्य का विरोध करने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी का समर्थन किया और डा० हंसराज चोपडा को हरवा दिया। इसके बाद उन्होंने उस घटना का ब्योरा दिया है जो टाउन हाल मतदान केन्द्र में हुई थी परन्तु उनकी चर्चा इस रिपोर्ट में उचित स्थान पर की जायेगी।

दूसरी ओर हिन्दुओं तथा नागरिक परिषद ने इससे भिन्न विचार व्यक्त किये है।

शहर इमाम तथा मुस्लिम वर्ग के कमीनों का उल्लेख अभिलेखार्थ उपलब्ध सामग्री में कही भी नहीं है। वास्तविकता यह है कि किसी वर्ग अथवा व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि अन्ततः उसे राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिये प्रोत्साहित करती है। कुछ दंगा ग्रस्त नगरों में मुस्लिम उद्यमकर्ताओं के ऊपर उठने के फलस्वरूप उनकी राजनैतिक क्षेत्र में प्रभावकारिता हो गयी है पहले वे अपनी अपेक्षाकृत आर्थिक कमजोरी के कारण राजनैतिक क्षेत्र में दखल रखने में स्वयं असमर्थ थे और कांग्रेस की छत्र छाया मे अपने को सुरक्षित रखते हुये राजनैतिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत निष्क्रियता प्रदर्शित की। उनमें से कुछ व्यक्ति नेतृत्व करने की स्थिति में हो गये। चूँकि वे समृद्धिशाली हो गये अतः उन्होंने नेता के पद के लिये दावे भी करने शुरु कर दिये साथ ही साथ इस रूप में अपने को उस स्थिति में लाये जाने में प्रवृत्त हो गये जिसे पाना आपेक्षिक आर्थिक कमजोरी की अवधि में सम्भव नहीं था। निश्चय ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका स्वागत किया जाता है परन्तु कुछ राजनीतिज्ञ साम्प्रदायिक गतिशीलता को बढावा देकर एक सम्प्रदाय को दूसरे से लडा कर संकीर्ण राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कभी कभी इस प्रतिस्पर्धा की स्थिति का लाभ उठा कर मामले को और भी बिगाड दिया जाता है।

भारत में मुसलमानों की आबादी अधिक बढ गई है और वे अपने को "वोट बैंक" समझने लगे है। प्रसिद्ध विधिवेत्ता स्वर्गीय श्री एम०सी०छागला ने एक बार कहा था, "प्रत्येक पार्टी मुसलमानों को वोट पाना चाहती है। परिणाम यह है कि उनमें कोई एकता नहीं है। मुसलमान अपने को एक पृथक और कृपा पात्र समुदाय का मानते है। यह स्पष्ट है कि यदि मुसलमानो को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाता है कि वे स्वतन्त्र भारत के समान नागरिक नहीं है वरन एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है, जिसका सौदा चुनाव के समय होता है तो निश्चय ही इसके परिणाम अच्छे नहीं होगें।

मदन आयोग ने जिसने महाराष्ट्र में साम्प्रदायिक दंगों की मई 1970 में जाँच पडताल की थी, यह मत व्यक्त किया है,

"साम्प्रदायिक तनावों को पैदा करने वाले लोग साम्प्रदायिकतावादी तथा कुछ श्रेणी के राजनीतिज्ञ होते है। ये अखिल भारतीय तथा स्थानीय नेता प्रत्येक घटना को साम्प्रदायिक

रंग देकर अपनी राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ करने, अपनी प्रतिष्ठा बढाने और जनता में अपनी छवि निखारने के लिये हर मौके को हथियाने की तलाश में रहते हैं और इस प्रकार वे जनता के सम्मुख यह प्रदर्शित करते हैं कि जैसे धर्म तथा सामुदायिक अधिकारों की रक्षा केवल वे ही कर सकते है ।"

ये कथन पूरी तरह मुरादाबाद के प्रति लागू होते है । श्री भगत (बी/डब्लू-31) के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि डा0 शमीम अहमद खाँ ने अपनी बहुत बडी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश में भारतीय मुस्लिम लीग को फिर से जीवित किया था और वर्ष 1971 में मध्यावधि संसदीय चुनाव लड़े । वह मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे । उन्होने तहसील स्कूल में साम्प्रदायिक दंगा भडकाने की कोशिश की थी और काफी संख्या में वोट प्राप्त किये थे किन्तु हार गये थे । अतः उन्होने अगले चुनाव के लिये अपने प्रयास तेज कर दिये थे । उस समय श्री हलीमउद्दीन मौलाई एडवोकेट मुरादाबाद के प्रमुख मुस्लिम नेता थे और 1957 में तथा पुनः 1969 से 1974 तक विधान सभा के सदस्य रहे थे ।

1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव में श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी जो अब विधान सभा सदस्य है कांग्रेस (ओ) के टिकट पर उम्मीदवार थे, श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी भारतीय जनसंघ के और डा0 शमीम अहमद खाँ मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे । डा0 शमीम अहमद केवल लगभग पचासी वोटों से चुनाव हार गये थे । श्री डी0सी0 रस्तोगी चुनाव जीत गये और श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी की जमानत जमा ही जब्त हो गयी थी । डा0 शमीम अहमद खाँ यद्यपि निराश हो गये थे फिर भी उन्होने महसूस किया कि मुसलमानों में उनकी स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ था और उन्होने उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिये पुनः प्रयास किया ।

तत्पश्चात मार्च 1977 में संसदीय चुनाव आये जिनमें श्री शमीम अहमद खाँ को मुस्लिम लीग का टिकट मिला । हाजी गुलाम मोहम्मद को जनता पार्टी का टिकट मिला था । डा0 शमीम अहमद खाँ काफी वोटो से हारे थे और उनकी महत्वाकांक्षाओं को भारी आघात पहुँचा ।

जून 1977 के महीने में भूतपूर्व जनता सरकार ने उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव कराये थे । इसमें श्री मुख्तार अहमद एडवोकेट को मुस्लिम लीग का टिकट मिला श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी को जनता पार्टी का टिकट मिला और बशीर अहमद कांग्रेस द्वारा समर्थित नेशनल लीग के उम्मीदवार थे । श्री रस्तोगी चुनाव में काफी वोटों से विजयी हुये थे । नेशनल लीग और मुस्लिम लीग को क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान मिला था ।

जनता सरकार के गिर जाने पर 1980 में लोक सभा के चुनाव हुये जनता पार्टी का विभाजन हो गया और लोकदल बनाया गया । इन चुनावों में हाजी/गुलाम मोहम्मद लोक दल के श्री नौबत राम शर्मा कांग्रेस (ई) के तथा हुमायूँ कदीर मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे । डा0 शमीम अहमद खाँ को मुस्लिम लीग का टिकट नहीं मिला था और वे बहुत हताश हो गये । इसमें लोक दल का उम्मीदवार विजयी हुआ ।

श्री भागत (बी/डब्लू-3) के बयान से यह भी पता चलता है कि अपने कार्य कलाप में श्री शमीम खाँ, श्री मुख्तार अहमद एडवोकेट तथा श्री हुमायूँ कदीर मुस्लिम लीग के तीन सबसे अधिक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । 31 मई, 1980 को मुरादाबाद नगर के 33वें निर्वाचन क्षेत्र विधान सभा के मध्यावधि चुनाव हुये । डा0 शमीम अहमद खाँ को फिर मुस्लिम लीग का टिकट मिल गया । श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी कांग्रेस (ई) के तथा डा0 हंसराज चोपडा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे । पहले दो उम्मीदवारों की बीच का कडा मुकाबला था । डा0 शमीम अहमद खाँ साम्प्रदायिकता की आग भडकाकर अधिकतम वोट प्राप्त करना चाहते थे । चुनाव होने के ठीक दो दिन पूर्व मुरादाबाद शहर में दिवान का बाजार मार्केट में एक घायल गाय पायी गयी । यह कार्य इसलिये किया गया था कि जिससे हिन्दू क्रुद्ध हो जोये और वे श्री श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी को वोट न दें किन्तु हिन्दुओं ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । उन्होंने पहले ही प्रत्येक मामले में मुसलमानों के पक्ष का समर्थन करना शुरु कर दिया था और प्रशासन तथा पुलिस के बीच झडप कराने के लिये तैयार थे जिसके सम्बन्ध में "विशेष कारण" नामक शीर्षक के अन्तर्गत चर्चा की जायेगी । दूसरी ओर हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी ने इज्तेमा का सफलतापूर्वक आयोजन करके मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी । कांग्रेस (ई) के उम्मीदवार के रूप में स्थानीय तथा पंजाबी हिन्दुओं के एक बडे वर्ग का भारी समर्थन प्राप्त था इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने डा0 हंसराज चोपडा तथा डा0 शमीम अहमद खाँ को हरा दिया । टाउन हाल निर्वाचन केन्द्र (बूथ) में गम्भीर दंगा हुआ था जिसमें एक जाटव की जान गई और बुंधा का बाजार क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया था । इसका ब्योरा दूसरे स्थान पर दिया जायेगा इससे एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि डा0 शमीम अहमद खाँ हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी को राजनैतिक क्षेत्र से निकाल बाहर करने और मुसलमानों में अपनी छवि सुधारने के लिये कटिबद्ध थे ।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम वर्ग का यह कथन कि एक पंजाबी हिन्दू डा0 हंसराज चोपडा को चुनाव टिकट दिये जाने से स्थानीय हिन्दुओं ने नाराजगी प्रकट की थी क्योंकि इससे एक स्थानीय हिन्दू श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी को टिकट नहीं मिला था, श्री सतीश नस्ला के शपथ पत्र द्वारा पूरी तरह झूठा साबित होता है, जिसमें उन्होंने कहा

है कि श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी ने अपनी अस्वस्थता के कारण टिकट पाने के लिए आवेदन नहीं किया था। कुछ अन्य लोगों से भी चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था लेकिन वे सहमत नहीं हुए थे। डा० हंसराज चोपड़ा को स्थानीय तथा पंजाबी हिन्दुओं दोनों का समर्थन प्राप्त था।

अल्पकालिक सूचना पर अधिकारियों का स्थानान्तरण

यह ऐसा मामला है जिस पर सरकार को विचार करना है और इस संबंध में आयोग को कुछ नहीं कहना है। वर्तमान मामले में इस तथ्य का होना उपद्रव का बिल्कुल ही कारण नहीं है। ज्येष्ठ अधिकारियों में केवल एस० पी० आर्य ने जिला मजिस्ट्रेट का कार्यभार सम्भाला था और यह बात किसी ने भी नहीं कही है कि यदि उनके पूर्वाधिकारी श्री आर० एन० तिवारी पद पर रहते तो उपद्रव न होते। वस्तुतः टाउन हाल तथा सराय किशन लाल में जो उपद्रव हुए वे उस समय हुए थे जब श्री आर० एन० तिवारी जिला मजिस्ट्रेट थे।

विशेष कारण

कहा जाता है कि 13 अगस्त, 1980 को ईदगाह में जो उपद्रव हुए वे प्रत्यक्ष रूप से कुछ विशेष कारणों से हुए थे। इन कारणों के गुणावगुण पर विचार करने के पहले उस समय मुरादाबाद में जो स्थिति थी उसे बताना आवश्यक है। श्री ए० के० मिश्र (सी०/डब्लू-12) ने कहा है कि उन्होंने 8 अप्रैल 1980 को ज्येष्ठ सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) मुरादाबाद का कार्यभार ग्रहण किया था और 30 दिसम्बर, 1980 तक उस पद पर कार्यरत रहे। श्री वी० एन० सिंह ने, जो उस समय ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद थे, उनसे कहा था कि वे डा० शमीम अहमद खाँ से व्यवहार कुशलता से बर्ताव करें क्योंकि वे कोतवाली पुलिस के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे और वे तथा उनके समर्थक प्रशासन तथा पुलिस के खिलाफ दीवारों पर लिखने में लगे हुए थे। वे जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी मिले और शहर कोतवाल की शिकायत की थी। वे ठेला चालकों की समस्याओं के संबंध में एक सभा करना चाहते थे।

जिसके सम्बन्ध में शहर कोतवाल ने यह आशंका की थी कि वह सभी उन्हें बदनाम करने के लिए आयोजित की जा रही है। अतः ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उनसे मामले की जाँच करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। तदनुसार उन्होंने जाँच की और उनकी रिपोर्ट प्रदर्श सी/डब्लू-।2।।0।। है जिससे इस आशंका की पुष्टि होती है। दीवार पर लिखने के बारे में डा० शमीम अहमद खाँ का कथन न तो यकीन करने योग्य है और न ही वह किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

श्री बी० एन० सिंह ने भी जो उस संकट के समय में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद थे कहा है कि डा० शमीम अहमद खाँ कई कारणों से काफी हताश से थे और वे मुसलमानों में अपनी छवि सुधारने के लिए साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के मौके की तलाश में थे। श्री बी० बी० लाल । बी/डब्लू-।। । ने जो कटघर के थानेदार थे, कहा है कि डा० शमीम अहमद खाँ के कार्य अत्यधिक प्रशासन विरोधी तथा हिन्दू - विरोधी थे। उन्होंने यह रवैया मुसलमानों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने तथा अपने राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनाया था।

अब विशेष कारणों के संबंध में चर्चा की जायेगी।

।।। कटघर थाने के अन्तर्गत सराय किशनलाल तथा इंदिरा चौक साम्प्रदायिक रूप से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्रों में अधिकतर मुसलमान रहते हैं तथा कुछ बाल्मीकी भी यहाँ रहते हैं। श्री संतोष सरन बाल्मीकी ।बी/डब्लू-49 । मोहल्ला सराय किशन लाल में रहता है। लज्जावती । अब श्रीमती । रिश्ते में उसकी बहन लगती है। जुलाई, 1980 में उसकी आयु लगभग 17 या 18 वर्ष की थी और वह अविवाहित थी। वह मोहल्ला चौमुखापुल तथा उस मोहल्ले में रामकुमार की इमारतों के शौचालयों की सफाई करती थी। उस मोहल्ले में रामकुमार के प्रेस है और पुत्तन का पुत्र रियाज इसमें नौकर था। 18मार्च, 80 को जब लज्जावती हमेशा की तरह उस मोहल्ले में शौचालयों की सफाई करने गई तो रियाज उसे सफाई करने के बहाने एक क्वार्टर में ले गया और उसे एक कमरे में जबरदस्ती बन्द कर दिया। उसेन तथा उसके साथियों ने उसके साथ बलात्कार किया।

यह रियाज मोहल्ला कटरा शहीद का निवासी है जो चौमुखापुल से थोडी ही दूरी पर है। जब लज्जावती वापस नहीं लौटी तो संतोषकुमार ने इस आशय की एक रिपोर्ट लिखायी कि लज्जावती 18.3.1980 की सुबह से लापता है। कुछ समय बाद उसे उन व्यक्तियों के नामका पता चला जिन्होने उसके साथ बदमाशी की थी और 22.3.1980 को दोषी व्यक्तियों को नामजद करते हुए एक और रिपोर्ट लिखायी। इन दोनों ही रिपोर्टों की सत्य प्रतिलिपियाँ प्रदर्श बी0/डब्लू49 ।45। तथा बी/डब्लू 49।46। है। डा0 शमीम अहमद खाँ इस घटना से बेजा फायदा लेने के लिए आगे आये। चूँकि लज्जावती की जान को काफी खतरा था अतः उसका विवाह ग्राम हाथीपुर चित्तू के निवासी रमेश के साथ तय कर दिया गया और यह 24.7.1980 को सम्पन्न होने वाला था। बारात उसी दिन आयी और इस साक्षी के मकानके पास श्री डोरी लाल बाल्मीकी की बैठक में ठहरायी गयी। उसी शामको जब बरात गाजे बाजे के साथ उसके ।लज्जावती के। घर की ओर जा रही थी तो उस पर मुहल्ले के मुसलमानों ने सराय किशन लाल में मस्जिद के पास हमला किया। दूल्हे तथा बरातियों को पीटा गया। मुसलमानों के अनुसार वह रोजा की समाप्ति का समय था और मस्जिद में मौजूद कुछ व्यक्तियों ने जुलूस वालों से शांतिपूर्वक चले जाने के लिए कहा परन्तु वे ऐसा करने के लिए तैयार नही थे। इसलिए कहा-सुनी हो गयी और मुसलमानों पर हमला कियागया। श्री संतोष शरण ने कहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट की अनुमति से जुलूस सायंकाल 6 या 7 बजे गुजर रहा था, बारातियों में से कोई भी बाराती शराब नहीं पिए हुए था क्योंकि वह आर्य समाजी है और उसने बारातियों को इस आशय की खास हिदायतें दी थी कि वे बिल्कुल भी शराब न पिए। यह हमला रियाज तथा उनके साथियों ने किया था जो यह नहीं चाहते थे कि लज्जावती का विवाह हो। उन्होने जबर्दस्ती रमेश को रिक्शा से घसीट लिया और उसे काले नामक एक मुसलमान की दूकान में बंद कर दिया। बडी मुश्किल से उसे निकाला गया और विवाह सम्पन्न हुआ परन्तु मोहल्ले के मुसलमानों ने बाल्मीकियों पर हमला किया उनके मकानों को नुकसान पहुँचाया तथा उनमें आग लगा दी। उनके बयान की पुष्टि पूरी तरह से कटघर थाने के प्रभारी श्री बी0बी0 लाल ।सी/डब्लू-।।। ।द्वारा की गयी है। उन्होने बताया है कि जब यह घटना घटित हुयी तब मुसलमान अपना रोजा पहले ही खोल चुकेथे

पास की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। यह घटना कटघर, कोतवाली तथा मुगलपुरा सड़कों के तिराहे पर घटित हुयी थी। वे पुलिस बल को लेकर तुरन्त वहाँ पहुँचे और मुसलमानों को बाल्मीकियों तथा उनके मकानों पर पथराव करते हुए पाया। वहाँ बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो गये थे ठीक उसी समय श्री ए0 के0 मिश्रा, सर्किल आफिसर नगर।एक। तथा कोतवाली और मुगलपुरा थाने की पुलिस वहाँ आयी और भीड़ को तितर बितर कर दिया। कुछ अधिकारी, पुलिस बल के व्यक्ति घायल हो गये थे और पुलिस गश्ती कार सं0 यू.टी.यू. 208। क्षतिग्रस्त हो गयी थी। पुलिस बल के 14 व्यक्तियों ने अपनी चोटों की जाँच करायी। श्री बी0 बी0 लाल ने यह भी बताया है कि उन्होंने उन 15 व्यक्तियों को पहचान लिया है जो गड़बड़ी पैदा कर रहे थे और उसी रात एकरिपोर्ट लिखायी प्रदर्श सी/डब्लू 11 124। । इसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 332, 334 तथा 427 के अधीन मामले दर्ज कराये गये। इस घटना के संबंध में संतोष कुमार सहित तीन हिन्दुओं तथा तीन मुसलमानों ने भी रिपोर्ट लिखायी थी। इन सभी मामलों की जाँच की गयी और केवल दो रिपोर्टों पर, एक श्री बी0 बी0 लाल द्वारा लिखायी गयी, और दूसरी मोहम्मद मोहसिन द्वारा लिखायी गयी, ही आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये। शेष रिपोर्टों के संबंध में अंतिम रिपोर्ट दी गयी थी। सभी रिपोर्टों में नामजद किये गये मुसलमानों की कुल संख्या इक्कीस थी जबकि मुसलमानों ने केवल दो हिन्दुओं को ही नामजद किया था। 21 मुसलमानों में से तेरह को गिरफ्तार किया गया और दस हिन्दुओं में से केवल दो को ही गिरफ्तार किया गया।

श्री बी0बी0लाल ने यह भी कहा है कि उन्होंने 24.7.1980 तथा 26.7.1980 के मध्य 20 व्यक्तियों को, जिनमें बारह मुसलमान तथा आठ हिन्दू थे, निवारक उपायों के अधीन गिरफ्तार किया था। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन एक मुसलमान तथा एक हरिजन गिरफ्तार किया गया था। सभी रिपोर्टों की जाँच बहुत ही निष्पक्ष ढंग से की गयी थी और यह कहना गलत है कि पुलिस ने उनमें से किसी भी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा हो। उन्होंने पुनः शांति स्थापित करने के लिए मोहल्ले के सम्मानीय हिन्दुओं तथा मुसलमानों की एक शांति समिति गठित करायी थी परन्तु डा0 शमीम अहमद खाँ और उनके समर्थक संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इस घटना का मुस्लिम समर्थक प्रचार करके बेजा फायदा उठाया तथा प्रशासन को

बदनाम किया और हिन्दुओं के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने का प्रयास किया था ।

श्री संतोष कुमार के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि 24.7.1980 को मुसलमानों ने मोहल्ला पीरजादा में भी बाल्मीकियों पर हमला किया था और उन्हें चोटें पहुँचायी। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप मुरादाबाद के बाल्मीकियों ने मुसलमानों के घरों के शौचगृहों की सफाई करना बंद कर दिया था। इससे मुसलमान सामान्य रूप से, मुस्लिम लीग के सदस्य विशेष रूप से क्षुब्ध हो गये थे और वे बाल्मीकियों के घोर शत्रु हो गये थे और उनसे बदला लेने के मौके तथा उन्हें उनके (मुसलमानों के) शौचगृहों की सफाई शुरू करने के लिए मजबूर करने के मौके की भी तलाश में थे। उन्होंने पहला काम यह किया कि उन्होंने बाल्मीकियों के बहुत से सुअर जहर देकर मार डाले। श्री बी० बी० लाल के बयान से यह पता चलता है कि इसकी रिपोर्ट 28 अथवा 29 जुलाई, 80 को लिखायी गयी थी। एक मामला दर्ज किया गया और कुछ मुसलमानों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। सुअरों के शवों के शव परीक्षण करने पर पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था ।

श्री संतोष कुमार ने यह भी बताया है कि श्री एस० पी० आर्य, डा० हंसराज चौपड़ा अथवा किसीभी हिन्दू ने बाल्मीकियों को मुसलमानों से बदला लेने के लिये न तो उकसाया था और न ही इस संबंध में कोई बैठक की गयी थी। बाल्मीकियों ने ईद के 15 या 20 दिन पूर्व एक बैठक टाउन हाल में की थी परन्तु वह बैठक श्री मंगल राम प्रेमी, एक संसद सदस्य, के सम्मान में की गयी थी जिन्होने बाल्मीकियों से केवल शांति बनाये रखने का आग्रह किया था। उनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का बिल्कुल भी कोई कारण नहीं था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रियाज और उसके साथियों ने पहले एक बाल्मीकी लड़की का अपहरण किया था और बाद में 24.7.1980 को उसके विवाह के अवसर पर उसकी बारात पर इसलिए हमला किया जिससे कि वह न तो नगर से बाहर जा सके और न उनके विरुद्ध साक्षी के रूप में उपस्थित हो सके। मोहल्ले के मुसलमान निवासियों ने बाल्मीकियों से बदला लेने के लिए उन पर हमला किया और उनका उत्पीड़न किया जिससे कि वे पुनः कार्य प्रारम्भ कर दें। श्री डी० पी० सिंह, सी०डब्लू 29 ने यह बयान दिया है कि उस समय भी डा०-

शमीम अहमद खाँ उस मोहल्ले के मुसलमानों को उकसाते हुए देखे गये थे। यहाँ तक कि पुलिस बल पर भी हमला किया गया था। उसके बाद में उन्होंने उसी उद्देश्य को लेकर बाल्मीकियों के तुअरों को जहर देना आरम्भ कर दिया।

।2। जैसी कि चर्चा ऊपर की जा चुकी है, यह ध्रुवीकरण दुर्भाग्यवश साम्प्रदायिक आधार पर किया गया है। विधान सभा का 23 मुरादाबाद नगर। निर्वाचन क्षेत्र का मध्यावधि निर्वाचन 31-5-1980 को हुआ था। डा० शमीम अहमद कांग्रेस (आई)। के एक उम्मीदवार थे और डा० हंसराज चौपड़ा भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार थे जैसा कि श्री सतीशनरूला व्दारा दाखिल किये गये शपथपत्र से स्पष्ट है कि श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण टिकट लेने से इंकार कर दिया था। श्री भगत ।बी०/डब्लू3। ने यह बयान दिया है कि यहा निर्वाचन दोनों ही मुसलमान उम्मीदवारों के लिये विशेषकर डा० शमीम अहमद खाँ के लिए अत्यधिक निर्णायक था क्योंकि वह इससे पहले निर्वाचनों में हार चुके थे और यदि वे इस निर्वाचन में भी हार जाते तो उनका राजनीतिक भविष्य पूरी तरह चौपट हो जाता। इन दोनों मुसलमान उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। श्री हाफिज मुहम्मद सिदीकी ने मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने तथा जबरदस्ती मत प्राप्त करने के लिए कुछ मुसलमान गुंडों को तथाकथित रूप से बाहर से बुलवाया था। इस दावे को पूर्णतया निराधार नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ मुसलमानों ने टाउनहाल मतदान केन्द्र पर गड़बड़ी की थी जिसमें बहुत से मुसलमान तथा हिन्दू घायल हो गये थे तथा एक बाल्मीकी जान से मार दिया गया। नौ रिपोर्टें लिखायी गयीं, जिनमें से तीन रिपोर्टें पुलिस व्दारा तथा छः रिपोर्ट मुसलमानों व्दारा लिखायी गयी थीं। वे प्रदर्श सी/डब्लू-48।274-282।हैं। इन रिपोर्टों में जिन मुसलमानों को नामजद किया गया था उनमें से अधिकतर मुसलमान मुरादाबाद नगर से बाहर के रहने वाले थे जिससे यह पता चलता है कि उन्हें बाहर से बुलाया गया था। पुलिस व्दारा दाखिल की गयी प्रथम सूचनारिपोर्ट में आरोप पत्र दिया गया था और शेषमें अंतिम रिपोर्ट दी गयी।

यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना असंगत न होगा कि 28.5.80 को निर्वाचन के तीन ही दिन पूर्व। सुनील कुमार नामक एक व्यक्ति ने चिराग अली के विरुद्ध थाना कोतवाली में भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के अधीन इस आशय की एक रिपोर्ट लिखायी थी कि उसने। चिराग अली ने। एक गाय के छुरा भोंक दिया था। वह प्रदर्श सी०/डब्लू-12।82।है। ऐसा प्रतीत

होता है कि इसके पीछे हिन्दुओं की भावनाओं को चोट पहुँचाने का कुटिल उद्देश्य रहा होगा जिससे कि वे श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी को समर्थन देना बन्द कर दें। फिर भी, श्री ए0 के0 मिश्रा ने हिन्दुओं को शांत किया और अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी।

मुसलमान तथा हिन्दू दोनों ही वर्गों ने और नागरिक परिषद ने यह कहा है कि निर्वाचन के समय निम्नलिखित नारे लगाये गये थे:-

"पंजाबियों को भगायेंगे नया असम बनायेंगे।

"आधी रोटी खोयेंगे और नया असम बनायेंगे।"

मुस्लिम वर्ग के कथनानुसार, येनारे स्थानीय हिन्दुओं द्वारा लगाये गये थे जबकि हिन्दुओं तथा नागरिक परिषद ने यह दावा किया है कि ये नारे मुसलमानों विशेषकर डा0 शमीम अहमद खाँ के समर्थकों ने लगाये थे। मुसलामन वर्ग ने अपने दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत नागरिक परिषद ने यह सिद्ध करने के लिये अनेक साक्षियों का साक्ष्य परीक्षण किया है कि ये नारे मुसलमानों द्वारा लगाये गये थे। प्रशासन ने जिन साक्षियों का साक्ष्य परीक्षण किया है उनमें से कुछ साक्षियों ने भी यही बात कही है और उनके परिसाक्ष्य पर किसी भी प्रकार से अविश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त स्थानीय हिन्दुओं द्वारा ऐसे नारे लगाये जाने का कोई कारण नहीं है। उनमें तथा पंजाब से आये हुए हिन्दुओं में कोई भी गलतफहमी नहीं पैदा हो रही थी। पंजाब से आये हुए हिन्दू मुरादाबाद में लगभग 33 वर्षों से थे और इस लम्बी अवधि के दौरान उनके मध्य संघर्ष का एक भी अवसर नहीं आया। वस्तुतः पंजाब से आये हुए हिन्दुओं ने अपने आपको स्थानीय हिन्दुओं के साथ पूरी तरह से मिला लिया था और उनके मध्य कोई भेदभाव नहीं था। उनके संबंध में काफी मधुर हैं मुरादाबाद में 1947 से 1980 तक कई निर्वाचन हुए परन्तु उनके मध्य कभी भी मतभेद उत्तपन्न नहीं हुआ। इस बात का कोई कारण नहीं है कि स्थानीय हिन्दू विशेषकर 31.5.1980 को ही कोई विवाद क्यों खड़ा करते। इसके विपरीत इस प्रकार के नारे लगाने में डा0 शमीम अहमद खाँ और उनके समर्थकों का उद्देश्य हो सकता था। ऐसा करके वे श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी की स्थिति को हिन्दुओं के मध्य मतभेद उत्तपन्न करके कमजोर बना देंगे।

§3§ श्री भूरे अली §बी0/डब्लू-37§ गौधी ग्रामके निवासी है और मुरादाबाद नगर में दूध सप्लाई करते हैं। 5 और 6 जून 1980 के मध्य पड़ने

वाली रात्रि में लगभग 10 या 11 बजे वह ।भूरे अली। और छोटे तथा मेंधी हुसैन नगर में दूध सप्लाई करने के पश्चात् अपने गाँव वापस जा रहे थे,। वे तीनों मुसलमान हैं। जब वे ग्राम चक बेगमपुर के मन्दिर के पास पहुँचे तो पाँच मुसलमान जिन्होंने अपने आपको छिपा रखा था, एकाएक सामने आ गये। उनमें से दो के पास पिस्तौलें थी और तीन के पास चाकू। उन्होंने पिस्तौल तथा चाकू की नोक पर इन दूध विक्रेताओं को लूट लिया। मेंधी हुसैन भागने में सफल हो गया और मदद के लिए चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट सुनकर कुछ गाँव वाले लाठियाँ लेकर वहाँ आ गये और जावेद नामक एक अपराधी सहित जो मुरादाबाद नगर का निवासी है, चार बदमाशों को पकड़ने में सफल हो गये। श्री भूरे अली से 18 रुपये तथा कुछ पैसे ले लिये गये। छोटे का बटुआ भी छीन लिया गया। जब इन पकड़े गये व्यक्तियों को थाने ले जाया गया तो जावेद रास्ते में मर गया। तथापि भूरे अली ने थाने में एक रिपोर्ट लिखा दी। इसकी प्रतिलिपि प्रदर्श ।बी/डब्लू37।34। है। उन्होंने इस बात से साफ तौर से इन्कार किया है कि जावेद की पुलिस द्वारा पिटाई की गयी थी और फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी। उनके बयान पर अविश्वास करने का बिल्कुल भी कोई कारण नहीं है।

श्री एकेमिश्रा, सर्किल आफिसर नगर।प्रथम। श्री बीबीलाल ।सी/डब्लू 11। तथा श्री बीबीदास ।सी/डब्लू 53। इन सभी लोगों ने इस बारे में अभिसाक्ष्य दिये हैं । उनके बयानों से यह स्पष्ट है कि डा० शमीम अहमद खाँ ने प्रशासन के आदेशों के विरुद्ध जावेद के शव का जुलूस निकाला था। उन्होंने जावेद की मृत्यु के कारण के संबंध में मजिस्टेरीयल जाँच प्रारम्भ करायी थी। यह सभी कुछ मुसलमानों को यह दिखाने के लिए किया गया था। कि वे उनके मामले के हिमायती है। भूरे लाल ।बी०/डब्लू-37 । ने मजिस्ट्रेट के सामने भी वही बयान दिया है। इससे यह प्रकट होगा कि डा० शमीम अहमद खाँ ने जावेद की घटना के संबंध में भी प्रमुख रूप से भाग लिया था। वे अपने सम्प्रदाय के व्यक्तियों को यह दिखाने के लिए कि वे उनके कितने हितैषी हैं प्रशासन तथा पुलिस से मुकाबला करने के लिए भी तैयार थे।

मुसलमान वर्ग ने दो रिपोर्टों पर यह दिखाने के लिए अत्यधिक बल दिया कि बाल्मीकी लोग उपद्रव करने और मुसलमानों से बदला लेने के लिए साजिश कर रहे हैं और पुलिस तथा प्रशासन उनका साथ दे रहा है । इसके महत्व पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। श्री हामिद

हुसैन नामक एक व्यक्ति ने 12-8-1980 को दिन के 2 बजे पहली रिपोर्ट प्रदर्श सी०डब्लू29।।86। लिखायी थी जो तथाकथित रूप से उसी दिन प्रातः 4बजे हुयी एक घटना के संबंध में थी। इस रिपोर्ट में आरोप ये थे कि कल्लू विजय तथा तीन अन्य व्यक्तियों नेउसकी दूकान और एक निकटवर्ती दूकान से चाय और सिगरेटें लीं और जब उनसे उनका मूल्य मांगा गया तो उन्होंने उन्हें देख लेने की धमकी दी। यह रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन है। सब इन्सपेक्टर श्री राम सिंह तुरन्त मौके पर गये थे और जाँच के बाद यह पाया कि वह रिपोर्ट झूठी थी। सर्किल आफिसर नगर ।प्रथम। श्री बी०बी०लाल तथा स्थानीय अभिसूचना यूनिट ।एल०आई०यू०। के इन्सपेक्टर भी वहाँ पहुँच गये थे और उन्होने भी उस रिपोर्ट को झूठापाया ।

दूसरी रिपोर्ट काजी फजलुर्र रहमान द्वारा थाना कटघर में 13-8-80 को पूर्वान्ह डेढ़ बजे लिखायी गयी थी जो कथित रूप से मोहल्ला सरायकिशन लाल में 12-8-1980 को अपरान्ह 8.45 बजे घटित एक घटना के संबंध में थी वह रिपोर्ट भी भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन थी। वह प्रदर्श सी०/डब्लू ।।।26। है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि बाल्मीकियों ने धमकियाँ दी हैं। श्री बी०बी०लाल ने इस मामले की जाँच करने के लिए श्री वीर बहादुर सिंह को तुरन्त भेजा। वह मौके पर गये और जाँच करने के पश्चात पूर्वान्ह पौने सात बजे बताया कि उक्त रिपोर्ट झूठी थी। जनरल डायरी में उनकी रिपोर्ट कीप्रतिलिपि सी०/डब्लू-।।।27। है। इस प्रकार से मुस्लिम वर्ग का यह दावा स्पष्टतया झूठा है कि इन दोनों रिपोर्टों की जाँच नहीं की गयी थी अन्यथा सच्ची बात सामने आ जाती। ये दोनों ही रिपोर्ट पेशबन्दी के तौर पर थी और उन व्यक्तियों की प्रेरणा पर लिखायी गयी थी जो अगले सुबह की ईदगाह में इसलिए उपद्रव कराना चाहते थे जिससे कि उसका दायित्व उनके ऊपर डाला जा सके। इन रिपोर्टों में से किसी भी रिपोर्ट में यह बताने के लिए एक भी शब्द नही है कि बाल्मीकी लोग अगले दिन उपद्रव करने वाले हैं। वे ऐसा करने का खतरा कैसे ले सकते थे जबकि वहाँ एक भारी भीड़ इकट्ठी होने वाली थी ।

श्री बी०बी०लाल ।सी/डब्लू-।।। ने इस बात से स्पष्टतया इंकार किया है कि जब काजी फजलुर्र रहमान ने रिपोर्ट प्रदर्श सी/डब्लू।।।26। लिखायी तो उन्होने उससे यह कहा कि अगली सुबह तक इन्तजार करो और सब कुछ ठीक -ठाक हो जायेगा"। इसे सिद्ध करने के लिए कोई भी व्यक्ति

उपस्थित नहीं हुआ है। यदि इसमें पुलिस का कोई हाथ होता तो श्री बी०बी० लाल जैसे एक अत्यन्त अनुभवी अधिकारी इस संबंध में एक भी शब्द नही कहते। अतः यह मत व्यक्त करने की कोई गुंजाइश नही है कि पुलिस की बाल्मीकियों से मिलीभगत थी।

मुस्लिम वर्ग ने यह भी आरोप लगाया है कि अगस्त, 1980 में बाल्मीकियों ने ईद का इनाम ईद के एक दिन पहले इसलिए माँगा था क्योंकि वे इस तथ्य से अवगत थे कि ईद के दिन उपद्रव होंगे और उसके बाद वे ईद का इनाम इकट्ठा नही कर पायेंगे। यह आरोप केवल तत्वहीन आरोप की अवस्था तक ही रह गये हैं क्योंकि उन्हें सिद्ध करने के लिए कोई भी व्यक्ति उपस्थित नही हुआ है। इसके विपरीत आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी बाल्मीकियों ने इस आरोप का खण्डन किया है।

उपर्युक्त तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद यह नितान्त स्पष्ट है कि प्रत्येक घटना में डा० शमीम अहमद खाँ और उनके समर्थकों ने एक प्रमुख कार्य किया था और मुसलमानों के हितों का चाहे वे सही हों अथवा गलत, समर्थन करने का प्रयास किया था और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पुलिस तथा प्रशासन के साथ संघर्ष करने को तैयार थे। 24-7-1980 की घटना से साम्प्रदायिक आग भड़काने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गयी थी। जब बाल्मीकियों ने मुसलमानों के शौचालय साफ करने से इन्कार कर दिया तो उन्हें (मुसलमानों की) अत्यधिक असुविधा तथा खीझ हुयी होगी। डा० शमीम अहमद खाँ तथा उनके समर्थक अपने हित के लिए इन दोनों ही बातों का अनुचित लाभ उठा सकते थे।

इस बात को यहाँ स्पष्ट कर दिया जाय कि डा० शमीम अहमद खाँ के समर्थकों में मुस्लिम लीग के सदस्य, खाकसार तथा कुछ अन्य व्यक्ति थे। ईदगाह में खाकसारों द्वारा अदा की गयी भूमिका से इस बात का पर्याप्त रूप से समर्थन होता है।

सुअर या सुअरों के घुसने के संबंध में वृतान्तः

ईदगाह में सारी गड़बड़ी इसलिए पैदा हुयी क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि भीड़ में एक या कई सुअर घुसा दिये गये थे, जिनसे नमाजियों के कपड़े खराब हो गये थे।

मुस्लिम वर्ग का कहना यह है कि जब शहर इमाम खुतबा पढ़

थे तो आदर्श नगर कालोनी की ओर से , जिसमें पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासी रहते हैं, कुछ सुअरजमाव में घुसा दिये गये थे । कुछ नमाजियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में विरोध प्रकट किया कि उन्होने सुअरों को घुसने से न रोकर उपेक्षा बरती है। शहर इमाम ने यह भी कहा कि ड्यूटी पर तैनात तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्री ए०के० जैन ।येनाम श्री ए०के० मिश्रा होना चाहिए ।। ने नमाजियों से यह अनुरोध किया कि वे उन्हें गलतियों के लिए क्षमा कर दें। शोरगुल समाप्त हो गया था किन्तु कटघर थाने के इंस्पेक्टर श्री बी० बी०लाल जो वस्तुतः चिढ़े हुए थे, प्रतिवाद सुनकर क्रोधित हो गये और उन्होने कहा कि वे वहाँ जानवरों को नही बल्कि मनुष्यों को नियंत्रित करने लिए हैं। दंगा शुरू होने के लिए यह भड़कने वाली आग थी। इसके बाद कहा सुनी होने लगी जिसने अन्त में हिंसा का रूप धारण कर लिया ।

दूसरी तरफ प्रशासन तथा पुलिस का कथन यह है कि सुअरों को सुअरबाड़ों में रखने के लिए उपर्युक्त सावधानी बरती गई थी तथा ईदगाह पर जानवरों को भगाने वाला एक दस्ता ।एनिमल ड्राइविंग स्क्वैड। तैनात किया गया था। किसी भी समय दूर तक कोई सुअर नही दिखाई पड़ा नमाजियों के बीच किसी सुअर अथवा सुअरों के घुस आने तथा उनके कपड़े खराब हो जाने की कहानी कुछ होशियार लोगों व्दारा गढ़ी गई थी जो ईदगाह पर दंगा करवाना चाहते थे। यह कहानी इसलिए गढ़ी गई क्योंकि शहर इमाम के ही कथनानुसार मुसलमान स्वभावतः अत्यन्त संवेदनशील होते हैं तथा उन्हें आसानीसे भड़काया जा सकता है। मुसलमान सुअर को देखकर इतनी नफरत करते हैं कि इसे देखने से ही उनकी नमाज नापाक मानी जाती है। इसलिए इसके घुस आने की खबर फैलाई गई जिससे कि संवेदनशील वर्ग में इसकी तुरन्त प्रतिक्रिया हो और जो दंगा वह कराना चाहते थे वह शुरू हो जाय ।

नागरिक परिषद तथा हिन्दुओं ने उपर्युक्त कथन की पुष्टि की है।

अतः विचार के लिए निर्णायक बिन्दु यह है कि क्या खुतबा के दौरान ईदगाह क्षेत्र में कोई सुअर दरअसल घुस आया था ।

मुसलमानों ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर इन तथ्यों को बताया था तथा उन्हें सच साबित करने के लिए मुसलमानों को साक्ष्य देना चाहिए था किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप वे उन्हें सिद्ध नहीं कर सके। प्रशासन तथा अन्य पक्षों ने यह सिद्ध करने के लिए काफी साक्ष्य दिया है कि उस समय ईदगाह क्षेत्र में कोई भी सुअर नहीं देखा गया था। नगरपालिका की उपविधियों तथा पिछली प्रथा को ध्यान में रखते हुए ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 24 जुलाई, 1980 को इस आशय का एक विस्तृत आदेश प्रदर्श सी/डब्लू56।445। जारी किया था कि 8 अगस्त, 1980 तथा 13 अगस्त, 1980 को किसी भी जानवर को उस जगह पर नहीं घूमने दिया जायेगा जहाँ कि नमाज पढ़ी जानी है। सर्किल अफसर नगर ।प्रथम। श्री ए0 के0 मिश्रा ने भी इसी प्रकार का एक आदेश जारी किया था। यह आदेश प्रदर्श सी/डब्लू -12।104। है। 7 अगस्त, 1980 को पकवारा गाँव में गोहत्या की एक घटना हुई थी तथा इसकी रिपोर्ट प्रदर्श सी/डब्लू-12-।103। सिविल लाइन थाने पर दर्ज की गई थी। इससे कुछ तनाव पैदा हो गया था। 8 अगस्त, 1980 को जब रमजान के आखिरी जुमे ।शुक्रवार। की नमाज पढ़ी गई थी तो वहाँ एक जानवर देखा गया और इससे कुछ मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुँची थी इसलिए 13 अगस्त, 1980 को ईदगाह तथा दूसरे स्थानों पर जहाँ नमाज पढ़ी जानी थी, जानवरों को घूमने से रोकने के लिए कड़े उपाय किये गये थे।

पूर्वोक्त निर्देशों का अनुसरण करते हुए इन बाल्मीकियों को, जो सुअर पालते हैं, बैठके बुलाई गई तथा उन्हें 12 अगस्त की रात से 13 अगस्त, 1980 की रात तक सुअरों को सुअरबाड़ों में बन्द रखने के निर्देश दिये गये। इस आदेश की घोषणा उन मुहल्लों में कर दी गयी जहाँ बाल्मीकी रहते हैं। इन आदेशों का अनुपालन किया जाना इन्सपेक्टरों द्वारा पूर्णतया सुनिश्चित किया गया था।

कई बाल्मीकियों ने बयान दिये हैं कि सुअर गन्दे स्थानों में जाने के आदी होते हैं। वे साफ जगहों की तरफ नहीं जाते हैं तथा लोगों से अलग रहते हैं। 11, अगस्त,1980 को श्री एस0 पी0 आर्य ने ईदगाह क्षेत्र का निरीक्षण किया था तथा नगरपालिका के ओ/सी

श्री डी० पी० सिंह को सम्पूर्ण क्षेत्र की सफ़ाई कराने का निदेश दिया था उन्होंने यह भी निदेश दिये थे कि 13 अगस्त, 1980 को सुअर या और जानवर इधर-उधर न घूमने दिया जाय। उनके निरीक्षण के समय वहाँ कई बाल्मीकी उपस्थित थे और उन्होने उन्हें और अन्य अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि वे 13 अगस्त, 1980 को अपने सुअर इधर - उधर नहीं घूमने देंगे ।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जानवर भगाने वाले एक दस्ते का गठन किया गया। इसे तीन टुकड़ियों में बांटा गया और जानवरों को घुसने से रोकने के लिए हर क्षेत्र में एक - एक टुकड़ी रखी गयी थी। जैसी कि चर्चा वाद विषय संख्या-1 में पहले ही की जा चुकी है, ये टुकडियाँ अपनी अपनी ड्यूटी वाले स्थानों पर प्रातः 7 बजे तक पहुँच गयी थी और सर्तकता से अपना कार्य शुरू कर दिया था। इन प्रत्येक टुकडियों में से एक एक व्यक्ति का यह सिद्ध करने की दृष्टिसे साक्ष्य परीक्षण किया गया है कि उसके क्षेत्र में कोई सुअर या कोई दूसरा जानवर तो नही आया था। कान्सटेबल श्याम बिहारी लाल (सी/डब्लू-13) की ड्यूटी ईदगाह के उत्तरी दरवाजे से लेकर बरफखाना के निकट के तिराहे तक थी। आदर्श नगर की पुलिया, जिसकी ओर से सुअर या सुअरों का आना बताया जाता है, उसी क्षेत्र में पड़ती है । बाल्मीकियों की बस्ती इस पुलिया से लगभग ढाई या तीन फर्लांग की दूरी पर है। उसने कहा है कि नमाज के वक्त अथवा उसके बाद उस तरफ न तो कहीं कोई सुअर था न ही किसी ने किसी सुअर की ओर या किसी नमाजी के गन्दे कपड़ों की ही तरफ ही उसका ध्यान दिलाया था। अतः उसका बयान इस तर्क को पूरी तरह गलत सिद्ध कर देता है कि उस समय पुलिया की ओर से कोई सुअर आया था ।

श्री बी०बी०दास, श्री आर० एस० सिंह, श्री ए० के० मिश्रा तथा श्री बी०बी०लाल, के बयानों से यह साफ जाहिर हो जाता है कि जिस समय उन लोगों ने शोरगुल सुना वे मुस्लिम लीग के शिविर की ओर गये। उस जगह न तो कोई सुअर मिला और न ही दूर तक कहीं दिखाई दिया। यह आश्चर्य की बात है कि जब नमाज के दौरान उस क्षेत्र में कहीं भी कोई सुअर दिखालाई नही दिया तो जब शहर इमाम ने

खुतबा पढ़ना शुरू किया उस समय वह अचानक कहाँ से आ गया। यदि भीड़ में एक या एक से अधिक सुअर वास्तव में घुस आये होते तो वे इस प्रकार कैसे लापता हो जाते कि जो लोग उसके निकट थे अथवा तुरन्त ही वहाँ पहुँचे गये थे उनमें से एक को भी दिखाई नहीं पड़ते। किसी ने भी यह नहीं कहा है कि उसने सुअरों को भगाया था।

दूसरी बात यह है कि यदि बाल्मीकी दंगा करवाने के इच्छुक होते तो वे नमाज शांतिपूर्वक न होने देते बल्कि उसके दौरान ही सुअर घुसा देते। नमाजियों को बधाई देने के लिए नगर के कई सम्भ्रांत नागरिक ईदगाह पर मौजूद थे। इनमें सर्वश्री एच0 के0टंडन ।बी/डब्लू-1।, एच0 आर0भगत, ।बी/डब्लू-3।, हरि किशन टंडन।बी/डब्लू4।फूल कुमार ।बी/डब्लू-5।महेन्द्र सिंह।बी/डब्लू-6। ओंकार सरन कोठिवाल ।बी/डब्लू 7। मदन लाल।बी/डब्लू-8। के0बी0जौहरी। बी/डब्लू -9 ।डा0 लक्ष्मी राज सिंह ।बी/डब्लू 10।, डा0 जे0एस0अग्रवाल ।बी/डब्लू-13। राकेश कुमार अग्रवाल ।बी0/डब्लू-15। प्रीतम सिंह ।बी/डब्लू-16।, सत्यबीर सिंह।बी/डब्लू 17।, अशोकर कुमार ।बी/डब्लू -18। रोशन, लाल ।बी/डब्लू 19 ।, वी0एन0गुप्ता। बी/डब्लू 20 ।, जगमोहन मेहरोत्रा ।बी / डब्लू -21।, सुरेश लाल । बी/डब्लू-23। राम कुमार ।बी/डब्लू-24 ।, सुरेन्द्र कुमार सर्राफ ।बी/डब्लू-28। विजय सिंह, । बी/डब्लू 29।, ओंकार ।बी/डब्लू 30। तथा राज बहादुर सक्सेना ।बी/डब्लू-33।, भी थे। उन सब लोगों ने कहा है कि शोरगुल और एक या एक से अधिक सुअरों के घुसने की बात सुनते ही उन लोगों ने उस दिशा में देखा किन्तु कोई सुअर नहीं दिखलाई दिया। श्री एच0 आर भगत ।बी/डब्लू-33।, तथा कुछ और लोग कुर्सियों पर खड़े हो गये थे किन्तु उस स्थिति में भी कोई सुअर दिखलाई नहीं पड़ा था। मुरादाबाद के प्रमुख व्यवसायी लाला फूल कुमार का एक विशाल भवन सड़क के पार ईदगाह के सामने स्थित है।निचली मंजिल का उपयोग व्यवसायिक कार्यों के लिए होता है और पहली मंजिल का उपयोग वे अपने निवास के तौर पर करते हैं। उनके मकान की स्थित दिनाँक 18मई, 1983 ।अनुलग्नक"5' की मेरी निरीक्षण आख्या तथा ईदगाह क्षेत्र के नक्शे प्रदर्श सी/डब्लू-45 ।264। से साफ जाहिर हो जाएगी। इस भवन के उत्तर में एक टाल

।जलाने वाली लकड़ी की टूकान। है तथा उसके बाद आवास विकास को सड़क जाती है। मुस्लिम लीग का शिविर ठीक इसी टाल के निकट लगाया गया था। उस दिन मुसलमानों के प्रति मात्र अच्छी भावना के कारण लाला फूल कुमार ने मुस्लिम लीग के शिविर से थोड़ी ही दूरी पर अपने भवन के सामने के चबूतरे पर एक पियाऊ लगा रखा था और वे नमाजियों को खुद ही पानी पिला रहे थे। जब शोरगुल होने लगा तो उन्होने उस दिशा की ओर देखा लेकिन उन्हें कोई सुअर नही दिखाई पड़ा था जब पथराव शुरू हो गया तो वे अपने भवन के अन्दर चले गये तथा बहुत से हिन्दुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग-अलग रखकर शरण दी। वे तत्काल अपने घर की छत पर गये जो काफी ऊँचे पर है और वहाँ से उन्होने सभी तरफ देखा लेकिन उन्हें काफी दूर तक कोई सुअर या अन्य पशु दिखलाई नही दिया था। जाँच के समय मैं भी उनके घर की छत पर गया और यह देखा कि वहाँ से काफी दूर तक के स्थान दिखलाई देते हैं। यदि उस क्षेत्र में कोई सुअर होता तो उसे लाला फूल कुमार तथा अन्य व्यक्ति अवश्य देखते।

दो और साक्षियों अर्थात डा0 जगमोहन मेहरोत्रा।बी/डब्लू-21। तथा श्री सुरेन्द्र कुमार सर्राफ। बी/डब्लू-28। के बयानों से भी यह कहानी बिल्कुल गलत साबित होती है। डा0 जगमोहन मेहरोत्रा नगर ।सिटी। अमनकमेटी, मुरादाबाद के उपाध्यक्ष तथा सेवा समिति के भूत पूर्व अध्यक्ष हैं वह नगर एकीकरण समिति के उपाध्यक्ष हैं, जिसके ऊपर जिला मजिस्ट्रेट ।नगर। मुरादाबाद अध्यक्ष हैं। वे जिला एकीकरण समिति के ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं जिसका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। वह जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रह चुके हैं तथा वे प्राथमिक ।प्राईमरी। शिक्षा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे और अब इसके संरक्षक हैं। वे नेत्रदान समिति के संस्थापक सदस्य तथा जिला बाढ़ नियंत्रण सोसाइटी के सदस्य हैं। उनका कई अन्य सामाजिक संगठनों से संबंध है। श्री सुरेन्द्र कुमार सर्राफ बाबूराम सुरेन्द्र कुमार नामक फर्म के मालिक है, जिसमें सोने चांदी के जेवरातों का कारबार होता है। वह तथा उनकी फर्म भी काफी आयकर अदा करती है। वह अमन कमेटी के सदस्य हैं और वह नमाज के वक्त नमाजियों को मुबारकवाद देने के लिए ईदगाह जाते हैं। इस प्रकार ये दोनों गवाह अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी मुसलमान

से अपनी स्वार्थ पूर्ति नहीं करनी है तथा उनके बयानों की उपेक्षा आसानी से नहीं की जा सकती । उनके बयानों से पता चलता है कि 13 अगस्त, 1980 को वे दोनों साथ ही ईदगाह जा रहे थे । जब वे एच0एस0बी0 स्कूल के नजदीक पहुँचे तो नमाज शुरू हो गई थी तथा उन्हें एक पेड़ के नीचे रूकना पड़ा । उन्होंने 40 या 50 मुसलमानों को एक फुटपाथ के दरवाजे पर, जो एच0एस0बी0 स्कूल के सामने हैं, खड़े देखा। कुछ मुसलमान सड़क के किनारे इधर - उधर घूम रहे थे। इनमें से कोई भी व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ रहा था। जब नमाज समाप्त होने को हुई तो ये दोनों साक्षी अमन कमेटी के शिविर की तरफ तेजी से गये तथा नाले और मुस्लिम लीग के शिविर के बगल से गुजरे । डा0 शमीम अहमद खाँ के अनुसार सुअर इस नाले की तरफ से आये थे तथा कुछ नमाजियों के कपड़े खराब कर दिये थे। इन दोनों साक्षियों ने साफ तौर से कहा है कि जब वे अमन कमेटी के शिविर की ओर जा रहे थे उस समय अथवा उसके बाद उन्होंने किसीभी सुअर को नाले में तैरते हुए अथवा मुस्लिम लीग के शिविर के पास नहीं देखा था। इस बात का उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण है कि ये दोनों साक्षी उस स्थान से उस समय गुजरे थे जब खुतबा पढ़ा जा रहा था। यदि उस स्थान पर कोई सुअर होता तो वे उसे अवश्य देखते ।

प्रशासन तथा नागरिक परिषद ने इस बात की प्रमाणिकता के लिए अनेक साक्षियों से जिरह की है फिर भी इस विध्वंस के बाद भी कोई मुसलमान यह कहने के लिए आगे नहीं आया जो कहता है कि उसने अपनी आँखों से कोई सुअर देखा था या किसी नमाजी के गन्दे कपड़े देखे थे ।

यह भी बताना आवश्यक है कि मुस्लिम वर्ग के किसी भी व्यक्ति ने सुअरों के मालिक का नाम, उस व्यक्ति का नाम जिसने उन्हें भीड़ में खदेड़ा हो, वह दिशा जिस तरफ वे लापता हो गये हो या उस व्यक्ति का नाम, जिसने उन्हें खदेड़ा हो, नहीं बताया है। यहाँ तक कि उन इज्जतदार नमाजियों के नाम भी नहीं बताये गये हैं जिनके कपड़ों का खराब होना बताया गया है ।

शहर इमाम ने कहा है कि सुअर आदर्श नगर की तरफ से घुसे थे। यह कहना महत्वपूर्ण है कि वह स्थान, जहाँ वह नमाज पढ़ रहे थे मुस्लिम लीग के शिविर से, जिसके पास पूरा दंगा हुआ था, लगभग 500 गज की दूरी पर था। उनके बीच हजारों मुसलमान तथा अनेक पुराने पेड़ थे। श्री भगत ।बी/डब्लू-2। ने कहा है कि शहर इमाम की नजर इतनी कमजोर है कि वे दिन में भी 20 या 25 गज से अधिक दूर की कोई भी चीज नहीं देख सकते। वे बीमार रहते हैं और अपने को दुरूस्त बनाये रखने के लिए प्रत्येक कुछ घंटों पर इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। इसलिए 500 गज की दूरीपर जो हो रहा था उसे वे नहीं देख सके होंगे। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके आधार पर उनके बयान पर यकीन न किया जाय। शहर इमाम व्दारा एक या एक से अधिक सुअरों को देखे जाने की सम्भावना को पूरी तरह गलत माना गया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जिससे उन्होंने यह जानकारी पाई हो, न तो लिखित बयान में दिया गया है और न ही उसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह भी बताना आवश्यक है कि 24 जुलाई, 1980 की घटना के बाद कुछ मुसलमान बाल्मीकियों के सुअरो को जहर देने लगे थे। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करायी गई और कुछ मुसलमानों के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी। बाल्मीकियों ने किसी भी दशा में अपने सुअर या सुअरों को भीड़ में घुसने नहीं दिया होगा क्योंकि वे जिन्दा नहीं लौट सकते थे।

एक अन्य महत्वपूर्ण उल्लेखनीय घटना है कि श्री भगत के अनुसार ।बी/डब्लू-3। बाल्मीकी नाले के पश्चिमोत्तर दिशा में लगभग ढाई या तीन फर्लांग की दूरी पर रहते हैं। मुस्लिम लीग का शिविर नाले के बगल में लगाया गया था। शिविर तथा बाल्मीकियों की बस्ती के बीच हजारों मुसलमान मौजूद थे। आश्चर्य की बात है कि एक या एक से अधिक सुअर इस इतने बड़े जनसमूह में बिना कोई शोरगुल के मुस्लिम लीग के शिवर के पास तक पहुँच गये थे।

इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि कई पीढ़ियों से ईदगाह पर नमाज पढ़ी जाती रही है तथा जहाँ तक याददास्त की बात है तब से ही वहाँ हरिजन बस्ती भी है। अतः मुसलमानों द्वारा गन्दा माना जाने वाला जानवर सुअर जिससे नमाज पूरी तरह नापाक हो जाती है तथा जिसने इसके पहले कभी नमाज में अड़चन नहीं डाली फिर भी जबकि उस वर्ष जानवरों को भगाने वाले दस्तों तथा पुलिस बल ठीक उसी स्थान पर मौजूद होने के बावजूद सुअर नमाज में गड़बड़ी डालने के लिए वहाँ कैसे पहुँचे।

ईदगाह पर हुई घटना से संबंधित सभी साक्षियों ने यह कहा है कि नमाजी कतारों में इतने नजदीक बैठे थे कि उनके बीच से किसी का भी गुजरना संभव नही था। इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ईद की नमाज के दौरान जबकि सैकड़ों या हजारों लोग सड़क तथा फुटपाथ पर खड़े रहते हैं ईदगाह क्षेत्र में कोई सुअर घुस नही नहीं सकता है। कहा जाता है कि उस समय ईदगाह क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ हो जाती है तथा जब नमाजी जमीन पर उकड़ूँ बैठ जाते हैं तो उस मैदान में एक चीटी भी नही घुस सकती है। इसलिए अभिलेखों के साक्ष्य तथा परिस्थितियों से न-माजियों के बीच किसी सुअर के घुसने की कहानी झूठी साबित हो जाती है। यह निरा कुचक्र है तथा इसे दंगा भड़काने के लिए तैयार किया गया थी जिससे कि बाल्मीकियों को जिन्होने मुसलमानों के घरों के शौचालयों साफ करने बन्द कर दिये थे, सबक सिखाया जा सके तथा प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को बदनाम किया जा सके जिनसे कि डा० शमीम अहमद खाँ तथा उनके समर्थकों का मुसलमानों को खुश करने के प्रयास में विरोध चल रहा था। होशियार लोग जानते थे कि मुसलमान बहुत ही सुनक मिजाजी होते हैं। जैसा कि शहर इमाम ने कहा है और उन्हें आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है। वे यह भी जानते थे कि मुरादाबाद तथा अलीगढ़ जैसे संवेदनशील नगर तैयार शीघ्र जलने वाली वस्तु की तरह हैं तथा एक छोटी सी चिंगारी से बड़ा भीषण अगिनकांड हो सकता है। मुसलमान सुअर से नफरत करते है तथा यदि किसी सुअर के घुसने की बात फैलाई जाय तो उनमें निश्चित रूप से क्रोध भड़क उठेगा।

ईदगाह पर इतनी भारी भीड़ होने वाली थी कि प्रशासन तथा पुलिस को पूरे समय तक के लिए एक चुपचाप दर्शक की भाँति खड़ा रहना था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दंगा करवाने के लिए कुछ मुसलमान बाहर से बुलवाये गये थे जैसा कि कहा जाता है कि मई, 1980 में विधानसभा चुनाव के समय भी हुआ था। श्री बी० बी० दास तथा अन्य साक्षियों के बयानों से यह बात साफ हो जाती है कि पहले मुस्लिम लीग के शिविर के निकट खड़े 25 या 30 मुसलमानों ने यहदंगा शुरू किया था। वे सब अजनबी थे तथा दंगा कराने के बाद वे अचानक गायब हो गये थे। एक बार दंगा शुरू हो जाने के बाद नमाजियों के एक वर्ग में इसकी काफी प्रतिक्रिया हुई थी। मुस्लिम लीग के लोगों तथा खाकसारों ने हिन्दुओं, पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों को मारने के लिए उन्हें न केवल उकसाया बल्कि वे स्वयं भी हिंसक कार्यों में लग गये। इस योजना बनाने वालों ने सिर्फ एक हल्का झटका देने का विचार किया होगा लेकिन जब चिंगारी भड़क गयी तो स्थिति नियन्त्रण के बाहर हो गयी तथा उसने एक भयंकर भूकम्प का रूप अख्तियार कर लिया जिससे नगर में कई निरपराध लोगों की जाने गई तथा उत्तर प्रदेश के आधे दर्जन नगरों में साम्प्रदायिकता को दहलाने वाली लहर फैल गई।

उपर्युक्त विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम वर्ग का यह कथन कि प्रशासनिक अभिकरण को 13 अगस्त, 1980 के पूर्व इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ में एक या इससे ज्यादा सुअर घुसा दिये जायेंगे कोई आधार नही है। आयोग के समक्ष उपस्थित किये गये नागरिक परिषद के समस्त अधिकारियों तथा साक्षियों ने इस बात से इन्कार किया है। 12 अगस्त, 1980 को श्री बी० बी० दास ने एक बैठक की थी जिसमें अतनी ही संख्या में स्थानीय अभिसूचना ईकाई के सदस्य भी उपस्थिति हुए थे। इसमें खुलकर चर्चा हुई थी किन्तु स्थानीय अभिसूचना ईकाई के किसी सदस्य तथा किसी अन्य व्यक्ति ने भी कोई ऐसी आशंका व्यक्त नही की थी। श्री आर्य ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उन्हें घटना के पूर्व न तो कोई ऐसी सूचना मिली ही थी और न ही उन्होने सरकार को भेजी थी। उन्होने यह भी कहा है कि जहाँ तक उनको ज्ञात है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा सदन में कोई ऐसा वक्तव्य नही दिया गया था कि प्रशासन को 13 अगस्त, 1980 के पूर्व इस बात की जानकारी थी कि सुअरों का घुसाया जायगा।

<u>बाद विषयक संख्या 2, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 17 के निष्कर्षों का सारांश</u>

यद्यपि मुरादाबाद में हुए जान माल के भारी नुकशान का अत्यन्त खेद है फिर भी स्पष्ट रूप से निष्कर्ष यह है कि वहाँ न तो कोई अप्रवासियों की समस्या थी और न स्थानीय मुसलमानों के खिलाफ दंगे में विदेशी व्यक्तियों का हाथ होने के बारे में भी जो साक्ष्य दिया गया है उसमें भी कोई बल नही है। ईदगाह में जो दंगे हुए उन्हें कराने में सभी मुसलमानों का हाथ नही था बल्कि कुछ ऐसे ही मुसलमानों ने इन दंगों को कराने में साथ दिया था जिन्होने जावेद की घटना के बाद लज्जावती को अपहरण करने या भगा ले जाने के कारण तथा जुलाई के तीसरे सप्ताह में मुसलमानों और बाल्मीकियों के बीच हुए झगड़े के बाद से केवल चुनावों के प्रयोजन के लिए अपनी छवि सुधारने के लिए शहर में व्याप्त तनाव का लाभ उठाया था। धार्मिक प्रतिरोध

की जटिल संरचना तथा इस्लामीकरण की भावना के साथ-साथ मुसलमानों के उस वर्ग द्वारा किया जानेवाला राजनैतिक शोषण और इन सब के अलावा विदेशी धन के अन्तर्वाह के बारे में एक दूसरे के प्रति अविश्वास और उत्तर प्रदेश में दूसरा मुस्लिम राज्य बनाने की आकांक्षा ने अत्यधिक आग भड़काने वाले कारण प्रस्तुत कर दिये। इन मुस्लिम नेताओं द्वारा मुस्लिम जनता का शोषण जिसे उसने "वोट बैंक" के रूप में देखा सबसे बड़ा कारण था।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या किसी अन्य हिन्दू साम्प्रदायिक घटक द्वारा न तो कोई गोपनीय बैठके की गई और न ही मुसलमानों से बदला लेने के लिए हरिजनों को ही उकसाया गया था। वस्तुतः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का इसमें किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं था।

कटघर के इन्सपेक्टर श्री बी०बी०लाल ने मस्जिद के इमाम फजलुर रहमान से यह कभी नही कहा था कि "परेशान न हों। सुबह होने दो, सब ठीक हो जायेगा"।"

13 अगस्त, 1980 के पूर्व मुरादाबाद में प्रशासनिक अभिकरण ।एजेन्सी। को इस बात की जानकारी नही थी कि भीड़ में सुअर या किसी और जानवर हांककर ईद-उल-फितर की नमाज में गड़बड़ी की जायेगी और नही सरकार को ही ऐसी कोई सूचना दी गयी थी।

जिस समय शहर इमाम खुतबा पढ़ रहे थे वस्तुतः उस समय नमाजियों में न तो कोई सुअर घुसाया गया था और न कोई ईदगाह क्षेत्र के निकट कहीं मौजूद ही था।

इसमें कोई सन्देह नही है कि बाल्मीकियों ने अपनी शिकायतें श्री आर्य से की थी लेकिन श्री आर्य ने उन्हें कभी उकसाया नही बल्कि दूसरी ओर उन्होने बाल्मीकियों से शांत रहने के लिए कहा था।

तदनुसार वाद विषय संख्या 2, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 17 का निस्तारण हो जाता है।

वाद विषय संख्या 3, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21 तथा 22:

इन सभी वाद-विषयों का संबंध एक दूसरे से है और इनका निस्तारण उपयुक्त रूप से एक साथ किया जा सकता है। निश्चित रूप से दंगे की शुरूआत ईदगाह पर हुई थी और बाद में वह शहर के कई अन्य स्थानों में फैल गया था। पक्षों के लिखित बयानों के अनुसार उस दिन मुख्य घटनायें निम्नलिखित तेरह स्थानों पर घटीं :-

1- ईदगाह
2- बरफखाना
3- पुलिस चौकी गल शहीद
4- पुलिस चौकी फैज गंज
5- चौराहा तहसील स्कूल
6- चौकी नागफनी
7- मोहल्ला नवाबपुरा
8- मोहल्ला किसरोल
9- थाना कोतवाली
10- गंज बाजार और नीम की पियाऊ
11- मोहल्ला बरबला
12- दौलताबाग तथा,
13- कम्बल का ताजिया ।

मौखिक साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थानों पर भी इक्का-दुक्का घटनाएं हुई थीं ।

1- कूँचा दरजियाँ सम्भली गेंट, खारी कुआँ
2- भूरा का चौराहा और प्रिन्स रोड
3- बारादरी
4- सदर अस्पताल
5- झब्बू का नाला
6- असलतपुरा (बाल्मीकि कालोनी) तथा
7- बालाजी का मंदिर ।

अभिलेख के साक्ष्य का मूल्यांकन अपेक्षाकृत भली प्रकार करने के लिए प्रत्येक घटना के बारे में अलग-अलग विचार करना उचित होगा ।

1- ईदगाह

ईदगाह क्षेत्र सम्भल के चौराहे से बरफखाना को जाने वाली सड़क के पश्चिम में पड़ता है। यह एक बड़ा खुला मैदान है जिस पर बहुत से पुराने पेड़ लगे है। ईदगाह के पूर्व की चहारदीवारी लगभग 4 फुट ऊँची है और यह ईंटों की बनी हुई है। ईदगाह में बाहर जाने के लिए दो निकास हैं जिनमें से एक पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर की ओर है। उक्त सड़क के पूर्व में हिन्दुओं के मकान हैं और उनके पीछे आदर्श नगर तथा आवास-विकास की कालोनियाँ हैं। बाल्मीकी लोग ईदगाह के ढाई या तीन फर्लांग की दूरी पर पूर्वोत्तर में रहते हैं । ईदगाह के उत्तरी फाटक से एकरास्ता हरपाल नगर की ओर जाता है। इस रास्ते के उत्तर में मुसलामनों के मकान हैं उत्तरी फाटक के एक कोने पर एक छोटी मस्जिद है जिसे एक रातवाली मस्जिद कहा जाता है क्योंकि कई दशक पूर्व इसका निर्माण एक रात में किया गया था। पश्चिम की ओर मुसलमानों का कब्रिस्तान है । ईदगाह की भौगोलिक स्थिति मानचित्र प्रदर्श सी/डब्लू-45 (264) तथा मेरी निरीक्षण टिप्पणी अनुलग्नक "वी" से स्पष्ट हो जायेगी। ईदगाह से कोतवाली जाने के लिए चार रास्ते हैं। पहला रास्ता गलशहीद तथा अमरोहा रोड होकर तथा दूसरा रास्ता कच्चाबाग होकर तीसरा रास्ता लाल मस्जिद गली से होकर तथा चौथा रास्ता टाउन हाल होकर जाता है।

जैसी कि चर्चा वाद-विषय संख्या-1 में की गई है प्रभारी अधिकारी नगरपालिका श्री डी0पी0सिंह ने सड़क के किनारे से सभी अतिक्रमण हटा दिये थे तथा ईदगाह के निकटपड़ी हुई ईंटें हटवा दी थी। सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई करा दी गयी थी। चूने के कतारें बनायी गई थीं जिससे कि नमाजी आराम से बैठ सकें तथा नमाज अदा कर सके । जानवरों को घुसने न देने के लिए एहतियात भी कर ली गयी थी। तीन पार्टियों (दलों) का एक जानवर भगाने वाला दस्ता तीन स्थानों पर तैनात कर दिया गया था। ईद की नमाज के अवसर पर ईदगाह में हमेशा मुसलमानों की

भारी भीड़ जमा होती है और चूँकि ईदगाह मैदान में ये सभी लोग नहीं आ सकते हैं इसलिए अधिकांश नमाजियों को ईदगाह के बाहर खाली जमीन तथा सड़कों पर बैठना पड़ता है।

मुरादाबाद में यह प्रथा है कि बड़ी संख्या में सम्माननीय हिन्दू नागरिक तथा अनेक संगठनों के सदस्य नमाज के बाद नमाजियों को बधाईयाँ देने के लिए ईदगाह में जमा होतेहैं । वे सम्भल चौराहे से गलशहीद को जाने वाली सड़क के पूर्व की ओर अपने शामियाने लगाते हैं। ये शामियाने मेजों कुर्सियों तथा दरियों आदि से सुसज्जित रहते हैं। नमाजियों के लिए सौंफ, इलाइची तथा पान आदि रखे जाते हैं। 13 अगस्त, 1980 को भी कई संगठनों और पार्टियों ने उसी स्थान पर अपने शामियाने लगाये थे और नमाजियों के स्वागत के लिए वैसे ही प्रबन्ध किये थे। सबसे उत्तर में आवास विकास की पुलिया के निकट मुस्लिम लीग का शामियाना था जहाँ डाक्टर शमीम अहमद खाँ, डा० हामिद हसन खाँ तथा अन्य बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे। इसके दक्षिण में जनता पार्टी का शिविर था और इसके बाद जनता सेवक समाज का शिविर था । उसके दक्षिण में प्रेस क्लब का शिविर लगा हुआ था और उसके बाद अमन कमेटी का शिविर था। सबसे दक्षिण में नगर पालिका का शिविर था। ईदगाह के उत्तरी फाटक के पास सड़क की पश्चिम की ओर मुस्लिम लीग के शिविर लगभग सामने कांग्रेस (ई) का शिविर लगा हुआ था। इस प्रकार सड़क की पूर्व की तरफ छह शिविर तथा सड़क के पश्चिम की ओर एक शिविर लगा हुआ था।

ईदगाह में हुई घटना के संबंध में पार्टियों के भिन्न-भिन्न कथनों का उल्लेख पहले ही विस्तार से किया जा चुका है और उन्हें दोहराये जानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । मेरा यह कहना काफी होगा कि सभी पक्षों के कथनानुसार दंगा इसलिए हुआ था क्योंकि यह अफवाह फैलायी गयी थी कि ईदगाह क्षेत्र में एक या एक से अधिक सुअर घुस आये हैं उनसे नमाजियों के कपड़े गन्दे हो गये थे और नमाज नापाक कर दी थी ।

प्रशासन, हिन्दुओं तथा नागरिक परिषद ने कहा है कि उस क्षेत्र में कहीं भी कोई सुअर नही था और यह अफवाह सिर्फ दंगा भड़काने के लिए फैलायी गई थी।

इसके विपरीत मुसलमानों का कहना है कि ईदगाह की घटना पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों के फासिस्ट गुट और प्रशासन के बीच गहरी साजिश के कारण हुई। आदर्शनगर कालोनी की ओर से जो पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासियों व्दारा बसायी गयी थी उस रास्ते से सुअर भीड़ में घुसा दिये गये थे। उन्होने यह भी कहा है कि जब नमाज समाप्त हो गई थी और शहर इमाम ने खुतबा पढ़ना शुरू किया था, एक या एकसे अधिक सुअर भीड़ में घुस आये और उन्होनें नमाज नापाक कर दी थी। उस स्थान पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस उपाधीक्षक, ने गलती के लिए खेद प्रकट किया और समझौते की दृष्टि से अनुरोध किया। उनके कथनानुसार दंगा समाप्त हो गया परन्तु श्री बी०बी०लाल, इंसपेक्टर कटघर, जो पास ही में खड़े थे, क्रुद्ध हो गये और कहा कि वे वहाँ आदमियों को काबू करने के लिए हैं न कि जानवरों को। इस बात पर कहा सुनी हुई जिसके फलस्वरूप हाथापाई हो गई और कुछ गैर-मुस्लिमों ने जो कि भीड़ में घूम रहे थे पुलिस तथा हिन्दुओं पर पथराव किया जिससे कि पुलिस को गोली चलाने का उचित मौका मिल जाय।

शुरू-शुरू में यह कहा जा सकता है कि मुस्लिमवर्ग ने अपने कथनों को सिद्ध करने के लिए किसीभी साक्षी का साक्ष्य परीक्षण नहीं किया है। फिर भी इस रिपोर्ट में सम्बद्ध स्थानों पर प्राप्त अभिलेख के आधार को दृष्टिगत रखते हुए उनका निस्तारण किया जायेगा।

प्रशासन ने ईदगाह की घटना के बारे में नौ प्रमुख साक्षियों का साक्ष्य परीक्षण किया है। वे इस प्रकार हैं :-

1- श्री बी०बी०लाल, इंसपेक्टर ।सी/डब्लू-11।

2- श्री ए०के०मिश्र, पुलिस उपाधीक्षक ।सी/डब्लू-12।

3- कांस्टेबल श्याम बिहारी लाल ।सी/डब्लू-13।

4- कान्स्टेबल दयानन्द त्यागी ।सी/डब्लू14।

5- श्री डी०एस०त्यागी, कम्पनी कमाण्डर ।सी/डब्लू-24।

6- श्री आर०एस०सिंह अपर जिला मजिस्ट्रेट ।सी/डब्लू-47।

7- श्री बी०बी०दास अपर पुलिस अधीक्षक (सी/डब्लू-53)

8- श्री एस० पी० आर्य, जिला मजिस्ट्रेट, (सी/डब्लू-54)

9- श्री वी० एन० सिंह , ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक (सी/डब्लू-56)

हिन्दुओं तथा नागरिक परिषद् ने इस घटना के सत्ताइस साक्षियों का साक्ष्य परीक्षण किया है। वे निम्नलिखित है।

1- श्री एच० के०टण्डन (बी/डब्लू-1)

2- श्री एच० आर० भगत (बी/डब्लू-3)

3- श्री हरी किशन टण्डन (बी/डब्लू-4)

4- श्री फूल कुमार (बी/डब्लू-5)

5- श्री सरदार श्री महेन्द्र सिंह (बी/डब्लू-6)

6- श्री ओंकार सरन कोठीवाल (बी/डब्लू-7)

7- श्री मदन लाल (बी/डब्लू-8)

8- श्री के०बी०जौहरी (बी/डब्लू-9)

9- श्री लक्ष्मी राज सिंह (बी/डब्लू-10)

10- डा० जे०एस० अग्रवाल (बी/डब्लू-13)

11- श्री राकेश कुमार अग्रवाल (बी/डब्लू-15)

12- श्री प्रीतम सिंह (बी/डब्लू-16)

13- श्री सत्यवीर सिंह (बी/डब्लू-17)

14- श्री अशोकर कुमार (बी/डब्लू=18)

15- श्री रोशन लाल (बी/डब्लू-19)

16- श्री बी०एन०गुप्ता (बी/डब्लू-20)

17- श्री जगमोहन मेहरोत्रा (बी/डब्लू-21)

18- श्री राम औतार शर्मा (बी/डब्लू-22)

19- श्री सुरेश पाल (बी/डब्लू-23)

20- श्री राम कुमार (बी/डब्लू-24)

21- श्री सुरेन्द्र कुमार सर्राफ (बी/डब्लू-28)

22- श्री विजय सिंह (बी/डब्लू-29)

23- श्री ओंकार सिंह (बी/डब्लू 30)

24- श्री राजबहादुर सक्सेना (बी/डब्लू 33)

25- श्री प्यारे (बी/डब्लू-70)

26- श्री एच0 के0 पाठक ।बी/डब्लू-74। तथा

27- श्री खेम सिंह ।बी/डब्लू-75।

इनमें से डा0 के0एस0अग्रवाल, डा0 जगमोहन मेहरोत्रा तथा सर्व श्री हरी किशन दास टण्डन, राकेश कुमार अग्रवाल, शिव रतन तथा सुरेन्द्र कुमार को ईदगाह में चोटें आयी थीं। शिव रतन नामक एक व्यक्ति को भी चोटें आयी थी। प्रशासन के अनुसार ईदगाह मैदान की उत्तरी दिशा से चौंतीस लाशें बरामद की गई थीं और जिला अस्पताल में पायी गई छः लाशों में से चार के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी मृत्यु ईदगाह में चोटें लगने से हुई थीं। इस प्रकार ईदगाह की घटना में अड़तीस लोगों की मृत्यु होने की बात कही जाती है। ईदगाह में बहुत से व्यक्तियों को चोटें आयी थीं किन्तु उनकी संख्या का पता नही लगा सका। प्रशासन ने एक सौ बारह चोट रिपोर्ट यह प्रदर्शित करने के लिए दाखिल की हैं कि उन्हें उस दिन भिन्न-भिन्न स्थानों पर हुई घटनाओं में चोटें आयी थीं परन्तु उनमें से अधिकतर में उस स्थान का नाम नही है जहाँ पर चोटे पहुँचायी गयी थीं। अनुलग्नक "छः" तथा "सात" का संबंध क्रमशः मृत और घायल व्यक्तियों से है।

अब मैं इस बात को तय करने के लिए साक्ष्य परीक्षण करूँगा कि ईदगाह में किस ढंग से घटना हुई थी और कौन सा कथन सही है। इस संबंध में मैं श्री बी0बी0दास ।सी/डब्लू-53। के बयान से शुरूआत करूँगा जो अपर पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद थे और ईदगाह सहित, ईद की व्यवस्था करने के लिए नगर के प्रभारी बनाये गये थे। उन्होने कहा है कि 13 अगस्त, 1980 से पूर्व सभी प्रबन्ध कर लिये गये थे। और इसके अनुपालन को सुनिश्चित कर लिया गया था। की गयी सावधानियाँ और तैनात की गई, पुलिस तथा पी0ए0सी0के संबंध में वाद-विषय संख्या-1 पर मेरे निष्कर्ष में चर्चा की जा चुकी है। कटघर थाने का सम्पूर्ण क्षेत्र चार सेक्टरों में बाँट दिया गया था और एक इंसपेक्टर को सेक्टर संख्या 1, 2, तथा 3 का और एक सब इंसपेक्टर को सेक्टर संख्या-4 का प्रभारी बना दिया गया था। इन सेक्टरों में तैनात पुलिस बल

ईदगाह में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त था।

उन्होंने यह भी बयान दिया है कि 13 अगस्त, 1980 को उन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट, ।नगर। श्री आर०एस०सिंह के साथ नगर का दौरा ।राउन्ड। किया था और सभी कुछ सामान्य पाया था। ईद तथा तीज के त्योहार एक ही दिन पड़ने के कारण हिन्दू तथा मुसलमान उन्मुक्त रूप से घूम रहे थे। उन्होंने रास्ते में कहीं भी सुअर नहीं देखा था और प्रातः लगभग साढ़े आठ बजे ईदगाह पहुँच गये थे। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रातः साढ़े आठ बजे नमाजी ईदगाह की ओर जाने लगे थे परन्तु उनमें से मुस्लिम वेश में कोई हिन्दू नहीं था और न इस बारे में किसी ने शिकायत ही की थी। जब वे ईदगाह पहुँचे तो उन्होंने किये गये प्रबन्धों की जाँच की और उन्हें पूर्ण रूपेण संतोष जनक पाया। नमाज के समय तक वहां साठ या सत्तर हजार मुसलमानों की भीड़ थी। उनमें से लगभग आधे लोग ईदगाह के मैदान में आ गये थे और बाकी लोग ईदगाह के बार पड़ी हुई खाली जमीन तथा सड़कों पर बैठे हुए थे। वे उत्तर में बरफखाना तक तथा दक्षिण में कुलवन्त सिंह कोठी तक फैले हुए बैठे थे। इस वर्ष की भीड़-भाड़ में सबसे ज्यादा असामान्य बात यह थी कि खाकी वर्दियों में बहुत से खाकसार बेल्चे लिए हुए वहाँ मौजूद थे। वे लोग बैठने का प्रबन्ध करते हुए प्रतीत होते थे और वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों और बच्चों को ईदगाह मैदान की ओर भेज रहे थे। इस कार्य से किसी को संदेह नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि यह इन व्यक्तियों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। अपनी वर्दी में डा० अज्जी तथा डा० शमीम अहमद खाँ भी मुस्लिम लीग के शिविर के निकट मौजूद थे।

श्री दास ने यह भी कहा कि जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक भी प्रातः पौने नौ बजे ईदगाह आ गये थे और प्रबन्ध से संतुष्ट थे। नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी श्री डी०पी०सिंह श्री आर०डी० भारतीय, कुमारी ।अब श्रीमती। सुरजीत कौर, तथा संयुक्त मजिस्ट्रेट तथा बहुत से अन्य अधिकारी नगर पालिका के शिविर में मौजूद थे जबकि

कई संगठनों के सदस्य तथा प्रमुख हिन्दू अपने-अपने शिविरों में मौजूद थे। सशस्त्र गारद, एक आँसू गैस दस्ता, पी०ए०सी० का डंडा धारी दस्ता, पी०ए०सी० की एक प्लाटून, एक इंसपेक्टर, एक हेड कान्सटेबिल और दस कान्सेटेबिल, जिनके सभी के हाथों में डंडे थे, नगरपालिका शिविर के दक्षिण की ओर की खाली पड़ी जमीन पर रिजर्व में रखे गये थे उनके बयान से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि ईदगाह के मुख्य फाटक के दक्षिण की ओर सड़क के उस पार जल विद्युत उप-गृह है। इसे रक्षा प्रदर्श सी/डब्लू-45(264) में दिखाया गया है। उस बस्ती में रोड़ों (ईटों के टुकड़ों) से भरा हुआ कोई भी मोटर ट्रेक कही भी नही देखा गया था।

जहाँ तक घटना का संबंध है श्री दास का कहना है कि शहर इमाम ने प्रातः ठीक 9 बजे नमाज पढ़ना शुरू किया था और सवा नौ बजे तक इसे समाप्त कर दिया था। नमाजी व्यवस्थित ढंग से बैठे हुए थे और नमाज के दौरान कोई व्यवधान नही हुआ था उसके तुरन्त बाद शहर इमाम ने खुतबा पढ़ना शुरू किया। उन्होने कुरान शरीफ से कुछ ही उद्धरण पढ़े होंगे कि मुस्लिम लीग के शिविर के पास शोरगुल शुरू हो गया। इंसपेक्टर श्री बी०बी०लाल, जो मुस्लिम लीग के शिविर से पाँच या छः कदम की दूरी पर थे, कुछ कांस्टेबिलों को लेकर वहाँ पहुँचे तथा उन क्रोधित मुसलमानों को शांत करने का प्रयास किया जिन्होने यह कहा कि एक सुअर घुस आया है और उसने उनकी नमाज को नापाक कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के निदेशों के अनुसार श्री दास, श्री ए०के०मिश्र, श्री आर०एस०सिंह तथा पुलिस बल के कुछ सदस्य मामले की जाँच करने तुरन्त वहाँ पहुँचे। उन्होने लगभग पच्चीस या तीस मुसलमानों को यह बड़बड़ाते हुए पाया कि भीड़ में सुअर आ गया है। ये मुसलमान जाने पहचाने नही थे। वे मुसलमानों के वेश में हिन्दू नही थे श्री दास ने उनसे सुअर दिखाने को कहा किन्तु कोई भी सुअर न दिखा सका और न ही उन्होने किसी के गन्दे कपड़े दिखाये। उन्होने श्री दास ने उन लोगों से कहा कि हीं पर भी कोई सुअर नहीं है। और उन्हें शांत रहना चाहिए तथा वह उस समय शांति बनाये रखने में सफल हो गये। उनके बयान से जाहिर होता है कि यदि उस क्षेत्र में कोई सुअर होता तो वह उनकी

निगाहों से न बच पाता। वह श्री ए०के०मिश्र तथा श्री आर०एस० सिंह के साथ जिला मजिस्ट्रेट और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस स्थिति से अवगत कराने के लिए नगर पालिका के शिविर की तरफ चल पड़े। उनके बीस या चालीस कदम जाने तक वहाँ शांति रही किन्तु फिर उसी स्थान पर शोरगुल शुरू हो गया तथा कुछ मुसलमान पुलिस अधिकारियों, पुलिस बल के सदस्यों, पी०ए० सी० के जवानों तथा हिन्दुओं पर पथराव करने लगे। ईंटे ईदगाह की पूर्वी दीवार तथा ईदगाह के उत्तरी दरवाजे के निकट चाय की दूकानों की तरफ की भट्ठियों से निकाली गयी थी।। श्री दास और श्री सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी को पूरी स्थिति से तुरन्त अवगत कराया किन्तु उत्तेजित मुसलमानों ने अपना हमला तेज कर दिया। श्री बी०बी०लाल तथा अन्य व्यक्तियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की किन्तु उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होने दंगाइयों से शांतिपूर्वक बैठने का आग्रह किया तथा कहा कि शहर इमाम को खुतबा पढ़ने दें किन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ। तब श्री ए०के०मिश्र ने लाउडस्पीकर पर यह घोषित किया कि वे शांत रहें तथा हिंसा बंद कर दें किन्तु यह भी निरर्थक सिद्ध हुआ। क्रुद्ध मुसलमानों ने पथराव और तेज कर दिया तथा हिन्दुओं और नगर-पालिका के शिविरों की तरफ बढ़ चले। दंगाइयों की संख्या बढ़ने लगी।

श्री दास के बयान से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि डा० शमीम अहमद खाँ, डा० अज्जी तथा खाकसार "मारो-मारो" तथा कोई बचने न पाये चिल्ला रहे थे। उस समय तक दंगाइयों ने मुस्लिम लीग के शिविर को छोड़कर सभी शिविर गिरा दिये थे तथा इसके बाँसों को लोगों को चोट पहुँचाने में इस्तेमाल करने लगे। खाकसारों ने अपने बेलचे इस्तेमाल किये तथा अन्य लोगो ने चाकुओं आदि का उपयोग किया। अधिकारियों, पुलिस बल के लोगों, पी०ए० सी० के जवानों तथा हिन्दुओं को चोटें लगने लगीं। मुसलमान दंगाइयों का दबाव बढ़ता गया तथा उन्हें शांत करने के लिए अधिकारियों के सतत प्रयास पूर्णतया

असफल हो गये। श्री दास के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि जब स्थिति बिगड़ने लगी तो अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री आर० एस० सिंह ने उत्तेजित मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए दूसरी बार चेतावनी दी कि वे हिंसात्मक कार्य न करें नहीं तो उन्होंने यह भी धमकी दी कि यदि वे हिंसात्मक कार्य करते हैं तो उनकी भीड़ को गैर कानूनी घोषित कर दिया जायेगा। किन्तु उन पर इस चेतावनी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तथा अपना हमला तेज करते हुए वे अधिकारियों तथा हिन्दुओं आदि की ओर निरन्तर बढ़ते गये अतएव श्री आर०एस०सिंह ने उनकी भीड़ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया तथा उन्हें शांतिपूर्वक तितर-बितर होने की चेतावनी दी अन्यथा यह भी धमकी दी कि उन पर बल प्रयोग किया जायेगा। दंगाई डटे रहे तथा हमला करते रहे। उन्होंने हिन्दुओं के मकानों पर पथराव शुरू कर दिया तथा उन्हें काफी क्षति पहुँचाई। खिड़कियों के शीशे तोड़ दिये गये, दीवारों तथा शटरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घरों के निवासी सहायता के लिए चिल्लाने लगे दंगाइयों का दबाव और भी बढ़ गया तथा उन्हें दी गई चेतावनीयों का कोई असर नहीं हुआ। स्थिति और भी खराब हो गई तथा बीच-बीच में ईदगाह के उत्तर पूर्वी द्वार की तरफ से गोलियाँ चलने की खबरें सुनाई पड़ी। अतः ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वी०एन०सिंह के आदेशों से आँसू गैस दस्ते द्वारा उत्तेजित मुसलमानों पर आँसू गैस के ग्यारह गोले फेंके गये। यह कार्य चेतावनी देने के पश्चात सर्वथा नियमों के अनुसार किया गया था। ये गोले उन दंगाइयों की तरफ से दागे गये थे जो ईदगाह के सामने की सड़क पर थे तथा हिंसक कार्य कर रहे थे। श्री दास ने साफ तौर से यह इंकार किया है कि ये गोले शांत मुसलमानों की ओर दागे गये थे। दुर्भाग्यवश आँसू गैस के गोलों के दागने का भी कोई असर नहीं हुआ तथा दंगाइयों की संख्या बढ़कर लगभग ढाई हजार या तीन हजार हो गई।

उन्होने अपना हमला और तेज कर दिया जिसके परिणामस्वरूप हिन्दुओं, अधिकारियों पुलिस बल के लोगों और पी०ए०सी० के जवानों को चोटे आने लगी। स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए श्री दास ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश और ज्येष्ठ पुलिस अधक्षीक की अनुमति से लाठी चार्ज करवाया। उन्होने यह लाठी चार्ज पी०ए०सी० के लाठी स्क्वाड के उन जवानों और पुलिस बल से करवाया जो खाली भूमि पर तैनात थे। बलवा करने वाले लोग अधिकारियों और आरक्षी बल के इतने निकट आ गये थे कि उन्होने अश्रु गैस स्क्वायड के एक व्यक्ति के हाथों से अश्रु गैस की बन्दूक छीन ली थी। मुसलमान अत्यन्त क्रोधित थे और हिंसा पर उतारू थे और स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी। हिन्दुओं, पुलिस बल के लोगों, पी०ए०सी० के जवानों और अधिकारियों के जीवन और सम्पत्ति के लिए संकट उत्पन्न हो गया था। अश्रु गैस के गोलों को दागने के बाद श्री आर०डी० भारतीय अपर नगर मजिस्ट्रेट। को आदर्श नगर की ओर भेजा गया ताकि दंगा करने वाले लोग वहाँ पर कोई उत्पात न कर सके।

श्री दास के बयान से यह बात स्पष्ट होती है कि स्थिति बिगड़ती ही गई और दंगाइयो को शांत करने के उनके सभी प्रयास विफल रहे। यहाँ तक कि दंगाइयों ने लाठी स्क्वायड और पी०ए०सी० के जवानों के डंडे और हेल्मेट भी छीन लिए। अन्य लोगों के अलावा जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, सर्किल, आफीसर नगर।प्रथम। अपर जिला मजिस्ट्रेट ।नगर। और श्री दास को चोटें आई, बहुत से हिन्दू भी घायल हुए, मुसलमान दंगाइयों के व्यवहार से यह पता चलता था कि वह अधिकारियों, पुलिस बल के लोगों और हिन्दुओं की सामूहिक हत्या करने पर उतारू थे, वह इसी प्रकार चिल्ला रहे थे। नगर पालिका के ओ.सी. श्री डी.पी. सिंह घायल हो गये थे और दंगाई उन्हें उठाले गये थे। अन्ततः उनका शव अस्पताल में पाया गया जब स्थिति अत्यन्त गम्भीर और संकटपूर्ण हो गई थी तब अपर जिला मजिस्ट्रेट ।नगर। ने दंगाइयों को पुनः चेतावनी दी कि वह अपनी अवैध कार्यवाहियों को रोक दें और इस बात की धमकी दी कि ऐसा न करने पर गोली चला दी जायेगी जिसमें वह मारे भी जा सकते हैं। दंगाइयों को शांत करने के सभी प्रयास निष्फल हो गये थे और स्थिति में सुधार होने की आशा पूर्णरूप से समाप्त हो गई थी, अतएव जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट ।नगर। और श्री दास ने यह निर्णय लिया कि जनजीवन और सम्पत्ति की अपार क्षति को बचाने के लिए गोली

चलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से श्री आर.एस. सिंह ने तुरन्त ही गोली चलाने का आदेश ।प्रदर्श.सी/डब्लू-।।।3।। तैयार किया और श्री दास को उसके कार्यान्वयन के लिए दे दिया। उसी समय श्री बी.एन. सिंह के माथे पर ईंट का एक टुकड़ा लगा और उससे अत्यधिक रक्त बहने लगा और उन्हें तेजी से चक्कर आने लगा और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वहाँ से जाने के पूर्व उन्होने श्री दास को गोली चलाने के आदेश को कार्यान्वित करने के निर्देश दिये।

श्री दास का कथन है कि उन्हें गोली चलाने का आदेश पूर्वान्ह 9.30बजे प्राप्त हुआ। उन्होनें पुनः दंगाइयों को शांत होने की चेतावनी दी किन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होनें उनसे शांतिपूर्वक ढंग से तितर बितर हो जाने के लिए कहा अन्यथा वह गोली चला सकते हैं जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। जब दंगाइयों ने इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और जनजीवन तथा सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने का पक्का इरादा कर लिया तो उन्होने हाइडिल सब स्टेशन के सामने बढ़ते हुए दंगाइयों पर सशस्त्र गारद के कमांडर, हेड कांस्टेबिल इसरार अहमद द्वारा एक चक्र गोली चलवाई। इसका कुछ भी असर नहीं हुआ और दंगाइयों की हिंसक कार्यवाहियाँ जारी रही और उनमें और तेजी आ गई तब उन्होने सशस्त्र गारद के चारों सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य द्वारा दो चक्र गोली चलवाई, दंगाई तनिक भी हतोत्साजित नहीं हुए और आगे बढ़ते रहे। उन्होने अपना हमला तेज कर दिया श्री दास का कहना है कि उन्होने उस भीड़ की तरफ, जो सड़क पर थी, सशस्त्र गारद के प्रत्येक सदस्य द्वारा पुनः दो चक्र गोली चलवाई। गोली कारगर ढंग से और जनजीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए चलाई गईथी। इसके परिणामस्वरूप कुछ दंगाई घायल हो गये थे। तीन चक्र गोली चल चुकने के बाद दंगाई पीछे हटने लगे और हड़बड़ी में भागने लगे। गोली चलाना तुरन्त रोक दिया गया था। जो नमाजी ईदगाह मैदान में थे वह भूराका चौराहा और हरपाल नगर की ओर भागने लगे। हरपाल नगर को जाने वाला रास्ता मुश्किल से दस फुट चौड़ा है और जब हजारो लोग उस संकरे मार्ग से होकर भागने की कोशिश करने लगे तब वहाँ पर भगदड़ मच गई जिसमें वृद्ध और अक्षम व्यक्ति तथा कुछ बच्चे कुचल गये और मर गये।

श्री दास ने बताया कि ईदगाह पर कुल 17 चक्र गोली चलाई गई जो उस समय विद्यमान परिस्थितियों में न्यूनतम थी। उन्होने यह भी कहा कि सशस्त्र पुलिस गारद द्वारा चलाये गये सत्रह चक्रों के अतिरिक्त पुलिस बल के किसी

सदस्य या पी.ए.सी के किसी जवान द्वारा उस स्थान पर एक भी गोली नहीं चलाई गई। पुलिस ग्यारह मुस्लिम दंगाइयों को गिरफ्तार करने में सफल हो गई थी। ईदगाह की घटना के बारे में उन्होंने यही बयान दिया है।

श्री दास ने आगे यह बताया कि नमाजी दस या पन्द्रह मिनट में तितर बितर हो गये थे और वहाँ पर उपस्थित मजिस्ट्रेटगण तथा पुलिस वाले शांति और व्यवस्था बनाये रखने में व्यस्त थे। ईदगाह के सामने वाली सम्पूर्ण सड़क पर ईंटें बिखरी हुई थीं और ईदगाह क्षेत्र में भागते हुए नमाजियों की हजारों चप्पलें और जूते पड़े हुए थे। इस सड़क के किनारे स्थित हिन्दुओं के मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये थे। दंगाइयों ने मुस्लिम लीग के शिविर के अलावा अन्य सभी शिविर गिरा दिये थे और उनके फर्नीचर आदि को नष्ट कर दिया था या उसे उठा ले गये थे। मुस्लिम लीग का शिविर उनके लहराते हुए झंडे के साथ ठीक हालत में बना रहा। उसी समय उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि मुसलमानों ने शहर में अन्य स्थानों पर हमला बोल दिया है और वे जनजीवन तथा सम्पत्ति को भारी क्षति पहुँचा रहे हैं। पूर्वान्ह लगभग 10.30 बजे श्री आर्य शांत और व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में आवश्यक प्रबंध करने तथा पूरी स्थिति के बारे में सरकार को अवगत कराने के लिए चले गये थे। इस प्रयोजन के लिए उन्हें अतिरिक्त बल की भी व्यवस्था करनी थी। वह नगर के अशांत क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री आर.एस. सिंह के पास निर्देश छोड़ गये थे। तदनुसार श्री आर.एस. सिंह ने सिविल लाइन्स क्षेत्र को छोड़कर, जहाँ कोई अशांति नहीं थी, पूरे नगर में पूर्वान्ह 10.30 बजे कर्फ्यू लगा दिया था और अतिरिक्त पुलिस बल पहुँचनी शुरू हो गया था।

श्री बी.बी. दास ने यह भी बताया है कि पूर्वान्ह लगभग 11 बजे उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मुसलमान दंगाइयों ने गलशहीद पुलिस चौकी पर हमला कर दिया है, उसमें आग लगा दी है तथा वह लूटपाट कर रहे हैं। उन्होंने तुरन्त श्री ए.के. मिश्रा को यह निर्देश दिया कि वह कुछ पुलिस बल के साथ उस स्थान पर पहुँच जायें और स्थिति से निपटें और शांति स्थापित करें। तदनुसार श्री मिश्रा ने तुरन्त कुछ पुलिस बल के साथ उस ओर प्रस्थान किया।

इस घटना के सभी साक्षियों ने, जिन्हें प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया गया था श्री दास के बयान की पूर्णतया सम्पुष्टि की है। उन सभी के बयानों पर विचार विमर्श करना व्यर्थ है। केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्षियों के बयानों का हवाला देना ही पर्याप्त होगा। वे इस प्रकार हैं :-

श्री बी० बी० लाल (सी/डब्लू-111),
श्री ए० के० मिश्रा (सी/डब्लू-121),
श्री आर० एस० सिंह (सी/डब्लू-47),
श्री एस० पी० आर्य (सी/डब्लू-54),
और श्री व्ही० एन० सिंह (सी/डब्लू-56)।

श्री बी० बी० लाल (सी/डब्लू-111) उस समय कटघर में इंसपेक्टर थे। उन्हें सेक्टर संख्या -1 का, जो ईदगाह के सामने पड़ता है, प्रभारी बनाया गया था और वह वहाँ पर पूर्वाह्न लगभग 7.00 बजे पहुँच गये थे। सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) और अपर जिला मजिस्ट्रेट ने भी सभी सेक्टरों का दौरा किया था और हर एक को अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद पाया था। जानवरों को खदेड़ने वाले स्क्वायड के सदस्य अपनी अपनी तैनाती के स्थान पर सतर्कता से काम कर रहे थे। उन्होंने नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी श्री डी० पी० सिंह को नगरपालिका शिविर के पास देखा था, जहाँ पर अन्य अधिकारी एकत्र थे। ईदगाह में कोई भी हिन्दू मुसलमान के वेश में नहीं था। नगर के विभिन्न संगठनों के लोग और संभ्रान्त हिन्दू नागरिक नमाजियों को बधाई देने आये थे।

खाकसार पार्टी के सदस्य खाकी वर्दी में ~~झण्डे~~ और ~~बेलचे~~ लेकर आए थे। उनके अनुसार लगभग पचास या साठ हजार मुसलमान ईदगाह में ~~नमाज~~ नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए थे

श्री बी०बी०लाल का यह भी कथन है कि नमाज पूर्वान्ह 9 बजे प्रारम्भ हुई थी और पूर्वान्ह 9.15 बजे समाप्त हो गई थी। वहाँ कहीं पर भी कोई सुअर नहीं था। जब शहर इमाम ने खुतबा पढ़ना प्रारम्भ किया तब मुस्लिम लीग के शिविर के पास हो हल्ला हुआ। उन्होंने उस स्थान पर चार या पाँच मुसलमानों को फुसफुसाते हुए देखा। वह वहाँ गये और उन्होंने हो हल्ला होने के बारे में पूछताछ की। मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों ने उन्हें बताया कि एक सुअर वहाँ आ गया है और उसने नमाज को अपवित्र कर दिया है। उन्होंने चारों ओर देखा किन्तु उन्हें कोई सुअर नहीं दिखाई दिया। उक्त मुसलमानों द्वारा दी गई सूचना से नमाजियों में, जो निकट ही थे, काफी उत्तेजना फैल गई थी, श्री बी.बी.लाल ने बताया कि उन्होंने उन को यह कहकर शांत करने का प्रयास किया कि कहीं भी कोई सुअर नहीं है। उसी समय श्री दास, श्री आर.एस.सिंह और श्री ए.के.मिश्र भी कुछ पुलिस बल के साथ वहाँ आए और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। उत्तेजित व्यक्ति कुछ हद तक शांत हो गये थे, किन्तु जैसे ही यह अधिकारी अपने शिविर की ओर गये, कुछ खाकसार "मारो-मारो" चिल्लाने लगे और मुस्लिम लीग के शिविर के निकट उपस्थित मुसलमानों पुलिस बल, अधिकारियों और वहाँ लगे हुए विभिन्न संगठनों तथा नगरपालिका के शिविरों पर पथराव करने लगे। ईंटों के टुकड़े ईदगाह की पूर्वी दीवार और भट्ठियों से निकाले गये थे। उन्होंने मुसलमानों को शान्त करने की चेष्टा की कि हल्ला कोई सुअर नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात से इंकार किया कि ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस उपअधीक्षक ने मुसलमानों से यह कहा था कि "गलती हो गई अब तो निभा लो" उनके अनुसार जब उस क्षेत्र में कोई सुअर था ही नहीं तो ऐसा कहने का कोई अवसर नहीं था। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि वह उग्र हो गये थे और उन्होंने मुसलमानों से कहा था कि वहाँ पर पुलिस बल मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए है न कि जानवरों को। उनके और नमाजियों के बीच कोई कहा सुनी नहीं हुई थी और न उन्होंने किसी को घूंसा मारा था। उनका यह भी कथन है कि उन्होंने किसी भी मुसलमान को उत्तेजित नहीं किया था।

श्री बी०बी०~~दास~~ लाल ने श्री बी०बी०दास के बयान की अन्य सभी बातों की भी पूर्णरूप से पुष्टि की है और कहा है कि पूर्वान्ह लगभग 9.25 बजे जब वह जनतापार्टी के शिविर के निकट थे, तब दंगाई अत्यन्त उत्तेजित हो गये थे और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उनको तितर बितर करने के लिए ईदगाह के सामने वाली सड़क पर दमन

ग्यारह अश्रु गैस के गोले दगवाये किन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ। दंगाइयों की संख्या बढ़कर लगभग पन्द्रह सौ हो गई थी और उन्होंने अपना हमला और तेज कर दिया था। बार-बार चेतावनी देने के बाद पूर्वान्ह 9.30 बजे लाठी चार्ज करवाया गया। इसका भी कोई असर नहीं हुआ और दंगाइयों ने बेलचों, छुरों, डंडों आदि से हमला प्रारम्भ कर दिया। मुस्लिम लीग के शिविर के अलावा सभी शिविर गिरा दिये गये और दंगाई उनके बाँसों का प्रयोग कर प्रहार करने के लिए करने लगे, हिन्दुओं के घरों के लोग सहायता के लिए चिल्ला रहे थे और इस समय तक दंगाइयों की संख्या बढ़कर लगभग पच्चीस सौ हो गई थी। कुछ मुसलमानों ने मूरे का चौराहा को जाने वाली सड़क के किनारे स्थित घरों की छतों से और सड़क से भी गोली चलाना शुरू कर दिया था। स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो थी तथा जनजीवन और सम्पत्ति के लिए संकट उत्पन्न हो गया था। श्री आर0 एस0 सिंह ने दंगाइयों को शान्तिपूर्वक तितर बितर हो जाने के लिए एक बार और चेतावनी दी। ऐसा करने के बजाय वह और अधिक हिंसक हो गये और हाइडिल सब स्टेशन के निकट आ गये। नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी श्री डी0पी0 सिंह को दंगाई उठा ले गये और बाद में उन्हें पता चला कि श्री सिंह की मृत्यु उनको लगी चोटों के कारण हो गयी। ईंट का एक टुकड़ा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के माथे पर लगा और उन्हें तुरन्त अस्पताल पहुँचाया गया। उनके अनुमान के अनुसार स्थिति इतनी गम्भीर हो गई थी कि यदि वहाँ पर फायरिंग न की जाती तो जनजीवन और सम्पत्ति की अपार क्षति होती। जिला मजिस्ट्रेट और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह निर्णय लिया कि गोली चलाई जाय। श्री आर0 एस0 सिंह ने गोली चलाने का आदेश तैयार किया था और उसे श्री दास को दे दिया था। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल जाने से पूर्व उसे कार्यान्वित करने के लिए श्री दास से कहा था। सशस्त्र पुलिस गारद के सदस्यों ने कुल मिलाकर सत्रह चक्र गोली चलाई थी जो तीन प्रक्रमों में, प्रत्येक प्रक्रम में गोली चलाने के परिणाम को देखते हुए चलाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय जो स्थिति विद्यमान थी, उसमें कमसे कम गोलियाँ चलाई गई थी। उनके बयान से पता चलता है कि पहले चक्र में गोलियाँ पूर्वान्ह 9.35 बजे चलाई गई थी और सभी सत्रह चक्र गोलियाँ तीन या चार मिनट में समाप्त हो गई थी। जैसे ही दंगाइयों ने तितर बितर होना शुरू किया था वैसे ही गोली चलाना रोक दिया गया था। वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ होने और दहशत फैलने के कारण मुसलमानों -

ने सभी दिशाओं को भागने का प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप भारी भगदड़ मच गई जिसमें वृद्ध और अधम व्यक्ति तथा बच्चों की मृत्यु हो गई। उन्होंने यह भी बताया है कि दंगाइयों ने उन्हें पीटा था और उनकी सर्विस रिवाल्वर तथा सत्रह कारतूस छीन ले गये थे। दंगाइयों ने अश्रु गैस स्क्वायड के एक सदस्य के हाथों से एक अश्रु गैस की बन्दूक छीन ली थी। वह पुलिस बल की सहायता से घटना स्थल पर ग्यारह दंगाइयों को गिरफ्तार कर सके थे, वह उन्हें पुलिस थाना कठघर ले गये औरपूर्वान्ह 10,30 बजे वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई। यह प्रदर्श सी/डब्लू=।।।30। है। वह अपने साथ गोली चलाने का आदेश भी ले गयेथे जिसकी नकल जनरल डायरी में की गई थी। इस जनरल डायरी की प्रतिलिपि प्रदर्श सी/डब्लू-।।।32। है ।

मैंने मुसलमान समुदाय द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क को ध्यान में रखते हुए इस साक्षी से स्वयं जिरह की किन्तु कोई काम की बात नही निकल पाई। साक्षी ने सभी बातों को सूक्ष्म विवरण दिया है। उनमें से कुछ बातों की पुष्टि दस्तावेजों से हुई है ।

श्री ए0 के0 मिश्र सर्किल आफिसर, नगर ।प्रथम। ईदगाह पर ड्यूटी पर थे। वहाँ तक उस स्थान पर हुई घटना का संबंध है, उन्होंने श्री बी0बी0दास के बयान की पूर्णरूप से पुष्टिकी है। उन्होंने इस बात से इंकार किया है कि उन्होंने या किसी अन्य अधिकारीने मुसलमानों से यह कहा था "गलती हो गई अब तो निभा लो" उन्होंने न तो कोई सुअर देखा था और नही उन्हें कोई पशु उन व्यक्तियों ने दिखाया था जो गड़बड़ी फैला रहे थे। उन्होंने नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी श्री डी.पी.सिंह को उपद्रव आरम्भ होने के समय तक ईदगाह पर ड्यूटी पर देखा था। उन्होंने यह भी बताया है कि केवल कुछ व्यक्तियों ने ही उस क्षेत्र में सुअर के आ जाने की बात कही थी। उन्होंने देखा था कि डा0शमीम अहमद खाँ और डा0अज्जी "मारो-मारो" कह कर मुसलमानों को भड़का रहे थे। उन लोगों ने दंगाइयों को शांत करने का कोई प्रयास नही किया। श्री मिश्र का कहना है कि प्रारम्भ में लगभग पचास लोगों ने पथरावशुरू किया था किन्तु उनकी संख्या बढ़ती ही गई। ईंटे ईदगाह की पूर्वी दीवार और भट्ठियों से निकाली गई थी। उनके कथन में कोई असम्भाव्यता नही है।जब कुछ शरारती लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि सुअर घुस आया है तब अबोध

नमाजियों का इस पर विश्वास कर लेना और उत्तेजित हो जाना उचित था। प्रशासन का औचित्य इस तथ्य से स्पष्ट हो जायेगा कि वहाँ पर लगभग साठ सत्तर हजार मुसलमान थे किन्तु प्रारम्भ में उसने केवल पच्चीस या तीस व्यक्तियों पर ही उपद्रव करने का आरोप लगाया है और यह कहा है कि दंगाइयों की संख्या बढ़ती गई और लगभग तीस या चार हजार हो गई थी। उनका यह कहना भी उचित है कि उपद्रव सभी मुसलमानों द्वारा नही किया गया था वरन् यह कुछ बहकाये हुए लोगों के दिमाग की उपज थी। उस घटना में श्री मिश्र को भी चोटे आई थी, उन्होने ईदगाह के उत्तर में स्थित घरों की छतों से तथा उत्तरी फाटक के निकट से कुछ मुसलमानों को गोली चलाते हुए देखा था। यह गोलियाँ पुलिस बल और हिन्दुओं पर चलाई गई थी। जब मैने ईदगाह क्षेत्र का निरीक्षण किया तो मुझे हाइडिल सब स्टेशन की पश्चिमी दीवार पर कुछ निशान दिखाये गये थे किन्तु घटना के लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद यह कहना कठिन है कि यह निशान निश्चित रूप से गोलियों के ही हैं और ईट के टुकड़ों के नही है। लिखित बयानों, प्रति शपथ पत्रों और प्रत्युत्तर में दिये गये शपथ पत्रों में कोई ऐसी बात नही कही गई है जो इस कथन से असंगत हो। श्री मिश्र के अनुसार भी सशस्त्र गार द xxxxxxxx द्वारा व्यक्तिगत और सम्पति की सुरक्षा के लिए गोली चलाई गई थी।

इस प्रकार गोली चलाना न तो अपर्याप्त था और न अत्यधिक। पूर्वाह्न लगभग 10,30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि मुसलमान दंगाइयों ने गलशहीद पुलिस चौकी में जो ईदगाह से लगभग एक फर्लांग की दूरी पर स्थित है, आग लगा दी है। उन्हें तुरंत कुछ पुलिस बल के साथ उस स्थान को भेज दिया गया था। इस प्रकार उन्होने पूरी तरह से प्रशासन के कथन की पुष्टि की है।

श्री आर.एस. सिंह (सी/डब्लू-47) ईदगाह सहित नगर में व्यवस्था बनाये रखने के प्रभारी थे। उन्होने कहा है कि डा0 शमीम अहमद खाँ ने 13.8.1980 से पूर्व घटी घटनाओं से अपना स्वार्थ-साधन किया जिससे कि वह मुसलमानों के बीच लोक प्रियता प्राप्त कर सकें और आगामी निर्वाचनों में अपनी सफलता के अवसरों में सुधार कर सकें। चूँकि प्रशासन उनकी अनुचित मांगों को स्वीकार नहीं कर सका था इसलिए वह प्रशासन से असंतुष्ट थे। अपने प्रति प्रशासन की उदासीनता को उन्होनें मई 1980 के निर्वाचनों में अपनी हार का कारण बताया।

श्री सिंह ने यह भी कहा है कि 13-8-80 की सुबह तक नगर में कहीं पर भी कोई तनाव नहीं था और न कहीं से ऐसी सूचना ही प्राप्त हुई थी कि किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। बाल्मीकियों ने अपने सुअरों को सुअरबाड़ों में बंद रखने का आश्वासन दिया था। ईदगाह क्षेत्र की भलीभांति सफाई कर दी गई थी और तीन स्थानों पर पशु खदेड़ने वाला दस्ता काम कर रहा था। 11.8.1980 को जब श्री आर्यने ईदगाह क्षेत्र का निरीक्षण किया था तब श्री डी.पी. सिंह, प्रभारीअधिकारी नगरपालिका वहाँ पर थे। उन्हें 13.8.1980 को भी ईदगाह पर देखा गया था और बाद में उनका शव अस्पताल में पाया गया। इस बातसे डा0 शमीम अहमद खाँ के इस तर्क का पूर्णतय: खण्डन हो जाता है कि श्री डी0पी0सिंह बीमार थे और अपने इलाज के संबंध में मुरादाबाद से बाहर गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होने न तो वह स्थान बताया जहाँ श्री डी.पी. सिंह गए थे और न कोई ऐसा विश्वसनीय प्रमाण ही प्रस्तुत किया जिससे यह प्रकट हो कि मुरादाबाद के बाहर किसी चिकित्सक द्वारा उनका इलाज किया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी यदि वे बाहर गए होते तो उन्होने अवकाश के लिए आवेदन किया होता किन्तु उसे भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिकांश साक्षियों के अतिरिक्त श्री डी.पी. सिंह के निजी ड्राइवर ने उस दिन ईदगाह पर उनकी उपस्थिति का प्रमाण दिया है।

श्री आर. एस. सिंह के बयान से यह बात स्पष्ट होती है कि जब उपद्रव प्रारम्भ हुआ था तब वहाँ पर कहीं भी कोई सुअर नही था। उन लोगों ने जो उसके घुस आने की शिकायत कर रहे थे, उन्हें कोई सुअर नहीं दिखाया था और न कोई व्यक्ति अपने गंदे कपड़े दिखाने के लिए आया। उन्होने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य और खाकसार अशांति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी थे। उन लोगों ने सुअर या सुअरों के घुस आने और नमाजियों के कपड़े खराब कर दिए जाने की झूठी अफवाह फैलाई थी। उन्होने डा० शमीम अहमद खाँ और डा. अली को यह चिल्लाते हुए देखा था कि पुलिस वालों, अधिकारियों और हिन्दुओं को मार डालना चाहिए। उनको बार-बार दी गई चेतावनियाँ व्यर्थ हो गई थी। वह लोग केवल ईंटों के टुकड़े ही नही फेंक रहे थे बल्कि बेलचों, चाकुओं, तम्बुओं के बाँसों के प्रहार कर रहे थे, और उनमें से कुछ लोगों ने ईदगाह के उत्तर की ओर स्थित मकानों की छतों से और सड़क से गोलियाँ चलना प्रारम्भ कर दिया था। उन्हें ऐसा करने से रोकने के सभी प्रयास विफल हो गये थे। यहाँ तक कि लाठी चार्ज करना और अश्रुगैसके गोले दागने का भी कोई असर नही हुआ। बहुत से अधिकारियों पी.ए.सी. के जवानों, पुलिस के सिपाहियों और हिन्दुओं के चोटें आने लगी। भीड़ अत्यधिक उग्र हो गई थी। आस-पास के घरों के निवासी सहायता के लिए पुकार रहे थे। एक उचित शंका यह पैदा हो गई थी कि भीड़ बहुत से अधिकारियों, पुलिस के बल के सदस्यों और हिन्दुओं को जान से मार सकती है और उनके हथियार और गोली बारूद छीन सकती है। अतएव, अन्तिम उपाय के रूप में उसने जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधक्षक से परामर्श किया और निर्णय लिया कि उनके लिए गोली चलना ही एक मात्र उपाय रह गया है। उन्होने गोली चलाने का आदेश तैयार किया और उसे श्री बी.बी. दास को दे दिया। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक ईंट का टुकड़ा लगा और उन्हें तुरन्त अस्पताल भिजवाया गया उस स्थान से जाने के पूर्व उन्होने श्री दास को निर्देश दिया कि गोली चलने के आदेश को नियमानुसार कार्यान्वित किया जाय। जिलामजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को भी चोटें आई थी। श्री डी.पी. सिंह, प्रभारी अधिकारी नगरपालिका को दंगाईउठा ले गए थे श्री बी.बी. लाल का सर्विस रिवाल्वर और कारतूस छीन लिए गये थे। दंगाइयों ने एक अश्रु गैस की बन्दूक भी छीन ली थी। इसलिए श्री दास ने गोली चलाने के आदेश को विहित रीति से और सम्यक चेतावनी देने के पश्चात् कार्यान्वित किया। तीन प्रक्रमों में कुलमिलाकर सत्रह चक्र गोलियाँ चलाई गई थी। और जैसे ही दंगाइयों ने

पीछे हटना शुरू किया, उसी क्षण गोली चलाना बंद कर दिया गया था। नमाजियों ने हडबडी में भागना प्रारंभ कर दिया था। उनमें से बहुतों ने एक संकरी गली से होकर हरपाल नगर की ओर भागने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप भगदड़ मच गई जिसमें कुछ वृद्ध व्यक्तियों और बच्चों की जाने चली गई। गोली चलाने का आदेश पूर्वान्ह 9.35 बजे दिया गया था और उसे तुरन्त कार्यान्वित कर दिया गया था। इस प्रकार उन्होने भी वही विवरण दिया है जो साक्षियों ने दिया है।

श्री एस. पी. आर्य।सी/डब्लू-54।उस दिनॉक को मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट थे। उन्होने इस पद का कार्य भार 31-7-1980 को ग्रहण कियाथाऔर 16-8-80 को कार्य मुक्त हो गए थे। इस प्रकार उन्होने इस पद पर केवल 16 दिन कार्य किया था और दुघटना के दिनॉक तक 13 दिन तक रहे जो उनके लिए अशुभ दिन थे। उन्होने हिन्दुओं के किसी वर्ग या बाल्मीकियों से अपनी मिली भगत से स्पष्ट शब्दों में इंकार किया है। उन्होने अपने विरूद्ध लगाए गए विभिन्न आरोपों का भी खण्डन किया है। उन्होने ईद का उत्सव शांतिपूर्वक मनाने के लिए एक अपील जारी की थी और इस संबंध में प्रभावकारी उपाय किए थे। उन्होने स्वयं ईदगाहका निरीक्षण किया था और आवश्यक निर्देश जारी किए थे किसी भी बात से यह प्रमाणित नही होता है कि वह अशांति पैदा करने में कोई रूचि रखते थे और न ही उनकी प्रास्थिति का कोई अधिकारी ऐसा करने की बात सोच सकता था जब कि वहाँ पर इतनी बड़ी धार्मिक सभा होने वाली थी और इसकी प्रतिक्रिया स्वयं उनके लिए अनिष्टकर होती ।

श्री आर्य ने कहा है कि श्री बी. एन. सिंह के साथ पूर्वान्ह 8.45 बजे ईदगाह पहुँचे और वहाँ पर जो प्रबन्ध किए गये थे उनसे वह पूर्णतया संतुष्ट थे। वहाँ कही पर कोई तनाव नही था। प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, श्री डी. पी सिंह के साथ ड्यूटी पर तैनात अधिकारी गण नगरपालिका के शिविर में उपस्थित थे। उन्होने कई खाकसारों को खाकी वर्दी में बेलचे लिए देखा। यह खाकसार और कुछ मुसलमान वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों और बच्चों को ईदगाह मैदान की ओर भेज रहे थे। उन्होने उन स्थानों का भी उल्लेख किया है जहाँ पर विभिन्न शिविर लगे हुए थे। और सशस्त्र पुलिस गारद, अश्रु गैस दस्ता, डण्डाधारी दस्ता और कुछ आरक्षी बल नगरपालिका के शिविर के दक्षिण की ओर खाली भूमि पर तैनातथे। उन्होने एक हिन्दू सज्जन को अपने चबूतरे पर पियाऊ लगाए और नमाजियों को पानी पिलाते हुए देखाथा। यह दिर्नेश स्पष्ट ही लाला फूल कुमार ।बी/डब्लू-5।

के प्रति है, जिसे वह उस समय तक नहीं जानते थे। उन्होंने बताया कि पूर्वान्ह 9 बजे के पहले लगभग पचास साठ हजार नमाजी ईदगाह पर एकत्रित हो गये थे और वह ईदगाह के मैदान और ईदगाह के सामने की भूमि और सड़कों पर फैले हुए थे। नगर के अनेक संभ्रान्त नागरिक भी नमाजियों को बधाई देने आए थे।

श्री आर्य ने आगे कहा कि नमाज पूर्वान्ह 9 बजे प्रारम्भ हुई थी और पूर्वान्ह 9.15 बजे समाप्त हो गई थी। जब शहर इमाम ने खुतबा पढ़ना प्रारम्भ किया तब मुस्लिम लीग के शिविर के पास हो हल्ला हुआ। किसी ने आकर उनसे तथा श्री बी.एन. सिंह से यह बताया कि कुछ लोग कह रहे है कि "जंगली घुस आया और हमारी नमाज खराब कर दी। इनसे भुगत लो।" श्री दास, श्री ए.के. मिश्र और श्री आर.एस. सिंह तत्काल वहाँ गए और मुसलमानों को शांत किया। उस स्थल पर कुछ पुलिस बल छोड़ कर वह लोग नगरपालिका के शिविर की ओर चल दिए। मुश्किल से वह लोग कुछ कदम चले थे कि पुनः हो हल्ला शुरू हुआ और कुछ मुसलमानों ने ईंट के सभी प्रयास विफल रहे। तत्पश्चात श्री आर्य ने अन्य बातों के संबंध में श्री दास और दूसरे साक्षियों के बयानों की पुष्टि की है।

जहाँ तक गोली चलाने का सम्बन्ध है उन्होंने बताया है कि गोली तभी चलाई गई थी जब उन्होंने यह अनुभव किया कि वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और सम्पत्ति के लिए यथोचित खतरे की आशंका है और पूरे नगर की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है। फिर भी ऐसा करने के पहले कई बार चेतावनी दी गई, लाठी चार्ज किया गया और अश्रुगैस के गोले छोड़े गए; किन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि श्री वी. एन. सिंह ने अस्पताल के लिए रवाना होने के पहले श्री बी. बी. दास से नियमानुसार गोली चलाने के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए कहा था क्योंकि वह स्वयं इसकी आवश्यकता के प्रति संतुष्ट थे। अगर गोली न चलाई गई होती तो दंगाइयों की संख्या और अधिक बढ़ गई होती और उन्होंने ईदगाह पर उपस्थित या इसके आस-पास रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जान से मार दिया होता। गोली चलाना न तो असामयिक था और न उसमें कोई विलम्ब हुआ। उन्होंने आगे यह भी बताया कि गोली चलाने के परिणाम स्वरूप ईदगाह के मैदान पर मौजूद बहुत से नमाजी भागने लगे और इससे भगदड़ मच गई जिसमें कुछ जानें गईं। यह भगदड़ दो स्थानों पर हुई थी अर्थात् ईदगाह के उत्तरी दरवाजे के पास और उस सँकरी गली में, जो हरपाल नगर को जाती है। जिस ढंग से उन लोगों ने दंगाइयों को शान्त करने का प्रयास किया था, हिंसा को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय किये थे और गोली चलाने के पूर्व जो धैर्य दिखाया, उसे देखते हुए उन्हें यह आशा नहीं थी कि भगदड़ मच जाएगी। किन्तु स्थिति ऐसी थी कि गोली चलाना टाला नहीं जा सकता था।

श्री आर्य ने यह भी कहा है कि ईदगाह के पास कहीं पर भी ईंटों से लदी हुई कोई मोटर ट्रक खड़ी नहीं थी और न किसी हिन्दू ने ईंट के टुकड़े फेंके थे। ईंट के टुकड़े मुसलमानों द्वारा ईदगाह की पूर्वी दीवार और भट्टियों से निकाले गए थे और अधिकारियों, पुलिस बल और हिन्दुओं पर फेंके गये थे। चूँकि उनके साक्ष्य में कोई ढुलमुलपन या असम्भाव्यता नहीं पायी गई इसलिए उसे संदिग्ध ठहराने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री वी. एन. सिंह उस संकटपूर्ण समय पर मुरादाबाद के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक थे। उन्होंने ईदुल्फितर के पूर्व डा० शमीम अहमद खाँ के रवैये का वर्णन किया है। उनके अनुसार डा० शमीम अहमद खाँ मुसलमानों के प्रत्येक उद्देश्य के हिमायती थे, चाहे वह सही हो या गलत और चूँकि प्रशासन और पुलिस अनुचित मामलों में उनका साथ देने को तैयार नहीं थी इसलिए वह चिढ़ गए और उन्हें बदनाम करना प्रारंभ कर दिया। वह कुछ उपद्रव खड़ा करके प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना चाहते थे जिससे वह मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त कर सके

और अगले चुनावों में अपनी सफलता के अवसर बढ़ा सकें।

श्री बी.एन. सिंह ने सभी सारवान बातों में उपर्युक्त साक्षियों के बयानों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि वहाँ पर कोई सुअर नहीं था और उपद्रव की शुरूआत मुस्लिम लीग के शिविर के पास कुछ मुसलमानों द्वारा की गई थी। ईंट के टुकड़े भी उन्हीं लोगों ने फेंके थे न कि हिन्दुओं ने। ईंट के टुकड़े ईदगाह की पूर्वी दीवार और चाय की दुकानों बगल में स्थित भट्टियों से निकाले गए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया कि उन्होंने गोली न चलाने के निर्देश दिये थे। इसके विपरीत, उनका कथन है कि चिकित्सालय जाने के पूर्व उन्होंने श्री दास के गोली चलाने के आदेश को कार्यान्वित करने को कहा था क्योंकि स्थिति अत्यधिक संकटपूर्ण हो गई थी। स्वंय उन्हें इस बात का समाधान हो गया था कि जन - जीवन और सम्पत्ति की गम्भीर क्षति को बचाने के लिए गोली चलाना जरूरी है। उनके बयान में कोई ढुलमुलपन नहीं पाया गया और इस बात को कोई औचित्य नहीं है कि उन पर पूर्ण विश्वास क्यों न किया जाय ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायेगा कि प्रशासन द्वारा परीक्षित सभी साक्षियों के बयान से यह बात मालुम होती है कि ईदगाह पर उपद्रव प्रशासन द्वारा अभिकथित ढंग से हुआ था।

अब नागरिक परिषद द्वारा परीक्षित कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्षियों के बयानों पर विचार किया जाय ।

श्री एच. के टण्डन ।बी/डब्लू-।। मुरादाबाद के कई समाज-सेवी संगठनों से संबद्ध हैं। घटना के समय वह जनता सेवक समाज के उपाध्यक्ष थे । जनता सेवक समाज और दूसरे संगठनों के शिविर ईदगाह पर लगे हुए थे। सबसे उत्तर की ओर मुस्लिम लीग का शिविर था और सबसे दक्षिण की ओर बाला शिविरि नगरपालिका का था। अधिकारीगण इसी शिविर में इकट्ठा थे। मुस्लिम लीग का शिविर उनके शिविर से लगभग 30 कदम की दूरी पर था। उन्होंने इस अवसर पर तीस या चालीस खाकसारों को खाकी वर्दी में बेलचे लिए देखा था उन्हें पहली बार इस अवसर पर इन्तजाम करते देखा गया था। नमाज शांति पूर्वक पूरी हो गई थी किन्तु जब शहर इमाम ने खुतबा पढ़ना प्रारंभ किया तब मुस्लिम

लीग के शिविर के समीप ही हल्ला हुआ था और यह बताया गया कि एक जानवर आ गया है और नमाज को अपवित्र कर दिया है। उन्होने ईदगाह के आस - पास कोई सुअर या दूसरा जानवर नहीं देखा था। कुछ पुलिस वालों ने उत्तेजित मुसलमानों को शांत करने का प्रयास किया जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुसलमान पथराव करने लगे और इस तथ्य के बावजूद कि कुछ अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़ कर शान्ति बनाए रखने का अनुरोध किया, उनका क्रोध बढ़ता ही गया। शोकसारों ने बेलचों से प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया था और कुछ अन्य मुसलमानों ने चाकुओं, डंडों और दूसरे हथियारों का प्रयोग किया। उन्होने इन दंगाइयों को यह चिल्लाते हुए सुना कि एक भी अधिकारी, पुलिस बल का सदस्य और हिन्दू जिन्दा न रहने पाये। उन्होने प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका श्री डी.पी. सिंह को चोटे लगते हुए और गिरते हुए देखा था। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट सर्किल आफिसर नगर ।प्रथम । इंसपेक्टर कठघर और पुलिस बल के बहुत से अन्य अधिकारियों तथा सदस्यों के साथ -साथ अनेक हिन्दू भी घायल हो गये थे। बार - बार चेतावनी देने , लाठी चार्ज करने और अश्रुगैस के गोले दागने के बाद जिला मजिस्ट्रेट,, गोली चलाने का आदेश देने के लिए बाध्य हो गये थे। स्थिति ऐसी थी कि यदि गोली न चलाई जाती तो बहुत से व्यक्तियों को अपने जीवन और सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ता ।

श्री एच.आर.भगत और श्री हरि किशन टंडन इस घटना के अन्य साक्षी हैं जिन्होन उपर्युक्त कथन की पुष्टि की है ।

श्री फूल कुमार ।बी/डब्लू-5। नगर के एक बड़े व्यापारी हैं। उनका अपना एक बड़ा भवन है जो ईदगाह के सामने है। भूतल पर उनका व्यापार होता है और वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहली मंजिल पर रहते हैं। उन्होने अपने चबूतरे पर प्याऊ बैठाया था और मुसलमानों के प्रति सदभावना रखने के कारण वह स्वयं नमाजियों को पानी पिला रहे थे। यह चबूतरा मुस्लिम लीग के शिविर से कुछ ही कदम दूर था। जब गड़बड़ी शुरू हुई तो उन्होने उक्त शिविर की ओर देखा और न तो उन्हें कोई सुअर या अन्य जानवर दिखाई

दिया और न किसी ने अपने कपड़े खराब हो जाने की शिकायत उनसे की। उनकी किसी मुसलमान से कोई शत्रुता नहीं है और न वह किसी ऐसे संगठन से सम्बद्ध हैं जो मुसलमानों के प्रति बैरभाव रखता हो। उनकी निष्पक्षता इस तथ्य से स्पष्ट हो जायेगी कि जैसे ही उपद्रव प्रारम्भ हुआ उन्होंने अपने भवन के भूतल में बहुत से मुसलमानों और हिन्दुओं को आश्रय दिया। यद्यपि उनके सेवक अत्यन्त उत्तेजित हो गये थे फिर भी उन्होंने मुसलमानों का कोई अहित नहीं होने दिया। यदि हिन्दुओं के किसी वर्ग की ओर से कोई साजिश होती तो यह साक्षी मुसलमानों को आश्रय नहीं देता और न उन्हें सुरक्षित रहने देता जब कि मुसलमान दंगाई उनके हजारों रूपयों के मूल्य के बरतन आदि उठा ले गए थे। वस्तुतः उन्होंने मुसलमानों की रक्षा की थी और उनका बयान पर्याप्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने नागरिक परिषद और प्रशासन के कथन का पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने मुस्लिम लीग के शिविर के समीप कोई सुअर नहीं देखा था। उन्होंने तुरन्त ही अपने घर की छत पर जा कर देखा किन्तु वहाँ से भी कोई सुअर दिखाई नहीं दिया जबकि वहाँ से दूर तक के स्थान दिखाई पड़ते हैं। उनके बयान से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पथराव मुसलमान ने किया था, न कि सी हिन्दू ने। उनके बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि डाक्टर शमीम अहमद खाँ और डाक्टर अज्जी ने मुसलमानों को अधिकारियों, पुलिस बल के सदस्यों और हिन्दुओं को मार डालने के लिए भी उकसाया था। मुसलमानों के मात्र एकवर्ग ने सम्पूर्ण उपद्रव किया था और प्रशासन ने अत्यधिक धैर्य प्रदर्शित करने और उन्हें शान्त करने के सभी संभव उपायों के कारगर न होने के पश्चात ही गोली चलाई थी। उन्होंने मुसलमानों द्वारा प्रस्तुत की गई सभी बातों को मिथ्या सिद्ध कर दिया है।

सरदार महेन्द्र सिंह ।बी/डब्लू-6। आदर्श नगर का निवासी है और एक फैक्टरी का स्वामी है। वह प्रत्येक वर्ष ईदगाह में मुसलमानों को नमाज अदा करते देखता है। 13.8.1980 को भी उसने उन्हें देखा था। लगभग 30 या 40 खाकसार बेल्चा लिए हुए सड़क पर इधर-उधर घूम रहे थे। श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी भी वहाँ पर थे। नमाजियों के बीच कोई हिन्दू नहीं आ जा रहा था। उसने इस बात से इंकार किया है कि आदर्श नगर के किसी निवासी ने ईंट के टुकड़े फेंके थे। इसके विपरीत, वह लोग इतने अधिक भयभीत थे कि सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। उसकी उपस्थिति पर किसीभी कारण से शंका नहीं की जा सकती है और उसका विवरण महत्व रखता है।

श्री ओंकार शरण कोठीवाल ।बी/डब्लू-7। विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य हैं और वह अनेक संस्थाओं और समाज-सेवी संगठनों से सम्बद्ध हैं। 13-8-1980 को वह सदाकी भाँति ईदगाह पर नमाजियों को बधाई देने गए थे। वह श्री एच.आर.भगत के साथ उनकी कार से गए थे। उन्होंने दिल्ली रामपुर रोड पर कार खड़ी कर दी थी और ईदगाह तक पैदल गए थे। उन्होंने श्री डी.पी. सिंह, प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, और बहुत से अधिकारियों और नगर के सम्मानित हिन्दुओं को अपने-अपने शिविरों में देखा था। श्री धर्मात्मा शरण और श्री हरिकृष्ण टण्डन जनता सेवक समाज के शिविर में थे। वह जनता पार्टी के शिविर में गए क्योंकि उस समय वह जिला जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग का शिविर उनके शिविर के उत्तर की ओर लगभग तीस गज की दूरी पर था। उन्होंने श्री फूलकुमार ।बी/डब्लू-5। को स्वयं अपने चबूतरे पर नमाजियों को पानी पिलाते देखा था। उन्होंने, इस ईद के अवसर पर दो विशेष बातें देखी थीं। पहली बात तो यह है कि नमाजियों की संख्या पिछले वर्षों से कहीं अधिक थी, दूसरी यह कि जब नमाज शुरू हुई तब तीस या चालीस व्यक्ति खाकी वर्दी पहने थे और बेल्चे लिए हुए, आस पास घूम रहे थे। वहलोग मुस्लिम लीग के शिविर के पास इकट्ठा हो गए थे किन्तु उन्होंने इसमें ।नमाज में। भाग नहीं लिया था। जब नमाज पूरी हो गई और खुतबा प्रारंभ हुआ तब हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ठीक उसी समय यह मालुम हुआ कि मुस्लिम लीग के शिविर की ओर हो हल्ला हो रहा है। तुरन्त ही लगभग बीस या पच्चीस लड़कों ने उस ओर से ढेले बाजी शुरू कर

दी। श्री बी.बी.लाल, इंस्पेक्टर और कुछ अन्य लोगों को चोटें आई थी। जब उपद्रवी शिविर की ओर बढ़े तो कुछ नमाजियों ने उन्हें मना किया कि वह ढेले न फेंके किन्तु व्यर्थ रहा। इससे प्रकट होता है कि सामान्यता: मुसलमान अशान्ति पैदा करने में रूचि नहीं रखते थे और उन्होंने शरारत पैदा करने वालों को ऐसा करने से रोका था। श्री कोठीवाल के ऐसे स्पष्ट कथन को पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए। जब उपद्रवियों का दबाव बढ़ गया और वह उनके (श्री कोठीवाल के) शिविर के निकट आये तब वह किसी प्रकार आदर्शनगर की ओर जा सके। उन्होंने उपद्रवियों को लालाफूल कुमार के घर के पीछे खड़ी सरकारी गाड़ियों और हिन्दुओं के घरों पर भी ईंट के टुकड़े फेंकते देखा। पाँच या दस मिनट के पश्चात् श्री भगत भी उनके पास पहुँच गए और वह कार से अपने घरों को चल दिए। यह साक्षी सिविल लाइन्स थाने के समीप उतर गया था क्योंकि उसकी कोठी इसी के पीछे स्थित है।

इस साक्षी के जिसने आम तौर से मुसलमानों को ईदगाह पर अशान्ति पैदा करने के उत्तर दायित्व से मुक्त कर दिया है, पूर्णतया निष्पक्ष और स्पष्ट कथन से इस बात में सन्देह की तनिक भी गुंजाइश नहीं रह जाती है कि मुसलमानों के केवल एक वर्ग द्वारा किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से अशान्ति उत्पन्न की गई थी। इस तथ्य से भी कि उस अवसर पर पहली बार कुछ खाकसार बेल्चे लेकर आये थे और उन्होंने नमाज में भाग नहीं लिया था, यह मालुम होता है कि इसके पीछे कुछ कुटिल उद्देश्य था।

श्री मदन लाल (बी/डब्लू-8) सम्भल-गल शहीद मार्ग पर लाला फूल कुमार के घर से थोड़ी ही दूरी पर रहता है। उसका घर ईदगाह के सामने स्थित है। उसने इस विषय में दूसरे साक्षियों की पुष्टि की है। कि इस बात की समुचित घोषणा कर दी गई थी कि इदुल्फितर के दिन बाल्मीकी लोग अपने सुअरों को सुअर बाड़ों में बंद रखेंगे।

उसने भी इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण बात देखी थी। व्यवहारत कोई भी व्यक्ति घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ता है किन्तु उस वर्ष बहुत से नमाजी मुसलमानों के घरों की छतों पर और ईदगाह के उत्तरी फाटक के निकट स्थित मस्जिद पर इकट्ठा हो गए थे। उसने यह देखा कि वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों और बच्चों को भी ईदगाह के मैदान की ओर भेजा

जा रहा था। लाला फूल कुमार और अन्य साक्षियों ने उसकी इस बात की पुष्टि की है। डा० शमीम अहमद खान, श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी और तीस या चालीस खाकसार जो बेलचे लिए हुए थे, प्रबन्ध कर रहे थे।

जहाँ तक घटना का संबंध है, उसने वही विवरण दिया है जैसा कि उपर्युक्त साक्षियों ने कहा है। उसके अनुसार अशान्ति मुस्लिम लीग के शिविर के पास खड़े कुछ मुसलमानों द्वारा उत्पन्न की गई थी और उन्हीं लोगों ने तथा कुछ नमाजियों ने ईंट के टुकड़े फेंके थे। उन पर किसी भी चेतावनी या समझाने बुझाने का कोई असर नहीं पड़ा था और उनकी संख्या और हिंसा के कार्य ऐसी स्थिति के आने तक बढ़ते ही गये जिसमें पुलिस और प्रशासन के पास गोली चलाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहा गया था। कुछ मुसलमानों ने उसके घर की ओर भी गोली चलाई। दंगाइयों ने मुस्लिम लीग के शिविर को छोड़कर अन्य सभी शिविरों को गिरा दिया था। इस प्रकार वह प्रशासन और नागरिक परिषद के कथन का पूर्णसमर्थन करता है।

उसने एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह बताया कि उस दिन अपरान्ह लगभग 12.00बजे उसने डाक्टर शमीम अहमद खाँ, श्री हफीज मोहम्मद सिद्दीकी और कई अन्य दूसरे मुसलमान नेताओं को मुस्लिम लीग के शिविर में विचार विमर्श करते देखा था। लाला फूल कुमार (बी/डब्लू-5) ने भी यही बयान दिया है और यह भी बताया है कि घटना के पश्चात् जब वह अपने घर से बाहर निकले तब वह श्री हफीज मोहम्मद सिद्दीकी से मिलेऔर उनसे पूछा कि यह अशांति कैसे उत्पन्न हुई थी किन्तु वह चुप रहे।

श्री मदन लाल का बयान यह भी साबित करता है कि दंगाइयों नेईंटें ईदगाह की दीवार और भट्टियों से निकाली थी, अब इन दोनों को पुनः निर्मित कर दिया गया है। दोनोंही, लाला फूल कुमार और इस साक्षी ने लगभग पच्चीस या तीस शव ईदगाह पर देखे थे और पुलिस उन्हें केवल एक ही मोटर ट्रक में उठा ले गई थी।

डा० लक्ष्मी राज सिंह (बी/डब्लू-10) का बयान है कि 13.8.80 को पूर्वान्ह लगभग 9.15 बजे वह अपने मित्र, सुरेश पाल सिंह और प्रीतमपाल सिंह के साथ टहलने निकले थे। पूर्वान्ह लगभग 9.30 बजे जब वह ईदगाह के पास पहुँचे तब बहुत से मुसलमानों ने उन्हें पकड़ लिया था। उन मुसलमानों के हाथों प्रीतम सिंह को आग्नेयास्त्र से चोटें लगी थी और सुरेश सिंह को

चाकू का घाव लगा था। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि मुसलमानों ने आग्नेयास्त्रों का भी प्रयोग किया था। उसने यह देखा था कि कई मुसलमानों के पास पिस्तौल चाकू, ईंटों, बांस, के टुकड़े और बेलचे हैं। उसके बयान में कोई अस्थिरता नहीं है और उस पर अविश्वास करने का कोई औचित्य नहीं है।

शिव चरन सिंह ।बी/डब्लू-11। ईदगाह पर पान आदि बेचने गया था। पूर्वान्ह लगभग 10 बजे मुसलमानों की भारी भीड़ ने उसका ठेला लूट लिया था, उसे मारा पीटा और वह चिल्लाते रहे कि काफिरों की दुकानों को जरूर लूट जाना चाहिए।

डा0 के. एस. अग्रवाल ।बी/डब्लू-13। नगर के प्रमुख चिकित्सक हैं और उनको बड़ा सम्मान प्राप्त है। वह लगभग 68 वर्ष की आयु के हैं और कई संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं और अन्य निकायों से सम्बद्ध है। स्वतंत्रता के पूर्व वह उत्तर प्रदेश सरकार की परामर्शदात्री परिषद के इक्कीस सदस्यों में से एक थे। वह जिला अपराध निरोधकसमिति के आजीवन सदस्य हैं और 1971 में गठित जिला अमन कमेटी के संरक्षक हैं। अमन कमेटी का शिविर भी ईदगाहके सामने लगाया गया था और वह नमाजियों को बधाई देने के लिए गए थे जैसा कि वह पिछले वर्षों से करते आए थे। उन्होंने कई खाकसारों को बेलचे लिए देखा। उन्होंने नागरिक परिषद के कथन का पूर्ण समर्थन किया है और कहा है कि उन्होंने ईदगाह पर कहीं भी कोई सुअर नहीं देखा था। उनके अनुसार उपद्रव मुस्लिम लीग के शिविर के पास कुछ मुसलमानों ने शुरू किया था। अधिकारियों द्वारा दी गई सभी चेतावनियाँ और अपीलें व्यर्थ ही रहीं। वह तेजी से नगरपालिका के शिविर की ओर बढ़े जहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे, और उन्होंने सहायता के लिए पुकारा। उन्होंने श्री वी. एन. सिंह से गोली चलाने के लिए भी कहा किन्तु श्री सिंह ने उनसे भाग जाने के लिए कहा क्योंकि वहाँ पर खतरा था। ठीक उसी समय उन्हें ईंट के कई टुकड़े आकर लगे जिसके फलस्वरूप वह गिर गए और अचेत हो गए। जब उन्हें पुनः होश आया, तो वह बैठ गए और चिल्लाने लगे कि "मैं डाक्टर जगदीश हूँ, मुझे क्यों मारा जा रहा है।" उन्होंने यह काम दंगाइयों को अपना परिचय देने के लिए किया था क्योंकि उनके अधिकांश मरीज मुसलमान हैं और वह उनसे अपने बचाव की आशा करते थे। दो व्यक्ति सड़क से आए और उन्होंने उन्हें

पहचान लिया। उन व्यक्तियों ने उन्हें उठाया और उनको ईदगाह के भीतर ले जाना चाहा किन्तु उन्होंने उनसे सीधे रामपुर रोड तक ले चलने के लिए कहा जिससे वह घर जा सकें। उन लोगों ने उनसे बताया कि सड़क पर ढेले बाजी हो रही है। ईदगाह के भीतर नहीं। इसलिए उस ओर से जाना सुरक्षित रहेगा। तदनुसार वह लोग उन्हें ईदगाह से होकर रामपुर रोड तक ले गए। श्री दीनानाथ मिस्त्री और श्री नुरूल हसन जो उन्हें जानते थे, उनको एक पुलिस की गाड़ी में शाह नर्सिंग होम ले गए।

डा० अग्रवाल की राय में उपद्रव का एककारण यह था कि साम्प्रदायिक विचार धारा वाले मुसलमान विधान सभा निर्वाचन में एक दूसरे दल के मुसलमान की सफलता से प्रसन्न नहीं थे। वह कुछ ऐसे बहकाये गये मुसलमानों के दिमाग की उपज थी जिनका मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति के महत्व को कम करना था जो मई 1980 के विधान सभा निर्वाचन में निर्वाचित हुआ था। उन्होने यह भी कहा है कि 1981 के दंगों के बाद नगर में साम्प्रदायिक सद्भाव में सुधार होने लगा था किन्त 1979 के इज्तिमा (सम्मेलन) के पश्चात् रूढ़िवादी के प्रचार ने जोर पकड़ा और बहुसंख्यक सम्प्रदाय पर इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया से साम्प्रदायिक सद्भाव में बाधा पड़ गई।

उनके बयान से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ईदगाह क्षेत्र में कोई सुअर नही था और न किसी मुसलमान ने उस समय तक यह बताया था कि उसने किसी सुअर को या किसी नमाजी के गंदे कपड़ों को देखा उन्होने उत्तर की ओर से ढेले बाजी होती देखी थी न कि आदर्शनगर की ओर से।

अन्त में उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय श्री दयानन्द गुप्त, एडवोकेट, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे और इस घटना के समय वह नगर कांग्रेस (आई) कमेटी के अध्यक्ष थे और ईदगाह पर उपस्थित थे। प्रशासन की ओर से विद्वान कौंसिल ने और मैंने उनसे जिरह की थी किन्तु वह अपने कथन पर दृढ़ रहे। उनकी निष्पक्षता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि वह अपने मुसलमान उद्धार कर्ताओं के प्रति श्रद्धा रखते थे। और उन्होने झगड़े के दो मुख्य कारण बताये अर्थात् निर्वाचन में दो मुसलमान प्रत्याशियों के बीच दुश्मनी और रूढ़िवादिता की भावना थी जो

1979 के इज़्तिमा के पश्चात् बढ़ने लगी थी। उनके साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर कोई सुअर नहीं था और सारी अशांति मुसलिम लीग के शिविर की ओर से कुछ मुसलमानों द्वारा पैदा की गई थी।

श्री राकेश कुमार अग्रवाल (बी/डब्लू-15) मुरादाबाद नगर के छाया फोटोग्राफर्स का, जो कि आयकर का भुगतान करता है का भागीदार है 13.8.1980 को जिला अमन कमेटी के संस्थापक श्री नन्दकिशोर, ने उसे ईदगाह पर हो रहे उत्सव के फोटो लेने के लिए भेजा था। वह पूर्वान्ह 8. 45 बजे वहाँ पहुँच गया था और उसने नगर के बहुत से सम्मानित हिन्दुओं को विभिन्न शिविरों में देखा था। उसने कहा है कि जब वह अपनी मोटर साइकिल से ईदगाह जा रहा था, तब खाकसार की वर्दी पहने कुछ लड़कों ने उसे रोका और उससे पूछा कि वह ईदगाह क्यों जा रहा है। उसके यह बताने पर कि उसे उनके उत्सव के फोटो लेने के लिए बुलाया गया है, उसे जाने दिया गया। ईदगाह पर भी उसने बहुत से खाकसारों को बेलचे लिए सड़क पर घूमते हुए देखा था। प्रभारी अधिकारी नगर पालिका श्री डी0पी0सिंह भी वहाँ पर थे। उसने शिविरों से संबंधित स्थिति बताई है और यह बताया कि नमाज शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गई थी। मुस्लिम लीग के शिविर के पास कोई सुअर नहीं था और न ईंट के टुकड़े से लदा हुआ कोई मोटर ट्रक कहीं पर खड़ा था। उसके अनुसार अशांति मुस्लिम लीग के शिविर के पास मुसलमानों ने उत्पन्न की थी। अधिकारियों, पुलिस बल के सदस्यों, हिन्दुओं और उस क्षेत्र में स्थित मकानों पर भारी ढेले बाजी की गई थी। बहुत से व्यक्तियों को जिनमें ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट भी थे, चोटें आई थी। खाकसारों ने बेलचों से प्रहार किया था और अन्य व्यक्तियों ने चाकुओं, ईंट के टुकड़ों, बाँसों और अन्य हथियारों का प्रयोग किया था। एक दंगाई ने उस पर देशी पिस्तौल से गोली चलाई थी किन्तु वह बाल-बाल बच गया। आठ या दस मुसलमान लड़कों ने उसे घेर लिया था और उसे एक बाँस के डंडे से मारा, श्री सुरेन्द्र कुमार सर्राफ और श्री हर किशन टण्डन भी घायल हो गए थे। उसका कैमरा, फ्लैशगन, कलाई घड़ी और लगभग 5000/= रू0 की नकदी छीन ली गई। उसने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अपनी चोटों की जांच करवाई थी। उसने सभी बातों में नागरिक परिषद के कथन की पुष्टि की है। उसने घटना के लिए वही दो कारण बताए हैं।

जो डाक्टर जे.बी. अग्रवाल ने बताये हैं।

श्री प्रीतम सिंह (बी/डब्लू-16), डाक्टर लक्ष्मी राज सिंह (बी/डब्लू-10) के साथ टहलने निकला था और उसने उनके कथन की पुष्टिकी है। उसे ईदगाह पर आग्नेयास्त्र की चोटे आई थी। उसकी चोट संबंधी रिपोर्ट प्रदर्श बी/डब्लू-16 (16) है और उसकी उपस्थिति तथा उसके बयान पर किसी प्रकार संदेह नहीं किया जा सकता है।

श्री सत्यवीर सिंह (बी/डब्लू-17) एक सामाजिक कार्यकर्ता है और वह उस समय ईदगाह पर नमाजियों को बधाई देने के लिए गया था। उसने भी प्रत्येक बिन्दु पर उपर्युक्त साक्षियों के बयानों की पुष्टि की है। उसका बयान इस बात को स्पष्ट कर देता है कि प्रशासन ने नियमों के अनुसार गोली तभी चलाई थी जब कि जन जीवन औ सम्पत्ति के लिए अत्यधिक खतरा पैदा हो गया था।

श्री अशोक कुमार (बी/डब्लू-18) जैन क्लाथ हाउस का स्वामी है। उसका मकान लाला फूल कुमार के भवन के दक्षिण की ओर स्थित है। 13-8-1980 को वहअपने घर पर था और उसने सम्पूर्ण घटना देखी थी। उपद्रवी उसके कार्यालय में घुस आये थे और उन्होने उसका फर्नीचर और फाइलें नष्ट कर दी थी। उसे लगभग 5000/= रू0 की हानि उठानी पड़ी थी। उसके बयान से यह प्रकट होता है कि अगर पुलिस ने गोली न चलाई होती तो सम्पूर्ण आदेर्श नगर कालोनी का सत्यानाश हो गया होता। उसके अनुसार पुलिस ने मुश्किल से पाँच या छः मिनट गोली चलाई थी और थोड़ा रूक-रूक कर यह गोली चलाई गई थी। उसने इसके बारे में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो प्रदर्श बी/डब्लू-18(18) है। उसका बयान पर्याप्त महत्वपूर्ण है ।

श्री रोशन लाल(बी/डब्लू-19) टैंट हाउस मुरादाबाद का स्वामी है। 13-8-1980 को अमन कमेटी ने उससे एक टैंट किराये पर लिया था और उसे ईदगाह के सामने सड़क के किनारे लगाया गया था। उस दिन वह पूर्वान्ह लगभग 7 बजे ईदगाह पहुँच गया था और उसने वहाँ पर फर्नीचर आदि लगवा दिया था। उसने किसीभी क्षेत्र में उपद्रव शुरू हो जाने पर भी , कोई सुअर नहीं देखा था। वहाँ पर खाकी वर्दी में और बेलचे लिए हुए तीस या चालीस लड़के थे, उनके जिला कमाण्डर डाक्टर अज्जी उन्हें निर्देश दे रहे थे। प्रशासन और नागरिक परिषद

के कथन का समर्थन करने के बाद उसने बताया कि उसने जो टैंट और फर्नीचर किराये पर दिये थे वह सभी नष्ट हो गए थे और उसे लगभग नौ हजार रूपयों की हानि उठानी पड़ी थी। प्रशासन ने उसे क्षति पूर्ति के रूप में केवल एक हजार रूपये दिये थे। उसने इस की रिपोर्ट प्रदर्श बी/डब्लू-19(19) दर्ज कराई थी। उसका बयान किसी प्रकार से ढुलमुल नहीं है।

डा० विश्वनाथ (बी/डब्लू-2) ईदगाह पर नमाजियों को बधाई देने के लिए गए थे। वहाँ पर बहुत से प्रमुख हिन्दू भी थे। उन्होंने बताया है कि डा० शमीम अहमद खाँ और खाकसार मुस्लिम लीग के शिविर के पास वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों और बच्चों को नहीं बैठने दे रहे थे। उन्होंने प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, श्री डी. पी. सिंह से स्वयं बात की थी। वह उपद्रव प्रारंभ होने के पहले ही ईदगाह से चले आए थे क्योंकि उनकी डिस्पेंसरी में उनके रोगी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह मोहल्ला फैजगंज में रहते हैं और उस स्थान पर हुई घटना के साक्षी हैं।

डा० जगमोहन मेहरोत्रा (बी/डब्लू-21) और श्री सुरेन्द्र कुमार सर्राफ (बी/डब्लू-28) के बयानों पर ईदगाहपर किसी सुअर के होने के संबंध में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त उन दोनों ने ही ईदगाह की दुघटना का विस्तृत विवरण दिया है और उन्हें चोटे आई थी। उन्होंने दुघटना के जिन कारणों के बारे में कहा है कि उन पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। वह सम्मानित साक्षी हैं और उनके बयानों को किसी प्रकार अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

श्री राम औतार शर्मा (बी/डब्लू-22) एक प्रेस चलाते हैं और साप्ताहिक "धूल उड़ गई" के नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। उन्होंने घटना का पूरा विवरण दिया है। 13-8-1980 को वह प्रेस क्लब के शिविरमें थे और उन्होंने नगर के बहुत से गणमान्य हिन्दू नागरिकों को वहाँ देखा था जो नमाजियों को बधाई देने आए थे। उन्होंने डा० शमीम अहमद खाँ, मुस्लिम लीग के सदस्यों और खाकसारों को प्रबन्ध करते हुए और वृद्ध व्यक्तियों और बच्चों को ईदगाह के मैदान की ओर भेजते हुए देखा था। उन्होंने, ईदगाह के मैदान में कोई सुअर नहीं देखा जब उपद्रव प्रारंभ हुआ तो उन्होंने लाला फूल कुमार के मकान में शरण ली। उन्होंने मुसलमानों के इस बात को झूठा बताया कि नमाज के पहले नगर में यह अफवाह थी कि बाल्मीकी लोग नमाजियों को उकसाने के लिए उनके बीच एक सुअर ढकेल देंगे।

उनका यह भी कहना है कि डा० शमीम अहमद खाँ ने मुसलमान गुण्डों का सहयोग प्रशासन को अहित करने के उद्देश्य से लिया था क्योंकि जब कभी भी प्रशासन उनके कार्य में हस्तक्षेप करता है वह उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जब कभी मुरादाबाद में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कोई संघर्ष होता है तब डा० शमीम अहमद खाँ तुरन्त मुसलमानों का समर्थन करने के लिए आगे आ जाते हैं। उनका सम्पूर्ण कथन नागरिक परिषद की बात का समर्थन करता है।

श्री राम कुमार (बी/डब्लू-24) ने अमन कमेटी के कैम्प में लाउडस्पीकर लगा रखा था और 13-8-1980 को ईदगाह में वह स्वयं उपस्थित था। उसने सम्पूर्ण घटना देखी थी और इस विषय पर अन्य साक्षियों की पुष्टि की थी। घटना के पश्चात उसके लाउडस्पीकर इत्यादि उठा ले जाये गये थे और उसे लगभग 12-13 हजार रूपये की हानि उठानी पड़ी किन्तु सरकार ने उसे केवल 1,500 रू0 दिये। उसने जो रिपोर्ट दर्ज कराई वह प्रदर्श बी/डब्लू-24 (23) है।

श्री राजबहादुर सक्सेना (बी/डब्लू-33) विजय साउण्ड सर्विस कटघर का स्वामी है और उसने 13-8-1980 को प्रेस क्लब के कैंप में लाउड स्पीकर लगा रखा था। उस दिन वह भी ईदगाह में मौजूद था और पूर्णतया अन्य साक्षियों की पुष्टि की है। उसने यह देखा था कि कुछ बलवा करने वाले गोलियां चला रहे थे और कुछ हिन्दुओं को आग्नेयास्त्रों से चोटें आई थी। बलवा करने वाले उसका लाउडस्पीकर उठा ले गये थे और उसे 2,500 रू0 का नुकसान उठाना पड़ा था। उसने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जो प्रदर्श बी/डब्लू-33(28) है।

साक्षियों के बयानों का भली भांति विश्लेषण करने से यह बात प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होती है कि सामान्यतया मुसलमानों ने ईदगाह पर कोई गड़बड़ी पैदा नहीं की थी और न उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही थी। यह बहुत थोड़े से मुसलमानों की करतूत थी जिसका नेतृत्व डाक्टर शमीम अहमद खान कर रहे थे क्योंकि डाक्टर शमीम अहमद खान अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते थे। दुर्भाग्य से जब शहर में गड़बड़ी फैली थी तो उसने साम्प्रदायिक दंगे का रूप धारण कर लिया था।

मुसलमान वर्ग द्वारा अपने लिखित बयानों में उठाई गई कतिपय दलीलों का भी निस्तारण कर दिया जाय।

जहाँ तक ईदगाह क्षेत्र में एक या अधिक सुअरों के घुस आने का संबंध है, इस बात पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है कि वहाँ पर एक भी सुअर नहीं देखा गया था और नउस धार्मिक सभा में सुअर के घुस आने का कोई मौका था। यह अफवाह ऐसे षड़यंत्रकारी लोगों के दिमाग की उपज थी जो किसी अप्रत्यक्ष इरादे से गड़बड़ी पैदा करना चाहते थे।

दूसरा प्रश्न यह है कि ईदगाह में गड़बड़ी किसने पैदा की थी। क्या वे बाहर से बुलाये गये मुसलमान थे या पंजाबी हिन्दू अप्रवासियों के तथाकथित उग्रवादी तत्व द्वारा बुलाये गये हिन्दू थे। मुसलमानों द्वारा अपने इस कथन की पुष्टि के लिए रत्ती भर साक्ष्य नहीं दिया गया है। दूसरी ओर यहसाबित करने के लिए पर्याप्त अभिलिखित सामग्री है कि मुसलमानों के कतिपय वर्ग ने उन्हें गड़बड़ी पैदा करने के लिए बुलाया था। श्री बी. बी. दास और कई अन्य साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मूलतः गड़बड़ी लगभग पच्चीस या तीस ऐसे व्यक्तियों द्वारा पैदा की गई थी जो अजनबी थे। श्री ए. के. मिश्र (श्री ए. के. मिश्र सी/डब्लू-।।) ने अपने बयान में बताया कि यह अजनबी व्यक्ति मुसलमान थे और मुस्लिम लीग के कैंप के नजदीक खड़े थे और गड़बड़ी पैदा करने के पश्चात वह वहाँ से गायब हो गये थे। वह उन्हें मुसलमान कहने पर जोर दे रहे थे क्योंकि वह मुसलमानो के वेश में थे। मुसलमानों के वर्ग में से किसी ने यहनही कहना चाहा कि वह हिन्दू थे। यदि वह हिन्दू होते और उन्होने गड़बड़ी पैदा की होती तो उनमें से एक भी व्यक्ति भागने में सफल न होता जब कि वहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान थे। 31-5-1980 को भी कुछ मुसलमान बाहर से बुलाये गये थे और उन्होने टाउन हाल में गड़बड़ी पैदा की थी। ऐसा ईद के अवसर पर भी किया जा सकता था।

शहर इमाम ने कहा है कि लगभग पच्चीस या तीस गैर मुसलमान व्यक्ति नमाजियों के बीच घूम रहे थे। उसका संदेह है कि उन्होने गड़बड़ी पैदा की थी और ईंट पत्थर फेंके थे। उसने कहीं पर भी उन गैर मुसलमानों का कोई विवरण नहीं दिया है इसके विपरीत प्रशासन और नागरिक परिषद ने जिन साक्षियों का परीक्षण किया, प्रायः उन सभी साक्षियों ने बताया कि मुसलमान के वेश में कोई भी हिन्दू। ईदगाह में न तो मौजूद था और न किसी ऐसे व्यक्ति को उस ओर जाते देखा गया। गड़बड़ी मुस्लिम लीग के कैंप के नजदीक से शुरू हुई थी और ईंटपत्थर भी वहीं से फेंके गये थे। अतएव यह स्पष्ट है कि बाहर से बुलाये गये कुछ मुसलमानों ने गड़बड़ी पैदा की थी। इसके बाद मुस्लिम लीगियों तथा खाकसारों ने यह चिल्लाकर कि प्रत्येक व्यक्ति को मार डाला जाय, क्रोध की आग भड़काई। इसके अनुसरण में इन व्यक्तियों और इनके समर्थकों ने वस्तुतः

हमला करना शुरू कर दिया था। यदि उन्हें किसी पंजाबी हिन्दू व्दारा बुलाया गया होता तो वह पुलिस और हिन्दुओं पर ईंट-पत्थर न फेंकते बल्कि मुसलमानों पर ईंट पत्थर फेंकते। ज्येष्ठ अधिकारियों और शहर के अधिक सम्मानित नागरिकों को चोटें आई थी। नगरपालिका के कैंप के दक्षिण में खाली भूमि पर तैनात आरक्षी बल उन्हें ऐसा न करने देता था वह चुपचाप बच कर नहीं निकल सकते थे। मुस्लिम लीग के कैंप के निकट जो थोड़े से मुसलमान इकट्ठा हो गये थे, वह गड़बड़ी पैदा करने के बाद भाग गये थे, क्योंकि अधिकारी और पुलिस बल दंगा करने वालों को नियंत्रित करने में व्यस्त हो गये थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मूलतः थोड़े से ऐसे मुसलमानों ने गड़बड़ी पैदा की थी जो बाहर से बुलाये गये थे ।

दूसरा विचारार्थ मुद्दा यह है कि क्या खाकसार बेलचा लेकर आये थे? कम से कम खाकी वर्दी में खाकसारों की मौजूदगी को डाक्टर हामिद हसन खान उर्फ डाक्टर अज्जी ने भी स्वीकार किया है, जो कि जिला खाकसार पार्टी का कमांडर है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि वह बेलचा लिये बिना आये थे। प्रशासन और नागरिक परिषद व्दारा जिन साक्षियों का परीक्षण किया गया उन्होने बताया कि तीस या चालीस खाकसार बेलचे लेकर आये थे। उन्होने बेलचों से चोटें पहुँचाई थी जिसकी काफी हद तक पुष्टि कुछ ऐसे लोगों की चोटों की रिपोर्ट से हो जाती है, जिन्हें ईदगाह में चोटें लगी थी अतएव यह बात पूर्ण तथा सिद्ध हो जाती है कि कुछ खाकसार बेचले लेकर आये थे और उनसे उन्होने चोटें पहुँचाई थी ।

दूसरे स्थान पर मुसलमान वर्ग ने यह आरोप लगाया है कि ईंट पत्थर से लदा हुआ आप्रवासी पंजाबी हिन्दू का एक ट्रक रामपुर रोड पर खड़ा था और गड़बड़ी शुरू होने पर उसे ईदगाहके निकट लाया गया था और वहाँ पर जो गैर मुसलमान लोग इधर उधर घूम रहे थे उन्होने ट्रक से ईंटे उठाई और अधिकारियों, पुलिस बल और हिन्दुओं पर केवल इसलिये फेंका कि पुलिस को गोली चलाने का औचित्य मिल जाय। इन अभिकथनों में भी कोई सार नहीं है। उस पंजाबी हिन्दू का नाम नहीं दिया गया है। जिसके ट्रक में ईंटें लाई गई थीं। यह बात समझ में नहीं आती है कि ईंट पत्थरों को मोटर ट्रक में लाया गया होगा।

जबकि नगरपालिका के कैंप के दक्षिण में खाली भूमि पर चाहे कितनी ही मात्रा में ऐसे ईंट पत्थर इकट्ठा किये जा सकते थे जिसकी जानकारी किसी को भी न होती। कोई भी हिन्दू अपने ट्रैक को ऐसे स्थान पर भेजने का जोखिम न उठाता जहाँ पर से उसे बिना किसी नुकसान के वापस नहीं लाया जा सकता था। इसके अलावा अधिकारियों और सम्मानित हिन्दुओं पर थोड़े से हिन्दू ईंट पत्थर क्यों फेंकते और पुलिस उन्हें क्यों छोड़ती, यदि पुलिस बलया पी.ए.सी का कोई जवान अनावश्यक रूप से गोली चलाने के लिए उत्सुक था तो उसे किसी औचित्य की आवश्यकता नहीं थी। वह कई प्रकार से मुसलमानों को उत्तेजित करके ऐसा कर सकते थे।

इस बात की भी चर्चा की गई है कि श्री ए.के. मिश्रा, सर्किल आफीसर नगर ।।। ने किसी भी मुसलमान से यह नहीं कहा था कि गल्ती हो गई है और उसका ध्यान रखा जाना चाहिए और न उन्होने यह कहा:-

> "क्या आपने पुलिस की ताकत और किसी पुलिस अधिकारी, को चोट पहुँचाने का नतीजा देखा है? मुसलमान इस बात को पुन: जन्म लेने तक याद रखेंगे।"

श्री बी.बी.लाल ने इस बात से इंकार किया है कि वह आपे से बाहर हो गया था ~~xxxxxx~~ और उसने किसी मुसलमान से उग्रता से यह कहा था कि वह वहाँ पर मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए है न कि जानवरों को। उनमें से किसी के बारे में भी यह नहीं कहा जा सकता है कि निलिखित बयान में किसी का नाम तक आया हो।

शहर इमाम ने यह भी कहा है कि इस ईद के अवसर पर ईदगाह जाने के लिए उनके साथ सुरक्षा के लिए पुलिस थी जब कि विगत वर्षों में ऐसा नहीं किया गया था। और इससे यह मालूम होता है कि प्रशासन और पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि ईदगाह में कुछ गड़बड़ी होने वाली है और उनकी सुरक्षा के लिए पूर्वोपाय किये जाने चाहिए। श्री ए. के. मिश्रा §सी/डब्लू-12§ के बयान में इस बात को पूर्णतया झुठलाया गया है और उन्होने कहा है कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद ने शहर इमाम की मौजूदगी में उनसे कहा था कि उनको §शहर इमाम को § कुछ आशंका है और 13-8-1980 को उन्हें उनके घर

से ईदगाह ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। शहर इमाम को इस बात की आशंका थी कि यातायात की व्यवस्था के लिए गश्त लगाने वाले उन्हें ईदगाह जाने के लिए कार ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। अतएव उन्होंने मुगलपुरा, जहाँ पर शहर इमाम रहते हैं, थाने के सब इंस्पेक्टर को शहर इमाम की सुविधा के लिए तैनात किया था। इस बयान का खण्डन किसी ने भी नहीं किया। अतएव, शहर इमाम के इस कथन की कोई प्रमाणिकता नहीं है कि ईदगाह जाने के लिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था करने में कोई बुरा इरादा था।

मुसलमान वर्ग की ओर से एक दूसरा मुद्दा यह उठाया गया है कि ईदगाह में जो गड़बड़ी हुई थी वह आप्रवासी पंजाबी हिन्दुओं की प्रशासन के साथ मिली भगत से गुपचुप योजना के कारण हुई थी। प्रशासन और नागरिक परिषद का यह कहना है कि यह गड़बड़ी मुसलमानों के किसी एक वर्ग की गुप-चुप योजना के कारण हुई थी।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि तथा कथित पंजाबी हिन्दू आप्रवासियों और प्रशासन की ओर से कथित षड्यंत्र और गुप्त योजना से संबंधित तथ्यों की विशेष जानकारी उन मुसलमानों को थी, जिन्होंने उन पर यह आरोप लगाया था और उनको यह आरोप सिद्ध करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए था किन्तु कोई एक साक्षी भी ऐसा करने के लिए आगे नहीं आया। इस तर्क का औचित्य सिद्ध करने के लिए इसके अलावा कोई और बात नहीं है।

दूसरी ओर प्रशासन और नागरिक परिषद ने यह सिद्ध करने के लिए कई साक्षियों का परीक्षण किया कि इस सम्पूर्ण नाटक की रचना मुसलमानों के एक खास वर्ग द्वारा की गई थी। यह कहना अनावश्यक है कि षड्यंत्र के बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य कभी-कभार ही मिलता है। अतः इसे परिस्थिति जन्य साक्ष्य से ही सिद्ध किया जाना है। इस मामले में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित परिस्थितियों से उनकी ओर से किये किया गया षडयंत्र सिद्ध होता है।

(एक) विवाद विषय संख्या 2 के अन्तर्गत पहले ही यह चर्चा की गई है कि डाक्टर शमीम अहमद खाँ और उनके समर्थक अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गड़बड़ी उत्पन्न करने में रूचि रखते थे।

उन्होंने मुस्लिम लीग को फिर से जीवित किया था और उसके टिकट पर कई बार चुनाव लड़ चुके थे किन्तु असफल रहे थे। उन्हें कई अवसरों पर उनकी हार के कारण मुस्लिम लीग का टिकट नहीं दिया गया था। अतएव, उनके लिए यह सोचने की बात थी कि उनका राजनीतिक जीवन समाप्त होने जा रहा है। एक चुनाव में वह केवल पचासी मतों के अन्तर से हारे थे और उन्होंने सोचा कि यदि वह किसी प्रकार बड़ी संख्या में मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त कर लेते हैं तो वह अगले चुनाव में जीत सकते हैं। मई 1980 के निर्वाचन में दुर्भाग्य से उनके विरोध में एक दूसरे मुसलमान उम्मीदवार अर्थात श्री हकीज मोहम्मद सिद्दीकी थे, जो चुनाव जीत गये थे क्योंकि उन्हें स्थानीय हिन्दुओं और पंजाब से आए हुए हिन्दुओं, दोनों ही का समर्थन प्राप्त हुआ था। स्वाभाविक रूप से डा0 शमीम अहमद खाँ खिन्न हो गए थे और उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए अत्यधिक प्रयास करना आवश्यक हो गया था। अतएव , उन्होंने मुसलमानों के पक्ष को, चाहे वह सही हो या गलत, समर्थन देना प्रारम्भ कर दिया। लज्जावती का अपहरण रियाज और कुछ अन्य मुसलमानों द्वारा किया गया था किन्तु उन्होंने उन लोगों को बचाने का प्रयास किया 24-7-1980 को उसके विवाह के अवसर पर जब सराय किसन लाल में बाल्मिकियों और मुसलमानों के बीच गंभीर घटना हुई थी तब श्री डी.पी. सिंह, सब इंसपेक्टर ।सी/डब्लू-29। ने उन्हें उस मुहल्ले के बाल्मिकियों के विरूद्ध मुसलमानों को भड़काते हुए देखा था ।

जावेद नामक एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वह चार अन्य व्यक्तियों के साथ साहजनी करते हुए कुछ ग्रामीणों द्वारा गम्भीररूप से घायल हो गया था और थाने ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी थी। प्रशासन ने यह सिद्ध करने के लिए विश्वनीय साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं कि जावेद अपराधी था किन्तु डा0 शमीम अहमद खाँ का यही कहना है कि वह एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता था। डा0 शमीम अहमद खाँ ने पुलिस के विरूद्ध एक प्रदर्शन कराया था और, पुलिस के निर्देश के विरूद्ध उन्होंने जावेद के शव का जुलूस निकाला था। उन्होंने मजिस्ट्रेटी जाँच भी प्रारम्भ करवाई थी। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे

यह पता लगे कि हिन्दुओं के किसी वर्ग ने इस जाँच में कोई अड़चन डाली थी। डा० शमीम अहमद खाँ ने इसी बात का सहारा लिया था, जिससे वह आगामी निर्वाचनों में मुसलमानों का समर्थन पा सकें।

24-7-1980 की घटना के बाद बाल्मिकियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानों के घरों के शौचालयों को साफ करना बन्द कर दिया था। इससे मुसलमानों को जो असुविधा हुई होगी उसका वर्णन करने की अपेक्षा उसकी कल्पना कर लेना अच्छा होगा। डा० शमीम अहमद खाँ इस स्थिति के मूक दर्शक नहीं बने रह सकते थे और उन्होंने मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस बात का समर्थन करने के विषय में अवश्य सोचा होगा। सबसे पहले बाल्मीकियों के सुअरों को जहर दिया गया था जिसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और कुछ मुसलमानों के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी। इसके बाद, 18-8-1980 को दो रिपोर्ट दर्ज कराई गई एक श्री हमीद हुसैन द्वारा और दूसरी श्री हाजी फजलुर्रहमान द्वारा। पहली रिपोर्ट मुगलपुरा पुलिस थाने में की गई थी और दूसरी पुलिस थाना कटघर में। दोनों ही रिपोर्ट बाल्मीकियों के विरूद्ध थी और उनमें केवल अप्रकट रूप से संदेह व्यक्त किया गया था कि बाल्मीकियों ने उनसे निपटने की धमकी दी है। उनमें से किसी रिपोर्ट में एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा गया था कि धार्मिक सभा में सुअर छोड़ दिए जाएंगे। जाँच करने पर दोनों रिपोर्ट झूठी पाई गई। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन रिपोर्टों को पेश बन्दी के तौर पर दर्ज कराया गया था। गड़बड़ी पैदा करने वालों के ध्यान में यह बात थी कि बाल्मीकी सुअर पालते हैं और मुसलमान इस जानवर से घृणा करते हैं और इसके घुस आने से नमाज को भ्रष्ट हो गयी हुई मानते हैं जैसा कि शहर इमाम ने कहा है, मुसलमान स्वभावतः अत्यन्त संवेदनशील होते हैं और आसानी से उत्तेजित हो जाते है। इसलिए, धूर्त लोगों ने एक युक्ति सोची जिससे वह ईदगाह पर गड़बड़ी उत्पन्न कर सकते थे और बाल्मीकियों से बदला ले सकते थे। और प्रशासन को बदनाम कर सकते थे ईदगाह क्षेत्र में एक या अधिक सुअरों के घुस आने की बात मनगढ़न्त थी। यह ध्यान देने की बात है कि जब तक नमाज चलती रही तब तक सुअर छिपा रहा या छिपे रहे किन्तु जैसे ही शहर इमाम ने खुतबा पढ़ना शुरू किया वह

एकाएक प्रकट हो गई। यदि कोई बाल्मीकी या हिन्दू गड़बड़ी पैदा करने में रूचि ले रहा होता तो वह नमाज के दौरान शरारत कर सकता था जिससे मुसलमानों की भावनाओं को और अधिक ठेस पहुँचती ।

।2। मुस्लिम लीग के शिविर के सिवाय सभी शिविर पूर्णतया नष्ट कर दिये गये थे। मुस्लिम लीग का शिविर पूर्णतया लगा हुआ था उसका झंडा लहरा रहा था। यदि हिन्दुओं ने यह गड़बड़ी की होती तो उन्होने अपने शिविरों को नष्ट न किया होता और न मुस्लिम लीग के शिविर को छोड़ा होता। यह परिस्थिति भी काफी हद तक इस बात को सिद्ध करती है कि इस गड़बड़ी को उत्पन्न करने में मुस्लिम लीगियों और खाकसारों का सक्रिय हाथ था ।

।3। उस वर्ष की ईद की सर्वाधिक असामान्य बात यह थी कि कुछ मुसलमानों ने घरों और मस्जिद की छतों पर नमाज पढ़ी थी जबकि सामान्यतः ऐसी प्रथा नहीं रही है। वह या तो गड़बड़ी उत्पन्न करने वालों में से थे या उन्हें इस तथ्य की जानकारी थी कि कुछ गड़बड़ी होने वाली है। यह बात इस तथ्य से साबित होती है कि छत से कुछ बोलियाँ भी चलाई गई थीं। कुछ मुसलमान एक रात वाली मस्जिद और एच. एस. बी. स्कूल के सामने वाली मस्जिद के निकट खड़े रहे और उन्होने नमाज नहीं पढ़ी, इसका एक मात्र कारण यह है कि वह केवल संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे।

।4। इस ईद के पहले कभी भी खाकसार बेलचे लेकर नमाज पढ़ने नहीं आये थे । उस दिन पहली बार उन्होने ऐसा किया था और नमाज पढ़ी थी, उन्होने बूढ़े और अक्षम व्यक्तियों तथा बच्चों को ईदगाह मैदान की ओर हटा दिया था और उन्हें मुस्लिम लीग के शिविर के निकट एकत्र नही होने दिया था। इस निष्कर्ष का प्रतिरोध किया जा सकता है कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी थी कि गडबड़ी होने वाली है और बूढे और अक्षम व्यक्तियों तथा बच्चों को वहाँ नहीं रहने देना चाहिए।

।5। डा० शमीम अहमद खाँ और डा० हामिद हुसैन उर्फ अज्जी दोनों ने कुछ मुसलमानों को हर एक अधिकारी, पुलिस बल के सदस्य और

हिन्दू को मार डालने के लिए उकसाया था ।

§6§ मुस्लिम लीग के शिविर के निकट मुश्किल से पच्चीस या तीस लोगों ने गड़बड़ी पैदा की थी, उनमें से कोई भी किसी सुअर या किसी नमाजी के गन्दे किये ये कपड़े नहीं दिखा सका। सभी व्यक्ति अपरिचित थे और वह गड़बड़ी उत्पन्न करने के बाद तुरन्त गायब हो गये थे प्रशासन की ओर से श्री बी. बी. टण्डन, श्री ए. के. मिश्रा, श्री आर. एस. सिंह और श्री बी. बी. लाल के बयानों तथा नागरिक परिषद की ओर से श्री एच. के. टंडन, श्री फूल कुमार, श्री महेन्द्र सिंह, श्री ओंकार सरन कोठी वाल, श्री मदन लाल, डा० जे. एस. अग्रवाल, श्री राकेश कुमार , श्री एच. आर भगत और अन्य व्यक्तियों के बयानों ने इस तथ्य को पूर्णतया सिद्ध कर दिया है ।

§7§ इस वर्ष मुस्लिम लीग के शिविर का स्थान भी बदल दिया गया था ।

§8§ पहले डा० शमीम अहर इमाम के निकट मंच पर नमाज पढ़ते थे किन्तु इस अवसर पर उन्होंने अपने शिविर में नमाज पढ़ना पसन्द किया।

इन तथ्यों और परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ईदगाह की घटना केवल मुसलमानों के एक वर्ग की गुपचुप योजना का परिणाम था ।

यह बताना भी महत्त्वपूर्ण है कि ईदगाह पर हुई घटना के बाद कई हरिजन और हिन्दू बस्तियों को मुसलमानों द्वारा हमले का लक्ष्य बनाया गया था, यह चर्चा पहले की जा चुकी है कि आम मुसलमान ने ईदगाह पर गड़बड़ी उत्पन्न नहीं की थी। यह एक ओर कुछ असन्तुष्ट मुसलमानों और दूसरी ओर प्रशासन तथा पुलिस के बीच केवल एक मुकाबला था। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सामान्य नागरिक कभी भी आग भड़काने में दिलचस्पी नही लेते हैं क्योंकि अन्ततः उसका सबसे अधिक प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है। यह बात विभिन्न समुदायों के संबंध में, चाहे वह अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक , समान रूप से सही है ऐसे मामलों में गड़बड़ी प्रायः रिषवाद रूप से वस्तुतः कुछ मुट्ठी भर असामाजिक या राष्ट्र विरोधी तत्वों के कारनामों और षड़यंत्रों के फलस्वरूप होती है जो कट्टर भावनाओं को

भड़काते हैं और उसके बाद स्थिति का पूरा लाभ उठाते हैं। इस मामले में भी ईदगाह पर हुई घटना दुर्भाग्यवश कुछ गुमराह किये गये लोगों के दिमाग की उपज थी। बाद में जब शहर में यह अफवाह फैली कि धार्मिक सभा में एक या कई सुअर घुसेड़ दिये गये हैं और पुलिस ने हजारों मुसलमान मार डाले हैं तो मुसलमानों का बाल्मीकियों के प्रति, जो सुअर पालते हैं और जो सुअरों को ढकेल सकते थे तथा पुलिस के प्रति जिसके बारे कहा गया था कि उसने बहुत सी जाने ले ली हैं, उत्तेजित हो जाने का कारण था और वह पुलिस चौकियों, पुलिस थानों और हिन्दुओं विशेषकर बाल्मीकियों की बस्तियों पर हमला करने लगे। वह पहले ही बाल्मीकियों से खिन्न थे क्योंकि उन लोगों ने उनके घरों के शौचालयों की सफाई करना बन्द कर दिया था। इन परिस्थितियों में हिन्दुओं को इसका प्रतिकार करना आवश्यक था और बाद में इसने भयंकर साम्प्रदायिक दंगे का रूप ले लिया था।

एक और महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा पुलिस द्वारा गोली चलाने के बारे में है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रश्न सुसंगत है:-

§1§ क्या गोली चलाना औचित्यपूर्ण था और क्या उस स्थिति में इसकी आवश्यकता थी ?

§2§ किसके आदेश से गोली चलाई गई थी? क्या श्री श्री बी.एन. सिंह के इस निदेश के बावजूद कि गोली न चलाई जाय, गोली चलाई गई थी ?

§3§ क्या मुसलमानों की ओर से गोलियां चलाई गई थीं ?

§4§ क्या गोली आत्मरक्षा और सम्पत्ति की रक्षा में चलाई गई थी ? क्या यह समय से पूर्व या विलम्ब से चलाई गई थी या अपर्याप्त या अत्यधिक थी ?

§5§ क्या मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों ने गोली चलाने से सम्बन्धित नियमों का पालन किया था और ऐसा करने से पूर्व अश्रुगैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया गया था ?

इन मुद्दों के गुण-दोषों पर विचार करने के पूर्व बल-प्रयोग से सम्बन्धित कतिपय उपबन्धों का उल्लेख कर लिया जाय। इस आशय के ~~विद्यमान हैं~~ उपबन्ध पुलिस मैनुअल, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता में विद्यमान हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का संबंध लोग संकट की आशंका वाले खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति से है। इस मामले में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने 7-7-80 को शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन सामान्य आदेश जारी किये थे जो 31-8-1980 तक लागू थे।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 में विहित है कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जो उप निरीक्षक से न्यून पदवी का न हो किसी विधि विरुद्ध भीड़ को जिससे लोकशांति विक्षुब्ध होने की सम्भाव्यता है, तितर-बितर होने का समादेश दे सकता है और तब ऐसी भीड़ के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वह तदनुसार तितर बितर हो जायें।

इस धारा की उपधारा (2) में यह व्यवस्था है कि यदि ऐसा समादेश दिये जाने पर ऐसी कोई भीड़ तितर-बितर नहीं होती है या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करती है जिससे उसको तितर बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस भीड़ को बल द्वारा तितर-बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है उस भीड़ को तितर-बित करने के प्रयोजनार्थ सहायता करने की अपेक्षा कर सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 141 का संबंध मूलतः ऐसी भीड़ से है जो लोक शांति के लिए खतरा हो।

अब इस बात पर विचार किया जाय कि क्या गोली चलाना औचित्यपूर्ण था। प्रशासन और नागरिक परिषद ने इस बात को सिद्ध करने के लिए कि उस समय विद्यमान स्थिति में यह पूर्णतया आवश्यक था, लगभग पैंतिस साक्षियों का परीक्षण किया। श्री बी. बी. दास (सी/डब्लू-53 और श्री आर. एस. सिंह (सी/डब्लू-47) ने इस मुद्दे पर विस्तृत बयान

दिये हैं उनके बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि नमाजियों के बीच एक या अधिक सुअर के घुस आने का झूठा बहाना बनाकर यह गड़बड़ी मूलतः लगभग तीस या चालीस मुसलमानों ने उत्पन्न की थी। अधिकारियों ने उन्हें शांत किया किन्तु यह शांति थोड़ी ही देर रही। अफवाह फैलाने वालोंने फिर से हुल्लड़ मचाना शुरू कर दिया और उन्होंने अधिकारियों, पुलिस बल के बसदस्यों, पी.ए.सी. के जवानों और हिन्दुओं पर ईंटों के टुकड़े फेंके। उनका दबाव और उनकी संख्या बढ़ती गई। उन्होने अपना हमला तेज कर दिया और वहअधिकारियों द्वारा बार-बार दी गई चेतावनी को सुनने के लिए तैयार नही थे। वह अधिकारियों पुलिस बल के सदस्यों और हिन्दुओं को चोटें पहुँचाने लगे। स्थिति के अत्यन्त नाजुक हो जाने पर उनकी भीड़ अवैध घोषित कर दी गई थी। इतना भारी पथराव किया गया था कि हिन्दुओं के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गये थे और उनकी दीवारों और शटरों को क्षति पहुँची थी, क्रुद्ध भीड़ ने मुस्लिम लीग के शिविर के सिवाय सभी शिविरों को गिरा दिया था, यहाँ तक कि जो फर्नीचर शिविरों में था उसे क्षति ग्रस्त कर दिया गया था या उसे उठा ले जाया गया था। मुसलमानों के घरों की छतों से मस्जिद से और सड़के उत्तर की ओर से बन्दूक चलाने की आवाजें सुनाई दी। अनेक हिन्दुओं को आग्नेयास्त्रों से चोटें आई थीं। मुसलमानों ने यह सिद्ध करने के लिए कि उनकी ओर से कोई गोली नहीं चलाई गई थी, कई परिस्थितियों का आश्रय लिया है।

पहले तो उन्होंने यह कहा कि ईदुलफितर का त्योहार गर्मी के महीने में मनाया गया था जब मुसलमान सामान्यतः महीन कपड़े पहन कर आये और वह उनमें कोई आग्नेयास्त्र नही छिपा सकते थे। इस तर्क में बल है किन्तु गोलियां छतों से और ईदगाह के उत्तरी दरवाजे से चलाई गई थी। गड़बड़ी पैदा करने वाले आग्नेयास्त्रों को छतों पर किसी भी समय लुकाछिपा कर ले जा सकते थे। कुछ दंगाइयों ने श्री बी.बी.लाल (सी/डब्लू-।।) से सर्विस रिवाल्वर और सत्रह जिन्दा कारतूस छीन लिए थे और उनके प्रयोग की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

अन्तत: उस मोहल्ले में रहने वाले मुसलमानों के पास अवैध आग्नेयास्त्र थे जैसा कि इस तथ्य से स्पष्टहोगा कि 30-12-1980 तक पुलिस थाना कटघर के हल्के में 48 मामलों में अवैध आग्नेयास्त्रों को बरामद किया गया §देखिए चार्ट प्रदर्श सी/डब्लू-11§99§| नगर में ही कई हजार लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्र होंगे और अनुमान3: उससे गई गुना अधिक अवैध अस्त्र होंगे। ऐसा प्रतीति होता है कि मुरादाबाद के लोगों ने निरन्तर भय की स्थिति में बन्दूक के साथ जीना सीख लिया है और लगता है कि बन्दूक मटर फली के समान सरलता से उपलब्ध हो जाती है। दंगाइयों ने अनेक घटनास्थलों पर आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया था। स्वंय प्रभारी अधिकारी नगरपालिका श्री डी.पी. सिंह को आग्नेयास्त्र से तीन घाव लगे थे, जिसके संबंध में मुस्लिम वर्ग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह घाव उन्हें सशस्त्र पुलिस गारद के हाथों लगे थे। अतएव उनके §मुसलमानों § द्वाराआग्नेयास्त्रों का प्रयोग किये जाने पर अविश्वास नहीं किया जा सकता ।

दूसरे उन लोगों ने इस परिस्थिति का आश्रय लिया है कि ईदगाह क्षेत्र में दागे गये कारतूस का कोई खोल नहीं पाया गया था। इस संबंध में श्री बी.बी. दास ने बताया है कि उस समय और बाद में वहाँ पर जो अव्यवस्था और गड़बड़ी फैली थी और जो भगदड़ मच गई थी उसके कारण वह यह नहीं देख सके कि दागे गये कारतूस का कोई खोल ईदगाह के आस पास पड़ा है या नहीं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर चारों तरफ ढूँढना सम्भव नहीं था। पुलिस का कोई आदमी छतों पर नहीं गया था। पुलिस घायलों और मृतकों को ले जाने में व्यस्त हो गई थी ।

तीसरे यह तर्क दिया गया है कि जहाँ पर भगदड़ मची थी उस स्थान पर या गिरफतार किए गए व्यक्तियों के पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं पाया गया था। इसका कारण स्पष्ट है कि जहाँ पर भगदड़ मची थी उस स्थान से या गिरफतार किये गये व्यक्तियों द्वारा कोई गोली नहीं चलाई गई थी ।

चौथे, यह कहा गया है कि किसी पुलिस वाले को आग्नेयास्त्र

से कोई चोट नहीं लगी थी। हो सकता है कि वह आग्नेयास्त्र की चोट से बच गये हों किन्तु प्रभारी अधिकारी नगरपालिका श्री डी.पी. सिंह और श्री प्रीतम सिंह को आग्नेयास्त्र से चोटें लगी थीं।

पाँचवी, बात यह कही गई है कि ईदगाह के सामने किसी मकान की दीवार पर गोली लगने का कोई निशान नहीं था। इसमें कोई दम नहीं है ऐसा कहा गया है क्योंकि दीवारों पर अनेक निशान लगे थे किन्तु अब उनकी मरम्मत और पुताई हो गई है। मेरे निरीक्षण के समय मुझे हाईडिल सब-स्टेशन की पश्चिमी दीवार पर कुछ निशान दिखाए गए थे। चूँकि अगस्त 1980 से तब तक काफी लम्बा समय बीत चुका था इसलिए निश्चय पूर्वक यह कहना संभव नहीं है कि वह निशान गोलियों के थे या ईंट के टुकडों के।

छठा विवाद इस बात का है कि इसका कोई कारण नहीं उपलब्ध है कि जिस वर्ग ने पुलिस पर हमला करने की योजना बनाई थी उसे ईदगाह और ईदगाह में फिर से अपना [illegible] लगाना कठिन नहीं है। डा० शमीम अहमद खाँ की गति विधियाँ और व्यवहार कठोर होता जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी रणनीति यह बनाई थी कि ईदगाह पर अब वहाँ लगभग 70,000 पवित्र नमाजियों की धार्मिक सभा होने वाली थी उस समय कुछ उपद्रव उत्पन्न किया जाय। वह मुरादाबाद में ऐसी उत्तेजना फैलाना चाहते थे जिससे सम्पूर्ण भीड़ क्रुद्ध हो जाय। यह बहाना उन्हें सुअर के रूप में मिल गया जिससे मुसलमान सबसे अधिक घृणा करते हैं। इस पशु की उपस्थिति की अफवाह से यह निश्चय था कि वे भावावेश में उत्तेजित होते और प्रशासन को बदनाम करने के लिए इतना पर्याप्त था। उनकी रणनीति प्रत्येक बात पर प्रशासन का विरोध करने की थी। अतएव, उन्होंने अपने समर्थकों और भाड़े के व्यक्तियों को संगठित किया। उस समय तक उनके और प्रशासन के बीच बढ़ती हुई कटुता स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुकी थी। उन्होंने इस बात को सोचे समझे बिना ही यह कार्य कर डाला कि इससे साम्प्रदायिक प्रतिक्रिया किस हद तक फैल जायेगी और कैसा रूप धारण कर लेगी।

अन्त में कहा गया कि इस बात का कोई कारण नहीं मिला है कि उस वर्ग ने केवल ईंट के टुकड़े फेंक कर अपनी बहादुरी का यह कार्य क्यों किया। मैंने पहले कहा है कि आम तौर पर मुसलमानों की गड़बड़ी पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न वह ऐसा करने के लिए तैयार हो कर आए थे। केवल एक वर्ग विशेष के लोगों की ऐसा करने में दिलचस्पी थी किन्तु वह भी प्रशासन को बदनाम करने के लिए केवल एक झटका देना चाहते थे क्योंकि वह शासन की शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। उनका यह उद्देश्य सुअर के घुस आने की बात कहकर और ईंट के टुकड़े फेंक कर भली भांति पूरा हो सकता था। अतः उक्त सभी बातों में कोई और जोर नहीं है।

मुख्य विषय की ओर ध्यान दिलाते हुए यह कहा जा सकता है कि साक्ष्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्थिति काफी हद तक बिगड़ चुकी थी और अधिकारियों, पुलिस बल के सदस्यों और हिन्दुओं को इस बात की आशा नहीं थी कि वह जीवित रहेंगे। उनमें से कुछ को गम्भीर चोटें आई थीं। अतएव, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश से उन दंगाइयों पर जो सड़क पर मौजूद थे, आंसू गैस के गोले दागे गए। ईदगाह के मैदान पर नमाजियों की ओर आंसू गैस का एक भी गोला नहीं दागा गया था। चूँकि गड़बड़ी प्रारंभ होने से पहले हल्की बूँदा बांदी हो गई थी। इसलिए अश्रु गैस के गोले दागने का वांछित प्रभाव नहीं पड़ा या दंगाइयों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह अश्रु गैस के गोले भी नियमानुसार दागे गये थे।

जब दंगाइयों की संख्या बढ़कर लगभग तीन हजार हो गई और सभी अधिकारियों, पुलिस बल के सदस्यों, पी.ए.सी. के जवानों और हिन्दुओं के जीवन के लिए और अधिक खतरा बढ़ गया तब एक संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दंगाइयों ने हिन्दुओं के घरों पर भारी पथराव किया और उनमें रहेन वाले सहायता के लिए चीख पुकारकरने लगे। इस बात का भी साक्ष्य है कि दंगाई अधिकारियों और आरक्षित बल के इतने निकट आ गए थे कि उन्होंने अश्रु गैस दल के एक सदस्य के हाथ से अश्रु गैस की एक बन्दूकर छीन ली थी। लाठी धारी दल और पी.ए.सी के जवानों के हाथों से डण्डे और हेल्मेट छीन लिए गए थे। अधिकारी गण

जिन पर अचानक ही हमला कर दिया था, निश्चय ही इस दुविधा में रहे होंगे कि गोली चलाई जाय या नहीं। दंगाई जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, सर्किल आफीसर नगर §प्रथम§, अपर जिला मजिस्ट्रेट, §नगर§, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, कटघर और कई अन्य लोगों को चोटें पहुँचाने में सफल हो गए थे। नागरिकों में से जे. एस. अग्रवाल, डाक्टर जगमोहन मेहरोत्रा, सर्वश्री हरि किशन दास टण्डन, राजेश कुमार अग्रवाल और बहुत से अन्य लोगों को चोटें आई थीं। मुस्लिम दंगाईपुलिस बल, पी.ए.सी. के जवानों, अधिकारियों और ईदगाह पर उपस्थित या उस मोहल्ले में रहने वाले हिन्दुओं की सामूहिक हत्या करने पर उतारू थे। उनकी नारे बाजी भी इसी आशय की थी। अपर जिला मजिस्ट्रेट §नगर§ द्वारा दी गई चेतावनी व्यर्थ सिद्ध हो गई थी। अतएव जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने जन जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए गोली चलाने का निर्णय लिया था। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अपर जिला मजिस्ट्रेट §नगर§ ने गोली चलाने का आदेश तैयार किया और उसे श्री दास को दिया। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने श्री दास को उसे कार्यान्वित करने का निदेश दिया। श्री ए.के. मिश्र और श्री दास दोनों ही ने इस बात से इन्कार किया है कि गोली ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश से चलाई गई थी। इन तथ्यों से यह बात भली भाँति स्पष्ट हो जाती है कि गोली चलाना पूर्णतया औचित्यपूर्ण था और जन जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों में गोलियाँ चलाई गई थी।

श्री दास, श्री आर.एस. सिंह, श्री ए.के. मिश्र, जिला मजिस्ट्रेट और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के बयानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दंगाइयों से बार-बार शान्त रहने के लिए कहा गया था किन्तु व्यर्थ रहा इसलिए श्री दास ने हाइडिल सब-स्टेशन के सामने बढ़ते हुए दंगाइयों पर सशस्त्र गारद के कमाण्डर हेड कांस्टेबिल इसरार अहमद से एक चक्र गोली चलवाई। उन्होंने इसका परिणाम देखा और यह देखा कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। था। दंगाई आक्रामक रूप में अधिकारियों की ओर बढ़ते रहे। अतएव, श्री बी.बी. दास ने सशस्त्र गारद के चार सदस्यों में से प्रत्येक से दो चक्र गोलियाँ और चलवाई। उन्होंने पुनः इसके परिणाम को देखा और यह देखा

कर दंगाई निराश हुए कि दंगाई तनिक भी हतोत्साहित नहीं हुए थे बल्कि उन्होने अपना आक्रमण तेज कर दिया था। अतएव, उन्होने सशस्त्र गारद के प्रत्येक सदस्य व्दारा दो चक्र गोलियां और चलवाई। इन सभी चक्रों में सबसे अधिक उत्तेजित भीड़ पर प्रभावकारी ढंग से गोलियां चलाई गई थी। कुल मिलाकर, चार या पाँच मिनट में सत्रह चक्र गोलियां चलाई गई थीं। जिससे यह पता चलता है कि अत्यधिक धैर्य से काम लिया गया और अन्धाधुन्ध गोलियां नहीं चलाई गई थी। तीसरे प्रक्रम में गोली चलाने के पश्चात भीड़ में तितर - बितर होने के चिन्ह दिखाई पड़े थे और तुरन्त गोली चलाना रोक दिया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि उस स्थिति में गोली चलाना नितांत आवश्यक था और ऐसा जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) के आदेश से किया गया था। श्री दास ने नियमों के अनुसार ही उसी सीमा तक गोलियां चलवाई थी जितना कि जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक था ।

इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि क्या गोलियां समय से पूर्व या विलम्ब से चलाई गई थी। जिस परिस्थिति में गोली चलाने का आदेश दिया गया था वह पहले ही बताई जा चुकी है । इस बात को सभी ने स्वीकार किया है कि नमाज पूर्वान्ह 9.00 बजे प्रारम्भ हुई थी और पूर्वान्ह 9.15 बजे समाप्त हो गई थी। गड़बड़ी शहर इमाम व्दारा खुतबा पढ़ना प्रारंभ करने के एक या दो मिनट बाद, अर्थात पूर्वान्ह लगभग 9.17 बजे प्रारम्भ हुई थी। दंगाइयों को अनेक चेतावनियाँ दी गई थी किन्तु उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और बेल्चों , चाकुओं और डण्डों से अपना हमला करना तेज कर दिया था। उनकी तरफ से बन्दूक दागे जाने की गूँज भी सुनाई पड़ी थी और कई व्यक्ति घायल हो गए थे। श्री बी.बी.लाल के बयान से यह ज्ञात होता है कि अश्रु गैस के गोले पूर्वान्ह 9.25 बजे दागे गए थे और लाठी चार्ज पूर्वान्ह 9.30 बजे किया गया था। उस समय तक प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, श्री डी.पी. सिंह घायल हो चुके थे और उन्हें दंगाई उठाकर ले गये थे और अन्ततः वह मृत पाए गए थे। सभी ज्येष्ठ अधिकारियों, पुलिस

बल के बहुत से सदस्यों और हिन्दुओं को गम्भीर चोटें आई थी। श्री बी. बी. लाल घायल हो गए थे और उनका सर्विस रिवाल्वर और सत्रह कारतूस छीन लिए गए थे। अतएव पूर्वान्ह 9.30 बजे गोली चलाने का आदेश तैयार किया गया और श्री दास को दे दिया गया। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उनको उसे कार्यान्वित करने का निदेश दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायेगा कि गड़बड़ी प्रारम्भ होने से गोली चलाने तक लगभग अठठारह मिनट बीत चुके थे और इस अवधि के दौरान अधिकारियों के दंगाइयों को शांति पूर्वक तितर-बितर करने के लिए व्यग्रता से प्रयत्न किए थे, किन्तु उन्होने इसकी कोई परवाह नहीं की थी। इसके विपरीत उन्होने अपना आक्रमण तेज कर दिया था। यहाँ तक कि लाठी चार्ज करने और आँसू गैस छोडने का भी कोई प्रभाव नही पड़ा वहाँ पर मौजूद या उस मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों के जीवन और सम्पत्तिके लिए घोर संकट उत्पन्न हो गया था। अतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि यथोचित समय पर गोली चलने के पूर्व गोली चलाई गई थी। गोली चलाने में देर भी नहीं की गई थी, क्योकि पहले भीड़ को चेतावनी और धमकी देकर तितर-बितर करने का प्रयास कियागया था। जब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो अश्रु गैस के गोले दागे गए थे और लाठी चार्ज किया गया था। जब इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जीवन और सम्पत्ति के लिए अत्यधिक खतरा बढ़ गया था तब गोली चलाई गई थी। ऐसा कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है जिससे ऐसी स्थिति के बारे में अनुमान लगाया जा सके कि गोली पहले या बाद में चलाई गई हो यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा ।

यह भी पहले की कोई गुंजाइश नहीं है कि गोलियां कम या अधिक चलाई गई थी। यह तीन प्रक्रमों में चलाई गई थी और कुल मिलाकर सत्रह चक्र गोलियां चलाई गई थी। केवल तीसरे प्रक्रम के पूरा होने पर ही दंगाइयों में तितर-बितर होने के चिन्ह दिखाई पड़े थे और गोली चलाना रोक दिया गया था। अतएवयह नहीं कहा जा सकता कि गोलियां अधिक चलाई गई थी। परिस्थितियों के अनुसार कम से कम

गोलियां चलाई गई थीं जैसा कि एक अन्य विवाद विषय पर चर्चा की जायेगी कि पुलिस की गोली से बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई थी। अतएव प्रत्येक दृष्टिकोण से गोलियां किसी भी प्रकार से अधिक नहीं चलाई गई थी गोलियां कम भी नहीं चलाई गईं थी क्योंकि जब दंगाइयों ने पीछे हटना शुरू कर दिया था तब पुलिस के लिए गोली चलाना जारी रखने का कोई औचित्य नहीं था ।

अब इस बात पर विचार कर लिया जाय कि गोली चलाने का क्या प्रभाव हुआ था। श्री दास (सी/डब्लू-53) ने बताया कि तीसरे क्रम में गोली चलाने के परिणामस्वरूप ईदगाह पर जो मुसलमान आये थे, वह इधर उधर भागने लगे थे। उनमें से अधिकांश मुसलमानों ने संकरे रास्ते से होकर जो मुश्किल से 10 फुट चौड़ा है, हरपाल नगर की ओर भागने का प्रयास किया। चूँकि हजारों मुसलमानों ने उस दिशा में भागने का प्रयास किया था, इसलिए वहाँ भारी भगदड़ मच गई। उसके अनुसार भगदड़ दो स्थानों पर हरपाल नगर को जाने वाली संकरी गली में और ईदगाह के उत्तरी दरवाजे के निकट हुई थी। इन दो स्थानों से कुल मिलाकर चौतीस लाशें मिली थी।

दूसरी ओर शहर इमाम ने बताया कि गोली दो स्थानों पर चलाई गई थी अर्थात पहले उस स्थान पर जहाँ एक दूसरे पर ढेलेबाजी की गई थी और दूसरे उस स्थान पर जहाँ पर नमाजी तीन पंक्तियों में अपनी चादरों पर बैठे थे जो वहाँ से लगभग आधे फर्लांग की दूरी पर है उनके अनुसार इन दोनों स्थानों पर लगभग 800 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन लोगों की संख्या तीन हजार से अधिक थी जो ईदगाह से भागे थे।

उनकी अपनी-अपनी बातों के गुणावगुण पर वाद विषय संख्या-12 और 13 के संबंध में मेरे निष्कर्ष में चर्चा की जायेगी। इस समय मैं यह कहना पर्याप्त समझता हूँ कि अभिलिखित साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि ईदगाह पर उपर्युक्त दो स्थानों से चौंतीस शव और अस्पताल से चार शव बरामद हुए थे, इस प्रकार यह साबित होता है कि वहाँ पर केवल अड़तीस व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

उपर्युक्त विचार विमर्श का परिणाम संक्षेप में यह है कि ईदगाह की घटना डाक्टर शमीम अहमद खाँ के दिमाग की उपज थी जिससे वह अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे। इसमें उन्हें अनकी पार्टी के सदस्यों तथा खाकसारों ने समर्थन दिया था। आम

मुसलमानों का इसमें कोई हाथ नहीं था और न उन्हें इस बात की अधिकारी थी कि ऐसा होने वाला है। उपद्रव की शुरूआत मुस्लिम लीग के शिविर के निकट हुई थी और वहीं से ढेले बाजी भीरकी गई थी। गैर मुसलमानों व्दारा कोई ढेले बाजी नहीं की गई थी। इस अवसर पर खाकसार लोग असामान्य रूप से पहली बार अपने बेलचे लेकर आये थे और उन्होने चोटे पहुँचाने के लिए खुलकर इनका इस्तेमाल किया था डा० शमीम अहमद खाँ, डा० हामिद हसन उर्फ डा० अज्जी और उनके समर्थकों ने मुसलमानों की उत्तेजित भीड़ को सभी अधिकारियों, पुलिस वालों, पी.ए.सी. के जवानों और हिन्दुओं को जान से मार डालने के लिए उकसाया था। उनमें से अधिकांश व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये थे और एक ज्येष्ठ अधिकारी को जान से मार डाला गया था। मुस्लिम लीग के शिविर को छोड़करसभी शिविर पूरे तौर से नष्ट कर दिये गये। थे। उस मुहल्ले में स्थित मकानों पर भारी पथराव किया गया था। मुस्लिम दंगाइयों ने चोटे पहुँचाने के लिए सड़क पर छुरे डंडे और अन्य हथियार इस्तेमाल किये थे। वहाँ तक कि उन्होने घरों की छतों से और सड़क से गोलियाँ चलाई थी, जब जनजीवन और सम्पत्ति को भारी खतरा उत्पन्न हो गया तब प्रशासन ने पहले दंगाइयों को शांति पूर्वक तितर-बितर हो जाने के लिए कई बार चेतावनी दी थी किन्तु उसका कोई असर नही हुआ। उन्होने नियमानुसार लाठी चार्ज करवाया और अश्रुगैस के गोले दंगवाये किन्तु यह कारगत साबित नहीं हुआ। दंगाई पुलिस बली के सदस्यों के कब्जे से अश्रुगैस की बन्दूके, अस्त्र शस्त्र तथा गोली बारूद छीनने लगे। अतएव जनजीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके पर्याप्त सावधानी के साथ तीन प्रक्रमों में गोली चलाई गई थी। गोली न तो समय से पूर्व चलाई गयी थी और न विलम्ब से और न तो गोली अत्यधिक चलाई गई थी और न अपर्याप्त। वहाँ पर भारी भगदड़ मच गई थी और कुल मिलाकर अड़तीस व्यक्यातयों की मृत्यु हुई थी, उनमें से अधिकांश व्यक्ति भगदड़ के शिकार हुए थे जैसा कि बाद विषय संख्या: 12 और 13 के अन्तर्गत विचार विमर्श किया जायेगा। शव परीक्षा रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक "छ:" से भी यही निष्कर्ष

निकलता है। बहुत से व्यक्ति घायल भी हुए थे किन्तु उनकी ठीक-ठीक संख्या अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

ईदगाह पर उपद्रव शुरू होने के तुरन्त बाद पर्याप्त पुलिस और पी.ए.सी. बल का प्रबन्ध करने के लिए कदम उठाये गये थे ताकि उपद्रव नगर में न फैलने पाये या गम्भीर रूप न लेले। ईदगाहपर उपद्रव शुरू होने के पूर्व पूर्वान्ह 9.20 बजे एक हेड कांस्टेबिल और तीन कांस्टेबिल सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह पर ड्यूटी पर भेजे गये थे, उनमें से प्रत्येक के पास एक दस्ती बन्दूक तथा तीस कारतूस थे। देखें प्रदर्श सी/डब्ल्यू-22§148§ । पूर्वान्ह 9.27 बजे अतिरिक्त पुलिस बल थाना कटघर को भेजा गया जिसमें एक हेड कांस्टेबिल और बाईस कांस्टेबिल थे और सभी के पास डंडे और हेल्मेट थे। देखें जनरल डायरी की प्रविष्टि प्रदर्श सी/डब्लू-22§149§ ।

नगर में दंगे पर नियंत्रण रखने के लिए छह सब इंस्पेक्टर, 21 हेड कांस्टेबिल, 50 कांस्टेबिल और 450 कैडेट पुलिस लाइन से कोतवाली पहुँच गये थे। उनमें से दो हेड कांस्टेबिल और 4 कांस्टेबिल सशस्त्र गारद के थे और उन्हें पुलिस थाना कटघर तथा बाद में ईदगाह भेजा गया था। एक हेड कांस्टेबिल और एक कांस्टेबिल के पास एक अश्रुगैस का गोला, बारह कम रेंज के गोले तथा छः ग्रेनेड थे। शेष हेड कांस्टेबिल तथा तीन कांस्टेबिलों में से प्रत्येक के पास एक दस्ती बन्दूक और बीस कारतूस थे ।

छः सब इंसपेक्टर, छः हेड कांस्टेबल और उन्तालिस कांस्टेबिल, जो सभी डंडों से लैस थे, कटघर को और फिर ईदगाह को भेजे गये थे। §देखें जनरल डायरी की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-22§150§ ।

अपरान्ह 1.15 बजे बारह हेड कांस्टेबिल और दो सौ सब इंसपेक्टर कैडेट पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद से पुलिस लाइन आये। उनमें से चालीस व्यक्तियों, हेडकांस्टेबिल और सब इंसपेक्टर कैडेटों दोनों ही को एक-एक दस्ती बन्दूक और बीस-बीस कारतूस दिये गये थे और शेष व्यक्तियों को डंडे दिये गये थे। सम्पूर्ण पुलिस बल को तुरन्त ही कोतवाली भेज दिया गया था। देखें जनरल डायरी की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-22§162§ ।

उसी दिन अपरान्ह 5.45बजे दो सशस्त्र कांस्टेबिलों को पुलिस लाइन से काशीपुर तिराहा की ओर सड़क पर गश्त लगाने के लिए भेजा गया था। उनमें से प्रत्येक के पास एक रायफल और तीस कारतूस थे §देखें प्रदर्श सी/डब्लू-22§152§ ।

अपरान्ह 5.52 बजे दो सशस्त्र कांस्टेबिलों को, जिनमें से हर एक के पास एक रायफल और तीस चक्र गोलियां थीं, महोला की ओर सड़क पर गश्त लगाने के लिए भेजा गया था। उन्हें पुलिस लाइन से भेजा गया था और उनकी रवानगी वहाँ जनरल डायरी में दर्ज की गई थी। इसकी प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-22§155§ ।

उसी दिन अपरान्ह 8.05 बजे 250 कैडेटों को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के पुलिस लाइन भेजा गया था। डंडा लेकर उन्हें पुलिस थाना कोतवाली पर तुरन्त तैनात कर दिया गया था, देखें प्रदर्श सी/डब्लू-22§157§। अपरान्ह 8.15 बजे एक हेड कांस्टेबिल और तीन कांस्टेबिलों को, जिनमें से हर एक के पास रायफल और तीस चक्र गोलियां थीं, मुरादाबाद स्थित कलक्टरी में सदर मालखाना में ड्यूटी पर भेजा गया था। §देखें जनरल डायरी की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-22§158§ ।

पी0ए0सी0 की तैनाती:

उपद्रव की शुरूआत होने के बाद 23वीं बटालियन मुरादाबाद की एक "सी" कम्पनी को जिसे पुलिस लाइन में आरक्षित रखा गया था, कम्पनी कमांडर श्री के0 एन0 सिंह के पर्यवेक्षण में ईदगाह भेजा गया था, देखें प्रदर्श सी/डब्लू-22§150§ । यह कम्पनी अपने साथ 21 रायफल और 1050 चक्र गोलियां ले गई थी। उन्होंने ईदगाह पर और अन्य स्थानों पर अधिकारियों के निदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन किया। 14.8.1980 को यह कम्पनी पुलिस लाइन लौट गई थी और जनरल डायरी में उनके आगमन की प्रविष्टि की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-34§223§ है । श्री बी.बी.दास के बयान और जनरल डायरी की प्रतियों से यह बात भली भांति स्पष्ट हो जाती है कि 13 या 14 अगस्त, 1980 को इस कम्पनी के किसी सदस्य द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई थी और उन्हें दिये गये सभी अस्त्र शस्त्र तथा गोली बारूद जैसे के तैसे वापस कर दिया गया था।

उसी दिन 23वीं बटालियान मुरादाबाद की "बी" कम्पनी की एक प्लाटून मुख्यालय से पुलिस लाइन आई। श्री नन्दन सिंह (सी/डब्लू-36) इसके प्लाटून कमांडर थे। उनके पास एक रिवाल्वर और तीस कारतूस थे और प्रत्येक जवान के पास एक रायफल और 50 चक्र गोलियां थी। इस प्लाटून को तुरन्त ही थाना कोतवाली भेज दिया गया था। जनरल डायरी में इसकी प्रविष्टि की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-22(151) है। इस प्लाटून के साथ इसी बटालियन की "एफ" कम्पनी की एक प्लाटून भी प्लाटून कमांडर श्री चन्द्र शेखर पांडे(सी/डब्लू-43) के अधीन पुलिस लाइन आई थी, पूर्वान्ह 11.40 बजे यह साम्भली गेट गई। देखें जनरल डायरी में प्रविष्टि की प्रति, प्रदर्श सी/डब्लू-22(151) इस "एफ" प्लाटून में एक प्लाटून कमांडर और पच्चीस जवान थे प्लाटून कमांडर के पास एक रिवाल्वर और तीस कारतूस थे जबकि प्रत्येक जवान के पास एक रायफल और 50 चक्र गोलियां थी। यह दोनों प्लाटून अपन अपनी ड्यूटी के स्थानों पर पहुँची और उन्होंने अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्य किया। अपनी ड्यूटी करने के बाद प्लाटून "एफ" 19-8-1980 को सीधे मुख्यालय लौट आई थी, देखें जनरल डायरी की प्रविष्टि की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-43(258)। "बी" कम्पनी की प्लाटून 6-9-1980 को अपरान्ह 11.32बजे लौटी क्योंकि इस अवधि में इसे ड्यूटी पर बरेली जाना पड़ा था। इन दोनों प्लाटूनों को दिये गये अस्त्र-शस्त्र जैसे के तैसे लौटा दिये गये थे। जनरल डायरी में आगमन की प्रविष्टि की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-36(277) है।

उसी दिन पूर्वान्ह 10-40बजे 24वीं बटालियान पी.ए.सी. मुरादाबाद की एक कम्पनी पहुँची थी यह विशेष प्रशिक्षण कोर थी तथा इसकी एक प्लाटून को पुलिस चौकी गलशहीद, एक प्लाटून पुलिस चौकी नागफनी और एक प्लाटून को पुलिस चौकी मुगलपुरा भेजा गया था। जनरल डायरी में इसके आगमन की प्रविष्टि की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-22(151) है। तीनों प्लाटूनों की भिन्न-भिन्न स्थानों की रवानगी एक ही जनरल डायरी में दर्ज की गई थी। एक प्लाटून के तेईस रायफलों और 1150 कारतूसों के साथ पुलिस चौकी नागफनी भेजा गया था। इस प्लाटून के किसी सदस्य

ने उस दिन एक भी गोली नहीं चलाई थी और 14-8-1980 को मुख्यालय पहुँच गई थी। इस प्लाटून के आगमन की प्रविष्टि की प्रति प्रदर्श सी/डब्लू-37(239) है। इस प्लाटून को दिये गये अस्त्र-शस्त्र और गोली बारूद जैसे के तैसे वापस कर दिये गये थे।

24वीं वाहिनी की शेष दो प्लाटूनें नायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की थीं। वह श्री के0पी0उपाधिया (सी/साक्षी-49) के पर्यवेक्षण में पुलिस लाइन को भेजी गई थीं। इन प्लाटूनों के किसी सदस्य के पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं था। उन लोगों के पास डण्डे हेल्मेट और शरीर रक्षक उपकरण थे। उनके प्रस्थान के बारे में प्रविष्टि पूर्वान्ह 11.25 बजे की गई थी और उसकी प्रतिलिपि प्रदर्श सी/साक्षी -49 है। उन्हें पुलिस थाना मुगलपुरा जाने का निदेश दिया गया था और उन्होंने अपने अधिकारियों के निदेशों के अनुसार अपनी ड्यूटी दी थी। 14.8.1980 को वह प्रशिक्षण केन्द्र वापस चले गए थे और वहाँ अपरान्ह 4.35 बजे पहुँचे थे। जनरल डायरी में इसकी प्रविष्टि से यह स्पष्ट है कि 13 और 14 अगस्त, 1980 को इस बल के किसी सदस्य ने कहीं पर भी कोई गोली नहीं चलाई थी।

उसी दिन अपरान्ह 1.20 बजे विशेष पुलिस बल की दो कम्पनियाँ अपने मुरादाबाद स्थित मुख्यालय से पुलिस लाइन आई थीं और उन्हें अविलम्ब पुलिस थाना कोतवाली भेज दिया गया था। पुलिस लाइन में उनके आने और कोतवाली के लिए प्रस्थान करने की प्रविष्टि जनरल डायरी में की गई थी। प्रदर्श सी/साक्षी -22(153) उसकी प्रतिलिपि है। विशेष पुलिस बल, पी.ए.सी. की एक शाखा है और इसे नवाँ उत्तर प्रदेश विशेष पुलिस बल (यू.पी.एस.पी.एफ.) भी कहा जाता है। इसका गठन पी.ए.सी. के ढंग पर हुआ है। 13-8-80 को श्री ए.एस.धौनी नवीं बटालियान "सी" कम्पनी के सहायक कम्पनी कमाण्डर थे। उस दिन वही अपनी कम्पनियों अर्थात "सी" और "एच" कम्पनियों को पुलिस लाइन लाए थे और वहाँ से उन्हें पुलिस थाना कोतवाली के नियंत्रण कक्ष में भेज दिया गया था। पुलिस लाइन में उनका आगमन और वहाँ से उनका प्रस्थान जनरल डायरी में अपरान्ह 1.20 बजे

अंकित किया गया था। उसकी प्रविष्टि की प्रतिलिपि प्रदर्श सी/साक्षी-22 (153) है। इन दोनों कम्पनियों के प्रत्येक सदस्य के पास एक सेल्फ लोडिंग रायफल और सौ चक्र गोलियां थीं। कम्पनी "सी" के पास नौ मशीन गन, 2500 कारतूस, 17 स्टैनगन और 3,740 कारतूस थे। "सी" कम्पनी के पास भी तेरह रिवाल्वर और 455 कारतूस थे। "सी" कम्पनी के सदस्यों के पास कुल इतनी ही मात्रा में अस्त्र और गोली बारूद था। कोतवाली पर उन्होंने अधिकारियों के निदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन किया था। 13-8-1980 को उपर्युक्त दोनों कम्पनियों के किसी भी सदस्य द्वारा नगर में एक भी गोली नहीं चलाई गई थी। प्रदर्श सी/डब्लू-35 (225) के अनुसार "सी" कम्पनी 14-8-1980 को अपरान्ह 10.45 बजे मुरादाबाद स्थित मुख्यालय लौट आई थी। प्रविष्टि की प्रतिलिपि प्रदर्श सी/डब्लू-35 (226) के अनुसार एच कम्पनी उस दिन अपरान्ह 6 बजे लौट आईथी। 13-8-1980 को इन दोनों कम्पनियों के किसी सदस्य ने कहीं पर कोई गोली नहीं चलाई थी और उन्होंने जारी किए गए सभी अस्त्रास्त्र और गोली बारूद को वापस कर दिया था।

उस दिन अपरान्ह 6 बजे पी.ए.सी की 8वीं बटालियान "सी" कम्पनी, बरेली की एक प्लाटून पुलिस लाइन में आई। तुरन्त इसे पुलिस थाना कोतवाली भेज दिया गया था। यह प्लाटून मुरादाबाद में उपद्रव हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर अपने प्लाटून कमाण्डर हिम्मत सिंह (सी/डब्लू-39) के अधीन आई थी। इसके आगमन की प्रविष्टि की प्रतिलिपि प्रदर्श सी/डब्लू -22 (156) है। इस प्लाटून के पास एक रिवाल्वर और उसके तीस कारतूस सत्ताइस राइफलें और एक हजार तीन सौ पचास कारतूस थे। यह प्लाटून 14-8-1980 को पुलिस लाइन वापस चली गई थी और उसने उस समय तक किसी स्थान पर कोई गोली नहीं चलाई थी। सभी अस्त्रास्त्र और गोली बारूद यथावत् थे। पुलिस लाइन में उनका आगमन 14.8.1980 को अंकित किया गया था और प्रदर्श सी/साक्षी-29 (232) उसकी प्रतिलिपि है।

13.8.1980 को 8वीं बटालियान "सी" कम्पनी, बरेली की एक और प्लाटून भी, 13 और 14 अगस्त, 1980 की रात्रि में मुरादाबाद आई थी। इसे पुलिस थाना कटघर पर आरक्षित तैनात किया गया था।

और 14.8.1980 को अपरान्ह 8.30 बजे यह अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद पुलिस लाइन को लौट आई थी। देखिए प्रदर्श सी/डब्लू-40 ।234।। इस प्लाटून के पास एक रिवाल्वर, तीस कारतूस, बाइस रायफलें और एक हजार एक सौ कारतूस थे। जैसा कि मौखिक साक्ष्य और जनरल डायरी की पृष्टियों की प्रतिलिपियों से स्पष्ट हो जायेगा इस प्लाटून के किसी सदस्य द्वारा उस रात या 14.8.1980 को उसके वापस लौटने तक एक भी गोली नहीं चलाई गई थी।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि ईदगाह पर उपद्रव होने के बाद पी.ए.सी. की चार कम्पनियां विभिन्न स्थानों पर ड्यूटीपर तैनात की गई थीं। इसके अतिरिक्त दो प्लाटून जो बरेली से आई थीं, 13 और 14 अगस्त, 1980 के बीच की रात्रि में ड्यूटी पर रहीं। सिविल पुलिस और पी.ए.सी. के सदस्यों द्वारा विभिन्न घटना स्थलों पर चलाई गई गोलियों की संख्या का विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया जायेगा। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है सशस्त्र पुलिस गारद के सदस्यों द्वारा ईदगाह पर केवल सत्रह चक्र गोलियां चलाई गई थीं।

प्रशासन और पुलिस के उपद्रव को नगर के अन्य भागों में फैलने से रोकने के लिए दूसरे उपाय भी किए थे। श्री एस.पी. आर्य, श्री वी. एन. सिंह और श्री बी.बी. दास ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ।प्रथम। और उप पुलिस महानिरीक्षक, पी.ए.सी. ।पश्चिमी क्षेत्र। मुरादाबाद भी अपरान्ह 1.00 बजे कोतवाली में आए थे और प्रबन्ध का पर्यवेक्षण किया था।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है ईदगाह की घटना साम्प्रदायिक प्रकार की नहीं थी। यह केवल पुलिस और मुसलमानों के बीच मुठभेड़ थी क्योंकि कुछ मुसलमानों और पुलिस के बीच कई बार पहले भी झगड़े हुए थे। शहर हमाम ने आरोप लगाया है कि जो लोग ईदगाह से भाग गए थे उन्होंने भी उनसे यह बताया था कि संघर्ष पुलिस और मुसलमानों के बीच था। इसके पीछे मुस्लिम लीग और खाकसारों की शक्तियां थीं और सम्पूर्ण घटना पूर्व नियोजित और उनके ही

दिमाग की उपज थी। बाद में इससे साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठी और ऐसे बहुत से मुसलमान इसमें कूद पड़े जिनकी भावनाएं कई वृद्ध और अशक्त मुसलमानों और बच्चों की मृत्यु हो जाने से उत्तेजित हो उठी थी। नमाजी कई समूहों में बंट गये और विभिन्न दिशाओं में बढ़ने लगे। कतिपय कई हितबद्ध व्यक्तियों ने नमाजियों को उत्तेजित करने और संकट को और बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने हिंसा और घृणा की आग को और अधिक भड़का दिया। यह समाचार जंगल की आग के समान चारों ओर फैल गया और जगह-जगह पर बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा हो गए। यह भीड़ क्रुद्ध और खतरनाक थी। "पुलिस वालों और हिन्दुओं को मार डालो और उनके घरों को आग लगा दो" जैसे नारे तनावपूर्ण वातावरण में गूंज रहे थे। पुलिस ने बार-बार उन्हें समझाने बुझाने और उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया किन्तु वह विफल रहे। जब मुसलमानों ने हिन्दुओं पर अन्धाधुन्ध आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो हिन्दुओं द्वारा आत्मरक्षा के लिए उसका प्रतिकार करना आवश्यक हो गया था। इसलिए कतिपय साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे जिसे जिसमें निहित स्वार्थ रखने वाले व्यक्तियों ने सहयोग दिया और इसके लिए उकसाया। ऐसे विनाश कारी परिस्थितियों में अफवाहें फैल जाती हैं और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने में हित रखने वाले कतिपय राजनैतिक गुट इस कोशिश में रहते हैं कि उससे कितना लाभ उठाया जा सके।

अब अन्य स्थानों पर घटित घटनाओं के प्रकार के सम्बन्ध में विचार किया जाय।

।2। बरफ खाना चौराहा:

बरफखाना चौराहे का नक्शा प्रदर्श सी/डब्लू-46।247। है। इस स्थान के बारे में मेरी निरीक्षण टिप्पणी अनुलग्नक पांच पर है। इस निरीक्षण टिप्पणी से स्पष्ट हो जायेगा कि बरफखाना का चौराहा पुलिस चौकी गलशहीद ।जो अब पुलिस थाना है। से लगभग सौ गज और ईदगाह से 1½ फर्लांग की दूरी पर स्थित है। यह चौराहा गलशहीद और ईदगाह के बीच स्थित है। इस चौराहे से एक सड़क पश्चिम की ओर

भूरा का चौराहा को और दूसरी सड़क पूर्व की ओर जाती है जहाँ पर इन्दिरा चौक स्थित है। भूरा का चौराहा से इन्दिरा चौक तक की यह दूरी सड़क प्रिंस रोड भी कहलाती है। भूरा का चौराहा जाने वाली सड़के उत्तर पूर्वी कोने में कुछ कुम्हारों के क्वार्टर बने हुए हैं। कांस्टेबिल मगनानंद, हरिदत्त पंत और धीरेन्द्र सिंह के शव इन्हीं क्वार्टरों के सामने पाये गए थे। एच.एस.बी. स्कूल ईदगाह रोड के पूर्वी किनारे पर बरफखाना चौराहे से लगभग सौ गज की दूरी पर स्थित है।

प्रशासन के पाँच साक्षियों अर्थात् कांस्टेबिल क्लर्क राजवीर सिंह ।सी/डब्लू-19।, हेड कांस्टेबिल रघुबीर सिंह ।सी/डब्लू-26।, सब इंसपेक्टर ओमवीर सिंह ।सी/डब्लू-28।, सब इंसपेक्टर बी.पी. सिंह ।सी/डब्लू-29। और सब इंस्पेक्टर राम सिंह ।सी/डब्लू-42। का परीक्षण किया है, उनमें से कांस्टेबिल क्लर्क राजवीर सिंह ने बरफखाना और भूरे का चौराहा पर पी.ए.सी. की तैनाती के बारे में साक्ष्य दिया है।

हेड कांस्टेबिल रघुबीर सिंह ।सी/डब्लू-26। ने उस स्थान पर हुई घटना के बारे में बताया है। उसके बयान से पता चलता है कि उस दिन ईद की ड्यूटी के संबंध में पी.ए.सी. का आधा सेक्शन बरफखाना पर तैनात था। इसमें स्वयं उसके साथ कांस्टेबिल पतिराम, कांस्टेबिल हरीदत्त पंत, कांस्टेबिल मगनानंद थे। उनमें से हर एक के पास एक रायफल और पचास कारतूस थे, वह अपनी ड्यूटी के स्थान पर पूर्वान्ह 8 बजे पहुँच गये थे। सिविल पुलिस बल के कुछ सदस्य भी, जिन्हें वहाँ तैनात किया गया था, पहले ही पहुँच गये थे। वहाँ पर एक यातायात कांस्टेबिल यातायात सम्बन्धी ड्यूटी दे रहा था। सचल दस्ता के लोग भी सतर्क थे। पूर्वान्ह 8 बजे सर्किल आफिसर नगर ।प्रथम। ने बरफखाना का निरीक्षण किया और वहाँ पर किये गये प्रबन्ध से उनका समाधान हो गया था। पूर्वान्ह 8.30 बजे श्री दास और श्री सिंह निरीक्षण करने आये और उन्होंने हर एक व्यक्ति को सतर्क पाया।

पूर्वान्ह लगभग 8 बजे नमाजी ईदगाह को जाने लगे और उनमें कुछ खाकसार थे जो बेलचे लिए हुए थे। जानवर खदेड़ने वाला दस्ता भी वहाँ पर था। जब नमाज शुरू हुई तो नमाजी पंक्तियों में एक दूसरे से इतना सट कर बैठ गये थे कि उनके बीच से कोई भी चीज नहीं निकल सकती थी।

उसने यह भी बताया कि पूर्वान्ह लगभग 9.30 बजे उसने तीन-चार

हजार मुसलमानों की एक उत्तेजित भीड़ को ईदगाह की ओर से बरफखाने की तरफ आते देखा था। उनके पास बांस, भाले छुरे, आग्नेयास्त्र और ईंट के टुकड़े थे और वह साम्प्रदायिक नारे लगा रहे थे कि कोई भी पुलिस वाला या हिन्दू बचने न पाये और उनकी सम्पत्ति को लूट लिया जाय वह यह भी चिल्ला रहे थे कि पुलिस चौकी गलशहीद को फूंक दिया जाय। उन्होंने अपना हमला ईंट के टुकड़े फेंक कर और अपने हथियारों का प्रयोग करके शुरू किया। उसने और कांस्टेबिलों ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया किन्तु इसका कोईअसर नहीं हुआ। जिस समय वह यह प्रयास कर रहे थे उस समय कांस्टेबिल मगनानन्द और कांस्टेबिल हरीदत्त पंत भटक गये थे। उन्होंने दंगाइयों को पुनः शांत करने का प्रयास किया अन्यथा उन पर गोली चलाने की धमकी दी। किन्तु दंगाइयों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने देखा कि भीड़ कांस्टेबिल मगनानन्द और हरी दत्त पंत पर हमला कर रही है और उन्होंने उनके अथियार छीन लिये हैं। उन्हें जान से मार डाला गया था दंगाई उपर्युक्त कांस्टेबिलों के हाथों से छीनी गईरायफलों से इस हेड कांस्टेबिल और पतिरामपर भी गोलियां चलाने लगे। कांस्टेबिल धीरेन्द्र सिंह को भी जो गस्ती ड्यूटी पर था जान से मार डाला गया था। यह विचार करके कि स्थिति बहुत गम्भीर है और साक्षी तथा कांस्टेबिल पतिराम भी मारे जा सकते हैं उन्होंने दंगाइयों को समुचित चेतावनी देने के बाद गोली चलाई। दंगाइयों ने गलशहीद को जाने वाला रास्ता रोक दिया था। इस साक्षीने थोड़ा रूक-रूक कर पांच चक्र गोली चलाई और इसीप्रकार कांस्टेबिल पतिराम ने चार चक्र गोली चलाई। उसी समय सेक्टर संख्या-2 के प्रभारी इंस्पेक्टर डी.पी. सिंह और मुगलपुरा के इंसपेक्टर, सब इंसपेक्टर रामसिंह और होमगार्ड के प्लाटून कमांडर के साथ गाड़ी से वहां आये। दंगाई वहीं नारे लगाने लगे और उन पर तथा उस मोटर जीप पर भी जिससे वह आये थे, हमला बोल दिया। इंसपेक्टर डी.पी. सिंह ने उन्हें चेतावनी दी कि वह या तो तितर बितर हो जाये नही तो गोली चलानी पड़ेगी। दंगाइयों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने अपना हमला जारी रखा। इंसपेक्टर डी.पी. सिंह ने सब इंसपेक्टर राम से थोड़ा रूक-रूक कर रिवाल्वर से दस चक्र गोली चलवाई। जैसे ही दंगाई तितर बितर होने

लगे गोली चलाना रोक दिया गया। उसने यह भी बताया कि उस समय विद्यमान परिस्थितियों में कम से कम गोली चलाई गई थी यदि कम गोली चलाई गई होती तो जनजीवन और सम्पत्ति की अपार क्षति हो जाती, उस बस्ती में रहने वाले हिन्दुओं और कुम्हारों को जान से मार डाला गया होता और उनके घरों को नष्ट कर दिया जाता दंगाइयोंने भारी पथराव करके पहले ही उनके घरों को काफी क्षति पहुँची दी थी, इस साक्षी/पतिराम दोनों को ईंट के टुकड़ों से चोटें आई थीं। इसकी रिपोर्ट इस्पेक्टर डी.पी. सिंह व्दारा दर्ज करायी गयी थी और यह प्रदर्श सी/डब्लू-29(190) है। इसके आधार पर मुकदमा सेशन न्यायालय में विचाराधीन है।

पुलिस थाना कटघर पर, जहाँ रिपोर्ट दर्ज की गयी थी, उसने यह भी बताया कि उसने नौ चक्र गोली चलाई थी और कारतूसों के चार खाली खोखे वापस किये थे। शेष खोखे घटनास्थल पर नही मिल पाये थे। दंगाई उन कांस्टेबिलों के हाथों से जो मारे गये थे, दो रायफलें और दो सौ कारतूस ले गये थे।

सब इंस्पेक्टर ओम वीर सिंह (सी/डब्लू-28), इस्पेक्टर डी.पी. सिंह (सी/डब्लू-29), और सब इंस्पेक्टर राम सिंह (सी/डब्लू-42) ने उपर्युक्त कथन की पूर्णरूप से पुष्टिकी है।

श्री डी.पी. सिंह, इंस्पेक्टर के बयान से पता चलता है कि बरफखाना पर हुई भगदड़ से सोलह मुसलमानों की मृत्यु हो गयी थी और एक मुसलमान को आग्नेयास्त्र से चोट आई थी और उसकी मृत्यु अस्पताल में हुई थी। इस प्रकार बरफखाना पर तीन कांस्टेबिलों और सोलह मुसलमानों की मृत्यु हुई थी और एक मुसलमान की जिसे इस स्थान पर चोटे आई थी, मृत्यु अस्पताल में हुई थी, डी.पी. सिंह, सब इंस्पेक्टर श्री राम सिंह और उनके जीप के ड्राइवर को भी चोटें आई थी।

नागरिक परिषद ने इस घटना के बारे में केवल श्री ओंकार नाथ (बी/डब्लू-48), का परीक्षण किया है। वह पुलिस थाना गलशहीद के सामने रहते हैं और 1963 तक वह प्राग आइस फैक्टरी के मैनेजर थे,

वह अभी भी इस फैक्टरी के मालिकों के सेवायोजन में हैं। उन्होंने बताया है कि 13-8-1980 को पूर्वान्ह लगभग 9.30 बजे जब वह अपने घर पर थे, उन्होंने ईदगाह की ओर गोलियां चलने की आवाज सुनी ज्योंही उन्होंने अपना दरवाजा खोला, आठ या दस मुसलमान , जो उनसे परिचित थे तुरन्त उनके घर में घुस आये और उन्हें बताया कि मुसलमान लोग उत्पात मचा रहे हैं। चूँकि उस समय बूँदाबांदी हो रही थी इसलिए उन्होंने उनको एक कमरे में शरण दी और उन्हें पानी पिलाया । कर्फ्यू लग जाने के कारण छः मुसलमान लगभग छः दिन तक उनके घर में रहे और चार मुसलमान चले गये थे। इन छः मुसलमानों में एक ही परिवार के दो बच्चे भी थे ।

ईद के सिलसिले में प्रबन्ध करने के लिए पाँच या xxx छः पुलिसजन ईद से एक या दो दिन पहिले उनके घर पर ठहरे हुए थे, अशान्ति के दौरान कई मुसलमान उनके दरवाजे पर आये और उनसे कहा कि उन पुलिस जनों को उन्हें सौंप दें, किन्तु उन्होंने उनको बताया कि वह सभी ड्यूटी पर चले गये हैं । श्री जमीर ने भी जिसने उनके घर में शरण ले रखी थी, उनसे यही बात कही। मुसलमान होने के नाते उसके कथन पर विश्वास कर लिया गया और वह मुसलमान श्री बाबू राम कुम्हार के घर पर गये जो कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर रहता है । इन्हीं व्यक्तियों ने उसके घर के पास दो कांस्टेबिलों को जान से मार डाला था उसके घर को क्षति पहुँचाने के बाद दंगाई पुलिस चौकी गलशहीद की ओर चले गये, और उसमें आग लगाई, इसके आसपास की दूकानों को लूटा और पुलिस थाने में रखी सम्पत्ति की लूटपाट की। दंगाइयों के पास लाठियां, छूरे, मिट्टी के तेल के टिन और अन्य हथियार थे। उसके बयान से पता चलता है कि उसके घर के निकट ईंटों की बिक्री होती है और उस स्थान पर बड़ी संख्या में ईंट के टुकड़े पड़े थे। मुसलमानों ने लकड़ी की बल्लियों और लट्ठों से सड़क बन्द कर दी थी। उसने यह भी बताया कि उस समय ईदगाह पर कोई सुअर नहीं था और न उन मुसलमानों ने ही जिन्होंने उसके घर में शरण ली थी उस स्थान पर कोई सुअर देखा था। सभी सुअरों को एक दिन पहले ही से सुअर बाड़े में बन्द रखा गया था। उसने यह भी बताया कि बाल्मीकी लोग जो छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं , निर्बल वर्ग के

हैं और उन्होंने मुसलमानों की नमाज में विघ्न डालने या उनसे किसी मामले में लड़ने का कभी साहस नहीं किया था। उसने इस बात से इंकार किया है कि उस दिन ईदगाह पर हजारों मुसलमानों की मृत्यु हुई थी।

उपर्युक्त साक्ष्य से यह बात भली भांति स्पष्ट हो जाती है कि बरफखाना पर किसी हिन्दू या पुलिस बल या पी.ए.सी. के किसी सदस्य द्वारा कोई उत्तेजना नहीं फैलाई गई थी और न ही उन्होंने किसी मुसलमान पर आक्रमण किया था। तीन कांस्टेबिल मार डाले गये थे और मुसलमान दंगाई उनके शस्त्र और गोली बारूद उठा ले गये थे। वह हिंसात्मक कार्यवाही पर उतारू थे और गोली चलाना उनके लिए खेल हो गया था। जनजीवन और सम्पत्ति के लिए भारी संकट उत्पन्न हो गया था और पुलिस को आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलानी पड़ी थीं। गोलियां युक्ति युक्त सीमा के भीतर चलाई गई थीं। डा० शमीम अहमद के प्रतिकथन में लगाए गए इस आरोप का किसी भी साक्ष्य से समर्थन नहीं होता है कि प्रशासन ने ईदगाह पर गोली चलाने का औचित्य सिद्ध करने के लिए कुछ शवों को ईदगाह से हटाया गया था और उन्हें बरफखाना में रखवा दिया था। इस प्रतिकथन के समर्थन में उन्होंने कोई शपथ पत्र तक नहीं दिया है। उनके कथन में ऐसी बहुत सी असत्य या अर्द्ध सत्य बाते हैं जो इस रिपोर्ट में उपयुक्त स्थान पर बताई जाएंगी।

(3) गलशहीद और एच० एस० बी० स्कूल

वर्तमान गलशहीद पुलिस थाना 13-8-1980 को एक पुलिस चौकी थी। प्रदर्श सी/डब्लू -49(269) इसका नक्शा है। यह उस सड़क पर स्थित है जो कोतवाली से आती है और ईदगाह को जाती है। एस.एस.बी. स्कूल इससे लगभग 200 गज की दूरी पर है और ईदगाह इसके दक्षिण में लगभग $1\frac{1}{2}$ फर्लांग पर स्थित है। इन दोनों स्थानों की स्थलाकृति दिनांक 16-5-1983 की निरीक्षण टिप्पणी (अनुग्नक पांच) से स्पष्ट हो जायेगी।

इस पुलिस चौकी के दक्षिण -पश्चिम कोने के पास ही एक चौराहा है जो गलशहीद चौराहा कहलाता है जहाँ से पूर्व की ओर एक सड़क इन्दिरा चौक को जाती है और दूसरी सड़क पश्चिम की ओर जाती है जहाँ असालतपुरा स्थित है। इस पुलिस चौकी के उत्तर की ओर लगभग 40 या 50 गज की दूरी पर श्री प्रहलाद कुमार खन्ना का मकान है जहाँ पर उस दिन पुलिस अधिकारियों ने कुछ हिन्दू परिवारों को शरण दिलाई थी।

13-8-1980 को ईदगाह पर हिंसा भड़कने के पश्चात् वहाँ से लौट रही मुसलमानों की एक क्रुद्ध भीड़ ने गलशहीद पुलिस चौकी पर आक्रमण किया था। उन्होंने उसमें और उसके परिसर में स्थित पुलिस कार्मिकों के क्वार्टरों में आग लगा दी थी और वहाँ रखी सम्पत्ति लूट ली थी, जिसमें राइफलें और अश्रुगैस के गोले दागने की बन्दूकें भी थी। जैसा कि आगे चर्चा की जायेगी, पुलिस चौकी में जले हुए अभिलेख, जली हुई वर्दियां, चारपाईयां और पुलिस वालों की निजी वस्तुए बिखरी हुई थीं।

इस स्थान पर हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण देने के लिए प्रशासन की ओर से चार साक्षी और नागरिक परिषद की ओर से तीन साक्षी उपस्थित हुए। प्रशासन की ओर के साक्षियों में सर्वश्री ए.के. मिश्र, सर्किल आफिसर नगर (एक) सी/डब्लू-12), कम्पन कमाण्डर पी.ए.सी. राजवीर सिंह (सी/डब्लू-19), हेड कांस्टेबिल सिविल पुलिस राम गोपाल (सी/डब्लू-21), कांस्टेबिल राज सिंह (सी/डब्लू- 23) हैं।

श्री ए.के. मिश्र, सर्किल आफिसर नगर (एक) सी/डब्लू-12) ईदगाह पर ड्यूटी पर तैनात थे। पूर्वान्ह लगभग 10.30 बजे जब वह ईदगाह पर स्थिति को नियंत्रित कर रहे थे तब उन्हें यह सूचना मिली थी कि मुसलमानों ने पुलिस चौकी गलशहीद को आग लगा दी है और वहाँ रहने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की जान खतरे में है। श्री दास ने तुरन्त उन्हें वहाँ जाने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कहा। तदनुसार श्री मिश्र कुछ पुलिस बल के साथ बरफखाना होते हुए उस दिशा में आगे

बढ़े और उन्होंने कई स्थानों पर सड़क को लकड़ी के लट्ठों और ईंटों से अवरुद्ध पाया। पुलिस चौकी के पास टेलीफोन के तार काट डाले गए थे और रिक्शे तथा ठेलियाँ जला दी गई थीं। मुस्लिम दंगाई मण्डी चौक, पक्की सराय, गलशहीद और प्रिंस रोड को जाने वाली सड़कों पर दौड़ रहे थे। अनेक मुसलमान पुलिस चौकी के पास स्थित अपने अपने घर की छतों पर खड़े थे। क्रुद्ध मुसलमानों की भीड़ सड़कों पर खड़ी थी और ईंटों के टुकड़े और आग के गोले फेंक रही थी। उनमें से कुछ पुलिस बल पर गोलियां चला रहे थे। मुस्लिम दंगाइयों की संख्या लगभग तीन से चार सौ तक थी। उस समय तक श्री मिश्र को पता लग गया था कि सिविल लाइन्स क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण नगर में कर्फ्यू लग गया है। मुस्लिम दंगाइयों ने बरफखाना और आस पास के क्षेत्र में तैनात पुलिस बल और पी.ए.सी. बल को पुलिस चौकी गलशहीद की ओर नहीं बढ़ने दिया इस पुलिस चौकी के सामने वाले क्षेत्र में प्रमुखतया मुसलमान रहते हैं। श्री मिश्र को यह भी जानकारी मिली थी कि पुलिस बल के कुछ सदस्य, उनकी पत्नियां और बच्चे अभी भी पुलिस चौकी के अहाते में अपने-अपने क्वार्टरों में हैं और दंगाई चौकी और क्वार्टरों को जला देने और क्षतिग्रस्त करने पर आमादा हैं। एक कांस्टेबिल को जान से मार डालने और जला देने के पश्चात दंगाई उसे उठा ले गये थे। श्री मिश्र और उनके साथ पुलिस बल को पुलिस चौकी तक पहुँचने से रोकने के लिए रूक-रूक कर गोलियां चलाई जा रही थीं। उस समय तक बरफखाना पर तीन कांस्टेबिल मारे जा चुके थे और पी.ए.सी. के दो जवानों के आग्नेयास्त्र छीन लिए गए थे। इसलिए वहाँ तैनात पुलिस बड़ी उत्सुकता से सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी। 24वीं बटालियान के कम्पनी कमाण्डर श्री राजवीर सिंह सिरोही ने, जो बरफखाना पर ड्यूटी पर तैनात थे, उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। श्री मिश्र ने बताया कि उन्होंने पुलिस का हौसला बढ़ाया और पुलिस चौकी गलशहीद की ओर आगे बढ़े। वह अपने साथ पुलिस बल के साथ दंगाइयों को यह चेतावनी देते हुए जिगर पार्क के नजदीक पहुँचे कि वह अपनी हिंसक कार्यवाहियाँ रोक दें और शांति पूर्वक तितर-बितर हो जायें। उन्होंने गलशहीद पुलिस

चौकी को जलते हुए देखा। ठीक उसी समय एक मुस्लिम दंगाई ने एक गोली चलाई जो कांस्टेबिल राज सिंहको लगी। अतएव, श्री मिश्र ने दंगाइयों को पुनः चेतावनी दी और उनकी भीड़ को गैरकानूनी घोषित किया और उन्हें तितर-बितर हो जाने का आदेश दिया किन्तु यह बेकार रहा अंतिम उपाय के रूप में उन्होने एक बार और चेतावनी दी और दंगाइयों से यह भी कहा कि यदि वह लोग शांति पूर्वक तितर-बितर नहीं होगे तो वह गोली चलवायेंगे जिसमें वह मारे भी जा सकते हैं। पुलिस बल के सदस्यों से उन्हें यह जानकारी मिली कि कुछ उत्तेजित मुसलमान उन आग्नेयास्त्रों से, जिन्हें उन्होने पी.ए.सी, के जवानों के हाथों से छीन लिया था, गोलियां चला रहे हैं। स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो गयी थी और पुलिस बल के लोगों के जीवन और सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न हो गया था। लगभग 10 या 15 मुसलमान गोली चला रहे थे। अतएव श्री मिश्र ने मंडी चौक की ओर सड़क पर खड़ी भीड़ पर अपने सर्विस रिवाल्वर से दो चक्र गोलियां चलाई। यह गोलियां उन्होने इस विचार से भी चलाई थी कि भीड़ में लोगों को ज्यादा चोट लगे बिना भीड़ तितर बितर हो जाय, निःसन्देह कुछ मुसलमानों को चोटें आई थी किन्तु उस स्थल पर किसी की मृत्यु नही हुई थी, इस तरह गोली चलाने का दंगाइयों पर कोई असर नही हुआ। उनको और उनके बल के सदस्यों को चोटे आने लगी तथा स्थिति अत्यंत खतरनाक हो गयी दंगाइयों ने उन्हें गलशहीद पहुँचने से रोक रखा था पुलिस बल के परिवारों के सदस्य अपने क्वार्टरों से सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। अतः उन्होने कम्पनी कमांडर राजवीर सिंह को बढ़ते हुए दंगाइयों पर आठ चक्र गोलियां चलवाने का आदेश दिया। तदनुसार श्री राजवीर सिंह ने श्री मिश्र की देखरेख में गोलियां चलवाई। चार चक्र गोलियां मंडी चौक को जाने वाले रास्ते की ओर (*) चलाई गई, पहले दोनों ओर दो चक्र गोलियां चलाई गई और इसका परिणाम देखने के पश्चात दोनों ओर दो चक्र गोलियां और चलाई गई। यह गोलियां पूर्णतया नियमों के अनुसार चलाई गई थीं। इस प्रकार गोली चलाने के

(*) तथा चार चक्र गोलियाँ उनकी सराय को जाने वाले रास्ते की ओर

परिणामस्वरूप दंगाई तितर बितर होने लगे और पुलिस ने फिर और गोलियां नहीं चलाई। श्री मिश्र अपने दल के साथ पुलिस चौकी पहुँचने में सफल हो गये। उन्होने पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए उन्हें साहू प्रहलाद किशोर खन्ना के घर की ओर ले गये। दंगाई घर की छतो से गोलियां चलाने लगे। श्री मिश्र ने कम्पनी कमांडर राजवीर सिंह तथा स्थानीय पुलिस के सदस्यों से साहू प्रहलाद किशोर खन्ना की छत पर जाने और गोली चलना बन्द करवाने का आदेश दिया। कम्पनी कमाण्डर राजवीर सिंह अपने पुलिस बल के सदस्यों के साथ छत पर गये और तीन गोलियां चलाई। मकान की छतों से जो मुसलमान गोलियां चला रहे थे, वह तुरन्त तितर-बितर हो गये और पुलिस कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को साहू प्रहलाद किशोर खन्ना के घर में रखा गया। इस प्रकार श्री मिश्र और उनके पुलिस बलके सदस्यों ने पुलिस चौकी गलशहीद पर स्थिति को नियंत्रित किया और दंगाइयों को तितर-बितर कर दिया। बताया गया कि इसके बाद साहू प्रहलाद किशोर खन्ना और उन के परिवार के सदस्यों को डराने धमकाने के अलावा पुलिस चौकी गलशहीद के क्षेत्र में कोई घटना नहीं हुई। श्री मिश्र पुलिस चौकी पर गये और उन्होंने पाया कि वहां जले हुए अभिलेख, पुलिसजनों की जली हुई वर्दियों, चारपाइयों और उनकी निजी वस्तुयें इधर उधर फैली हुई हैं। पुलिस चौकी की पूरी इमारत बुरी तरह से जल गई थी और क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिस चौकी पर तैनात कर्मचारियों ने भी मिश्र को बताया कि दंगाई सभी सम्पत्ति उठा ले गये और कांस्टेबिल परसादी सिंह को जला कर मार डाला। इस स्थान पर श्री मिश्र, श्री ब्रम्ह-शंकर, कांस्टेबिल राज सिंह, सब इंस्पेक्टर बी.डी, त्रिपाठी कांस्टेबिल मदन पाल, छठी बटालियन के प्लाटून कमांडर नरायन सिंह, लांस नायक किशन शर्मा और हवलदार बी.डी, त्यागी को चोटें आई थीं। प्रदर्श सी/डब्ल्यू-12(108) से सी/डब्ल्यू-12(116) उनकी चोटों की रिपोर्ट है। कांस्टेबिल परसादी सिंह के शव-परीक्षण की रिपोर्ट प्रदर्श सी/डब्ल्यू-12(107) है। पुलिस बल के कुछ घायल सदस्यों को उपचार के

लिए अस्पताल भेजा गया था। श्री मिश्र पुलिस चौकी गलशहीद से पुलिस थाना कटघर गये और वहाँ पर अपरान्ह 12.10 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रदर्श सी/डब्ल्यू-12 (110) उसकी प्रतिलिपि है। इस रिपार्ट में उन्होंने 30 दंगाइयों के नाम दिये थे। यहाँ यह बात बता दी जाय कि उस समय पुलिस चौकी गलशहीद पुलिस थाना कोतवाली के अधिकार क्षेत्र में आती थी। इसलिए पुलिस थाना कटघर में दर्ज की गई रिपोर्ट को आवश्यक कार्यवाही के लिए कोतवाली भेज दिया गया था। श्री मिश्र ने दमकल मँगवा लिया था जिसने उस स्थान पर आग बुझायी।

जब मैंने इस स्थान का निरीक्षण किया तो मैंने वहाँ पर देखा कि पुलिस थाने का नया भवन और पारिवारिक क्वार्टर बन गये हैं।

श्री राजवीर सिंह (सी/डब्ल्यू-19) उस समय पी.ए.सी. मुरादाबाद की 24 वी बटालियन के कम्पनी कमांडर थे। उनकी कम्पनी के सदस्य 12 नियत स्थानों पर ड्यूटी पर तैनात थे। दो दल बरफखाना और भूरा का चौराहा पर तैनात थे जो गलशहीद के समीप है। उन्होंने बताया है कि वह उस दिन पूर्वान्ह 8.45 बजे उपर्युक्त 12 स्थानों पर अपने बल की ड्यूटी की जाँच करने के लिए पुलिस लाइन से रवाना हो गये थे। उनके साथ एक प्लाटून कमांडर एक हैड कांस्टेबिल चार कांस्टेबिल और उसकी गाड़ी का ड्राइवर था।

उनके पास एक सर्विस रिवाल्वर और 30 चक्र गोलियाँ थीं। प्लाटून कताण्डर के पास भी यही था। हेड कांस्टेबिल के पास एक स्टैनगल और 192 चक्र गोलियाँ थीं और प्रत्येक कांस्टेबिल के पास एक-एक राइफल और 50 चक्र गोलियाँ थीं। इसकी जनरल डायरी में प्रविष्टि की प्रतिलिपि प्रदर्श सी/डब्ल्यू-19।135। है। वह लोग पूर्वान्ह 10 बजे बरफखाना चौराहे पर पहुँच गये थे और उन्हें ईदगाह पर हुई घटनाओं की जानकारी मिली थी। वह भूरा का चौराहा होते हुए गए थे किन्तु वहाँ पर उन्होंने कोई गारद तैनात नहीं पाई। यहाँ तक कि जिस शिविर में वह ठहरे हुए थे वहाँ उनका सामान भी नहीं था। इसके बजाय उन्होंने देखा कि भूरा का चौराहा पर बहुत से ईंटों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। अतएव, उन्हें इस बात की आशंका हुई कि उस स्थान पर कोई घटना हो गई है और गारद कहीं अन्यत्र चली गई है। जब पुलिस दल बरफखाना की ओर जा रहा था, तब मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। वह लोग चाकू, बेलचे, भाले और आग्नेयास्त्र लिए हुए थे। उन्होंने तुरन्त गाड़ी रुकवाई और उससे बाहर निकले। भीड़ में से किसी ने उन पर गोली चलाई किन्तु वह बाल-बाल बच गये। मुसलमान दंगाई चिल्ला रहे थे कि पुलिस वालों और हिन्दुओं को मार डाला जाय और उनकी सम्पत्ति को लूट लिया जाय। श्री सिंह ने गाड़ी को बरफखाना की ओर भेज दिया और दंगाइयों को शान्तिपूर्वक तितर-बितर हो जाने के लिए समझाने का प्रयास किया जो बेकार रहा। बड़ी कठिनाई से वह लोग बरफखाना पहुँचे जो भूरा का चौराहा से एक फर्लांग की दूरी पर है उन्होंने दो स्थानों पर रास्ता अवरुद्ध पाया। बरफखाना पर उन्हें मालूम हुआ कि पी.ए.सी. के दो कांस्टेबिल और सिविल पुलिस का एक कांस्टेबिल भी मारा गया कि उस चौराहे के पास ही कुम्हारों के घरों के सामने मार डाले गये हैं उन्हें यह भी पता लगा कि पी.ए.सी. के दो जवानों की राइफलें और गोली-बारूद दंगाई उठा ले गये हैं। ठीक उसी समय श्री ए.के. मिश्र, सर्किल आफिसर नगर।एक। अपने पुलिस बल के साथ ईदगाह की ओर से वहाँ आ गये। मुगलपुरा, मण्डी चौक और पक्की सराय को जाने वाली सड़कों पर लगभग तीन या चार हजार मुसलमान दंगाई थे। पुलिस चौकी गलशहीद जल रही थी और दंगाई भवन पर ईंट के टुकड़े फेंक रहे थे और गोलियाँ चला रहे

थे। उन्होंने उस स्थान पर हुई घटना और मुसलमानों द्वारा की गई क्षति के बारे में श्री ए.के. मिश्र के बयान की पूर्ण तथा पुष्टि की है। उन्होंने यह भी कहा है कि श्री मिश्र ने बाध्य कर परिस्थितियों में वहाँ पर ~~वह भी कहा है कि श्री~~ तैनात पुलिसजनों की जान और सरकारी सम्पत्ति को बचाने के लिए गोली चलावाई थी। गोलियाँ कम से कम चलाई गई थी। जैसे ही यह मालुम हुआ कि दंगाई पीछे हट रहे हैं, गोली चलाना उसी क्षण रोक दिया गया था। उनके बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि दंगाइयों ने पुलिस चौकी गलशहीद की छत गिरा दी थी और उसके दरवाजों और खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उन्होंने फर्नीचर और अन्य सम्पत्ति में आग लगा दी थी। कांस्टेबिल परसादी लाल को जो उक्त पुलिस चौकी पर ड्यूटी दे रहा था, मार डाला गया था और उसके शव को घसीट कर ले गये थे। अनेक पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे।

जब दंगाई उस स्थान से तितर-बितर हो गए तो श्री सिंह अपने दल के साथ अपरान्ह लगभग 2 बजे एच.एस.बी. स्कूल की ओर गए किन्तु उन्होंने वहाँ पर तैनात अपने पुलिस बल को नहीं पाया अपरान्ह 9.00 बजे वह पुलिस लाइन पहुँचे और जनरल डायरी में अपनी पहुँच दर्ज कराई। प्रदर्श सी/डब्लू-19(136) उसकी प्रतिलिपि है। इस प्रकार उन्होंने बरफखाना की घटना के बारे में बयान दिया है और पुलिस चौकी गलशहीद पर मुसलमानों द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में श्री ए.के. मिश्र के बयान की पुष्टि की है। उनके बयान से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि बारह स्थानों पर तैनात उनकी कम्पनी ने केवल तहसीली स्कूल और पुलिस चौकी गलशहीद पर गोलियाँ चलाई थी और अन्यत्र कहीं गोलियाँ नहीं चलाई थी कुल मिलाकर 33 चक्र गोलियाँ चलाई गई थी। इसका ब्योरा जनरल डायरी की प्रतिलिपि प्रदर्श सी/डब्लू-19(136) में दिया गया है। श्री रामगोपाल (सी/डब्लू-21) उस समय पुलिस चौकी गलशहीद पर हेड कांस्टेबिल के रूप में तैनात थे उसने बयान दिया है कि 13-8-1980 को पुलिस चौकी के पुलिस बल में कुल तीन हेड कांस्टेबिल, अठारह कांस्टेबिल और एक सब-इंसपेक्टर था। उस दिन उसके अलावा 6: कांस्टेबिल चौकी पर ड्यूटी दे रहे थे और शेष पुलिस बल थाना

कोतवाली भेज दिया गया था। उनके अतिरिक्त पी.ए.सी. की छठी बटालियन का एक सेक्शन भी पुलिस चौकी पर ड्यूटी पर तैनात था जिसमें एक प्लाटून कमाण्डर, एक हेड कांस्टेबिल और पाँच कांस्टेबिल थे। प्लाटून कमाण्डर के पास एक रिवाल्वर था और शेष लोगों में से प्रत्येक के पास एक राइफल और पचास कारतूस थे। उसने उस दिन ईदगाह के आसपास कोई सुअर नहीं देखा था किन्तु बहुत से शाकाहार जो खाकी वर्दी पहने और बेलचे लिए थे, ईदगाह पर नमाज अदा करने आये थे। नमाजी गलशहीद तक फैले हुए थे। इस पुलिस चौकी के अहाते में पारिवारिक क्वार्टर हैं। एक क्वार्टर में कांस्टेबिल शिवलाल अपनी पत्नी, चार पुत्रियों और एक पुत्र के साथ रहता था। दूसरे क्वार्टर में राधेश्याम सब इंस्पेक्टर उनका परिवार और उनका साला प्रहसन रहता था।

उसने यह भी बताया है कि पूर्वान्ह लगभग 9.45 या 10.00 बजे तीन या चार हजार मुसलमान ईदगाह की ओर से यह चिल्लाते हुए आए कि "हिन्दुओं और पुलिस बल के सदस्यों को मार डालो और पुलिस चौकी में आग लगा दो"। उन्होंने पुलिस चौकी को तीन ओर से घेर लिया और जलती हुई मशालें फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने पत्थराना और गलशहीद प्रेस के बीच सड़क को अवरुद्ध कर दिया था औरकांस्टेबिल परसादी सिंह की हत्या करने के बाद उसका शव उठा ले गए थे। मुसलमान दंगाइयों ने पुलिस चौकी गलशहीद की इमारत और सम्पत्ति में आग लगा दी थी/पूरी पुलिस चौकी पूरी तरह से जल रही थी और पुलिस बल के परिवारों के सदस्य सहायता के लिए पुकार रहे थे। कुछ मुसलमान घर की छतों से गोलियाँ चला रहे थे। इसके बाद उसने बताया है कि श्री ए.के. मिश्र वहाँ आए और उन्होंने भीड़ को हटाया। पुलिस बल के कई सदस्य घायल हो गए थे। उसने तीन दंगाइयों को पहचान लिया था और उनके नाम दिये हैं। उसके साक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उस पर सन्देह किया जाय। उसने जनरल डायरी की जिन प्रविष्टियों को साबित किया है उससे उसके पुलिस बल को दिये गये और उसी दिन संध्या को वापस किये गये

शस्त्र और गोली बारूद की मात्रा के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता है। प्रयोग की गई गोली -बारूद की मात्रा भी उसके बयान से प्रमाणित हो जाती है।

कांस्टेबल राजसिंह ।सी/डब्लू-23। की तैनाती अगस्त, 1980 में पुलिस लाइन, मुरादाबाद में सिविल इमरजेन्सी रिजर्व में हुई थी। 13-8-1980 को उसे ईदगाह पर ड्यूटी देने भेजा गया था। पूर्वान्ह लगभग 10.30 या 10.45 बजे वह श्री ए.के. मिश्र, सर्किल आफिसर नगर ।एक। के साथ गलशहीद गया था जहां पर मुसलमान दंगाइयों ने पुलिस चौकी गलशहीद पर हमला कर दिया था। उसने उपर्युक्त तीनों साक्षियों के बयानों की पूर्ण रूप से पुष्टि की है। उस समय वह पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा कर रहा था और उसकी किसी मुसलमान से कोई शत्रुता नहीं थी। उसके बयान में कोई ढुलमुलपन नहीं पाया गया और उसे किसी प्रकार नकारा नहीं जा सकता। इन सभी कारणों से उपर्युक्त चारों साक्षियों के बयानों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुसलमानों ने पुलिस चौकी गलशहीद पर हमला किया था जबकि वहां पर तैनात पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा किसी प्रकार से मुसलमानों को उत्तेजित नहीं किया गया था। यह हमला उस दिन ईदगाह पर हुए उपद्रव के कारण बदला लेने की भावना से किया गया था। पुलिस चौकी की इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। वहां पर रखे हुए अस्त्र-शस्त्र गोली बारूद और अन्य सम्पत्ति मुस्लिम दंगाई उठा ले गये थे। कांस्टेबिल परसादी सिंह को मार डाला गया था और पी.ए.सी. तथा पुलिस के कांस्टेबिलों को चोटें आई थीं।

नागरिक परिषद द्वारा परीक्षित तीन साक्षियों के बयानों का भी विश्लेषण कर लिया जाना चाहिए।

श्री सुभाष सोनी ।बी/डब्लू-25। चन्द्रा मेटल इंडस्ट्रीज, मुरादाबाद में भागीदार हैं। यह कर्म निर्माण संबंधी कारबार करती है और आयकर देती है। वह निजी हैसियत से भी आय-कर का भुगतान करते हैं। उन्होंने कहा है कि 13-8-1980 को उनकी फैक्ट्री हड़ताल के कारण बन्द थी। दिन में लगभग 12 बजे उन्हें सूचना मिली कि वह लूटी जा रही है। वह तुरन्त अपने स्कूटर से उस स्थान को भागे और अपरान्ह

12.30 बजे तक वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर अपनी फैक्टरी का मुख्य दरवाजा खुला हुआ पाया। वह भीतर गए और देखा कि प्रत्येक वस्तु टूटी पड़ी है और कर्मचारी की सम्पत्ति को उठा ले गये हैं। फैक्टरी का चौकी दार नरोत्तम सिंह खून से लथपथ अचेत पड़ा था। वह पुलिस थाना लाजपत नगर गए और इसकी सूचना दी। वह तीन या चार कांस्टेबुलों के साथ फैक्टरी वापस आये और नरोत्तम सिंह को अस्पताल पहुँचाया। 14-8-1980 को उन्हें मालूम हुआ कि नरोत्तम सिंह की मृत्यु हो गई है। मुसलमानों द्वारा की गई लूटपाट के परिणाम-स्वरूप उन्हें लगभग 20,000/=रू0 की हानि हुई थी। इसकी रिपोर्ट 14-8-1980 को दर्ज कराई गई थी और प्रदर्श बी/डब्लू-25124 उसी की प्रतिलिपि है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी फैक्टरी के लगभग आधे कारीगर मुसलमान हैं किन्तु उनमें से किसी ने भी अब तक उनसे यह नहीं कहा कि ईदगाह क्षेत्र में कोई सुअर घुस आया था या किसी के कपड़े खराब कर दिये थे। उनका किसी भी मुसलमान के प्रति वैरभाव नहीं है और उनके बयान की आसानी से उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

श्री प्यारेलाल/ब/साक्षी-551: पुलिस थाना गलशहीद से लगभग 100 कदम की दूरी पर रहते हैं। श्री ओंकार नाथ, भूतपूर्व मैनेजर ग्राम आइल फैक्टरी का मकान उनके घर के सामने ही है। उनके घर के पश्चिम में कुछ कुम्हारों और जाटवों के घर हैं। वह स्वयं भी कुम्हार जाति के हैं। 13-8-1980 को दोपहर लगभग 10 बजे वह अपने घर पर था जब हजारों मुसलमानों ने उसके मुहल्ले पर हमला किया। उसे लगभग 8000=00 की हानि हुई। उसकी किसी भी मुसलमान से दुश्मनी नहीं है किन्तु हिन्दू होने के कारण ही उसे हमले का निशाना बनाया गया। उसके बयान से यह भी पता चलता है कि बाद में उसे ज्ञात हुआ कि मुसलमानों की उसी भीड़ ने गलशहीद पर हमला किया था जिससे डा0 शमीम अहमद खान और मुस्लिम समुदाय के अन्य लोगों का यहआरोप पूरी तौर से झूठा सिद्ध हो जाता है कि पुलिस जनों ने स्वयं ही पुलिस चौकी गलशहीद में आग लगाई थी। इस साक्षी ने भी 28-8-1980 को घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रदर्श बी/डब्लू-551551 उसकी प्रतिलिपि है।

श्री जयराम (बी/डब्लू-56) भी कुम्हार जाति का है। और गलशहीद के चौराहे पर रहता है। 13-8-1980 को पूर्वान्ह 9 बजे ईदगाह की ओर से बहुत से उत्तेजित मुसलमान आये थे और उन्होंने उससे अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए कहा क्योंकि वह यह देखना चाहते थे कि कोई पुलिसजन वहाँ छिपा तो नहीं है। उसने अपने घर का दरवाजा खोला और मुसलमानों ने उसके घर की तलाशी ली किन्तु उन्हें कोई पुलिसजन नहीं मिला। वह तुरन्त अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समीपवर्ती हरिजन बस्ती में शरण लेने चला गया। और 28-8-1980 को वह अपने घर लौटा और उसने पाया कि चार हजार रुपये मूल्य की उसकी सम्पत्ति लूट ली गई है किन्तु उसे सरकार से मुआवजे के रूप में केवल दो सौ पचास रुपए प्राप्त हुए। 1988-1980 को उसने इस घटना की लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली पर दी थी। प्रदर्श बी/डब्लू-56(56) उसकी प्रतिलिपि है।

इस प्रकार सावधानी पूर्वक उपर्युक्त साक्षियों के बयानों का विश्लेषण करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुलिस चौकी गलशहीद पर क्रोधित मुसलमानों द्वारा हमला किया गया था। मुसलमानों की भीड़ ने इसे जला दिया था, नष्ट कर दिया था और लूट लिया था।

इस सम्बन्ध में मुस्लिम समुदाय के बयान के महत्व पर भी विचार कर लिया जाय। शहर इमाम ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने कुछ मुसलमानों को, जो पुलिस चौकी के सामने स्थित छोटी कस्बिट की छत पर थे, गोलियों से भून दिया था। उनके शव उनके रिश्तेदारों को नहीं दिये गये। पुलिस चौकी के निकट स्थित मुसलमानों की सभी दुकानों और खोखों को जला दिया गया था।

डा० शमीम अहमद खाँ ने आरोप लगाया है कि उन्हें कोन पर यह सूचना मिली थी कि पुलिस चौकी के निकट मुसलमानों के सभी छह स्टालों और खोंखों को बी.ए.सी., ने हिन्दू गुंडों की सहायता से लूट लिया है या उनमें आग लगा दी है और लगभग सैंतीस, मुसलमान मारे गये हैं और बहुत से घरों को लूट लिया गया है और उनमें आग लगा

लगा दी गयी है। यह सूचना मिलने पर वह श्री नसीम अहमद एडवोकेट श्री मुख्तार अली खाँ और श्री सैयद हयात कादरी के साथ वहाँ गये और उन्होंने पाया कि सभी खोखे, और दुकानें सुलग रही हैं और कुछ पुलिस वाले तथा पी.ए.सी. के लोग पुलिस चौकी की इमारत को क्षति पहुँचा रहे हैं।

ऊपर दिये गये दोनों बयानों की पुष्टि किसी साक्ष्य से नहीं की गई है। शहर इमाम ने यह नहीं बताया कि इन्हें यह सूचना कहाँ से प्राप्त हुई थी। वह स्वयं उस स्थान पर नहीं गये थे। किसी मस्जिद की छत से कोई शव बरामद नहीं हुआ था और न इस बात का कोई साक्ष्य है कि उन्हें गुप्त रीति से ठिकाने लगा दिया गया था।

इसीप्रकार डा० शमीम अहमद खाँ द्वारा दिया गया बयान भी अत्यन्त अविश्वसनीय है। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया है जिससे उन्हें इस स्थान पर हुई दुर्घटना के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी और यह कि सैंतीस मुसलमान मारे गये थे और मुसलमानों के बहुत से घर लूट लिये गये थे और जला दिये गये थे। उनका यहकथन कि उन्होंने स्वयं पुलिस और पी.ए.सी. के लोगों को पुलिस चौकी की इमारत को क्षति पहुँचाते देखा था, अत्यन्त अविश्वसनीय है, क्योंकि वह उपद्रव करने के लिए स्वयं उत्तरदायी थे और वह स्वयं उस स्थान पर जाने का खतरा नहीं उठा सकते थे, जहाँ उनके अनुसार मुसलमान मारे जा रहे थे और वह कोईसहायता नहीं पहुँचा सकते थे। इस बात का कोईकारण नहीं मिला है कि पुलिस और पी.ए.सी. के लोग पुलिस चौकी की इमारत को किसलिए नष्ट करते और इसकी सम्पत्ति को क्यों क्षति पहुँचाते। वह इसका उत्तरदायित्व मुसलमानों पर डालना चाहते तो वह कई अन्य तरीकों से ऐसा कर सकते थे। उस स्थान पर एककांस्टेबिल की हत्या भी इस बात का खण्डन करती है, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि वह मुसलमानों द्वारा मारा गया था और मुसलमानों के पास इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। इस मुहल्ले की घटना के विषय में हुमायूँ कादिर ने कई आरोप लगाये है। उसका कहना है कि उस स्थान पर तीस मुसलमानों को मार डाला गया था और मुसलमानों की सत्ताईस दुकानों और पाँच मकानों को जला दिया गया था या लूट लिया गयाथा। उसने इसका ब्योरा अपने लिखित

बयान के साथ प्रस्तुत अनुलग्नक "ब-1 और ब-2" ~~अ~~ ~~ब~~ दिया है। कथित मृतक के किसी भी संबंधी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। वास्तव में इन आरोपों की पुष्टिकरने का कोई तात्पर्य नहीं है ।

दूसरे स्थान पर उसने यह आरोप लगाया है कि पुलिस बल के सदस्य और पी.ए.सी. के जवान मोहल्ला शहीद के जिगर पार्क के सीमने मस्जिद मदीनातुलउलूम में घुस गये थे और पाँच मुसलमानों को मार डाला था तथा उस मुहल्ले में स्थित मुसलमानों की दुकानों में आग लगा दी थी और शवों को आग की लपटों में फेंक दिया था उसका यहभी आरोप है कि यह पुलिस जन उसी मुहल्ले के अब्दुल हामिद और बाजी अनवर हुसैन के घरों में घुस गये थे और उन्हें उनके घरों से क्रमशः 80,000रू0 और 60,000/ रू0 के मूल्य की सम्पत्ति लूट ली थी। अब्दुल हामिद की पत्नी को भी मार डाला था जबकि बाजी अनवर हुसैन के परिवार के चार सदस्यों को उठा ले गये थे जिनका पता उस समय तक नहीं लग सका था। यहाँ तक कि इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई उपस्थित नही हुआ। अतः ऐसे निराधार आरोपों में कोई दम नहीं है ।

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्टहो जायेगा कि इस स्थान पर पुलिस या पी.ए.सी. के लोगों ने कोई ज्यादती नहीं की थी। वास्तव में जब तीन या चार हजार मुसलमानों ने हमला किया था पुलिस चौकी और उसके इलाके में स्थित क्वार्टरों को नष्ट कर दिया था और उसकी सारी सम्पत्ति के साथ हथियार और गोली बारूद लूट लिया था और एक कांस्टेबिल की हत्या कर दी थी तो वह स्वयं ही उनके शिकार हो गये थे। जहाँ ऐसा विध्वंस किया जा रहा था औरपुलिस असहाय देख रही थी वहाँ जाकर कोई भी हिन्दु मुसलमानों की सम्पत्ति को लूटने या उनकी दुकानों और मकानों को आग लगाने का साहस नहीं कर सकता था। यदि ऐसा कोई उदाहरण बताया गया था तो वह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किये गये कार्य का परिणाम हो सकता है।

4. फैजगंज

पुलिस चौकी फैजगंज मुहल्ला फैजगंज में स्थित है जो थाना मुगलपुरा के क्षेत्राधिकार में आती है। प्रदर्श सी/डब्लू-46।266। उसका नक्शा है। उसकी स्थालाकृति मेरी परीक्षण टिप्पणी ।अनुलग्नक "ब"। और कांस्टेबिल

भागीरथ सिंह ।ती/डब्लू-4। के बयान से स्पष्ट हो जायेगी। इसके उत्तर में मोहल्ला कानून गोयान है जहाँ हिन्दू और मुसलमान दोनों रहते हैं। दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम को एक सड़क जाती है और सड़क के उस पार मुसलमानों का कब्रिस्तान है तथा उसके बाद लकड़ी वालों और काजटीटोला मोहल्ले हैं। इन मुहल्लों में केवल मुसलमान ही रहते हैं। मोहल्ला फैजगंज के पूरब में राजकीय इण्टर कालेज और थाना मुगलपुरा है। पश्चिम में मुहल्ला रकाबपुरा है जहाँ डाक्टर शमीम अहमद खाँ रहते हैं। यह पूर्णतया मुसलमान बस्ती है। मोहल्ला लकड़ीवालों और काजटी टोला केपूरब में उत्तर से दक्षिण को एक गली जाती है। दक्षिण की ओर यह गली ईदगाह तक जाती है जो फैजगंज पुलिस चौकी से लगभग 1½ किलो मीटरी की दूरी पर स्थित है।

प्रशासन ने तीन साथियों अर्थात कांस्टेबिल भागीरथ सिंह ।ती/डब्लू-4।, तब इंस्पेक्टर श्री छबिनाथ राघव ।ती/डब्लू-5। इस पुलिस चौकी पर उस दिन कांस्टेबिल भागीरथ सिंह ।ती/डब्लू-4। और कांस्टेबिल अकबरअली ड्यूटी पर थे। पुलिस बल के अन्य लोग दूसरी जगह ड्यूटी पर गये थे। श्री छबिनाथ राघव, तब इंस्पेक्टर ।ती/डब्लू-5। थाना मुगलपुरा में प्रशिक्षण ले रहे थे। वह इस पुलिस चौकी के एक कमरे में रहते थे। उस दिन उन्हें किसी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया गया था और वह अपने कमरे में मौजूद थे।

कांस्टेबिल भागीरथ सिंह ।ती/डब्लू-4। ने जो पूर्वान्ह 6.00 बजे से 12 बजे तक पहरेदार के रूप में ड्यूटी पर था, कहा है कि पूर्वान्ह लगभग 11.00 बजे 60-80 मुसलमानों की एक भीड़ दक्षिण की ओर से यह चिल्लाती हुई पुलिस चौकी पर आयी कि पुलिस जनों और हिन्दुओं को मार डालो और पुलिस चौकी को आग लगा दो। उनके पास ईंटों के टुकड़े लाठियाँ, [illegible] भालेचाकू, पिस्तौल और बन्दूकेथी। इस स्थान पर भी भीड़ के आगे-आगे डा0 शमीम खाँ थे जो जैसा कि ऊपर कहा गयाहै, दंगाइयों को उत्तेजित कर रहे थे। दंगाइयों में अजमतउल्लाह, उसमान अली, मलिक शाहिद, तेबद हामिद, सलीम, नसीर हुसैन, मोबिन इशरत अली, अख्तर हुसैन, शराफत, सलीम निवासी घेरसईद और

सुल्तान भी थे। इशरत अली के पास एक बन्दूक थी और अन्य लोगों के पास चाकू भाले, पिस्तौलें, लाठियाँ, बन्दूकें और ईंटों के टुकड़े थे।। डा0 शमीम अहमद खाँ के हाथ में ईंट का टुकड़ा था। पुलिस चौकी पर कोई सर्विस आग्नेयास्त्र नहीं रखा जाता है। इस साक्षी की निजी लाइसेंस बन्दूक कमरे के अन्दर दीवाल पर लटकी हुई थी। उस समय तक बगर में कर्फ्यू भी लगाया जा चुका था। श्री राघव और इस साक्षी ने दंगाइयों से कहा कि कर्फ्यू लग चुका है और उन्हें शांतिपूर्वक चले जाना चाहिए किन्तु उन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और पुलिस चौकी की ओर गोली चलाने और ईंटों के टुकड़े फेंकने लगे। इशरतअली ने उस पर एक गोली चलाई किन्तु वह बाल-बाल बच गया। पथराव किये जाने से पुलिस चौकी की छत, दीवाल, दरवाजे और खिड़कियाँ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। जो लोग वहाँ रह रहे थे उनके जीवन के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया था। इसलिए उसने अपनी बन्दूक उठाई और दंगाइयों को चेतावनी दी कि वह चले जाँय अन्यथा वह उन पर गोली चला देगा। जब दंगाइयों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो उसने हवा में गोली चलाई और सहायता के लिए चिल्लाया तभी तब इंस्पेक्टर राजेन्द्र त्यागी कुछ कांस्टेबिलों और पी.ए.सी. बल के साथ पुलिस थाना मुगलपुरा की ओर से वहाँ आये और दंगाइयों से मुठभेड़ के बाद उनमें से छह दंगाइयों को गिरफ्तार ~~प्र~~ करने में सफल हो गये। इशरत अली भी उनमें से एक था किन्तु उसने अपनी बन्दूक अपने एक सहयोगी को दे दी थी जो उसे लेकर भाग निकलने में सफल हो गया था। जिनके पास ईंटों के टुकड़े थे उन्होंने उन्हें जमीन पर फेंक दिया था। दंगाइयों ने इन ईंटों के टुकड़ों को कब्रिस्तान की दीवाल से लिया था। दंगाइयों के चले जाने के बाद उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसे थाने में दे दिया था। इसकी सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श सी/डब्लू-4।।7। है। उसने अपनी चोटों की परीक्षण अस्पताल में कराया था उसने यह भी बताया है कि डाक्टर बी.एन. गुप्ता, ।बी/डब्लू-20।पुलिस चौकी से लगभग 100-150 गज की दूरी पर रहते हैं। ऐसी कोई बात अभिलिखित नहीं है जिससे यह प्रकट हो सके कि वह किसी मुसलमान के विरुद्ध हैं।

श्री ओमिवाल सिंह राघव ।सी/डब्लू-5। ने सभी सारवान

बातों पर कांस्टेबिल भागीरथ सिंह ।ती/डब्लू-9। के बयानों की पूर्णतया पुष्टि की है। उसके बयान से यह बात स्पष्ट होती है कि यदि मुगलपुरा का पुलिस बल न पहुँच गया होता और भागीरथ सिंह ने गोली न चलाई होती तो कोई भी जीवित न बचता और पुलिस चौकी की सम्पत्ति को काफी नुकसान पहुँच गया होता। उसने यह भी कहा है कि इस पुलिस चौकी पर घटना पूर्वान्ह 11.00 बजे शुरू हुई थी और अपरान्ह 1,00 बजे तक होती रही। उसी दिन लगभग अपरान्ह 3.00 या 4.00 बजे उसे पता चला कि दो हिन्दुओं के शव केजगंज पुलिस चौकी के क्षेत्र में बरामद हुए हैं। उन दोनों के शरीर पर केवल चाकू के घाव थे।

कांस्टेबिल शिव कुमार सिंह ।ती/डब्लू-17। उस दिन केपिटल सिनेमा में ड्यूटी ~~क्षेत्र के लिए उपस्थित~~ पर था पूर्वान्ह लगभग 10.00बजे जब वह अपनी ड्यूटी देने के लिए उक्त सिनेमाघर जा रहा था और उस स्थान पर पहुँचा जहाँ पुलिस चौकी केजगंज से कुछ दूरी पर एक मसजिद का निर्माण हो रहा था तब 50 या 60 मुसलमानों ने उसे घेर लिया और उस पर हथियारों से हमला किया। उसने सहायता के लिए शोर मचाया और उसे सुनकर कुछ पुलिस जन चौकी से वहाँ पहुँचे और उसे बचा लिया। किन्तु दंगाई उसकी कलाई घड़ी, साइकिल और 300 रु० छीन कर ले गये। उसने 14 व्यक्तियों को पहचान लिया था जिसमें शराफत हुसैन भी था जिसने उसकी जेब से 300 रु० निकाले थे, सुलकान ने उसकी कलाई घड़ी उतार ली थी और मलिक शहिद ने उसकी साइकिल छीनी थी, उसने थाना मुगलपुरा में 11 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी प्रतिलिपि प्रदर्श ती/डब्लू-17।13।। है। उसने अपनी चोटों का परीक्षण अस्पताल में कराया था। इस प्रकार इन तीन साक्षियों के बयानों से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 13-8-1980 को ईदगाह की घटना के बाद मुसलमानों ने केजगंज पुलिस चौकी को नुकसान पहुँचाने और पुलिस कार्मिकों की हत्या करने के उद्देश्य से हमला किया था।

नागरिक परिषद ने इस पुलिस चौकी की घटना के संबंध में केवल एक साक्षी का परीक्षण किया है। वह नगर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति डा० विश्वनाथ ।ती/डब्लू-20। हैं जो आयकर देते हैं और मोहल्ला केजगंज में औषधालय चलाते हैं। दिनांक 13-8-1980 को वह ईदगाह गये

थे और वहाँ पर पूर्वान्ह 8.45 बजे तक रहे। ईदगाह की तिथत के विषय में उनके बयान पर पहले ही विचार विमर्श किया जा चुका है। पूर्वान्ह 8.45 बजे वह अपनी क्लीनिक पर वापस लौटे क्योंकि उनके मरीज वहाँ पर उनका इन्तजार कर रहे थे। जब वह स्टेशन रोड और कटरा होकर अपने घर को वापस जा रहे थे तब उन्होंने मोहल्ला मानपुर, भट्टी और काजी जी की इमली के पास 15 या 20 मुसलमान लड़कों को आपस में काना फूसी करते देखा। पूर्वान्ह लगभग 9.45 बजे जब वह अपने घर पर थे और अपनी क्लीनिक जाने को तैयार थे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ईदगाह पर कोई अप्रिय घटना हुई है जिसमें भारी संख्या में लोग मार डाले गये हैं। उन्होंने अपने घर का दरवाजा बन्द कर लिया और टेलीफोन पर कुछ व्यक्तियों से सम्पर्क करने का प्रयास किया किन्तु सफल नहीं हो सके। पूर्वान्ह लगभग 10.45 या 11.00 बजे उन्हें पुलिस चौकी कैजगंज की ओर शोर गुल सुनाई पड़ा जो उनके घर से लगभग एक फर्लांग की दूरी पर स्थित है। वह अपने घर से बाहर निकल आये और उन्होंने देखा कि लगभग एक सौ मुसलमान पिस्तौल, बन्दूक, लाठियों और लोहे की छड़ों से लैस होकर ईंटों के टुकड़े फेंकते हुए और यह चिल्लाते हुए आये कि किसी भी पुलिस जन को जीवित न छोड़ा जाय उनमें से कुछ गोलियाँ भी चला रहे थे।

5- तहसीली स्कूल:

तहसीली स्कूल का नक्शा प्रदर्श सी/डब्ल्यू-44।259। है और मेरी निरीक्षण टिप्पणी अनुलग्नक ।"ब"। है। इसका दरवाजा सड़क की ओर खुलता है।

प्रशासन ने दो सार्थियों अर्थात सर्व श्री आर.एस. असवाल ।सी/डब्लू-2। और नायक रामधन सिंह ।सी/डब्लू-3। का परीक्षण किया श्री आर.एस. असवाल थाना मुगलपुरा पर दिनांक 4-4-1980 से 26-1-1982 तक द्वितीय अधिकारी ।सेकेन्ड आफिसर। के रूप में तैनात थे। ईद के अवसर पर शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उन्हें तहसीली स्कूल के चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात किया गया था। वह उसी दिन प्रातःकाल सर्विस रिवाल्वर और 30 चक्र कारतूस अपने लेकर

वहाँ गये। उनके साथ कांस्टेबिल अमर सिंह था जिसके पास, एक लाठी थी। उनके अलावा पी.ए.सी. का आधा सेक्शन वहाँ पहले से ही मौजूद था, उसमें चार जवान अर्थात नायक कैलाश सिंह, कांस्टेबिल गोविन्द प्रताप सिंह, कांस्टेबिल परमेश्वर दुबे और नायक रामधन सिंह थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक राइफल और 50 छर्रा गोलियाँ थीं। नायक रामधन सिंह ने हेड कांस्टेबिल धनपाल सिंह को कार्य मुक्त कर दिया था और उससे अस्त्र-शस्त्र और गोली बारूद ले लिया था ।जनरल डायरी प्रदर्श /सीडब्लू-3 ।16। में प्रविष्टि देखे । श्री अलबाल, तब इंस्पेक्टर साइकिल से तहसीली स्कूल पहुँचे थे और उन्होंने पी.ए.सी. गार्ड को आवश्यक अनुदेश दिये थे। उसके बयान से पता चलता है कि पूर्वान्ह 10-30 बजे लगभग 2000 मुसलमान ईदगाहकी ओर से वहाँ आये जो हिन्दुओं और पुलिस तथा पी.ए.सी. कार्मिकों के विरुद्ध नारे लगा रहे थे और उनको मार डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उनके पास पिस्तौल, बन्दूकें ईंटों के टुकड़े, चाकू और लाठियाँ थीं उनमें से कुछ लोगों के पास जलती हुई मशालें थी। जब दंगाई पुलिस बल की ओर बढ़े, तब श्री अलबाल ने उन लोगों से कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अधीन आदेश लागू हैं और उन लोगों कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। भीड़ ने कोई ध्यान नहीं दिया और तेजी से पथराव करने लगे तब तक यह सूचना प्राप्त हो गई थी किनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है । अतः श्री अलबाल ने इस बात से उन लोगों को अवगत कराया और उनसे शीघ्रता से तितर-बितर हो जाने के लिए कहा अन्यथा बल प्रयोग करने की धमकी दी दंगाइयों को कई बार चेतावनी दी गई किन्तु व्यर्थ रहा। जब पुलिस बल ने यह देखा कि स्थिति बिगड़ती जा रही है और उनका जीवन खतरे में है तो उन लोगों ने तहसीली स्कूल के दो कमरों में शरण ली। मुसलमान दंगाइयों ने इन कमरों में आग लगा दी और उस बस्ती में स्थित घर की छतों और दुकानों से ईंटों के टुकड़े फेंकने लगे। उन लोगों ने फाटक के पास स्कूल की चहार-दीवारी को गिरा दिया और पुलिस बल पर उसकी ईंटें फेंकी। अपरान्ह लगभग 1.00 बजे कुछ दंगाई नायक रामधन सिंह।सी/डब्लू-3। की ओर लपके और उसके हाथों से राइफल छीनने का प्रयास किया। जब श्री अलबाल और पुलिस बल के अन्य लोगों ने दंगाइयों

को ऐसा करने से रोका तब उन लोगों ने नायक श्री रामधन सिंह को ही फाटक की ओर घसीटने का प्रयास किया इसके बाद दंगाइयों ने लाठी से टेकेबाजी करना, गोली चलाना और छुरे बाजी करना शुरू कर दिया। पुलिस बल के सदस्यों ने सहायता के लिए शोर मचाया और स्थिति इतनी गम्भीर हो गई थी कि पुलिस बल के सभी लोगों के जीवन के लिए गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया था। श्री असवाल ने पुन: उन लोगों को चेतावनी दी और यह धमकी दी कि यदि वह अपनी इन कार्यवाहियों को नहीं रोकेंगे तो गोली चलानी पड़ेगी। कुछ दंगाइयों ने नायक रामधन सिंह को छूरा भोंक दिया और स्थिति इस हद तक बिगड़ गई कि केवल गोली चलाने से ही पुलिस बल के सदस्यों के जीवन को बचाया जा सकता था। अत: श्री असवाल ने अंतिम चेतावनी दी और स्कूल के फाटक की ओर दो चक्र गोलियाँ चलाई। इसका कोई भी असर नहीं पड़ा और श्री असवाल ने पी.ए.सी. के जवानों को गोली चलाने का आदेश दिया। तदनुसार एक जवान ने दो गोली और दो अन्य जवानों ने दो गोलियाँ चलाई। इस प्रकार गोली चलाने से भी दंगाई हतोत्साहित नहीं हुए। अवसर पाकर नायक राधन सिंह ने अपने को छुड़ा लिया। चूँकि स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, अत: श्री असवाल ने सभी चारों जवानों को पाँच पाँच चक्र गोली चलाने का आदेश दिया। पहले कैलाश सिंह, कांस्टेबिल परमेश्वर दुबे, कांस्टेबिल गोविन्द प्रताप सिंह और रामधन सिंह ने एक-एक गोली विभिन्न दिशाओं में चलाई। इसके बाद श्री असवाल ने चारों कान्सटेबिलों से दो-दो चक्र गोलियाँ और चलाने को और फिर उसी दिशाओं में दो चक्र गोलियाँ चलाई गई। दंगाई तितर-बितर होते दिखाई दिये और श्री असवाल ने गोली चलाना बन्द करवा दिया। श्री असवाल के बयान से पता चलता है कि उन्होंने बाध्य कर परिस्थितियों में गोली चलवाई थी और कम से कम बल का प्रयोग किया गया था। यदि गोली न चलाई गई होती तो पुलिस बल के सभी सदस्य मार डाले गये होते और उनके पास जो अस्त्र-शस्त्र और गोली बारूद था वह छीन लिया गया होता। श्री असवाल बड़ी कठिनाई से स्थिति को नियंत्रण में लाये।

श्री असवाल के बयान से इस बात का भी पता चलता है कि पथराव किये जाने से महसीली स्कूल कैम्पस को काफी क्षति पहुँची थी, दंगाइयों ने उन कमरों में आग लगा दी थी जिनमें सिविल पुलिस और पी.ए.सी. के

सदस्यों ने शरण ली थी। दंगाइयों के चले जाने के बाद श्री अलबाल ने बुझाई आग बुझवाई।

उनके बयानों से यह भी पता चलता है कि कुछ दंगाइयों को उनकी ओर से चलाई गई गोलियों के कारण चोटें आई थीं किन्तु उनमें से किसी की भी मृत्यु घटना स्थल पर नहीं हुई थी। नायक रामधन सिंह को जो घायल हो गया था, बी.ए.सी. की गाड़ी में जो दंगाइयों के चले जाने के बाद पहुँची थी, सेंट्रल पुलिस हास्पिटल भेजा गया था।

श्री अलबाल ने यह बताया कि बाद में तहसीली स्कूल के पास चार शव पाये गये थे। उनमें से तीन शव हिन्दुओं के थे और एक शव मुसलमान का था। उनमें से किसी को भी आग्नेयास्त्र से चोट नहीं आई थी। नायक रामधन सिंह ।सी/डब्लयू-3। ने पूर्णतया उसके बयान की पुष्टि की है। उसके बयान से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तहसीली स्कूल में श्री अलबाल ने अपने सर्विस रिवाल्वर से दो चक्र गोलियां चलाई थीं, नायक कैलाश सिंह, नायक रामधन सिंह, कांस्टेबिल परमेश्वर दूबे और कांस्टेबिल गोविन्द प्रताप सिंह ने अपनी-अपनी राइफलों से क्रमशः आठ पाँच, छः और पाँच चक्र गोलियाँ चलाई थीं। कुल मिलाकर 26 चक्र, गोलियां चलाई गयी थीं। कितने अस्त्र-शस्त्र उन्हें दिये गये थे और कितने अस्त्र-शस्त्र उन्होंने लौटाये इस बात को स्पष्ट करने के लिए जनरल डायरी की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। इन प्रविष्टियों से इस बात की पुष्टि होती है कि तहसीली स्कूल में केवल 26 चक्र गोलियां चलाई गई थीं और इस घटना स्थल पर आग्नेयास्त्र की चोटों से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी।

नागरिक परिषद ने श्री लक्ष्मण ।बी/डब्लू-43। का परीक्षण किया है जो नगर पालिका के में ट्रैक्टर xxxx

बरसाने लगी और चिल्लाई कि हिन्दुओं और पुलिसवनों को मार डालो ट्रेक्टर को उसी स्थिल पर छोड़ने के बाद वह तीनों व्यक्ति कमल टाकीज की ओर भागे और उक्त सिनेमाघर के मालिक के भवन में शरण ली । पाँचवे दिन पुलिस ने अपनी सुरक्षा में उन्हें अनके घर पहुँचाया। दिनाँक 22-8-1980 को जब उसे कर्फ्यू पास दिया गया तब उसने अपनी चोटों का परीक्षण कराया। उसने इस घटना के बारे मे एक रिपोर्ट लिखवाई जिसकी प्रतिलिपि बी/डब्लू-43।40। है। उसने यह भी बताया है कि श्री डी.पी. सिंह, प्रभारी अधिकारी नगरपालिका को उस दिन ईदगाह पर मुसलमान दंगाइयों ने मार डाला था। इन साक्षियों के बयानों से यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है कि तहसीली स्कूल पर यहघटना उसी प्रकार हुई थी जैसा कि श्री आर.एस. असवाल ।सी/डब्ल्यू-2। ने कहा है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इस स्थान पर चार शव पाये गये थे। इनमें से तीन शव हिन्दुओं के थे और एक शव मुसलमान का था। अतः डाक्टर शमीम अहमद खाँ का यह दावा बिल्कुल गलत है कि वहाँ पर केवल एक ही शव था।

6- पुलिस चौकी नागकनी

मुरादाबाद नगर में नागकनी नामक एक मोहल्ला है। 1980 में इसमें एक पुलिस चौकी थी जो पुलिस चौकी नागकनी कहलाती थी, यह पुलिस थाना मुगलपुरा के क्षेत्राधिकार में थी। 1982 में यह अलग से एक पुलिस थाना बन गया था किन्तु रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए इसे पुलिस चौकी नागकनीकहा जायेगा। ,पंदर्श सी/डब्लू-4।x।x।x।x -45।262।इसका नक्शा है। जैसा कि श्री के.एम. पाण्डेय ।सी/डब्लू-1। के बयान से और मेरी निरीक्षण टिप्पणी अनुलग्नक "ब" से स्पष्ट होगा, यह बंगला गाँव झब्बू का नाला, मोहल्ला नवाब का पुरा ।जो नवाबपुरा भी कहलाता है। गंगा का मंदिर से आने वाले चार रास्तों से जुड़ी है। इस मुहल्ले में अधिकांश मुसलमान हैं और यहाँ हरिजनों और खाटकों के थोड़े ही घर हैं। मुसलमान अधिकतर नवाबपुरा, झब्बू का नाला और नागला गाँव से आने वाले रास्तों के किनारे रहते हैं। इस पुलिस थाने के दक्षिण में पन्द्रह या बीस गज की दूरी पर एक मस्जिद है जो नागकनी मस्जिद कहलाती है। इसके दक्षिण

में एक कब्रिस्तान है। इस मस्जिद और कब्रिस्तान के निकट की सम्पूर्ण बस्ती में मुसलमान रहते हैं। वाल्मीकि और जाटव इस पुलिस चौकी के अन्तर्गत मोहल्ला नाग गुलाब राय और किसरौल में रहते हैं।

अगस्त 1980 में हेड कांस्टेबिल 133 ओम प्रकाश सिंह ।सी/डब्लू-8। इस पुलिस चौकी पर तैनात था। 13-8-1980 को इस चौकी पर कांस्टेबिल धर्मपाल और वह ड्यूटी पर थे जबकि पुलिस बल के अन्य सदस्य अन्य स्थानों पर ड्यूटी पर चले गये थे। इन दोनों ही पुलिस कार्मिकों के पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं था क्योंकि किसी पुलिस चौकी पर कोई सर्विस आग्नेयास्त्र नहीं रखा जाता है। हेड कांस्टेबिल ओम प्रकाश सिंह ।सी/डब्लू-8। ने बताया है कि दिन में लगभग 12 बजे लगभग 1,000 या 1,500 मुसलमान ईदगाहकी ओर से आये और उन्होंने उन पर हमला किया यह लोग तीन ओर अर्थात् झब्बू का नाला, नवाब का पुरा और मस्जिद वाली गली की ओर से आये थे। लगभग सात या आठ सौ व्यक्ति झब्बू। का नाला की ओर से, लगभग दो सौ या तीन सौ व्यक्ति नवाब का पुरा की ओर से आये थे। वह चिल्ला रहे थे कि पुलिस चौकी और हिन्दुओं के घरों को आग लगा दो और पुलिस वालों तथा हिन्दुओं को मार डालो और उनकी सम्पत्ति छीन लो। यह दंगाई पिस्तौल, लाठी, बल्लम और ईंट के टुकड़ों से लैस थे। उन्होंने पुलिस चौकी पर भारी पथराव किया। उसने दंगाइयों से शांतिपूर्वक तितर-बितर हो जाने के लिए आग्रह किया किन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ। दंगाई गोलियां भी चलाने लगे। उसी समय श्री के.एम. पाण्डेय सर्किल आफिसर नगर ।द्वितीय। कुछ पुलिस बल के साथ वहाँ आये। हरिजन बस्ती की ओर से बचाओं-बचाओं की आवाजें आ रही थी। श्री मिश्र ने कई बार चेतावनी दी और जब दंगाइयों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने हेड कांस्टेबिल देवेन्द्र सिंह से उस गली की ओर दो गोलियां चलवाई जो मस्जिद के बगल से निकलती है। हेड कांस्टेबिल हरीश चन्द्र शर्मा से दो चक्र गोलियां झब्बू का नाला की ओर और एक चक्र गोली नवाब का पुरा की ओर चलवाई। इस स्थान पर कुल मिलाकर पाँच चक्र गोलियां चलाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप एक भी मुसलमान दंगाई नहीं मारा गया। उसने आगे यह भी बताया है कि यदि ऐसा न किया जाता तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस जन और

बहुत से हिन्दू मारे जाते और पुलिस चौकी लूट ली जाती और नष्ट कर दी जाती। दंगाइयों ने झब्बू का नाला स्थित राधेश्याम की दुकान में आग लगा दी। उनके वहाँ से चले जाने पर पुलिस चौकी के सामने से झब्बू का नाला की तरफ जाने वाली सड़क पर तीन शव पाये गये। थे। दो शव हिन्दुओं के थे और एक शव मुसलमान का था। उनमें से दो शवों पर छुरे के घाव थे और एक शव पर कुन्द हथियार की चोटें थी। दंगाइयों में से मंजूर कल्लू और बुन्दू पहचान लिये गये थे। दंगाइयों द्वारा बड़ी संख्या में फेंके गये ईंटों के टुकड़े सड़क पर तथा पुलिस चौकी की चहारदीवारी में पड़े थे।

सर्किल आफिसर नगर ।द्वितीय। श्री के.एम.पाण्डेय ।सी/डब्लू-।। ने बताया है कि उस दिन लगभग 12 बजे जब वह लोको शेड के नजदीक थे, तब उन्हें यह सूचना मिली कि पुलिस चौकी नागफनी पर मुसलमानों ने हमला कर दिया है और वहाँ पर तैनात अधिकारियों तथा उस बस्ती में रहने वाले हिन्दुओं और वाल्मीकियों की जान खतरे में हैं। वह तुरन्त पीलीकोठी सिविल लाइन्स पुलिस थाना, पुलिस लाइन्स और बंगला गाँव होकर वहाँ गये। उन्होने अपनी जीप पुलिस चौकी नागफनी के पीछे खड़ी की और अपने पुलिस बल के साथ अन्दर गये। उस समय हेड कांस्टेबिल ओम प्रकाश और कांस्टेबिल धर्मपाल पुलिस चौकी पर ड्यूटी पर थे। मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ ने इसे तीन ओर से घेर रखा था। पुरुष और वह लोग पुलिस तथा हिन्दुओं के विरूद्ध नारे लगा रहे थे। पुलिस बल उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा था किन्तु वह अत्यन्त उत्तेजित और हिंसा पर उतारू थे तथा उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी संख्या तुरन्त बढ़ कर लगभग एक हजार या पन्द्रह सौ हो गयी थी। उनके पास लाठियाँ डंडे करसे और पिस्तौलें थीं लगभग तीन या चार सौ मुसलमान मस्जिद की बगल वाली गली में थे, सात या आठ सौ मुसलमान झब्बू का नाला की तरफ पुलिस चौकी के निकट एकत्र थे और लगभग दो या तीन सौ मुसलमान पुलिस चौकी से लगभग पचास या सौ गज की दूरी पर नवाबपुरा मार्ग पर थे। भीड़ को शांत करने के सभी प्रयास निष्फल रहे। उसी समय उन्होने उपर्युक्त तीनों स्थानों से गोलियाँ चलने की आवाज सुनी। मुसलमान चिल्ला रहे थे कि पुलिस वालों को मार डालो, पुलिस

चौकी को गिरा दो और हिन्दू बस्ती को नष्ट कर दो और लूट लो। उन्होने बार-बार उनसे कहा कि उनकी भीड़ गैरकानूनी है और उन्हें तितर-बितर हो जाना चाहिए किन्तु उन्होने सुनी अनसुनी कर दी। स्थिति को अत्यन्त गम्भीर पाकर उन्होने नियंत्रण कक्ष को और पुलिस बल भेजने की सूचना दी। दंगाई अत्यन्त उत्तेजित थे और वह पुलिस चौकी, हिन्दुओं के घरों और पुलिस बल के लोगों को हानि पहुँचाने पर उतारू थे। हिन्दू बस्तियों से "बचाओ-बचाओ" की चीत्कार सुनाई दे रही थी। दंगाइयों द्वारा पथराव करना और गोलियाँ चलाना निरन्तर तेज होता जा रहा था। इससे पुलिस बल के सदस्यों और हिन्दुओं के जीवन और सम्पत्ति को काफी खतरा उत्पन्न हो गया था। वह उस स्थान पर ज्येष्ठतम पुलिस अधिकारी थे और इस नाते उन्होने एक और चेतावनी दी और उनकी भीड़ को गैरकानूनी घोषित किया किन्तु वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आये। आखिरकार उन्होने उनसे कहा कि वह शांतिपूर्वक तितर-बितर हो जांय अन्यथा उनके विरुद्ध बल का प्रयोग करना पड़ेगा। चूँकि उनके पास गिनेचुने पुलिस कर्मचारी थे और पुलिस तथा हिन्दुओं के जीवन और सम्पत्ति को बचाना आवश्यक था इसलिए उन्होने गोली चलवाई। हेड कांस्टेबिल देवेन्द्र सिंह ने मस्जिद की ओर दो चक्र गोलियाँ चलाई तथा कांस्टेबिल हरीश चन्द्र शर्मा ने अपनी मस्कट से दो चक्र गोलियाँ झब्बू का नाला की ओर और एक चक्र गोलियाँ नवाब का पुरा की ओर चलाई। प्रत्येक गोली पहले चलाई गई गोली का परिणाम देखकर चलाई गई थी। ज्योंही उन्होने यह पाया कि भीड़ पीछे हट रही है, उन्होने गोली चलाना रुकवा दिया। उन्होने जन-जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा में कम से कम तथा पूर्णतया नियमानुसार गोलियाँ चलवाई, सभी गोलियाँ भीड़ पर चलाई गई ताकि वह प्रभावकारी हों। यदि वह वहाँ रेला न करवाते तो जनजीवन और सम्पत्ति की अपार क्षति हो जाती ।

मोहल्ला नागफनी में हुईघटनाओं के बारे में नागरिक परिषद ने भी सौ साक्षियों का परीक्षण किया है। जो इस प्रकार है सर्वश्री ज्ञानेन्द्र शर्मा ।बी/डब्लू-34।, राधेश्याम= ।बी/डब्लू-35।, दयाचन्द ।बी/डब्लू-36।, कल्लूराम ।बी/डब्लू-38।, राम नरायन ।बी/डब्लू-45।, जयंती प्रसाद । बी/डब्लू-51।, और राजचन्द्र सागर ।बी/डब्लू-65।

श्रीमती तोहनिया (बी/डब्लू-57) तथा श्रीमती कौशल्या देवी (बी/डब्लू-63) ।

श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा विधि व्यवसायी हैं और वह मुरादाबाद नगर के मोहल्ला किलरौल में रहते हैं। 13-8-1980 को पूर्वान्ह लगभग 10.30 बजे वह कार से काँठ जाना चाहते थे। जैसे ही वह अपने घर से बाहर आये, उन्होंने पुलिस चौकी नागफनी की ओर से "अल्लाह-हो-अकबर" का शोर सुना। वह जल्दी से उस ओर गये और जब वह पुलिस चौकी से पच्चीस या तीस गज की दूरी पर थे तब उन्होंने झब्बू का नाला की ओर लगभग एक हजार मुसलमानों की भीड़ देखी। वह ईंटों के टुकड़े फेंक रहे थे और उनके पास लाठियाँ, ज्वलन्त मिट्टी के तेल के टिन और बोतलें थीं। चूँकि भीड़ अत्यन्त क्रुद्ध थी और वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह अपने घर लौट आये और उन्होंने कोतवाली की पुलिस से फोन पर सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया। काफी देर बाद उन्हें पता चला कि पुलिस थाना कोतवाली पर भी हमला हो गया है। बाद में उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने पुलिस चौकी नागफनी और हरिजन बस्ती पर हमला कर दिया था।

उन्होंने यह भी बताया कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री एस. बी. आर्य ने वाल्मीकियों की कोई सभा आयोजित नहीं की थी और न उन्होंने ईदगाह पर उपद्रव करने के लिए उन्हें उकसाया था। पुलिस और हिन्दुओं पर किया गया हमला बिना किसी छेड़छाड़ के किया गया था।

श्री राधे श्याम (बी/डब्लू-35) कागज बक कम्पनी, मुरादाबाद के मालिक हैं और मोहल्ला किलरौल में रहते हैं। उनकी बक फैक्टरी पुलिस चौकी नागफनी के निकट स्थित है। उन्होंने कहा है कि 13-8-1980 को पूर्वान्ह लगभग 11 बजे लगभग एक हजार मुसलमानों की एक भीड़ ने उनके मोहल्ले पर हमला किया, उनकी फैक्टरी में आग लगा दी और हरिजनों तथा हिन्दुओं के घरों को लूटा। उन्हें लगभग चालीस हजार रुपए की हानि हुई किन्तु उन्हें मुआवजे के रूप में केवल एक हजार रुपए प्राप्त हुए हैं। उनके अनुसार दंगाई बोतलों में तेजाब लिए थे।

उन्होंने 16-8-1980 को इस घटना के बारे में रिपोर्ट पुलिस थाना मुगलपुरा में दर्ज कराई थी। प्रदर्श बी/डब्लू-35।30। उसकी सत्य प्रतिलिपि है। उन्होंने बताया है कि मुसलमानों ने हरिजन बस्तियों पर आक्रमण किया था क्योंकि उनके घर छोटे हैं और उनके पास अपनी रक्षा कोई साधन नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने डाक्टर शमीम अहमद खाँ का मुस्लिम बस्तियों में मुसलमानों की सभाएं आयोजित करते देखा था।

श्री दबा राम ।बी/डब्लू-36। खाटब जाति का है और नागफनी पुलिस चौकी के समीप रहता है। उसके घर पर भी मुसलमानों ने आक्रमण किया था और उसे कई हजार रुपयों की क्षति हुई थी। उसे क्षतिपूर्ति के रूप में केवल 100/= प्राप्त हुए थे। प्रदर्श बी/डब्लू-36 ।32। उसके द्वारा 14-8-1980 को पुलिस थाना मुगलपुरा में लिखाई गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि है।

श्री कल्लू राम ।बी/डब्लू-38। भी पुलिस चौकी नागफनी के समीप रहता है और 13-8-1980 को पूर्वान्ह 10-30 बजे जो आक्रमण हुआ उसका वह शिकार हुआ था। उसका घर लूट लिया गया था और जला दिया गया था। दंगाइयों में रियाज, नौशेर, उस्मान, इरफान, रियासत और दूसरे लोग थे। उसे लगभग 20,000/= रू0 की क्षति हुई थी किन्तु क्षतिपूर्ति के रूप में केवल 1,250/= रू0 मिला था। प्रदर्श बी/डब्लू-38।35। उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि है।

श्री राम नारायन ।बी/डब्लू-45। जाटवों की बस्ती में रहता है, और उसने उस दिन पूर्वान्ह 10.30 बजे सैकड़ों मुसलमानों द्वारा अपनी बस्ती पर किए गए हमले के बारे में बयान दिया है। उसके परिवार के सदस्यों को पीटा गया था और उसके घर में मिट्टी का तेल छिड़कर कर आग लगा दी गई थी। उसने लगभग 17.000/= रू0 की हानि उठाई थी। प्रदर्श बी/डब्लू-45।42। उसके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि है।

श्री जयन्ती प्रसाद, मोहल्ला नागकनी का एक और निवासी है, वह भी मुसलमानों के हमले का शिकार हुआ था और उसने लगभग 9,000/= रू0 की हानि उठाई थी। उसके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदर्श बी/डब्लू-51।49। है।

इस मोहल्ले की घटनाओं की अगली साक्षी श्रीमती सोहनिया ।बी/डब्लू-57। है। मुसलमानों की भीड़ को हिन्दुओं के घरों पर आक्रमण करते देखकर वह भाग गई थी और मुसलमानों ने उसके घर को क्षति पहुँचाई थी और उसकी सम्पत्ति लूटली थी । उसे लगभग 3,000/= रू0 की हानि हुई किन्तु क्षतिपूर्ति के रूप में केवल 150/= रू0 मिले थे। प्रदर्श बी/डब्लू-57।57। उसके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि है ।

श्रीमती कौशल्या देवी ।बी/डब्लू-63। ब्राह्मण जाति की है और उक्त पुलिस चौकी के पास रहती है। उस दिन लगभग 11-बजे पूर्वान्ह चार सौ या पाँच सौ मुसलमानों ने उसके घर पर हमला किया था और उसकी आठ हजार रू0 के मूल्य की सम्पत्ति लूट ली थी । उसने रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा एक रिपोर्ट भेजी। प्रदर्श बी/डब्लू -63।63। उसकी प्रतिलिपि है ।

उपर्युक्त किसी भी साक्षी की अपनी रिपोर्टों में नामजद व्यक्तियों और यहाँ तक किसी भी मुसलमान से कोई शत्रुता नहीं है। अतएव उनके बयानों की उपेक्षा की जा सकती है।

नागरिक परिषद और प्रशासन द्वारा परीक्षित साक्षियों के बयानों का ध्यान पूर्वक परिशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमानों की क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस चौकी नागकनी और उसके समीप स्थित हरिजन और हिन्दू बस्ती पर आक्रमण किया था। उन्होंने घरों को लूटा और उनमें आग लगा कर अत्यधिक क्षति पहुँचाई थी । यह हमला उस दिन ईदगाह पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण किया गया था।

।7। मोहल्ला नबाबपुरा

प्रदर्श सी/डब्लू-44।2,8। इसका नक्शा है और अनुलग्नक ।बॉच-क। निरीक्षण टिप्पणी है। मोहल्ला नबाबपुरा का निवासी सोमदेव ।बी/डब्लू-73। , इस स्थान पर हुई घटना का एकमात्र साक्षी है। उसने बताया कि 13-8-1980 को दिन में लगभग 12 बजे लगभग 200-250 मुसलमान हाजी नेक की मस्जिद की तरफ से आए और उन्होंने इस मोहल्ले के निवासियों पर आक्रमण कर दिया। उस मस्जिद की ओर बहुत से मुसलमान रहते हैं। मस्जिद के निकट एक मोटर ट्रक सं0 यू.पी.एस.-7672 खड़ा था। मुसलमान उस ट्रक के पीछे खड़े हो गए और उन्होंने उस स्थान से गोली चलाना और ईंट के टुकड़े और सोडा वाटर की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। कुछ मुसलमानों ने टेलीग्राफ और बिजली के तार काट दिए जिसके फलस्वरूप ऊर्जा युक्त बिजली के तार भूमि पर गिर गए और उनसे बिजली प्रवाहित होने लगी। । अशोक कुमार नामक व्यक्ति को, जो उस मोहल्ले में परचून की दुकान चलाता है, कुछ मुसलमानों ने चाकू भोंक दिया था। मुसलमानों ने यह आक्रमण ईदगाह पर हुए उपद्रव के कारण किया था। नबाबपुरा मोहल्ला में रहने वाले किसी भी हिन्दू ने मुसलमानों से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं की थी। 14-8-1980 को उसने अपने मोहल्ले के कुछ निवासियों के साथ पुलिस थाना मुगलपुरा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रदर्श बी/डब्लू-73।7।। उसकी प्रतिलिपि है। भारी पथराव के फलस्वरूप हिन्दुओं के घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। मुसलमानों ने उनके घरों को लूटने और उनमें आग लगाने की भी चेष्टा की थी। उसने दंगाइयों के बीच 34 मुसलमानों को पहचान लिया था उनके नाम रिपोर्ट में दिये गये थे। उसके साक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर संदेह किया जा सके। इस मोहल्ले में इस प्रकार की घटना भी मुसलमानों की उपज थी और उन्होंने हिन्दुओं के घरों को लूटा था और उनमें आग लगाई थी। किसी भी मुसलमान को कोई क्षति नहीं पहुँचाई गई थी।

।8। किसरौल

प्रदर्श सी/डब्लू-45।263। इस स्थान का नक्शा है और अनुलग्नक ।बॉच -क। मेरी निरीक्षण टिप्पणी है।प्रशासन द्वारा इस

स्थान की घटना के संबंध में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया है। तथापि, नागरिक परिषद द्वारा आठ साक्षी प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें नाम इस प्रकार हैं श्रीमती बिरहमा ।बी/डब्लू-39।, श्री जगदीश शरण ।बी/डब्लू-40।, श्री लच्छी राम ।बी/डब्लू-44।, श्री भगवान दास ।बी/डब्लू- 46।, श्रीमती पार्वती ।बी/डब्लू-47।, श्री जय सिंह ।बी/डब्लू+ 53।, श्री राज बहादुर ।बी/डब्लू-62। और श्री शोभा राम ।बी/डब्लू+64। ।

श्रीमती बिरहमा ।बी/डब्लू-39। बाल्मीकि जाति की हैंऔर इस मोहल्ले में रहती हैं। उसने बताया कि 13-8-1980 को दोपहर लगभग 11-30 बजे लगभग 400 या 500 मुसलमानों ने उसके घर पर यह चिल्लाते हुए हमला कियाकि वह किसी हिन्दू को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। इस मोहल्ले में बाल्मीकियों के तीन या चार घर हैं और वह उसी के परिवार के है। बाकी सभी मकान मुसलमानों के हैं। दंगाई छुरें,लाठियों, पिस्तौल और ईंटों आदि से लैस थे। उसके पुत्र, जगवन्त, पति के भाई प्रेम बाल और स्वयं उसे दंगाइयों के हाथों चोटें आई थी। चूँकि उसके पुत्र की सगाई होने वाली थी इसलिए उसने कतिपय वस्तुएं खरीदी थी जो उसके घर में रखी हुई थी। भय के कारण वह अपने परिवार को सदस्यों सहित घर से चली गई थी और दंगाई लगभग 10,000/= रु0 के मूल्य की उसकी सम्पत्ति उठा ले गए थे। उसके घर की खपरैल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसने दंगाइयों के बीच इरफान, झब्बू। और भूरे को पहचाना था और पुलिस थाना मुगलपुरा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बी/डब्लू-39।36। उसकीप्रतिलिपि है।

श्री जगदीशशरण सागर ।बी/डब्लू-40। जाटव जाति का है और उसी मोहल्ले में रहता है। उसने बताया है कि 13-8-1980 को दोपहर लगभग 10 या 11 बजे लगभग 400 या 500 मुसलमान दंगाइयों ने उसके घर पर हमला कर दिया था। उनके पास भाले, लाठियों पिस्तौल और अन्य हथियारों के साथ-साथ मिट्टी के तेल केबीये भी थे। वह चिल्ला रहे थे कि एक भी हिन्दू को जिन्दा न छोड़ा जाय। उसने अपने घर का दरवाजा भीतर से बन्द

कर दिया था और वह तथा उसके परिवार के सदस्य पिछले दरवाजे से बच कर निकल गए। दंगाइयों ने उसका दरवाजा तोड़ दिया, पूरे घर में लूटपाट की और उसमें आग लगा दी थी। दंगाइयों में नौशे, उस्मान, इरफान भूरे, बब्बू, रईस और बल्लन सम्मिलित थे जिन्हें वह पहले से जानता था। दंगाइयों के चले जाने के बाद वह अपने घर लौटा औरआग बुझाई। उसने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना मुगलपुरा में दर्ज कराई थी। प्रदर्श बी/डब्लू-40।37। इसकी प्रतिलिपि है। उसने लगभग छः या सात हजार रुपये की हानि उठाई थी किन्तु सरकार से क्षतिपूर्ति के रूप में केवल 225/-रु0 मिले थे।। प्रति-परीक्षण में उसने बताया कि मुस्लिम दंगाइयों ने जाटवों के सभी घरों पर ।जिनकी संख्या चार या पाँच है।। आक्रमण किया था। उसने यह भी कहा है कि किसरौल और बागकनी के मोहल्ले चारों ओर से मुसलमानों के घरों से घिरे हुए हैं और इन दोनों मोहल्लो में जाटवों और बाल्मीकियों के घरों पर आक्रमण किए गए थे। उसके बयान से यह भी स्पष्ट है कि रिपोर्ट में नामजद व्यक्तियों से या अपने मुहल्ले के किन्हीं दूसरे मुसलमानों से उसकी कोई शत्रुता नहीं है।

श्री लच्छीराम ।बी/डब्लू-44। भी जाटवों की बस्ती में रहता है। उसके अनुसार मुसलमानों ने उसकी बस्ती पर पूर्वाह्न लगभग 10.30 बजे जब उसकी जाति के बहुत से लोग काम पर चले गए थे, हमला किया था। वहाँ पर जो महिलायें और बच्चे थे वह अपने अपने घर की छतों पर चले गये थे। दंगइयों के पास पिस्तौल, बल्लम लाठियाँ, और मिट्टी के तेल के पीपे थे। उन्होंने एकव्यक्ति की दुकान में जो पालिश करने का काम करता है, आग लगा दी। वह एक हिन्दू दर्जी की दुकान से सिलाई की मशीने और कपड़े भी उठा ले गए थे। मुसलमान दंगाइयों ने उसके मोहल्ले के घरों के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ डालीं और उनकी सम्पत्ति लूट ली थी। उन्होंने कुछ घरों में आग लगा दी। इन दंगाइयों में नौशे , इरफान, उस्मान, भूरे, रईस, बब्बू, कल्लन , बरकत, मोहम्मद और वाहिद सम्मिलित थे। उसके मोहल्ले के सभी निवासियों ने सतीश से एक रिपोर्ट लिखवाई और उन्होंने उसे पुलिस थाने में दे दिया था।

प्रदर्श बी/डब्लू-44।47। इसकी सत्य प्रतिलिपि है। उसने यह भी बताया है कि उसके मोहल्ले में बाल्मीकियों या हरिजनों की ऐसी कोई सभा नहीं हुई थी जैसा कि मुसलमानों द्वारा कहा गया है और न श्री एस.पी.आर्य के ऐसी किसी सभा को सम्बोधित ही किया था।

श्री भगवान दास ।बी/डब्लू-46। भी इसकी मोहल्ले का निवासी है और उसने उपर्युक्त कथन की पूरी तरह पुष्टि की है। उसके अनुसार मुसलमानों ने उनके परिवारों के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार भी कियाथा। मुसलमान अल्लाह-हो- अकबर के नारे लगा रहे थे और सहमत चले थे। उनमें से कुछ की दाढ़ियां थीं। वह लोग लाठियां, पिस्तौल और दूसरे हथियार लिए हुए थे। उसने दंगाइयों में से नौशे, उस्मान, इरफान, सिराज, भूरे रईस, छुन्नन, बब्बू, बक्कार, मोहम्मद अली, वाजिद अली, मन्सूर, बब्बू पुत्र महफूज और बल्लन के नाम बताए हैं। उसके कहने के अनुसार भी मुसलमानों ने यह आक्रमण ईदगाह की घटनाओं के कारण किया था। कहा जाता है कि सिराज ने हिन्दुओं के घरों में आग लगाने के लिए मिट्टी का तेल दिया था। श्रीमसिंह की विधवा श्रीमती पार्वती ।बी/डब्लू-47। ने बताया कि मोहल्ला किसरौल में जाटवों के चार या पांच घर हैं जबकि मोहल्ला नागफनी में जाटवों के लगभग 25 या 30 घर हैं। 13-8-1980 को दोपहर लगभग 10 या 11 बजे लगभग 300 या 400 मुसलमानों ने उसके मोहल्ले में जाटवों के घरों पर हमला किया और इस बात से सावधान किया कि एक भी हिन्दू जीवित नहीं छोड़ा जायेगा। वह अपनी युवा पुत्रियों और पुत्र के साथ वहां से चली गयी। दंगाई उसकी लगभग 3000/= की सम्पत्ति उठा ले गए। जब शांति स्थापित हुयी तब उसने थाना मुजफ्फरपुरा में रिपोर्ट दर्ज करायी। वह प्रदर्श बी/डब्लू-47।44। है। उसे प्रतिकर के रूप में केवल 100/= रुपये मिले। चूंकि उसकी सारी सम्पत्ति मुसलमान उठा ले गये थे। इसलिए वह अभी तक अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं कर सकी।

श्री जय सिंह ।बी/डब्लू-53। इसी मोहल्ले का एक अन्य निवासी है और उसने बताया कि दंगाई उसके घर से लगभग 7000/= रु० के मूल्य की सम्पत्ति उठा ले गये थे लेकिन उसे क्षतिपूर्ति के रूप में केवल 100/= रुपये प्राप्त हुए । उसने कुछ मुसलमान दंगाइयों को पहचाना था और उन्हें अपनी रिपोर्ट में नामजद किया है। जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्श बी/डब्लू-53।52। है। उनका बयान भी प्रथम दृष्टया यह साबित करता है कि मुसलमानों ने उसके मोहल्ले में जाटवों के घरों पर हमला किया था।

मोहल्ला किसरौल के ही एक अन्य निवासी श्री राज बहादुर ।बी/डब्लू- 62। ने बताया कि दिनांक 13-8-1980 को जब मुसलमानों ने हमला किया था तब उनके घर पर उनकी पत्नी और बच्चे अकेले थे। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गये। वापस आने पर उन्होंने बताया कि 700 या 800 मुसलमानों ने हमला किया था। उसने लगभग 10,000/= रु० की हानि होने का आरोप लगाया परन्तु उसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया । । उसकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदर्श बी/डब्लू-62।62। है। चूँकि वह घटना का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है और उसकी पत्नी का परीक्षण नहीं किया गया है।, इसलिए उसके साक्ष्य पर ठीक-ठीक भरोसा नहीं किया जा सकता ।

श्री शोभा राम ।बी/डब्लू-64। जाति से तोमर तोमार है और उसी मोहल्ले में रहता है। उसके घर और पुलिस चौकी नागफनी के बीच केवल 15 या 20 घर हैं। उसके दिनांक 13-8-1980 को पूर्वान्ह 11 बजे हिन्दुओं और वाल्मिकियों के घरों पर हुए हमले के बारे में बताया है। भीड़ में आगे-आगे शहजादे और उसका पुत्र नन्हें था। वह साम्प्रदायिक नारे लगा रहे थे और अपरान्ह 3 बजे तक हिन्दुओं की सम्पत्ति लूटते रहे और सभी भागे जब पुलिस पहुँच गई। चूँकि वह वृद्ध व्यक्ति है और उस समय पेचिश से पीड़ित था, इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं जा सका था और एक लिखित रिपोर्ट भेज दी थी । उसकी प्रतिलिपि प्रदर्श बी/डब्लू- 64।64। है । उसका कहना है कि उसे 3000/= रुपये की क्षति उठानी पड़ी ।

इस प्रकार ऊपर वर्णित जिस रीति से ऊपर साक्ष्य

की चर्चा की गई है उससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि इस मोहल्ले में भी एक बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हिन्दुओं और हरिजनों पर हमला किया था और उनकी सम्पत्ति लूट ली थी । उनमें से बहुत घायल हो गये थे। पुलिस बिल्कुल उत्तेजित नहीं थी और उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया था।

19। थाना कोतवाली

इसका नक्शा प्रदर्श सी/डब्लू-45।265। है और मेरी निरीक्षण टिप्पणी संलग्नक " बॉच " है । इसकी स्थलाकृति उन दोनों से स्पष्ट हो जायेगी। यह नगर के मध्य में स्थित है और इसका द्वार उत्तर की ओर खुलता है। इसके सामने एक सड़क पूर्व से पश्चिम को जाती है। और इसके दोनों ओर दुकानें हैं। इस सड़क के एक ओर उत्तर से दक्षिण को एक छोटी गली जाती है जो मोहल्ला कच्चा बाग को जाती है। यहाँ प्रमुख रूप से मुसलमान रहते हैं । कोतवाली से लगी अधिकांश दुकानें हिन्दुओं की हैं। गंज रोड होकर ईदगाह से कोतवाली की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है लेकिन छोटे रास्ते से गलशहीद होकर इसकी दूरी लगभग दो किलोमीटर है । ईदगाह से कोतवाली के लिए चार रास्ते हैं अर्थात् एक गलशहीद और अमरोहा रोड होकर ।दो। कच्चा बाग होकर ।तीन। लाल मस्जिद लेन होकर और ।चार । टाउन हाल होकर ।

13-8-1980 को एक इंस्पेक्टर, पन्द्रह सब इंस्पेक्टर तीन हेड मुहर्रिर और अठारह कांस्टेबिल पुलिस थाना कोतवाली पर ड्यूटी पर तैनात थे। उनके अलावा पी.ए.सी. आरक्षी बल भी वहाँ तैनात किया गया था। श्री हरपाल सिंह सी/डब्लू-6। ज्येष्ठ सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे, प्रातः 10.20बजे तक सब इंस्पेक्टर राम पाल सिंह, का0 प्रेम सिंह, सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह और कांस्टेबिल महेन्द्र सिंहतथा धर्मपाल ईद संबंधी अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद कोतवाली लौट आये थे । उसी समय लगभग आठ सौ मुसलमानों की एक भीड़ टाउन हाल की ओर से और कच्चा बाग की गली से आई जो "इन कुत्तों पुलिस वालों को मार डालो, कोतवाली को

जला दो और हिन्दुओं को मार डालो और लूट लो" के नारे लगा रही थी। इन मुसलमानों पास ईंटों के टुकड़े, भालेछुरे और बल्लेचे आदि थे। कुछ मुसलमान दंगाई नीम की प्याऊ की ओर से आये थे। वह सभी कोतवाली पर ईंटों के टुकड़े फेंकने लगे। उत्तेजित भीड़ को देखकर श्री हरपाल सिंह ने ड्यूटी पर तैनात सन्तरी को पी.ए.सी. बल और पुलिस बल को, जो अपनी ड्यूटी करके लौटा था, सावधान किया। दंगाइयों को चेतावनी दी गयी कि पूर्वाह्न 10.30 बजे कर्फ्यू लगा दिया गया है और वह शांतिपूर्वक तितर-बितर हो जांय, किन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ। वह कोतवाली की ओर बढ़ते ही गये और उन्होंने पथराव करना और तेज कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उसकी दीवार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थिति इस हद तक बिगड़ गई कि कोतवाली में हर एक के जीवन और सम्पत्ति को काफी खतरा उत्पन्न हो गया। एक और चेतावनी दी गई किन्तु दंगाईयों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब श्री हरपाल सिंह ने कोतवाली में उपलब्ध पुलिस बल द्वारा नियमानुसार लाठी चार्ज करवाया। (*) कुछ अन्य उन्होंने दंगाइयों पर दबाव डाला। लाठी चार्ज और पुलिस बल के दबाव के कारण दंगाई तितर-बितर हो गये और नीम की प्याऊ और कच्चा बाग की ओर चले गये। इन दोनों ओर मुसलमानों की आबादी है। कोतवाली पर पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई थी क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। कोतवाली के पूरे सहन और इसके सामने वाले क्षेत्र में मुसलमान दंगाइयों द्वारा फेंके गये ईंटों के टुकड़े फैले हुए थे। इसके परिणामस्वरूप कोतवाली की इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कोतवाली पर तैनात कुछ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवार भी उसके अहाते में रहते हैं। उनके जीवन को भी खतरा था और उनकी रक्षा के लिए लाठी चार्ज करना आवश्यक था। जिन्होंने कोतवाली पर हमला किया था उनमें से कुछ को श्री हरपाल सिंह जानते थे। वह कच्चा बाग के निवासी अबरार, सज्जाद अब्दुल रशीद तथा सराय गुलजारीमल के निवासी अकबर कामिन और मुन्ना थे। वह सभी दंगाई ईदगाह की ओर से आये थे। इस घटना

(*) कुछ अधिकारी जो गाड़ी पर थे उन्होंने भी आगे

के बारे में श्री हरपाल सिंह ने पूर्वान्ह 10.15 बजे कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। सी/डब्लू-6।49। इसकी सत्य प्रतिलिपि है। इसके आधार पर एक वाद अभी सेशन न्यायालय में चल रहा है।

उनके बयान की पूर्णतया पुष्टि श्री होरी सिंह ।सी/डब्लू"7। द्वारा की गई है जो उस समय पुलिस थाना कोतवाली में हेड मुहर्रिर के पद पर तैनात था। श्री जगदीश सिंह ।सी/डब्लू-48। ने भी जो उस दिनांक को पुलिस थाना कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर थे, उनके बयान की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी बताया है कि वह अपरान्ह 1.25 बजे कोतवाली पहुँच गये थे और उन्होंने नीम की प्याऊ की ओर शोर गुल सुना। वह कुछ पुलिस बल के साथ उस ओर तेजी से गये और उन्होंने पाया कि मुसलमानों और हिन्दुओं के बीच भयंकर मुठभेड़ हो रही है। नीम की प्याऊ पर तीन सड़के पहली मोहट्टी का चौराहा से आने वाली सड़क, दूसरी कोतवाली से आने वाली सड़क और तीसरी कच्चा बाग से आने वाली सड़क मिलती है। मुसलमान कच्चा बाग ***** की गली पर थे जबकि हिन्दु गुडहट्टी से आने वाली सड़क पर थे। दोनों समूह के लोग खतरनाक हथियारों से लैस थे और एक दूसरे पर ईंटों के टुकड़े और बोतलें फेंक रहे थे। दोनों समुदाय के लोग दुकानों को लूट रहे थे। सिविल पुलिस या पी.ए.सी. के किसी सदस्य ने दुकानों को नहीं लूटा था। दरअसल उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों को चेतावनी दी थी कि वह हिंसात्मक कार्यवाही रोक दें अन्यथा बल का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ बल का प्रयोग करने के बाद वह दंगाइयों को तितर-बितर करने में सफल हो गये थे। तब वह कोतवाली लौट आये और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी प्रतिलिपि सी/डब्लू -48।285। है। उनका यह भी कथन है कि नीम की प्याऊ पर भी पुलिस ने कोई गोली नहीं चलायी थी। वस्तुतः कोतवाली पर मौजूद पुलिस बल ने, जो उस दिन विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था, नगर में कहींभी कोई गोली नहीं चलाई थी ।

उन्होंने यह भी बताया है कि 13.8.1980 के बाद मुसलमानों के पास से बड़ी संख्या में अवैध आग्नेयास्त्र बरामद हुए थे। जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने ईदगाह में उपद्रव करने के लिए व्यापक तैयारी कर ली थी।

नागरिक परिषद ने श्री संजीव गुप्ता ।बी/डब्लू-32। का, जो जिला न्यायालय, मुरादाबाद में एडवोकेट हैं, परीक्षण किया है। उनका घर कोतवाली के निकट स्थित है। 13.8.1980 को पूर्वान्ह लगभग 10.45 बजे या 11 बजे वह उस चौराहे पर खड़े थे जहाँ से एक रास्ता उस गली को जाता है जहाँ मुसलमानों के मकान हैं। उसी समय लगभग तीन या चार सौ मुसलमान नारे लगाते हुए आ गये और कोतवाली पर पथराव करने लगे। उनको देखकर वह अपने घर के भीतर चले गये और दरवाजे में सिटकनी लगा दी, उन्होंने यह भी बताया है कि कोतवाली की पुलिस ने मुसलमानों को किसी प्रकार उत्तेजित नहीं किया था और उस पर किया गया हमला नितान्त अनुचित था और यह हमला उस दिन सुबह ईदगाह पर हुई गड़बड़ी के कारण किया गया था।

उपर्युक्त साक्ष्य से पता चलेगा कि मुसलमान ईदगाह पर हुई घटना के कारण इतने अधिक उत्तेजित तथा हताश हो गये थे कि उन्होंने पुलिस थाना कोतवाली पर भी, हमला कर दिया था जब कि वह इस बात को भली भाँति जानते थे कि वहाँ पर काफी पुलिस बल, अस्त्र-शस्त्र और गोली बारूद होगा।

।10। नीम की प्याऊ और गंज बाजार

इसका नक्शा प्रदर्श सी/डब्लू-46।268। है, और मेरी निरीक्षण टिप्पणी *"बी" है। यह मुरादटी का चौराहा, कोतवाली और कच्चा बाग से आने वाली सड़कों के तिराहे पर स्थित है और कोतवाली से थोड़ी ही दूरी पर है। 13.8.1980 को जब श्री जगदीश सिंह, इंसपेक्टर कोतवाली ।सी/डब्लू-48। कोतवाली में थे, उन्होंने नीम की प्याऊ की ओर चीख पुकार सुनी। वह कुछ पुलिस बल के साथ तुरन्त वहाँ गये और उन्होंने कच्चा बाग की गली में बड़ी संख्या में

मुसलमानों को एकत्र देखा। हिन्दू गुरहट्टी से आने वाली सड़क पर थे। दोनों ही गुट खतरनाक हथियारों से लैस थे और वह एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे तथा बोतलें फेंक रहे थे, दोनों ही समुदाय के लोग दुकानें लूट रहे थे। सिविल पुलिस या पी.ए.सी. का कोई भी सदस्य इसे नहीं करवा रहा था। उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों को चेतावनी दी कि वह शांतिपूर्वक तितर-बितर हो जायें अन्यथा बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अत्यन्त कठिनाई से वह उन्हें तितर-बितर कर पाये सके। उस स्थान पर कुछ पुलिस बल छोड़ने के बाद वह कोतवाली वापस आये और अपरान्ह 3.30 बजे एक रिपोर्ट दर्ज कराई प्रदर्श सी/डब्लू-48।285। उसकी प्रतिलिपि है। इसके आधार पर एक वाद रजिस्टर किया गया था और यह अब न्यायालय में विचाराधीन है। उनके अनुसार उस स्थल पर पुलिस बल के किसी सदस्य ने कोई गोली नहीं चलाई थी।

इस स्थानों पर हुई घटनाओं के बारे में नागरिक परिषद ने दो साक्षियों अर्थात् सर्वश्री शिव रतन सिंह ।बी/डब्लू-54। और रामेश्वर नाथ खन्ना ।बी/डब्लू-58। का परीक्षण किया है। श्री रामेश्वर नाथ खन्ना सन्स की कुटकर कबड़े की दुकान के जो नीम की प्याऊ, बाजार गंज में स्थित है, साक्षीदार है। उनकी कर्म आयकर देती है। उनकी दुकान के दोनों ओर हिन्दुओं की दुकानें हैं और उनकी दुकान के पीछे हिन्दू बस्ती है। उनकी दुकान के सामने सड़क के उस पार कच्चा बाग है जिसमें मुसलमान रहते हैं। उनकी दुकान की स्थित मेरी निरीक्षण टिप्पणी से स्पष्ट हो जायेगी। उन्होंने बताया है कि उस दिन उनकी दुकान बन्द थी। उनके दुकान के सामने की ओर चार साइन बोर्ड लगे थे। मुसलमानों ने इस दुकान पर और हिन्दुओं की अन्य दुकानों तथा घरों पर ईंटों के टुकड़े फेंके थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी दुकान के साइन बोर्ड टूट फूट गये थे। यह साइन बोर्ड की कीमती सामग्री अर्थात् निर्यात साइन बोर्ड तथा ग्लो बोर्ड के थे। उन्हें लगभग 13.500रू0 की क्षति हुई थी और उन्हें प्रतिकर के रूप में सरकार से केवल 1000 रू0 मिले थे। 31.8.1980 को वह अपनी दुकान गये थे और हानि अभिनिश्चित करने के बाद पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रदर्श बी/डब्लू-58।58। उसकी प्रतिलिपि है।

प्रति-परीक्षण में उसने बताया है कि वह दंगाइयों को नहीं पहचान सका क्योंकि उसकी दुकान उस दिन बन्द थी। 31.8.1980 को जब वह वहाँ गया तब इसकी जानकारी उसे अपने पड़ोसियों से मिली। उसके बयान से यह स्पष्ट है कि मुसलमानों द्वारा किए गए पथराव के फलस्वरूप उसके कीमती साइन-बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गए थे। हिन्दुओं द्वारा इन साइन -बोर्डों को क्षति पहुँचाए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसके विपरीत उसकी दुकान के सामने सड़क के दूसरी ओर मुसलमान रहते हैं और वह जैसा कि श्री जगदीश सिंह, इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया है, ईंट के टुकड़े फेंक रहे थे अतएव इन साइन बोर्डों को केवल वही क्षतिग्रस्त कर सकते थे।

श्री शिव रतन सिंह ।बी/डब्लू-54। मुरादाबाद के रेलवे लोको शेड में सेवायोजित है और मोहल्ला पटपट सराय में रहता है। 13.8.1980 के अपरान्ह लगभग 4.15 बजे वह अपना काम समाप्त करने के बाद अपने घर लौट रहा था। जब वह नीम की पियाऊ पर पहुँचा तब उसने बहुत से मुसलमानों को आस-पास की दुकानों की छतों पर खड़े देखा। वह तुरन्त उन दुकानों की दूसरी ओर मुड़ गया। और एक गली में चला गया। कुछ मुसलमानों ने गोलियाँ चलाई जो दुर्भाग्यवश उसके बायें कन्धे पर और उसके शरीर के बाएं भाग के अन्य अंगों पर लगी। उसे खून निकलने लगा और वह अपने घर चला गया। चूँकि नगर में कर्फ्यू लगा हुआ था इसलिए वह कहीं न जा सका और उसने अपना उपचार अपने घर पर ही करवाया। 29.8.1980 को वह अस्पताल गया जहाँ उसकी चोटों की जाँच की गई और उसका आवश्यक उपचार कियागया। 26.8.1980 को एक मजिस्ट्रेट उसके मोहल्ले में आये और उन्होंने इस घटनाके बारे में पूछ-ताछ की। उसने पुलिस थाना कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।प्रदर्श बी/डब्लू-54।63। उसकी प्रतिलिपि है। प्रदर्श बी/डब्लू-54 ।64। उसकी चोट लगने की रिपोर्ट की फोटोस्टेट प्रतिलिपि है। उसे सरकार से प्रतिकर के रूप में केवल 250/= रू0 प्राप्त हुए थे। उसने स्पष्ट रूप से बताया है कि वह उन मुसलमानों को नहीं पहचान सका था जो अपनी दुकानों की छतों पर थे और जिन्होंने उसकी ओर गोलियाँ चलाई थीं। अतएव उसने अपनी रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं दिया है, यदि उसके मन में कोई दुर्भावना होती तो उसने ऐसा अवश्य किया होता। उसके

अनुसार भी इस स्थान पर हुई गड़बड़ी ईदगाह पर हुए उपद्रवों का परिणाम थी। उसका बयान इस बात को स्पष्ट कर देता है कि मुसलमानों ने अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाई थीं ।

श्री हुमायूँ कदीर ने अपने लिखित बयान में आरोप लगाया है कि उस दिन अपरान्ह 6.30 बजे उन्होंने नगर में एक चक्कर लगाया और गंज बाजार और नीम का पियाऊ के साथ-साथ कई बस्तियों में पुलिस वालों और पी.ए.सी. के जवानों को हिन्दुओं की सहायता से मुसलमानों की दुकानें लूटते पाया । उन्होंने अपने लिखित बयान के साथ अनुलग्नक " बी " के रूप में इन दुकानों की एक सूची संलग्न की है। न तो श्री हुमायूँ कदीर और न कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी दुकान लूटी गई हो, यह बयान देने के लिए उपस्थित हुआ कि पुलिस के सिपाहियों और पी.ए.सी. के जवानों ने हिन्दुओं की सहायता से मुसलमानों की दुकानों को लूटा था। । किन्तु श्री जगदीश सिंह, इंस्पेक्टर कोतवाली ।सी/डब्लू-48। ने इस बात को स्वीकार किया है कि जब वह नीम का पियाऊ पहुँचे तब हिन्दू और मुसलमान दोनों ही दुकानें लूट रहे थे। यदि पुलिस की हिन्दुओं से मिली भगत होती, तो श्री जगदीश सिंह ने ऐसा बयान न दिया होता बल्कि हिन्दुओं को पूर्णतया मुक्त रखा होता जैसा कि पहले चर्चा की गई है, कुछ समाज - विरोध तत्व सदैव ऐसे अवसर की ताक में रहते हैं और स्थिति से लाभ उठाने निकल पड़ते हैं। ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि पुलिस वालों और पी.ए.सी. के जवानों ने दुकानों को लूटा था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है , कई स्थानों पर वह स्वयं ही इतने संकट में पड़ गए थे कि उनके ही शस्त्रास्त्र और गोली बारूद मुसलमान दंगाई उठा ले गए थे ।

।।।। बरवालाँ

प्रदर्श सी/डब्लू-44।26।। इसका नक्शा है और अनुलग्नक ।पाँच "क"। मेरी निरीक्षण टिप्पणी है ।

केवल नागरिक परिषद ने मोहल्ला बरवालाँ की घटना के बारे में पाँच साक्षियों का परीक्षण किया है जिनके नाम इस प्रकार हैं :-

सर्वश्री देशराज तिक्का ।बी/डब्लू-41।, रामकुमार ।बी/डब्लू-42।, सुन्दर लाल ।बी/डब्लू-52।, झम्मन लाल ।बी/डब्लू-59। और सीता राम ।बी/डब्लू-69। ।

श्री देशराज तिक्का ।बी/डब्लू-41।, एच. के. मेटल इण्डस्ट्रीज के भागीदार हैं। यह मोहल्ला बरवालां कटघर में स्थित है। इस फैक्ट्री के सामने केवल एक हिन्दू का घर है जिसमें श्री तिक्का किराये पर रहते थे। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ उस घर के भूतल पर रहते थे। 13.8.1980 को पूर्वान्ह लगभग 11 बजे चाकुओं, छुरियों, भालों और तलवारों से लैस लगभग 2000 मुसलमान दंगाइयों ने उनके घर पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने भारी पथराव किया और उनका दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। दंगाई चिल्ला रहे थे कि हिन्दुओं को मार डालो। जब श्री तिक्का ने यह अनुभव किया कि उनके परिवार के सभी सदस्यों का जीवन खतरे में पड़ गया है तब उन्होंने हवा में एक गोली चलाई। इसे सुनकर दंगाई तितर-बितर हो गये किन्तु जाते समय वह उसी रात में उनके घर में आग लगाने की धमकी देते गए।

श्री तिक्का ने आगे बताया है कि उसी दिन लगभग 2 बजे वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ फैक्टरी के परिसर में आ गया था। रात्रि में लगभग 10 बजे कुछ मुसलमानों ने उनकी फैक्ट्री पर आक्रमण किया चूँकि फैक्ट्री की चहारदीवारी लगभग 60 या 65 फुट ऊँची है और इसके दरवाजे लोहे के थे इसलिए वह लोग परिसर में नहीं घुस सके। दंगाइयों में रशीद, मिस्त्री, इम्दाद हुसैन, शमशाद, अनवर हुसैन, सलीम, हमीद बरकत, अलीजान, खुरशीद, राहत जान, मकसूद और रहमत अली थे। जिनको वह पहले से जानते थे। उन्होंने 31.8.1980 को पुलिस थाना मुगलपुरा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रदर्श/ बी/डब्लू-41।38। उसकी प्रतिलिपि है। रिपोर्ट करने में विलम्ब होने का कारण यह था उस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था और वह बाहर जाने में असमर्थ थे।

श्री रामकुमार ।बी/डब्लू-42। इसी मोहल्ले का एक अन्य निवासी है और उसी स्थान पर चाय की एक दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया है कि 13.8.1980 को वह अपनी चाय की दुकान पर

बैठे थे कि तभी पूर्वान्ह लगभग 11 बजे कई सौ मुसलमान नालवाली मस्जिद की ओर से साम्प्रदायिक नारे लगाते हुए और यह चिल्लाते हुए आये कि हिन्दुओं को मार डालो। इन दंगाइयों में उनके मोहल्ले के रशीद मिस्त्री, महमूद हुसैन, बरकत अली, अंसारी, असलम, नूर हुसैन, सलीम अब्बास, शब्बीर, नन्हें, और खुरशीद सम्मिलित थे। उन लोगों के पास चाकू, भाले, देशी पिस्तौल और अन्य हथियार थे। रशीद के भाले से उनके सिर, कान और शरीर के दूसरे अंगों पर चोट की। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा और गिर पड़े। इसके बाद दंगाइयों ने उनकी दुकान को लूटा और उनका रेडियो, कलम और दुकान में पड़ी हुई अन्य वस्तुएं उठा ले गए। उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी किन्तु सरकार से उन्हें क्षति पूर्ति के रूप में केवल 200/= रू0 मिले थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्श बी/डब्लू-42(39) है। उन्होंने इस बात से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि उनके मोहल्ले में रहने वाले बाल्मीकियों ने ईद की नमाज की धार्मिक सभा में कोई सुअर भेजकर विघ्न डालने के लिए कोई सभा की थी।

श्री सुन्दर लाल (बी/डब्लू-52) मोहल्ला बाबरियाँ का निवासी है। 13-8-1980 को अपरान्ह लगभग 6.00 बजे जब वह दूध लेकर लौट रहा था तब अख्तर, सरवर, इकराम और चार या पाँच अन्य मुसलमान उसे मिले और उन्होंने उस पर चाकुओं, और लाठियों से हमला कर दिया। एक चाकू उसके पेट में मारा गया था और दूसरा उसके दाहिने हाथ में। आशाराम और टिब्बू को भी जो उसके साथ थे, चोटें आई थी किन्तु उन्होंने अपना इलाज मेरठ में करवाया था जब कि इस साक्षी का उपचार मुरादाबाद में

हुआ था। उसने इस घटना की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रदर्श बी/डब्लू-52।50। उसकी सत्य प्रतिलिपि है। प्रदर्श बी/डब्लू-52।51। उसकी चोटों की रिपोर्ट की प्रतिलिपि है। उसे प्रतिकर के रूप में 250/= रू0 दिये गये थे। उसके साक्ष्य को अमान्य ठहराने का कोई कारण नहीं है।

श्री ब्रम्मन लाल ।बी/डब्लू-59। मोहल्ला बरवालाँ का निवासी है और एक ठेले पर छोले और चाल बेचता है। 13-8-1980 को उसने अपना ठेला जिस पर काफी मात्रा में छोले और चावल थे, मोहल्ला बरवालाँ में एक मस्जिद के सामने खड़ा किया था। अचानक ही 200 या 300 मुसलमान यह चिल्लाते हुए आए कि हिन्दुओं को लूट लिया जाय और कत्ल कर दिया जाय। उन्होंने छोले और चावल लूटलिये और उसके ठेले में आग लगा दी। जब उसने भागने का प्रयत्न किया तो कलुआ चौधरी नामक एक मुसलमान उसके सीने पर गोली चला दी। उन्होंने उसे यह भी धमकाया कि अगर उसने रिपोर्ट लिखाई तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। फिर भी, उसने बाद में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रदर्श बी/डब्लू-59।59। उसकी प्रतिलिपि है। उसका कहना है कि उसे लगभग 2000/= रू0 ~~xxxxxxxxxxxx~~ की हानि हुई थी किन्तु उसे क्षतिपूर्ति के रूप में केवल 100/= रू0 मिले थे। उसके अनुसार उसने किसी मुसलमान को नहीं उकसाया था और न उसका इस रिपोर्ट में नामजद और किसी भी अन्य मुसलमान से कोई वैमनस्य है। इसलिए उसका बयान पर्याप्त महत्व रखता है।

श्री सीताराम ।बी/डब्लू-59। भी मोहल्ला ~~xxxxxxx~~ बरवालाँ में रहते हैं और उसी मोहल्ले में सड़क के तिराहे पर चाय का स्टा चलाते हैं। उसने बताया है कि उस मुहल्ले में अधिकतर मुसलमान

रहते हैं। दिनाँक 13-8-1980 को लगभग 12 बजे 8 या 10 मुसलमानों ने जिनमें बाबू पहलवान, अख्तर, अशरफ और रियासत बेग शामिल थे वहाँ आये और उन्होंने उसे उसकी दुकान से बाहर खींच लिया और उसको पीट-ना शुरू कर दिया। चूँकि अख्तर उसकी दुकान पर बैठा करता था अतः उसने उससे भाग जाने को कहा, किन्तु जब उसने ऐसा किया तो अख्तर ने स्वयं उस पर गोली चलाई और वह बाल-बाल बचगया। तत्पश्चात् दिनाँक 2-9-1980 को जब कर्फ्यू में ढील दी गयी तब वह वापस आया और उसने पाया कि उसकी दुकान से सब कुछ गायब है। दुकान पूर्णतया जल गयी थी। भागते हुए उसने स्वयं मुसलमानों को अपनी दुकान लूटते और उसमें आग लगाते हु देखा था। उसे लेभभग 7000/= या 7500/= रूपये का नुकसान हुआ था परिन्तु अब तक उसे कोई प्रतिकर नहीं मिला है। उसने इस घटना के संबंध में दिनाँक 21-8-1980 को रिपोर्ट लिखायी थी। उसकी तत्थ प्रतिलिपि प्रदर्श बी/डब्लू-69।69। है।

डा0 शमीम अहमद खान ने अपने लिखित बयान के पैरा 14 में आरोप लगाया है कि अपरान्ह लगभग 8.40 बजे उन्हें सूचना मिली कि मोहल्ला बरवालाँ में पुलिस मुसलमानों पर हमला कर रही है। जब वह बरवालाँ के निकट पहुँचे तो उन्होंने कई मुसलमानों को हड़बड़ी में भागते हुए देखा और पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके मोहल्ले मैंनाई की घटिया पर ।जो पुलिस थाना मुगलपुरा में पड़ता है। पुलिसवालों ने सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रामचन्द्र और कुछ पी.ए.सी. के जवानों की सहायत से अपरान्ह लगभग 8.30 बजे हिन्दू गुण्डों को इकट्ठा किया था और मुसलमानों के घरों पर हमला किया था। उन्हें यह भी बताया गया था कि छोटे खान और उसके पुत्र नन्हें खान की हत्या कर दी गयी है और

एक मुसलमान महिला श्रीमती शाहना बेगम का जिन्होंने कुछ दिन पूर्व ही एक बच्चे को जन्म दिया था, हिन्दू दंगाइयों ने अपहरण कर लिया है। उसका पुत्र कुछ दिनों बाद मर गया किन्तु उसका कोई पता नहीं लग सका। था। उन्हें सूचना मिली थी कि मुसलमानों के सभी घर लूट लिए गए हैं या जला दिये गये हैं। कुछ मुसलमान भागने में सफल हो गये थे और अगले दिन उनके घर लूट लिए गए थे। वास्तवमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिनसे इन आरोपों की सत्यता सिद्ध हो । इसके बावजूद कि उन्हें सभी अवसर दिये गये कोई भी उनको साबित करने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि डा0 शमीम अहमद खान ने भी उन लोगों के नाम नहीं बताये हैं जिनके द्वारा उन्हें उपर्युक्त सूचनाएँ मिली थी। अत : इस प्रकार के निराधार आरोपों को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता ।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमानों ने मोहल्ला बरवालों के कुछ हिन्दू निवासियों पर हमला किया था और उनमें से कुछ को चोटें पहुँचायी थी तथा उनकी सम्पत्ति लूट ली थी। यह सब इसलिए हुआ था कि मुसलमान ईदगाह पर हुई घटना के कारण अत्यधिक क्रुद्ध थे ।

।12। दौलत बाग

दौलत बाग भी मुरादाबाद शहर का एक मोहल्ला है। ऋषि कुमार सक्सेना ।बी/डब्लू-50। इस मोहल्ले का निवासी है । उसने बताया है कि दिनाँक 13-8-1980 को अपरान्ह लगभग 8.00 बजे मुसलमानों की एक भीड़ उसके मोहल्ले में आयी और उसने उनके घर के साथ ही साथ कुछ अन्य घरों पर भी हमला किया। यह दंगाई लाठियों

पिस्तौल, बल्लम और दूसरे हथियारों से लैस थे और चिल्ला रहे थे कि हिन्दुओं को मार डालो। उन्हे देखकर वह सीढ़ी से अपने घर के पिछवाड़े उतर गये। उसकी अनुपस्थिति में मुसलमानों ने उसकी सम्पत्ति लूट ली। वह 31-8-1980 को वापस लौटे और पाया कि उसके घर से 50,000X= रूपये के मूल्य की सम्पत्ति उठा ली गई हैं। अगले दिन उसने पुलिस थाना मुगलपुरा में एक रिपोर्ट लिखवायी। उसकी प्रतिलिपि प्रदर्श बी/डब्लू-50 ।48। है। वह इतनी घबराहट में था कि रिपोर्ट में यह उल्लेख करना भूल गया कि उसके घर को लूटने वाले मुसलमान थे। इसके स्थान पर उसने यह बताया था कि कुछ व्यक्तियों ने ऐसा किया है। उसके अनुसार उन दिन प्रात: काल ईदगाह पर घटित घटनाओं के कारण यह आक्रमण शुरू किया गया था। उसके बयान से केवल यहपता चलाता है कि उसके मोहल्ले पर भी मुसलमानों द्वारा हमला किया गया था।

।13। कम्बल का ताजिया

श्री अजब सिंह ।सी/डब्लू-15। कम्बल का ताजिया की घटना का एक मात्र साक्षी है। अगस्त 1980 को वह भगतपुरा की होमगार्ड की 19वीं कम्पनी में था। जिला समादेष्टा होमगार्ड ने उसे मुरादाबाद नगर में छोड़ रखा था। 1980 में वह रमजान और ईद के सिलसिले में पुलिस थाना कोतवाली पर तैनात था। हवेलगार्ड तेंदू सिंह भी उसके साथ तैनात था। 13-8-1980 को वह दोनों कम्बल का ताजिया पर, जो मुगलपुरा का एक मोहल्ला है ड्यूटी पर थे। हेड कांस्टेबिल जयपाल सिंह भी उसके साथ थे। उन सभी के पास लाठियां थीं और वह वर्दी में थे। पूर्वान्ह लगभग 11.00 बजे जब वह ड्यूटी पर थे तब लगभग 30 या 40 मुसलमान जो बेलचों, चाकुओं बांसो और डण्डोंसे लैस

थे चिल्लाते हुए वहाँ आये कि पुलिस वालों और हिन्दुओं को मार डालो। वह ईदगाह की तरफ से आए थे। दंगाइयों से कानून को अपने हाथ में न लेने के लिए कहा गया था। इस प्रयास में श्री अजब सिंह हेड कान्सटेबिल और कांस्टेबिल सेंदू सिंह से अलग हो गया और दंगाइयों ने उसे घेर लिया। वह किसी प्रकार भाग गया और एक घर में शरण ली जो मुसलमान का था। भीड़ वहाँ पहुंची और उसे लाठियों तथा डण्डों से पीटा। उस घर के स्वामी ने भी उसे बुरी तरह पीटा। उसके हाथ घड़ी और 250/= रुपये लूट लिए गए और उसे चोटें भी आयीं। वह सहायता के लिए चिल्लाया और एक पुलिस की गाड़ी के साथ कुछ पुलिस बल तुरन्त वहाँ आ गये। उन्हें देखकर दंगाई भाग गये। पुलिस बल उसे अस्पताल ले गया जहाँ उसकी चोटों का परीक्षण किया गया और उसे चिकित्सा के लिए 28-8-1980 तक अस्पताल में भर्ती रखा गया। उस दिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने अपने कम्पनी कमाण्डर श्री अहमद नूर से एक रिपोर्ट लिखाई जिसे वह व्यक्तिगत रूप से पुलिस थाना मुगलपुरा में दे आया। यह रिपोर्ट प्रदर्श सी/डब्लूयू-15।27। है। उसने यह भी बताया है कि जब दंगाइयों ने उस पर हमला किया तो उस मोहल्ले के निवासी कुछ मुसलमान भी उनके साथ शामिल हो गये थे। उसके विचार से यह हमला ईदगाह पर हुई गड़बड़ी के कारण किया गया था। एक भी हिन्दू इसमें शामिल नहीं था। ऐसी कोई बात अभिलिखित नहीं है जिससे उसके साक्ष्य पर संदेह किया जा सके।

मौखिक साक्ष्यों से विभिन्न स्थलों पर हुई घटनाओं के संबंध में जो बात सामने आई है अब उस पर विचार कर लिया जाय।

1. कूँचा दर्जियान, तम्बली गेट, खारी कुआँ:

तीन साक्षियों ने अर्थात सर्व श्री बाबू राम सैनी, तुलसी राम और शिव चरन ।बी/डब्लू-66, बी/डब्लू -67, और बी/डब्लू- 68। कूँचा दर्जियान और झब्बू।का नाला पुलिस थाना कोतवाली की घटनाओं के विषय में बयान दिया है । इस बस्ती में हिन्दुओं के केवल दो घर हैं। शेष मुसलमानों के घर हैं। बाबूराम सैनी ।बी/डब्लू-66। कूँचा दर्जियान में दर्जी की दुकान चलाता है और वह मोहल्ला दौलतबाग में रहता है। उसने बताया है कि ईद और तीज दोनों त्योहार दिनाँक 13-8-1980 को मनाये गये थे । उस दिन पूर्वाह्न लगभग 10-30 बजे जब वह अपनी दुकान की ओर जा रहा था और झब्बू का नाला के समीप पहुँचा तो उसने झब्बू का नाला पर लगभग एक हजार या पन्द्रह सौ मुसलमानों की भीड़ देखी। वह अल्ला हो-अकबर- के नारे लगा रहे थे और हिन्दुओं के घरों पर हमला करने जा रहे थे। भय के कारण वह तुरन्त अपने घर की ओर भागा। दिनाँक 2.9.1980 को जब कर्फ्यू में ढील दी गई थी तब वह अपनी दुकान पर गया और उसने पाया कि उसकी सिलाई मशीन और सिले तथा बिना सिले कपड़े दुकान से उठा लिए गए हैं। पूछताछ करने पर उसे ज्ञात हुआ कि मुसलमान दंगाइयों ने उसकी दुकान का ताला तोड़ डाला था और उसका सामान उठा ले गए थे भय के कारण पड़ोसियों ने उन गुण्डों का नाम बताने से इंकार कर दिया। उसे लगभग पाँच हजार रुपये का नुकसान हुआ था और उसने एक रिपोर्ट दर्ज करायी थी इसकी सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श बी/डब्लू- 66।66। है । उसे सरकार से कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिला । उसने आगे बताया कि भय के कारण उसने

अपनी रिपोर्ट में साक्षियों के नाम नही बताए थे। उसके ग्राहक मुसलमान भी हैं लेकिन किसी ने भी उसे अब तक यह नहीं बताया है कि उस दिन की धार्मिक सभा में कोई सुअर खदेड़ दिया गया था। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसकी किसी मुसलमान से कोई शत्रुता नहीं है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उस पर अविश्वास किया जाय।

श्री तुलसीराम (बी/डब्लू-67) जाति का कुम्हार है और रामगंगा नदी के किनारे मोहल्ला लाल बाग में रहता है। वह विद्युत विभाग में सेवा निवृत कर्मचारी है। उसने बताया है कि दिनांक 13-8-1980 को पूर्वान्ह लगभग 10 या 11 बजे वह अपने घर से मण्डी चौक और सम्भली गेट होता हुआ मोहल्ला भूरा असालतपुरा जा रहा था। जब वह सम्भली चौराहे पर था तो उसने बड़ी संख्या में लोगों को भागते हुए देखा। एक मुसलमान ने उसके गर्दन पर लाठी का प्रहार किया। चोट लगने पर वह नीचे गिर पड़ा और अचेत हो गया। उसे इसलिए पीटा गया था कि वह सिर पर चुटिया रखता है और हिन्दू पहचान लिया गया था। जब उसे होश आया तब उसने अपने को अस्पताल में पाया। उसके दायें कन्धे की हड्डी टूट गयी थी। पन्द्रह दिन पश्चात् उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई यद्यपि उसकी टूटी हुई हड्डी ठीक नहीं हो पाई थी। दिनांक 28-8-1980 को अपरान्ह 4-25 बजे उसने पुलिस थाने में एक रिपोर्ट लिखवाई। उसकी प्रतिलिपि प्रदर्श बी/डब्लू-67(67) है। उसके बयान से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस थाना गलशहीद से सम्भली गेट एक फर्लांग की दूरी पर है और उस सम्पूर्ण क्षेत्र में मुसलमान निवास करते है। उस पर किसी मुसलमान ने हमला किया था किन्तु वह उसका नाम नहीं जानता है। उसने अपनी रिपोर्ट में किसी भी साक्षी का नाम इसलिए नहीं दिया कि लाठी की चोट लगने पर अचेत हो गया था और उन्हें देख नहीं सका था। हड्डी टूटने के कारण वह पूर्णतया अक्षम हो गया है और उसके नेत्रों की ज्योति चली गयी है। उसने जो बयान दिया है उस पर विश्वासन न करने का कोई कारण नही है।

श्री शिवचरन (बी/डब्ल्यू-68) जाति का बाल्मीकि है और देहरीघाट, पुलिस थाना कटघर में रहता है। वह नगरपालिका मुरादाबाद में सेवायोजित है और उसकी पत्नी और बच्चे मुसलमानों के कई मोहल्लों में घरों की सफाई का कार्य करते हैं। दिनांक 13-8-1980 को उसने अपने पुत्रों, विजय आयु लगभग 16 वर्ष और पप्पू आयु 10 वर्ष या 12 वर्ष को मोहल्ला खारी कुआँ में, जो पूर्णतया मुस्लिम बस्ती है काम कर भेजा था। दिन में लगभग 12 बजे जब वह वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उनकी तलाश करने लगी। उसे पप्पू, निसार दरोगा के घर में मिला और उसने बताया कि विजय को मुसलमानों ने चाकू मार कर मार डाला है। पप्पू अक्रमणकारियों का नाम नहीं बता सका और उसने केवल यही बताया कि लगभग पचास या साठ मुसलमानों ने उस पर हमला किया था। वह किसी प्रकार भाग गया। परन्तु विजय मुसलमानों के हमले का शिकार हो गया। उसने यह भी बतया कि विजय का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। इस साक्षी को सरकार की ओर से 10,000/= रूपये प्रतिकर के रूप में प्राप्त हुए। उसने इस घटना के बारे में रिपोर्ट दिनांक 23-8-1980 को दर्ज करवाई थी। उसकी प्रतिलिपि प्रदर्श बी/डब्लू-68(68) है।

उसके बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि इस अवसर पर पिछले वर्षों की भाँति ईद के एक दिन पूर्व सुअरों को सुअरबाड़े में बंद कर दिया गया था। उसने ईदगाह के निकट कोई सुअर नहीं देखा था। उसके अनुसार ईदगाह पर श्री डी.पी. सिंह की हत्या इसलिए की गयी थी कि वह दयालु थे और उन्होने बाल्मीकियों की सहायता भी की थी। मुसलमानों ने दिनांक 24-7-1980 को भी बाल्मीकियों पर आक्रमण किया था। दिनांक 12 और 13 अगस्त, 1980 के बीच की

रात्रि को न तो किसी मस्जिद के निकट कोई घटना हुयी थी और न ही दिनांक 13-8-1980 को बाल्मीकियों ने धार्मिक सभा में सुअर खदेड़ने की धमकी दी थी। उसने इस बात से इंकार किया कि आदर्श नगर या आवास विकास की ओर से कोई सुअर घुस आया था जैसा डा0 शमीम अहमद खाँ ने आरोप लगाया है। उसने इस बात से भी इंकार किया कि दिनांक 12-8-1980 को किसी बाल्मीकि ने मुसलमानों से ईद के इनामकी माँग की थी। वस्तुतः इस घटना के कारण उन्हें उस अवसर पर कोई इनाम नहीं मिला था। उसके बयान से पता चलता है कि दिनांक 13-8-1980 के बाद उसने भय के कारण मुसलमानों के घरों की सफाई करना बन्द कर दिया था। श्री एस.पी.आर्य तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद को देखने पर उसने बताया कि वह ।श्री आर्य। कभी भी बाल्मीकियों के मोहल्ले में नहीं आये थे और न ही उन्होने मुसलमानों से बदला लेने के लिए उन्हें उकसाया था। उसने इस बात से भी इंकार किया कि श्री आर्य ने पीरजादा पर कोई सभा की थी।

अतः इन साक्षियों के बयान से काफी हद तक यह साबित होता है कि कुछ मुसलमानों ने इस मोहल्ले के निवासियों पर भी हमला किया था और उन्हें नुकसान और चोटें पहुँचायी थी। पुलिस बल और पी.ए.सी का इसमें कोई हाथ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि हिन्दुओं या पुलिस/पी.ए.सी. ने इस स्थान पर कुछ किया था।

2- भूरा का चौराहा और प्रिंस रोड :

श्री विजय सिंह, सब इंसपेक्टर ।सी/डब्लू-9। ने बताया है कि पुलिसप्रशिक्षण पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसे

पुलिस थाना कोतवाली मुरादाबाद में प्रशिक्षण के लिए तैनात किया गया था। दिनांक 13-8-1980 को उसे कटघर के इंस्पेक्टर के प्रभार में रखा गया था। प्रातः 6.22बजे उसने कोतवाली छोड़ दी थी और पुलिस थाना कटघर पहुँच गया था। उसने तुरन्त ही भूरा का चौराहा से ईदगाह तक ड्यूटी देने के लिए सचल बल में तैनात कर दिया गया था। उसके साथ होमगार्ड के तीन सदस्य भी तैनात किये गये थे। वह अपने कार्य-स्थल पर प्रातः 7.00 बजे पहुँच गया था और गश्त लगाना प्रारंभ कर दिया था पूर्वान्ह लगभग 9.15 बजे जब वह भूरा का चौराहा पर खड़ा था तब उसने ईदगाह की ओर शोरगुल और बन्दूक की गोली चलने की आवाज सुनी। उसने लोगों को यह चिल्लाते भी सुना कि पुलिसवालों को मार डालो और लूट लो। कुछ मुसलमान जो ईदगाह के उत्तर की ओर घरों की छत पर थे गोलियाँ चला रहे थे। उसने वहाँ पहुँचने का प्रयास किया किन्तु ईदगाह की ओर से एक बड़ी भीड़ आ रही थी और इससे वह वहाँ नहीं पहुँच सका। पूर्वान्ह लगभग 10.00बजे भीड़ ने उन्हें और पुलिस बल के अन्य सदस्यों को घेर लिया और उन्हें मार डालने की धमकाया। चूँकि वह खाकी वर्दी में था इसलिए कुछ मुसलमनों ने उसे पकड़ लिया। और उन पर लाठियों, डण्डों और चाकुओं से हमला कर दिया। उनमें से कुछ लोगों ने उस पर ईंट के टुकड़े फेंके। उन्हें शांत करने के उसके सभी प्रयत्न असफल रहे। दंगाइयों ने उसकी कलाई घड़ी लूट ली और उसकी कमीज फाड़ डाली। ठीक उसी समय श्री प्र.के.पी.पाण्डे सर्किल आफिसर नगर।द्वितीय। सी/डब्लू-1। कुछ पुलिस बल के साथ वहाँ आए और उन्होंने दंगाइयों को तितर-बितर हो जाने के लिए कहा। अत्यंत कठिनाई से दंगाइयों को खदेड़ा गया और उसे अस्पताल भेजा गया जहाँ वह लगभग एक सप्ताह तक भरती रहा। उसने 28-8-1980 को अस्पताल

से वापस आने के बाद इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी। यह रिपोर्ट प्रदर्शित/डब्लू-9।23। है।

उसने यह भी बताया है कि भूरा का चौराहा पर कोई गोली नहीं चलाई गई थी और न उसके परिणामस्वरूप उस स्थल पर कोई मुसलमान मारा गया था। वह सभी भगदड़ मचने के शिकार हुए थे। तब इंसपेक्टर श्री राज सिंह ।सी/डब्लू-10। ने उसके बयान की पूर्णतः पुष्टि की है।

श्री के.एम. पाण्डेय ।सी/डब्लू-1। ने जो सर्किल आफिसर नगर ।द्वितीय। थे, बताया है कि पूर्वान्ह लगभग 9.30 बजे, जब वह रोडवेज बस स्टेशन के निकट थे, तब उन्हें सूचना मिली थी कि ईदगाह पर कुछ उपद्रव हो गया है। वह तुरन्त भूरा का चौराहा की ओर गये जो ईदगाह से लौटने वाले लोगों के लिए मुख्य मार्ग है। उन्होंने मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ ईदगाहकी ओर से आती हुई देखी। इस भीड़ को असालतपुरा की ओर मोड़ दिया गया था। असालतपुरा की ओर जो प्रमुख रूप से मुसलमानों की बस्ती है, एक सौ या एक सौ पचास गज जाने के बाद भीड़ हिंसक हो गई और चिल्लाने लगी कि पुलिस वालों को मार डालो और बाल्मीकियों और हिन्दुओं के घरों को लूट लो। यह सुनकर उन्होंने मुसलमानों की भीड़ को शांत रहने की बार बार चेतावनी दी, किन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ। भीड़ ने अपना हमला तेज कर दिया। भूरा का चौराहा पर तैनात पुलिस बल भी उनकी सहायता के लिए आया और अत्यन्त कठिनाई से वह भीड़ को तितर-बितर कर सके। ऐसा करने में उन्हें लगभग दो घंटे का समय लगा।

श्री राजबीर सिंह (सी/डब्लू-19) पी.ए.सी. मुरादाबाद की 24वीं बटालियन के कम्पनी कमांडर थे। उनकी कम्पनी को मुरादाबाद में रमजान और ईदकी ड्यूटी के संबंध में तैनात किया गया था। 23-7-1980 से इसके सदस्यों को भूरा का चौराहा के साथ-साथ 12 निश्चित स्थानों पर तैनात किया गया था। उन्होंने बरकखाना और भूरा का चौराहा की घटनाओं का विस्तृत विवरण दियाहै। इस रिपोर्ट के पृष्ठ 328 तथा 329 पर इस पर चर्चा की गई है। और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि उन्होंने उपर्युक्त बयान की पूर्णतया पुष्टि की है।

श्री जगदीश सिंह (सी/डब्लू-48) ने जो 13-8-1980 को इंसपेक्टर कोतवाली मुरादाबाद थे, बताया है कि वह भूरा का चौराहा पर ड्यूटीपर थे। पूर्वान्ह लगभग 8.35 बजे मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ भूरा का चौराहा की ओर यह नारे लगाते हुए दौड़ती हुई आई कि पुलिस वालों और हिन्दुओं को मार डालो और उनकी सम्पत्ति लूट लो। वह ईंटों के टुकड़े फेंक रहे थे और उनके पास बल्लम, बल्लम बांस और छुरे थे। उन्होंने उनसे कहा कि वह शांतिपूर्वक चले जायें। किन्तु भीड़ ने कोई ध्यान नहीं दिया। और उनके हाव-भाव से ऐसा लग रहा था कि वह भूरा का चौराहा स्थित हरिजन बस्ती पर हमला करेंगे। स्थिति गम्भीर हो रही थी। उसी समय सर्किल आफिसर नगर (द्वितीय) श्री के.एम पाण्डेय कुछ पुलिस बल के साथ वहाँ आये और उन्होंने हरिजन बस्ती को बला लिया।

नागरिक परिषद ने इस स्थान पर हुई घटनाओं के बारे में दो साक्षियों का परीक्षण किया है। वह श्री शिव चरन सिंह (बी/डब्लू-11) और श्री मुखराम बी/डब्लू-12) है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि अगस्त 1980 में पुलिस चौकी गलशहीद, पुलिस थाना कोतवाली से सम्बद्ध थी। 26-1-1982 को यह पूर्णरूप से पुलिस थाना बन गयी। श्री शिव चरन सिंह (बी/डब्लू-111) भूरा का चौराहा का निवासी है और वह अपने घर में पान की दुकान चलाता है। 13-8-1980 को उसने रोज की तरह अपनी दुकान पूर्वान्ह लगभग 6बजे खोली थी। ईद का त्योहार होने के कारण वह काफी मात्रा में पान के पत्ते आदि बिक्री के लिए लाया था। बड़ी संख्या में नमाजी सड़क पर भी फैले हुए थे। पूर्वान्ह लगभग 9.30 बजे या 10 बजे मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ उसकी दुकान की ओर दौड़ती हुई आई। यह लोग नारे लगा रहे थे और हिन्दुओं की दुकानें लूट रहे थे। वह लोग उसकी अल्मारी और अन्य वस्तुओं को क्षति पहुंचाने लगे और उसके विरोध करने पर उसे मारा-पीटा। वह किसी प्रकार भागने में सफल हुए रहा और उसने देखा कि भूरा का चौराहा पर हिन्दुओं की सभी दुकानें लूट ली गई हैं। मुसलमानों की दुकानों को छुआ तक नहीं गया था। जब यह लूट हो रही थी तब मुसलमान चिल्ला रहे थे कि काफिरों की दुकानों मत छोड़ो। उसने यह भी बतया कि यदि वह उस स्थान से भाग न जाता तो उसे जान से मार दिया जाता। जब कर्फ्यू में ढील दी गयी तो उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्श बी/डब्लू-111111 है।

श्री मुखराम (बी/डब्लू-121) भी उसी स्थान का निवासी है और वह जूता बनाने का काम करता है। उसने बताया है कि भूरा का चौराहा पर शिव दुर्गा का एक मन्दिर है और वह उसका प्रबन्धक है। श्री शिव चरन सिंह (बी/डब्लू-111) इस मन्दिर की दुकानों में

है एक दुकान का किरायेदार है। 13-8-1980 को पूर्वान्ह लगभग 9.30 बजे वह उक्त मंदिर में पूजा करने गया था। पूजा करनेके उपरांत वह मंदिर के सामने बैठ गया। उसके घर का रास्ता मंदिर से होकर जाता है। उस बस्ती में उसकी बिरादरी के कुछ लोगों के अलावा बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। पूर्वान्ह लगभग 9.30 बजे मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ ने मंदिर पर हमला किया। वहाँ पर जो पुलिस जब ड्यूटी पर थे, उन पर भी हमला किया गया और वह अपनीजान बचाने के लिए भाग गये। मन्दिर का पुजारी भी भाग गया। मुसलमान दंगाइयों ने शिवजी और देवी जी की मूर्तियाँ तोड़ डाली और वह चिल्लाये कि हिन्दू काफिर हैं और उन्हें मत बख्शो। वह यह भी चिल्ला रहे थे कि मंदिर को गिरा देने के बाद इसके स्थान पर मस्जिद बनाई जाय। मुसलमानों की उत्तेजित भीड़ को देखकर वह मंदिर के पीछे चला गया और उसने दीवार की सुराखों से झाँका तथा दंगाइयों की गतिविधियों को देखा। कर्फ्यू में ढील दिये जाने के बाद उसने एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई प्रदर्श सी/डब्लू-12।12। उसकी प्रतिलिपि है। इस साक्षी के साक्ष्य को नकराने का कोई भी कारण नहीं है इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्टहो जाता है कि मुसलमानों की उत्तेजित भीड़ ने, जो ईदगाह से लौट रही थी, न केवल नारे लगाये थे कि हिन्दू काफिर हैं और उनको जान से मार डाला जाय वरन् हिन्दुओं के पूजास्थलों को भी भ्रष्ट किया था।

इस स्थान पर हुई घटना के बारे में मुसलमान वर्ग की ओर से कोई विनिर्दिष्ट बात नहीं कही गई है और उक्त तथ्यों को इंकार करने के लिए कोईभी उपस्थित नहीं हुआ है।

(3) बरादरी की घटनाएं

दो साक्षियों अर्थात श्री चमन लाल (बी/डब्लू-25) और श्री राम चन्द्र शर्मा (बी/डब्लू-27) ने मोहल्ला बारादरी में हुई घटनाओं के बारे में साक्ष्य दिया है। वह दोनों ही इस मोहल्ले के निवासी है। श्री चमन लाल एक शरणार्थी हैं जो देश के इस भाग में विभाजन के समय आये थे। उनकी आयु लगभग 74 वर्ष है और वह पिछले 50 या 55 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। वह कांग्रेस (आई) के सक्रिय कार्यकर्ता और 1975 से वार्ड कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष हैं। वह अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध हैं और वह मई 1980 में हुए विधान सभा के निर्वाचन में श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक के समर्थक थे। उनके बयान से स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से बंगालियों और स्थानीय हिन्दुओं ने श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक का समर्थन किया था और कुछ स्थानीय हिन्दुओं ने डा० हंसराज चौधड़ा का समर्थन किया था किन्तु हिन्दुओं में इस बात को लेकर कोई नाराजगी नहीं थी।

बारादरी के चौराहे पर उनकी तीन दुकानें है। उनकी दुकानों के उत्तर, पूर्व और पश्चिम में मुसलमानों की बस्तियां हैं। उनकी दुकानों के सन्निकट चौराहे पर कमल टाकीज है। उनके बयान से पता चलता है कि 13-8-1980 को पूर्वान्ह लगभग 10.30 बजे उन्होंने कुछ मुसलमान लड़कों को मुसलमानों के बाजुओं पर काले रिबन बांधते हुए देखा था। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ईदगा पर एक घटना हो गई है।

पूर्वान्ह लगभग 11 बजे उन्होंने मोहल्ला हुसैनी बेगम की ओर शोर गुल सुना जहां पर कुछ मुसलमान इकट्ठा थे। उन्होंने अपनी दुकानें तुरन्त बन्द कर दीं और वह अपने घर के भीतर चले गये जो इन

दुकानों की छत पर है । उन्हें पता चला कि नगर में कर्फ्यू लगा हुआ है। शोरगुल बढ़ने पर वह दौड़ कर अपनी छत पर गये और उन्होने अपनी दुकानो से थोड़ी दूरी पर लगभग 300-500 मुसलमानों की भीड़ देखी। 15 या 20 मुसलमानों ने कुम्हारों पर हमला कर दिया जो उनकी दुकानों के पीछे रहते हैं। उन्होने मुसलमानों को ऐसा करने से रोका और उनके चले जाने पर कुम्हारों से कमल टाकीज में शरण लेने केलिए कहा। तदनुसार वह वहाँ चले गये और मुसलमानों ने उनके घरों को लूट लिया। नई बस्ती का एक बाल्मीकि घर जो सड़कों आदि की सफाई करता है, मुसलमानों के पथराव किया। चोटें आने पर वह उस स्थान से भाग गया और उनकी दुकानें के निकट चौराहे पर गिर पड़ा। अपरान्ह लगभग 2 बजे श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक अपनी मेटाडोर में उस रास्ते से गुजरे। बाल्मीकि को देख कर श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक ने अपनी गाड़ी रूकवा दी और उसका नाम पूछने के बाद उसे संकटपूर्ण स्थिति में छोडकर सम्भवतः इसलिए चले गये कि वह एक हिन्दू था । उसके थोड़ी देर बाद एक पुलिस अधिकारी जीप से वहाँ आया और घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया। उसके अनुसार किसी भी हिन्दू उस दिन उसके मोहल्ले में पथराव नहीं किया था।

श्री रामचन्द्र शर्मा (बी/डब्लू-28) शर्मा रेडियों के साझीदार हैं और वह व्यक्तिगत हैसियत से तथा फर्म के नाम से आयकर का भुगतान करते हैं। वह बिक्रीकर भी देते हैं। उनका कारखाना बारादरी चौराहा पर कमल टाकीज के सामने स्थित है। 13-8-1980 को वह अपने घर पर थे। पूर्वान्ह लगभग 11 बजे उन्होने शोर गुल सुना और कुम्हारों को कमल टाकीज की ओर भागते हुए देखा।

पूछताछ करने पर उन्होंने उन्हें बताया कि मुसलमानों ने उनके घरों पर हमला कर दिया है और इसलिए वह कमल टाकीज में शरण लेने जा रहे हैं।

उसने कुछ मुसलमानों को डण्डे, लोहे की छड़े आदि लिए हुए ईधर, उधर और नारे लगाते देखा। तभी उसे जानकारी मिली कि ईदगाह पर दंगा हो गया है और पूरे नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

इस स्थान पर भी ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई है जो पुलिस या हिन्दुओं ने की हो। आक्रमण मुसलमानों द्वारा किया गया था।

।4। सदर अस्पताल

श्री चरण सिंह मलिक ।सी/डब्लू-16। दिनांक 9.8.1980 से नियंत्रण कक्ष, कोतवाली, मुरादाबाद में सब इंस्पेक्टर थे। 13-8-1980 को वह पेट्रोल कार संख्या 1 ड्यूटी पर थे और उनके साथ एक हेड कांस्टेबिल और छः कांस्टेबिल थे। उनके पास एक सर्विस रिवाल्वर और 12 कारतूस थे। दो कांस्टेबिल के पास मस्केट और कुछ मिलाकर 60 कारतूस थे। हेड कांस्टेबिल और शेष कांस्टेबिलों के पास डण्डे थे। अपने सर्किल में गश्त लगाने के दौरान पूर्वान्ह लगभग 10 बजे या 10.30 बजे उन्हें जानकारी मिली कि ईदगाह पर भीषण दंगा हो गया है। वह अपने पुलिस बल के साथ तुरन्त उस स्थान की ओर चल पड़े और अनेक व्यक्तियों को घायल पड़े हुए पाया। अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर। और अन्य अधिकारियों ने उनसे घायलों को अस्पताल पहुंचाने को कहा। अतएव

वह यथा सम्भव अधिक से अधिक घायलों को अपनी पेट्रोल कार में अस्पताल ले गए। जब उसने उन्हें अस्पताल में छोड़ा था तब वहसभी जीवित थे। अस्पताल में मुसलमानों की एक बड़ी भीड ने पुलिस बल को घेर लिया और उन्हें मार डालने के लिए उकसाया। उस समय पूर्वान्ह लगभग 11.20 बजे का समय था। मुसलमानों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव करना शुरू किया जिससे उसे काफी क्षति पहुची। बड़ी कठिनाई से वह कोतवाली पहुँच सके और पूर्वान्ह 11.30 बजे एक रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रदर्श सी/डब्लू-16 ।129। इसकी सत्य प्रतिलिपि है। उनके दल के किसी सदस्य ने ईदगाह पर या नगर में किसीअन्य स्थान पर कोई गोली नहीं चलाई थी। जिन घायल व्यक्तियों को वह अस्पताल ले गए थे वह सभी मुसलमान थे और ईदगाह के सामने सड़क पर पड़े थे। उनकी संख्या 7 या 8 थी। पुलिस दल घायलों को उठाने के लिए दुबारा ईदगाह नहीं गयाथा। इस प्रयोजन के लिए एक दूसरी पेट्रोल कार और पी.ए.सी. की गाड़ी भेज दी गई थी। उन्होने इस बात से इंकार किया कि उनकी और पी.ए.सी.की गाड़ियों से मुसलमानों के हजारों शव हटाए गए थे और उन्हें लुका छिपा कर नगर के बाहर ठिकाने लगा दिया गया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अस्पताल में क्रुद्ध मुसलमानों की भीड़ द्वारा पुलिस की गाड़ी पर आक्रमण किए जाने और उस गाड़ी को क्षति पहुचाने के बारे में बयान दिया है। उसके बयान में तनिक भी ढुलमुलपन नहीं है और उसकी सच्चाई पर किसी प्रकार सन्देह नहीं किया जा सकता ।

।5। झब्बू का नाला

श्री के.एम.पाण्डेय ।सी/डब्लू-1। ने बताया है कि जब भीड़ ने पीछे हटना प्रारंभ किया तो उन्होने झब्बू का नाले की ओर जाटव की

बस्तियों से चीख पुकार सुनी कि मुसलमानों ने उनके घरों में आग लगा दी है। वह तुरन्त पुलिस बल के साथ उस दिशा में दौड़ पड़े और राधेश्याम, हरिजन के घर को जलता हुए देखा। राधेश्याम उसी घर में एक दुकान चलाता था। श्री पाण्डेय ने तुरंत वायरलेस से सूचना दी कि एक फायर बिग्रेड भेज दिया जाय। उन्होंने इस मकान के बगल में तीन लोगों सड़क पर पड़ी पायीं। उनमें से किसी पर आग्नेयास्त्र से कोई चोट नहीं लगी थी। उसने बताया कि मैंने उन्हें नागफनी पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबिल ओम प्रकाश की देखभाल में छोड़ दिया और पूर्ण शांति स्थापित करने में सफल रहा। उन्होंने नाले में बहते हुए पानी से आग बुझाने का प्रयास किया। अपरान्ह लगभग 2 बजे जब शांति स्थापित हो गई तब वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मुगलपुरा पुलिस थाने गए। मुगलपुरा पुलिस थाने जाते समय रास्तें में उन्हें कुछ घायल व्यक्ति मिले। उन्होंने उन व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और अपरान्ह 2.30 बजे पुलिस थाना मुगलपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई।

।6। असालतपुरा

नेहरू कालोनी मोहल्ला असालत पुरा में स्थित है । इस कोलोनी में बाल्मीकियों के पाँच या छः घर हैं जिनमें लगभग 50 या 60 व्यक्ति रहते हैं। इस कालोनी में चारों ओर मुसलमानों के घर हैं। दो साक्षियों, अर्थात सर्वश्री राम आसरे बाल्मीकि ।बी/डब्लू-60। और शंकर बाल्मीकि ।बी/डब्लू-61। ने जो इसी कालोनी में रहते हैं, 13-8-1980 को मुसलमानों द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में बयान दिये हैं। श्री राम आसरे नगरपालिका में मेहतर के रूप में सेवायोजित हैं और उसने बताया है कि 13-8-1980

को जब वह घासमंडी में काम कर रहा था तब उसने लोगों को उस बस्ती में उपद्रव हो जाने के कारण इधर-उधर दौड़ते हुए देखा। बहुत से मुसलमान उसकी कालोनी पर आक्रमण करने जा रहे थे। इसलिए वह भी अपने घर को भागा और अपनी कालोनी के निवासियों के साथ राजाराम की धर्मशाला में शरण ली। उनकी अनुपस्थिति में उनके घरों को मुसलमान दंगाइयों ने लूट लिया था। उसने लगभग 14,000/= रूपये की हानि उठाई थी किन्तु उसे क्षतिपूर्ति के रूप में केवल 300/-रू0 मिले थे। कर्फ्यू में ढील दिये जाने पर वह अपने घर लौटा और उसने हर चीज गायब पायी। 25-8-1980 को पूर्वान्ह 9.35 बजे उसने पुलिस थाना कोतवाली में एक लिखित रिपोर्ट दी थी। प्रदर्श बी/डब्लू-60।60। उसकी सत्य-प्रतिलिपि है। उसका बयान इस बात को स्पष्ट करदेता है कि मुसलमानों ने प्रातः काल ईदगाह पर हुई घटना के कारण उसकी कालोनी के बाल्मीकियों पर आक्रमण किया था। उसने इस बात से इंकार किया कि बाल्मीकियों ने मुसलमानों से बदला लेने के लिए कोई सभा आयोजित की थी या किसी अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया था। उसने यह भी बताया है कि पुलिस ने ईद के पहले सभी बाल्मीकियों के सुअरों को उनके सुअरबाड़े में बन्द करवा दिया था।उसके अनुसार श्री डी.पी. सिंह, प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका एक निष्पक्ष व्यक्ति थे जो मुसलमानों और अन्य लोगों को एक समान समझते थे किन्तु उन्हें 13-8-1980 को ईदगाह पर इसलिए मार डाला गया कि वह बाल्मीकियों के प्रति दयावान थे। उसके बयान की सच्चाई पर संदेहकरने का कोई कारण नहीं है।

श्री शंकर बाल्मीकि भी उसी मोहल्ले में रहता है। वह भारतीय खाद्य निगम में मेहतर के रूप में सेवायोजित है जबकि उसकी पत्नी

नगरपालिका मुरादाबाद में मेहतर है। उसने बताया है कि 13-8-1980 को उसका कार्यालय बन्द था और वह अपनी पत्नी की सहायता करने गया था। नगर में कुछ शोर सुनकर वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौट आया और अत्यधिक संकट देखकर उसने राजाराम की धर्मशाला में शरण ली। 25-8-1980 को वह घर लौटा और उसने पाया कि मुसलमान उसकी सारी सम्पत्ति उठा ले गए हैं और उसे 6,000/= रू0 से अधिक की हानि पहुँचाई है। प्रतिकर के रूप में उसे 200/-रू0 और एक कम्बल मिला था। उसने पुलिस थाना कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी और प्रदर्श बी/डब्लू-6।।6।। उसकी प्रतिलिपि है। जहाँ तक श्री डी.पी. सिंह का संबंध है, उसने बताया है कि श्री सिंह अति सज्जन थे और वाल्मीकियों के प्रति उनकी सद्भावना थी।

मुसलमान वर्ग ने इन लोगों की बात का कोई खण्डन नहीं किया है। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि यह साक्षी झूठ बोल रहे हैं। दोनों ने हानि उठाई थी और उनकी क्षतिपूर्ति की गई थी। अतएव यह बात साबित होती है कि इस मुहल्ले में घटना उसी ढंग से हुई थी जैसा कि इन दोनों साक्षियों ने कहा है। पुलिस या पी.ए.सी. ने कुछ भी नहीं कियाथा ।

17। बाला जी का मंदिर

श्री प्यारे ।बी/डब्लू-70। ने मुरादाबाद नगर में बालाजी के मंदिर के पास हुई घटनाओं के बारे में बयान दिया है। वह जाति का मुसलमान है और मोहल्ला सराय हुसैनी बेगम में रहता है, जो अगस्त 1980 में पुलिस थाना कोतवाली में पड़ता था और अब पुलिस थाना नागफनी में आता है। यहबताना महत्वपूर्ण है कि 13-8-1980 को इस

साक्षी ने मुरादाबाद में ईदगाह में ईद की नमाज अदा की थी। उसने कहा है कि नमाज खत्म होने और शहर ईमाम के खुतबा पढ़ना प्रारंभ करने के बाद शिविरों के उत्तर की ओर कुछ शोरगुल होने लगा। वह तुरन्त ईदगाहस्थल से चल दिया और इंदिरा चौक के पास अपनी दुकान पर चला गया। अपरान्ह लगभग 2.30 या 3.00 बजे जब वह एक साइकिल और बच्चों के कपडे लेकर अपनी दुकान से अपने घर जा रहा था तब बाला जी मंदिर के समीप मुसलमान दंगाइयों ने उसे घेर लिया। दंगाइयों ने उसकी साइकिल और बच्चों के कपड़े छीन लिये और इस प्रकार उसे लगभग 750/=रू0 की हानि पहुँचाई। वह अपने घर चला गया और लगभग 13 दिन तक बाहर नही निकला। 26.8.1980 को उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्श बी/डब्लू-70170 है। उसे उक्त हानि के लिए कोई प्रतिकर नहीं मिला।

उसने आगे बताया है कि नमाज के दिन ईदगाह पर या उसके समीप उसने कोई सुअर नहीं देखा था। उसने ईदगाह पर किसीभी हिन्दू को मुसलमान के वेश में नहीं देखा था। उसने इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि किसी हिन्दू ने ईदगाह स्थल पर ईट के टुकड़े फेंके थे। उसने ईट के टुकड़ों से लदी किसी ट्रक को ईदगाह के पास नहीं देखा था। एक भी मुसलमान ने उससे यह नहीं बताया था कि पुलिस ने किसी शव को लुका-छिपा कर ठिकाने लगाया है और नही किसी नमाजी ने उससे यह कहा था कि ईदगाह में उसके कपड़ों को किसी सुअर ने खराब कर दियाहै। यह साक्षी जाति का मुसलमान है और इस बात का कोई समाधान प्रद कारण नहीं है कि क्यों न उसकी बात का निर्विवाद रूप से विश्वास किया जाय। उसके बयान से यह पूर्णतया स्पष्टहो जाता है कि इस दिन ईदगाह के समीप कोई नहीं था और न वहाँ पर मुसलमान के वेश

बेल्चों का प्रयोग किये जाने की पूरी पुष्टि करता है क्योंकि जो लोग अपराध के शिकार हुए थे उनके शरीर पर तेज धार वाले हथियारों से की गई चोटें पाई गई थी। डा० शमीम अहमद खाँ ने केवल यह दिखाने के लिए यह आरोप लगाया है कि मुसलमानों का कोई भी वर्ग चोटें पहुँचाने के लिए तैयार होकर नहीं आया था।

।7। पथराव करने के विषय में डा० शमीम अहमद खाँ ने यह आरोप लगाया है कि पथराव सड़के दूसरी ओर से अमन कमेटी के शिविर के दूसरे छोर के निकट किसी स्थान से किया गया था। ऊपर जिस साक्ष्य की चर्चा की गई है कि उससे यह बात बिल्कुल झूठी साबित होती है।

डा० शमीम अहमद खाँ के अनुसार सुअर मुस्लिम लीग के शिविर के पास आये थे। दूसरी ओर यह श्री मुख्तार अहमद ने आरोप लगाया है कि सुअरों को योजनाबद्ध ढंग से वहाँ लागया गया था और नमाजियों की पंक्तियों में खदेड़ दिया गया था। जिस व्यक्ति ने सुअरों को खदेड़ा था उसका नाम नहीं बताया गया। यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि जहाँ इतने अधिक नमाजी उपस्थित थे वहाँ वह कैसे बच कर निकल गया। यदि ऐसा हुआ होता तो उसी स्थान पर हलचल मच जाती और पथराव करना शुरू हो जाता और अमन कमेटी के शिविर के पास ऐसा न होता।

।8। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि न तो मुसलमानों द्वारा मारो-मारो" का कोई शोर मचाया गया था और न किसी अधिकारी द्वारा लाउडस्पीकर से कोई घोषणा ही की गई थी। लोगों की भीड़ को अवैध घोषित नहीं किया गया था। श्री आर्य, श्री बी.एन. सिंह, श्री बी.बी. दास, श्री ए.के. मिश्र, श्री आर.एस. सिंह और प्रशासन और

में कोई हिन्दू था। उसकी राय में गड़बड़ी मुसलमानों ने उत्पन्न की थी और उन्होने उससे उसकी साइकिल और बच्चों के कपड़े छीन लिए थे। ऐसा लगता है कि ऐसा इस विश्वास से किया गया था कि वह हिन्दू है। जो भी हो, उसका साक्ष्य प्रशासन और नागरिक परिषद के कथन की पर्याप्त पुष्टि करता है। उसकी बात से मुसलमानों द्वारा गढ़ी गई कहानी पूर्णतया झूठी साबित हो जाती है।

उपर्युक्त विवाद के विषयों पर निष्कर्ष का कोई साराश देने के पूर्व कुछ संगत तथ्यों का भी उल्लेख कर दिया जाय।

डा० शमीम अहमद खाँ के लिखित बयान में उनके द्वारा लगाए गए बहुत से आरोप अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री से प्रमाणित नहीं होते हैं।

(एक) अपने प्रति-कथन में उन्होन आरोप लगाया है कि पुलिस थाना कटघर और कोतवाली में आने वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से हिन्दुओं की बस्ती है जबकिअभिलेख में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि कटघर क्षेत्र में प्रमुख रूप से मुसलमान रहते हैं और कातवाली क्षेत्र में भी वह बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि डा० शमीम अहमद खाँ को यह बताने में कठिनाई हुई है कि इन क्षेत्रों में मुसलमानों का आक्रामक रूख नहीं हो सकता था। यदि इन बस्तियों में हिन्दू अधिक संख्या में थे और उनकी प्रशासन तथा पुलिस के साथ तथाकथित साँठ-गाँठ थी तो इस बात का कोई कारण नहीं है कि उन्होने पुलिस थानों पर आक्रमण क्यों किया और हिन्दुओं की सम्पत्ति को भी क्यों हानि पहुँचाई।

।2। डा० शमीम अहमद खाँ ने अपने लिखित बयान में मृतक आबेद को एक प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता बताया है जब कि प्रशासन के साक्ष्य से पता चलता है कि वह एक अपराधी था।

।3। उन्होने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासन ने न तो अमन कमेटी की कोई बैठक की थी और न ही श्री आर्य ने अपने अधिकारियों से स्थिति के बारे में विचार-विमर्श कियाथा। अभिलेख के साक्ष्य से इस बात का पूरी तौर से खण्डन हो जाता है। यह आरोप केवल यहबताने के लिए लगाया गया है कि श्री आर्यकी ओर से लापरवाही बरती गई थी ।

।4। उन्होने अपने प्रतिकथन में यह आरोप लगाया है कि दिनाँक 13-8-1980 को नगरपालिकाके प्रभारी अधिकारी श्री डी.पी. सिंह मुरादाबाद में नहीं थे बल्कि अपने उपचार के संबंध में बाहर गये हुए थे। यह सरासर झूठ है क्योंकि उन्होने कहीं भी यह नहीं बताया है कि श्री डी.पी. सिंह की मृत्यु हो गई थी या वह जीवित थे। वह कहाँ चले गये थे और उन्होने कहाँ पर अपना उपचार कराया था। ऊपर जिस साक्ष्य की चर्चा की गई है उससे घुमा फिरा कर यह सिद्ध हो जाता है कि श्री डी.पी. सिंह पूर्णतया स्वस्थ्य थे और दिनाँक 11-8-1980 को वह मुरादाबाद में थे। उन्होने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये निर्देशों का कार्यान्वयन किया था। वह दिनाँक 13-8-1980 को ईदगाह पर भी थे और उन्हें अनेक अधिकारियों और नगर के प्रतिष्ठित हिन्दू नागरिकों ने देखा था। उन्हें इस स्थान पर चोट लगते हुए और दंगाइयों द्वारा शीघ्रता से उठा ले जाते हुए देखा गया।था। बाद में उनका शव अस्पताल में पाया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चलता कि वह शव उनका नहीं था

स्वयं उनके ड्राइवर ने बताया है कि श्री डी.पी. सिंह दिनांक 13-8-1980 को ईदगाह पर उपस्थित थे और अन्ततः उन्हें मार डाला गया था। यह स्पष्ट है कि इस झूठे आरोप के पीछे क्या उद्देश्य है। वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहेंगे कि श्री डी.पी. सिंह को ईदगाह पर जान से मार डाला गया था क्योंकि इससे प्रशासन के कथन की पुष्टि होगी और इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर जायेगी ।

(15) उन्होंने शिविरों की स्थिति में परिवर्तन ही नहीं किया है अपितु यह भी आरोप लगाया है कि वहाँ नगर पालिका का कोई शिविर ही नहीं था और न कोई अधिकारी उसमें उपस्थित था। उनके अनुसार वह लोग अमन कमेटी के शिविर में इकट्ठा हुए थे। अभिलिखित साक्ष्य से यह बात पूर्णतया झूठी साबित होती है।

(16) उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि खाकसार बेल्चे लेकर नहीं आये थे। प्रशासन और नागरिक परिषद के सभी साक्षियों ने बताया है कि वह लोग बेल्चे लेकर खाकी वर्दी में आये थे। खाकी वर्दी में उन लोगों के आने की बात को खाकसारों के जिला कमांडर डा० हामिद हुसैन ने भी स्वीकार किया है। बेल्चा उनकी वर्दी का एक भाग माना जाता है। अतः जब वह खाकी वर्दी में आयेंगे तब वह अपने साथ बेल्चा भी अवश्य लाये होंगे। हिन्दुओं और पुलिस अधिकारियों द्वारा लिखाई गई कुछ रिपोर्टों में बेल्चों का उल्लेख किया गया है। इस बात को स्वयं मुस्लिम वर्ग ने भी स्वीकार किया है कि बीस या तीस खाकसार ईदगाह के विभिन्न स्थानों पर बैठने का प्रबन्ध कर रहे थे। इससे प्रशासन और नागरिक परिषद के कथन की पर्याप्त पुष्टि होती है। चिकित्सीय साक्ष्य

नागरिक परिषद के कई अन्य साक्षियों के बयानों से बात पूरी तौर से स्पष्ट होती है कि दंगाई मुसलमान "मारो - मारो" चिल्लाये थे। यहाँ तक कि डा० शमीम अहमद खाँ और डा० हामिद हुसैन ने भी यही कहा था। दंगाइयों को शान्त रहने के लिए बार-बार लाउड स्पीकर से घोषणा की जा रही थी। जब उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो उनकी भीड़ को अवैध घोषित कर दियाथा।

(9) दूसरे स्थान पर यह आरोप लगाया गया है कि लाठी चार्ज करने या गोली चलाने से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। श्री सिंह और श्री दास के बयानों से यह पता चलता है कि लाठी चार्ज करने का आदेश देने से पहले कम से कम चार बार चेतावनी दी गई थी। इसके बाद दंगाइयों के जनसमूह को अवैध घोषित किया गया था उन से यह भी कहा गया था यदि वह लोग शांतिपूर्ण ढंग से तितर-बितर नहीं होते हैं तो गोली चलानी पड़ेगी जिसमें उन लोगों की मृत्यु भी हो सकती है अत: यह आरोप भी अभिलेख में दिये गये तथ्यों से पूर्णतया झूठा सिद्ध हो जाता है।

(10) एक अन्य आरोप यह है कि लाठी चार्ज करने से पहले अश्रु गैस के गोले नहीं छोड़े गये थे। जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है अश्रु गैस के गोले छोड़े गये थे। एक अश्रु गैस की बंदूक दंगाई उठा ले गये थे। इसलिए इस बात में तर्क करने की कोई गुंजा इश नहीं है कि अश्रु गैस के गोले नहीं छोड़े गये थे।

यह भी आरोप लगाया गया है कि मुसलमानों की धर्मिक सभा के किसी वर्ग ने हिन्दुओं के जीवन और सम्पत्ति को कोई

क्षति नहीं पहुँचाई थी। इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है क्योंकि एक ज्येष्ठ कार्यपालक अधिकारी को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी और कई अन्य अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित हिन्दू नागरिकों को गम्भीर चोटें लगी थी। सड़क के किनारे स्थित हिन्दुओं के घरों पर भारी पथराव हुआ था। यह हिन्दुओं का कोर्य नहीं हो सकता था। क्योंकि उन्हें अपने समुदाय के लोगों को चोटें पहुँचाकर और उनके घरों पर आक्रमण करके कोई लाभ नहीं होना था। इन घरों की खिड़कियों के शीशे पूरी तरह तोड़-फोड़ डाले गये थे और दरवाजों तथा दीवालों को क्षति पहुँचाई गई थी छत और सहन पर ईंट के टुकड़ों के ढेर जमा हो गये थे। दंगाइयों ने खुलकर बाँसों, बेल्चों और चाकुओं का प्रयोग किया था। कुछ मुसलमानों ने घर की छतों पर खड़े हो कर और ईदगाह के उत्तरी फाटक के पास से गोलियां चलाई थी। उन सभी कार्यों से वहाँ पर उपस्थित अधिकारियों और हिन्दुओं और उनकी सम्पत्ति को काफी खतरा उत्पन्न हो गया था।

।।।। अपने लिखित बयान के पैरा 17 में उन्होंने एक दिलचस्प आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस चौकी गलशहीद को किसी मुसलमान के क्षति पहुचाई थी बल्कि सूचना मिलने पर जब वह वहाँ पहुँचे तब उन्होंने देखा कि पुलिस बल और पी.ए.सी. के जवान स्वयं उसे क्षतिग्रस्त कर रहे थे। यह आरोप बिल्कुल निरर्थक है और किसी भी साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं होती है। इसके विपरीत जिस साक्ष्य की ऊपर चर्चा की गई है उससे ये बात झूठी सिद्ध हो चुकी है। इससे साबित होता है कि मुसलमानों की उसी उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी पर आग लगाई थी और उसे क्षति पहुचाई थी जिन्होंने उसे लूटा था, एक कान्सटेबिल को जला दिया था और जो उसके शव को उठा ले गये थे।

(12) अपने लिखित बयान के पैरा 18 में उन्होंने यह आरोप लगाया है कि बरकखाना में कोई घटना नहीं हुई थी। उनके अनुसार यह कहानी ईदगाह पर पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों को औचित्य ठहराने के लिए ईदगाह से कुछ शवों को लाकर और उन्हें इस स्थान पर रख कर गढ़ी गई थी। यह बात भी झूठी साबित होती है जैसा कि ईदगाह पर हुई घटना के संबंध में की गई चर्चा से स्पष्ट हो जायेगा।

(13) अपने लिखित बयान के पैरा 19 में उन्होंने यह कहा है कि कोतवाली पर कोई हमला नहीं हुआ था। यह कथन भी कोतवाली की घटना से संबंधित चर्चा से मिथ्या सिद्ध हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह आरोप इसलिए लगाया है कि कोतवाली पर हमला करना एक भयंकर और दुःसाहसिक कार्य है और वह यह नहीं चाहते थे कि यह कलंक मुसलमानों पर लगे।

(14) वह यह भी बताना चाहते हैं कि जिला अस्पताल में कुछ नहीं हुआ था जब कि वास्तव में उस स्थान पर कन्ट्रोल रूम की पेट्रोलकार सं0 यूटीयू 2021 को दंगाई मुसलमानों ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था।

(15) यह भी कहा गया है कि फैजगंज पुलिस चौकीपर कोई हमला नहीं हुआ किन्तु जिस साक्ष्य पर ऊपर चर्चा की गई है उससे यह बात प्रत्यक्षतः असत्य सिद्ध हो जाती है।

<u>शस्त्रास्त्र और गोलाबारूद</u> जिसे दंगाई पुलिस के कब्जे से उठा ले गये थे।

ऊपर जिस साक्ष्य की चर्चा की गई है उससे निम्नलिखित स्थिति सामने आती है :-

ईदगाह:

ईदगाह पर इंस्पेक्टर श्री बी.बी.लाल से दंगाई एक सर्विस रिवाल्वर और 17 जीवित कारतूस छीन कर ले गये थे। अश्रु गैस दल के हेड कांस्टेबिल श्रीपाल के कब्जे से अश्रुगैस बन्दूक और एक छोटी टूरी का हथगोला छीन लिया गया था।

बरफखाना :

पी.ए.सी. के कांस्टेबिल मगनानन्द और पी.ए.सी. के कांस्टेबिल हरी दत्त पंत से दंगाइयों ने 303 और 100 चक्रों की दो राइफलें छीन ली थी।

पुलिस चौकी गलशहीद

पुलिस चौकी गलशहीद के रायफलें और अश्रु गैस के गोले उठा लिये गये थे।

मुस्लिम दंगाइयों द्वारा चलाई गई गोलियाँ

ईदगाह

इस बात को सिद्ध करने के अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं कि दंगाइयों ने ईदगाह पर घर की छतों से और ईदगाह के उत्तरी द्वार के निकट से गोलियाँ चलायी थीं।

बरफखाना

उन्होंने बरफखाना पर हेडकांस्टेबिल घातीराम पर भी गोलियाँ चलाई थीं, और उसे मार डाला था।

पुलिस चौकी गलशहीद

मुस्लिम दंगाइयों ने कांस्टेबिल राज सिंह पर गोली चलाकर

उसे घायल कर दिया था। श्री ए.के. मिश्र ।सी/डब्लू-12। के बयान से यह मालुम होता है कि दस या पन्द्रह मुसलमान निकटवर्ती मकानों की छतों से गोलियां चला रहे थे। श्री राजवीर सिंह ।सी/डब्लू-19। पर उस समय गोली चलायी गयी थी जब वह भूरा का चौराहा से बरफखाना जा रहे थे।

केजगंज और नीम की प्याऊ:

मुसलमानों ने केजगंज और नीम की प्याऊ पर भी गोलियां चलायी थीं।

सरकारी गाड़ियां जिन्हें क्षतिग्रस्त किया गया।

निम्न लिखित तालिका में सरकारी वाहनों को पहुँचायी गयी क्षति और उनकी मरम्मत पर कियागया व्यय दिखाया गयाहै:-

वाहन संख्या	किसके अधिकार में थी	जहाँ क्षतिग्रस्त हुई
जीप सं0 3292	पुलिस उप अधीक्षक श्री जमुना प्रसाद तथा श्री जी.बी. सिंह	इन्दिरा चौक
जीप सं0 3821	श्री ए.के. मिश्रा सर्किल आफिसर नगर ।प्रथम।	ईदगाह
जीप सं0 यूएसटी 1950	श्री डी.पी. सिंह, एस.एच.ओ., मुगलपुरा	बरफखाना
गाडी सं0 यूएसटी, 2085	पुलिस थाना कटघर की ट्रेकर	ईदगाह
निर्यंत्रण कक्ष की गश्ती कार सं0 यू.टी.यू. 2021	उप निरीक्षक श्री चरन सिंह, सी/डब्लू-16	सदर अस्पताल
अम्बेसडर कार सं0, यू.एस.आर. 4059	पुलिस उप अधीक्षक, स्थानीय, अधिसूचना इकाई	शहर की गश्त पर।

वाहनों के ढाँचों और शीशों को पथराव से क्षतिग्रस्त किया गया था और सरकार उनकी मरम्मत पर पाँच हजार सात सौ नब्बे रुपये और बैंतीस पैसे का व्यय करना पड़ा ।

पुलिस और पी.ए.सी. द्वारा चलाई गई गोलियाँ

आगे दी गई तालिका में पुलिस और पी.ए.सी. द्वारा चलाईxx गई गोलियों का विवरण दिया गया है :

दिनाँक 13-8-1980 को मुरादाबाद नगर में विभिन्न घटनाओं में पुलिस/पी.ए.सी. द्वारा चलाई गई गोलियों का विवरण

घटना का दिनाँक समय तथा स्थान	रिपोर्ट का दिनाँक और समय और थाना जहाँ पर उसे दर्ज किया गया।	गोली किस अभिकरण द्वारा चलाई गई।	कितने गोली चलाई गई उनकी संख्या					किसके आदेश से गोली चलाई गई।	गोली चलने की आवश्यकता।	हताहत	
			अश्रु गैस	रिवाल्वर	राइफल	मस्कट	एस.एल.आर.			मृत	आहत
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13-8-1980 पूर्वान्ह 9.15 बजे ईद माह	13-8-1980 पूर्वान्ह 10.30 बजे, कटघर श्री बी.बी.लाल सी/डब्लू-11।30।	सशस्त्र पुलिस रक्षक, अश्रुगैसदल हेड कांस्टेबिल श्री पाल	11	-	-	-	-	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बी.एन. सिंह	मुसलमानों की अवैधानिक जमाव को तितर बितर करने के लिए		
		सशस्त्र पुलिस रक्षक	-	-	-	17	-	श्री आर.एस. सिंह। फायरिंग का आदेश पूर्वान्ह 9.35बजे दिया गया सी/डब्लू-11-131।	अपर पुलिस अधीक्षक की देखरेख में आत्मरक्षार्थ	3मुसलमान जिनकी मृत्यु अस्पताल में हुई	सुनिश्चित नहीं किया जासका
13-8-1980 पूर्वान्ह 9.35 बजे बरफखाना चौराहा	13.8.1980 को 10.35 बजे कटघर श्री डी.पी. सिंह सी/डब्लू-29।190। द्वारा।	उप निरीक्षक सी. राम. सिंह हेड कान्स टेबिल रघुबीर सिंह	10 लघु अंतरालों पर।	-	-	-		निरीक्षक डी. पी. सिंह स्वयं	आत्म रक्षार्थ	एक मुसलमान जिसकी मृत्यु	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
******		और कांस्टेबिल पति राम (दोनों पी.ए.सी. की 8वीं बटालियन "ई" कम्पनी बरेली के)	-	-	5 लघु अंतरालों पर	-	-	स्वयं	आत्मरक्षार्थ	अस्पताल में हुई	
					4 लघु अंतरालों पर	-	-	स्वयं	आत्मरक्षार्थ		
3	13.8.1980 ईद गाह, पुलिस चौकी गलशहीद घटित घटना के तुरन्त बाद।	13.8.1980 मध्यान्ह 12.10 बजे कटघर कोतवाली में अपरान्ह 3.55 बजे प्राप्त	श्री ए.के. मिश्र सार्किल आफिसर (नगर-I) (24वीं बटालियन बी. कम्पनी, मुरादाबाद।	-	2	-	-	स्वयं	"	"	"
				-	9 (एक छत से और जमीन से)	-	-	सर्किल आफिसर नगर (I)	"	"	"
		पी.सी. नरायन सिंह, 6ठी बटालियन, "सी" कंपनी, मेरठ	-	3	-	-	-	स्वयं	"	"	"
		पी.ए.सी. छठी बटालियन "सी" कम्पनी, मेरठ	-	-	9 (दो छत से और 7 जमीन से)	-	-	7 स्वयं और 2 सर्किल आफसर नगर (I) के आदेश पर	"	"	सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13-8-1980 पूर्वान्ह 10.30 बजे / तहसीली स्कूल	13.8.1980 अपरान्ह 2बजे मुगलपुरा	उपनिरीक्षक सी.पी. (श्री आर.एस.असवाल)	-	2	-	-	स्वयं=	स्वयं	"	"	"
		पी.ए.सी. 24वीं बटालियन "बी" कम्पनी	-	-	24	-	-	श्री आर.एस. असवाल, उ.नि.		"	"
13.8.80 पूर्वान्ह 11बजे चौकी फैजगंज	13.8.80 मध्यान्ह 1.30बजे मुगलपुरा	कांस्टेबिल/ सी.पी. भगीरथसिंह	-	-	-	-	12 बोर की व्यक्तिगत बंदूक से	स्वयं	"	"	"
13.8.80मध्यान्ह 12 बजे चौकी बागफनी	13.8.80अपरान्ह 2.30बजे, मुगलपुरा	सिविल पुलिस	-	-	2	3	-	श्री के.एम पाण्डे, सर्किल अफसर नगर (III)	"	"	"
		योग=	11	17	53	20	1				

यह चक्र तीन चरणों में चलाए गए थे। प्रथम चरण में सशस्त्र पुलि के हेडकांस्टेबिल इसरार अहमद ने एक चक्र गोली चलायी थी द्वितीय चरण में सशस्त्र पुलिस के हेडकांस्टेबिल इसरार अहमद, राजेन्द्र सिंह, इन्दर सिंह और धरम सिंह ने दो दो चक्र गोलियां चलायीं। तृतीय चरण में भी उन्हीं चार व्यक्तियों में से प्रत्येक ने दो चक्र गोलियां चलायीं थीं प्रत्येक चरण में पूर्व चरण में गोली चलाने का परिणाम देखने के बाद गोली चलाई गयी थी।

दिनाँक 13-8-1980 को मुरादाबाद नगर की घटनाओं के संबंध में विभिन्न थानों में लिखायी गयी रिपोर्टों और अनुसंधान कार्य के परिणाम की तालिका :

संकेत सूची :

आ. प. = आरोप पत्र

अ. रि. = अंतिम रिपोर्ट

वि. अ. = विचाराधीन अनुसंधान

टिप्पणी :

संक्षेप में विवरण नीचे दिया गया है :

तीन पुलिस थानों में रजिस्ट्रीकृत कुल मामलों की संख्या = 108

	आरोप पत्र		अंतिम रिपोर्ट	विचाराधीन अनुसंधान
पुलिस/पी.ए.सी. द्वारा सूचित	14	9	4	1
होमगार्ड द्वारा सूचित	1	-	1	-
हिन्दुओं द्वारा सूचित	62	19	43	-
मुसलमानों द्वारा सूचित	31	4	27	-
योग:	108	32	75	1

दंगा योजना:

घटना के बाद दंगा योजना लागू की गयी थी और नगर को नौ सेक्टरों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित मजिस्ट्रेटों और पुलिस उपाधीक्षकों को विभिन्न सेक्टरों में तैनात किया गया था। अपरान्ह 2.30 बजे तक स्थिति नियंत्रण में लाई जा सकी थी।

सेक्टर नं0	मजिस्ट्रेट का नाम	पुलिस उपाधीक्षक का नाम
1	श्री एस.बी.एस.सक्सेना	श्री जी.बी. सिंह
2	श्री के. एल. अग्रवाल	श्री ए.पी. गर्ग
3	श्री साहिब सिंह	श्री वी.एन. शाण्डिलय
4	श्री जे.पी. मिश्र	श्री जगदीश सिंह
5.	श्री आर.पी. गोस्वामी	श्री ए.के. मिश्र

6.	श्री सोहन लाल	श्री जमुना प्रसाद
7.	श्री वेदप्रकाश अग्रवाल	श्री पी. किशोर
8.	श्री मोहसिन मिर्जा	श्री के. एम. पाण्डेय
9.	श्री डी. सी. मिश्र	श्री जम्बू सिंह

मण्डल के आयुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक भी अपरान्ह 2.35 बजे कोतवाली पहुँच गये थे और उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ सम्पूर्ण स्थिति पर विचार-विमर्श किया था।

बाद विषय सं0 3, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21 और 22 के निष्कर्ष के परिणाम:

बाद विषय संख्या 3: दिनाँक 13.8.1980 को मुरादाबाद नगर में बीस स्थानों पर उपद्रव हुआ था।

बाद विषय संख्या 9: एक भी गैर मुस्लिम व्यक्ति नमाजियों के बीच में नमाज के समय नहीं घूम रहा था या उसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दंगा नहीं भड़काया था।

बाद विषय संख्या 10 और 11: जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्यवाही नितांत औचित्यपूर्ण और पर्याप्त थी। यह कार्यवाही न तो समय से पूर्व की गई थी और न विलम्ब से। यह न तो आवश्यकता से अधिक थी और न अपर्याप्त। जिला अधिकारियों ने जनजीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कई बार चेतावनी देने और अश्रुगैस के गोले दगवाने तथा लाठी चार्ज करवाने के बाद गोली चलवाई थी। यदि ऐसा न किया गया होता तो जनजीवन और संपत्ति की अपार क्षति होती और उपद्रव समीपवर्ती हिन्दू बस्तियों अर्थात आदर्श

नगर और आवास विकास में फैल जाता। यह उपद्रव भयंकर रूप से पूरे नगर में फैल सकता था ।

वाद विषय संख्या 16: चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ईदगाह पर मुसलमानों का एक वर्ग हिंसा पर उतारू हो गया था और वह भारी पथराव करने लगा था तथा उसने आग्नेयास्त्र और अन्य हथियारों का प्रयोग किया। एक ज्येष्ठ कार्यपालक मजिस्ट्रेट मारा गया था और कई अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई थी। कई हिन्दुओं को भी जो नमाजियों को शुभकामनाएं देने गये थे, चोटें आई थी। विभिन्न घटना स्थलों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथों से आग्नेयास्त्र और गोली बारूद छीन लिया गया था।

वाद विषय संख्या :18:नमाज के समय किसी हिन्दू ईंट भट्टा मालिक का ईंट पत्थरों से भरा हुआ या खाली कोई ट्रक रामपुर रोड पर उक्त फाटक चौराहे के निकट खड़ा नहीं था और न शहर ईमाम के खुत्बापढना प्रारम्भ करने के तुरंत बाद कोई ट्रक ईदगाह के निकट लाया गया था।

वाद विषय संख्या 19: अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों पर फेंके गये ईंटों के टुकड़े ईदगाह की पूर्वी दीवार से तथा उसके निकट स्थित भट्ठियों से लिए गये थे। उन्हें किसी मोटर ट्रक से नहीं निकाला गया था। मुसलमानों अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों पर तथा सड़क के उस पार ईदगाहके पूर्व में स्थित इमारतों पर भी ईंटों के टुकड़े मुसलमानों द्वारा फेंके गये थे।

वाद विषय संख्या 20: बहुत से खाकसार बेलचे लेकर आए थे और उन्हो ने नमाज नहीं पढ़ी थी किन्तु वह नमाजियों के बीच घूमते देखे गये थे। जब जिला प्राधिकारियों ने मुसलमानों की उपद्रवी भीड़ को तितरबितर

करने और शान्त रहने का आदेश दिया तो वह "मारो-मारो" चिल्लाने लगे थे ।

वाद विषय संख्या 21 : श्री ए.के. मिश्र सी/डब्लू-12 और श्री राजवीर सिंह सी/डब्लू-12 के बयानों से अन्य बातों के साथ-साथ यह सिद्ध होता है कि मुसलमानों ने पुलिस चौकी गलशहीद जाने वाली सड़क को कई स्थानों पर लकड़ी के लट्ठों और ईंटों से अवरुद्ध कर दिया था और टेलीफोन और बिजली के तार काट दिये थे।

वाद विषय संख्या:22: मुसलमानों ने पुलिस चौकी गलशहीद पर और इसके आसपास पुलिस बल और पी.ए.सी. के अधिकारियों और सदस्यों पर बल्लम लाठियों, बेल्चों से हमला किया था और उन पर गोलियाँ भी चलाई थी तथा जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है जनजीवन और सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई थी।

वाद संख्या 12:

प्रशासन के अनुसार 13.8.1980 को हुई घटनाओं में नगर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर कुल मिलाकर चौरासी लोग मारे गये थे उनमें सत्तर मुसलमान और चौदह हिन्दू थे। उनमें से केवल पाँच हिन्दुओं और चार मुसलमानों को आग्नेयास्त्रों से चोटें आई थी। शेष लोग या तो भगदड़ में कुचल गये थे या उन्हें अन्य हथियारों से चोटें लगी थी। शवों की बरामदगी के ब्योरे में निम्नलिखित तालिका में दिए गये हैं ।

वह स्थान जहाँ से शवों को बरामद किया गया और उसका नक्शा	बरामद किये गये शवों की संख्या: हिन्दू	मुसलमान	योग	अभ्युक्ति
2	3	4	5	6
ईदगाह प्रदर्श सी/डब्लू-51§224§	-	34	34	-
बरफखाना " सी/डब्लू-51§325§	4	15	19	-
भूरा का चौराहा सी/डब्लू-51§346§	-	5	5	-
दीवान का बाजार सी/डब्लू-51§353§	-	5	5	-
सदर अस्पताल सी/डब्लू-	2	4	6	§इनमें से चार लोग ईदगाह पर एक बरफखाना पर और एक नागफनी पर घायल हुए थे§
बांस मंण्डी सी/डब्लू-57§356§	-	1	1	
फैजगंज सी/डब्लू-57§357§	1	1	2	
तहसीली स्कूल सी/डब्लू-51§352§	3	1	4	
गलशहीद सी/डब्लू-51§363§	1		1	-
नागफनी सी/डब्लू-51§354§	1	1	2	-
मानपुर सी/डब्लू-51§358§	-	2	2	-
कमल सिनेमा सी/डब्लू-51§361§	1	-	1	-
बरवाला सी/डब्लू-51§356§	1	1	2	-
योग	14	70	84	-

लोक सेवकों के जीवन की हानि:

प्रभारी अधिकारी नगरपालिका श्री डी.पी. सिंह को ईदगाह पर जान से मार डाला गया था। कांस्टेबिल सी.पी. धीरेन्द्र सिंह, कांस्टेबिल पी.ए.सी. मगनानन्द, कांस्टेबिल पी.ए.सी. हरिदत्त पंत को बरफखाना पर मार डाला गया था और कांस्टेबिल परसादी लाल को पुलिस चौकी गलशहीद पर मारा गया था। वह सभी ड्यूटी पर थे।

दूसरी ओर मुस्लिम वर्ग ने परस्पर विरोधी बयान दिये हैं। अपने लिखित बयान में शहर इमाम ने बताया है कि श्री आर्य ने पहले चौबीस लोगों की मृत्यु हो जाने की बात कही थी किन्तु बाद में उन्होंने स्वीकार किया था कि अस्सी लोगों की मृत्यु हुई। अभिलेख में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे यह पता चले कि श्री आर्य ने ऐसा परस्पर विरोधी बयान दिया था। दूसरी ओर श्री आर्य ने स्पष्ट रूप से इससे इंकार किया है।

शहर इमाम ने यह भी कहा है कि ईदगाह से जो लोग भाग गये थे और जिन्होंने घटना का वर्णन किया था उनके बयानों से ईदगाह पर मारे गये लोगों की संख्या तीन हजार से अधिक थी। उन्होंने कहीं भी उन लोगों के नाम नहीं बताये हैं जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने उक्त सूचना दी थी और न उनमें से किसी का परीक्षण किया गया है। वह स्वयं भी उनकी सूचना पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं क्योंकि स्वयं उनके बयान के अनुसार यह संख्या काफी कम थी।

अपने लिखित बयान के पैरा 16 में उन्होंने कहा है कि गोलियां दो स्थानों पर चलाई गई थी, एक उस स्थान पर जहां ईंटों

के टुकड़े एक दूसरे पर फेंके गये थे और दूसरे नमाजियों की तीन पंक्तियों पर जो उस स्थान से, जहाँ पर ईंटों के टुकड़े एक दूसरे पर फेंके लगभगआधे फर्लांग की दूरी पर अपनी चादरों पर बैठे थे। उनका यह भी कहना है कि वह नायब इमाम के साथ इन स्थानों पर गये थे और उन्होंने देखा कि पुलिस द्वारा गोली चलाने से तीनों पंक्तियों पर समान रूप से प्रभाव पड़ा है। उन्होंने एक पंक्ति के हताहतों की गणना की और पाया था कि ऐ सौ इकसठ लोग मारे गये। अतएव तीनों पंक्तियों में लगभग चार सौ तिरासी व्यक्ति मारे गये थे और इतने ही व्यक्ति उस स्थान पर मारे थे जहाँ एक दूसरे पर ईंट के टुकड़े फेंके गये थे। तथापित उनका अनुमान है कि इन दोनों स्थानों पर लगभग आठ सौ व्यक्ति अवश्य ही मरे होंगे किन्तु उनके द्वारा दाखिल किये गये अनुलग्नेक में ईदगाह पर मरने वालों की संख्या एक हजार और कर्फ्यू के तीसरे दौर में मरने वालों की संख्या नौ सौ पचहत्तर दिखाई गई है। मृतकों के ब्यौरे कहीं भी नहीं दिये गये हैं और ऐसे कोरे बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर श्री आर्य ने न केवल इन आरोपों को अस्वीकार किया है बल्कि यह भी कहा है कि जब तक वह वहाँ पर मौजूद रहे तब तक शहर इमाम या नायब इमाम शवों के पास नहीं गये थे।

एक अन्यस्थान पर शहर इमाम ने यह कहा है कि पुलिस चौकी गलशहीद पर लोगों पर इसकी जो प्रतिक्रिया हुई उसके कारण पुलिस बल और पी.ए.सी. के सदस्यों द्वारा और अधिक मुसलमान मारे जाने लगे। इस संबंध में कुछ उदाहरण दिये गये हैं किन्तु किसी ने उनकी पुष्टि नहीं की है। उन्होंने इस संबंध में कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। अतएव इस अभिकथन को भी अधिक विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

अपने लिखित बयान में श्री हुमायूँ कादिर ने यह आरोप लगाया है

कि ईदगाह पर हजारों मुसलमानों की मृत्यु हुई थी। उन्होंने मृतकों, घायलों के लूटे गए घरों और दुकानों की संख्या की पुष्टि में कुछ अनुलग्नक प्रस्तुत किए हैं किन्तु उन्हें सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अतएव, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है।

श्री मुख्तार अहमद, एडवोकेट, ने अपने लिखित बयान में आरोप लगाया है कि वहाँ सामूहिक हत्याकाण्ड हुआ था जो बड़े लम्बे समय तक चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। हजारों व्यक्ति जिनमें छोटे बच्चे भी थे भगदड़ में मारे गए थे। उन्होंने इन आरोपों को सिद्ध करने का कोई प्रयास तक नहीं किया है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि ईदगाह पर हुई भगदड़ में काफी लोग जिनमें बच्चे भी थे, मर गए थे।

जहाँ तक गलशहीद पर हुई घटना का संबंध है कि श्री मुख्तार अहमद का कहना है कि ईदगाह से लौटते हुए मुसलमानों की एक क्षुद्र भीड़ ने जिसमें अधिकतर ईदगाह पर मारे गए और घायल हुए लोगों के निकट संबंधी थी। बहुत उकसाये जाने पर ढेलेबाजी की थी और पुलिस वालों को चोटें पहुँचाई थी। इससे डा० शमीम अहमद खाँ का यह अभिकथन पूर्णतया असत्य साबित हो जाता है कि गलशहीद पुलिस चौकी को पुलिस कर्मचारियों और पी.ए.सी. के जवानों ने स्वयं क्षतिग्रस्त किया था।

एक और मुद्दे पर भी परस्पर मतभेद है। शहर इमाम ने गलशहीद पर मृत व्यक्तियों की संख्या बताने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। श्री मुख्तार अहमद के अनुसार वहाँ

पर पुलिस तथा पी.ए.सी. के जवानों द्वारा चलाई गई गोलियों से लगभग बावन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इसके विपरीत डा० शमीम अहमद खाँ का अभिकथन है कि उन्हें टेलीफोन पर प्राप्त हुई सूचना के अनुसार गलशहीद पर सैंतीस व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। यदि उनकी बातों में लेशमात्र भी सच्चाई होती तो उन्होंने बावे के साथ जो बात कही है उसमें परस्पर मतभेद न होता।

डा० शमीम अहमद खाँ का अभिकथन है कि घटना के पश्चात् वह शहरइमाम और दूसरों के साथ ईदगाह के भीतर गए थे और उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों सैकड़ों शव खून से लथपथ पड़े देखे थे और सैकड़ों घायल व्यक्ति सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। शहर इमाम ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। दूसरी ओर श्री टी.सी. त्यागी ने स्वयं घटना स्थल का निरीक्षण किया था और ईदगाह के उत्तर-पूर्वी फाटक के पास पाँच शव और हरबाल नगर को जाने वाली संकरी गली में उन्नतीस शव पाए थे। अतएव डा० शमीम अहमद खाँ के अभिकथन में कोई बल नहीं है।

उन्होंने आगे यह भी कहा है कि वह बरवाला गए थे और वहाँ पर उन्हें यह मालुम हुआ कि छोटे खाँ और उसका पुत्र मार डाला गया है। इसे सिद्ध करने का कोई प्रयास तक नहीं किया गया है। प्रशासन ने इसे अस्वीकार किया है।

अंतत में उनका अभिकथन है कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि ईदगाह से हटाए गए बहुत से शव मुरादाबाद पुलिस लाइन्स के पीछे एक टिन के सायबान में रखे

हुए हैं । उन्होंने तत्कालीन मुख्य मंत्री और तीन अन्य मंत्रियों से उस स्थान पर जाने का अनुरोध किया था और तीनों मंत्रियों को पुलिस लाइन ले गए थे और उन्हें शव दिखाये थे। गिनती करने पर उन्हें केवल पच्चासी शव मिले थे ।

श्री बी. बी. दास ने कहा है कि घटना के पश्चात् तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के तीन मंत्रियों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मुरादाबाद का दौरा किया था। तत्कालीन मुख्य मंत्री भी आए थे। कई मुसलमान उनसे मिलने गये थे जिनमें आयोग के समक्ष अपने लिखित बयान प्रस्तुत करने वाले कुछ लोग भी सम्मिलित थे, किन्तु उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि घटना में हजारों मुसलमान मारे गये थे और न किसीने उन शवों को ठिकाने का प्रस्ताव किया था । जिनको चोरी-छिपे ठिकाने लगाया जा सकता था। श्री दास ने आगे कहा है कि कोई भी मंत्री पुलिस लाइन नहीं गया था जैसा कि डा० शमीम अहमद खाँ ने अपने लिखित बयान में बताया है।

डा० शमीम अहमद खाँ के इस दावे की किसी भी बात से पुष्टि नहीं हुई है कि इन पच्चासी शवों के अतिरिक्त तीस और शव जिला अस्पताल में थे ।

श्री हुमायूँ कबीर का अभिकथन है कि गोलियाँ लगने के बाद सैकड़ों व्यक्ति ईदगाह परिसर में गिर गए थे। यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि जो लोग ईदगाह परिसर के अन्दर थे वह केवल पूर्वी दीवार से ईंटे निकाल कर पहुँचा रहे थे । पुलिस या सशस्त्र गारद को उस दिशा में फायर करने की कोई आवश्यकता

ही नहीं थी। ईंट के टुकड़े उन लोगों द्वारा फेंके जा रहे थे जो सड़क पर थे। तम्बू भी उन्हीं लोगों ने गिराये थे और वहीं पर चाकू और बेल्चों की चोटें भी आई थी। उन्हीं लोगों की भीड़ को अवैध घोषित किया गया था और जब उनकी ओर से की जा रही हिंसा अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी तब उन पर गोली चलाई गई थी। इस प्रकार ईदगाह परिसर में गोली चलाने की बात नितांत मनगढ़ंत है।

अपने शपथ पत्र के पैरा 5 में श्री मुख्तार अहमद ने कहा है कि 13-8-1980 को कांग्रेस (आई) के स्थानीय विधानसभा सदस्य श्री हफीज मोहम्मद सिद्दीकी, ने भारतके प्रधानमंत्री और कई अन्य मंत्रियों को एक तार भेजा था, जिसमें यह कहा गया था कि:-

"पुलिस ने सैकड़ों बच्चों और निर्दोष नमाजियों को नमाज पढ़ते समय गोलियों से मार डाला। अत्याचार और हत्या काण्ड जारीहै विराम शव नष्ट कर दिये गये हैं विराम पुलिस का इसे साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास विराम हिन्दू मुसलमानों की सहायता कर रहे हैं विराम बर्बरता और हत्याकाण्ड रात्रि में जारीरह सकता है विराम कृपया तत्काल मुरादाबाद आयें।

अपने लिखित बयान में श्री हफीज मोहम्मद सिद्दीकी ने कहीं भी यह बात नहीं कही है कि सैकड़ों बच्चों और निर्दोष नमाजियों ने ईदगाह पर अपने प्राण गंवाए थे। उन्होने इस आशय का बयान देने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होना भी ठीक नहीं समझा। ऐसा लगता है कि उन्होने उक्त तार केवल मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए भेजा था क्योंकि उनके और डा० शमीम

अहमद खाँ के बीच मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व के लिए प्रतिद्वन्दता चल रही थी। मई 1980 में हुए विधान सभा निर्वाचन में वह डाक्टर शमीम अहमद खाँ को हरा कर सफल रहे थे और उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के मत प्राप्त किए थे। इससे प्रतिद्वन्दता और बढ़ गई थी। प्रसंगवश यही कारण है जिससे श्री हफीज मोहम्मद सिद्दीकी और कांग्रेस (आई) के मुस्लिम सदस्यों ने घटना के बारे में उतने ही जोर-शोर से प्रतिवाद किया जितना कि मुस्लिम लीग के नेता ने किया। जैसा भी हो उपर्युक्त तार में दी गई बातें यथार्थ से परे थे। केवल एक तथ्य सुसंगत है। इसमें कही गयी बातों से यह पता चलता है कि हिन्दू लोग मुसलमानों की सहायता कर रहे थे, जिससे डा० शमीम अहमद खाँ के इस अभिकथन का खण्डन हो जाता है कि हिन्दुओं ने प्रशासन के साथ षड्यंत्र रचकर दंगा करवाया था।

उपर्युक्त चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ईदगाह और अन्य थानों पर जो मौतें हुई थी उनकी संख्या के बारे में मु. मुसलमानों या श्रेणी "क" के अन्तर्गत आने वाली पार्टियों द्वारा कही गई बातें किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हुई है। उनके द्वारा दिये गए आंकड़ें किसी अव्यक्त उद्देश्य से अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर बताए गए हैं।

इसके विपरीत प्रशासन और नागरिक परिषद ने यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिये हैं कि उस दिन की घटनाओं में सम्पूर्ण नगर में चौरासी से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु नहीं हुई थी। इस संबंध में सर्वश्री एस.पी.आर्य, वी.एन. सिंह, आर.एस. सिंह, बी.बी.दास, ए.के. मिश्र, और बी.बी.लाल के बयान जिसका

परीक्षण प्रशासन द्वारा कियागया था, काफी संतुलित है। इन सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उस दिन की घटना में केवल उन्हीं लोगों की मृत्यु हुई थी जिनके शव ईदगाह और अन्य स्थानों से बरामद हुए थे। उनके अतिरिक्त चार व्यक्तियों की जिन्हें ईदगाह पर चोटें आई थी, और एक व्यक्ति की जो बरफखाना पर घायल हुआ था, अस्पताल में मृत्यु हुई थी। श्री टी.सी. त्यागी, इंसपेक्टर सिविल लाइन्स को श्री दास ने यह निदेश दिया था कि वह विभिन्न स्थानों पर पड़े हुए शवों की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए चार सब इंस्पेक्टरों को तैनात करें। तदनुसार उन्होंने एस इंस्पेक्टर नाथू सिंह, तेजपाल सिंह, बृजपाल सिंह और एस.पी. सिंह को इस प्रयोजन के लिए तैनात किया था। मजिस्ट्रेट श्री आर.डी. भारतीय को मृत्यु के कारणों की जाँच पड़ताल के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया था। प्रशासन ने इन सभी साक्षियों का परीक्षण किया और यह बताया कि उपर्युक्त स्थानों पर केवल चौरासी शव पाये गये थे और उनकी मृत्यु के कारणों की जाँच पड़ताल की गई थी। मुसलमान वर्ग ने इस तथ्य का काफी लाभ उठाने की कोशिश की है कि सभी मामलों में पंच प्राय: एक ही थे। उनका यह तर्क है कि यह इसलिए किया गया था ताकि इसलिए किया गया था ताकि सचाई सामने न आ सके। श्री टी.सी. त्यागी और चार सब इंसपेक्टर ने इसके लिए युक्ति युक्त कारण दिया है। उन्होंने बताया है कि पूरे नगर में कर्फ्यू लगा था और प्रत्येक स्थान से पंचों को इकट्ठा करना सम्भव नहीं था। उन्हें सिविल लाइन्स से लिया गया था जहाँ पर कर्फ्यू नहीं लगा था और उन्हीं को सभी स्थानों पर ले जाया गया था था। इसकी सच्चाई पर शंका करने या पंचों की स्वतंत्रता के बारे

में कोई चुनौती करने का कोई कारण नहीं है । इन चौरासी शवों के अलावा उन्हें कोई और शव नहीं मिला था। उनके बयानों से यह भी स्पष्ट है कि मृत्यु के कारणों की जांच पड़ताल किये बिना एक भी शव हटाया नहीं गया था। इस प्रश्न पर विवाद विषय संख्या 14 पर मेरे निष्कर्ष में विस्तार से चर्चा की जायेगी ।

इसके संबंध में साक्ष्य देने के लिए नागरिक परिषद की ओर से भी कुछ सम्भ्रान्त साक्षी आये हैं। प्रत्येक स्थान पर हुई घटना के संबंध में उनके बयानों पर चर्चा की जा चुकी है। उन्होंने प्रशासन के कथन का पूर्ण समर्थन किया है। उपर्युक्त साक्षियों के बयानों से मुस्लिम वर्ग का यह कथन पूर्णतया झूठा सिद्ध होता है कि सारा नर संहार ईदगाह पर किया गया था और उस स्थान पर हजारों लोग मारे गये थे। लाला फूल कुमार ईदगाह के सामने रहते हैं और उन्होंने पूरी घटना का सजीव वर्णन किया है और बताया है कि ईदगाह पर मृतकों की संख्या तीस या चालीस से अधिक नहीं थी। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि सभी शवों को केवल एक ही मोटर ट्रक से ले जाया गया था। यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर में कई मुसलमानों को शरण दी थी और उनके बयान को यूँ ही नकारा नहीं जा सकता ।

श्री मदन लाल (बी/डब्लू-8) भी ईदगाह के सामने रहते हैं और उन्होंने सम्पूर्ण घटना देखी थी और बताया है कि उन्होंने पच्चीस या तीस शव वहाँ पड़े देखे थे। पुलिस उन शवों को एक ट्रक में ले गई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि वहाँ पर हजारों शव थे और पुलिस उन्हें कई मोटर ट्रकों में ले गई थी।

उनके साक्ष्य को न मानने का कोई भी आधार नहीं है। यहाँ यह बता दिया जाय कि वह दोनों स्थान जहाँ से चौंतीस शव बरामद हुए थे, ईदगाह मैदान के भाग हैं। यहाँ तक कि सम्मानित हिन्दू नागरिकों ने, जो नमाजियों को अपनी शुभकामनाएं देने गये थे और जिनके विरूद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, मुस्लिम वर्ग के कथन का समर्थन नहीं किया है बल्कि उन्होंने प्रशासन के तर्क का समर्थन किया है। अतएव यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है कि ईदगाह पर केवल चौंतीस शव थे और चार व्यक्ति जिन्हें इस स्थान पर चोटें आई थी, अस्पताल में मरे थे। इस प्रकार ईद गाह पर हताहतों की कुल संख्या केवल अड़तीस होती है।

जहाँ तक उन व्यक्तियों की संख्या का संबंध है जिनकी मृत्यु अन्य थानों पर हुई थी उसका विश्लेषण वहाँ पर हुई घटनाओं की चर्चा करते समय पहले ही किया जा चुका है। उक्त साक्ष्य के साथ-साथ श्री टी.सी. त्यागी और मृत्यु के कारणों की जांच पड़ताल करने वाले सब इंस्पेक्टरों के बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन द्वारा दी गई मृतकों की संख्या सही है।

उपर्युक्त चर्चा का यह निष्कर्ष निकलता है कि उस दिन मुरादाबाद नगर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर हुई घटनाओं में केवल चौरासी व्यक्तियों के मरने की बात सिद्ध होती है।

इस कारण की खोज करना कठिन नहीं है कि नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी श्री डी.बी. सिंह मुसलमानों के क्रोध के शिकार क्यों हुए थे। श्री राम आसरे बाल्मीकि (बी/डब्लू-60)- श्री शंकर बाल्मीकि (बी/डब्लू-61) और श्री शिव चरन (बी/डब्लू-68) ने कहा है कि श्री सिंह अत्यन्त सज्जन थे और चूँकि नगर की

सफाई का भार उन्हीं पर था इसलिए वह बाल्मीकियों के प्रति विशेष रूप से सहानुभूति रखते थे जिससे मुसलमान उनसे क्रुद्ध थे और इसी कारण वह उनको मार डालने के लिए उद्यत हुए थे।

घायल व्यक्तियों की संख्या:

अब इस बात पर विचार किया जाय कि उक्त घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए थे। प्रशासन ने यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य दिया है कि भिन्न अस्पतालों में 112 घायल व्यक्ति पहुँचाये गये थे और वहाँ पर उनका उपचार किया गया था। उनमें छियालिस सरकारी सेवक, बाईस हिन्दू और बैंतालिस मुसलमान थे। उनके अलावा डा० जे. एस. अग्रवाल ., डा० जगमोहन मेहरोत्रा, श्री सुरेन्द्र कुमार सर्राफ और श्री हरि किशन टंडन को भी ईदगाहपर चोटें आई थीं। श्री शिव रतन नीम की प्याऊ पर घायल हुए थे। अनुलग्नक छः में घायल व्यक्तियों के नाम और उनकी चोटों का प्रकार दिया गया है। डा० जगमोहन मेहरोत्रा ने अपनी चोटों का परीक्षण नहीं कराया था जबकि श्री हरि किशनटंडन की चोटों की रिपोर्ट को साबित नहीं किया गया है। शेष व्यक्तियों की चोटों की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई हैं। हो सकता है कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर कुछ और व्यक्तियों को चोटें आई हों किन्तु उनकी संख्या सुनिश्चित नहीं हो सकी क्योंकि वह न तो उपचार के लिए किसी अस्पताल में गये थे और न साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हुए थे।

निम्नलिखित विवरण में ऐसे सरकारी सेवकों की संख्या

दी गई है जिन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों पर चोटें आई थीं।

म संख्या	स्थान	घायल लोक सेवकों की संख्या
1	ईदगाह	27
2	किसरोल	1
3	बरफखाना चौराहा	3
4	तहसीली स्कूल	3
5	फैजगंज	2
6	झब्बू का नाला	1
7	पुलिस चौकी गलशहीद	6
8	कम्बल का ताजिया	1
9	भूरा का चौराहा	1
10	कोतवाली सर्किल	1
	योग:	46

इन घायल व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की चोटें, पांच व्यक्तियों को धारदार हथियार की चोटें और चालीस व्यक्तियों को कुन्द हथियारों की चोटें लगी थीं।

श्री ए.के. मिश्र, सब इंस्पेक्टर ब्रम्ह शंकर और कांस्टेबल ड्राइवर दरबारी सिंह को ईदगाह और पुलिस चौकी गलशहीद, दोनों ही स्थानों पर चोटें आई थीं। इन तीन व्यक्तियों के अलावा छः अन्य सरकार सेवक भी गलशहीद पर घायल हुए थे।

श्री दास बीस हिन्दुओं में से केवल छः हिन्दुओं के बारेमें यह सुनिश्चित कर सके थे कि वह किन स्थानों पर घायल हुए थे। सर्वश्री

सुरेश पाल, प्रीतम सिंह और राकेश कुमार अग्रवाल ईदगाह पर घायल हुए थे और श्री सुन्दर लाल मोहल्ला बरवालाँ में घायल हुए थे। सर्वश्री अशोक कुमार और नरोत्तम सिंह क्रमशः जवाबपुरा और नागफनी पर घायल हुए थे। इन बीस हिन्दुओं में से चार व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र से चोटें आई थी, एक व्यक्ति को छुरे का घाव लगा था, दो व्यक्ति तेजाब से जले थे और शेष व्यक्तियों को धारदार या कुन्द हथियारों से चोटें आई थी। उनमें से एक व्यक्ति अर्थात नरोत्तम सिंह को नागफनी पर चोटें आई थी और 13-8-1980 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी।

छियालिस मुसलमानों में से चार ईदगाह पर तथा एक बरफ=खाना पर घायल हुआ था और 13-8-1980 को इन पाँचों व्यक्तियों की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उन स्थानों का पता नहीं चल सका जहाँ शेष चालीस व्यक्तियों को चोटें आई थी। इन छियालिस व्यक्तियों में एक को आग्नेयास्त्र से चोट लगी थी, दो को धारदार हथियारों की चोटें आई थी और तेहर व्यक्तियों को कुन्द हथियारों की चोटे आई थी। चूँकि पुलिस ने केवल ईदगाह बरफखाना और भूरा का चौराहा पर गोली चलाई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त 31 व्यक्तियों को इन तीन स्थानों पर चोटें लगी थी।

चार अन्य व्यक्तियों को जिन्हें ईदगाह पर चोटें आई थी और जिनकी मृत्यु अस्पताल में हुई थी, आग्नेयास्त्रों की चोटें लगी थीं और उनकी मृत्यु चोटों के कारण हुई थी वह भगदड़ में दब कर नहीं मरे थे।

बरफखाना :

बरफखाना पर उन्नीस शव पाये गये थे। जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है इस स्थान पर जिस प्रकार घटना घटी थी उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कई हजार मुसलमान जो ईदगाह से तितर-बितर हो रहे थे और उन्हीं के समुदाय के अन्य सदस्य जो उनके साथ शामिल हो गये थे हिन्दुओं, पुलिसवालों और पी.ए.सी. के जवानों पर हमला करते हुए बरफखाना और गलशहीद की ओर भागे थे। उनकी हिंसक गतिविधियाँ इस सीमा तक पहुँच गयी थी कि पुलिस को विवश होकर व्यक्तियों और सम्पत्ति की रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। मुसलमान दंगाई हड़बड़ी में भागने लगे जिससे भगदड़ मच गयी उनकी चोटों तथा मृत्यु के कारण से, जैसा कि शव परीक्षा रिपोर्ट से प्रकट होता है, यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि उनमें से कम-से-कम सोलह व्यक्ति भगदड़ मच जाने से मरे थे और तीन व्यक्ति हथियारों से पहुँचाई गई चोटों से मरे थे। इन सोलह शवों में पाँच बच्चे, छह पचास से ऊपर की आयु के व्यक्ति और पाँच व्यक्ति 22 से 40 वर्ष की आयु के थे। इससे यह भी ज्ञात होता है कि भगदड़ के शिकार अधिकतर बच्चे और वृद्ध ही हुए थे।

भूरा का चौराहा

इस स्थान पर पाँच शव पाये गये थे जिनमें दो शव बच्चों के थे और तीन बीस से तीस वर्ष की आयु के बीच के युवकों के थे। उनकी चोटों के प्रकार और मृत्यु का कारण से यह मालूम होता है कि वह भगदड़ का शिकार हुए थे। उनके शरीर पर किसी आग्नेयास्त्र

या तेज धारदार हथियार का कोई घाव नहीं था।

अन्य स्थानों पर भी शव मिले थे परन्तु उनकी चोटों के प्रकार और मृत्यु के कारण से यह मालुम होता है कि वह भगदड़ से नहीं मरे थे बल्कि उनकी मृत्यु हथियारों से पहुंचायी गयी चोटों से हुई थी ।

उपर्युक्त विचार-विमर्श का यह परिणाम निकलता है कि भगदड़ केवल तीन स्थानों अर्थात ईदगाह बरखाना और भूरा का चौराहा पर मची थी तथा इन स्थानों पर इस कारण कुल मिलाकर पचपन मुसलमान मरे थे। शेष 29 व्यक्तियों की मृत्यु जिनमें चौदह हिन्दू भी थे, आग्नेयास्त्रों, तेज धारदार हथियारों, कुन्द हथियारों और तेजाब के जलने से पहुँची चोटों के कारण हुई थी। तदनुसार इस विवाद विषय का निश्चित किया गया है ।

विवाद विषय संख्या 14:

मुसलमान वर्ग ने आरोप लगाया है कि उन घटनाओं में जिन मुसलमानों की मृत्यु हुई थी उनके शवों को जिला अधिकारियों ने गुप्त रूप से ठिकाने लगा दिया था। श्री मुख्तार अहमद ऐडवोकेट के अनुसार सैकड़ों शवों से लदी हुई पी.ए.सी. की कई ट्रक अपने पूर्व निर्धारित ऐसे स्थानों को भेज दी गयी थी जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। डा0 शमीम अहमद खाँ का अभिकथन है कि उन्होंने, ईदगाह में मुसलमानों के सैकड़ों शव खून में लथपथ, बिखरे पड़े देखे थे। शव उस स्थान से पुलिस और पी.ए.सी. के आदमियों द्वारा हटाए जा रहे थे और वहाँ पर

खड़ी पुलिस तथा पी.ए.सी. की ट्रकों में लादे जा रहे थे। उन्होंने उन शवों के साथ जाने का आग्रह किया था परन्तु ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि वे शवों के साथ घायलों को भी ले गये थे। 85 शवों को छोड़कर जो पुलिस लाइन्स में पाये गये थे, शेष को अवैध ढंग से बिना शव परीक्षा के हटा दिया गया था और उन्हें जलाकर या गड्ढों में फेंक कर ठिकाने लगा दिया गया था। जो अभी तक एक रहस्य बना हुआ है।

इन आरोपों में कोई बल नहीं है। यदि उस दिन की घटनाओं में केवल 84 व्यक्ति ही मारे गये थे, जैसा कि विवाद-विषय 12 में चर्चा की गई है तो किसीभी शव को गुप्त रूप से ठिकाने लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुसलमान वर्ग यह सिद्ध करने में बुरी तरह असफल रहा है कि दिनांक 13-8-1980 की घटनाओं में 84 से अधिक व्यक्ति मारे गये थे। इस संबंध में उन्होंने बड़ी ही परस्पर विरोधी बातें कही हैं। यहाँ तक कि एक स्थान पर शहर इमाम ने कहा है कि उन्हें प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ईदगाह पर लगभग तीन हजार व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी उनका यह भी कहना है कि उन्होंने कुछ शव गिने थे और 966 व्यक्तियों को मृत पाया था। एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है कि ईदगाह पर कम से कम आठ सौ व्यक्ति मारे गये थे।

श्री मुख्तार अहमद एडवोकेट ने आरोप लगाया है कि यहाँ एक सामूहिक हत्याथी जो काफी समय तक चलती रही जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गये थे। डा0 शमीम अहमद खाँ और श्री हुमायूँ कादिर का यहकहना है कि उस दिन सैकड़ों व्यक्ति मारे गये थे। जैसा कि पहले ही विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। इसे सिद्ध करने के

लिए कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है। दूसरी ओर श्री टी, सी. त्यागी इन्सपेक्टर, सिविल लाइन्स ने बताया है कि उस दिन नगर के विभिन्न स्थानों पर केवल 84 शव पाये गये थे। उन्होंने इस बात से इंकार किया है कि केवल ईदगाह पर आठ सौ या एक हजार शव थे और उन्होंने गुप्त रूप से उन्हें ठिकाने लगवा दिया था। उनके बयान की पर्याप्त पुष्टि की गई है। उनके इस साक्ष्य में बल है कि यदि ईदगाह पर सैकड़ों शव पड़े थे तो उन्हें बिना किसी का ध्यान आकर्षित किये हुए शीघ्रता से ठिकाने नहीं लगाया जा सकता था। दिनांक 14-8-1980 से मंत्रीगण मुरादाबाद में आने लगे थे और उनमें से किसी को भी उस स्थान पर नही ले जाया गया जहाँ पर शवों को ठिकाने लगाने के बारे में कहा गया था। जैसा कि डा0 शमीम अहमद खाँ का आरोप है यदि उन्हें जलाया या गड्ढों में फेंका गया होता तो उसके प्रमाण सरलता से मिल सकते थे। इसके अलावा सैकड़ों गड्ढे खोदना या इतने अधिक शवों को जलाना कोई आसान कार्य नहीं है उसमें पर्याप्त समय लगा होगा। किसी का ध्यान तो उस ओर गया होता परन्तु मुसलमान वर्ग के किसी सदस्य ने किसीभी ऐसे स्थान के बारे में नहीं बताया है जहाँ पर शवों को फेंका या जलाया गया था।

डा0 शमीम अहमद खाँ के अनुसार वह उस दिन नगर में कार से कुछ स्थानों पर गये थे। यदि उन्होंने पुलिस बल और पी.ए.सी. को बड़ी संख्या में शवों को मोटर ट्रकों में ले जाते हुए देखा था और उन्हें उनके साथ नहीं जाने दिया गया था तो इस

बात के लिए कोई कारण नहीं मिल रहा है कि उन्होंने उस कार से यह देखने के लिए कि कहाँ और कैसे उन शवों को ठिकाने लगाया जा रहा है, मोटर ट्रकों को पीछा क्यों नहीं किया ? केवल यह तथ्यहीन आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में शवों को गुप्त रूप से ठिकाने लगा दिया गयाथा, कोई अर्थ नहीं रखता ।

नगर के अनेक सम्मानित हिन्दू नागरिकों ने शवों के गुप्त रूप से ठिकाने की बात को न केवल असत्य बताया है बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि एक भी मुसलमान ने उन लोगों से इसके बारे में अब तक कोई शिकायत नहीं की है। उनमें से कई लोगों के मुसलमानों से घनिष्ठ संबंध हैं इसलिए उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतएव यह आरोप कि जिले के प्राधिकारियों ने अनेक मुसलमानों के शवों को गुप्त रूप से ठिकाने लगा दिया था पूर्णतया निराधार है। इस दृष्टि से यह प्रश्न ही नहीं उठता कि कितने शव गुप्त रूप से ठिकाने लगाये गये थे या वह शव किन लोगों के थे ।

मुसलमान वर्ग द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि शव उनके संबंधियों को नहीं दिये गये और उन्हें असम्मान जनक ढंग से दफनाया गया। एक भी व्यक्ति यह कहने के लिए आगे नहीं आया है कि उसने अपने संबंधी के शव को मांगा था और पुलिस ने ऐसा करने से इंकार किया था। श्री टी.सी. त्यागी सी.डब्लू -।।। ने जिन्होंने शवों की जांच की थी और उन्हें शव परीक्षा के लिए पुलिस लाइन्स भिजवाया था, बताया है कि केवल चार

अर्थात श्री डी.पी. सिंह, कांस्टेबिल मगनानन्द, कांस्टेबिल हरिदत्त पन्त और कांस्टेबिल धीरेन्द्र सिंह, के शव, शव परीक्षा के बाद उनके संबंधियों को सौंप दिये गये थे। कोई अन्य व्यक्ति किसी शव को मांगने नहीं आया था और न कर्फ्यू के कारण ऐसा करना संभव था। अतएव यह भी गलत है कि पुलिसने किसी भी मुसलमान को उसके संबंधी का शव देने से इंकार किया था। जहाँ तक अंतिम संस्कार का संबंध है श्री त्यागी ने बताया है कि हिन्दुओं के शवों की अंत्येष्टि रामगंगा के तट पर हिन्दू संस्कारों के अनुसार की गयी थी और मुसलमानों के शवों को मुस्लिम रीति के अनुसार हफ्लाला के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि मोहल्ला चक्कर का मलिक से दो मौलवियों को बुलाया गया था और नमाज पढ़ने के बाद मौलवियों के निर्देशानुसार शवों को दफना दियागया था। तदनुसार इस विवाद विषय को निस्तारित किया गया है।

विवाद विषय संख्या 15:

शहर इमाम डा० कमाल फहीम, श्री मुख्तार अहमद, एडवोकेट, डा० शमीम अहमद खाँ और श्री हुमायूँ कादिर ने अपने लिखित बयानों में आरोप लगाया है कि पुलिस बल के अधिकारियों और सदस्यों ने तथा पी.ए.सी. के जवानों ने दिनांक 13 अगस्त, 1980 को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों की दुकानों को लूटा था और उन्हें जला दिया था। शहर इमाम और श्री हुमायूँ कादिर ने ऐसी दुकानों और मकानों की एक सूची प्रस्तुत की है जिन्हें लूटा और जलाया गया था। शहर इमाम के अनुसार कर्फ्यू के दौरान लगभग 2.5

करोड़ मूल्य की संपत्ति लूटी, जलायी या क्षतिग्रस्त की गयी थी। यहबात नौजवान मोमिन तांजीम और केन्द्रिय मुस्लिम सहायता समिति, मुरादाबाद द्वारा किये गये तथाकथित सर्वेक्षण पर आधारित है। इस बात को सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया गया॥ ऐसा कोई भी, व्यक्ति साक्ष्य देने नहीं आया जिसकी दुकान या घर पुलिस बल के अधिकारियों या सदस्यों और पी.ए.सी. के जवानों द्वारा लूटी गई हो। किसी ने ऐसा भी नहीं कहा कि इन लोगों ने हिन्दू गुण्डों के द्वारा लूटपाट करवायी थी। दूसरी ओर प्रशासन द्वारा परीक्षित पुलिस बल और पी.ए.सी. के अधिकारियों और सदस्यों ने स्पष्ट रूप से इस बात का खण्डन किया है कि उन्होंने लूटपाट की थी या उन्होंने किसी व्यक्ति से मुसलमानों की दुकानों को लुटवाया था। कुछ साक्षियों ने तो निष्पक्ष रूप से बताया है कि नीम की प्याऊ और एक या दो अन्य स्थानों पर हिन्दू और मुसलमान दोनों लूटपाट कर रहे थे लेकिन उन्हें तुरन्त ही ऐसा करने से रोक दिया गया था। स्वयं शहर इमाम के अनुसार उन्होंने जो हानि होने के बारे में आरोप लगाया था वह कर्फ्यू ~~[illegible]~~ के दौरान हुई थी। मुरादाबाद में ऐसी घटनायें और कर्फ्यू बहुत लम्बे समय तक रहा था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जो आंकड़े दिये थे उनका संबंध केवल 13-8-1980 की घटनाओं से था। आयोग केवल उस दिन के आंकड़ों से संबंधित है।

श्री हुमायूँ कादिर ने दिनांक 13-8-1980 को ~~[illegible]~~ विभिन्न क्षेत्रों में लूटी गयी दुकानों की सूची प्रस्तुत की है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर यह सूची बनायी गयी है। इस

बात को सिद्ध करने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। इस सूची को प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा ईदगाह पर पूर्वान्ह 9-15 बजे गड़बड़ी प्रारम्भ हुई थी और पूर्वान्ह 10.00 बजे कर्फ्यू लगा दिया गया था। अपरान्ह 2.30 बजे स्थिति नियंत्रण में आ गई थी और केवल तनाव बना हुआ था। संपूर्ण नगर में पर्याप्त पुलिस बल और पी.ए.सी. लगा द गयी थी। दंगा योजना लागू कर दी गई थी और संपूर्ण नगर को नौ सैकटरों में बांट दिया गया था तथा प्रत्येक सैक्टर में पर्याप्त पुलिस बल के साथ एक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस अधीक्षक को तैनात कर दिया गया था। नगर में अपरान्ह 3.00 बजे तक सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पहुंच गये थे। इन परिस्थितियों में इतनी बड़ी संख्या में दुकानों और घरों के लूटे जोने की संभावना जैसा कि मुसलमानों का अरोप है, बहुत कम थी। जो भी हो, साक्ष्य से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि पुलिस बल या पी.ए.सी. के अधिकारी या सदस्य न तो स्वयं लूट आदि में सम्मिलित थे और न ही उन्होने किसी अन्य व्यक्ति से लूटपाट करवाई थी। तदनुसार विवाद विषय का निस्तारण किया गया है।

विवाद संख्या : 23

अपने लिखित बयान के पैरा 11 और 12 में डा0 शमीम अहमद खाँ का अभिकथन है कि वह उस दिन श्री नसीम अहमद, एडवोकेट श्री मुख्तार अली खाँ और श्री सैयद अयात कादरी के साथ अपरान्ह 6 बजे कोतवाली पहुँचे। जब वह थानाध्यक्ष कोतवाली के कार्यालय कक्ष भीतर गये तो उन्होने जिला मजिस्ट्रेट श्री एस.पी. आर्य, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री आर.एस. सिंह,

सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) श्री ए.के. मिश्र, सर्किल आफिसर (द्वितीय) श्री के.एम. पाण्डेय, श्री नगदीश सिंह इंसपेक्टर कोतवाली और कुछ अन्य अधिकारियों को कतिपय हिन्दू नेताओं के साथ बातचीत करते देखा था जिनमें श्री दयानन्द गुप्ता, एडवोकेट, श्री हंसराज चौपड़ा श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री रमेश चन्द्र गोयल, श्री शिव स्वरूप जौहरी, श्री जगमोहन मेहरोत्रा, श्री जी.बी. सिंह, एडवोकेट, श्री हरिशचन्द्र गोयल, एडवोकेट, श्री मुनीश गोयल, एडवोकेट श्री नन्द किशोर, सेक्रेटरी अमन कमेटी, श्री विनोद गुप्ता और श्री सत्यप्रकाश गुप्ता सम्मिलित थे। वार्तालाप के दौरान उन्हें कमरे के अन्दर रहने की अनुमति नहीं दी गयी थी और जिलाधीश तथा इंस्पेक्टर कोतवाली ने उसे बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा क्योंकि वह हिन्दुओं के प्रतिनिधि मंण्डल से वार्तालाप कर रहे थे। वह बाहर बारामदे में आ गये और चुपचाप उनकी बातचीत सुनते रहे। अधिकारी गण विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट और सर्किल आफिसर नगर (प्रथम) और हिन्दू नेताओं से कह रहे थे, "हमने अपना काम कर दिया है और अब हम बहुत कठिनाई में पड़ गये हैं और बदलू में आप लोगों को हमें बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।" अब हिन्दुओं का प्रतिनिधि मण्डल कोतवाली से चला गया तो उसे जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकारियों से मिले की अनुमति दी गयी ।

सभी अधिकारियों ने , जिन्होने अपने लिखित बयान प्रस्तुत किये हैं या आयोग के समक्षा अपने बयान दिये हैं, स्पष्टरूप से इन आरोपों का खण्डन कियाहै। श्री आर्य ने बताया कि दिनाँक 13-8-1980 को श्री दयानन्द गुप्ता तथा अन्य लोगों ने

उनसे कोतवाली या अन्यत्र कहीं भी भेंट नहीं की थी, और न ही उनसे उनकी कोई बातचीत हुई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि डा० शमीम अहमद खाँ कोतवाली आये थे लेकिन उन्होंने उनसे कुछ भी विचार विमर्श करने की इच्छा व्यक्त नहीं की थी। उन्होंने डा० शमीम अहमद खाँ के इस आरोप का भी खण्डन किया है कि डा० खान ने उनसे शिकायत की थी कि पुलिस या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता और अन्य हिन्दू सम्प्रदाय-वादी नगर में अफवाह फैला रहे हैं कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और बाल्मीकियों समेत सैंकड़ों पुलिस वाले ईदगाह पर मार डाले गये हैं और मुसलमानों ने कालमा मंदिर तथा हिन्दुओं के अन्य पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया है और इस तरह की अफवाह रोकी जानी चाहिए।

श्री आर.सी. गोयल (सी/डब्लू-21), डा० हंसराज चौपड़ा (सी/डब्लू-71) और कई अन्य साक्षियों ने भी यह बयान दिया है कि वह दिनाँक 13-8-1980 को कोतवाली नहीं गये थे और न ही जिला मजिस्ट्रेट से उनकी कोई बात हुई थी। श्री गोयल ने बताया है कि उनका घर मुसलमान बस्तियों से घिरा है और वह उन सामाजिक कार्य-कर्ताओं के विषय में पता लगाने तक नहीं जा सके थे जो इन घटनाओं में घायल हो गये थे। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी अधिकारी ने उन्हें कोतवाली या अन्यत्र कहीं भी बातचीत के लिए नहीं बुलाया था। उनके अनुसार स्वर्गीय श्री दयानन्द गुप्ता, एडवोकेट कभी भी जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। श्री दया नन्द गुप्ता, एडवोकेट द्वारा

अपनी मृत्यु से पूर्व दर्ज कराये गये लिखित बयान में, भी उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि वह उस दिन कोतवाली गये थे या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी से उनकी बात हुयी थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि श्री दयानन्द गुप्ता शहर कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष थे और उनका अत्यधिक सम्मान किया जाता था तथा वह ऐसे किसी वार्तालाप में सम्मिलित नहीं रहे होंगे डा० हंसराज चोपड़ा ने भी उक्त आरोपों का खण्डन किया है। दूसरी ओर डा० शमीम अहमद खाँ या मुस्लिम लीग के किसी अन्य सदस्य ने इन आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस विषय में जिन मंत्रियों से वह अगले दिन मिले थे उनसे या शासन से कोई शिकायत नहीं की गयी थी।

गुणदोष के आधार पर भी इन आरोपों में कोई बल नहीं है। यदि अधिकारी हिन्दुओं के इस वर्ग के साथ किसी षडयंत्र में सम्मिलित हुए थे और ईदगाह पर या कहीं अन्यत्र कोई ज्यादती कर बैठे थे तो उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस स्थिति में वह वर्ग स्वयं ही उनकी सहायता करने का प्रयत्न करता। दूसरे, किसी बात से यह भी नहीं प्रकट होता है कि इन व्यक्तियों में से कोई भी शासन में इतना प्रभाव रखता था कि वह उनकी कारगर सहायता कर सकता। तीसरी, बात यह कि यदि उन्होंने डा० शमीम अहमद खाँ को बाहर बरामदे में प्रतीक्षा करने को कहा था तो वह इतना अविवेकपूर्ण कार्य न करते कि उनका वार्तालाप डा० खान सुन सकते। अन्ततः उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारियों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया

था जिसके लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता। अतएव, उन्हें किसी अन्य सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं हो सकती थी। यह सभी तथ्य और परिस्थितियां डा0 शमीम अहमद खां द्वारा अपने लिखित बयान के पैरा 11 तथा 12 में लगाये गये आरोपों को स्पष्ट रूप से असत्य सिद्ध करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहानी अपने इस तर्क की पुष्टि के लिए गढ़ी गई है कि प्रवासी पंजाबी हिन्दुओं और जिला प्रशासन के बीच कोई षड्यंत्र रचा गया था। वस्तुतः अधिकारियों और हिन्दू नागरिकों के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है। तदनुसार विवाद विषय का निस्तारण किया गया है।

विवाद विषय संख्या 24

दिनांक 13-8-1980 को ईदगाह की घटना के बाद हिंसात्मक घटनायें तेजी से बढ़ गयी और मृतकों की संख्या बढ़ती गई प्रत्येक घटना किस प्रकार हुई और उसके संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों की क्या भूमिका थी इसका विवेचन पहले किया जा चुका है। जिला मजिस्ट्रेट श्री एस.बी. आर्य और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वी.एन. सिंह ने रमजान और ईदुल फितर के शांति पूर्वक सम्पन्न हो जाने के लिए सभी आवश्यक पूर्वोपाय किये थे। हिंसा भड़कने के तुरन्त बाद किये गये उपायों की भी इस रिपोर्ट में उपर्युक्त स्थान पर समीक्षा की गयी है। प्रत्येक घटना के समय विद्यमान स्थिति के संदर्भ में की गई कार्यवाही की समीक्षा पुलिस/पीएसी द्वारा किये जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि गोली चलाने के साथ साथ जो भी कार्यवाही ईदगाह और अन्य स्थानों पर की गयी थी,

वह पूर्णतया न्यायोचित थी।

जहाँ×तक ईदगाह की घटना का संबंध है कई साक्षियों ने उसका विस्तृत विवरण दिया है। एक प्रमुख चिकित्सक डा0 जे. एस. अग्रवाल जिनके मरीज अधिकतर मुसलमान हैं, ईदगाह पर नमाजियों को बधाई देने गये थे। पथराव में उन्हें गंभीर चोटें आया थां। और उनको जानने वाले मुसलमान मरीजों ने उनकी जान बचायी थी। उन्होंने बताया है कि अधिकारियों और शहर इमाम द्वारा दंगाइयों को शांत करने की सभी अपीलें बेकार हो गयी थी। बारबार दी गई चेतावनी, अश्रुगैस छोड़ना और लाठी चार्ज करना भी निष्प्रभावी सिद्ध हुआ था। वहाँ पर उपस्थित और उस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जन जीवन औरसंपत्ति को आसन्न खतरा पैदा हो गया था। वह श्री वी. एन. सिंह की ओर दौड़े और उनसे पूछा कि वह उस परिस्थिति में भी गोली क्यों नहीं चलवाते हैं लेकिन उन्होंने हाथ हिलाकर संकेत किया कि उन्हें भाग जाना चाहिए और बताया कि वह सतर्कता से घटना का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन इस बात को सुनिश्चित ही कर सका है कि इनमें से प्रत्येक स्थान पर कितने हिन्दुओं और कितने मुसलमानों को चोटें आई थी। इसके पूर्व कि इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया जाय, डा0 समीम अहमद खाँ द्वारा लगाये गये आरोपकी सच्चाई पर भी विचार कर लिया जाय। उन्होंने आरोप लगाया है कि उस दिन अपरान्ह लगभग 1.30 बजे वह कोतवाली में था और वहाँ पर उसनेकि खबरा कि फाटक पर पी. ए. सी. की दो ट्रक और पुलिस की एक जीप खड़ी है। सर्किल आफिसर नगर ।प्रथम। और सर्किल आफिसर नगर ।द्वितीय। बीस घायल मुसलमानों के साथ जो अत्यधिक दयनीय स्थित

में थे, गाड़ी से बाहर उतरे। उसने सर्किल आफिसर से उन लोगों को तुरन्त अस्पताल में जाने के लिए कहा परन्तु उसका कहना व्यर्थ हुआ। दोनों सर्किल आफिसरों ने इस बात से इनकार किया है और डा० शमीम अहमद खाँ ने इस बात की पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यदि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी तो वह उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज सकते थे किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः उनके आरोप को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता।

उपर्युक्त चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उस दिन की घटना में मुरादाबाद नगर में विभिन्न स्थानों पर कुल मिलाकर चौरासी व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। उनमें सत्तर मुसलमान और चौदह हिन्दू थे। अभिलिखित साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि 112 व्यक्ति घायल हुए थे और उनमें छियालिस सरकारी सेवक, छियालीस मुसलमान और बीस हिन्दू थे। उनके अलावा चार और हिन्दू घायल हुए थे। तदनुसार इस मामले का निस्तारण किया जाता है।

विवाद विषय संख्या: 13

यद्यपि इस विवाद-विषय का संबंध उन मुसलमानों की सं० से है जो केवल ईदगाह पर भगदड़ मच जाने के कारण मारे गये थे फिर भी यहाँ अन्य स्थानों पर भी जो मौतें हुई हैं उनके साथ-साथ इन पर विचार करना उचित होगा क्योंकि अभिलिखित सामग्री से यह पता चलता है कि ईदगाह के अतिरिक्त दो अन्य स्थानों अर्थात बरकखाना

और भूरा का चौराहा पर भी भगदड़ मचने के कारण मुसलमान मारे गये थे।

इस संबंध में निम्नलिखित घाट संलग्न है :-

स्थान जहाँ से शव बरामद हुए	बरामद किये गये शवों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी मृत्यु भगदड़ में हुई	उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी मृत्यु अन्य चोटों से हुई	शव-परीक्षण रिपोर्ट की फोटोस्टेट प्रतिलिपियां
2	3	4	5	6
ईदगाह	34	34	-	प्रदर्श सी/डब्लू-1 §33से66 तक§
बरफखाना	19	16	3	प्रदर्श सी/डब्लू-51 §327से354तक§
भूरे का चौराहा	5	5	-	प्रदर्श सी/डब्लू-51 §347से351तक§
तहसीली स्कूल	4	-	4	प्रदर्श सी/डब्लू-29 §192से195तक§
दीवान का बाजार	5	-	5	प्रदर्श सी/डब्लू-29 §196 से 200 तक§
नागफनी	2	-	2	प्रदर्श सी/डब्लू-1 §53 और 7§
बांसमण्डी	1	-	1	प्रदर्श सी/डब्लू-29 §203§
बरवाला	2	-	2	प्रदर्श सी/डब्लू=29 §201और202§
फैजगंज	2	-	2	प्रदर्श सी/डब्लू-29 §204और205§
मानपुर	2	-	2	प्रदर्श सी/डब्लू-51 §359और360§
कमल सिनेमा	1	-	1	प्रदर्श सी/डब्लू-51 §362§
गलशहीद केपास	1	-	1	प्रदर्श सी/डब्लू-12 §107§
जिला अस्पताल	6	-	6	इसमें से 4 ईदगाह में, एक बरफखाना में और एक नागफनी में घायल हुआ था जिनकी शव परीक्षा रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श सी/डब्लू-1 §67से70तक§ प्रदर्श सी/डब्लू-51 §326§ और प्रदर्श सी/डब्लू=1 §6§ है।
योग =	84	55	29	

टिप्पणी :

।।। शव-परीक्षण रिपोर्ट की मूल प्रतियां तथा उनकी टंकित प्रतियां भी प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं जैसा कि डा0 शमीम अहमद खाँ, प्रेसीडेंट यू0पी0 मुस्लिम लीग पार्टी द्वारा अपेक्षा की गई थी।

।2। भगदड़ से हुई मृत्यु के बारे में जो निष्कर्ष निकले हैं उनका आधार चोटों का प्रकार और शव-परीक्षण रिपोर्ट में दिये गये मृत्यु के कारण हैं ।

।3। यह निष्कर्ष कि स्तम्भ संख्या5 में दिखाये गये व्यक्तियों की मृत्यु भगदड़के कारण नहीं हुई थी, इस बात पर आधारित है कि उन व्यक्तियों की शव-परीक्षण रिपोर्टों के अनुसार उन के शरीर पर या तो छुरे के घाव कटे-फटे घाव, बन्दूक की गोली के घाव या तेजाब से जलने आदि के निशान थे और उनकी मृत्यु का कारण यही चोटें थीं। अब मैं प्रशासन के इस तर्क के गुण -दोष का परीक्षण करूँगा । कि उपर्युक्त तीनों स्थानों पर अधिकांश मुसलमानों की मृत्यु भगदड़ मच जाने के कारण हुई थी ।

ईदगाह

जैसा कि ऊपर कहा गया है, अड़तीस व्यक्तियों की मृत्यु ईदगाह पर लगी चोटों के कारण हुई थी, चौंतीस शव ईदगाह में और चार शव अस्पताल में पाये गये थे। चौंतीस शव में से पांच ईदगाह के उत्तर पूर्वी फाटक के पास पड़े थे और उनतीस शव हरपड़ल नगर को जाने वाली गली से बरामद हुए थे। श्रीदास सी/डब्लू-53 के बयान से स्पष्टहो जाता है कि यह गली मुश्किल से दस फीट चौड़ी है ईदगाह मैदान पर ही लगभग चालीस पचास हजार व्यक्तियों की भी

थी। श्री आर्य ने बताया है कि गोली चलाने के फलस्वरूप नमाजियों में काफी आतंक फैल गया था और वह इधर - उधर भागने लगे थे। वह लोग जो ईदगाह मैदान पर जमा थे वह केवल ईदगाह के उत्तर पूर्वी फाटक से और उस संकरे रास्ते से जा सकते थे जो हरपाल नगर की ओर जाता है। जब बड़ी संख्या में लोग इन्हीं दिशाओं में भागने लगे थे तो दोनों स्थानों पर भगदड़ मच गई थी और अनेक बूढ़े तथा कमजोर व्यक्ति और बच्चे दुर्भाग्य से हजारों नमाजियों के पैरों के नीचे कुचल गये थे। श्री आर्य ने यह भी कहा है कि जिस समय गोलीयाँ चली थी उस समय वह इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगा सके थे कि इसका यह परिणाम निकलेगा। इसके अतिरिक्त स्थिति इतनी गम्भीर थी कि जीवन और सम्पत्ति की भारी हानि को बचाने के लिए गोली चलाना टाला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा करने में कोई देरी की गई होती तो अशांति समीपवर्ती हिन्दू बस्तियों और नगर में भी फैल जाती और उससे काफी जानें जाती तथा सम्पत्ति की पर्याप्त हानि होती ।

शासन की ओर से प्रस्तुत और ईदगाह की घटना के संबंध में प्रशासन की ओर से श्री बी. बी. दास, श्री आर. एस. सिंह और ए, के. मिश्रा और नागरिक परिषद द्वारा परीक्षित कई साक्षियों ने इस मुद्दे पर श्री आर्य के कथन की पूरी तौर से पुष्टि की है । यह बात स्पष्ट है कि जब वृद्ध और अशक्त लोग जिनमें बच्चे भी सम्मिलित थे भारी भीड़ से कुचल गये तो उन लोगों के लिए उठ खड़ा होना असम्भव था और उनका प्राणान्त हो गया। उनमें 19 बच्चे, 5 वृद्ध और 10 व्यक्ति बीस से पचास वर्ष की आयु के थे। उनमें से अधिकांश

को भीतरी चोटें आई थी और उनके शरीर पर छिले या चिरे हुए घाव थे। उनमें से कुछ लोगों के कोई बाहरी चोट नहीं थी। इन सभी व्यक्तियों की मृत्यु या तो चोटों के फलस्वरूप आघात पहुँचने और रक्त स्त्राव होने या दम घुट जाने के कारण हुई थी। उनमें से किसी को आग्नेयास्त्र या धारदार हथियार से कोई चोट नहीं आई थी। जिस स्थान से यह शव बरामद हुए थे वहाँ पर पथराव नहीं हुआ था। या कुछ हथियारों को प्रयोग नहीं किया गया था। अतएव इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह चौंतीस लोग जिनमें अधिकांश बच्चे थे, भगदड़ के शिकार हो गये थे। श्री मुख्तार अहमद, वकील के लिखित बयान के पैरा 5 में कही गई बातों से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि ईदगाह में भगदड़ मचने पर कई लोगों के साथ-साथ छोटे बच्चे भी मारे गये थे। उसी समय उन्हें (डा0 अग्रवाल को) ईंट के टुकड़ों से चोट लगी और वह अचेत होकर गिर पड़े। इससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि श्री आर्य, श्री वी.एन. सिंह और अन्य अधिकारियों ने अत्यन्त संयम दिखाया था और गोली केवल तभी चलवाई थी जब जनजीवन और सम्पत्ति की हानि को बचाने के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक हो गया था। यदि आतंक फैल जाने के कारण मुसलमान विभिन्न दिशाओं को भागने लगे थे और इससे भगदड़ मच गई थी तो अधिकारियों या कर्मचारियों को इसके परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

विभिन्न विवाद विषयों के अन्तर्गत की गई चर्चा से तीन बातें सामने आती है। पहली तो यह कि उपद्रव पूर्वान्ह 9.17बजे प्रारंभ हुआ था और गोली चलाने का आदेश पूर्वान्ह 9.35

बजे अर्थात् लगभग 23 मिनट के बाद किया गया था। इस अवधि के दौरान पथराव, शिविरों पर हमला करना, हिन्दुओं और अधिकारियों और पुलिस बल तथा पी.ए.सी. के सदस्यों को चोटें पहुँचाना जारी रहा। उपद्रव के आरम्भ होने और गोली चलाने के बीच के समय से इस आरोप का पूर्णतया खण्डन हो जाता है कि पुलिस ने बिना किसी छेड़खानी के और जल्दबाजी में कार्य किया था।

दूसरी बात यह है कि जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनके सरकारी सेवकों तथा हिन्दू नागरिकों को चोटें आई थी। एक ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को पकड़कर उठा ले गये थे और बाद में उन्हें मृत पाया गया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों का बहुत बड़ा उत्तेजित एक वर्ग था जो जनजीवन और सम्पत्ति को अत्यधिक हानि पहुँचाने पर तुला हुआ था।

तीसरी बात यह है कि यदि पुलिस ने गोली चलाकर स्थिति को नियंत्रण में न कर लिया होता तो मुसलमान दंगाईयों ने पड़ोस में जनजीवन और सम्पत्ति को क्षति पहुँचाते और यह दंगा नगर के कोने-कोने में फैल सकता था। इस तरह से प्रकट होता है कि उस समय विद्यमान परिस्थितियों में कम से कम गोलियाँ चलाई गई थी।

इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी बल का प्रयोग बड़ी विपत्ति को टालने के लिए विवश होकर कियागया था। यहबात इस तथ्य से पूरी तरह प्रमाणित होजाती है कि मुसलमानों की भीड़ इतनी उग्र थी कि उसने पुलिस चौकी गलशहीद को पूरी तरह से नष्टकर दिया था। और उसकी समस्त सम्पत्तिऔर आग्नेयास्त्रों और गोली बारूद भी लूट लिया था। मुसलमान घर की छतों पर चढ़ गये थे और उन्हें जो व्यक्ति भी दिखलाई पड़ा उस पर गोलियों की बौछार की। वह

छतों से तभी नीचे उतरे थे जब पी.ए.सी. के कुछ जवानों को पास के एक घर की छत पर भेजा गया था और उन्होंने उधर पर गोली चलाई थी ।

कुछ भीड़ कोतवाली थाना और अन्य पुलिसचौकियों पर भी हमला करने में नहीं हिचकिचाई। इससे पता चलता है कि थाने, पुलिस चौकियाँ और हिन्दू बस्तियों, विशेष रूप से बाल्मीकियों की बस्तियाँ उनका मुख्य लक्ष्य थी । इन सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अधिकारियों ने अत्यधिक संयम बरता था और विभिन्न स्थानों में प्रत्येक स्तर पर बहुत बुद्धिमानी से कार्य किया था तथा उन्होंने कम-से-कम और सीमित कार्यवाही की थी जिसमें गोली चलाना भी है। यदि वह इस ढंग से कार्य न करते जैसा उन्होंने वहाँ पर किया था तो नगर में पूरी तौर से अव्यवस्था फैल गई होती तथा जनजीवन और सम्पत्ति को काफी क्षति पहुँचाती । 13-अगस्त, 1980 के बाद जो हुआ उससे इस आयोग का कोईसंबंध नहीं है। जहाँ तक 13-8-1980 को उस स्थान पर हुई घटनाओं का संबंध है, अधिकारियों, पी.ए.सी. तथा पुलिस बल को किसी भी प्रकार से उत्तर दायी नहीं ठहराया जा सकता ।

मुस्लिम वर्ग द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में विस्तृत चर्चा साक्षियों के बयानों का विश्लेषण करते समय की जा चुकी है। जिस दिनाँक को यह अशुभ घटना हुई थी उस दिनाँक तक श्री आर्य को मुरादाबाद में केवल 13 दिन हुए थे। वह मुसलमानों के प्रति कोई दुर्भावना ले कर इस जिले में कदापि नहीं आये थे और न उन्होंने बाल्मीकियों के साथ-साथ हिन्दुओं के किसी वर्ग के साथ कोई साँठ-गाँठ की थी। यदि वह ऐसी भावना से ग्रस्त होते तो उन्होंने इस

प्रयोजन के लिए नमाज का समय न चुना होता जब कि वहाँ 70,000 नमाजियों की धार्मिक सभा जमाव होने जा रही थी। वह कल्पना मात्र से ही अपने लक्ष्य की यदि कोई रहा हो, प्राप्ति नहीं कर सकते थे। वह ऐसा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने और स्थिति का जायजा लेने के बाद किसी और उपयुक्त समय पर सकते थे। इसका भी कोई कारण नहीं है कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक उनसे क्यों सहयोग करते। अपर पुलिस अधीक्षक श्री बी. बी. दास को भी उस समय तक इस पद पर रहते हुए बहुत कम समय बीता था।

श्री ई. के. मिश्र ने तो गोली चलाने का आदेश दिया था और न किसी प्रकार से मुसलमानों को उत्तेजित किया था। इसके विपरीत उन्होने दंगाइयों से शांत रहने का आग्रह किया था। गोली चलाने का आदेश श्री आर०एस०सिंह द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की सहमति से दियागया था। इस आदेश का निष्पादन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में श्री बी. बी. दास द्वारा किया गया था। श्री दास ने गोली चलाने का आदेश देने के पूर्व समुचित चेतावनियां दी थी। उन्होंने यह गोलिया तीन प्रक्रमों में चलवाईथी ताकि दंगाई शांतिपूर्वक तितर बितर हो सकें। कम से कम चोट पहुँचाने का हर सम्भव प्रयास किया गया था। ईदबाद पर हुई घटना के तुरन्त बाद हिंसात्मक घटनाओं को और अधिक फैलने से रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, दोनों ने ही , समुचित कदम उठाये थे किन्तु मुसलमान इतने क्रुद्ध थे कि इसके बावजूद उन्होने कई स्थानों पर हुई घटनाओं में भाग लिया।

श्री आर्य के बयान से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि उन्होने हरएक को अपनी कठिनाइयां बताने का अवसर दिया था और उसकी सहायता करने का प्रयास किया था। हर एक समुदाय के लोगों के साथ समान व्यवहार किया गया था। अतएव इन घटनाओं के सम्बन्ध में

उनका आचरण नितांत उचित और निष्पक्ष रहा है और उनके आचरण की किसी प्रकार से आलोचना नहीं की जा सकती है। उन्होंने उत्तेजना और उन्हें चोट पहुँचाने के बावजूद बुद्धिमानी से व्यवहार कुशलता से कार्य किया ।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वी.एन. सिंह ने भी निष्पक्ष रूप से और बुद्धिमानी से कार्य किया था जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। दुर्भाग्यवश वह गम्भीर रूप से घायल हो गये थे और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था जिसके बाद इस घटना से उनका कोई संबंध नहीं रहा ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री आर.एस. सिंह ने दंगाइयों को चेतावनियाँ दी थी और उन्हें शांत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से परामर्श करने के बाद ही गोली चलाने का आदेश जारी किया था। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके लिए उनकी आलोचना की जाय।

श्री बी.बी. दास ने गोली चलाने के आदेश का कार्यान्वयन नियमानुसार और लगभग चार या पाँच मिनट के अन्तराल से तीन प्रक्रमों में किया था ताकि दंगाइयों को तितर बितर होने का अवसर मिल जाय। यह बात अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाने की बात को सरासर झूठा साबित करती है। उनकी किसी मुसलमान से कोई दुश्मनी नहीं थी अतएव उनका आचरण भी खरा रहा ।

श्री ए.के. मिश्र ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया है। उन्होंने क्रुद्ध मुसलमानों को, जो गड़बड़ी फैला रहे थे, शान्त करने का प्रयास किया था। उन्हें स्वयं ईदगाह, बरफखाना और भूरा का चौराहा पर चोटें आई थीं। इन सभी स्थानों पर उन्होंने अत्यन्त संयम से काम लिया था। इन स्थानों पर हुई अधिकांश मौतें

भगदड़ के कारण हुई थीं और उनके कार्यपर किसी भी प्रकार से अँगुली नहीं उठायी जा सकती। विभिन्न स्थानों पर हुई घटनाओं के संबंध में अधिकारियों की भूमिका पूर्णतया न्यायोचित रही ।

मुरादाबाद के दंगों में पुलिस और पी.ए.सी. की आलोचना करना भी अनुचित है। अभिलेख में तनिक भी ऐसी सामग्री नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो से कि वह ईदगाह पर या अन्य थानों पर हुई घटनाओं के लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी थे। उनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं रही जैसा कि उन पर आरोप लगाया गया है। उन्होने अपने वरिष्ठअधिकारियों के निर्देशन में उसी सीमा तक बल का प्रयोग किया था जितना उनसे अपेक्षा की गई थी। अभिलेख में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे पता चले कि उन्होने स्वयं मुसलमानों की दुकानें लूटी थी या किसी के द्वारा लूटवाई थीं। अतः उनकी भूमिका की अनावश्यक रूप से आलोचना की गई है।

किसी भी हिन्दू संगठन या वर्गने गड़बड़ी उत्पन्न नहीं की थी। कोईऐसी बात नहीं थी जो हिन्दुओं को मुसलमानों से तय करनी थी। बाल्मीकियों और मुसलमानों के बीच उभरे मतभेदों को काफी हद तक दूर कर दिया गया था। बाल्मीकियों ने जिला प्राधिकारियों को आश्वासन दिया था कि वह कोईऐसा कार्यनहीं करेंगे जिससे ईद के उत्सव में कोई बाधा पड़े। प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार उन्होने अपने सुअरों को सुअरबाड़ों में बंद रखा था। नमाजियों के बीच किसी सुअर के घुस आने की कहानी बिल्कुल मनगढंत है जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य से गढ़ी गयी है। कुछ बस्तियों में हमला केवल मुसलमानों द्वारा ही किया गया था और इससे सबसे अधिक क्षति बाल्मीकियों को उठानी पड़ी थी। मुसलमानों ने बाल्मीकियों पर

अपना गुस्सा इसलिए उतारा था कि 24-8-1980 को जो घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के शौचालयों को साफ करना बन्द कर दिया था जो उनके लिए अत्यन्त हानिप्रद और असुविधाजनक था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और तत्कालीन जन संघ या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी इस अशान्ति में कहीं भी शामिल नहीं थीं।

आम मुसलमान भी ईदगाह पर गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। वस्तुतः ईदगाह पर हुई घटना साम्प्रदायिक नहीं थी किन्तु बाद में ऊपर दिये गये कारणों से इससे साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। यह काम मुसलमानों के कुछ वर्गों का था क्योंकि मुसलमान समुदाय में नेतृत्व के लिए खींचतान चल रही थी। इस साम्प्रदायिक हत्याकांड के पीछे डा0 शमीम अहमद खाँ और डा0 हामिद हसन उर्फ डा0 अज्जी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और उनके समर्थक थे। यह सब पूर्वनियोजित था और उनके दिमाग की उपज थी क्योंकि डा0 शमीम अहमद की लोकप्रियता पिछले निर्वाचनों में उनकी हार के कारण काफी कम हो गई थी। उन नेताओं के लिए कोई ऐसा कारण उत्पन्न करना आवश्यक था जिसके द्वारा वह आम मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते और इस प्रयोजन के लिए सुअर के घुस आने का आरोप लगाया गया था जिसे मुसलमान अपवित्र पशु मानते हैं।

यदि कोई दूसरी कहानी गढ़ी जाती तो उससे मुसलमानों को ध्यान आकृष्ट न हुआ होता। नेता लोग यह भी जानते थे कि लगभग 70,000 लोगों की धार्मिक सभा होने से पुलिस और प्रशासन कोई कठोर कार्यवाही नही करेगा। यदि सुअर के घुस आने जैसी कोई कहानी गढ़ ली जाय तो आम मुसलमान पर तुरन्त उसकी

प्रतिक्रिया होगी और वे ऐसी असावधानी बरतने के लिए प्रशासन की निन्दा करेंगे। यदि प्रशासन बदनाम हो जाय तो उनका प्रयोजन काफी हद तक पूरा हो जायेगा क्योंकि पिछले अवसरों पर ऐसा करने के उनके प्रयास निष्फल रहे थे। दुर्भाग्यवश उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उनका कार्य इतना गंभीर और व्यापक रूप धारण कर लेगा और जिसके परिणाम मुरादाबाद के नागरिकों की स्मृति में सदैव ताजे बने रहेंगे। अतएव, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि डा० शमीम अहमद खाँ, डा० हमीद हसन उर्फ डा० अज्जी, उनके दल के सदस्य और समर्थक ही ईदगाह पर घटि सम्पूर्ण घटना के लिए उत्तरदायी थे जिनसे अन्ततः दुर्भाग्यवश नगर के अनेक स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगों हुई और जिसकी चपेट में तुरन्त ही उत्तर प्रदेश के लगभग आधा दर्जन नगर आ गए थे। यह तदनुसार इस विवाद विषय का विनिश्चय किया जाता है।

विचारणीय विषय की ओर ध्यान दिलाने के पूर्व यह कह दिया जाय कि यह रिपोर्ट कुछ लम्बी हो गई है क्योंकि एक निश्चित प्रक्रम के पश्चात् मुसलमान वर्ग ने इसका ।आयोगा का। बहिष्कार कर दिया था और सही निष्कर्षपर पहुँचने के लिए उनके अभिकथनों को विस्तारपूर्वक उद्धृत करना और उन पर विचार विमर्श करना आवश्यक था।

निष्कर्ष
=====

इस आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद नगर में हुई गड़बड़ियों की जाँच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए की गई थी।

(1) 13अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में घटित उक्त घटना (जिसमें हताहतों की संख्या भी शामिल है) से संबंधित तथ्यों और कारणों का अभिनिश्चय करना.,

(2) स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति पर काबू पाने के लिए की गई कार्यवाही के औचित्य और उसकी पर्याप्तता निर्धारित करना और,

(3) उक्त घटनाओं के संबंध में सरकारीअधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के उत्तरदायित्व का अभिनिश्चय करना।

उपर्युक्त विवाद विषयों पर लिए गये निष्कर्षों को दृष्टिमें रखते हुए विचारणीय विषय के संबंध में मेरा उत्तर निम्नवत× है :-

(1) विगत इतिहास :- जैसा कि अभिलिखित सामग्री से स्पष्टहै ईदगाह पर गड़बड़ी साम्प्रदायिक उपद्रव के रूप में प्रारम्भ नहीं हुई थी। इसके बजाय यह कुछ असन्तुष्ट मुसलमानों और पुलिस के बीच मुठभेड़ से आरम्भ हुई थी और बाद में साम्प्रदायिक दंगे के रूप में फैल गई क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं साम्प्रदायिक प्रकार की पिछली घटनाओं और गलतफहमी की दुखद परिस्थिति में निश्चय ही यह अनिवार्यतः गहरा साम्प्रदायिक रंग धारण कर लेती है। संक्षेप में, नगर के दोनों समुदायों में पारस्परिक सह संबंध हैं जिसमें एक को दूसरे की आवश्यकता है और वह एक दूसरे पर आश्रित कहने हैं फिर भी यह जिला साम्प्रदायिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील हो गया है और कभी भी साम्प्रदायिक तनाव से मुक्त नहीं रहा। मुरादाबाद की तेजी से बढ़ती हुई आबादी को नगर में 1971 के दंगों की याद है, जब कि उन

छोटे बच्चों के जो अब किशोर या वयस्क हो गए हैं, पिता या भाई साम्प्रदायिक ज्वाला की आहुति बन गये थे। मई 1980 में विधान सभा के मध्यावधि चुनाव के समय कोतवाली क्षेत्र में एक बार और दंगा हुआ था। पुनः जुलाई, 1980 में मोहल्ला सराय किशन लाल में एक हरिजन बालिका के विवाह के अवसर पर उपद्रव हुआ था। अमरोहा नगर में 1975 में और सम्भल नगर में 1976 और 1978 में हुई हिंसा को भी कोई भूला नहीं है। दोनों सम्प्रदायों के सदस्यों की बीच मस्जिदों और मंदिरों के निर्माण संबंधी विवाद के कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 और धारा 145 के अधीन कार्यवाहियाँ चल रही थी। इस प्रकार यह जिला कभी भी साम्प्रदायिक तनाव से मुक्त नहीं रहा है और कहा जाता है कि थोड़े थोड़े समय बाद दंगे की स्थिति उत्पन्न होना एक सामान्य बात हो गई है। छोटे-छोटे तनाव इस सीमा तक बढ़ जाते हैं कि उनके विस्फोट के लिए केवल एक चिन्गारी की आवश्यकता होती है।

13-8-1980 को मुरादाबाद नगर में हुई गड़बड़ी कोई अकेली घटना नहीं थी वरन घटना क्रम की एक कड़ी थी। साम्प्रदायिक दंगा फैलाने के लिए कतिपय सामान्य और विशेष कारण उत्तरदायी थे।

सामान्य कारण :-

जब भारत पर विदेशी शासन था, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई आपस में फूट डालकर शासन करने के नीति ने दोनों सम्प्रदायों के लोगों के बीच गहरे मतभेद पैदा कर दिये थे। 1947 में देश के विभाजन के समय किए गए हत्याकाण्ड की याद आज भी ताजा है जो दोनों समुदायों के पारस्परिक संबंधों पर गहरा दाग छोड़ गई है।

हिन्दू और मुसलमानों का एक दूसरे के प्रति विरोध भी एक कारण माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमानों का वह वर्ग जिसने उपद्रव खड़ा किया, विश्व भर में फैली हुई इस्लामी रूढ़िवादिता से प्रभावित था। इज्तिमा की कार्यवाहियों के बारे में रखी गई गोपनीयता और उसके बाद नगर के बाहरी छोरों पर अत्यन्त शीघ्रता से मुसलमान कालोनियों और संस्थाओं का निर्माण किए जाने से बहुसंख्यक समुदाय के मस्तिष्क में शंका उत्पन्न हो गई। मुसलमान नेताओं के उद्गारों और कुछ मुसलमानों के कार्यकलाप के कारण भी साम्प्रदायिक आशंका बनी रही और इससे स्थानीय स्थिति विस्फोटक बन गई थी। चोरी-चोरी विदेशी धन के आने के बारे में शंका, उत्तर प्रदेश में दूसरा मुसलमान राज्य बनाने के प्रयास और चुनावों में मुसलमानों को वोट-बैंक मानने वाले मुसलमान नेताओं के राजनैतिक स्वार्थसाधन से हिन्दुओं के मन में पारस्परिक अविश्वास और शंका के बीज बोने में अत्यधिक मदद मिली। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों समुदायों के मन में गहरा अविश्वास बने रहने के कारण एक छोटी सी बात का भी बतंगड़ बन सकता है।

विशेष कारण :

साम्प्रदायिक तनाव की आयोजना करने वाले और उत्पन्न करने वाले केवल सम्प्रदायवादी ही नहीं होते वरन एक खास वर्ग के राजनीतिज्ञ और स्थानीय नेता भी होते हैं जो इससे अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने और जनता के सामने अपनी छवि सुधारने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाने की ताक में रहते हैं। मुरादाबाद में ठीक यही बात हुई थी।

आम मुसलमान ने ईदगाह पर गड़बड़ी पैदा नहीं की थी। यह पूर्णतया एक ओर कुछ असंतुष्ट मुसलमानों और दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस के बीच टकराव था क्योंकि मुसलमान समुदाय के नेतृत्व के लिए खींच तान चल रही थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि साधारण नागरिक कभी भी उपद्रव फैलाने में रूचि नहीं रखते क्योंकि अन्ततः सबसे अधिक हानि उन्हीं को उठानी पड़ती है। प्रायः ऐसे मामलों में संकट वस्तुतः कुछ थोड़े से ऐसे व्यक्तियों के प्रयास और षड़यंत्र के परिणामस्वरूप गड़बड़ी होती है जो लोगों की कट्टर भावनाओं को भड़काते हैं और फिर स्थिति से पूरा-पूरा स्वार्थ साधन करते हैं।

भारत में मुसलमानों की जन संख्या काफी बढ़ गई है और वह अपने को चुनाव के प्रयोजनों के लिए "वोट बैंक" समझने लगे हैं। यह बात स्पष्ट है कि यदि मुसलमानों को इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है कि वह अपने को स्वतंत्र भारत का समान नागरिक समझने के बजाय निर्वाचन के समय पर सौदेबाजी की एक मूल्यवान सामग्री समझे तो निश्चय ही इसका परिणाम अशुभ होगे। इन मुसलमान नेताओं द्वारा मुसलमान जन समुदाय से अपना स्वार्थ साधन करना इस घटना का एक प्रमुख कारण था। डा० शमीम अहमद खाँ ने जिनकी राजनीति महत्वाकांक्षा बहुत ऊँची थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया था और उन्होंने 1971 के मध्यावधि लोकसभा निर्वाचन में मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस समय भी उन्होंने तहसीली स्कूल पर साम्प्रदायिक उपद्रव भड़काने का प्रयास किया था किन्तु हार गए थे। अतएव, उन्होंने अगले निर्वाचनों में अपने प्रयास तेज कर दिए। उन्होंने 1984 उत्तर प्रदेश विधान सभा का निर्वाचन लड़ा था किन्तु थोड़े मतो से ही पराजित हो गए थे। निराश होने पर भी उन्होंने अनुभव

किया कि उन्होने मुसलमानों के बीच अपनी स्थिति काफी सुधार ली है और उन्होने यथासम्भव बड़ी संख्या में मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के प्रयास पुनः प्रारम्भ कर दिये थे।

मार्च 1977 में हुए लोकसभा निर्वाचन मे उन्होने पुनः मुस्लिम लीग का टिकट प्राप्त कर लिया किन्तु इस बार वह भारी अन्तर से पराजित हुए, जिसका अर्थ यह हुआ कि उनकी महत्वाकांक्षाओं को गहरी ठेस लगी।

जून 1977 में हुए विधान सभा निर्वाचन में मुस्लिम लीगा का टिकट डाक्टर शमीम अहमद खाँ को न देकर श्री मुख्तार अहमद एडवोकेट को मिला जिससे डा0 शमीम अहमद खाँ निराश हो गए, और यह अनुभव करने लगे कि अगर उन्होने अपनी छवि सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया तो उनका राजनैतिक जीवन समाप्त हो जाएगा।

जनवरी 1980 के लोकसभा निर्वाचनों में भी डा0 शमीम अहमद खाँ को मुस्लिम लीग का टिकट नहीं मिल पाया और वह अत्यधिक कुपित हो गए। किन्तु 31 मई, 1980 को आयोजित मध्यावधि विधान सभा निर्वाचन में उन्होने मुस्लिम लीगा का टिकट प्राप्त कर लिया किन्तु उनके प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस (आइ) के उम्मीदवार श्री हफीज मोहम्मद सिद्दीकी। डा0 शमीम अहमद खाँ अधिक से अधिक संख्या में मुसलमान मतों को अपनी झोली में डालना चाहते थे और साम्प्रदायिक विद्वेष की आग भड़का कर अपने प्रतिद्वंदी को हिन्दुओं के समर्थन से वंचित रखना चाहते थे। यह स्पष्ट है कि एक घायल गाय, दीवान का बाजार की हाट में छोड़ गई थी जिससे हिन्दू क्रुद्ध हो जाय और श्री हफीज मोहम्मद सिद्दीक को समर्थन देना

बन्द कर दें किन्तु हिन्दुओं ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । डा० शमीम अहमद खाँ ने पहले ही मुसलमानों के प्रत्येक प्रयोजन का, चाहे वह सही हो या गलत अन्ध समर्थन करना शुरू कर दिया था और वह प्रशासन तथा पुलिस से टकराव के लिए तैयार थे। दूसरी ओर श्री हफीज मोहम्मद सिद्दीकी ने इज्तिमा का सफलता पूर्वक आयोजन करके और एक ही ढंग से सभी मस्जिदों का नवीनकरण करवा कर मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी । कांग्रेस (आई) उम्मीदवार के नाते उनको बड़ी संख्या में हिन्दुओं स्थानीय और पंजाबियों दोनों ही का समर्थन प्राप्त था। इसका परिणाम यह हुआ कि डा० शमीम अहमद खाँ और डा० हंसराज चौपड़ा को हराकर वह विजयी हो गये थे। इससे डा० शमीम अहमद खाँ की प्रतिष्ठा पूर्णतया नष्ट हो गई और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि उनका राजनैतिक जीवन समाप्त हो जायेगा। यही से मुसलमानों के नेतृत्व के लिए खींच तान शुरू हो गयी थी। प्रशासन के साथ उनके मतभेद पहले ही प्रकट हो गये। अतएव उन्होने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया था। जैसा कि निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जायेगा :-

(क) मई 1980 में मोहल्ला सराय किशन लाल निवासी लज्जावती नामक एक बाल्मीकि लड़की का जिसकी आयु लगभग 17 या 18 वर्ष की थी, रियाज और उसके साथियों ने उस समय अपहरण और उसके साथ बलात्कार किया जब वह एक क्वार्टर में सफाई करने गई थी। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी गई थी। डा० शमीम अहमद खाँ इस घटना से लाभ उठाने के लिए तुरन्त आगे आये और

अपराधियों का पक्ष लेने लगे। चूँकि उस लड़की के जीवन को काफी खतरा हो गया था इसलिए उसके संबंधियों ने उसकी शादी तय कर दी थी जो रमजान के महीने में दिनाँक 27-7-1980 को सम्पन्न हुई थी। उस दिन जब बारात उसके घर की ओर बढ़ रही थी जब वह एक मस्जिद के पास पहुँची तो मुसलमानों ने यह बहाना लेकर बारात के ऊपर आक्रमण कर दिया था कि वह रोजा इफतार के समय बैंड बजा कर नाचते गाते हुए शोर मचा रहे थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है बारात "रोजा इफतार " के समय से बहुत पहले निकल गई थी और मुसलमानों के लिए वर और बारातियों से कोई आपत्ति करने तथा मारने पीटने का कोई औचित्य नहीं था। इससे गम्भीर स्थिति पैदा हो गई और बस्ती के मुसलमानों ने बाल्मीकियों के घरों पर आक्रमण कर दिया। दोनों समुदायों के लोगों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई थी। मुसलमानों ने बाल्मीकियों के घरों पर भारी पथराव किया और उनमें आग लगा दी। जब पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया तो उसे भी मुसलमानों की भीड़ के रोष का सामना करना पड़ा । फिर भी बड़ी कठिनाई से स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/332/334/427 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। यह देखा गया कि डा0 शमीम अहमद खाँ उस बस्ती के मुसलमानों को उकसा रहे थे ।

(ख) दिनाँक 5 और 6 जून, 1980 की मध्य रात्रि में भूरे अली और कुछ अन्य लोग उस समय राहजनी के शिकार हो गये थे जब वह दूध लेकर शहर जा रहे थे। बल प्रयोग किये जाने पर घटना स्थल पर ही जावेद और तीन अन्य लोग पकड़े गये थे । जावेद की मृत्यु

थाना ले जाते समय हो गई थी। डा0 शमीम अहमद खाँ ने इससे पूरा लाभ उठाने के लिए यह अभियान चलाया कि जावेद को पुलिस ने मार डाला,। प्रशासन के निर्देशों के बावजूद उन्होंने जावेद के शव का जुलूस निकाला और मजिस्ट्रटी जाँच करवाई। यह सब मुसलमानों को यह दिखाने के लिए किया गया कि उनके हितों के रक्षक वस्तुतः वही हैं।

।ग। दिनाँक 24-7-1980 की घटना के बाद बाल्मीकियों ने मुसलमानों के शौचालयों की सफाई करना बन्द कर दिया जिससे उनमें भारी रोष उत्पन्न हो गया। डा0 शमीम अहमद खाँ को बाल्मीकियों से बदला लेकर मुसलमानों को खुश करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। कुछ मुसलमानों ने बाल्मीकियों के कुछ सुअरों को जहर दे दिया जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने उस पर कार्यवाही की थी।

।घ। ईदगाह पर गड़बड़ी पैदा करने के षडयंत्र को बढ़ावा देने के लिए दो रिपोर्टें दर्ज कराई गई थी, पहली रिपोर्ट श्री हामिद हुसैन ने दिनाँक 12-8-1980 को थाना मुगलपुरा में और दूसरी रिपोर्ट उसी रात को काजी फजलुर्रहमान ने थाना कटघर में दर्ज कराई गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन दोनों रिपोर्टें एक ही तरह की थी। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया था कि बाल्मीकियों ने उनसे निपटने की धमकी दी है। तुरन्त जाँच करने पर दोनों रिपोर्ट झूठी पायी गई जिससे यह पता चलता है कि अगले दिन ईदगाह पर जो घटना होने वाली थी उसकी जिम्मेदारी बाल्मीकियों पर डालने की पेशबंदी करने

के लिए यह रिपोर्ट लिखवाई गई थी। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि प्रत्येक घटना में डा० शमीम अहमद खाँ और उनके समर्थकों ने मुख्य भूमिका निभाई थी और मुसलमानों के पक्ष का चाहे वह उचित हो या अनुचित, समर्थन करने का प्रयास किया, जिससे उन्हें चुनावों में मुसलमानों का अधिक से अधिक समर्थन मिल सके। उनके समर्थकों में मुस्लिम लीग के सदस्य खाकसार और कुछ अन्य लोग थे। उनका रुख और व्यवहार कठोर होता गया और उन्होंने ईदगाह पर उस समय गड़बड़ी पैदा करने के लिए अपनी रणनीति तैयार की जब लगभग 70,000 पवित्र नमाजियों की धार्मिक सभा होने वाली थी, ताकि, प्रशासन को बदनाम करके और घटना का उत्तरदायित्व बालमीकियों या पंजाबी हिन्दुओं पर डालकर मुसलमानों के बीच अपनी छवि सुधार सकें। मुरादाबाद में उन्हें कोई ऐसी उत्तेजक बात करनी थी जिससे सम्पूर्ण धार्मिक सभा भड़क उठे। नेताओं के लिए कोई ऐसा कारण पैदा कर देना आवश्यक था जिससे उन्हें सभी मुसलमानों की सहानुभूति मिलती और इस प्रयोजन के लिए सुअर के घुस आने की बात गढ़ी गई जिसे मुसलमान नापाक जानवर मानते हैं और जिसे देखने से ही नमाज अपवित्र हो जाती है। यदि कोई और कहानी गढ़ी गई होती तो उससे मुसलमानों का ध्यान आकर्षित न हुआ होता। अतएव डा० शमीम अहमद खान ने अपने समर्थकों और भाड़े के लोगों को तैयार किया और उन लोगों ने इस बात को सोचे-समझे बिना ही यह कार्य कर डाला कि इससे साम्प्रदायिक प्रतिक्रिया किस हद तक फैल जायेगी और कैसा रूप धारण कर लेगी। वास्तव में यह बात सिद्ध नहीं हो सकी है कि ईदगाह के पास कहीं भी सुअर दिखाई पड़ा था। इस साम्प्रदायिक हत्याकाण्ड के पीछे मुस्लिम लीग और खाकसारों की शक्ति थी जिनका नेतृत्व डा० शमीम अहमद खाँ और डा० हामीद हुसैन उर्फ डा० अज्जी कर रहे थे

और यह सब पूर्व नियोजित था और उन्हीं लोगों ने तैयार किया था। ऐसे बहुत से मुसलमानों ने इसमें भाग लिया जो बड़ी संख्या में वृद्ध और अशक्त मुसलमानों और बच्चों की मृत्यु हो जाने के कारण भावावेश में आकर उत्तेजित हो गये थे। नमाजी तितर-बितर होकर कई समूहों में बंट गये। उत्तेजित होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ गये जब नगर में यह अफवाह फैली कि नमाजियों की धार्मिक सभा में एक या अधिक सुअरों को जबरदस्ती धकेल दिया गया था और पुलिस ने हजारों मुसलमानों को मार डाला है तब मुसलमान बाल्मीकियों के विरुद्ध क्रुद्ध हो गये थे क्योंकि उनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने भारी संख्या में व्यक्तियों को मार डाला है। बड़ी संख्या में मुसलमान भिन्न-भिन्न थानों पर क्रुद्ध और खतरनाक ढंग से इकट्ठा हो गये थे। उत्तेजनापूर्ण वातावरण में यह नारे गूँज रहे थे कि "पुलिस वालों और हिन्दुओं को मार डालो और उनके घरों को जला डालो" डा० शमीम अहमद खाँ और डा० हमीद हुसैन उर्फ डा. अज्जी जैसे हितबद्ध व्यक्तियों ने नमाजियों और अन्य लोगों को भड़काने का प्रयास किया और इससे गड़बड़ी और अधिक बढ़ गई थी। उत्तेजित मुसलमान पुलिस चौकी और थानों पर हमला करने लगे। हिन्दू बस्तियों पर अन्धाधुन्ध हमला किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं ने भी बदला लिया और घटना ने साम्प्रदायिक दंगे का रूप ले लिया था जिसमें निहित स्वार्थ रखने वाले व्यक्तियों ने सहायता पहुँचाई और प्रेरित किया। उन्हें शान्त करने के लिए पुलिस द्वारा

बारम्बार किये गये प्रयत्नों से भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ उपद्रव कई अन्य बस्तियों में फैल गया था। नगर के सारे कार्यकलाप ठप हो गए थे और उत्तेजित मुसलमान हत्या करते और आग लगाते हुए घूमते रहे। मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को जो घटनायें घटी थी उनका संबंध में इन्ही तथ्यों और कारणों से था।

इन घटनाओं में हिन्दू और मुसलमान दोनों को मिलाकर 84 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और विभिन्न स्थानों पर 112 व्यक्ति घायल हुए थे।

।2। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि दिनांक 13-8-1980 को बीस स्थानों पर जिनमें ईदगाह भी है, दंगे हुए थे। इन सभी स्थानों पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के औचित्य और उसकी पर्याप्तता के प्रश्न पर प्रत्येक घटना के संबंध में अलग-अलग चर्चा की जा चुकी है। आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि जिला मजिस्ट्रेट, श्री एस. पी. आर्य और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री वी. एन. सिंह ने ईद-उल-फितर को शांतिपूर्वक मनाने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती थी। यदि प्रत्येक घटना के समय विद्यमान स्थिति के संदर्भ में विचार किया जाय तो उन्होंने या अन्य अधिकारियों ने जो भी कार्यवाही की थी जिसमें पुलिस/पी. ए. सी. द्वारा गोली चलाना भी है, वह पूर्णतया न्यायोचित थी। ईदगाह पर गोली तभी चलाई गई थी जब वहाँ उपस्थिति और उस बस्ती में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के और उनकी सम्पत्ति को आसन्न संकट उत्पन्न हो गया था। यह कार्यवाही तभी की गई थी जब बार-बार चेतावनी देने, अश्रुगैस छोड़ने और लाठी चार्ज करने का कोई असर नहीं हुआ था। इसीप्रकार अन्य स्थानों पर भी परिस्थितियों से विवश

होकर और आत्म रक्षा तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए गोली चलाई गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि दंगाइयों ने हिन्दुओं, अधिकारियों और पुलिस बल पर अविवेकपूर्ण ढंग से हमला करके और हथियार तथा गोली बारूद छीन कर काफी उत्तेजना फैलाई थी, बल का प्रयोग करने में काफी संयम बरता गया था। प्रत्येक स्थान पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतया न्याय संगत और उचित थी। उन्होने प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त बल का प्रयोग किया जैसा कि उस समय विद्यमान स्थिति में आवश्यक था। यदि उन्होंने इस प्रकार से कार्यवाही न की होती तो नगर में पूर्णतया अव्यवस्था फैल गई होती और जनजीवन और सम्पत्ति की अपार हानि हो जाती। बल का प्रयोग न तो अत्यधिक था और न अपर्याप्त। बल का प्रयोग पूर्णतया नियमानुसार किया गया था तथा उससे कम से कम नुकसान हुआ था। ईदगाह, बरफखाना और भूरा का चौराहा पर अधिकतर लोगों की मृत्यु भगदड़ के कारण हुई थी जिसके लिए अधिकारियों या कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस और पी.ए.सी. ने सर्वथा अपने अधिकारियों के निर्देशों के अधीन और सीमा के भीतर कार्य किया था। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह पता चले कि उन्होने स्वयं मुसलमानों की दुकानें लूटीं थीं या दूसरे लोगों से लुटवाई थीं।

§31 रिपोर्ट में की गई विस्तृत चर्चा के दृष्टिकोण से आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि ईदगाह और अन्य स्थानों पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या हिन्दू उत्तरदायी नहीं था। इन दंगों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या

भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सामने नहीं आई थी, यहाँ तक कि आम मुसलमान भी ईदगाह पर उपद्रव करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। यह डा० शमीम अहमद के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और डा० हामिद हुसैन उर्फ डा० अज्जी के नेतृत्व वाले खाकसारों तथा उनके समर्थकों और भाड़े के व्यक्तियों की कारगुजारी थी। यह सब पूर्व नियोजित था और उनके दिमाग की उपज थी। जब नगर में यह अफवाह फैली कि नमाजियों के बीच सुअर धकेल दिये गये हैं और ईदगाह पर बच्चों के साथ-साथ बड़ी संख्या में मुसलमान मार डाले गये तो मुसलमान क्रोध में आपे से बाहर हो गये और उन्होंने थानों, पुलिस चौकियों और हिन्दुओं पर अंधाधुन्ध हमला कर दिया जिसके फलस्वरूप हिन्दुओं ने भी बदला लिया और इस प्रकार यह पूरे तौर से साम्प्रदायिक दंगा बन गया । हर एक समुदाय में कुछ समाज विरोधी तत्व होते हैं और वह ऊपर बताई गई स्थिति में अपना पुराना द्वेष मिटाने और स्थिति को और अधिक बिगाड़ने के लिए तुरन्त सामने आ जाते हैं ।

13-8-1980 के बाद भी घटनाएं होती रहीं क्योंकि हिंसा में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक संख्या में लोग मारे गये थे जिनमें बच्चे भी थे इसलिए क्रोध से वह उत्तेजित होते रहे यद्यपि यह बात साबित हो गयी है कि उनमें से अधिकांश लोग भगदड़ में मरे थे। विचारार्थ विषय केवल 13-8-1980 को हुई घटनाओं तक ही मिति है और जांच उसी दिन की घटनाओं तक ही मित है। अतएव आयोग उसके बाद घटित घटनाओं के बारे में कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं है ।

-: सुझाव :-

यद्यपि आयोग से साम्प्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ऐसे सुझाव देने की अपेक्षा नहीं की गई है, फिर भी जनता और प्रशासन के हित में कुछ सुझाव नीचे दिये जाते हैं :-

(1) आयोग का विचार है कि साम्प्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए निहित स्वार्थ रखने वाले व्यक्ति और फूट डालने वाली शक्तियां जो हिंसात्मक कार्यवाहियां करने शान्ति और सामान्य जीवन में गड़बड़ी पैदा करने और शांति और व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न करने पर तुली रहती हैं, उनके खतरनाक इरादों का प्रशासन द्वारा दृढ़ता से सामना किया जाना चाहिए क्योंकि वह प्रजातंत्र की निष्पक्ष छवि को अनावश्यक रूप से मलिन करते हैं ।

(2) सभी जातियों, धर्मों और वर्णों के लोगों में पारस्परिक सद्भाव का विकास होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि अत्यधिक उकसाये जाने पर भी सौहार्द और मित्रता का बन्धन टूट न सके ।

(3) मुसलमानों को निर्वाचन में मतों का खजाना (वोट बैंक) समझने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यदि उन्हें निर्वाचन के समय सौदेबाजी की बहुमूल्य वस्तु समझा जाता है तो इसके परिणाम अवश्य ही अहितकर होंगे ।

(4) साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में गड़बड़ी पैदा करने वाले लोगों और पेशेवर अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए और उनकी गतिविधियों पर तुरन्त रोक लगानी चाहिए।

§5§ सरकार को दोनों समुदायों के लोगों के बीच संशय के कारणों को दूर करना चाहिए ताकि उससे कोई गलतफहमी पैदा न हो या वह कोई व्यापक रूप धारण न कर सके ।

§6§ यदि किसी स्थान पर दंगे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो समस्त नगर में लाउड स्पीकरों के जरिये सही तथ्यों की घोषणा करके अपवाह का तुरन्त खण्डन किया जाना चाहिए क्योंकि घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले व्यक्ति ऐसे भयानक विवरण का प्रचार करते हैं जिनमें से प्रत्येक विवरण कई सारवान पहलुओं में एक दूसरे से भिन्न होता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मात्र कोई अफवाह आतंक उत्पन्न करने और लोगों में सुरक्षा के लिए भाग-दौड़ मचाने के लिए पर्याप्त होती है ।

§7§ अवैध आग्नेयास्त्रों और अन्यघातक हथियारों को बनाने और उनको रखने की जांच पड़ताल नियमित समय के अन्तराल पर की जानी चाहिए ताकि साम्प्रदायिक दंगों के समय उनका इस्तेमाल न किया जा सके ।

§8§ साम्प्रदायिक दंगों के कारण उत्पन्न होने वाले मामलों का निर्णय न्यायालयों में ही होना चाहिए और साधारणतया कोई भी मामला वापस नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे एक समुदाय के लोगों में दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति अनावश्यक कटुता उत्पन्न हो जाती है ।

§9§ पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को उनके बीसा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद कई महीनों तक निर्धारित समय से अधिक ठहरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति के मन में कोई आशंका उत्पन्न न हो ।

§10§ शान्ति समितियाँ बनाई जानी चाहिए जिनमें इन दोनों समुदायों के प्रभावशीली लोग हों जिन्हें नियमित रूप से ऐसे कारणों की जाँच करनी चाहिए जिनसे तनाव पैदा होता है और साम्प्रदायिक हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकना चाहिए क्योंकि अधिकांश लोग चाहे वे किसी भी धर्म या वर्ग के हों, एक राष्ट्र के रूप में शान्ति और मित्रभाव के साथ रहना चाहते हैं ।

आभार

इस रिपोर्ट को समाप्त करने के पूर्व मैं प्रशासन के काउन्सेल श्री टी. एन. सिंहा और उनके सहायक विशेष लोक अभियोक्ता श्री जे. पी. गुप्ता के प्रति आयोग के समक्ष सभी तथ्यों को प्रस्तुत करने और सुसंगत चार्ट तैयार करने में उनके द्वारा किये गये कठिन परिश्रम के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं नागरिक परिषद के काउन्सेल श्री एस. एन. गुप्ता और श्री सुभाष गुप्ता तथा एडवोकेट श्री आर. सी. गोयल और एडवोकेट श्री शैलेन्द्र जौहरी के प्रति भी जो निजी हैसियत से उपस्थित हुए, सहयोग प्रदान करने के लिए आभारी हूँ । जाँच के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई सहायता के लिए भी मैं अपनी अभिशंसा अभिलिखित करता हूँ। अपने कर्मचारी वर्ग के प्रति भी जिसने कार्यवाहियों के दौरान प्रसन्नतापूर्वक कठिन परिश्रम किया और इस रिपोर्ट को नियत समय के भीतर तैयार करने में सहायता दी, आभार प्रकट करना अपना कर्तव्य समझता हूँ।

दिनाँक: इलाहाबाद, 29 नवम्बर, 1983 न्यायमूर्ति एम. पी. सक्सेना

§सेवा निवृत§ अध्यक्ष, मुरादाबाद जाँच आयोग इलाहाबाद

अनुलग्नक "एक"

संख्या: 2622-डी/आठ-12-81
लखनऊ: दिनाँक: 28 अप्रैल, 1981

अधिसूचना संख्या 1785-डी/आठ-12-80, दिनाँक 18 अगस्त, 1980 का आंशिक संशोधन करते हुए राज्यपाल महोदय सार्वजनिक महत्व के विषय अर्थात मुरादाबाद जिले में दिनाँक 13 अगस्त, 1980 की प्रातः ईद की नमाज के समय उत्पन्न विघ्न तथा उसके फलस्वरूप उसी दिनाँक को घटित अन्य घटनाओं के क्रम, उनके तथ्य, कारण एवं उत्तरदायित्व की जांच के हेतु जांच आयोग अधिनियम 1952 (अधिनियम संख्या 60, सन् 1952) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री बी.डी. अग्रवाल, जिला जज सहारनपुर के स्थान पर न्यायमूर्ति श्री एम.पी. सक्सेना उच्च न्यायालय इलाहाबाद को एक सदस्यीय जांच आयोगके रूप में नियुक्ति करते हैं, जिनका मुख्यालय इलाहाबाद में होगा ।

2- आयोग निम्नलिखित बातों को दृष्टि में रखते हुए उक्त घटनाओं के संबंध में जांच करेगा और उन पर रिपोर्ट देगा :-

(1) दिनाँक 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में घटि समस्त घटनाओं के क्रम (जिसमें हताहतों की संख्या भी शामिल है), व उनके तथ्य और कारण ।

(2) स्थिति को संभालने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की पर्याप्तता और औचित्य,

(3) इन घटनाओं के संबंध में विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों का उत्तर दायित्व।

(3) चूँकि राज्यपाल की राय है कि की जाने वाली जांच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, अतएव, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा -5 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त धारा -5 की उपधारा (2), (4) और (5) के उपबन्ध आयोग पर लागू होंगे ।

(4) आयोग इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से चार मास की अवधि के अन्दर अपनी जांच पूरी करेगा ।

आज्ञा से,

रामचन्द्र टकरू,
गृह सचिव ।

13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद
में हुए दंगों के संबंध में मुरादाबाद जाँच
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम. पी. सक्सेना
(सेवा निवृत्त), द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	ब्योरे	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य	
2.	लिखित बयान	
3.	लिखित बयानों की विषय वस्तु:	
	श्रेणी "क"	
(क)	डा० कमाल काहिम ----------	
(ख)	श्री मुख्तार अहमद, एडवोकेट ----------	
(ग)	श्री खान अब्दुल वदूद ----------	
(घ)	श्री हबीबुल रहमान ----------	
(ङ)	श्री हाफिज़ अलीजान ----------	
(च)	डा० शमीम अहमद खाँ, ----------	
(छ)	डा० हमीद हसन खाँ ----------	
	श्रेणी "ख"	
(क)	श्री हरी ओम शर्मा ----------	
(ख)	श्री हरी किशन दास ----------	
(ग)	श्री दयानन्द गुप्त ----------	
(घ)	श्री संतोष सरन ----------	
(ङ)	श्री हरीश चन्द्र गुप्ता ----------	
(च)	श्री बीरेन्द्र पाल सिंह ----------	
	श्रेणी "ग"	
(क)	श्री ए०के० मिश्र, ----------	
(ख)	श्री एस०पी० आर्य ----------	
(ग)	श्री बी०बी० दास, ----------	
(घ)	श्री आर०एस० सिंह ----------	
(ङ)	श्री गंगाबल सिंह ----------	
(च)	श्री बी०बी० लाल ----------	
(छ)	श्री टी०सी० त्यागी ----------	
(ज)	श्री बी०एन० सिंह ----------	
(झ)	श्री जमुना प्रसाद ----------	

क्रम संख्या	ब्योरे	पृष्ठ संख्या
	।ट। श्री आर०एस०असवाल ----------	
	।ठ। श्री के०एम० पाण्डे ----------	
	।ड। श्री डी०पी० सिंह ----------	
	।ढ। श्री जगदीश सिंह----------	
4.	प्रति शपथ-पत्र तथा प्रत्युत्तर शपथ-पत्र	
	।एक। श्री मुख्तार अहमद का प्रति शपथ पत्र --------	
	।दो । डा० हामिद हसन खाँ का प्रति शपथपत्र ---------	
	।तीन। डा० कमाल फाहिम का प्रत्युत्तर शपथ-पत्र ---------	
	।चार। डा०. शमीम अहमद खाँ का प्रत्युत्तर बयान --------	
	।पाँच। श्री हरी ओम शर्मा का प्रतिशपथ पत्र ----------	
	।छः। श्री दयानन्द गुप्ता का प्रति तथा प्रत्युत्तर शपथ -पत्र ----------	
	।सात। नागरिक परिषद की ओर से प्रति शपथ पत्र --------	
	।आठ। श्री संतोष सरन का प्रतिशपथ पत्र ----------	
	।नौ। श्री आर०सी०गोयल, एडवोकेट द्वारा उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों का उत्तर ---------	
	।दस। श्री एस.पी.आर्य का प्रतिशपथ पत्र ----------	
	।ग्यारह। श्री वी०एन०सिंह का प्रतिशपथ पत्र ----------	
	।बारह। सर्वश्री बी०बी०दास, आर०एस०सिंह, बी०बी०लाल, ए०के०मिश्र०टी०सा०त्यागी, आर०एस० असवाल, डी० पी० सिंह, जगदीश सिंह तथा राम सिंह का प्रति शपथ पत्र -------	
5.	अधिनियम की धारा 8ख के अधीन सूचना ।नोटिसें।	
	।क। श्री हकीम राय तथा डा० हंसराज चोपड़ा के उत्तर ----------	
	।ख। श्री हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीकी का उत्तर ---------	
	।ग। श्री सतीश नरूला का शपथ पत्र ----------	
6-	बाद विषय	
7.	साक्ष्य के अभिलेखन के संबंध में आदेश ----------	
8-	परीक्षित किये गये साक्षियों की संख्या ----------	

क्रम संख्या	ब्योरे	पृष्ठ संख्या
9-	घटनाओं के स्थानों के नक्शे तथा निरीक्षण टिप्पणियाँ----------	
10.	निष्कर्ष	
(एक)	वाद विषय सं0 1 ----------	
(दो)	वाद विषय सं0 2,4,5,6,7,8,तथा 17 --------	
कारण :		
(क)	सामान्य ---------- ----------	
(ख)	आप्रवासियों की समस्या ----------	
(ग)	पंजाबी हिन्दुओं द्वारा विद्वेषपूर्ण प्रचार --------	
(घ)	पंजाबी हिन्दुओं तथा प्रशासन के बीच साजिश ------	
(ङ)	हिन्दू मुस्लिम विरोध (इन्ट्रागोनिज्म)----------	
(च)	सर्व इस्लामी तथा इस्लामी रूढ़िवाद ----------	
(छ)	विदेशी हाथ ----------	
(ज)	भारत वर्ष में दूसरा पाकिस्तान बनाने की इच्छा तथा विदेशी धन का अन्तः प्रवाह ----------	
(झ)	मुसलमानों के तुष्टीकरण की सरकार नीति ----------	
(ञ)	राजनीति ---------- - - - - -	
(ट)	अधिकारियों का स्थानान्तरण ----------	
विशेष कारण		
(क)	लज्जावती का अपहरण ----------	
(ख)	लज्जावती के विवाह के अवसर पर हुई घटना ----------	
(ग)	31-5-1980 को टाउन हाल में हुई घटना ----------	
(घ)	जावेद संबंधी घटना ----------	
(ङ)	श्री हामिद हुसैन तथा गाजी फजलुर्र रहमान द्वारा रिपोर्ट -----	
(च)	सुअर या सुअरों के घुसने के संबंध में वृत्तान्त ---555------	
	उपर्युक्त वाद विषयों के निष्कर्षों का सारांश:--------	
11.	वाद विषय सं0 3,9,10,11,16,18,19,20,21, तथा 22 के संबंध में निष्कर्ष ---5 ----------	

क्रम संख्या	ब्योरे	पृष्ठ संख्या
(क)	घटनाओं के स्थान ----------	
(ख)	ईदगाह में घटना का रूप ----------	
(ख)	ईदगाह में पुलिस/पी.ए.सी. द्वारा गोली चलाया जाना (फायरिंग) ----------	
(ग)	स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए की गई कार्यवाही ----------	
(घ)	बरफखाना चौराहा पर घटना का रूप ----------	
(ङ)	गलशहीद और एच.एस.बी. स्कूल में घटना का रूप ----------5-"----------	
(च)	फैजगंज में घटना का रूप ----------	
(छ)	तहसीली स्कूलमें घटना का रूप ----------	
(ज)	पुलिस चौकी नागफनी में घटना का रूप ----------	
(झ)	मोहल्ला नवाबपुरा में घटना का रूप ----------	
(ञ)	किसरौल में घटना का रूप ----------	
(ट)	थाना कोतवाली में घटना का रूप ----------	
(ठ)	नीम की प्याऊ और गंज बाजार में घटना का का रूप ----------	
(ड)	बरवाबी में घटना का रूप ----------	
(ण)	कम्बल का ताजिया में घटना का रूप ----------	
(त)	कूँचा दर्जियान में घटना का रूप ----------	
(थ)	भूरा का चौराहा और प्रिंस रोड में घटना का रूप ----------	
(द)	बारादरी में घटना का रूप ----------	
(ध)	सदर अस्पताल में घटना का रूप ----------	
(न)	झब्बू का नाला में घटना का रूप ----------	
(प)	असालतपुरा में घटना का रूप ----------	
(फ)	बालाजी का मन्दिर में घटना का रूप ----------	
(ब)	डा0 मसीम अहमद खाँ द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में टीका टिप्पणी ----------	

क्रम संख्या		ब्योरे	पृष्ठ संख्या
	(भ)	दंगाइयों द्वारा छीने गये शस्त्रास्त्र गोला बारूद तथा मुसलमानों द्वारा चलाई गई गोलियाँ ----------	
	(म)	सरकारी गाड़ियाँ जिन्हें क्षतिग्रस्त किया गया ----	
	(य)	पुलिस/पी.ए.सी. द्वारा चलाई गयी गोलियाँ ----	
	(कक)	विभिन्न थानों में लिखाई गयी रिपोर्टें--------	
	(खख)	दंगा योजना को लागू किया जाना ----------	
	(गग)	उपर्युक्त वाद विषयों के संबंध में निष्कर्षों का सारांश ----------	
12.		वाद विषय सं0 12 के संबंध में निष्कर्ष ---------- (मृतकों तथा घायल व्यक्तियों की संख्या के संबंध में चर्चा) ----------	
13.		वाद विषय संख्या 13 के संबंध में निष्कर्ष ---------- (भगदड़ के कारण मौतें) ----------	
14.		वाद विषयसंख्या 14 के संबंध में निष्कर्ष ---------- (शवों को ठिकाने लगाया जाना) ----------	
15.		वाद विषय संख्या 15 के संबंध में निष्कर्ष ---------- (दुकानों आदि को लूटा तथा जलाया जाना) ---------	
16.		वाद विषय संख्या 23 के संबंध में निष्कर्ष ----------	
17.		वाद विषय संख्या 24 के संबंध में निष्कर्ष ---------- (दंगों के संबंध में अधिकारियों, अधिकारिकों तथा अन्य व्यक्तियों, यदि कोई हो, का उत्तरदायित्व) ----	
18.		निष्कर्ष : ------ विचारार्थ विषयों के उत्तर ----------	
19.		सुझाव ----------	
20.		आभार ----------	
21.		अनुलग्नक एक-आयोग की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना ----------	

क्रम संख्या	ब्यौरे	पृष्ठ संख्या

दो नोटिस ।अंग्रेजी पाठ। ----------

दो.क. नोटिस ।हिन्दी पाठ। ----------

दो.ख. नोटिस ।उर्दू पाठ। ----------

तीन-आयोग द्वारा बनाई गई नियमावली :---------

चार-मौखिक साक्ष्य दिये जाने के क्रम से
संबंधित दिनांक 8-4-1982 का
आदेश । ----------

पांच- दिनांक 16-5-1983 की निरीक्षण टिप्पणी -------

पांच.क. 19-5-1983 की निरीक्षण टिप्पणी ----------

छः- मृतक व्यक्तियों की सूची तथा शव
परीक्षण रिपोर्टों का संक्षिप्त
विवरण : ----------

सात- घायल व्यक्तियों की सूची तथा
चोट रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण ----------

अनुलग्नक "दो"

नोटिस

॥ अंग्रेजी पाठ ॥

इसका हिन्दी रूपान्तर मुद्रित है

अनुलग्नक "दो (क) "

उक्त नोटिस का हिन्दी पाठ

(मुद्रित है)

अनुलग्नक "दो ।ख।"

उक्त नोटिस का उर्दू पाठ
। मुद्रित है।

अनुलग्नक " तीन "

मुरादाबाद जाँच आयोग द्वारा बनाई गई नियमावली

चूँकि, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 12 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कोई नियमावली नहीं बनाई है, और चूँकि ऐसी परिस्थिति में आयोग को उक्त अधिनियम की धारा -8 के अधीन अपनी कार्यविधि (जिसमें इसकी बैठकों का स्थान और समय नियत करना और यह निश्चय करना कि बैठक सार्वजनिक रूप से की जाय या निजी तौर पर, सम्मिलित है) को विनियमित करने की शक्ति है,

अतएव, अब, मुरादाबाद जाँच आयोग अपनी कार्यविधि को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाता है:

1- संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना:

(1) यह नियमावली "मुरादाबाद जाँच आयोग नियमावली, 1981" कहलायेगी ।

(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।

(3) यह आयोग के समक्ष कार्यवाही में लागू होगी।

2. परिभाषाएं:

जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में:-

(क) "आयोग" का तात्पर्य मुरादाबाद जाँच आयोग से है।

(ख) "सचिव" का तात्पर्य आयोग के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सचिव से है।

§ग§ "जिला मजिस्ट्रेट, "ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक" और जिला जज" का तात्पर्य जिला मुरादाबाद में या किसी अन्य जिले में जहाँ आयोग अपनी बैठकें आयोजित करें क्रमशः इन पदों के धारकों से है ।

3- नियमावली और कार्यविधि का संशोधन करने की शक्ति

आयोग को पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् किसीभी समय इस नियमावली को संशोधन करने की शक्ति है।

4. मुख्यालय :

आयोग का मुख्यालय इलाहाबाद में होगा।

5. बैठकों का स्थान, दिनाँक और समय

आयोग सामान्यतया अपनी बैठकें मुरादाबाद में आयोजित करेगा किन्तु यदि उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक हो, वह उत्तर प्रदेश में किसी अन्य स्थान पर बैठक आयोजित कर सकता है ।

§2§ आयोग में उपस्थित अथवा प्रतिनिधित्व करने वाले सभी पक्षकारों को स्थान, दिनाँक और समय की सूचना पर्याप्त समय से पूर्व दे दी जाएगी।

§3§ आयोग सामान्यतया अपनी बैठकें 10 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे अपरान्ह तक और 2 बजे अपरान्ह से 4 बजे अपरान्ह तक करेगा। यहरविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाशों के दिनों को छोड़ कर सभी दिनों कार्य करेगा ।

6. लिखित बयान और शपथ पत्र दाखिल करना:

§1§ आयोग अपनी नियुक्ति के पश्चात् यथाशक्ति शीघ्र-

§क§ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे उसकी राय में जांच में सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए, ऐसे मामलों से जो सूचना §नोटिस§ में विनिर्दिष्ट किये जायें संबंधित बयान आयोग को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करेगा।

§ख§ एक अधिसूचना जारी करेगा, जो उस रीति से प्रकाशित की जायेगी जैसी वह उचित समझे और जिसमें जांच की विषय-वस्तु से परिचित सभी व्यक्तियों से ऐसे विषयों के संबंध में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें एक बयान आयोग को प्रस्तुत करने का आवाहन किया किया जायेगा।

परन्तु यदि खण्ड §क§ और §ख§ में उल्लिखित बयान नियत समय के भीतर नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं, आयोग पर्याप्त कारण बताते हुए ऐसा करने के लिए समय बढ़ा सकता है।

§2§उपनियम §1§ के अधीन बयान हिन्दी, उर्दू या अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जासकता है किन्तु हिन्दी या उर्दू में प्रस्तुत किए जाने पर उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न किया जाय।

§3§उप नियम §1§ के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक बयान के साथ बयान में दिए गए तथ्यों के समर्थन में एक शपथ-पत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें बयान प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा शपथ ली गई हो। यदि बयान कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से या किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो xxxxx शपथ - पत्र पर उनके से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा शपथ ली जा सकती है।

§4§ उप नियम §3§ के अधीन प्रस्तुत शपथ-पत्र में तथ्यों के वे सभी कथन, जिनका अभिसाक्ष्य देने के लिए अभिसाक्षी सक्षम है, पृथक-पृथक पैरा में दिए जाने चाहिए। भ्रांति से बचने के लिए प्रत्येक घटना से संबंधित तथ्य एक ही स्थान पर अलग-अलग पैरा में बताए जाने चाहिए। भिन्न-भिन्न घटनाओं से संबंधित असदृश अभिकथनों के संबंध में बहुमुखी शपथ-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्ण सावधानी से बचना चाहिए। शपथ-पत्र सर्वथा उन्हीं गड़बड़ियों तक ही, जो 13 अगस्त, 1980 को प्रातः काल ईदुल-फितर की नमाज के समय हुई थी। और जिनके परिणाम स्वरूप उसी दिन अन्य घटनायें घटित हुई, सीमित होना चाहिए, जिसमें -

§क§ 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में घटित उक्त समस्त घटनायें §जिसमें हताहतों की संख्या भी सम्मिलित है§ के संबंध में तथ्यों और कारणों का अभिनिश्चय किया जा सके।

§ख§ स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की पर्याप्तता और औचित्य का आकलन किया जा सके,

§ग§ उक्त घटनाओं के संबंध में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों का उत्तरदायित्व अभिनिश्चित किया जा सके।

§5§ शपथ-पत्र का सत्यापन सम्, ग. रूप से नहीं होना चाहिए वरन् यह विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि कौन सा पैरा अभिसाक्षी के व्यक्तिगत ज्ञान से सत्य है और कौन सा पैरा उसके द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार सत्य है। प्राप्त सूचना की दशा में सूचना के स्रोत को भी प्रकट किया जाना चाहिए और यदि सूचना राज्य सरकार के किसी कर्मचारी से प्राप्त हुई हो और अभिसाक्षी उसका

नाम व प्रकट करना चाहता हो तो सत्यापन निम्नलिखित रूप से किया जाना चाहिए :-

"पैरा ---------- और ---------- में समाविष्ट कथन ---------- के कार्यालय (पत्रावली की शिनाख्त करने वाला कार्यालय) की शासकीय पत्रावली संख्या ---------- से प्राप्त किया गया है।"

§6§ प्रत्येक व्यक्ति/पक्ष आयोग के समक्ष उपस्थित या प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य पक्षकारों को दिए जाने हेतु अपने बयान और शपथ-पत्र के साथ उसकी उनकी सत्य प्रतिलिपियाँ भी प्रस्तुत करेगा जैसा कि आयोग द्वारा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय।

§7§ किसी व्यक्ति/पक्ष को जिसके हितों पर शपथ-पत्र से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसे स्थान पर और उतनी प्रतियों सहित जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपर्युक्त रीति से शपथ लिया हुआ प्रति - शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

§8§ किसी व्यक्ति/पक्ष को प्रत्युत्तर - शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा किन्तु आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार ऐसा किए जाने की अनुमति दी जा सकती है और यदि अनुमति प्रदान की जाती है तो प्रत्युत्तर शपथ - पत्र केवल ऐसे नए तथ्यों तक सीमित होना चाहिए जो प्रति शपथ - पत्र में उठाए गए हों।

(9) प्रत्युत्तर शपथ -पत्र दाखिल करने वाला व्यक्ति/पक्ष आयोग के समक्ष उपस्थित या प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य पक्षकारों को दिए जाने हेतु आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट संख्या में सत्य -प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेगा ।

(10) प्रत्येक शपथ-पत्र को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक अथवा ~~xxxxx~~ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 139 के अधीन नियुक्त ~~शपथ~~ आयुक्त द्वारा सत्यापित किया जायेगा और उसके समक्ष उस पर शपथ ली जायेगी।

(11) उप -नियम (1) के अधीन बयान प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति/पक्ष अपने बयान के साथ-साथ आयोगको, ऐसे दस्तावेजों, यदि कोई हों, की सूची प्रस्तुत करेगा, जिन पर वह विश्वास करता हो, और जहाँ कहीं व्यवहार्य हो आयोग को, उनमें से ऐसे दस्तावेजों की मूल प्रतियां अथवा सत्य - प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेगा जो उसके पास या उसके नियंत्रण में हों और उन व्यक्तियों के नाम और पते उल्लिखित करेगा जिनसे शेष दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हों। कागजात एक सूची के माध्यम से प्रस्तुत किए जायेंगे जैसा कि सिविल वादों में किया जाता है ।

(12) उपनियम(1) के अधीन बयान प्रस्तुत करने वाला ~~प्रत्येक~~ व्यक्ति/पक्ष वाद-प्रश्न के दिनांक को परीक्षण के लिए प्रस्तावित साक्षियों की एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात को निर्दिष्ट किया जायगा कि आयोग के समक्ष परीक्षण किए जाने पर प्रत्येक साक्षी किस बात को सिद्ध करेगा।

7- सामग्री का परीक्षण और विवाधकों की विरचना यदि आवश्यक हो:-

आयोग शपथ-पत्रों, प्रति शपथ-पत्रों, प्रत्युक्तर शपथ-पत्रों, यदि कोई हों, और नियम 6 के उप नियम (1) के अधीन उसे प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और तत्पश्चात् पक्षकारों को विवादास्पद विषयों की जिनके संबंध में साक्ष्य अभिलिखित किए जा सकते हैं पर्याप्त सूचना देने के लिए यदि आवश्यक हो, विवाधकों की विरचना करेगा।

8- साक्ष्य का अभिलेख :

(1) आयोग को प्रस्तुत सामग्री का परीक्षण और विवाधकों की विरचना करने के उपरान्त यदि आयोग साक्ष्य अभिलिखित करना आवश्यक समझता है तो, वह पक्षकारों और उनके कौंसिल से अपने साक्षियों की सूची में यथासम्भव काट-छांट करने के लिए कह सकता है और उस क्रम का विनिश्चय करेगा जिसमें पक्षकार उसके समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

(एक) वह किसी व्यक्ति का जिसने नियम 6 के उप नियम (1) के अधीन बयान प्रस्तुत किया हो और जिसके साक्ष्य को आयोग बयान का ध्यान रखते हुए जांच के प्रयोजन के लिए सुसंगत समझता हो, साक्ष्य अभिलिखित करेगा, और

(दो) किसी अन्य व्यक्ति का साक्ष्य अभिलिखित करेगा जिसका साक्ष्य आयोग की राय में जांच के लिए सुसंगत हो, परन्तु आयोग किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के प्रयोजनार्थ उपस्थित होने से मुक्ति प्रदान कर सकता है यदि उसकी राय में :-

(क) ऐसी उपस्थित उस व्यक्ति के लिए अत्यधिक कठिनाई या असुविधा उत्पन्न किए बिना लागू न

की जा सकती हो, या

§ख§ ऐसी उपस्थिति किसी अन्य पर्याप्त कारण वश जिसे उसके द्वारा अभिलिखित किया जाय अभिमुक्त की जानी चाहिए।

§2§ आयोग किसी ऐसे साक्षी को जिसका साक्ष्य वह अनावश्यक या असंगत समझता हो या, जिसका नाम, उसकी रायय में विलम्ब और चिढ़ाने के उद्देश्य से रखा गया हो बुलाने या उसकी परीक्षा करने से इंकार कर सकता है।

§3§ उप नियम §1§ के अधीन समस्त साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के पश्चात यदि राज्य सरकार या कोई व्यक्ति अथवा पक्ष आयोग से पहले परीक्षित किए जा चुके किसी साक्षी को पुनः बुलाए जाने या किसी नये साक्षी का परीक्षण करने के लिए आवेदन करता है तो, आयोग यदि उसका सामाधान हो जाता है कि किसी सुसंगत तथ्य के समुचित अवधारण हेतु ऐसा किया जाना आवश्यक है, ऐसे साक्षी को पुनः बुलाएगा या ऐसे नये साक्षी का परीक्षण करेगा।

9- साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने की रीति

§1§ किसी साक्षी को अपना साक्ष्य देने से पूर्व उसे शपथ अधिनियम के अधीन शपथ दिलाई जायगी।

§2§ यदि अभिसाक्षी का शपथ-पत्र युक्तियुक्त रूप से स्पष्ट और असंदिग्ध है तो उसका परीक्षण नहीं किया जायेगा जब तक कि आयोग न्याय के हित में यह आवश्यक न समझे कि उसे मौखिक साक्ष्य देना और उसका प्रति-परीक्षण करवाना चाहिए। उस दशा में उसके शपथ-पत्र को मुख्य परीक्षा के रूप में माना जायेगा किन्तु उसका परीक्षण करने वाला पक्ष आयोग की अनुमति से मुख्य परीक्षा में

कुछ अधिक प्रश्न पूछ सकता है और दूसरे ~~पक्ष~~ पक्ष को उसका प्रति परीक्षण करने का अधिकार होगा।

§3§ सिवाय उस पक्ष के जिसके लिए अभिसाक्षी अभिसाक्ष्य दे रहा हो, उसके अभिसाक्ष्य से प्रभावित होने वाले सभी पक्षों को प्रति-परीक्षण करने का अधिकार होगा किन्तु यह पूर्णतः आयोग के विवेकाधीन होगा कि वह कोई ऐसा प्रश्न पूछे जाने की अनुमति न दे जो उसकी राय में अनावश्यक, असंगत या अन्यथा आपत्तिजनक हो ।

§4§ कोई पक्ष आयोग की अनुमति से संदिग्धता, यदि कोई हो, के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से अपने साक्षी का पुनः परीक्षण कर सकता है

§5§ आयोग किसी साक्षी से किसी भी समय कोई भी प्रश्न कर सकता है या अग्रतर परीक्षण के लिए किसी साक्षी को दुबारा बुला सकता है।

§6§ आयोग की भाषा अंग्रेजी होगी। साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्यआयोग द्वारा अपने निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक या टंकक को बोलकर लिखाया जायेगा और वह उसे अंग्रेजी में टंकित करेगा।

§7§ साक्षी को उसका साक्ष्य उसे पढ़ कर सुनाए जाने, अनूदित किए जाने और उसे स्पष्ट किये जाने का अधिकार होगा और ~~xxxxx~~ वह उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान

लगाएगा ।

10 अनुश्रुत साक्ष्य की ग्राह्यता :

(1) आयोग के समक्ष जांच के प्रति साक्ष्य अधिनियम उसी रूप में लागू नहीं होता है किन्तु उसके सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं ।

(2) साधारणतया अनुश्रुत साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जायेगी। किन्तु पक्षकारों की सहमति से या आयोग के आदेश द्वारा इसकी अनुज्ञा दी जा सकती है ।

11- दस्तावेजों के सबूत का ढंग

(1) शव परीक्षा रिपोर्टों, आघात रिपोर्टों, पुलिस को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्टों पुलिस थानों की जेनरल डायरियों की प्रविष्टियों, चाहे मूल रूप में हों या उसकी प्रमाणित प्रतियां हों और रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज या उनकी प्रमाणित प्रतियां, औपचारिक सबूत के बिना ही साक्ष्य में स्वीकार्य होंगी।

(2) अन्य दस्तावेजों को पक्षकारों की सहमति से सबूत के बिना स्वीकार किया जा सकता है ।

(3) यदि कोई पक्ष ऐसा चाहता है और आयोग इसकी अनुमति प्रदान करता है या आयोग स्वयं ऐसा चाहता है तो आयोग उप नियम (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को भी सिद्ध किए जाने की अपेक्षा कर सकता है।

(4) उप नियम (1) तथा (2) में उल्लिखित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेज केवल सिद्ध होने पर साक्ष्य में स्वीकार्य होंगे ।

12. दस्तावेजों का निरीक्षण :

§1§ पक्षकार या उनके कौंसिल उन मूल पत्रावलियों का जिनकी प्रतिलिपियां आयुक्त के कार्यालय में पहले ही दाखिल की जा चुकी हैं निरीक्षण करने और आयोग के सचिव की अनुमति से और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन जो आरोपित किये जायं, उनसे टिप्पणी लेने के हकदार होंगे ।

§2§ यदि राज्य सरकार को पत्रावली के किसी भाग का निरीक्षण किए जाने पर कोई आपत्ति हो तो उक्त भाग एक मुहरबन्द लिफाफे में रखा जायेगा और सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि किसी विशेष दस्तावेज का निरीक्षण करने की अनुमति क्यों न दी जाय, जिस पर आयोग यह निर्णय करेगा कि उस दस्तावेज के निरीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा नहीं ।

13- आयोग की बैठकों की रीति

आयोग सामान्यतया अपनी बैठकें सार्वजनिक रूप से करेगा, किन्तु यदि वह देखे कि मामले में कलंकात्मक बातें या सुरक्षा के मामले या ऐसी बातें सनिन्हित हैं जिनसे ऐसी जन-भावना भड़कने की संभावना है जिससे वातावरण दूषित हो जाय और शांति भंग की युक्ति युक्त आशंका उत्पन्न हो जाय, या कोई अन्य ठोस कारण विद्यमान हो, तो आयोग यह निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा कि कार्यवाहियां बन्द कमरे में आयोजित की जायेंगी और उस दशा में आयोग को प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार होगा ।

14. समन जारी करना और उनकी तामील

§1§ आयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयोग के समक्ष

उपस्थिति या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है, समन जारी कर सकता है ।

§ 2§ आयोग द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन दो प्रतियों में होगा और उस पर सचिव द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे आयोग इस हेतु सशक्त करे, हस्ताक्षर किये जायेंगे। इसे आयोग की मुहर द्वारा मुद्रांकित किया जायेगा और उस पर वह दिनाँक, समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा जहाँ आहूत व्यक्ति को उपस्थिति होना है और यहभी विर्दिष्ट होगा कि उसकी उपस्थिति साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के प्रयोजन से अथवा दोनों ही प्रयाजनों के लिए अपेक्षित है ।

§3§ किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए आहूत किए गए बिना भी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आहूत किया जा सकता है और केवल दस्तावेजे प्रस्तुत करने के लिए आहूत किसी व्यक्ति के द्वारा समन का अनुपालन हुआ समझा जायेगा, यदि वह दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए स्वयं उपस्थित होने के बजाय प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करा दें ।

§4§ प्रत्येक समन उस व्यक्ति को जिसके लिए वह अभिप्रेत है रजिस्टर्ड डाक से भेज कर या किसी अन्य रीति से जैसा कि आयोग निदेश दे, तामील किया जायेगा ।

§5§ उप नियम §1§ से §4§ तक के उपबन्ध, यथा संभव, आयोग द्वारा जारी की गई प्रत्येक अन्य प्रक्रिया पर लागू होंगे ।

15- स्थानीय निरीक्षण की शक्ति

आयोग को उसके विचारार्थ विषय के अन्तर्गत आने वाले किसी विषय में या तो स्वयं या अपने द्वारा विधिवत प्राधिकृत, किसी व्यक्ति के माध्यम से, स्थानीय निरीक्षण अथवा अन्वेषण करने के लिए

सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

16. नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत

आयोग को किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसके लिए इस नियमावली में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, अपनी कार्याविधि को विनियमित करने की शक्ति होगी। तथापित, कार्याविधि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत द्वारा विनियमित होगी ।

17- आहार व्यय

§1§ आयोग के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आहूत व्यक्ति को यात्रा-व्यय तथा अन्य खर्चों का भुगतान किया जाएगा।

§2§ यात्रा व्यय और अन्य खर्चों की दर वही होगी जैसा कि साधारणतया सिविल न्यायालय द्वारा आहूत किसी साक्षी को देय है ।

18. बहस

साक्ष्य पूर्ण होने पर प्रत्येक पक्ष को आयोग के समक्ष अपने वाद के संबंध में बहस करने का अधिकार होगा। बहस का अनुक्रम साधारणतः वही होगा जैसा कि साक्ष्य देने के लिए है किन्तु बहस प्रारम्भ करने वाले पक्ष को उत्तर देने का अधिकार होगा।

19. विधि-व्यवसायियों द्वारा प्रतिनिधित्व

प्रत्येक व्यक्ति या पक्ष को अपनी पसन्द का विधि व्यवसायी नियुक्त करने का अधिकार होगा, परन्तु यह कि विधि व्यवसायी इस आशय की शक्ति प्रस्तुत करें ।

20. प्रतिवेदन §रिपोर्ट§ तैयार करना

आयोग अपना प्रतिवेदन §रिपोर्ट§ तैयार करेगा और सीधे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

21. §1§ आयोग का प्रतिवेदन एक गोपनीय दस्तावेज होगा और उसकी कोई प्रति किसी भी व्यक्ति या पक्ष को नहीं दी जायेगी।

§2§ अन्य दस्तावेजों और साक्षियों के अभिसाक्ष्यों की प्रतियाँ उन्हीं दरों पर शुल्क का भुगतान करने पर जो सिविल न्यायालय में दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए निर्धारित हैं, किसी व्यक्ति या पक्ष को दी जायेगी।

22. अभिलेखों का प्रतिधारण

आयोग के सचिवालय, उसके अधिष्ठान और आयोग द्वारा या इसमें निबटाए जाने वाले अन्य सभी मामलों, जिनमें आयोग के समक्ष दिए गए साक्ष्य भी सम्मिलित हैं, से संबंधित सभी पत्रादि आयोग द्वारा अविकल रूप से परिरक्षित रखे जाएंगे और अपने प्रतिवेदन के साथ ही साथ राज्य सरकार को या किसी ऐसे अन्य कार्यालय या अधिष्ठान को जैसा कि सरकार निदेश दे, भेज दिए जायेंगे।

आयोग के आदेश से,

हस्ताक्षरित- वी. एन. सिंह,
§ वी. एन. सिंह§
एच. जे. एस.
सचिव।

संलग्नक "चार"

आदेश

इस आयोग द्वारा बनाये गये नियम 8 में निर्धारित किया गया है कि यदि आयोग साक्ष्य अभिलिखित करना आवश्यक समझे तो वह पक्षों और उनके काउन्सल को अपने साक्षियों की सूचियों को यथा संभव सिद्ध करने के लिए बुला सकता है और वह उस क्रम का विनिश्चय करेगा जिसमें पक्षकार उसके समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अतएव दिनांक 5-4-82 को विवाद-विषयों को अंतिम रूप दिए जाने और मौखिक साक्ष्यों को अभिलिखित करना आवश्यक समझे जाने के पश्चात, उस क्रम के संबंध में जिसमें पक्षकारों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए उनके विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना गया।

प्रशासन के और साथ ही परिषद और हिन्दुओं के विद्वान काउन्सिलों ने तर्क प्रस्तुत किया कि मुसलमानों को जिनके ऊपर अधिकांश विवाद-विषयों को सिद्ध करने का भार है, पहले साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। खान अब्दुल वदूद और अन्य मुसलमानों के विद्वान काउन्सिल ने तर्क दिया कि प्रशासन को जिसे अपनी कार्यवाही को न्यायोचित और उपयुक्त सिद्ध करना है, पहले साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। इसके समर्थन में उन्होंने कुछ बातों पर जोर दिया जिन पर इस समय विचार किया जायेगा।

मैंने संपूर्ण विवाद पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है और मैं इनमें से किसी भी पक्ष के दृष्टिकोण को पूर्णतया मानने में असमर्थ हूँ। यह प्रश्न कि साक्ष्य में पहल कौन करे, जाँच की प्रकृति और उसके

उद्देश्य के संदर्भ में निर्णीत किया जाना चाहिए जैसा कि खान अब्दुल वदद और दूसरे अन्य मुसलमानों के काउन्सेल द्वारा तर्क दिया गया है, किसी जांच आयोग की नियुक्ति सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित विषय में जांच करने के उद्देश्य से की जाती है। आयोग किसी व्यक्ति विशेष के दोषी या निर्दोष होने का निर्धारण करने के लिए नहीं गठित किये जाते हैं। शासन द्वारा आयोगों की नियुक्ति ऐसी सामग्री एकत्रित करने की दृष्टि से की जाती है जो आवश्यक विधायी या प्रशासनिक उपायों के निर्णय लेने में उसकी सहायता करे।

रामकृष्ण डालमिया बनाम न्यायमूर्ति एस. आर. तेन्दुलकर तथा अन्य (ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 279-295) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है :-

> "हमारे विचार से किसी जांच आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए यह विनिश्चय करने के लिए बहुत महत्व की होती है कि व्याप्त बुराइयों को निर्मूल करने अथवा उसके दृष्टिकोण से कल्याणकारी उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए कौन से वैधानिक अथवा प्रशासनिक उपाय अपनाये जायें।"

पुनः पी. वी. जगन्नाथ राव तथा अन्य बनाम उड़ीसा राज्य (ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 215) में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी।

" अधिनियम की धारा-3 के अधीन नियुक्त आयोग द्वारा की जाने वाली जांच का उद्देश्य राज्य में राजनैतिक

प्रशासन की शुद्धता और सत्यनिष्ठा बनाये रखने के लिए समुपयुक्त वैधानिक अथवा प्रशासनिक उपाय करना था।"

अतः जाँच का प्रयोजन ऐसी सामग्री एकत्रित करना है जिससे सरकार को आवश्यक विधायी या प्रशासनिक उपाय करने का निर्णय लेने में सहायता मिले।

खान अब्दुल वदद और अन्य मुसलमानों के विद्वान काउन्सेल ने कुछ बिन्दुओं के आलोक में जोरदार ढंग से तर्क प्रस्तुत किया कि प्रशासन को, सभी बिन्दुओं पर साक्ष्य देने के लिए पहले बुलाया जाना चाहिए। सर्व प्रथम उन्होने जाँच के प्रयोजन का उल्लेख किया है और यह कहा है कि जाँच तभी प्रारंभ की जाती है जब सार्वजनिक महत्व का कोई निश्चित विषय हो। उनके अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गयी कार्यवाही का औचित्य और पर्याप्तता ही सार्वजनिक महत्व का मामला है। मेरे विचार में यह बात केवल आंशिक रूप से सही है। जाँच आयोग अधिनियम में पद "सार्वजनिक महत्व का निश्चित मामला" परिभाषित नहीं है। फिर भी इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान मामला जिसमें अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी निश्चित रूप से सार्वजनिक महत्व का मामला था और अधिनियम की धारा-3 के अधीन जाँचआयोग की नियुक्ति की जा सकती थी। यहाँ इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसको साक्ष्य देने के लिए पहले आना चाहिए।

दूसरे मेरा ध्यान विचारार्थ निबन्धनों की ओर आकर्षित किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि वे इस अर्थ में एक

दूसरे से संबंधित हैं कि यदि निबंधन सं0-2 का उत्तर सकारात्मक या नकारात्मक रूप में दे दिया जाता है तो निबंधन सं0-1 के गुण-दोष का विवेचन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके लिए विचारार्थ विषय के प्रथम दो निबंधनों को उद्धृत करना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :-

§1§ 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में घटित सभी उक्त घटनाओं §हताहतों की संख्या को सम्मिलित करके§ से संबंधित तथ्यों और कारणों को अभिनिश्चित करना ।

§2§ स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही की न्यायोचितता और पर्याप्तता निर्धारित करना ।

स्पष्टतः शासन ने इस आयोग को, विचारार्थ दोनो विषयों का स्पष्ट उत्तर देने के लिए नियुक्त किया है ताकि वह यह निश्चय कर सके कि क्या कोई प्रशासनिक या वैधानिक उपाय करना आवश्यक है। दोनों विचारार्थ-विषय इस अर्थ में एक दूसरे संबंधित नहीं है कि यदि निबंधन सं0-2 का सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर दे दियागया है तो निबंधन सं0। के गुण दोषों की विवेचना करना आवश्यक नहीं होगा। मेरे विचार में यह तब भी आवश्यकहोगा क्योंकि सरकार इस संबंध में में अपने विचारों को सुनिश्चित करना चाहेगी कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उसे कौन सी प्रशासनिक या वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिए। निबंधन सं0 2 का उत्तर चाहे सकारात्मक दिया गया हो या नकारात्मक फिर भी

आयोग के लिए यह निश्चित करना आवश्यक होगा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए कौन से तथ्य व कारण उत्तरदायी थे ताकि इनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। निबंधन संख्या 2 का उत्तर केवल इस सीमा तक सुसंगत होगा कि यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति उत्तरदायी पाया जाय तो उसे दण्डित किया जाय और यदि उत्तरदायी न पाया जाय तो उसके ऊपर कोई भी दायित्व न ठहराया जाय। दोनों ही दशाओं में सरकार यह जानना चाहेगी कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए कौन से तथ्य व कारण उत्तरदायी थे और इस प्रयोजन के लिए इस आयोग को निबंधन संख्या-1 के संबंध में भी निर्णय करना होगा।

मेरे समक्ष दूसरा तर्क यह रखा गया है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों में सबूत के भार का सिद्धांत लागू नहीं होता है और विवाधकों की संख्या या प्रकार को इस बात के लिए निर्णय का मानदण्ड नहीं बनाया जाना चाहिए कि साक्ष्य देने में किसको पहल करनी चाहिए। यह सत्य है कि कोई भी संहिता या साक्ष्य अधिनियम ऐसा नहीं है जो आयोग की कार्यवाहियों में यथावत् लागू होता हो, किन्तु स्वाभाविक न्याय और निष्पक्षता के हित में इसके व्यापक सिद्धांतों का प्रयोग किये जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी विवाधक को विरचित किये जाने का उद्देश्य ही संपूर्ण विवाद को सीमित दायरे में लाना और पक्षकारों का ध्यान उन विशिष्ट प्रश्नों पर केन्द्रित करना है जिनका विनिश्चय किया जाना है ताकि वह प्रत्यक्षतः उन्हीं प्रश्नों पर साक्ष्य दे सके। विवाधकों से न्यायालय

न्यायाधिकरण या आयोग को यह जानने में सहायता मिलती है कि किस पक्ष को, किन तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी है तथा उससे किन बिन्दुओं पर पहले साक्ष्य देने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

जैसा कि मेरे पूर्वगामी आदेश में कहा गया है कि यह एक तथ्य की खोज करने वाली जाँच है जिसमें 23 विवाधकों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सामान्य विधि के अनुसार प्रारंभ करने का अधिकार एक बड़ी सीमा तक सबूत के भार द्वारा निर्धारित किया जाता है यह नियम :

के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात सबूत का भार उस पक्ष पर होता है जो प्राख्यान करता है न कि उस पर जो प्रत्याख्यान करता है। इस नियम के पीछे एक कारण तो यह है कि जो पक्ष किसी तथ्य का प्राख्यान करता है उसे ही उसको सिद्ध करना चाहिए और दूसरे यह कि सकारात्मक तथ्य की तुलना में नकारात्मक तथ्य की पुष्टि करना अधिक कठिन है। यहनिर्णय करने के लिए कि कौन पक्ष सकारात्मक प्राख्यान करता है, विवाधकों की विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यदपि इन कार्यवाहियों पर साक्ष्य अधिनियम यथावत् लागू नहीं होता है फिर भी इस अधिनियम की धारा 101 और 103 के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। इन धाराओं में यह उपबन्ध है कि जो व्यक्ति किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण से किसी विशेष तथ्य या किसी समुच्चय की विद्यमानता का विश्वास करने का अनुरोध करता है, उसे ही सिद्ध करना होगा कि उस तथ्य या तथ्यों का समुच्चय वस्तुतः विद्यमान है। इस मामले में विरचित 23 विवाद विषयों में से विवाधक सं0-2

पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि सभी पक्ष उन स्थानों के विषय में सहमत हैं जहाँ दिनाँक 13-8-1980 को घटनाएं हुई थीं ।

विवाद विषय संख्या 23 निष्कर्षात्मक प्रकार का है जिसका उत्तर अन्य विवाद विषयों के निष्कर्ष के आलोक में दिया जायेगा। 15 विवाद विषयों अर्थात विवाद विषय संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 और 18 को सिद्ध करने का भार अंशतः खान अब्दुल वदूद पर और संपूर्णतः अन्य मुसलमान पक्षकारों पर आता है। यह विवाद विषय केवल कारणों से ही संबंधित नहीं है अपितु दूसरे विषयों से भी संबंधित है जैसे शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य लोगों द्वारा किये गये षडयंत्र, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा नमाजियों की भीड़ में सुअर खदेड़ने के लिए गुप्त बैठकें किया जाना तथा अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कहे गये कतिपय अभिकथित कथन आदि। ऐसा माना जायेगा कि उन्हें तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी है और उसे प्रकट करने के लिए उन्हें पहले आना चाहिए।

केवल छः विवाद विषयों अर्थात 9, 10, 150, 19, 20 और 21 और अंशतः विवाद विषय सं0 1 को सिद्ध करने का भार प्रशासन पर आता है। प्रथम दृष्टया गोली चलाने को न्यायोचित ठहराने के लिए सभी सुसंगत तथ्यों की जानकारी, गोली चलाने की घटना में सम्मिलित अधिकारियों को रही होगी और उन्हें होनी भी चाहिए अतः उन्हें इस पर साक्ष्य देने में पहल करनी चाहिए। एस. के. सागर बनाम पी. सी. कार्णिक व अन्य (ए. आई. आर. 1983 बम्बई, 171) के मामले में यही सिद्धांत निर्धारित किया गया है। इन परिस्थितियों में निष्पक्षता के सिद्धांत यह अपेक्षा करते हैं कि उपरिकथित 15 विवाद विषयों में मुस्लिम वर्ग तथा खान अब्दुल वदूद को पहले साक्ष्य देना चाहिए ताकि प्रशासन को उसके विरुद्ध

लगाये गये आरोपों का प्रतिवाद करने का अवसर मिल सके। वे विवाद विषय संख्या 9, 10, 15, 19, 20, तथा 21 पर अपना साक्ष्य और प्रशासन द्वारा संपूर्ण साक्ष्य दे चुकने के बाद साक्ष्य दे सकते हैं। सुरक्षित रख सकते हैं। यदि प्रशासन से सभी वाद विषयों पर पहले साक्ष्य देने की अपेक्षा की जाती है तो यह नैसर्गिक न्याय के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध और उनके प्रतिकूल होगा क्योंकि उनसे उन तथ्यों का साक्ष्य भी देने की अपेक्षा की जायेगी जिनके बारे में उनको व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और जिनके बारे में वह केवल नकारात्मक साक्ष्य दे सकते हैं, अतएव यह न्यायसंगत और उचित है कि उपर्युक्त 15 वाद विषयों पर खान अब्दुल वदूद और अन्य मुसलमानों को पहले साक्ष्य देना चाहिए और वाद विषय संख्या 9, 10, 15, 19, 20 और 21 पर अपना साक्ष्य रोक रखना चाहिए जो प्रशासन द्वारा अपना सम्पूर्ण साक्ष्य देने के बाद दिया जा सकता है। यह सिद्धांत नया नहीं है और यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 18 के नियम-1 और 3 में दिया गया है। यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता इस रूप में इन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती है तो भी न्याय के उद्देश्य से और न्याय-व्यवहार के हित में इसके व्यापक सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। अपनी प्रक्रिया को विनियमीत करने के लिए आयोग के पास अत्यन्त व्यापक शक्तियाँ हैं। इसमें जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और न्याय व्यवहार के अनुकूल हो और नियमों में विहित प्रक्रिया के प्रतिकूल न हो। नियमों में ऐसी कोई बात नहीं है जो इसे रोक सके। आदेश संख्या 18 के नियम 1 और 3 का सार यह है

कि सामान्य नियम के रूप में जिस पक्ष पर सबूत प्रस्तुत करने का भार हो उसे ही प्रारम्भ करना चाहिए। जहाँ कई वाद विषय हों और उनमें से कुछ को साबित करने का भार दूसरे पक्ष पर हो तो शुरूआत करने वाला पक्ष अपने विकल्प पर या तो उन वाद विषयों पर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे या दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के उत्तर के रूप में इसे रोक रखे और दूसरे मामले में शुरूआत करने वाला पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा अपने सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर देने के बाद उन वाद विषयों पर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें और तब दूसरा पक्ष शुरूआत करने वाले पक्ष द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर विशेष रूप से उत्तर दे। मैं इस विचार को ध्यान में रखते हुए भी ये दिये गये क्रम में साक्ष्य अभिलिखित करने का निश्चय करता हूँ :-

पहले खान अब्दुल वदूद और अन्य मुस्लिम पक्षकार वाद विषय संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 और 21 पर अपना साक्ष्य सुरक्षित रखेंगे और प्रशासन द्वारा अपना सम्पूर्ण साक्ष्य देने के बाद साक्ष्य देंगे। वे आवश्यक में यह निश्चित कर सकते हैं कि वे ऐसा किस क्रम में करेंगे, ऐसा न करने पर उनका साक्ष्य नीचे दिये गये क्रम में अभिलिखित किया जायेगा।

(1) डा० कमाल काहिम, इमाम शहर और उनके साक्षीगण।

(2) श्री मुख्तार अहमद, एडवोकेट, अध्यक्ष, नागरिक परिषद और उनके साक्षीगण।

(3) डा० शमीम अहमद खाँ, अध्यक्ष, मुस्लिम लीग और

उनके साक्षीगण ।

(4) श्री हुमायूँ काद्दिर और उनके साक्षीगण

(5) श्री खान अब्दुल वहूद और उनके साक्षीगण

(6) श्री अहीबुल रहमान और उनके साक्षीगण

(7) श्री हाफिज अलीजान और उनके साक्षीगण

(8) डा० हामिद हसन खाँ और उनके साक्षीगण ।

जब वे उपुर्यक्त 15 वाद विषयों पर साक्ष्य दे चुकेंगे तब हिन्दू सभी वाद विषयों पर अपना साक्ष्य देंगे। वे आगत में यह भी विनिश्चित करेंगे कि वे यह किस क्रम में करेंगे, ऐसा न करने पर निम्नलिखित क्रम रहेगा :-

(1) श्री हरिओम शरण और उनके साक्षीगण

(2) श्री हर किशन दास प्रधान, जनता सेवक समाज और उनके साक्षीगण

(3) श्री विनोद गुप्त, जिन्होंने स्व० श्री दयानन्द गुप्ता द्वारा दाखिल किये गये लिखित बयान को अंगीकार किया है और उनके साक्षीगण ।

(4) श्री सन्तोष सरन और उनके साक्षीगण

(5) श्री हंसराज गुप्ता और उनके साक्षीगण

(6) श्री वीरेन्द्र पाल सिंह और उनके साक्षीगण

(7) श्री हंसराज चौधड़ा और उनके साक्षीगण ।

उसके बाद प्रशासन यह विनिश्चित करेगा कि क्या अधिकारी और कर्मचारी आदि संयुक्त रूप से साक्ष्य देंगे, यदि नहीं तो वह ऐसा किस क्रम में कहेंगे, ऐसा न करने पर उनके बयान नीचे दिये गये क्रम में अभिलिखित किये जायेंगे :-

।1। श्री एस.बी.आर्य, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद और उनके साक्षीगण

।2। श्री वी.एन. सिंह और उनके साक्षीगण

।3। श्री ए.के. मिश्रा और उनके साक्षीगण

।4। श्री बी.बी. दास और उनके साक्षीगण

।5। श्री आर.एस. सिंह और उनके साक्षीगण

।6। श्री जी.बी. सिंह और उनके साक्षीगण

।7। श्री त्रिलोक चन्द्र और उनके साक्षीगण

।8। श्री बी.बी. लाल और उनके साक्षीगण

।9। श्री आर.एस. अग्रवाल और उनके साक्षी गण

।10। श्री आर.एस. अग्रवाल और उनके साक्षीगण

।11। श्री के.एम. पाण्डेय और उनके साक्षी गण

।12। श्री डी.बी. सिंह और उनके साक्षी गण

।13। श्री जगदीश सिंह और उनके साक्षी गण ।

ऐसा करने के बाद खान अब्दुल वहूद और अन्य मुस्लिम पक्षकार खंडन करने के लिए केवल बाद विषय संख्या 9, 10, 15, 19, 20 और 21 पर उसी क्रम में साक्ष्य देंगे जिस क्रम में पहले साक्ष्य दिया गया है । जब तक कि दोनों पक्ष आपस में अन्यथा विनिश्चित नहीं करें। साक्षियों का प्रति परीक्षण भी उसी क्रम में किया जायेगा यदि खंडन करने के साक्ष्य में मुसलमानों या खान अब्दुल वहूद द्वारा कोई नया तथ्य रखा जाता है तो प्रशासन आयोग की अनुमति से

केवल उसी तथ्य के संबंध में साक्ष्य देने का हकदार होगा ।

8.4.1982

ह0/ एम.बी.सक्सेना,
अध्यक्ष,
क्षेत्र मुरादाबाद ।

अनुलग्नक " बाँच "

निरीक्षण टिप्पणी

पक्षों के अनुसार दिनाँक 13.8.1980 को निम्नलिखित 13 स्थानों पर घटनाएँ हुई थी :-

1. ईदगाह,
2. बरफखाना,
3. पुलिस चौकी गलशहीद
4. पुलिस चौकी कैन्टमेंट,
5. चौराहा तहसीली स्कूल
6. चौराहा नागफनी,
7. मोहल्ला नवाबपुरा
8. मोहल्ला कितरौल
9. कोतवाली
10. गंज बाजार
11. मोहल्ला बरवाला
12. दौलत बाग
13. कम्बल का ताजिया ।

वाद विषय तैयार करते समय पक्षों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि ताजिया के उचित मूल्यांकन के लिए ताजिया समाप्त हो जाने के उपरान्त उपर्युक्त स्थानों का निरीक्षण किया जाय। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और दिनाँक 4.5.1982 ताजिया के अभिलेखन के लिए नियत किया गया। इस दिनाँक के पूर्व ही समस्त मुस्लिम वर्ग कार्यवाहियों में भाग लेने से अलग हो गया तथा पित ताजिया का

अभिलेखन नियत दिनाँक को आरम्भ किया गया, नागरिक परिषद, भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिन्दू पक्षकारों ने 77 साक्षियों का परीक्षण किया और दिनाँक 28-4-83 तक प्रशासन के 53 साक्षियों के बयान अभिलिखित किये गये और 54 वें साक्षी का बयान आरम्भ हो गया था। उसके बाद शेष××के××के××प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिए केवल दो और साक्षी शेष रह गये थे। क्योंकि अधिकांश साक्ष्य अभिलिखित किये जा चुके थे अतएव मैंने नागरिक परिषद, भारतीय जनता पार्टी, हिन्दुओं और प्रशासन के विद्वान काउन्सल की सहमति से उपयुक्त स्थानों का निरीक्षण प्रारम्भ करने का निश्चय किया ताकि रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब न हो। इस आशय का एक आदेश 29-4-1983 को दिया गया था और दिनाँक 30-4-1983 निरीक्षण के लिए नियत किया गया था। निरीक्षण किये जाने वाले स्थानों और निरीक्षण के समय के बारे में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक (नगर तथा देहात) के साथ, क्योंकि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक छुट्टी पर थे, विचार विमर्श किया गया ताकि निरीक्षण के समय उपयुक्त सुरक्षा उपाय किये जा सकें। 30-4-1983 को पूर्वान्ह 5 बजे मैंने पक्षकारों के विद्वान काउन्सल, उनके मुवक्किलों और वरिष्ठ पुलिस तथा कार्यकारी अधिकारियों के साथ निरीक्षण गृह से प्रस्थान किया। यह समय इसलिए चुना गया था क्योंकि गंज बाजार और कोतवाली के क्षेत्र जिनका मैं निरीक्षण करना चाहता था, अत्यन्त घने बसे हैं और भीड़ से बचना उचित समझा गया था। मैं अपने साथ इन स्थानों के नक्शे, जो अवर अभियन्ताओं द्वारा तैयार

किये गये थे, तत्वावन के लिए ले गया था ।

गंज बाजार और नीम की प्याऊ

सर्वप्रथम हम नीम की प्याऊ गये और गंज बाजार से जो एक अत्यन्त घनी बस्ती है, होकर गुजरे, प्याऊ के निकट एक तिराहा है और इसके दक्षिण में अन्ना तन्त की दुकान है । इस स्थान से एक सड़क उत्तर की ओर कच्चा बाग को जाती है । जो एक मुस्लिम बहुल बस्ती है और दूसरी सड़क दक्षिण की ओर जाती है जहाँ हिन्दू रहते है। तीसरी सड़क लाल मस्जिद को जाती है। गंज बाजर से आने वाली सड़क कोतवाली को और इसके आगे चली जाती है। प्रदर्श सी/डब्लू-46।268। अवर अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया इस बस्ती का नक्शा है। यह स्थान के अनुरूप है इस और इसमें सभी प्रमुख स्थान दिखाये गये है।

कोतवाली ।

इसके बाद हम कोतवाली पहुँचे। इसकी चहारदीवारी सड़क के किनारे है और तब इसका सहन है। सहन के बाद मुख्य भवन है जिसका फाटक लोहे का है। इस स्थान पर हुई घटना के संबंध में जिन साक्षियों का परीक्षण किया गया, उन्होने बताया है कि पूरे सहने में और कोतवाली के सामने वाली सड़क पर मुसलमान दंगाइयों द्वारा फेंके गये ईंटों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कोतवाली के सामने वाली बस्ती भी मुस्लिम बहुल बस्ती है। कोतवाली के परिसर में परिवारों के क्वार्टरों के और इसके पीछे सदर अस्पताल स्थित है। कोतवाली के सामने से एक सड़क सराय शेख महमूद, जो एक मुस्लिम बस्ती है को जाती है। प्रदर्श सी/डब्लू-45।265।

इसका नक्शा है और मैंने इसे सही पाया ।

पुलिस थाना गलशहीद

कोतवाली से हम पुलिस थाना गलशहीद गये जो 13.8.1980 को एक पुलिस चौकी मात्र थी। ईद के दिन दंगाइयों ने इस पुलिस थाने के समस्तपुराने भवन और इसके परिसर में स्थित पारिवारिक क्वार्टरों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था या उनमें आग लगा दी थी। आजकल उसके स्थान पर एक नया भवन स्थित है और इसका दरवाजा पश्चिम की ओर ईदगाह से मंडी चौक जाने वाली सड़क पर खुलता है। इस मकान के दक्षिण पश्चिम छोर के निकट एक चौराहा है जिसे "गलशहीद चौराहा" कहा जाता है। इस चौराहे से एक सड़क पूर्व में इन्दिरा चौक को जाती है और दूसरी सड़क पश्चिम की ओर जाती है जहाँ अदालतपुरा है। कास्टेबिल परसादी लाल का शव इस सड़क पर मुख्य ईदगाह सड़क से लगभग 10 कदम की दूरी पर पाया गया था। इस पुलिस थाने के उत्तर में लगभग 40 या 50 गज की दूरी पर श्री प्रहलाद किशोर खन्ना का मकान है जहाँ उस दिन पुलिस कर्मचारियों ने कुछ हिन्दू परिवारों को शरण दी थी। प्रदर्श सी/डब्लू-461269। इस स्थान का नक्शा है जो इस स्थल के अनुरूप है ।

बरकखाना

पुलिस थाना गलशहीद से हम ईदगाह की ओर चल गये और लगभग 100 गज जाने के बाद बरकखाना चौराहा पहुँचे ।

इस चौराहे से एक सड़क पश्चिम की ओर भूरा का चौराहा को जाती है और एक अन्य सड़क पूर्व की ओर जाती है जहाँ इन्दिरा चौक है। भूरा का चौराहा से लेकर इंदिरा चौक तक की पूरी सड़क प्रिंस रोड के रूप में जानी जाती है। इस सड़क के जो भूरा का चौराहा को जाती है, उत्तर -पूर्वी कोने पर कुम्हारों के कुछ क्वार्टरों है। इन क्वार्टरों के सामने कांस्टेबिल भगवानन्द, कांस्टेबिल हरि दत्त पन्त और कांस्टेबिल धीरेन्द्र सिंह के शव पाये गये थे। अभिकथित है कि घटना के समय श्री डी.पी. सिंह एस.एच.ओ. मुगलपुरा, भूरा का चौराहा की ओर से आये और गोलियाँ चलाकर दंगा पर उतारू भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

बरकखाना चौराहे से लगभग 100 गज की दूरी पर ईदगाह मार्ग के पूर्व में एच.एस.बी. विद्यालय स्थित है। प्रदर्श ती/अब्लू-451264। है इस बस्ती का नक्शा है और यह सही पाया गया।

ईदगाह

बरकखाना चौराहे से हम ईदगाह की ओर बढ़े और एक नाला देखा जो सड़क के पूर्व की ओर उत्तर से दक्षिण को बहता है। मुसलमानों के अनुसार एक सुअर इस नाला की ओर से आया था और उसने जब शहर इमाम द्वारा खुतबा पढ़ा जा रहा था कुछ नमाजियों के कपड़े पन्दे कर दिये थे। नाला काफी चौड़ा और गहरा है। मेरे निरीक्षण के समय उसमें पर्याप्त जल प्रवाहित हो रहा था। एक सुअर द्वारा इसे पार कर पाने की संभावनाएं बहुत कम हैं।

एच.एस.बी. स्कूल से कुछ दूरी पर पश्चिम की ओर एक शाखा सड़क निकलती है जो आवास विकास को जाती है। इस सड़क के उत्तर -पश्चिमी की ओर कुछ भूमि खाली पड़ी है जो एक मन्दिर के निर्माण के लिए निर्धारित है। इस की चारदीवारी मनुष्य की ऊँचाई के बराबर है। यद्यपि यह स्थान-स्थान पर टूटी है फिर भी एक तुरंत के लिए उस पर चढ़ पाना कठिन है। इस सड़क के दक्षिण पश्चिमी कोने पर एक टाल ।जलाने वाली लकड़ियों की दुकान । है। कहा जाता है कि ईदगाह मार्ग पर इसी टाल के सामने मुस्लिम लीग का शिविर लगा था। उसी स्थान से एक मार्ग भूरा का चौराहा की ओर जाता है। इसी मार्ग पर ईदगाह का छोटा सा द्वार है जिसे साक्षियों ने उत्तर पूर्वी द्वार" बताया है। इस द्वार से एक रास्ता हरपाल नगर को जाता है। वस्तुतः यह रास्ता ईदगाह मैदान का एक भाग है। इस मार्ग के उत्तर की ओर पूर्व से पश्चिम तक मुसलमानों के घर हैं। ईदगाह के उत्तर पूर्वी द्वार के निकट " एक रातवाली मस्जिद" नाम की एक मस्जिद है। इस द्वार के निकट 5 शव पाये गये थे और 29 शव कुछ दूरी पर हरपाल नगर जाने वाले मार्ग पर पाये गये थे। ईदगाह के उत्तर पूर्वी द्वार के निकट अनेक चाय की दुकानें हैं जिनमें ईंटों से बनी भट्ठियाँ हैं।

ईदगाह मैदान के पूर्वी ओर एक चारदीवारी है। साक्षियों के अनुसार उत्तेजित मुसलमानों ने उपर्युक्त भट्ठियों और ईदगाह की चारदीवारी से ईंटें निकाली थीं और उन्हें, पुलिस और पी.ए.सी. बल, अधिकारियों, हिन्दुओं और ईदगाह के

के मार्ग के पूर्वी की ओर स्थित घरों पर फेंका था। निरीक्षण में यह स्पष्ट था कि भट्ठियों और दीवाल का पुनर्निर्माण किया गया है।

ईदगाह का नक्शा प्रदर्श सी/डब्लू-4512541 है। स्थानीय निरीक्षण से मैंने पाया कि इस नक्शे में कुछ त्रुटि है। इसमें सतना डिपों को मार्ग के उस पार स्थित हावडिल-सब-स्टेशन के थोड़ा सा उत्तर पूर्व में दिखाया गया है। वस्तुतः वह उक्त सब स्टेशन के ठीक सामने है। इस ओर के अन्य भवनों की स्थिति भी दक्षिण की ओर हटानी होगी।

सतना डिपों के दक्षिण में अब एक दीवाल खड़ी है जिसके बारे में मुझे बताया गया कि दिनांक 13-8-1980 को वह नहीं बनी थी। वहाँ एक खुला स्थान था जिस पर आरक्षित पुलिस बल का पड़ाव था। उस दिन नगरपालिका का शिविर सतना डिपों के उत्तर में लगाया गया था। यह स्थान ईदगाह के मुख्य द्वार के ठीक सामने मार्ग के पूर्वी ओर है। द्वार में दुहरे दरवाजे हैं जिनमें मेरे निरीक्षण के समय बाहर से ताला बन्द था। यह दरवाजे हावडिल सब-स्टेशन के उत्तर में हैं।

रिक्त भूमि जहाँ पर आरक्षित पुलिस बल पड़ाव डाले था, के दक्षिण से पूर्व की ओर एक मार्ग आदर्श नगर को जाता है। इस मार्ग पर लगभग 15 या 20 कदम की दूरी पर दिनांक 13.8.1980 को अधिकारियों एवं पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी गयी थीं।

नागरिक परिषद के विद्वान वकील मुझे कुछ चीजें दिखाने के लिए ला लाला फूल कुमार के भवन की छत पर ले

गए। सबसे पहले मैंने यह ध्यान दिया कि वह स्थान जहाँ पर मुस्लिम लीग का शिविर लगाया गया था उस चबूतरे से दिखायी नहीं पड़ सकता था जहाँ शहर इमाम ने नमाज पढ़ी थी। दोनों स्थानों के बीच की दूरी ले लगभग 200 गज है और उनके बीच में बड़े-बड़े 8 8 वृक्ष खड़े हैं।

दूसरे, लाला फूलकुमार का भवन जो मार्ग के पूर्व में स्थित है काफी ऊँचा है और उनके घर की छत से, उन स्थानों के सिवाय जो खड़े हुए वृक्षों के कारण छिप जाते हैं संपूर्ण ईदगाह क्षेत्र और आसपास के दूसरे क्षेत्र स्पष्ट दिखायी पड़ते हैं। इन वृक्षों के कारण चबूतरे पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति को पहचान सकना या मुस्लिम लीग के शिविर के निकट किसी सुअर को देख पाना सर्वथा असंभव है। विशेषतः जब कि दोनों स्थानों के बीच नमाजियों की एक बड़ी भीड़ उपस्थित हो।

तीसरे मैं लाला फूलकुमार के घर के एक कमरे में गया। इस कमरे के सामने एक छोटा सा छज्जा निकला हुआ है। इसका एक द्वार पश्चिम की ओर अर्थात् ईदगाह की ओर खुलता है। इसमें लोहे की जालियाँ लगी खिड़कियाँ भी हैं। बताया गया है अपने चबूतरे से भागने के बाद, जहाँ वह एक प्याऊ चला रहे थे लाला फूल कुमार ने, पूरी घटना इन्हीं खिड़कियों के निकट खड़े होकर देखी थी। इस तथ्य का सत्यापन करने के लिए मैं खिड़की के बगल में खड़ा हो गया और मैंने देखा कि खिड़कियों से संपूर्ण ईदगाह क्षेत्र और इसके सामने के मार्ग का कुछ भाग स्पष्ट दिखायी पड़ता है। यहाँ तक कि सड़क के पश्चिम की ओर स्थित चाय की कुछ दुकानें तथा हावड़ा-सब स्टेशन भी दिखायी पड़ते हैं। लाला

फूल कुमार ने उस स्थान की ओर भी इंगित किया जहाँ से बंदूके चलने की आवाजें सुनायी पड़ी थीं। यह स्थान उस रास्ते के निकट है जो हरपाल नगर को जाता है और उक्त खिड़कियों से दृष्टि दिखायी पड़ता है।

मैंने हायडिल-सब-स्टेशन की पश्चिमी दीवार पर कुछ चिन्हों पर भी ध्यान दिया। नागरिक परिषद एवं प्रशासन के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वे गोलियों के चिन्ह थे। मैंने लाला फूल कुमार के भवन के लोहे के मुख्य द्वार पर भी कुछ चिपक देखी। कहा जाता है कि चिपके हुए वह चिन्ह मुसलमान दंगाइयों द्वारा फेंके गये ईंटों के टुकड़ों से बने हैं। भवन के बाह्य भाग की विद्युत-फिटिंग में हुई क्षति भी मुझे दिखायी गयी। अब इस भवन में मरम्मत और रंग कर दिया गया है।

ईदगाह के सामने वाली सड़क दक्षिण में सम्भल चौराहे को जाती है और काफी चौड़ी है।

इस प्रकार मैंने दिनाँक 30-4-1983 को पाँच स्थानों का निरीक्षण किया। शेष स्थानों का निरीक्षण मेरे आगामी भ्रमण में मई 83 में किया जायेगा। इस संबंध में प्रशासन और पुलिस द्वारा की गयी व्यवस्था पूर्णतया संतोषजनक थी।

दिनाँक : 16-5-1983

ह0/ एम.बी. सक्सेना,
। एम.बी. सक्सेना ।
अध्यक्ष ।

अनुलग्नक "ग्रुप क"

निरीक्षण टिप्पणी

दूसरी बार दिनाँक 18 मई, 1983 को कतिपय उन स्थानों का निरीक्षण किया गया जहाँ दिनाँक 13-8-1980 को घटनाएँ होना आरोपित है। मैं अपने साथ, अवर अभियंताओं द्वारा बनाए गए, इन स्थानों के मानचित्र ले गया था। पुलिस अधीक्षक, अवर जिलाधिकारी (नगर) और नागरिक परिषद तथा प्रशासन के विद्वान अधिवक्ता के साथ मैंने लगभग प्रातः 5 बजे निरीक्षण गृह से प्रस्थान किया। उस दिन कुल नौ स्थानों का निरीक्षण किया गया था।

कितरौल

पहले हम कितरौल पहुँचे जहाँ कहा जाता है कि एक बाल्मीकि उस दिन की घटना में आहत हो गया था। इसका नक्शा प्रदर्श ती/डब्लू-45(263) उस स्थान से मिलता है।

तहसीली स्कूल

आरोपित है कि मुसलमानों ने तहसीली स्कूल में पुलिस बल पर आक्रमण किया था और उसके भवन को क्षति पहुँचायी थी प्रशासन के अनुसार यहाँ श्री आर.एस. आसवाल, उप निरीक्षक को गोली चलानी पड़ी थी जबकि उन्हें और पुलिस बल को एक भीड़ ने घेर लिया था। विद्यालय का फाटक सड़क पर खुलता है। इसका मानचित्र प्रदर्श ती/डब्लू-44(259) उस स्थान से मिलता है। इसके दो तरफ सड़कें हैं।

कम्बल का ताजिया

उसके बाद हम कम्बल का ताजिया पहुँचे कहा जाता है कि वहाँ भी घटनायें हुई थी। कोई भी विशिष्ट बात मेरे ध्यान में नहीं लायी गयी जो निरीक्षण टिप्पणी में वर्णित करने योग्य हो सके।

पुलिस चौकी केजगंज

दिनांक 13.8.1980 को यह केवल पुलिस चौकी थी किन्तु दिनांक 26 जनवरी, 1982 से यह पूर्णरूपेण पुलिस थाना बन गया है। आरोपित है कि मुस्लिम दंगाइयों ने इस पुलिस चौकी पर आक्रमण किया था। जिसके परिणामस्वरूप कांस्टेबिल भागीरथ को गोली चलानी पड़ी थी। साक्ष्य में यह भी आया है कि अचानक पुलिस थाना मुगलपुरा से पुलिस बल पहुँच गया था और उसने भागीरथ को बचा लिया।

यह पुलिस चौकी (अब पुलिस थाना) राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज मार्ग के किनारे पर है। इससे लगभग 150 गज की दूरी पर डा० वी.एन. गुप्ता का घर है। इसके सामने का मार्ग पूर्व से पश्चिम को जाता है और इस मार्ग के उस पार एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान से मिला हुआ एक मार्ग जाता है और मुख्य मार्ग में मिलता है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने मुझे बताया कि इस बस्ती में अधिकतर मुसलमान रहते हैं। इसका नक्शा प्रदर्श सी/डब्लू-461266। बस्ती के अनुरूप ही है।

मोहल्ला बरवालाँ

इसका नक्शा प्रदर्श सी/डब्लू-441261। है और वह बस्ती के अनुरूप है। आरोपित है कि इस स्थान पर एक पान की दुकान और एक दुकान लूटी गयी थी और कहा गया है कि वहाँ एक हिन्दू को छुरा मारा गया था। इस मोहल्ले में एक तिराहा है ।

मोहल्ला नवाबपुरा

इसका नक्शा प्रदर्श सी/डब्लू-441260। है। यह भी ठीक - ठीक बनाया गया है। इस क्षेत्र मोहल्ले में अशोक नामक एक व्यक्ति घायल हुआ था। नवाबपुरा चौराहे से कुछ ही दूरी पर घासियों की कालोनी है जो भैंस पालते हैं और दूध बेचते हैं । इस चौराहे से एक मार्ग रामगंगा नहीं को जाता है और दूसरा दौलत बाग को ।

पुलिस थाना नागफनी

तत्पश्चात् हम पुलिस थाना नागफनी पहुँचे और इसके नक्शे प्रदर्श सी/डब्लू-451262। का इस स्थान से सत्यापन किया यह भी ठीक-ठीक बनाया गया है। पुलिस थाना नागफनी चौराहे से ठीक मिला हुआ है। इस चौराहे से एक मार्ग बाग गुलाबराय को और इसके सामने का मार्ग कमल टाकीज को जाता है। पूर्व की ओर का मार्ग कितरौल को जाता है। इस पुलिस थाने के सामने , कुछ दूरी पर, एक मस्जिद और कब्रिस्तान है। कहा जाता है कि दिनाँक 13-8-1980 को यह पुलिस थाना

तभी ओर से मुसलमान दंगाइयों द्वारा घिरा हुआ था जब श्री के. एम. पाण्डेय, ~~प्रि~~ सर्किल आफिसर ।द्वितीय। कुछ पुलिस बल के साथ पहुंचे और उन्होंने दंगाइयों को तितर-बितर कर दिया। इस पुलिस थाने से लगभग -200 सौ गज की दूरी पर दो शव पाये गये थे। साक्षियों द्वारा यह भी बताया गया है कि मुसलमानों द्वारा संपूर्ण हिन्दू बस्ती पर आक्रमण किया गया था और उनके घरों में आग लगा दी गयी थी।

दौलत बाग :-

आरोपित है कि इस बस्ती में ~~प्र~~ छुट - पुट घटनाएं हुयी थी। कोई विशिष्ट बात मेरी सूचना में नहीं लायी गयी ।

बंगला गांव :-

यह दौलत बाग के आगे पड़ता है। अधिकांशतः सैनी और जाटव इस मोहल्ले में रहते हैं। आरोपित है कि इस मोहल्ले में कुछ घर लूट लिए गए थे ।

उपर्युक्त स्थानों के निरीक्षण के समय पुलिस व प्रशासन द्वारा संतोषजनक सुरक्षा×~~इस~~ व्यवस्था की गयी थी ।

ह0/ एम. पी. सक्सेना
अध्यक्ष,
19-5-1983

गाह

/डब्लू-5।।3241 366

	तदेव ती/डब्लू-।।।331 - - -	अज्ञात	38	कोई बाहरी चोट नहीं	श्वासावरोध
	377 तदेव ती/डब्लू-।।।341 - - -	तदेव	40	भुजाओं की हड्डी के टूट जाने सहित 2 चिरे कटे घाव, 2 गुम चोटें।ऊदर और श्रोणि शिखा की दाहिनी ओर।	चोट के कारण आघात तथा रक्तस्राव
	384 तदेव ती/डब्लू-।।।351 - - -	तदेव	12	नीचे के वक्ष पर गुम चोट	आघात तथा रक्तस्राव
	386 तदेव ती/डब्लू-।।।361 - - -	तदेव ।लड़की।	10	कोई बाहरी चोट नहीं	श्वासावरोध
	392 तदेवती/डब्लू-।।।371- - -	तदेव	35	सिर के पीछे की ओर कटा घाव। भेजा बाहर निकल आया।	सिर की चोट
	398 तदेव ती/डब्लू-।।।381 - - -	तदेव	50	सिर पर दो गुम चोटें शिरोवल्क पूरत बुरी तरह से नीली पड़ गई।	सिर की चोट के कारण आघात तथा रक्तस्राव
.	400 तदेव ती/डब्लू-।।।391 - - -	तदेव	11	शरीर पर अनेक रगड़	गला घोटना
.	401 तदेव ती/डब्लू-।।।401 - - -	तदेव ।लड़की।	10	कोई दृष्टिगोचर चोट नहीं	श्वासावरोध
.	402 तदेव ती/डब्लू-।।।411 - - -	तदेव	45	मस्तक पर चिरा कटा घाव और सिर के ऊपर हिस्से पर गुम चोट	सिर की चोट के कारण आघात तथा रक्तस्राव
10.	403 तदेव ती/डब्लू-।।।421 - - -	अज्ञात	8	कोई चोट नहीं पाई गई	श्वासावरोध
11.	405 तदेव ती/डब्लू-।431 - - -	अतदेव	10	कोई चोट नहीं	श्वासावरोध
12.	406 तदेव ती/डब्लू-।।।441 - - -	तदेव । लड़की।	11	कोई चोट नहीं पाई गई	श्वासावरोध

5.	408 तदैव सी/डब्लू-111451 - - -	तदैव	10	चिरा कटा घाव + 2 गुम चोटें जिनमें से एक वक्ष पर ।दोनों ओरकी पसलियों की हड्डियां टूट गई ।	चोट और हड्डियों के टूट जाने के कारण आघात तथा रक्तस्राव
4.	411 तदैव सी/डब्लू-111461 - - -	तदैव	10	वक्ष पर 10 सें.मी. × 10 सें.मी. की गुम चोट	चोट के कारण आघात तथा रक्तस्राव
5.	412 तदैव सी/डब्लू-111471 - - -	तदैव	6	वक्ष पर 12 सेंमी × 8 सेंमी. और 6 सेंमी × 4 सेंमी. की दो गुम चोटें।आंखे बाहर निकली हुई	दाहिनी वक्ष पर चोट के फलस्वरूप आघात तथा रक्तस्राव
6.	413 तदैव सी/डब्लू-111481 - - -	तदैव	12	सिर पर रक्तगुल्म और उदर पर गुम चोट	सिर की चोट के फलस्वरूप कोमा
7.	414 तदैव सी/डब्लू-111091 - - -	तदैव	12	2 गुम चोटें।जिनमें से एक 12 सेंमी.× 6 सेंमी. की उदर पर ।	चोटों के फलस्वरूप आघात तथा रक्तस्राव
18	415 तदैव सी/डब्लू-111501 - - -	तदैव	7	अग्रभाग पर 10 सें. मी. × 10 सेंमी.का रक्तगुल्म	सिर की चोट के फलस्वरूप कोमा
19.	416 तदैव सी/डब्लू-111511 - - -	अज्ञात	10	वक्ष पर गुम चोट और बांयें टखने पर खरोंच गुदा के समीप उभरा हुआ	चोट संख्या 2 के फलस्वरूप आघात तथा रक्तस्राव
20.	419 तदैव सी/डब्लू-111521 - - -	तदैव	8	सिर की ऊपरी हिस्से पर रक्तगुल्म, वक्ष पर गुम चोट और दायीं जांघ पर चिरा कटा घाव	कोमा और चोट के फलस्वरूप आघात तथा रक्तस्राव
21.	423 तदैव सी/डब्लू-111531- - -	तदैव ।लड़की।	10	सम्पूर्ण वक्ष के अग्रभाग पर गुम चोट	मर्म इन्द्रियों की चोटों के फलस्वरूप आघात तथा रक्त स्राव ।

ईदगाह

	ती/डब्लू-111324I			
22.	428 तदैव ती/डब्लू-111541- - -	तदैव 10	हड्डी के टूट जाने के साथ साथ गुम चोट	चोट के कलस्वरूप कोमा
23.	486 तदैव ती/डब्लू-111551 - - -	तदैव 60	वक्ष पर खरोच + 2 गुम चोटें	श्वासावरोध
24.	तदैव ती/डब्लू-111561 - - -	तदैव 30	पीठ पर चोटों और गुम चोटें। दोनों ओर की पसलियों की अनेक हड्डियों के टूट जाने से नाक और मुख से खून निकला।	चोटें
25.	490 तदैव ती/डब्लू-111571 - - -	तदैव 35	कोई प्रत्यक्ष चोट नहीं।	श्वासावरोध
26.	491 तदैव ती/डब्लू-111581 - - -	तदैव 45	पेट पर 5 सेंमी x 10 सेंमी, की गुम चोट	आघात तथा रक्त स्राव
27.	492 तदैव ती/डब्लू-111591 - - -	अज्ञात/तदैव 30	कोई प्रत्यक्ष चोट सेंट नहीं	श्वासावरोध
28.	495 तदैव ती/डब्लू-111601 - - -	तदैव 15	नासास्थि के चारों ओर सम्मर्दित चोट	श्वासावरोध तथा आघात
29.	496 तदैव ती/डब्लू-111611 - - -	तदैव 55	अस्थिभंग सहित कपाल पर गुम चोट	आघात तथा रक्तस्राव
30.	497 तदैव ती/डब्लू-111621 - - -	तदैव 65	ठोढ़ी पर चिरा कटा घाव और वक्ष पर गुम चोट	आघात तथा रक्तस्राव
31.	498 तदैव ती/डब्लू-111631 - - -	तदैव 17	कोई प्रत्यक्ष चोट नहीं	श्वासावरोध
32.	499 तदैव ती/डब्लू-111641 - - -	तदैव 55	तदैव	तदैव
33.	500 तदैव ती/डब्लू-111651 - - -	तदैव 35	फूली हुई चोट	आघाततथा रक्तस्राव
34	501 तदैव ती/डब्लू-111661 - - -	तदैव 30	शिश्न सूजा हुआ	श्वासावरोध

बरकखाना							
		ती/डब्लू-5।।3251	368				
35.	तदैव	ती/डब्लू-5।।3271	कान्सटेबिल/ बी.ए.सी.	- - -	40	3 छिन्न घाव 2 छुरे के घाव	कथित चोटों से कोमा आघात और रक्त स्राव
			372				
36.	तदैव	ती/डब्लू-5।।3281	अगलानन्द कान्सटेबिल/ बी.ए.सी. हरीदत्त, पंत	- - -	38	उदर पर 4 छिन्न घाव और सिर क्षेत्र ।टेम्पोरल रीजन। पर । चिरा कटा घाव ।5 गोलियां पाई गई ।	चोट के कारण आघात तथा रक्तस्राव
			376				
37.	तदैव	ती/डब्लू-5।।3291	--- -	अज्ञात ।लड़की।	6	वक्ष पर 2 गुम चोटें	आघात तथा रक्तस्राव
			378				
38.	तदैव	ती/डब्लू-5।।3301	- - -	अज्ञात	10	2 गुम चोटें।सिर तथा मुख। । खरोंच	सिर की चोट के फलस्वरूप कोमा
			379				
39.	तदैव	ती/डब्लू-5।।3311	- - -	तदैव ।लड़की।	11	चेहरा और मस्तक पर गुम चोटें सिर के मध्य रक्त गुल्म, वक्ष पर खरोंचें	चोट संख्या । के फलस्वरूप कोमा
			380				
40.	तदैव	ती/डब्लू-5।।3321	कांस्टेबिल धीरेन्द्रसिंह	- - -	20	सिर पर गोली के 4 घाव	मस्तिष्क पर छुरे की चोट के कारण कोमा
			390				
41.	तदैव	ती/डब्लू-5।।3331	- - -	अज्ञात	50	दाहिनी ओर का फेफड़ा विदीर्ण हो गया।	फेफड़ों पर चोट और रक्तस्राव

बरकखाना

42.	सी/डब्लू-5113251 तदेव	395 सी/डब्लू-5113341	---	अज्ञात	14	8वीं-9वीं ।दाहिनीओर की। 6वीं-7वीं।बायी ओर की। पसलियाँ टूट गई	चोट के कारण आघात तथा रक्तस्राव
43.	तदेव	417 सी/डब्लू-5113361	---	तदेव	22	सिर के बायी ओर चिरा-कटा घाव शिरोवल्क तक गहरा	शिर की चोट के कारण कोमा"
44.	तदेव	420 सी/डब्लू-5113381	तदेव	---	12	शरीर पर 19 सेंमी.x15 सेंमी.की गुम चोट	मर्म इंद्रियों पर चोट के फलस्वरूप आघात तथा रक्तस्राव
45.	तदेव	422 सी/डब्लू-5113371	तदेव	---	50	उदर और दाहिनी ओर के वक्ष पर गुम चोट 4थी 5वीं और 6ठी पसलियाँ टूट गई ।	उदर की चोटों के कारण आघात तथा रक्तस्राव
46.	तदेव	424 सी/डब्लू-5113391	---	तदेव	25	सिर की दाहिनी ओर गुम चोट	चोट संख्या । के फलस्वरूप कोमा
47.	तदेव	425 सी/डब्लू-5113391	---	अज्ञात	38	मस्तक पर गुम चोट	सिर की चोट के फलस्वरूप कोमा
48.	तदेव	426 सी/डब्लू-5113401	---	तदेव	50	2 गुम चोटें एक वक्ष पर और दूसरी निचले अग्रांग पर। शैफ्ट उरू अस्थि भंग	गुम गुम चोटों के कारण आघात तथा रक्तस्राव
49.	तदेव	427 सी/डब्लू-5113411	---	अज्ञात	35	सम्पूर्ण पीठ पर गुम चोट	मर्मछिद्रों पर चोट के फल-स्वरूप आघात तथा रक्तस्राव

बरकर्षाना

50.	ती/डब्लू-5113251 तदेव	429 ती/डब्लू-5113421	---	तदेव	40	सम्पूर्ण उदर पर गुप्त चोट	आघात तथा रक्तस्राव
51.	तदेव	430 ती/डब्लू-5113431	---	तदेव	80	मस्तक पर गुप्त चोट	चोट के कारण आघात तथा रक्तस्राव
52.	तदेव	487 ती/डब्लू-5113441	---	तदेव	50	पूरे वक्ष पर गुप्त चोट बांयी ओर की 5वीं 5वी और 7वीं, दाहिनी ओर की 6वी, 8वीं, 8वीं और 9वीं पसलियाँ टूटगई	पूरे वक्ष पर चोटऔर उससे संबंधित चोटे
53.	तदेव	488 ती/डब्लू-5113451	---	तदेव	55	नासास्थि के चारों ओर गुप्त चोट और अस्थि भंग। पूरे वक्ष पर गुप्त चोट	आघात तथा रक्तस्राव

भूरा का चौराहा

54.	ती/डब्लू-5113461 तदेव	407 ती/डब्लू-5113471	---	अज्ञात	26	प्रत्यक्ष चोट नहीं?	श्वासावरोध
55.	तदेव	418 ती/डब्लू-5113481	---	"	30	वक्ष के बांयी ओर 12 सेंमी ×18 सेंमी. की गुप्त चोट	आघात तथा रक्तस्राव
56.	तदेव	421 ती/डब्लू-5113491	---	"	22	उदर के चतुर्दिक गुप्त चोट	मर्म अंगों पर चोट के फलस्वरूप आघात तथा रक्तस्राव

भूरा का चौराहा

	ती/डब्लू-5113461	494					
57.	"	ती/डब्लू-5113501	---	अज्ञात	10	तड़न विद्यमान	श्वासावरोध
		502					
58.	"	ती/डब्लू-5113511	---	"	10	भगट तथा ककोले	- तदैव -
तहसीली स्कूल							
	ती/डब्लू-5113552	362					
59.	"	ती/डब्लू-2911921	---	"	30	जांघ पर चिरा कटा घाव और बक्ष पर छुरे का घाव/सिर के बायें और चिरा कटा घाव	आघात तथा रक्तस्राव
		365					
60.	"	ती/डब्लू-2911931	---	"	40	सिर के ऊपर उपघातज सूजन/मुख पर दायें ओर चिरा-कटा 5 सेंमी.x 3 सेंमी. का घाव बांयी कपाल पार्श्विका टूटी हुयी	आघात तथा बाह्य रक्तस्राव
		393					
61.	"	ती/डब्लू-2911941	---	"	35	उदर पर उदर गुहा तक छिन्न घाव, नाभि के ठीक नीचे/आन्त्रों की कुंडली बाहर आती हुई।	उदर की चोटों के कारण आघात और रक्तस्राव
		397					
62.	"	ती/डब्लू-2911951	---	"	32	गले पर बांयी ओर छुरे का घाव, मस्तक पर बायें गुम चोट।	गले पर चोट के कारण और रक्तस्राव

दीवान का बाजार

63.	सी/डब्लू-5113531	357 सी/डब्लू-2911961	---	अज्ञात	55	कलाई पर चिरा कटा घाव/कण्ठास्थि के गढ़े पर छिन्न घाव ।	उदर पर चीरे हुए घाव के कारण आघात तथा रक्तस्राव।
64.	"	359 सी/डब्लू-2911971	---	"	20	बाये कान के ऊपर मस्तक के दायीं ओर गुम चोट	चोट सं0 । के कारण अचेतनता और आघात
65.	"	363 सी/डब्लू-2911981	---	"	28	मस्तक पर चिरा कटा घाव । दायें जांघ पर चिरा-कटा घाव ।	अचेतनता और आघात
66.	"	385 सी/डब्लू-2911991	---	"	25	बांयी जांघ के बायीं ओर की न्नुरू धमनी को भेदता हुआ छिन्न घाव ।	आघात तथा रक्तस्राव
67.	"	289 सी/डब्लू-2912001	---	"	30	उदर पर दो चीरे हुए घाव	आघात तथा रक्तस्राव

नागकली

68.	सी/डब्लू-5113541	367 सी/डब्लू-1151	---	"	20	चिरा कटा घाव, ललाटास्थि और कपाल पार्श्विका टूटी हुयी ।	- तदैव -

नागकनी							
69.	ती/डब्लू-511354।	399	ती/डब्लू-1171	- - -	अज्ञात	40	दो छिन्न घाव एक उदर पर तथा दूसरा मस्तक पर	आघात तथा रक्तस्राव
बाँसमण्डी							
70	ती/डब्लू-511355।	370	ती/डब्लू-291203।	- - -	"	30	3 गुम चोटें मुख और उदर पर ।	- तदैव -
बरबाला							
71.	ती/डब्लू-511356।	383	ती/डब्लू-291201।	-अज्ञात-		20	वक्ष और पीठ पर छिन्न घाव ।	- तदैव -
72.	"	409	ती/डब्लू-291202।	- - -	"	50	सिर पर दो गुम चोटें। शिरोवल्क स्तर अत्यधिक नीला पड़ गया ।	सिर के चोटके कारण आघात तथा रक्तस्राव
कैजगंज							
73.	ती/डब्लू-511357।	360	ती/डब्लू-291204।	- - -	"	30	जांघ पर चिरा कटा घाव वक्ष पर छुरे का घाव सिर के बांयी ओर चिरा-कटा घाव ।	चोटों के कारण आघात तथा रक्तस्राव

फैजगंज

74.	सी/डब्लू-511357। "	391 सी/डब्लू-291205।	- अज्ञात - —	10	उदर पर उदर गुहा तक छिन्न घाव, नाभि के ठीक नीचे /आन्त्रों की कुण्डली बाहर आती हुई ।	उदर की चोटों के कारण आघात तथा रक्तस्राव

मानपुर

75.	सी/डब्लू-511358। "	361 सी/डब्लू-511359।	- - - "	30	वक्ष पर छिन्न घाव	आघात तथा रक्तस्राव
76.	"	394 सी/डब्लू-511360।	- - - "	35	उदर पर छुरे का घाव	- तदैव -

कमल सिनेमा

77.	सी/डब्लू-511361। "	396 सी/डब्लू-511362।	- - - "	35	वक्ष पर छिन्न घाव।	वक्षीय चोटों के कारण आघात तथा रक्तस्राव

गलशहीद
=======

	सी/डब्लू-5113631	456					
78.	•	सी/डब्लू-1211071	कांस्टेबिल	- - -	45	मुख, वक्ष , टांगों और उदरपर प्रथम व द्वितीय कोटि के जलने के चिन्ह	जलने की चोटों के कारण आघात

सदर अस्पताल

	•	358					
79.	•	सी/डब्लू-111671	- -	मोहम्मद फारूक	-- 30	उदर पर गोली लगने का घाव	चोट के कारण आघात और रक्तस्राव

दिनाँक 13-8-1980 को मुरादाबाद नगर में विभिन्न स्थानों से प्राप्त शवों की संख्या तथा शव-परीक्षण के परिणाम को प्रदर्शित करने वाली तालिका :

क्रमांक	स्थान तथा शवों की निश्चित स्थिति का रेखाचित्र	शव परीक्षा संख्या तथा प्रदर्श चिन्ह	हिन्दू		मुसलमान		आयु वर्षों में	चोटों का प्रकार	मृत्यु का कारण
			ज्ञात	अज्ञात	ज्ञात	अज्ञात			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.	364 सी/डब्लू-11(68)	वे ईदगाह पर घायल हुए थे और अस्पताल में मृत्यु हुई।	----	अज्ञात			35	सिर पर बंदूक की गोली के प्रवेश और निकास का घाव	सिर के चोटों के कारण अचेतनता ।
81.	387 सी/डब्लू-11(69)	-	-	मोहम्मद अख्तर	-		30	बाँयी जाँघ पर टाँका लगा हुआ घाव। बाँयी जाँघ पर चिरा फटा घाव।आग्नेयास्त्र घाव।	चोटों के कारण आघात तथा रक्तस्राव
82.	389 सी/डब्लू-11(70)	दृगपाल सिंह प्रभारी अधिकारी नगरपालिका (उन्हें ईदगाह पर चोटें आयीं थीं और उनका शव अस्पताल में पाया गया।	-	-	-		57	आग्नेयास्त्रों के 3 चिरे फटे घाव और । छुरे का घाव ।	चोटों के परिणामस्वरूप आघात तथा रक्तस्राव
83.	382 सी/डब्लू-5(3261)	-- (वह बरफखाना में घायल हुआ और अस्पताल में मृत्यु हुई।)	-	-	-		50	बंदूक की गोली के दो घाव	अचेतनता
84.	388 सी/डब्लू-1(61)	नरोत्तम सिंह (वह नागफनी में घायल हुआ और अस्पताल में मृत्यु हुई ।	-	-	-	-	55	2 छिन्न घाव, एक कलाई पर तथा दूसरा मस्तक पर । कपाल पर चिरा फटा घाव	अचेतनता

बाद में शवों में से एक शव [illegible] गया।

लोक सेवक

1.	श्री एस.पी.आर्य, जिलाधिकारी	ईदगाह	वक्ष पर खरोंची हुई गुम चोट ।कुन्द, कठोर अस्त्र।	सी/डब्लू--।।।71।
2.	श्री वेद प्रकाश मिश्र, कार्यकारी अधिकारी	"	2 गुम चोटें, । सूजन ।कुन्द कठोर अस्त्र।	सी/डब्लू- ।।।72।
3.	श्री पूरन चमरासी	"	2 गुम चोटें सप्रेक्षण में रखा गया	सी/डब्लू -।।।73।
4.	श्री जमुना दास चमरासी	"	2 खु खरोंचें	सी/डब्लू-।।।74।
5.	श्री विजय नाथ सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	"	2 चिरा फटा घाव एक मस्तक पर ।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-।।।75।
6.	श्री बी.बी.दास अपर पुलिस अधीक्षक	"	4 गुमचोटें, एक खरोंच	सी/डब्लू-।।।76।
7.	श्री ए.के.मिश्रा, सर्किल आफीसर।नगर।	ईदगाह और गलीशहीद	3 गुम चोटें, । चिरा फटा घाव सूजन।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-।।।77 ।
8.	श्री ए.पी.विनायक राय	ईदगाह	2 चिराफटा घाव, 2 गुम चोटें	सी/डब्लू-।।।78।
9.	हेड कांस्टेबल सशस्त्र बल मायाराम ।	"	2 चिराफटा घाव, 3 गुम चोटें ।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-।।।79।

10. श्री बी.बी.लाल एस.एच.ओ. कटघर	-	ईदगाह	2 चिराफटा घाव, सूजन ।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-11।80।
11. श्री राजेन्द्र सिंह	30	"	4 गुम चोटें, 2चिराफटा घाव ।सूजन ।कुंद और कठोर वस्तु।	सी/डब्लू-11।81।
12. कांस्टेबिल ब्रिजेश चन्द्र	30	"	3 गुम चोटें, । चिराफटा घाव ।कुन्द्र वस्तु।	सी/डब्लू-11।82।
13. हेड कांस्टेबिल सशस्त्र बल श्री पाल सिंह	40	"	2 चिराफटा घाव, । गुम चोट । सूजन	सी/डब्लू-11।83। अनुगम दल
14. कांस्टेबिल शिवमूरत सिंह	28	"	3 गुमचोटें, । गहरा घाव, । चिरा फटा घाव।पहला घाव कुंद वस्तु, । घाव से, 2 धारदार अस्त्र से।	सी/डब्लू-11।84।पी.ए.सी.
15. श्री दिनेश प्रकाश	51	"	2 खरोंचें । जोड़ुपर गुम चोटें। ।घर्षण और कुंद वस्तु के वेग से।	सी/डब्लू-11।85।पी.ए.सी.
16. कांस्टेबिल ज्ञानवीर सिंह	-	"	। गुम चोट, पीठ पर बाये अग्रबाहु, पर खरोंचे।कठोर कुन्द अस्त्र से।	सी/डब्लू-11।86। "
17. कांस्टेबिल जीवनलाल	25	"	2 गुम चोटें ।कठोर कुन्द अस्त्र से।	सी/डब्लू-11।87।
18. श्री ब्रम्हा शंकर	50	ईदगाह और गलशहीद	2 गुम चोटें ।xxxxxxxxxxxx उपनेत्र- श्लेष्मलारक्तस्राव।कठोर कुंद अस्त्र।	सी/डब्लू-11।88।सर्किल आफिसर सी/डब्लू-12।109।नगर-। के पेशकार
19. कांस्टेबिल दरबान सिंह	27	"	2 खरोंचें ।कुंद वस्तु से और घर्षण।	सी/डब्लू-11।89।सर्किल अफसर सी/डब्लू-12।116।नगर प्रथम का चालक

20.	पी.एम. यादव	24	ईदगाह	चिराफटा घाव ।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-11।90।
21.	श्री इन्द्रपाल सिंह, उप निरीक्षक ।स्थानीय अधिसूचना ईकाई।	-	"	4 चिराफटा घाव, 2 गुम चोटें । खरोंच ।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-11।91।
22.	कांस्टेबिल सशस्त्र पुलिस विजेन्द्र सिंह	35	"	चिराफटा घाव ।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-11।92। अश्रु गैस दल
23.	कांस्टेबिल सशस्त्र पुलिस चन्दरपाल सिंह	27	"	चिराफटा घाव ।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-11।93।
24.	कांस्टेबिल सशस्त्र पुलिस इन्दरपाल सिंह	--	"	चिराफटा घाव, 3 खरोंचें ।कुन्द वस्तुतथा घर्षण ।	सी/डब्लू-11।94। फायरिंग दल
25.	कांस्टेबिल सशस्त्र पुलिस धरमवीर सिंह	"	"	4 चिराफटा घाव, 2 खरोंचें । गुम चोट ।कुंद वस्तु।	सी/डब्लू-11।95।
26.	सी.पी. अशोक कुमार	-	"	गुमचोटों के साथ खरोंचें ।कुंद वस्तु ।	सी/डब्लू-11।96।
27.	कांस्टेबिल आजाद बहादुर सिंह	26	"	2 खरोंचें, ।कठोर वस्तु।	सी/डब्लू-11।97।ड्राईवर
28.	पी.सी. नरायन सिंह	-	गलशहीद	6 गुमचोटें, । चिराफटा घाव, । खरोंचें ।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-12।108।सी.ए.सी. 6ठी बटालियन ।
29.	कांस्टेबिल मदनपाल सिंह	-	"	। गुमचोट , 2 खरोंचें।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-12।115।

30.	श्री बी.डी. त्रिपाठी, उप निरीक्षक	43	"	2 गुम चोटें, 1 सूजन ।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-12।।14।
31.	कांस्टेबिल राजसिंह	20	गलशहीद	2 चिराफटा घाव ।आग्नेयास्त्र की चोट का संदेह।	सी/डब्लू-12।।13।
32.	" रामकिशन शर्मा	28	"	1 चिराफटा घाव, 1 खरोंच 1 खरोंची हुयी गुम चोट 1 गुमचोट ।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-12।।12।पी.एसी0 मेरठ कैम्प
33.	" ब्रम्ह दत्त त्यागी	-	"	3 चिराफटा घाव।कुछ अस्त्र।	सी/डब्लू-12।।10।हवलदार 6ठी बटालियन पी.ए.सी. कैम्प
34.	" शिव कुमार	24	फैजगंज	3 चिराफटा घाव, 4गुम चोटें, सूजन ।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-29।2।5।
35.	होमगार्ड अजब सिंह	-	कम्बल का ताजिया	6 चिराफटा घाव और एक गुम चोट	सी/डब्लू-29।2।6। होमगार्ड
36.	" ओम प्रकाश	-	फैजगंज	4 गुमचोटों, चिराफटा घाव सूजन।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-29।2।7।
37.	श्री रामसिंह, उप निरीक्षक	28	बरफखाना	3 खरोंचें, ।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-42।235।
38.	ड्राइवर मनमोहन सिंह	56	"	2 गुमचोटें, 1 चिराफटा घाव, ।सूजन।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-53।27।।

39.	श्री डी.पी.सिंह निरीक्षक	-	बरफखाना	4 गुमचोटें, । चिराफटा घाव 2 खरोंचें।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-53।372।
40.	श्री आर.एस.आसवाल उप निरीक्षक	-	तहसीली स्कूल	चोट का चिन्ह नहीं देखा गया	सी/डब्लू-2।11।
41.	कांस्टेबिल रामधनसिंह	40	"	3 छिन्न घाव और।गहरा घाव।तेज धारदार अस्त्र।	सी/डब्लू-2।12।
42.	कांस्टेबिल कैलाश सिंह	40	"	कोई दृश्यमान चोट नहीं	सी/डब्लू-2।13।पी.ए.सी.
43.	हेड कांस्टेबिल शिवकुमार	-	झब्बू का नाला	2 खरोंची हुयी गुम चोट । छुरे का घाव	सी/डब्लू-48।395।
45.	श्री विजय सिंह	-	भूरा का चौराहा	3 गुम चोटें, । चिराफटा, घाव, ।सूजन।कुन्द कठोर वस्तु।	सी/डब्लू-40।307।
44.	कांस्टेबिल शिवराज सिंह	--	किसरौल	2 चिराफटा घाव और एक गुम चोट।कठोर कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-48।306।केंद्रीय कान्सटेबिल पुलिस
46.	श्री तेज प्रकाश उप निरीक्षक संवर्ग	-	कार्यरत कोतवाली क्षेत्र	। गुमचोट, ।छिन्न घाव । खरोंच।कुन्द वस्तु।	सी/डब्लू-48।308।पी.टी.सी.-।

हिन्दू

1.	श्री सुरेश पाल	20	ईदगाह	2 चिराहुआ घाव । चिराफटा घाव	सी/डब्लू-231221
2.	श्री प्रतीम सिंह	30	"	बन्दूक की गोली के अनेक घाव गर्दन, जांघआदि पर	बी/डब्लू-161161
3.	श्री सुन्दर लाल	25	बरबालाँ	।।चीरा हुआ घाव।सभी सप्रिक्षण में रखे गये।	बी/डब्लू-521511
4.	श्री राकेश कुमार अग्रवाल	32	ईदगाह	2 चिराफटाघाव, 2मुमचोटें ।खरोंच।प्रथमबार कठोर वस्तु से तथा अंतिमघर्षण से।	बी/डब्लू-151151
5.	श्री अशोक कुमार	23	नवाबपुरा	गर्दन पर चिराफटाघाव ।सप्रिक्षण में रखा गया।	बी/डब्लू-5313741
6.	श्री नरोत्तम सिंह	55	नागफनी	3चिराफटा घाव, एक छिन्न ।एक तेजधारदार अस्त्र से और शेष कुन्द अस्त्र से।	बी/डब्लू-5313751
7.	श्री अशोक कुमार सिंह	19	ज्ञात नहीं	छूरे के पांच घाव, । चिराफटा घाव ।छिन्न घाव।तेज नुकीली अस्त्र से।	बी/डब्लू-5313761
8.	श्री महेन्द्र कुमार	26	"	।चिराफटा ।सप्रिक्षण में रखा गया ।।	बी/डब्लू-5313771
9.	श्री रामस्वरूप	18	"	2 चिराफटा घाव।कुन्द वस्तु।	बी/डब्लू-5313781

10.	श्री विनोद कुमार	20	ज्ञात नहीं	1 छिन्न घाव ।तेज अस्त्र ।	सी/डब्लू-5313791
11.	श्री गजराज सिंह	30	"	अनेक चिराफटा घाव ।छुरे के 7घाव, 1घाव संख्या 1कुन्द से तथा शेष तेज धारदार अस्त्र से।	सी/डब्लू-5313801
12.	श्री खेमराज	30	"	बन्दूक की गोली के 3 घाव	सी/डब्लू-5313811
13.	श्री नवीनदास	28	1	बंदूक की गोली के अनेक घाव	सी/डब्लू-5313821
14.	श्री जगदीश सिंह	22	"	3 छिन्न घाव ।तेज धार-दार अस्त्र।	सी/डब्लू-5313831
15.	श्री मोहन लाल	40	"	बंदूक की गोली के 3 घाव ।आग्नेयास्त्र से चोटें ।	सी/डब्लू-5313841
16.	श्री अकबील अरोरा	19	"	10 छिन्न घाव और 3 चिराफटा घाव ।सभी तेजधारदार अस्त्र से।	सी/डब्लू-5313851
17.	श्री प्रदीप नारायण	23	"	3 छिन्न घाव।तेज धार-दार अस्त्र।	सी/डब्लू-5313861
18.	श्री लाखन सिंह	36	"	4 रासायनिक जलने का घाव।किसी रसायन के कारण।	सी/डब्लू-5313871

19.	श्री राम औतार	26	ज्ञात नहीं	2 रासायनिक जलने का घाव। किसी संधारक रसायन के कारण ।	बी/डब्लू-531388।
20.	श्री हरपाल सिंह	29	"	4 छिन्न घाव। तेज धारदार अस्त्र।	सी/डब्लू-531389।

टिप्पणी :- पूर्वोक्त के अतिरिक्त सर्वश्री हरिकृष्ण टण्डन, डा. जे.एस. अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार और डा० जगमोहन मेहरोत्रा को ईदगाह पर चोटें आयी थीं और शिवरतन नीम की प्याऊ पर घायल हुआ था उनमें से डा० जगमोहन मेहरोत्रा ने अपने चोटों की परीक्षा किसी अस्पताल में नहीं करायी वरन् स्वयं उनका उपचार किया। और श्री हरिकृष्ण टण्डन की चोट की रिपोर्ट सिद्ध नहीं हुई है। सर्वश्री डा० जे.एस. अग्रवाल, शिवरत्न, सुरेन्द्र कुमार की चोट की रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श बी/डब्लू-131131 बी/डब्लू-541541, और बी/डब्लू-281251 है ।

मुसलमान
=======

1.	श्री अख्तर	30	ईदगाह	बाँयी जाँघ के पृष्ठ भाग में बंदूक की गोली के प्रवेश का घाव बाँयी जाँघ के अग्र भाग पर निकास का घाव।	सी/डब्लू-5313911	उसी दिन अस्पताल में मृत्यु हुई। उसकी शव परीक्षा रिपोर्ट सी/डब्लू-11 1691 है।
2.	श्री फारूख	30	"	उदर के निम्न भागमें 17 सेमी. x 12 सेमी. गुहा तक गहरा बंदूक की गोली का घाव। अस्पताल में प्रवेश के समय सामान्य अवस्था ठीक नहीं।	सी/डब्लू-5313931	" " सी/डब्लू-11-1671
3.	अज्ञात	35	"	सिर के दायें ओर की हड्डी में 8 सेमी.x6सेमी. का बंदूक की गोली का घाव।	सी/डब्लू-5313921	" " सी/डब्लू-11 1681
4.	अज्ञात	40	"	मस्तक के अग्र भाग में 2 सेमी. x2 सेमी. गुहा तक गहरा बंदूक की गोली के प्रवेश का घाव। सामान्य अवस्था अत्यंत दयनीय।	सी/डब्लू-5313941	" " सी/डब्लू-511 1326।
5.	श्री ~~अहमद~~ श्री शहजाद	19	ज्ञात नहीं	बंदूक की गोली का एक घाव बाँयी टाँग पर	सी/डब्लू-5313951	

6.	श्री मंजूर	20	ज्ञात नहीं	बंदूक की गोली का एक घाव श्रोणि शिखा पर	सी/डब्लू-531396।
7.	श्री दुल्ला खान	60	"	टांग पर चिरा फटा घाव	सी/डब्लू-531397।
8.	श्री मुनव्वर	30	"	टांग पर चिरा फटा घाव	सी/डब्लू-531398।
9.	श्री मोहम्मद इकराम	20	"	बांयी टांग पर बंदूक की गोली के प्रवेश का घाव और विवृत अस्थिभंग के साथ निकास का घाव ।	सी /डब्लू-531399।
10.	श्री खैरूद्दीन	20	"	बांये अग्रबाहु पर बंदूक की गोलियों के अनेक घाव	सी/डब्लू-531400।
11.	श्री जैदुद्दीन	24	"	बांयी जांघ पर बंदूक की गोली का घाव	सी/डब्लू-531401।
12.	श्री इरफान अली.	20	"	पीठ पर पीड़ा की शिकायत की ।	सी/डब्लू-531402।
13.	श्री मोहम्मद अली	25	"	बांयी श्रोणिशिखा पर बंदूक की गोली का घाव ।	सी/डब्लू-531403।
14.	श्री रईस	35	"	बांयी जांघ पर बंदूक की गोली का घाव और उसके निकास का घाव ।	सी/डब्लू-531404।
15.	श्री कलुआ	20	"	बांयी टांग पर बंदूक की गोली के प्रवेश और निकास का घाव।	सी/डब्लू-531405।

16.	श्री बाबू	15	ज्ञात नहीं	बांयी जांघ पर बंदूक की गोली के का घाव	सी/डब्लू-5314061
17.	श्री हिरासत अली	25	"	बांयी ओर पीठ में बंदूक की गोली का घाव और एक अन्य घाव मुख के बांयी ओर	सी/डब्लू-5314071
18.	श्री सखावत हुसैन	25	"	बंदूक की गोली के 2 घाव एक नितम्ब पर तथा दूसरा बायि जांघ पर, दशा अत्यंत दयनीय	सी/डब्लू-5314081 उसी दिन अस्पताल में मृत्यु हो गयी।
19.	मोहम्मद लड्डन	50	"	वक्ष और उदर में पीड़ा	सी/डब्लू-5314091
20.	रईस पुत्र श्री मुहम्मद हफीज सिद्दीकी	10	"	गर्दन पर बंदूक की गोली का एक घाव।	सी/डब्लू-5314101
21.	श्री आबिद हुसैन	25	"	बंदूक की गोली के 2 घाव	सी/डब्लू-5314111
22.	श्री जियाउल रहमान	21	"	दायी हथेली के पृष्ठ भाग बंदूक की गोली का घाव।	सी/डब्लू-5314121
23.	" फिदा हुसैन	60	"	2 चिराफटा घाव-एक सिर पर और दूसरा बायि नितम्ब पर	सी/डब्लू-5314131
24.	श्री सलीम	20	"	गोली का एक घाव बांयी टांग पर और। खरोंच।	सी/डब्लू-5314141
25.	मोहम्मद इब्राहिम	26	"	बांयी जांघ पर बंदूक की गोली का घाव।	सी/डब्लू-5314151

26.	श्री मुस्तफा	25	ज्ञात नहीं	बंदूक की गोली का 2 घाव एक प्रवेश और एक निकास का	सी/डब्लू-5314161
27.	श्री मु मुल्लन	22	"	बायें पांव पर बंदूक की गोली का । घाव	सी/डब्लू-5314171
28.	श्री मुमताज	18	"	बंदूक की गोली के दो घाव एक बायें टांग पर और एक अन्य बायें घुटने पर	सी/डब्लू-5314181
29.	श्री इरशाद	20	"	3 चिराफटा घाव, कहा गया कि घर्षण के कारण हुआ।	सी/डब्लू-5314191
30.	श्री शकील हसन	24	"	गर्दन पर बायें ओर चिराफटा घाव ।	सी/डब्लू-5314201
31.	कुमारी कमर जहाँ	8	"	2 गुमचोटें ।कुन्द वस्तु की।	सी/डब्लू-5314211
32.	श्री शकील अहमद	22	"	4गुम चोटें।कुन्द वस्तु की ।	सी/डब्लू-5314221
33.	मुस्लिम पुत्र मुतकीम	10	"	बायें बाहु में अस्थि भंग	सी/डब्लू-5314231
34.	श्री अली हुसैन	20	"	मुख और वक्ष पर बंदूक की गोली के अनेक घाव ।	सी/डब्लू-5314241
35.	श्री अख्तर हुसैन	25	"	बंदूक की गोली का 2 घाव । चिराफाट घाव ।	सी/डब्लू-5314251

36.	श्री बन्ने खान	17	ज्ञात नहीं	जांघ, घुटने तथा बांई मध्यमा अंगुली में बंदूक की गोली के 3 घाव	सी/डब्लू-5314261
37.	श्री अब्दुल सलाम	45	"	दायें टांग पर चिराफटा घाव	सी/डब्लू-5314271
38.	मोहम्मद उस्मान	28	"	बंदूक की गोली का घाव	सी/डब्लू-5314281
39.	श्री अब्दुल अजीज	28	"	6 चिराफटा घाव, 6 गुम चोट, 1 छिन्न घाव	सी/डब्लू-5314281
40.	श्री मोहम्मद हुसैन	18	"	7 चिराफटा घाव, 2 गुमचोटें	सी/डब्लू-5314301
41.	श्री अजीज अहमद खाँ	22	"	18 छिन्न घाव और 2 खरोचें	सी/डब्लू-5314311

अनुलग्नक "सात"

दिनाँक 13.8.1980 को विभिन्न स्थानों पर घायल हुए लोक सेवकों, हिन्दुओं तथा मुसलमानों की संख्या और उनके चोटों के प्रकार को प्रदर्शित करने वाला विवरण :

क्रम सं0	घायलों के नाम	आयु वर्षों में	घटना का स्थान	चोटों का प्रकार तथा प्रयुक्त अस्त्र	चोट की रिपोर्ट	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
42.	मोहम्मद अलीम	40	ज्ञात नहीं	बंदूक की गोली का एक घाव	सी/डब्लू-531432I	
43.	श्री मंजूर हुसैन	16	"	1 चिरा फटा घाव 1 खरोंच	सी/डब्लू-531433I	
44.	अब्दुल कादिर	32	"	बंदूक की गोली के 3 घाव	सी/डब्लू-531434I	
45.	श्री बाबू खाँ	22	"	बायें कन्धे पर बंदूक की गोली का 1 घाव	सी/डब्लू-531435I	
46.	श्री मोहम्मद वसीम	10	"	बायें पाँव पर बन्दूक की गोली का 1घाव	सी/डब्लू-531436I	

THE COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) ACT, 1986

(Act No. 36 of 1986)

[First published in the "Gazette of India" (Extraordinary), Part II. Section 1, dated 21st August 1986.]

An Act to further amend the Commissions of Inquiry Act, 1952.

Be it enacted by Parliament in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Commissions of Inquiry (Amendment) Act. 1986.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 14th day of May, 1986.

2. Amendment of Act 60 of 1952.—In section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, (hereinafter referred to as the principal Act), after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely :—

'(5) The provisions of sub-section (4) shall not apply if the appropriate Government is satisfied that in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States or in the public interest, it is not expedient to lay before the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State, the report, or any part thereof. of the Commission on the inquiry made by the Commission under sub-section (1), and issues a notification to that effect in the Official Gazette.

Explanation.—For the purpose of sub-section (5), "report" includes an interim report and all proceedings of a Commission.

(6) Every notification issued under sub-section (5) shall be laid before the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State, if it is sitting, as soon as may be after the issue of the notification, and if it is not sitting, within seven days of its re-assembly and the appropriate Government shall seek the approval of the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State, to the notification by a resolution moved within a period of fifteen days beginning with the day on which the notification is so laid before the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State and if the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State makes any modification in the notification or directs that the notification should cease to have effect, the notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be;

3. Repeal and saving.—(1) The Commissions of Inquiry (Amendment) Ordinance, 1986, (6 of 1986), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the Principal Act as amended by this Act.

THE MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT ACT, 1986

(Act No. 37 of 1986)

[First published in the "Gazette of India" (Extraordinary), Part II, Section 1, dated the 22nd August 1986.]

An Act further to amend the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957.

Be it enacted by Parliament in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Act, 1986.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्ट्री सं. डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1

सं० 28] नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 1986/वैशाख 24, 1908 (शक)
No. 28] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 1986/VAISAKHA 24, 1908 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 14th May, 1986/Vaisakha 24, 1908 (Saka)

THE COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1986

No. 6 OF 1986

Promulgated by the President in the Thirty-seventh Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952.

WHEREAS the House of the People is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Commissions of Inquiry (Amendment) Ordinance, 1986.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Act 60 of 1952.

2. In section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(5) The provisions of sub-section (4) shall not apply if the appropriate Government is satisfied that in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly

Scanned with OKEN Scanner

relations with foreign States or in the public interest, it is not expedient to lay before the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State, the report, or any part thereof, of the Commission on the inquiry made by the Commission under sub-section (*1*), and issues a notification to that effect in the Official Gazette.

(*6*) Every notification issued under sub-section (*5*) shall be laid before the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State, if it is sitting as soon as may be after the issue of the notification, and if it is not stting, within seven days of its re-assembly, and the appropriate Government shall seek the approval of the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State, to the notification by a resolution moved within a period of fifteen days beginning with the day on which the notification is so laid before the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State and if the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State makes any modification in the notification or directs that the notification should cease to have effect, the notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be".

ZAIL SINGH,

President.

C. RAMAN MENON,

Additional Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1986

Scanned with OKEN Scanner

जांच आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1986

(1986 का अध्यादेश संख्यांक 6)

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित

[14 मई, 1986]

जांच आयोग अधिनियम, 1952
का और संशोधन
करने के लिए
अध्यादेश

लोक सभा सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

अतः, राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम जांच आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1986 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **1952 के अधिनियम 60 का संशोधन**—जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतः-स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में या लोकहित में, उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा की गई जांच के संबंध में आयोग

की रिपोर्ट या उसके किसी भाग को, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य की विधान सभा के समक्ष रखना समीचीन नहीं है और वह इस आशय की कोई अधिसूचना राजपत्र में निकालती है।

(6) उपधारा (5) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य की विधान सभा के समक्ष यदि उसकी बैठक हो रही है तो, ऐसी अधिसूचना के निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, और यदि उसकी बैठक नहीं हो रही है तो, उसके पुनः समवेत होने के सात दिन के भीतर रखी जाएगी। समुचित सरकार किसी ऐसे संकल्प द्वारा, जो ऐसी तारीख से जिसको ऐसी अधिसूचना, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य की विधान सभा के समक्ष इस प्रकार रखी जाती है, प्रारंभ होने वाली पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित किया जाता है, ऐसी अधिसूचना के संबंध में, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य की विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि, यथास्थिति लोक सभा या राज्य की विधान सभा उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करती है तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य की विधान सभा यह निदेश देती है कि वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए तो वह निष्प्रभाव हो जाएगी।"।

ज़ैल सिंह,
राष्ट्रपति।

सी० रमन मेनन,
अपर सचिव, भारत सरकार।

Scanned with OKEN Scanner

DS-1

THE COMMISSIONS OF INQUIRY ACT, 1952

ACT NO.60 of 1952.

An Act to provide for the appointment of Commissions of Inquiry and for vesting such Commissions with certain powers.

(14th August, 1952)

Be it enacted by Parliament as follows :-

Short title extent & Commencement

1.(1) This Act may be called the Commissions of Inquiry Act, 1952.

* (2) It extends to the whole of India :

Provided that it shall apply to the State of Jammu and Kashmir only in so far as it relates to Inquiries pertaining to matters relatable to any of the entries enumerated in List I or List III in the Seventh Schedule to the Constitution in applicable to that State.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,

(a) "Appropriate Government" means-

(i) The Central Government, in relation to a Commission appointed by it to make an inquiry into any matter relatable to any of the entries enumerated in List I or List II or List III in the Seventh Schedule to the Constitution; and

(ii) the State Government, in relation to a Commission appointed by it to make an inquiry into any matter relatable to any of the entries enumerated in List II or List III in the Seventh Schedule to the Constitution;

* Provide that in relation to the State of Jammu and Kashmir, this clause shall have effect subject to the modification that-

(a) in sub-clause (i) thereof, for the words and figures "List I or List II or List III in the Seventh Schedule to the Constitution", the words and figures "List I or List III in the Seventh Schedule to the Constitution as applicable to the State of Jammu and Kashmir" shall be substituted.

1st October, 1952, vide Notification No.S.R.O.1670 dated 30th September, 1952, Gazette of India Extraordinary Pt.II, Sec. 3, P.861.

* Substituted by Central Act No. 79 of 1971.

or List III in

(b) in sub-clause(ii) thereof, for the words and figures "List II in the seventh Schedule to the Constitution", the words and figures "List III in the Seventh Schedule to the Constitution as applicable to the State of Jammu and Kashmir" shall be substituted.

(b) "Commission" means a Commission or Inquiry appointed under section 3;

(c) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

*2. Construction of references to laws not in force in the State of Jammu & Kashmir: Any reference in this Act to a law which is not in force in the State of Jammu & Kashmir, shall in relation to that State, be construed as a reference to the corresponding law, if any in force in that State".

Appointment of Commission.

3. (1) The appropriate Government may, if it is of opinion that it is necessary so to do, and shall, if a resolution in this behalf is passed by the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State, by notification in the Official Gazette, appoint a Commission of inquiry for the purpose of making an inquiry into any definite matter of public importance and performing such fuctions and within such time as may be specified in the notification, and the Commission so appointed shall make the inquiry and perform the fuctions accordingly:

Provided that where any such Commission has been appointed to inquire into any matter -

(a) by the Central Government, no State Government shall except with the approval of the Central Government, appoint another Commission to inquire into the same matter for so long as the Commission appointed by the Central Government is functioning;

(b) by a State Government, the Central Government shall not appoint another Commission to inquire into the same matter for so long as the Commission appointed by the State Government is functioning, unless the Central Government is of opinion that the scope of the inquiry should be extended to two or more States.

(2) The Commission may consist of one or more members appointed by the appropriate Government, and where the Commission consists of more than one member, one of them may be appointed as the Chairman thereof.

---

* Inserted by Central Act No. 79 of 1971

Scanned with OKEN Scanner

(3) The Appropriate Government may, at any stage of an inquiry by the Commission fill any vacancy which may have arisen in the office of a member of the Commission (whether consisting of one or more than one member).

(4) The appropriate Government shallcause to be laid before the House of the people or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State, the report, if any, of the Commission on the inquiry made by the Commission under sub-section (1) together with memorandum of the action taken thereon, within a period of six months of the submission of the report by the Commission to the appropriate Government.

Powers of Commission

4. The Commission shall have the powers of a civil Court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the (5 of 1908) following matters, namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record orcopy thereof from any Court or office;

(e) issuing commissions for the examination of withnesses or documents;

(f) any other matter which may be prescribed.

Additional Powers of Commission

**"4.(1) Where the State Government is of opinion that having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all or any of the provisionof subsection (2) or sub-section (3) or sub-section (4) or sub-section (5) or sub-section (6) or sub- section (7) should be made applicable to Commission, the State Government may, by notification, direct that all or such of the said provisions as may be specified in the notification shall apply to that Commission and on the issue of such a notification, the said provisions shall apply accordingly.

(2) The Commission shall have power to require any person, subject to any privilege which may be claimed by that person under any law for the time being in force, to furnish information on such points or matters as, in the opinion of the Commission, may be useful for, or relevant

** Substituted by Act No. 29 of 1966.
*8 Inserted/amended by Central Act No. 79 of 1971.

the subject matter of the inquiry and any person so required shall be deemed to be legally bound to furnish such information within the meaning of section 176 and section 177 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

(3) The Commission or any officer, not below the rank of a gazetted officer, specially authorised in this behalf by the Commission may enter any building or place where the Commission has reason to believe that any books of account or other documents relating to the subject matter of the inquiry may be found, and may seize any such books of account or documents or take extract or copies therefrom, subject to the provisions of section 102 and section 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) in so far as they may be applicable.

(4) The Commission shall be deemed to be civil court and when any offence as is described in section 175 section 178 section 179 section 180 or section 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) is committed in the view or presence of the Commission, the Commission may, after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as provided for in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), forward the case to a magistrate having jurisdication to try the same and the magistrate to whom any such case is forwarded shall proceed to hear the complaint against the accused as if the case had been forwarded to him under section 482 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898).

(5) If any person, by words either spoken or intended to be read, makes or publishes any statement or does any other act which is calculated to bring the Commission or any member thereof into disrepute, he shall be punishable with simple imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.

(6) The provisionof Section 1983 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) shall apply in relation to an offence under sub-section (5) as they apply in relation to an offence referred to in sub-section (1) of the said section 198-B subject to the modification that no complaint in respect of such offence shall be made by the public Prosecutor except with the previous sanction of the State Government.

(7) Any proceeding before the Commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the I.P.C. 1860 (Act XLV of 1860).

*5A Power of Commission to utilise the services of certain officers and investigation agencies for conducting investigation pertaining to inquiry .

(1) The Commission may, for the purpose of conducting any investigation pertaining to the inquiry utilise the services -

(a) in the case of a Commission appointed by the Central Government, of any officer or investigation agency of the Central Government or any State Government with the concurrence of the Central Government or the State Government, as the case may be; or

(b) in the case of a Commission appointed by the State Government, of any officer or investigation agency of the State Government of Central Government with the concurrence o f the State Government or the Central Government, as the case may be .

(2) For the purpose of investigating into any matter pertaining to the inquiry, any officer or agency whose services are utilised under sub-section(1) may, subject to the direction and control of the Commission -

(a) Summons and enforce the attendance of any person and examine him;

(b) require the discovery and production of any document; and

(c) requisition any public record or copy thereof from any office

(3) The provisions of section 6 shall apply in relation to any statement made by a person before any officers or agency whose services are utilised under sub-section (1) as they apply in relation to any statement made by a person in the course of giving evidence before the Commission .

(4) The officer or agency, whose services are utilised under sub-section (1), shall investigate in to any matter pertaining to the inquiry and submit a report thereon (hereafter in this section referred to as the investigation report) to the Commission within such period as may be specified by the Commission in this behalf .

(5) The Commission shall satisfy itself about the correctness of the facts stated and the conclusions, if any, arrived at the investigation report submitted to it under sub-section (4), and for this purpose the Commission may make such inquiry (including the examination of the person or person who conducted or assisted in the investigation as it thinks fit);

Statements made by persons to the Commission.

6. No statement made by a person in the course giving evidence before the Commission shall sub ject him to or be used against him in any civil o criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such statement :

Provided that the statement -

(a) is made in reply to a question which he is required by the Commission to answer

(b) is relevant to the subject matter of the inquiry .

*1 6.A. Persons not obliged to disclose secret process of manufacture of goods in certa cases .

Except in cases where a Commission is expressly required to inquire into the process o manufacture of any goods ,nothing in this Act Sa be deemed to compel any person giving evidence before the Commission to disclose any secret pro ess of manufacture thereon.'

*1 7. Commission to cease to exist when so notified

(1) The appropriate Government may,be notification in the official Gazette, declare that -

(a) A Commission(other than a Commission appointed i pursuance of a resolution passed by the House of the people or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State) shall cease to exist if it is of opinion that the continued existence of theCommission is unnecessary ;

(b) A Commission appointed in pursuance of a resolution passed by the House of the People or,as the case may be, the Legislative Assembly of the Stat shall cease to exist if a resolutionon for the discontinuance of the Commission is passed by the House of the People or,as the case may be,the Legislative Assembly of the State .

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall specify the date from which the Commission shall cease to exist and on theissue of such notification, the Commission shall cease to exist with effect from the date specified therein .

---

*1 Inserted by Central Act No. 79 of 1971 .

*1 Sec.7 substituted by Central Act No.79 of 1971 .

Procedure to be followed by the Commission.

*1.8 The Commission shall, subject to any rule that may be made in this behalf, have power to regulate its own procedure (including the fixing of places and times of its sittings and deciding whether to sit in public or private).

*1.8A Inquiry not to be interrupted by reason of Vacancy or change in the constitution of the Commission:

(1) Where the Commission consists of two or more members, it may act notwithstanding the absence of the Chairman or any other member or any vacancy among its members.

(2) Where during the course of an inquiry before Commission, a change has taken place in the constitution of the Commission by reason of any vacancy having been filled or by any other reason, it shall not be necessary for the Commission to commence the inquiry afresh and the inquiry may be continued from the stage at which the change took place.

*1.8B Persons likely to be prejudically affected to be heard: If, at any stage of the inquiry the Commission -

(a) considers it necessary to inquir into the conduct of any person; or

(b) is of opnion that the reputation of any person is likely to be prejudically affected by the Inquiry.

The Commission shall give to that person a reasonable opportunity of being heard in the inquiry and to produce evidence in his defence;

Provided that nothing in this wection shall apply when the credit of a witness is being impeached.

*1.8C Right of cross-examination and representation by legal practitioner.

The appropriate Government, every person refefred to in section 8B and, with the permission of the Commission any other person whose evidence is recorded by the Commission -

(a) may cross-examine a witness other than a witness produced by it or him;

(b) may address the Commission; and

(c) may be represented before the Commission by practitioner or with the permission of the Commission, by any other person.

Protection of action taken in good faith

9. No suit or other legal proceeding shall lie again the appropriate Government, the Commission or any memb thereof, or any person acting under the direction eith ere of the appropriate Government or of the Commissio in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of an rules or orders made thereunder or in respect of the publication, by or under the authority of the appropr Government or the Commission, of any report, paper or proceedings .

Members, etc. to be public Servants .

10. Every member of the Commission and every officer appointed or authorised by the Commission to exercise functions under this Act shall be deemed to be a publi servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code .

*110A Penalty for acts calculated to bring the Commission or any member thereof into disrepute

(1) If any person by words either spoken or intended to be read, makes or publishes any statement or does any other act, which is calculated to bring the Commission or any member thereof into dispute he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both .

(2) The provisions of section 198B of the Code of Criminal Procedure, 1899(5 of 1898) shall ap ply in relation to an offence under sub-section(1) as they apply in relation to an offence refferred to in sub-section (1) of the said section 198B subject to the modification that no complaint in respect of such offence shall bemade by the public prosecutor except with the previous sanction -

(a) In the case of a Commission, or member of a Commission appointed by the Central Government of the Central Government; or

(b) in the case of a Commission, or member of a Commission ap pointedby the State Government, of the State Government .

ct to apply o other nquiring uthorities n certain Cases

11. Where any authority(by whatever name called), other than a Commission appointed under section 3, has been oris set up under any resolution or order of the appropriate Government for the purpose of making an inquiry into anydefinite matter of public importance a that Government is of opinion that all or any of the provisions of this Act should be made applicable to th authority, that Government may, subject to the prohibi tion contained in the proviso to sub-section (1) of section 3, by notification in the official Gazette, direct that the said provision of this Act shall appl

provisions of this Act shall apply to that authority, and on the issue of such a notification, that authority shall be deemed to be a Commission appointed under section 3 for the purpose of this Act.

Power make rules.

12. (1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing poer, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the term of office and the conditions of service of the members of the Commission;

(b) the manner in which inquiries may be held under this Act and the procedure to be followed by the Commission in respect of the proceedings before it;

(c) the powers of Civil Court which may be vested in the Commission;

(d) any other matter which has to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made by the Central Government under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each house of Parliament while it is in possion for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laidor the session immediately following, both Houses agree in making any modification in the rule orboth Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or beof no effect as the case may be; so, however, that any such modification oramendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

*1 <u>Principal Act as amended to come into force in Jammu & Kashmir and in certain districts in Nagaland.</u>

The Principal Act, as mended by this Act, shall come into force in the State of Jammu & Kashmir and in the districts of Kashmir and Mokokchung in the State of Nagaland on such date as the Central Government may, by notification into the Official Gazette, appoint.

---

*1 Inserted by Central Act No. 79 of 1971

For instance see the Commission of Inquiry (Assessors) Rules, 1954 (Notification No.S.R.O. 1218. Gazette of India, 195, Pt. II sec. 3, S.P. 756.

*1 Inserted by Central ...

Sont/-

जांच आयोग अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम संख्यांक 60)[1]

[14 अगस्त, 1952]

जांच आयोगों की नियुक्ति के लिए तथा ऐसे आयोगों में
कतिपय शक्तियां निहित करने के लिए
उपबन्ध बनाने के लिए
अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम जांच आयोग अधिनियम, 1952 कहा जा सकेगा।

[2][(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है :

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को केवल वहां तक लागू होगा, जहां तक उस राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों के बारे में जांच से संबंधित हो।]

(3) यह उस तारीख[3] को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्था अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित सरकार" से अभिप्रेत है—

(i) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 या सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से सम्बन्ध योग्य किसी विषय की बाबत जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार; और

(ii) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से सम्बन्ध योग्य किसी विषय के बारे में जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के सम्बन्ध में, राज्य सरकार :

[4][परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में यह खण्ड इस उपान्तर के अधीन प्रभावी होगा कि—

(क) उसके उपखण्ड (i) में, "संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 या सूची 2 या सूची 3" शब्दों और अंकों के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 या सूची 3" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उसके उपखण्ड (ii) में, "संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;]

(ख) "आयोग" से धारा 3 के अधीन नियुक्त जांच आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

[5][**2क. जो विधियां जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं हैं उनके प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन**—इस अधिनियम में ऐसी किसी विधि के प्रति, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश का उस राज्य के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में लागू तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है।]

---

[1] इस अधिनियम का विस्तार, 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव पर, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर तथा 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर किया गया है।

[2] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 2 द्वारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1 अक्तूबर, 1952, देखिए अधिसूचना सं० सा०का० नि० 1670, तारीख 30 सितम्बर, 1952, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृष्ठ 861। 1971 के अधिनियम सं० 79 द्वारा यथा संशोधित यह अधिनियम 6-3-1972 को जम्मू-कश्मीर राज्य में और 15-2-1972 को नागालैंड राज्य के कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में प्रवृत्त हुआ था- देखिए 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 15 के अधीन क्रमश: जारी की गई अधिसूचना सं० 94(अ), तारीख 4-3-1972 और अधिसूचना सं० 74(अ) तारीख 14-2-1972।

[4] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया।

[5] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 4 द्वारा अन्त:स्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

3. आयोग की नियुक्ति—(1) [1][जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समुचित सरकार] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक आयोग की नियुक्ति, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करने तथा ऐसे कृत्यों को, और इतने समय के अंदर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, करने के प्रयोजन के लिए उस दशा में, जिसमें उसकी यह राय है कि वैसा करना आवश्यक है, कर सकेगी और उस दशा में जिसमें [2][यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] द्वारा इस निमित्त संकल्प पारित किया जाए, करेगी और ऐसे नियुक्त आयोग तदनुसार जांच करेगा और कृत्यों का पालन करेगा :

परन्तु जहां किसी मामले की जांच के लिए ऐसे आयोग की नियुक्ति—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है, वहां उसी मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना कोई भी राज्य सरकार तब तक नहीं करेगी जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा हो ;

(ख) किसी राज्य सरकार द्वारा की गई है, वहां उसी मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार तब तक जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा हो, उस दशा के सिवाय नहीं करेगी जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय है कि जांच की परिधि दो या अधिक राज्यों तक विस्तारित कर दी जानी चाहिए ।

(2) आयोग में समुचित सरकार द्वारा नियुक्त एक या अधिक सदस्य हो सकेंगे और जहां आयोग में एक से अधिक सदस्य हों, वहां उनमें से एक उनका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा ।

[3][(3) आयोग द्वारा जांच के किसी भी प्रक्रम में, समुचित सरकार, किसी ऐसी रिक्ति को भर सकेगी जो आयोग के किसी सदस्य के पद में हुई हो (चाहे आयोग में एक सदस्य हो या उससे अधिक) ।

(4) समुचित सरकार, [2][यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] के समक्ष, उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा की गई जांच पर आयोग की रिपोर्ट, यदि कोई हो, उस पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित, आयोग द्वारा समुचित सरकार को रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने से छह मास की कालावधि के अंदर, रखवाएगी ।]

[4]* * * * *

4. आयोग की शक्तियां—निम्नलिखित बातों के बारे में, आयोग को वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं, अर्थात् :—

(क) [5][भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना] तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट ओर पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक-अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

5. आयोग की अतिरिक्त शक्तियां—(1) जहां समुचित सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच के स्वरूप और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग को उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के उपबन्धों में से कोई लागू किए जाने चाहिएं, वहां समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उक्त सब उपबन्ध या उनमें से ऐसे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उस आयोग को लागू होंगे और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर उक्त उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, किसी ऐसे विशेषाधिकार के अध्यधीन, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हों [6][और जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।]

---

[1] 2014 के अधिनिधयम सं० 1 की धारा 58 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1990 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 5 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[4] 1990 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 द्वारा उपधारा (5) और उपधारा (6) का लोप किया गया ।
[5] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 6 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 7 द्वारा अन्त:स्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

(3) आयोग या राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे न होने वाला कोई अधिकारी, जो आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत किया जाए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 102 और धारा 103 के उपबन्धों के, जहां तक वे लागू हों, अध्यधीन किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय-वस्तु से संबंधित कोई लेखा-बहियां या अन्य दस्तावेज वहां पाए जा सकते हैं, प्रवेश कर सकेगा और किन्हीं ऐसी लेखा-बहियों या दस्तावेजों को अभिगृहीत कर सकेगा अथवा उनसे उद्धरण या उनकी प्रतिलिपियां ले सकेगा।

(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध जैसा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है तब आयोग अपराध गठित करने वाले तथ्यों और अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका परीक्षण करने की अधिकारिता है, तथा वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 482 के अधीन उसको भेजा गया हो।

(5) आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा।

[1][**5क. जांच से संबंधित अन्वेषण करने के लिए कतिपय अधिकारियों और अन्वेषण अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने की आयोग की शक्ति**—(1) आयोग, जांच से संबंधित अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा:—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार का कोई अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण: अथवा

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सहमति से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण।

(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जा रहा है, आयोग के निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए—

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण एवं पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; तथा

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) धारा 6 के उपबन्ध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाए, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाए वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर ऐसी कालावधि के भीतर जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को रिपोर्ट (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अन्वेषण रिपोर्ट कहा गया है) देगा।

(5) आयोग उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई अन्वेषण रिपोर्ट में कथित तथ्यों के तथा निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजनार्थ आयोग ऐसी जांच (जिसके अन्तर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा भी है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो) कर सकेगा जो वह ठीक समझे।]

[2][**5ख. असेसर नियुक्त करने की आयोग की शक्ति**—आयोग कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए, जांच से संबद्ध किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को, जांच में, आयोंग की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए, असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगा और असेसर ऐसे यात्रा और अन्य खर्चों का हकदार होगा जो विहित किए जाएं।

6. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन—आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह तब जबकि ऐसा कथन—

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या

(ख) जांच की विषय-वस्तु से सुसंगत है।

---

[1] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 8 द्वारा अन्त:स्थापित।

[2] 1988 के अधिनियम सं० 63 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

[1][**6क. माल के विनिर्माण की गुप्त प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए व्यक्तियों का कतिपय मामलों में बाध्य न होना**—उन मामलों के सिवाय जिनमें आयोग किसी माल के विनिर्माण की प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्पष्टत: अपेक्षित हो, इस अधिनियम की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह आयोग के समक्ष साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति को उस माल के विनिर्माण की किसी गुप्त प्रक्रिया को प्रकट करने को विवश करती है ।]

[2][**7. आयोग का अस्तित्वहीन हो जाना जब वैसा अधिसूचित कर दिया जाए**—(1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी—

(क) कि, [3][(यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] द्वारा, पारित संकल्प के अनुसरण में नियुक्त आयोग से भिन्न) कोई आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा, यदि उस सरकार की यह राय हो कि आयोग का अस्तित्वशील रहना आवश्यक है:

(ख) कि, [2][यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] द्वारा, पारित संकल्प के अनुसरण में नियुक्त आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा यदि आयोग को समाप्त करने का संकल्प, [2][यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] द्वारा, पारित कर दिया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई हर अधिसूचना में वह तारीख विनिर्दिष्ट होगी जबसे आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से ही आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा ।]

8. आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया—आयोग को किन्हीं नियमों के जो इस निमित्त बनाए जाएं, अधीन रहते हुए अपनी प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत उसकी बैठकों के स्थान और समय नियत करना तथा यह विनिश्चय करना भी है कि बैठकें खुली हों या प्राइवेट हों) स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी, [4]***

[5][**8क. आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में परिवर्तन होने के कारण जांच में कोई विघ्न न पड़ना**—(1) जहां आयोग में दो या दो से अधिक सदस्य हों वहां वह अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को अनुपस्थिति या अपने सदस्यों में से किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य कर सकेगा ।

(2) जहां आयोग के समक्ष जांच के दौरान, किसी रिक्ति के भरे जाने से या किसी अन्य कारण से आयोग के गठन में कोई परिवर्तन हो जाए वहां आयोग के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह जांच नए सिरे से प्रारम्भ करे और जांच उसी प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस पर परिवर्तन हुआ हो ।

8ख. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो—यदि जांच के किसी अनुक्रम में —

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है, तो आयोग उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का यथोचित असवर देगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा हो ।

8ग. प्रतिपरीक्षा और विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार—समुचित सरकार, धारा 8ख में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और, आयोग की अनुज्ञा से कोई अन्य व्यक्ति, जिसका साक्ष्य आयोग द्वारा अभिलिखित किया जाता है—

(क) अपने द्वारा पेश किए गए साक्षी से भिन्न किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा;

(ख) आयोग को संबोधित कर सकेगा; और

(ग) आयोग के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा या आयोग की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करा सकेगा ।]

9. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का परित्राण—कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज या कार्यवाही के समुचित सरकार या आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रकाशन के सम्बन्ध में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, समुचित सरकार, आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा समुचित सरकार के या आयोग के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

---

[1] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 9 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[2] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 10 द्वारा धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1990 के अधिनियम सं० 19 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 11 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[5] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 12 द्वारा अन्त:स्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

10. सदस्यों आदि का लोक सेवक होना—आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

[1]**[10क. आयोग या उसके किसी सदस्य की बदनामी करने के लिए प्रकल्पित कार्यों के लिए शास्ति**—(1) यदि कोई व्यक्ति या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा या कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जो आयोग या उसके किसी सदस्य की बदनामी करने के लिए प्रकल्पित हो तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

[2][(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, जब यह अभिकथित है कि उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किया गया है तब उच्च न्यायालय, ऐसा मामला उसे सुपुर्द हुए बिना ही, आयोग के किसी सदस्य द्वारा या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर, ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकता है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक परिवाद में उन तथ्यों का जिनसे अभिकथित अपराध बनता है, ऐसे अपराध की प्रकृति का, और ऐसी अन्य विशिष्टियों का उल्लेख होगा जो अभियुक्त द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की उसे सूचना देने के लिए युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हैं।

(4) कोई भी उच्च न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक नही करेगा जब तक कि परिवाद उस तारीख से, जिसको अपराध का किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर नहीं किया जाता।

(5) उपधारा (1) के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला उच्च न्यायालय उस मामले का विचारण, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा :

परन्तु ऐसे विचारण में आयोग के सदस्य की परिवादी के रूप में या अन्यथा वैयक्तिक हाजिरी अपेक्षित नहीं है।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय से उच्चतम न्यायालय में, तथ्य और विधि दोनों पर, अपील साधिकार की जा सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रत्येक अपील, उस निर्णय की तारीख से, जिससे अपील की गई है, तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परन्तु उच्चतम न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था।]

11. कतिपय परिस्थितियों में अधिनियम का अन्य जांच प्राधिकारणों को लागू होना—जहां (किसी भी नाम से ज्ञात) कोई प्राधिकरण, जो धारा 3 के अधीन नियुक्त आयोग से भिन्न है, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार के किसी संकल्प या आदेश द्वारा बनाया गया है या बनाया जाता है और उस सरकार की यह राय है कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध उस प्राधिकारण को लागू किए जाने चाहिए वहां वह सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट प्रतिषेध के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उक्त उपबंध इस प्राधिकरण को लागू होंगे, और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर वह प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त आयोग समझा जाएगा।

12. नियम बनाने की शक्ति—(1) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टियता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) आयोग के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें;

(ख) वह रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन जांच की जा सकेगी और आयोग द्वारा अपने समक्ष कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) सिविल न्यायालय की वे शक्तियां जो आयोग में निहित हो सकेगी;

[3][(गग) धारा 5ख के अधीन नियुक्त असेसरों को और आयोग द्वारा साक्ष्य देने के लिए या उसके समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, समन किए गए व्यक्तियों को संदेय यात्रा और अन्य खर्चे।]

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।

---

[1] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 13 द्वारा अन्तःस्थापित।
[2] 1988 के अधिनियम सं० 63 की धारा 3 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 1988 के अधिनियम सं० 63 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

[1][(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा [2][दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[3][(4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

---

[1] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित । मूल उपधारा (3) सं० 79 की धारा 14 द्वारा अन्तःस्थापित की गई थी ।

[3] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अन्तःस्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

जांच आयोग अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम संख्यांक 60)[1]

[14 अगस्त, 1952]

जांच आयोगों की नियुक्ति के लिए तथा ऐसे आयोगों में
कतिपय शक्तियां निहित करने के लिए
उपबन्ध बनाने के लिए
अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम जांच आयोग अधिनियम, 1952 कहा जा सकेगा।

[2][(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है :

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को केवल वहां तक लागू होगा, जहां तक उस राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों के बारे में जांच से संबंधित हो।]

(3) यह उस तारीख[3] को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित सरकार" से अभिप्रेत है—

(i) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 या सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से सम्बन्ध योग्य किसी विषय की बाबत जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार; और

(ii) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से सम्बन्ध योग्य किसी विषय के बारे में जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के सम्बन्ध में राज्य सरकार :

[4][परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में यह खण्ड इस उपान्तर के अधीन प्रभावी होगा कि—

(क) उसके उपखण्ड (i) में, "संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 या सूची 2 या सूची 3" शब्दों और अंकों के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 या सूची 3" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उसके उपखण्ड (ii) में, "संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;]

(ख) "आयोग" से धारा 3 के अधीन नियुक्त जांच आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

[5][**2क. जो विधियां जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं हैं उनके प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन**—इस अधिनियम में ऐसी किसी विधि के प्रति, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश का उस राज्य के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में लागू तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है।]

---

[1] इस अधिनियम का विस्तार, 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव पर, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर तथा 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर किया गया है।

[2] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 2 द्वारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1 अक्तूबर, 1952, देखिए अधिसूचना सं० सा०का० नि० 1670, तारीख 30 सितम्बर, 1952, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृष्ठ 861। 1971 के अधिनियम सं० 79 द्वारा यथा संशोधित यह अधिनियम 6-3-1972 को जम्मू-कश्मीर राज्य में और 15-2-1972 को नागालैंड राज्य के कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में प्रवृत्त हुआ था- देखिए 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 15 के अधीन क्रमश: जारी की गई अधिसूचना सं० 94(अ), तारीख 4-3-1972 और अधिसूचना सं० 74(अ) तारीख 14-2-1972।

[4] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया।

[5] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 4 द्वारा अन्त:स्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

3. आयोग की नियुक्ति—(1) [1][जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समुचित सरकार] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक आयोग की नियुक्ति, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करने तथा ऐसे कृत्यों को, और इतने समय के अंदर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, करने के प्रयोजन के लिए उस दशा में, जिसमें उसकी यह राय है कि वैसा करना आवश्यक है, कर सकेगी और उस दशा में जिसमें [2][यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] द्वारा इस निमित्त संकल्प पारित किया जाए, करेगी और ऐसे नियुक्त आयोग तदनुसार जांच करेगा और कृत्यों का पालन करेगा :

परन्तु जहां किसी मामले की जांच के लिए ऐसे आयोग की नियुक्ति—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है, वहां उसी मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना कोई भी राज्य सरकार तब तक नहीं करेगी जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा हो ;

(ख) किसी राज्य सरकार द्वारा की गई है, वहां उसी मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार तब तक जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा हो, उस दशा के सिवाय नहीं करेगी जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय है कि जांच की परिधि दो या अधिक राज्यों तक विस्तारित कर दी जानी चाहिए।

(2) आयोग में समुचित सरकार द्वारा नियुक्त एक या अधिक सदस्य हो सकेंगे और जहां आयोग में एक से अधिक सदस्य हों, वहां उनमें से एक उनका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा।

[3][(3) आयोग द्वारा जांच के किसी भी प्रक्रम में, समुचित सरकार, किसी ऐसी रिक्ति को भर सकेगी जो आयोग के किसी सदस्य के पद में हुई हो (चाहे आयोग में एक सदस्य हो या उससे अधिक)।

(4) समुचित सरकार, [2][यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] के समक्ष, उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा की गई जांच पर आयोग की रिपोर्ट, यदि कोई हो, उस पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित, आयोग द्वारा समुचित सरकार को रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने से छह मास की कालावधि के अंदर, रखवाएगी।]

[4]* * * * *

4. आयोग की शक्तियां—निम्नलिखित बातों के बारे में, आयोग को वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं, अर्थात् :—

(क) [5][भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना] तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट ओर पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक-अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

5. आयोग की अतिरिक्त शक्तियां—(1) जहां समुचित सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच के स्वरूप और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग को उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के उपबन्धों में से कोई लागू किए जाने चाहिएं, वहां समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उक्त सब उपबन्ध या उनमें से ऐसे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उस आयोग को लागू होंगे और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर उक्त उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, किसी ऐसे विशेषाधिकार के अध्यधीन, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हों [6][और जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा।]

---

[1] 2014 के अधिनियम सं० 1 की धारा 58 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 1990 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
[4] 1990 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 द्वारा उपधारा (5) और उपधारा (6) का लोप किया गया।
[5] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 6 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[6] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

(3) आयोग या राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे न होने वाला कोई अधिकारी, जो आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत किया जाए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 102 और धारा 103 के उपबन्धों के, जहां तक वे लागू हों, अध्यधीन किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय-वस्तु से संबंधित कोई लेखा-बहियां या अन्य दस्तावेज वहां पाए जा सकते हैं, प्रवेश कर सकेगा और किन्हीं ऐसी लेखा-बहियों या दस्तावेजों को अभिगृहीत कर सकेगा अथवा उनसे उद्धरण या उनकी प्रतिलिपियां ले सकेगा।

(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध जैसा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है तब आयोग अपराध गठित करने वाले तथ्यों और अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका परीक्षण करने की अधिकारिता है, तथा वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 482 के अधीन उसको भेजा गया हो।

(5) आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा।

[1][**5क. जांच से संबंधित अन्वेषण करने के लिए कतिपय अधिकारियों और अन्वेषण अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने की आयोग की शक्ति**—(1) आयोग, जांच से संबंधित अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा:—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार का कोई अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण: अथवा

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सहमति से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण।

(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जा रहा है, आयोग के निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए—

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण एवं पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; तथा

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) धारा 6 के उपबन्ध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाए, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाए वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर ऐसी कालावधि के भीतर जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को रिपोर्ट (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अन्वेषण रिपोर्ट कहा गया है) देगा।

(5) आयोग उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई अन्वेषण रिपोर्ट में कथित तथ्यों के तथा निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजनार्थ आयोग ऐसी जांच (जिसके अन्तर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा भी है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो) कर सकेगा जो वह ठीक समझे।]

[2][**5ख. असेसर नियुक्त करने की आयोग की शक्ति**—आयोग कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए, जांच से संबद्ध किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को, जांच में, आयोंग की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए, असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगा और असेसर ऐसे यात्रा और अन्य खर्चों का हकदार होगा जो विहित किए जाएं।

6. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन—आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह तब जबकि ऐसा कथन—

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या

(ख) जांच की विषय-वस्तु से सुसंगत है।

---

[1] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 8 द्वारा अन्त:स्थापित।
[2] 1988 के अधिनियम सं० 63 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

[1][6क. **माल के विनिर्माण की गुप्त प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए व्यक्तियों का कतिपय मामलों में बाध्य न होना**—उन मामलों के सिवाय जिनमें आयोग किसी माल के विनिर्माण की प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्पष्टत: अपेक्षित हो, इस अधिनियम की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह आयोग के समक्ष साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति को उस माल के विनिर्माण की किसी गुप्त प्रक्रिया को प्रकट करने को विवश करती है ।]

[2][7. **आयोग का अस्तित्वहीन हो जाना जब वैसा अधिसूचित कर दिया जाए**—(1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी—

(क) कि, [3][(यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] द्वारा, पारित संकल्प के अनुसरण में नियुक्त आयोग से भिन्न) कोई आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा, यदि उस सरकार की यह राय हो कि आयोग का अस्तित्वशील रहना आवश्यक है:

(ख) कि, [2][यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] द्वारा, पारित संकल्प के अनुसरण में नियुक्त आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा यदि आयोग को समाप्त करने का संकल्प, [2][यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] द्वारा, पारित कर दिया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई हर अधिसूचना में वह तारीख विनिर्दिष्ट होगी जबसे आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से ही आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा ।]

8. आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया—आयोग को किन्हीं नियमों के जो इस निमित्त बनाए जाएं, अधीन रहते हुए अपनी प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत उसकी बैठकों के स्थान और समय नियत करना तथा यह विनिश्चय करना भी है कि बैठकें खुली हों या प्राइवेट हों) स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी, [4]***

[5][8क. **आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में परिवर्तन होने के कारण जांच में कोई विघ्न न पड़ना**—(1) जहां आयोग में दो या दो से अधिक सदस्य हों वहां वह अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को अनुपस्थिति या अपने सदस्यों में से किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य कर सकेगा ।

(2) जहां आयोग के समक्ष जांच के दौरान, किसी रिक्ति के भरे जाने से या किसी अन्य कारण से आयोग के गठन में कोई परिवर्तन हो जाए वहां आयोग के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह जांच नए सिरे से प्रारम्भ करे और जांच उसी प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस पर परिवर्तन हुआ हो ।

8ख. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो—यदि जांच के किसी अनुक्रम में —

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है, तो आयोग उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का यथोचित असवर देगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा हो ।

8ग. प्रतिपरीक्षा और विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार—समुचित सरकार, धारा 8ख में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और, आयोग की अनुज्ञा से कोई अन्य व्यक्ति, जिसका साक्ष्य आयोग द्वारा अभिलिखित किया जाता है—

(क) अपने द्वारा पेश किए गए साक्षी से भिन्न किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा;

(ख) आयोग को संबोधित कर सकेगा; और

(ग) आयोग के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा या आयोग की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करा सकेगा ।]

9. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का परित्राण—कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज या कार्यवाही के समुचित सरकार या आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रकाशन के सम्बन्ध में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, समुचित सरकार, आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा समुचित सरकार के या आयोग के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

---

[1] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 9 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[2] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 10 द्वारा धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1990 के अधिनियम सं० 19 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 11 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[5] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 12 द्वारा अन्त:स्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

10. सदस्यों आदि का लोक सेवक होना—आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

[1]**[10क. आयोग या उसके किसी सदस्य की बदनामी करने के लिए प्रकल्पित कार्यों के लिए शास्ति**—(1) यदि कोई व्यक्ति या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा या कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जो आयोग या उसके किसी सदस्य की बदनामी करने के लिए प्रकल्पित हो तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

[2][(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, जब यह अभिकथित है कि उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किया गया है तब उच्च न्यायालय, ऐसा मामला उसे सुपुर्द हुए बिना ही, आयोग के किसी सदस्य द्वारा या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर, ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकता है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक परिवाद में उन तथ्यों का जिनसे अभिकथित अपराध बनता है, ऐसे अपराध की प्रकृति का, और ऐसी अन्य विशिष्टियों का उल्लेख होगा जो अभियुक्त द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की उसे सूचना देने के लिए युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हैं।

(4) कोई भी उच्च न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक नही करेगा जब तक कि परिवाद उस तारीख से, जिसको अपराध का किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर नहीं किया जाता।

(5) उपधारा (1) के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला उच्च न्यायालय उस मामले का विचारण, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा :

परन्तु ऐसे विचारण में आयोग के सदस्य की परिवादी के रूप में या अन्यथा वैयक्तिक हाजिरी अपेक्षित नहीं है।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय से उच्चतम न्यायालय में, तथ्य और विधि दोनों पर, अपील साधिकार की जा सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रत्येक अपील, उस निर्णय की तारीख से, जिससे अपील की गई है, तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परन्तु उच्चतम न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था।]

11. कतिपय परिस्थितियों में अधिनियम का अन्य जांच प्राधिकारणों को लागू होना—जहां (किसी भी नाम से ज्ञात) कोई प्राधिकरण, जो धारा 3 के अधीन नियुक्त आयोग से भिन्न है, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार के किसी संकल्प या आदेश द्वारा बनाया गया है या बनाया जाता है और उस सरकार की यह राय है कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध उस प्राधिकारण को लागू किए जाने चाहिए वहां वह सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट प्रतिषेध के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उक्त उपबंध इस प्राधिकरण को लागू होंगे, और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर वह प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त आयोग समझा जाएगा।

12. नियम बनाने की शक्ति—(1) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टियता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) आयोग के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें;

(ख) वह रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन जांच की जा सकेगी और आयोग द्वारा अपने समक्ष कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) सिविल न्यायालय की वे शक्तियां जो आयोग में निहित हो सकेगी;

[3][(गग) धारा 5ख के अधीन नियुक्त असेसरों को और आयोग द्वारा साक्ष्य देने के लिए या उसके समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, समन किए गए व्यक्तियों को संदेय यात्रा और अन्य खर्चे।]

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।

---

[1] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 13 द्वारा अन्तःस्थापित।
[2] 1988 के अधिनियम सं० 63 की धारा 3 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 1988 के अधिनियम सं० 63 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

[1][(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा [2][दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[3][(4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

---

[1] 1971 के अधिनियम सं० 79 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित । मूल उपधारा (3) सं० 79 की धारा 14 द्वारा अन्त:स्थापित की गई थी ।

[3] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अन्त:स्थापित ।

Scanned with OKEN Scanner

विलम्ब के कारण

विषय-मुरादाबाद जिले में दिनांक 13 अगस्त 1980 को प्रातः ईद की नमाज के समय उत्पन्न विघ्न तथा उसके फलस्वरूप घटित अन्य घटनाओं के घटनाक्रम, उनके तथ्य, कारण और उत्तरदायित्व की जांच के सम्बन्ध में गठित एकल सदस्यीय मा0 न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट मा0 विधान मण्डल दोनों सदनों के पटल/मेज पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

- मुरादाबाद जिले में दिनांक- 13 अगस्त, 1980 को प्रातः ईद की नमाज के समय साम्प्रदायिक दंगे की घटना ।
- उक्त घटना में 83 व्यक्ति मारे गये एवं 112 व्यक्ति घायल हुए ।
- उक्त घटना की जांच हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन निम्नलिखित आदेशों के साथ किया गया-
- (1)दिनांक 13.08.1980 को मुरादाबाद में घटित समस्त घटनाओं के घटनाक्रम जिसमें हताहतों की संख्या भी सम्मिलित है एवं उनके तथ्य और कारणों का सुनिश्चित किया जाना ।
- (2) स्थिति को नियंत्रित करने के लिये स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की पर्याप्तता और औचित्य का निर्धारण ।
- (3)इन घटनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न अधिकारियों / कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना ।
- मुरादाबाद जिले में दिनांक-13.08.1980 को घटित घटना की जांच रिपोर्ट वर्ष 1983 में शासन में प्राप्त हुई थी। उक्त जांच रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद हेतु भाषा विभाग को सन्दर्भित किया गया। भाषा विभाग द्वारा हिन्दी में अनुवाद कर गृह विभाग को उपलब्ध कराया गया।
- तत्पश्चात् उक्त जांच रिपोर्ट मा0 विधान मण्डल के दोनों सदनों में रखे जाने हेतु मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदन हेतु दिनांक-13.03.1986, 09.06.1987, 22.12.1987, 17.09.1988, 31.07.1989, 20.10.1990, 24.07.1992, 11.12.1992, 01.02.1994, 30.05.1995, 15.02.2000, 17.02.2002, 31.05.2004 एवं 09.08.2005 को मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किये जाने पर प्रदेश की साम्प्रदायिक स्थिति, रिपोर्ट के प्रकाशन के प्रभाव आदि के कारणों से उच्च स्तर पर रिपोर्ट को लम्बित रखे जाने का निर्णय लिया जाता रहा है।
- मा0 मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने पर पूर्व में जांच रिपोर्ट नहीं रखी जा सकी । तत्पश्चात् किन्हीं कारणवश सम्बन्धित पत्रावली से जांच रिपोर्ट अलग हो गयी। आश्वासन की पूर्ति हेतु जब पत्रावली खोजी गयी है तो उक्त जांच रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं पायी गयी।
- उक्त रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद- मुरादाबाद से अनेकों प्रयास किये गये परन्तु सफलता नहीं मिली।

Scanned with OKEN Scanner

- उ0प्र0 शासन के भाषा विभाग, लाइब्रेरी आदि से अनेकों पत्र जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किये गये उनके स्तर से भी जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो सकी।
- पुलिस अधीक्षक (सी0आई0) अभिसूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ से भी पत्राचार किया गया परन्तु उनके कार्यालय से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी।
- अनुभाग में काफी खोजबीन के पश्चात् उक्त जांच रिपोर्ट रजिस्ट्रों में रखी हुई पायी गयी।
- जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके सम्बन्ध में दिसम्बर 2022 से मा0 मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की गयी।
- मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन दिनांक-12.05.2023 को प्राप्त हुआ।
- दिनांक-07.08.2023 से आहूत सत्र में विधान मण्डल के दोनों सदनों में रखे जाने की कार्यवाही की जा रही है। तद्नुसार प्रकरण में विलम्ब हुआ। वर्तमान सरकार के द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर विधान मण्डल के सदनों में रखने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(योगी आदित्यनाथ)
मुख्यमंत्री ।

4/8/2023

Scanned with OKEN Scanner